1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-8) आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का छठा दिवस (संख्या-4

मंगलवार,

4 जुलाई, 1989

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

बाड़मेर जिले की शालाओं में रिक्त पद

68. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडा-मालानी) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापकों की आवश्यकता व स्वीकृत पदों की स्थिति क्या है? विवरण पृथक-पृथक सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान नीति के अनुसार आवश्यक पदों की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार बाड़मेर जिले में माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त प्रधानाध्यापकों, व्याख्याताओं व अध्यापकों की पूर्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उप मन्त्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा (श्री खेमराज कटारा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। मांग, औचित्य एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा। वर्तमान में नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध है।

(3) जी हां। पदोन्नति कोटा की रिक्तियां भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध हटने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखिये।)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, जो सूचना दी है वह बिलकुल ही गलत है। पिछले सत्र में मेरे ही प्रश्न संख्या 24 का जवाब दिया था। उसमें इन्होंने सिर्फ 12 स्कूल के अन्दर तृतीय श्रेणी के 32 पद खाली

(श्री हेमाराम चौधरी)

बताये और आज सारे जिले में तृतीय श्रेणी के 36 पद खाली बताये हैं। सिर्फ चार पद और खाली बताये हैं। इन 12 स्कूल की मैंने स्कूलवाइज सूचना मांगी थी। एक ही स्कूल में सात पदों की कमी है थर्ड ग्रेड की और आठ पद होने चाहिए, सात पद स्वीकृत नहीं हैं केवल एक पद स्वीकृत है। सैकण्ड ग्रेड का एक पद स्वीकृत है वहां भी अध्यापक लगा हुआ नहीं है। थर्ड ग्रेड का केवल एक टीचर है मिडिल स्कूल में। आप ने जो यह सूचना दी है किस आधार पर दी है, मेरे तो यह समझ में नहीं आया। फिर आप ने पंचायत समितिवाइज सूचना दी। उसमें आपने बाड़मेर में सिर्फ तीन पदों की कमी बतायी। ईसरोल में इन्होंने चार पद कम बताये, डूंगरातला में दो पद कम बताये और रामदेवरा में चार पद कम बताये। यह सिर्फ तीन स्कूल हैं बाड़मेर पंचायत समिति में, इनमें कुल मिलाकर ग्यारह पदों की कमी बतायी। अब सिर्फ तीन पद ही खाली बता रहे हैं, वह सूचना गलत है या यह सूचना गलत है? दोनों में से कौन सी सूचना गलत है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दोनों ही गलत हैं?

श्री हेमाराम चौधरी : पहले वाली में, अध्यक्ष महोदय, छात्रों की संख्या और क्लास वाइज सारी सूचना मेरे पास पड़ी है। मैं आपके समक्ष रखने को तैयार हूँ। उसके अनुसार एक ही स्कूल में सात टीचर्स की कमी है। आज आप पूरे जिले में इस प्रकार बता रहे हैं। ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं····

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : पहले वाली सही थी तो फिर पूछा ही क्यों आपने प्रश्न? बार-बार प्रश्न क्यों पूछते हो?

श्री हेमाराम चौधरी : थर्ड ग्रेड के सैकड़ों पदों की कमी है और आपकी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। एक स्कूल में एक टीचर भी नहीं है फिर स्कूल कैसे चलेगा, आप इसका जवाब दें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि अध्यापकों की नयी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है। गत वर्ष सरकार ने 600 मिडिल स्कूल खोले। उसके बाद उन 600 स्कूल में कितने अध्यापक लगाये? नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया, अब भी अध्यापक नहीं लगायेंगे तो स्कूल कैसे चलेंगे? गांवों में 600 स्कूल खोले हैं उनमें सरकार कब तक अध्यापक लगायेगी? जो नये स्कूल खुले हैं वहां आज प्रधानाध्यापक भी नहीं लगाये गये हैं. फिर यह मिडिल स्कूल कैसे चलेंगे प्रधानाध्यापकों के अभाव में? सरकार प्रतिबन्ध को कब तक हटायेगी और नयी नियुक्तियां कब तक करेगी?

श्री अध्यक्ष : श्री भाभड़ा जी।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दें।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है, आ रहा है। बहुत शार्ट में चल रहा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : सवाल तो, मन्त्री महोदय, परसादीलाल जी ने पूछा नहीं है। एक ओर तो सरकार नये पदों के सृजन और सीधी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध की बात करती है और दूसरी ओर हर वर्ष बजट में नये विद्यालय खोलने की घोषणा करती है। इसमें राज्य सरकार कैसे तालमेल बैठायेगी ? आप जब तक नये पदों का सृजन नहीं करेंगे, नियुक्तियों पर से प्रतिबन्ध नहीं हटायेंगे तब तक स्कूल खुलवा कर उनका काम कैसे चलेगा ? इस बारे में सरकार की क्या योजना है ?

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है····

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दें। आप क्या कर रहे हैं ? सारा का सारा गुड़ गोबर कर देते है आप।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो कह दिया था।

श्री शोपत सिंह : नहीं, कहने से नहीं चलेगा। सप्लीमेंट्री पूछने दीजिये, जवाब आये, पकड़ में आये कोई मन्त्री। जब पकड़ में आते हैं तो सब को इजाजत दे देते हो।

श्री अध्यक्ष : बहुत छोटे शब्द भी नहीं कहें।

श्री नाथू सिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदेश शिक्षा के स्तर में पूरे हिन्दुस्तान में बहुत ही नीचे है ? खुद मुख्य मन्त्री स्वीकार करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : स्तर में नहीं है।

श्री नाथू सिंह : सबसे नीचे, 14वें स्थान पर। अध्यक्ष महोदय, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार, दूसरे विभागों में तो हटायें चाहे नहीं हटायें लेकिन क्या शिक्षा विभाग में नियुक्तियों पर लगे हुए प्रतिबंध को हटायेगी, तुरन्त घोषणा करेगी ? उसके पश्चात आने वाले समय में चाहे पंचायतों में कमी हो या शिक्षा विभाग में कमी हो, माननीय मुख्य मन्त्री जी कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में बैन हटायें, इसकी घोषणा करें, बाकी विभागों में चाहे हटायें या न हटायें।

श्री दामोदरदास आचार्य (शिक्षा राज्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कमी की ओर इंगित किया गया है वस्तुतः कमी नहीं है। कमी तो इस बात से हुई है कि जितने नार्म्स हमने फिक्स किये हैं उन नार्म्स के आधार पर अध्यापकों की जितनी संख्या होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हैं, लेकिन जितने स्वीकृत पद हैं वह तो हमारे भरे हुए हैं। डिमाण्ड बढ़ती रहती थी, क्योंकि जब विद्यार्थी ज्यादा हो जाते हैं तो उस हिसाब से टीचर्स की संख्या भी बढ़ जानी चाहिए। उस हिसाब से से यह आकलन के अन्दर, आपने जो बताया, डिफ्रेंस आ रहा है। हो सकता है कि आकलन में डिफ्रेंस हो। I have not checked up. आपकी कोई पुरानी दी हुई है, मैं चैक अप कर लूंगा। गलती रही है तो उसको हम दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन जहां तक अध्यापकों की कमी का सवाल है वह वास्तव में बहुत खटक रही थी।

(श्री दामोदरदास आचार्य)

लेकिन मैं समझता हूं कि अध्यापकों की नियुक्ति के ऊपर कोई प्रतिबन्ध हमने नहीं लगा रखा है। अगर कोई प्रतिबन्ध है तो उसको भी हम, आज आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि हटा दिया जायेगा, उन अध्यापकों की कमी को पूरा किया जायेगा। अगर उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकेगा तो शिक्षण का····

श्री नाथू सिंह : आपके राज्य मन्त्री कह रहे हैं कि प्रतिबन्ध है और आप यह कह रहे हैं तो प्रतिबन्ध ही नहीं है ?

श्री दामोदरदास आचार्य : है तो हटा लिया जायेगा।

श्री नाथू सिंह : आपके उप मन्त्री ने अभी कहा कि नयी नियुक्तियों पर बैन है इसलिए नहीं लगाये।

श्री दामोदरदास आचार्य : उन्होंने जो कहा है कि उसी पर कह रहा हूँ। मैंने दोनों बातें कही हैं। अगर कोई प्रतिबन्ध है, सैकण्ड ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड पर कोई है तो उसको हटा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरजीराम बुरड़क। बहुत स्पष्ट हो गया आपने सुना नहीं।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : मिडिल स्कूल आपने खोल दिये लेकिन स्कूल में अध्यापक नहीं दिये।

श्री अध्यक्ष : डिस्क्रेपेन्सी है तो उसको बैठकर बात कर लेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : एक ही प्रश्न है, साहब, आपने कहा स्वीकृत पद भरे हुए हैं। मेरा प्रश्न यही है कि पद स्वीकृत आप करते ही नहीं हो स्कूल खोल देते हो, फिर अध्यापक कहां से लगेंगे ? एक मिडिल स्कूल में थर्ड ग्रेड का एक टीचर और आवश्यकता है सात पदों की। यह पहले का जवाब है, मैं आपके समक्ष रखने को तैयार हूं। इसमें लिखा है, कमी अध्यापकों की : 7, स्वीकृत पद : 1, एक स्वीकृत पद और सात की कमी है। अब आप बता रहे हैं कि एक स्कूल में चार पदों की जरूरत है और इसमें आप सात पद बता रहे हो, एक ही स्कूल में। इतना अन्तर है इसको आप कैसे मिटाओगे ? नये पद स्वीकृत करेंगे कि नहीं करेंगे ? आज से चार साल पहले जो मिडिल स्कूल खोले गये थे उनमें थर्ड ग्रेड के एक-एक, दो-दो अध्यापक हैं। एक स्कूल में एक मास्टर छठी, सातवीं सब को शामिल करके पढ़ायेंगे जैसे प्राइमरी में पढ़ाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि खाली पद नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिये मैं यह अर्ज कर दूं, पिछले सत्र में मेरे को जवाब दिया था उसके बाद में पद नहीं भरे है। मेरी सही जानकारी है क्योंकि उसके बाद से लगातार प्रतिबन्ध लगा हुआ है, कोई नयी नियुक्ति नहीं हुई है। उसके अनुसार कई पद खाली हैं, आप कह रहे हैं कि खाली नहीं हैं। सैकण्डरी स्कूल में ही हैड मास्टर के 22 पद खाली हैं। बाड़मेर जिले में मुश्किल से 50 सैकण्डरी स्कूल नहीं होंगे, 30 ही होंगे जिसमें भी 22 में हैडमास्टर नहीं हैं। सैकण्डरी स्कूल का हैडमास्टर नहीं है, स्कूल को सम्भालने वाला कोई नहीं है।

Page No. 5

(5)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय हेमारामजी, बहुत लम्बा हो गया आपका।

श्री हेमाराम चौधरी : यह मेरे पास सूची पड़ी है, इसमें सैकड़ों पद खाली बताये हैं। आप कह रहे हो कि खाली नहीं हैं।

श्री मुलताना राम (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा सवाल।

श्री अध्यक्ष : यह बाड़मेर की बात कर रहे हैं जनरल नहीं है।

श्री मुलताना राम : मैं बाड़मेर से सम्बन्धित पूछ रहा हूँ।

श्री हेमाराम चौधरी : 50 पर्सेण्ट नार्म्स हैं, 50 पर्सेण्ट तो स्वीकृत करो आप। सेण्ट पर्सेण्ट ही खाली चला रहे हो।

श्री अध्यक्ष : आप का जैसलमेर का है।

श्री मुलताना राम : बाड़मेर जैसलमेर एक ही है।

श्री अध्यक्ष : एक ही कैसे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो नीति है उसके अनुसार 5-10 पर्सेण्ट पद खाली हों तब तो बात समझ में आती है, 90 पर्सेण्ट पद खाली हों...

श्री अध्यक्ष : माननीय हेमाराम जी, समय का तो आप कुछ ख्याल रखा करो।

श्री मुलताना राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बाड़मेर जैसलमेर की शालाओं में अध्यापकों की हमेशा कमी रहती है, इस सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? दूसरा प्रश्न यह है क्या यह सही है कि बाड़मेर जैसलमेर में सीमान्त क्षेत्र की शालाओं में आवासीय व्यवस्था नहीं होने की वजह से अध्यापक वहां रह नहीं पाते है और आवागमन के साधन नहीं होने की वजह से वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं, इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री दामोदरदास आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा अभी बतलाया कि हमारे बाड़मेर से आने वाले विधायक महोदय ने...

श्री शोपत सिंह : बाड़मेर से नहीं।

श्री दामोदरदास आचार्य : बाड़मेर से नहीं। बाड़मेर जिले से मेरा निवेदन यह है कि जो अन्तर आ रहा है वह सिर्फ इस आधार पर आ रहा है कि हमने जो नार्म्स फिक्स कर रखे हैं प्रथम 49 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक और बाद में 40 विद्यार्थियों पर हम एक अतिरिक्त अध्यापक देते हैं।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : यह कहीं पर भी नहीं है।

श्री दामोदरदास आचार्य : सुन तो लीजिये। इन नार्म्स के अनुसार जो हमको पद देने चाहिये हो सकता है विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर पूरे जो पद वर्क आउट नहीं कर पाये। हम वर्क आउट निश्चित तौर से कर लेंगे रेशनलाइज कर लेंगे कहीं गलती रह गयी है तो, और अधिक पद बनते हैं तो निश्चित तौर से रेशनलाइज करके उसको ठीक कर दिया जायेगा और

(श्री दामोदरदास आचार्य)

रिक्तता को भरने का पूर्ण रूप से हम प्रयास करेंगे और निश्चित तौर से जल्दी करेंगे। जल्दी करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हेमाराम चौधरी : वर्षों से पद खाली पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : कहीं. डिस्क्रेपेन्सी है तो आप बात कर लेना और ठीक करा लेना। अगर इन्डीविजुअल है तो बात कर लेना। कह दिया उन्होंने कि ठीक कर लेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : प्रतिबन्ध हटायेंगे नहीं। पद सृजन करेंगे नहीं। यह आश्वासन तो हमें हमेशा से मिलता रहता है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया। बात कर लेना इन्डिविजुअल केस है तो।

श्री शोपत सिंह : भूख हड़ताल पर बैठ जाओ।

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर जिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है।

श्री अध्यक्ष : क्लोज कर दिया इसको।

श्री मोटाराम (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। बाड़मेर जिला वैसे ही रेगिस्तानी एरिया है आप थोड़ा आपकी तरफ से आदेश दिलवायें। आप मंत्री महोदय को फरमावें।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल आप की उनकी समस्या को देख लेंगे माननीय मंत्री जी।

श्री मोटाराम (सिवाना) : स्कूलों की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है।

श्री दामोदरदास आचार्य : मुझे भी बड़ी चिन्ता है। मुझे भी मालूम है कि बाड़मेर के अन्दर लिट्रेसी का पर्सेन्टेज बहुत कम है और आप यह समझते हैं इससे ज्यादा तो मैं क्या कह सकता था कि मैं इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ बैठ जाये। निश्चित तौर से वर्क आउट करके करवा दूंगा यही मैं कह सकता हूँ और क्या कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 69

श्री हरजीराम बुरड़क।

जिला सतर्कता समितियों की बैठकें

69. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) क्या मुख्य मंत्री (जनअभियोग निराकरण) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला सतर्कता समितियों की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं? यदि हां, तो। जनवरी 1989 से अब तक किस किस जिला सतर्कता समिति की बैठकें। कितनी-कितनी एवं कब-कब हुई और नियमानुसार कितनी होनी चाहिये थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि कई जिला कलक्टर निर्धारित समय में उक्त समितियों बैठके नहीं बुला रहे हैं? यदि हां, तो कौन कौन से जिलों में तथा इस

(श्री हरजीराम बुरड़क)

सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर द्वारा समय पर बैठकें नहीं बुलाने पर समय समय पर सरकार सावचेतकर यह आदेश भी दिया था कि भविष्य में नियमित रूप से बैठकें बुलावें ? यदि हां, तो किस किस जिला कलक्टर को कब-कब और उसकी अनुपालना किस सीमा तक हुई ?

(4) क्या सरकार के सामने यह भी प्रस्ताव आया था कि उक्त समितियों के अध्यक्ष जन प्रतिनिधियों को बनाया जाये ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या निर्णय हुआ था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन अभियोग निराकरण राज्य मन्त्री (श्री दीपचन्द राठौड़) : (1) प्रत्येक माह में एक बैठक किया जाना अपेक्षित है। जनवरी 1989 से 30 जून 89 तक की सूचना संलग्न है (परिशिष्ट I)

(2) जी हां, सूचना संलग्न है (परिशिष्ट II, III, IV, V)

(3) जी हां, सूचना संलग्न है (परिशिष्ट II, III, IV, V)

(4) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव जानकारी में नहीं है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रश्न के भाग 1, 2, 3 और 4 का उत्तर आप खुद दिखायें ।

मैंने प्रश्न के भाग दो में यह पूछा था कि कई जिला कलक्टर निर्धारित समय में उक्त समितियों की बैठकें नहीं बुला रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से जिलों में तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? आपने उत्तर दिया कि सूची संलग्न है परिशिष्ट 2, 3, 4 और 5 इनमें जनरल सर्कुलर्स हैं इनमें किसी कलक्टर के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही होने का उल्लेख नहीं है । प्रश्न तीन में यह पूछा था क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर द्वारा समय पर बैठकें नहीं बुलाने पर समय समय पर सरकार ने सावचेत कर यह आदेश भी दिया था कि भविष्य में नियमित रूप से बैठकें बुलावें ? यदि हां, तो किस जिला कलक्टर का कब-कब और उसकी अनुपालना किस सीमा तक हुई ? इसमें भी यह लिख दिया कि जी हां, सूचना संलग्न है परिशिष्ट II, III, IV और V इन सारे परिशिष्टों में किसी में कलक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं हैं । सिर्फ जनरल सर्कुलर हैं । हर माह मीटिंग बुलायी जायेगी और अगर किसी महीने मीटिंग नहीं होगी तो इस विभाग की अनुमति के बिना वह मीटिंग केन्सिल नहीं की जायेगी । जब आपने परिशिष्ट एक में दिया है उसमें ज्यादातर कलक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने में एक मीटिंग बुलायी । कुछ ऐसे भी है जिन्होंने एक भी मीटिंग नहीं बुलायी लेकिन 6 मीटिंग 6 महीने में बुलाने वाला एक भी नहीं है इनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

प्रश्न के भाग 4 में मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार के सामने यह भी प्रस्ताव आया था कि उक्त समितियों के अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों को बनाया जावें। आपने कह दिया कि जी नहीं। मैंने पूर्व मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था। उसका उत्तर मुझे यह मिला था। कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। जबकि आपने यह लिखा है कि कोई प्रस्ताव ही नहीं आया।

मेरी जानकारी में यह भी है कि राजस्व मंत्री जी जोधपुर गये थे। वहां पर यह मीटिंग हो रही थी। यह वहां पर एज ए सदस्य बैठे रहे और कलक्टर ने अध्यक्षता की क्या सरकार इस बात को उचित समझती है। सारे एम. पीज आपकी पार्टी के हैं। सारे जिला प्रमुख आपकी पार्टी के हैं तो क्या उनके अध्यक्ष चुने जाने में आपको आपत्ति है? जिला कलक्टर को तो इसका सदस्य सचिव होना चाहिये। इनमें सारे मामले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आते हैं। कलक्टर उनके खिलाफ कुछ करता नहीं। 6-6 महीने तक मीटिंग बुलाते नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह जी।

श्री हरजीराम बुरड़क : पहले उत्तर आने दीजिए।

श्री शोपत सिंह : पहले जवाब आने दीजिए, साहब।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब आ रहा है।

श्री दीपचन्द राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न संख्या 2 के बारे में कहा है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जनवरी से लेकर जून, 1989 तक कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिनसे कि सतर्कता समितियों की मीटिंग्स हर माह में नहीं बुलायी जा सकीं।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) : क्या कारण रहे हैं?

श्री दीपचन्द राठौड़ : वही बता रहा हूं। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि माह जनवरी–फरवरी, 89 में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल होने से जिला कलक्टर द्वारा बैठकें आयोजित नहीं की गयीं। नंबर दो, माह मार्च, 89 विधान सभा सत्र प्रारम्भ हो गया था इसलिये इन बैठकों में विधान सभा सदस्य के भाग लेने की असमर्थता के कारण बैठकें नहीं बुलायीं गयीं। नम्बर तीन, माह मई–जून, 89 में राज्य सरकार द्वारा "प्रशासन गांवों की ओर" में राजस्व अभियान चलाये जाने के कारण अधिकतर जिला अधिकारी इनमें व्यस्त रहे और यह बैठकें आयोजत नहीं की गयीं। नम्बर 4, माह अप्रेल, 89 में निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा इसी विधान सभा में विपक्ष के नेता महोदय ने कहा था कि यह बैठकें बुलाया जाना कैन्सिल किया जाना चाहिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : परिशिष्ट देखिये इनमें सारी बैठकें मई माह में हुई हैं और मंत्रीजी कह रहे हैं कि मई माह में बैठकें नहीं बुलायी गयीं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या यह आपकी उपलब्धियां हैं जो मीटिंग नहीं बुलाने पर आप सब तालियां पीट रहे हैं निरर्थक ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर ।

श्री नारायणराम बेड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह सारी मीटिंग्स मई माह में हुई है। उस समय राजस्व अभियान था या नहीं था इसका जबाव दीजिये ।

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट । श्री हरिकुमार औदिच्य (व्यवधान) हो गया, मिनिस्टर इज वैरी क्लियर । (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : मीटिंग्स के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन सप्लीमेन्टरी बड़ी इम्पोर्टेन्ट है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया आगे चलने दें ।

श्री हरजीराम बुरड़क : जवाब आने दीजिये । अभी उन्होंने पूरा उत्तर नहीं दिया मैंने क्या पूछा और उन्होंने क्या कहा ।

श्री दीपचन्द राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वश्चन पार्ट तीन में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कोई इन्स्ट्रक्शन्स मीटिंग्स के लिये गवर्नमेन्ट ने जारी किये या नहीं किये हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहला 8-8-86 को, दुबारा 9-1-87 को, तीसरी बार 17-8-88 को हमने समय–समय पर कलक्टर्स को यह वार्निग्स दी हैं की मीटिंग्स समय पर नहीं हो रही हैं, समय पर की जावें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ 11-9-87 को मुख्य सचिव महोदय ने स्वयं ने एक आदेश जारी किया था कि मीटिंग्स समय पर बुलायी जानी चाहिये यह मीटिंग्स आप यह मानते हैं कि नहीं हो रही हैं तो हम यह प्रयास करेंगे कि भविष्य में रेगुलर हों, हम और वार्निग जारी करेंगे ताकि यह मीटिंग्स हों और जनता को लाभ मिल सके ।

श्री अध्यक्ष : जवाब कम्प्लीट आ गया ।

श्री दीपचन्द राठौड़ : एक पार्ट और है । माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्ट नम्बर 4 के बारे में जैसा आपने कहा है कि पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि इसमें जन-प्रतिनिधि बैठ जायेंगे । ऐसा हमारे विभाग के रेकार्ड में नहीं हैं, पूरी इसकी जानकारी कर ली गयी है अगर इनके पास कोई जानकारी हो तो बता दें । उसके लिये बताया नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री शोपत सिंह : मिनिस्टर की मौजूदगी में प्रसाइड कौन करेगा कलेक्टर करेगा या मंत्री करेगा ? यह बताइये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री हरिकुमार औदिच्य । नेक्स्ट क्वेश्चन । (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि विजीलैंस कमेटी में जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं तो अधिकारियों ने जिनको आदेश दिया गया, जांच नहीं की

(श्री नाथू सिंह)

यदि उनके विरुद्ध जांच हो गयी तो दोषी पाये गये उनके विरुद्ध, कई बार आपके पास यह प्रस्ताव आया है कि राज्य सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती। तो क्या समयबद्ध रूप से जो अधिकारी विजीलैंस कमेटीज में सहयोग नहीं देते या काम नहीं करते या जिनके विरुद्ध प्रस्ताव पास होकर के आते हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण राम बेड़ा।

श्री नारायणराम बेड़ा : मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार द्वारा जैसा कि मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि तीन परिपत्र वार्निंग के रूप में आपकी सरकार द्वारा हर कलक्टर को दिये जा चुके हैं और लैंग्वेज में लिखा है कि यदि अपरिहार्य कारणों से बैठक आयोजित किया जाना सम्भव नहीं हो तो उपरोक्त परिपत्र दिनांक 7.8.86 के पैरा दो के आईटम नम्बर 1 पर यथा वांछित इस विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जावे। तो इसके बाद में इसका काग्नीजैंस लिया है या नहीं लिया ? इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार के परिपत्र रद्दी की टोकरी में कलक्टरों के द्वारा डाले जाते हैं। नहीं तो उन कलक्टरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया। मेरा यह ख्याल है कि आगे भी प्रश्नकर्त्ता हैं, उनका ख्याल रखेंगे। जवाब तो बहुत दे रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमन्त्री जी इसको उचित समझते है कि राजस्थान में कोई भी मंत्री जिस जिले की मीटिंग में हाजिर हो और उसमें अध्यक्षता कलक्टर करे और हमारा मंत्री हमारे जैसे साधारण सदस्य के रूप में बैठा रहे। क्या यह उचित समझते हैं ? राज्य सरकार इसका जवाब दे।

श्री अध्यक्ष : हरिकुमार जी, एक सैकिण्ड। (व्यवधान)

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने एक जवाब दिया कि जनवरी और फरवरी में तो हड़ताल थी। इसमें आपकी जो चिट्ठी है, इसमें साफ लिखा है कि जनवरी, फरवरी में मीटिंग हुई हैं, फिर मई और जून में राजस्व अभियान था और जितनी मीटिंग हुई हैं, मई में ही हुई हैं। बाकी सब तिथि खाली पड़ी हैं महीने की। क्या कारण है यह समझ में नहीं आ रहा है। असत्य बयान वे कैसे दे रहे हैं ? पढ़िये, आप इसको पढ़िये।

श्री अध्यक्ष : अभी फाइनल हो रहा है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : (रामगंज मंडी) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि इन मीटिंगों के सम्बन्ध में जिला कलक्टर से राज्य सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सम्बन्धित विभाग के अधिकारी न तो बैठक में आते हैं और न किसी प्रकार की कार्यवाही करने की सूचनायें समिति को देते हैं। इस प्रकार की अगर जानकारी आपके पास है, कलक्टर्स को लिखा हुआ है तो उसके ऊपर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री दीपचन्द राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई अधिकारी मीटिंग में आते हैं उसकी सूचना बाकायदा विजीलैंस कमेटी को आती है, कलेक्टर साहब को आती है। इसके बावजूद भी जो बिना सूचना के एब्सेंट रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है। इसके बावजूद भी माननीय सदस्य अगर महसूस करते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : कोटा जिले में कई शिकायतें आयी हैं आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। (व्यवधान)

अधिकारी विजीलैंस की चिन्ता ही नहीं करते हैं।

श्री दीपचन्द राठौड़ : तो मैं यह निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्यों के पास ऐसी कोई सूचना है कि एब्सेंट रहे हों और कार्यवाही नहीं की गयी हो तो बतायें, हमारी निगाह में लायें। सरकार यह प्रयास करेगी। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, यह ताज्जुब की बात है कि यह भी हम बतायें कि कौन अधिकारी नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरा जवाब सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता ने एक जनवरी, 1989 से 29 जनवरी, 1989 तक का सवाल पूछा और विस्तार से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, कारण बतायें। आपको सन्तुष्ट होना चाहिए था। (व्यवधान)

सुनिए। इसके बीच में कहीं हुई है तो अच्छी बात है। (व्यवधान)

लेकिन जहां नहीं हुई है उसके कारण बताये गये हैं। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण जो माननीय सदस्य ने यहां पर उठाया कि एक विधायक के नाते अगर कोई मंत्री भी वहां मीटिंग में जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री वहां पर हैं तो मंत्री अध्यक्षता करेगा और मंत्री अगर दो हैं तो उसमें जो सीनियर मंत्री होगा वह अध्यक्षता करेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर जिस मंत्री को आप अध्यक्ष बना रहे हैं, उस मंत्री के खिलाफ में आरोप हो तो कौन अध्यक्षता करेगा ?

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : सारी बात से अलग हो जायेगा वह।

श्री गिरधारीलाल भार्गव(किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मीटिंग्स में सक्षम अधिकारी आते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका यह क्षेत्र ही नहीं है। प्रश्न संख्या 70। श्री हरिकुमार औदिच्य (व्यवधान)

रामगंज मंडी क्षेत्र की सड़कें

70. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मंडी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रामगंज मण्डी तहसील में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा कितने पंचायत केन्द्र मुख्य सड़क से जोड़े गये हैं तथा कितने केन्द्र केन्द्र कौन-कौन से शेष हैं ?

(2) क्या इन केन्द्रों को भी सड़क से जोड़ने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला : (1)कृषि उपज मंडी समिति, रामगंज मंडी द्वारा मंडी तहसील में गोयन्दा, आलोद, देवली कलां, बड़ोदिया कलां, जुल्मी एवं कुंभकोट पंचायत मुख्यालय सड़कों से जोड़े जा चुके हैं तथा देवली खुर्द, पीपल्दा, रीछड़ीया, सलावद, बुढान एवं हथिया खेड़ी को जोड़ने हेतु सड़कों का काम निर्माणाधीन है। पंचायत मुख्यालय खेड़ली, गादिया, पीथाखेड़ी एवं पाटोली जोड़े जाने शेष हैं।

(2) मण्डी की आमदनी पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मैं यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जवाब दिया कि मंडियों की आमदनी पर निर्भर करता है। क्या यह सही है कि इस बर्ष के बजट में 30 लाख रुपया मन्डी समिति अन्य कार्यों के लिए बताया गया है 30 लाख रुपये में अन्य क्या कार्य कराये जायेंगे ? अगर कोई निर्माण कार्य कराये जायं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस मंडी समिति का जो प्रोजेक्ट है, एरिया है उसमें किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है कि वहां पर आप दो फीट भी जमीन में निर्माण कार्य करा सकें। फिर यह 30 लाख रुपया आप सड़कों के निर्माण में लगाये जाने का क्या विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मंडी की वार्षिक आमदनी 70 लाख रूपया है उसमें से 27 लाख प्रशासनिक खर्च और 10 परसेंट जो बोर्ड को मंडिया देती हैं वह खर्च होता है इसके बाद में 43 लाख रुपया जो बच रहा है उसके तहत में यह निर्माण कार्य कराये जाते हैं। जो आप अन्य कार्य बता रहे हैं जो निर्माणाधीन अभी सड़कें हैं उनके ऊपर खर्चा होगा जो नवीन प्रस्ताव आये है वे इसी सन्दर्भ में लगाये जायेंगे कि निर्माणाधीन कार्यों पर जो प्रावधान किया है उसके अलावा अगर पैसा बच रहा है तो जरूरी तौर पर सड़कों के ऊपर ही खर्च करेंगे। क्योंकि यार्ड के अन्दर जो काम होना था वह काम हो चुका है। जो काम रेग्यूलर कहीं से हो जाता है वह तो दूसरी बात है बाकी प्रोजेक्ट का जितना लोन आया था वह सारा री-पेमेंट हो गया है। उसके काम भी पूरे हो गये हैं उसमें कोई ऐसा खर्चा नहीं है यह सड़कों के लिए ही खर्चा है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा 71

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : (लूनकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 71।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो कृषि उपज मण्डी का सवाल था मैं उस सिलसिले में ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसमें सिर्फ रामगंजमण्डी का है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, रामगंज मण्डी का जवाब आ गया लेकिन उन्होंने जो जनरल बात कही है मैं उसके सम्बन्ध में पूछने का अधिकारी हूं।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने कहा है कि मण्डी की आमदनी पर निर्भर करता है। इसका मतलब आपके जवाब से ध्वनियां निकलती हैं कि जिस मंडी की जितनी आमदनी होगी उसी जगह वह सारी खर्च हो जायेगी। जब कि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कृषि की सारी आमदनी जो आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसमें हस्तान्तरित कर दी है और क्या उसमें कोई गाईड-लाईन्स आपने तय की हैं कि जो मास्टर प्लान की सड़कें हैं उन प्लान की सड़कों के लिये ही वह रूपया उपयोग में आयेगा अन्यथा वहां सड़कें नहीं बनेंगी। इस सम्बन्ध में क्या ब्राड-गाइड लाइन्स हैं ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, एक तो आप अपने आपको दुरुस्त कर लें कि तमाम आमदनी बोर्ड के अन्दर हमने नहीं मांगी। जो मण्डियां हैं उनका सिर्फ 10 परसेंट बोर्ड में मांगा है और वह भी इसलिए मांगा है कि राजस्थान में जब हम नई मण्डियां कायम करते हैं तो साल, दो साल, तीन साल तक वे मण्डियां आपके पूरे साल भर के अन्दर सक्षम नहीं हो पाती हैं इसलिए वह 10 परसेंट जो है मण्डियों का आता है। जो अच्छा काम कर रही होती हैं हम दो तीन साल तक उन मंडियों को मदद करते हैं। जिससे वह अपना कुछ काम उसके तहत में कर सकें। It is only 10 percent. दूसरा, आपने यह कहा कि आपने यह कह दिया है कि सारे मास्टर प्लान की सड़कें ली जायेंगी और बाकी सड़कें नहीं ली जायेंगी। इसमें हमने दो तीन केटेगरीज बनायी हैं। जो सड़कें अधूरी हैं चाहे वह एन. आर. ई. पी. की हैं चाहे आर. एल जी.पी. की हैं, चाहे फैमिन की हैं उन सड़कों की प्राथमिकता रखी हैं और अगर नवीन सड़कें नहीं ली जानी हैं तो वे मास्टर प्लान के तहत होनी चाहिए और एक पंचायत मुख्यालय से दूसरे पंचायत मुख्यालय को या 15 सौ आबादी से 15 सौ की आबादी को यह जो प्राथमिकता राज्य सरकार ने कायम की है उसके अन्तर्गत वह जरूरी तौर पर आने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री परसादीलाल मीणा।

मकराना–जयपुर–दिल्ली सुपर डीलक्स बस

71. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार का मकराना-जयपुर

(श्री परसादीलाल मीणा)

दिल्ली सुपर डीलक्स बस प्रारम्भ करने का विचार है। यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार का मकराना-जयपुर नॉन स्टाप बस सेवा वाया परबतसर-रूपनगढ़-नरेना-सावरदा-जयपुर चलाने का विचार है। यदि हां, तो कब तक ?

यातायात मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) जी हां। इस सम्बन्ध में सर्वे कराया जा रहा है। यदि मकराना से जयपुर-देहली के लिये सुपर डीलक्स बस सेवा का पर्याप्त सीधा यात्री भार उपलब्ध हुआ तो सर्वेक्षण उपरान्त सुपर डीलक्स बस सेवा संचालन प्रारम्भ करने पर विचार किया जायेगा।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है। यदि मकराना से जयपुर के लिये पर्याप्त सीधा यात्री भार पाया गया तो इस मार्ग पर नॉन-स्टाप बस सेवा प्रारम्भ करने पर विचार किया जावेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सर्वेक्षण कराया जा रहा है। मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायगा, इसकी क्या अवधि है और मकराना जो संगमरमर का इतना बड़ा स्थान है जहां से बम्बई और दिल्ली वगैरह सीधा जाने में लोगों को परेशानी होती है तो बस में क्या परेशानी है। आप एक-दो गाड़ियां चलाकर देख लीजिये, सीधी नॉन-स्टाप। सर्वेक्षण की आपको क्या ज़रूरत है। दो-तीन दिन में वैसे ही मालूम पड़ जायगा कि गाड़ियों में कितना ट्रैफिक है। माननीय मंत्रीजी यह घोषणा करें कि सर्वेक्षण के तौर पर गाड़ियां चला रहे हैं न कि उस रास्ते का सर्वेक्षण करायेंगे। यह तो बहुत लम्बी प्रक्रिया है। आप परीक्षण के तौर पर दो-तीन गाड़ियां चालू करके देख लीजिये। मेरा तो यह निवेदन है कि मंत्री महोदय वहां पर गाड़ी चलाने की घोषणा करें।

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि मकराना से डीलक्स बसों की बात है। जो जिले राजस्थान में अभी तक जुडे हुए नहीं हैं डीलक्स बसों से क्या वहां सर्वे करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री रामदेव चौधरी : जैसे नागौर जिले में एक भी डीलक्स गाड़ी नहीं चलती है। जयपुर का कोई साधन नहीं है। नॉन-स्टाफ एक भी नहीं चलती है। क्या इसमें भी वह कुछ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय भाभड़ा जी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, सर्वे की बात कर रहे हैं। आप वहां सर्वे कैसे करा रहे हैं वह जरा हमको समझा दें। यानि सर्वे, एक तो मकराना में जाकर आप कोई लिस्ट बना रहे हैं कि कौन-कौन यात्री जायेगा या वहां पर आपने किसी को लगाया कि प्रतिदिन वहां से बैठकर ध्यान में रखे कि कितने यात्री मकराना से बैठ रहे हैं। यानि सर्वे का प्रकार और स्वरूप क्या है। जैसा माननीय सदस्य ने

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कहा, सर्वे तो वह ठीक था कि आप पूरी सूचना के साथ एक दिन गाड़ी चलाते। वहां नगर में सबको सूचना हो जाती कि यहां डाइरेक्ट जाने वाली गाड़ी है। वह दो-तीन दिन चलाकर देख लेते कि कितने यात्री होते हैं। वह सर्वे तो समझ में आता है लेकिन आप इससे भिन्न कौनसा सर्वे करा रहे हैं, यह समझाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा बाकी सब जिले डीलक्स बस से जुड़े हुए हैं। नागौर के साथ ही यह अन्याय क्यों हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सर्वे का प्रश्न है, सर्वे सिर्फ इस बात का कराया जा रहा है कि वास्तव में मजदूर इलाका होने के बाद भी, यह पूरी डीलक्स गाड़ी है जिसका किराया भी ज्यादा होता है, उसकी वहां सवारियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी अगर मिलेंगी तो निश्चित रूप से एक महीने में गाड़ी चला देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह कैसे पता करेंगे, यह बताइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मकराना बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया है, मारबल यहां से जाता है।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्री जी यह घोषणा कर दें कि किस तारीख को गाड़ी चलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : कह दिया उन्होंने। प्लीज सिट डाउन। **श्री नवरंग सिंह** (ता. प्रश्न सं. 72) (अनुपस्थित) (कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट, श्री मांगीलाल मेघवाल–73

श्री रामदेव बिराठिया खुर्द मन्दिर

73. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील स्थित श्री रामदेव बिराठिया मन्दिर की प्रबन्धकारिणी द्वारा लम्बे समय से आय-व्यय का हिसाब नहीं दिये जाने पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(2) उक्त प्रबन्धकारिणी द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत आय-व्यय नहीं दिये जाने पर भी न्यायिक कार्यवाही नहीं किये जाने की सीधी जिम्मेदारी किस अधिकारी की है ?

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक एवं किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त ट्रस्ट को भंग करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्री राजेन्द्र चौधरी) :—(1) सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा वर्ष 87 तक की आडिट लेखा दिनांक 19.9.87 को प्रन्यासियों से प्राप्त किया गया। लेखों पर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 49 के अन्तर्गत कार्यवाही के बाद प्रन्यासी श्री गुमानसिंह से रु. 20846·32 पैसे मय 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली करने हेतु जिला कलक्टर पाली को दिनांक 13.9.88 को आवेदन पेश किया गया।

(2) सम्बन्धित सहायक आयुक्त, देवस्थान को आवेदन पेश किया गया।

(3) फिलहाल राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग को कार्यवाही करने की शक्तियां हैं और उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(9) जी नहीं, क्योंकि राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत ट्रस्ट भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सौभाग्य कहिये या दुर्भाग्य, यह चौथी बार राजस्थान विधान सभा में प्रश्न पूछने के लिये मुझे बाध्य होना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इस मन्दिर पर ट्रस्ट 83 में बना और ट्रस्टियों ने 74 में कब्जा कर रखा था। क्या यह भी सही है कि दिनांक 30-6-87 तक बकाया राशि जो 1.7.87 से 20846.32 तत्कालीन कोषाध्यक्ष श्री गुमान सिंह से 24 प्रतिशत ब्याज से वसूल किया जाना न्यायालय, सहायक आयुक्त, देवस्थान, जोधपुर ने तय किया था, आदेश किया है और अब तक वसूली नहीं करने का क्या कारण हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में एक मात्र अनुसूचित जाति का मन्दिर है। इसके पुजारियों को जोधपुर के तत्कालीन राजा ने ताम्रपत्र दे रखा है फिर भी सारे नियमों को ताक में रखकर 80 से लेकर आज दिन तक केवल मात्र चांदी और सोने के जेवर बेचे हैं, उनका पैसा है यह बीस हजार रूपये। बाकी यह जो फाइल है पूरी आपकी आज्ञा से सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। इसमें दिखाया गया है भिन्न-भिन्न रुपया दिनांक 11·7-81 को पारित प्रस्ताव के मुताबिक श्री मदनलाल पुत्र श्री भंवरलाल, निवासी बिराटिया खुर्द ने दो हजार मात्र दो रूपया प्रति सैकड़ा ब्याज से वसूल करना था, प्राप्त रिकार्ड के मुताबिक वसूल नहीं हुआ। यह अलग है। इस तरह से में आपके सामने क्या-क्या बात बताऊं। बहुत कुछ पैसा वसूल करना है। इस मन्दिर की सारी जो पूंजी थी, सारे चांदी के जेवर बेच खायें, सरकार बराबर टाल रही है और कलक्टर आज दिन तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। रेवेन्यू अधिनियम के तहत किसी गरीब में बीगोडी या लगान के बाकी हों तो कुर्कियां लाते हैं और यह षडयन्त्र करके बैठे हैं। तो क्या राज्य सरकार इस मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए वसूली करेगी और नहीं करेगी तो क्या कारण है। अनुसूचित जाति के गुणगान करते हैं और इस मन्दिर पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। इसकी जो

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

वार्षिक कमाई है, अध्यक्ष महोदय, उसका कोई लेखा–जोखा नहीं है। वह लोग सीधा इकार रहे हैं। इसका उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : श्री चौहान

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रामदेवजी का मन्दिर रायपुर तहसील के बिरांटिया खुर्द गाँव में आया हुआ है पिछले कई वर्षों से जो ट्रस्ट बना हुआ है इसके द्वारा सम्पत्ति का पिछले कई वर्षों से जो ट्रस्ट बना हुआ है इसके द्वारा सम्पत्ति का ब्यौरा जो भी आय होती है मन्दिर की उसका हिसाब-किताब नहीं रखा जाता। माननीय मन्त्री महोदय, ने जवाब दिया कि ट्रस्ट अधिनियम के तहत राज्य सरकार किसी प्रकार का इण्टर फियरेन्स नहीं कर सकती। लेकिन जहां पर घपला होता है, गबन होता है, जहां पर प्रोपर्टी की आय होती है, उसकी बराबर सुरक्षा नहीं की जाती है हिसाब–किताब नहीं रखा जा सकता। मैं सोचता हूँ ट्रस्ट अधिनियम के तहत भी सरकार को इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, से आश्वासन चाहता हूं, सदन में घोषणा करवाना चाहूंगा कि इस मंदिर के बारे में आज जो भी लेखा-जोखा है उसका कलक्टर के द्वारा या देवस्थान विभाग के उपशासन सचिव जो भी अधिकारी हों उसके द्वारा बराबर इसकी जांच कराई जायगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न कर्ता ने यह कहा कि 80 से इस मन्दिर के ऊपर कब्जा है—

श्री मांगीलाल मेघवाल : 74 से है मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उससे पहले भी होगा। मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि कि पब्लिक ट्रस्ट के अन्तर्गत 30.3.83 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद यह आपकी जानकारी बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने मेरे उत्तर में बताया, जो रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, रजिस्ट्रेशन के बाद में जो भी आय थी उसका हिसाब हमने उनसे प्राप्त किया है और सदस्य ट्रस्टी हैं गुमानसिंह जी उनसे। इस पर, अध्यक्ष महोदय, अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है और कार्यवाही बाद में ही इस रकम का, जो 20846.32 रुपए हैं, केस बनाकर कलक्टर को इसकी वसूली के लिए कार्यवाही करने हेतु दे दिया है।

श्री मांगीलाल मेघवाल : आय का नहीं है, यह तो सोने–चांदी के जेवर बेचे उसका है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं वही बात कह रहा हूं। आडिट का मतलब क्या होता है। आय–व्यय जो लेखा–जोखा है वह प्राप्त किया 83 से 87 तक का और उसी के ऊपर कार्यवाही जो इन्होंने छिपाकर रखा है, इस बात की कार्यवाही की गई और इसके अलावा ट्रस्ट के अन्तर्गत, जैसा कि रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अगर कोई गड़बड़ करता है किसी प्रकार

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

की शिकायत होती है तो उसकी बिल्कुल कार्यवाही की जाती है और उसके अन्दर प्रावधान है लेकिन ट्रस्ट को हम भंग नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से प्रोविजन है, धारा 38 के अन्तर्गत उसके खिलाफ कार्यवाही होती है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन महाविद्यालय, अरड़ावता

74. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन महाविद्यालय, अरड़ावता जिला झुंझुनु का पिछला आडिट कब हुआ हैं ?

(2) क्या यह सही हैं कि सभी शिक्षण संस्थाओं को पिछले वर्ष की आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अगले वर्ष की ग्रान्ट इन एड राशि का भुगतान किया जाता हैं ? यदि हां, तो क्या इस केस में भी इस नियम का पालन किया गया ?

(3) उक्त महाविद्यालय अरड़ावता नाम की संस्था के अध्यक्ष कौन है ?

(4) क्या इस संस्था में स्टाफ की भविष्य निधि नियमित रूप से हर माह जमा होती है ? यदि हां तो क्या प्रतिमाह वेतन के साथ जमा हो जाती है नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, शिक्षा : (श्री खेमराज कटारा) : (1) पिछला आडिट दिनांक 11-12-1987 एवं 3-7-89 को हुआ।

(2) जी हां, हर वर्ष के अनुमानित व्यय के आधार पर चालू वर्ष में प्रोवीजनल अनुदान का भुगतान किया जाता है।

(3) महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री शीशराम ओला हैं।

(4) जी हां।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मुझे यह निवेदन करना है कि पिछला आडिट 3-7-89 बताया यानि कल, मेरे प्रश्न पूछने के बाद। पहला तो हुआ 87 में और जब दूसरा बता रहे हैं 3-7-89, कल हुआ हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन यह करना है···

श्री अध्यक्ष : सुमित्रा जी, यह तो आपस में ही स्पष्टीकरण कर लेतीं तो क्या दिक्कत थी···

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इतने गम्भीर प्रश्न को आप इतने हंसी में उड़ा रहे हैं, यह ठीक नहीं है···

श्री अध्यक्ष : I am very serious.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन के लिये यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं बहुत सीरियस हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं और आप इस तरह की

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उल्टी बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा) : यह तो हमारे जिले की बात है, हम आपस में बैठकर तय कर सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बैठो बैठो, आप बाद में समझोगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या (2) के जवाब में मेरा जो प्रश्न था यदि हां तो क्या इस केस में भी नियमों का पालन किया गया। इसका माननीय उप मन्त्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया तो कृपया एक तो उसका जवाब देवें। दूसरा जवाब मुझे यह दें कि कुल कितनी भविष्य निधि जमा है। क्योंकि केवल कालेज वालों ने जवाब भेज दिया, इन्होंने यहां पढ़कर सुना दिया, बाकी मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि वहां पर भविष्य निधि जमा नहीं होती है, समय पर तनख्वाह भी नहीं मिलती है। तनख्वाह भी जब यहां से ग्रांट इन एड रिलीज होती है तब मिलती है। मुझे कोई भी अपवाद स्वरूप बतायें जहां कोई दूसरी संस्था हो जिसका पिछले साल का आडिट कराये बिना ग्रांट इन एड रिलीज हुई हो, ऐसी दूसरी संस्था का नाम भी बता दीजिये आप तीनों प्रश्नों का जवाब दे दीजिये आप।

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री दामोदरदास आचार्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान नियम, 1963 के अनुसार महाविद्यालयों को अनुमानित बजट के आधार पर हम अनुदान देते है और अनुदान की राशि हम पहले ही दे देते हैं उसके बाद वर्ष के अन्त तक देखते हैं जब किसी को ज्यादा मिल गई है तो वापिस लेते हैं किसी को कम दी गई है तो उसको हम अपनी ओर से पूर्ति कर देते हैं। इसका अन्तिमीकरण वर्ष के बाद में होता है। यह सही है कि इसके आडिट के अन्दर देरी हुई है और उसका कारण जो मुझे बताया गया है वह यह है कि इनका लेखाधिकारी लम्बी छुट्टी पर गया हुआ था जब हमारी आडिट पार्टीज वहां पर गई तो वापिस लौटकर आई क्योंकि एकाऊटेन्ट वहां पर था नहीं····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पखवाड़ा चल रहा था उस समय, इसलिये आडिट पार्टी लौटकर आ गई, यह कार्यवाही चल रही थीं इनकी, इसलिये लौटकर आ गई आडिट पार्टी·····

श्री दामोदरदास आचार्य : जहां लैप्सेस हुआ है वह मैं बता रहा हूं। इस वजह से नहीं हुआ जैसा अभी निवेदन किया है। हुआ तो यह तीन तारीख को ही है उसमें छुपाने की बात थोड़े ही है। तीन तारीख को आडिट हो चुका है। अब बाकी के आडिट सब के होने बाकी हैं, हो रहे हैं, प्रोसेस के अन्दर हैं। प्रोसेस करके ही आडिट किया जा रहा है। दूसरा आपने भविष्य निधि के सम्बन्ध में पूछा है इसके सम्बन्ध में आपने राशि पूछी है वह तो मेरे पास में इन्फार्मेशन नहीं है लेकिन मेरे पास उनके 88 के सर्टीफिकेट की कॉपी है जिसमें कहा है कि आज दिन तक उनकी

(श्री दामोदरदास आचार्य)

राशि वहां जमा हो गई है। जब भी इनके बिल आते हैं और निदेशालय द्वारा पारित किये जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि भविष्य निधि नियमित रूप से जमा की जा रही है। ऐसा मेरे को जो इन्फर्मेशन प्राप्त हुई है उसमें है····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने वैरीफाई भी किया कि नहीं ?

एक माननीय सदस्य : आप शीशराम जी की तरफ क्यों देख रहे हैं ?

श्री दामोदरदास आचार्य : शीशराम जी को देखने से क्या हो गया ? शीशराम जी मेरे को करेक्ट कर दें कहीं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री नत्थी सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक स्पैसेफिक क्वेश्चन पूछूंगी। माननीय मन्त्री महोदय, सुनें आप, उधर नहीं देखें। आप मन्त्री जी की तरफ नहीं देखें, मुझे सुनें। माननीय शिक्षा मन्त्री जी मैंने आपसे प्रश्न (2) में साफ पूछा है, "यदि हां तो इस केस में भी नियमों का पालन किया गया है क्या, क्या यह बात सही है कि एज्युकेशन डिपार्टमेंट में अगले साल को ग्रांट इन एड तभी रिलीज की जाती है जब पिछले साल की आडिट रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है ?" इस प्रश्न का जवाब दीजिये आप।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय,·····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सिन्चाई मन्त्री कुछ कहना चाहते हैं, कहने दीजिये उनको।

श्री मानिकचन्द सुराना : वह कुछ कहें मैं उसमें बाधक नहीं हूंगा। मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या यह उचित है कि जो अनुदानित संस्थायें हैं उनके अध्यक्ष एक-एक केबिनेट मन्त्री बने रहें, क्या परम्परा की दृष्टि से फक्शनिंग की दृष्टि से उचित होगा·····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : घपलेबाजी भी करते रहें·····

श्री मानिकचन्द सुराना : उनकी डिगनिटी को देखते हुए, आगे आडिट आबजेक्शन्स उसमें आये, एक अनुदानित संस्था हो, आडिट आब्जेक्शन उसमें आये और केबिनेट मन्त्री को उसके लिये जिम्मेदार बनाया जाये यह उचित होगा ? आप इस पर विचार करें कि ऐसे सारे पदों पर से मन्त्री हट जाने चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : शिक्षण संस्था कोई कामर्शियल फर्म नहीं होती है बड़े डेडिकेटेड लोग इसको चलाने वाले होते हैं और जिन्होंने आजादी से पहले से संस्थाओं को बनाया है, आज उन संस्थाओं का अपने आप में महत्व है। मैं समझता हूं कि बिना स्वार्थ के कोई एक डैडीकेटेड स्पिरिट से कोई काम करता है तो मन्त्री परिषद् में रहने से कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता......

श्री मानिक चन्द सुराना : डिस्क्वालिफाई की बात नहीं है यह डिस्क्वालिफीकेशन

(श्री मानिकचन्द सुराना)

की बात मैंने नहीं कही यह और अच्छी परम्परा होगी जहां आप एड ले रहे हैं राज्य सरकार से एड ले रहे हैं उन संस्थाओं से मन्त्रियों को जब तक वह कैबिनेट मन्त्री हैं उनको हटाना चाहिये····· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया सुनें।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से एड लेने के नियम हैं और उन नियमों के अन्तर्गत उनको लेने का अधिकार है। मैं मानता हूं कि उनका इसमें अपना निजी स्वार्थ नहीं होता और एक मन्त्री जीवन भर जिसने दिया है इस संस्था के पीछे, आज मन्त्री हैं, कल नहीं रहेंगे, संस्था से तो जुड़े हुए रहते हैं····

श्री शोपत सिंह : श्री त्रिलोक सिंह के लिए सीकर के होस्टल में पुलिस बैठा रखी है सीकर के होस्टल में आपने + + + त्रिलोक सिंह आपकी पार्टी के नहीं हैं। नियम की बात करते हैं·····

श्री पंकज पंचोली (बेगूं) : श्री त्रिलोक सिंह मिनिस्टर थोड़े ही है।

श्री शोपत सिंह : मिनिस्टर नहीं है कार्यकर्ता है, आपने छात्रावास से उसको निकाल कर फैंक दिया, बात करते हैं।

श्री पंकज पंचोली : सवाल तो मिनिस्टर का है, विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : निष्ठा से, लगन से वह कार्य करता है, और वह मंत्री बनने के बाद भी करता है तो मैं इसको गलत परम्परा नहीं मानता। त्रिलोक सिंह जी के बारे में आपने बात कही, मैं समझता हूं वहां स्थानीय झगड़ा है·····

श्री शोपत सिंह : आपने सीकर होस्टल में पुलिस बैठा रखी है और आपने जानबूझ कर रखी है कि वह घपले करें·····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री ने खड़े होकर मेरे प्रश्न का जवाब शिक्षा मंत्री को नहीं देने दिया...

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से शोपत सिंह जी तो जबरदस्ती उलझ रहे हैं.... (व्यवधान) .... आप सुनिये तो सही। माननीय सुमित्रा जी को मेरे ख्याल से तकलीफ यह नहीं है कि आडिट कब हुआ और कब नहीं हुआ, उनको तकलीफ यह है कि वहां ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां शिक्षा क्यों ग्रहण कर रही हैं। यह चाहती है कि केवल मैं ही शिक्षित रहूँ। वहां पर सबसे बड़ी जो बात है यू. जी. सी. ग्रेड दिया जाता है जो मेरे ख्याल से बहुत कम संस्थाओं में दिया जाता है और राज्य सरकार हमको केवल 80 प्रतिशत ग्रांट इन एड देती है इसमें घटबढ़ कर 70 प्रतिशत ही पल्ले पड़ती है·····

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : साहब,

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री माणक डाणी)

यह मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं, कृपया इसका स्पष्टीकरण दे दें।

श्री शीशराम ओला : सैलेरी का जो 30 प्रतिशत हिस्सा है वह हम कहीं से मांग कर लाकर देते हैं और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में संस्था है जिसने हजारों बालिकाओं को टीचर बनाया, हजारों बालिकाओं को लैक्चरर और दूसरे पदों पर भेजा और स्त्री शिक्षा में सराहनीय कार्य किया है। स्त्री शिक्षा के प्रति, उसके विकास के प्रति माननीय सुमित्रा जी की कुछ आस्था है तो इस तरह से घृणित काम नहीं करने चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जितनी लैक्चरर्स हैं, वहां पर जितना स्टाफ है वह सब मेरे पास आकर रोती हैं, समय पर वेतन नहीं मिलता है, मुझे अफसोस इस बात का है.....

श्री शीशराम ओला : आप आंसू पूंछने की हिम्मत रखती हैं क्या ? आप किसी को पूछ नहीं सकतीं.....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : .....और कई तरह की अनियमिततायें, कई चिट्ठियां में बता सकती हूँ, मैं उन बातों को यहां पर कहना नहीं चाहती हूँ.....

श्री शीशराम ओला : सीकर के छात्रावास में आपने पुलिस बैठा रखी है वहां पर किसानों के बच्चे पढ़ते हैं..... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि यह अयोग्यता नहीं है। आपने कहा है कि यह अयोग्यता नहीं है। क्या आपने इसकी कभी जांच करवायी है।

श्री शिवचरण माथुर : फाइनेन्शीयल इन्वाल्वमेंट या पर्सनल इन्टरेस्ट न हो। कामर्शियल फर्म की बात कही है जिसमें गवर्नमेंट का इन्टरेस्ट हो उसका कोई मन्त्री अध्यक्ष बनता है तो है परन्तु अगर कोई सार्वजनिक संस्था है और उसमें उसका कोई पर्सनल इन्टरेस्ट नहीं हो और जो ग्रांट मिलती हो उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं हो तो मैं समझता हूँ कोई अयोग्यता नहीं होती है।

श्री शीशराम ओला : माननीय हरिभाऊ उपाध्यक्ष शिक्षा मन्त्री होते हुए भी हटूण्डी के अध्यक्ष थे। माननीय शास्त्री जी रहे थे और इसमें अगर एतराज है तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस संस्था को राज्याधीन ले लिया जाये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राज्याधीन आपने पहले भी करवाया था और फिर वापिस ले लिया। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है। आपने किसलिए वापिस लिया है यह मैं जानती हूं।

श्री शीशराम ओला : आप स्त्री शिक्षा के खिलाफ है। आप विकास नहीं कराना चाहती हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपत्तिजनक बात हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इस संस्था को 80 प्रतिशत और कभी-कभी 80 प्रतिशत से कम ग्रांट-इन-एड मिली है। यह सही है कि सरकार ने इनको ग्रांट-इन-एड दी है और मंत्री महोदय इस संस्था के अध्यक्ष हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने इस सम्बन्ध में कभी जांच करवायी है कि एक अनुदानित संस्था के अध्यक्ष कोई मंत्री रहे तो क्या वह डिस्कवालिफिकेशन इनकार नहीं करता है। माननीय सदस्य ने यह कहा कि श्री हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष रहे परन्तु श्री हीरालाल शास्त्री इस विधान सभा के सदस्य नहीं थे। दूसरा आपने कहा श्री हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। श्री हरिभाऊ उपाध्याय जिस समय मंत्री बने तो उन्होंने हटूण्डी संस्था की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। आप देख लीजिये (व्यवधान)··· आपको जानकारी नहीं है।

श्री शीशराम ओला : यह बहस का मसला नहीं है। यह तो सार्वजनिक कार्य किया है। अगर कहीं भी एतराज हो तो मैं देने को तैयार हूं। मैं तो एक साधारण आदमी था तब इसका अध्यक्ष बना था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अध्यक्ष रहें यह आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इसमें है कि आप अध्यक्ष भी रहें और मंत्री भी रहें। आपको यह काम ज्यादा पसन्द है तो मंत्री पद से स्तीफा दे दें और मंत्री पद ज्यादा पसन्द है तो अध्यक्ष पद छोड़ दें। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। मैं समझता हूं मुख्य मंत्री इस मामले का अध्ययन करवा लें कि एक अनुदानित संस्था का अध्यक्ष एक मंत्री बना रहे तो क्या वह अयोग्यता इनकार नहीं करता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह (अनुपस्थित) प्रश्न संख्या 75 (कृपया आगे देखें)।

श्री रेवतराम चौधरी।

प्रश्न संख्या 76.

इसको स्थगित कर दिया जाये। दुबारा ले लिया जाये।

श्री रेवतराम चौधरी : यह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका जवाब कब मिलेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही देख लें जो प्रश्न स्थगित किया जाता है उसका जवाब नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : जल्दी आयेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : समय पर जवाब आता नहीं है और सत्र निकल जाता है।

श्री अध्यक्ष : जल्दी ले लेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, किन परिस्थितियों में प्रश्न स्थगित किया जाता है। आखिर इस प्रश्न में ऐसे क्या कारण हैं कि यह सूचना अभी तक नहीं आ पाई है। ऐसा कोई ब्लेंकेट पॉवर सरकार को नहीं है कि चाहे जिस प्रश्न को स्थगित करवा लें। आप भी कृपया इसको देखें कि यह स्थगित होने के योग्य है ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी आ जायेगा।

श्री चम्पालाल बांठिया : प्रश्न संख्या 77.

परिवार कल्याण कार्यक्रम का जनसंख्या पर प्रभाव

77. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :—

(1) विगत 5 वर्षों में परिवार कल्याण के किस-किस वर्ष के कितने-कितने निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत कितनी-कितनी उपलब्धि हुई ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) इस कार्यक्रम के कारण जनसंख्या वृद्धि में कितने प्रतिशत की कमी हुई है ?

राज्य मंत्री परिवार कल्याण (श्रीमती बीना काक) : (1) विगत 5 वर्षों में परिवार कल्याण के विभिन्न तरीकों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धि की तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(2) वर्ष वार जनसंख्या बढ़ने या घटने के आंकड़े उपलब्ध नहीं है परन्तु राजस्थान में 1983 में जो जन्म दर 40.1 प्रति हजार थी वह परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कारण वर्ष 1987 में घट कर 34.6 प्रति हजार हो गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

श्री चम्पालाल बांठिया : अध्यक्ष महोदय, एक भी आलोच्य वर्ष में नसबन्दी का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। अधिकांश वर्षों में आधे लक्ष्य भी पूरे नहीं हो पाये हैं। जो मुख्य साधन इन्होंने बताया है वह नसबन्दी का है बाकी सब गौण है और जो भी आंकड़े बताये हैं वे विश्वसनीय नहीं है। राजस्थान एक वर्ष प्रथम स्थान पर आया है। उसकी घोषणा भी की और खुशी भी मनायी। इतनी जोर जबर्दस्ती हो रही है और इतना खर्चा होने के बावजूद भी लक्ष्य प्राप्त नहीं करना, इसका क्या कारण है। यह चिन्ता का विषय है। इसके क्या कारण रहे हैं। कृपया मंत्री महोदय बतावें। क्या इसका कारण यह नहीं है कि गांवों के अन्दर डाक्टरों के दौरे होते है, डाक्टरों के कैम्प होते हैं दूसरी तरफ अस्पताल खाली होते हैं। मरीज आते हैं तो कहा जाता है डाक्टर कैम्प में है और कैम्प से वे खाली हाथ लौटते हैं। कई कैम्प ऐसे होते हैं जहां एक भी आपरेशन नहीं होता है। इसके लिये आप क्या उपाय सोच रही हैं बतावें।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, राज्य में नसबन्दी के लिये माह सितम्बर से लेकर 31 मार्च तक सारे सरकारी दफ्तर बन्द रहते हैं। तहसीलदार, एस. डी. ओ. और जितने अधिकारी हैं वे इस काम में लग जाते है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं सरकार इसके लिये प्रोत्साहन राशि में वृद्धि कर दे। प्रोत्साहन राशि प्रति आपरेशन, एक, डेड़, दो, तीन हजार कर दी जाये तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि जो आपरेशन कराने वाले इलीजिबल लोग हैं वे अपने आप आपरेशन कराने आ जायेंगे और सरकार जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है उसमें लक्ष्य से अधिक वृद्धि होगी यह मेरा निवेदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछली जनसंख्या के समय 24 प्रतिशत वृद्धि हुई थी जो हिन्दुस्तान के सब राज्यों में से अधिक थी और वर्तमान में जो मध्यावधि आंकलन किया गया है उसमें भी राजस्थान का प्रतिशत हिन्दुस्तान में सबसे अधिक है। इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या राज्य सरकार या पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि स्टरलाइजेशन किये बिना इस समस्या का समाधान नहीं होगा और जितना खर्चा हम कर रहे हैं वह बेकार हो रहा है। तो कम्पलसरी स्टरलाइजेशन के लिये, जैसा कई कन्टरीज में है, राज्य सरकार विचार कर रही है या नहीं कर रही है। कृपया यह बतावें।

श्री अध्यक्ष : श्री माणक जी।

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, कृपया यह बतलाने का कष्ट करें कि इसके प्रचार, प्रसार पर जो खर्च किया जा रहा है और जो लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वह उसके अनुपात में ठीक हैं या नहीं ? जैसा माननीय सदस्य श्री हीरासिंह चौहान ने सुझाव दिया है नसबन्दी के लिए एक मुश्त एक-दो हजार रुपया पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी जाये ताकि जो इन्ट्रेटस्ट मार्च में प्रारम्भ होगा वह पहले ही हो जायेगा। यह सारा प्रचार-प्रसार समाप्त करके, बजाए डाक्टरों को टीम भेजने के एक बार में एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दे दी जाये तो जबंदस्ती की बात खतम हो जायेगी और जो लक्ष्य पूरे करने की बात है वह भी समाप्त हो जायेगी और अपने आप परिवार नियोजन के कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न लेने का ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं, माननीय मंत्री महोदया जो नसबन्दी के कैम्प हैं उनको आपने बूचड़खाना बना रखा है और उनमें जबरन नसबन्दी की जाती है। आपके अधिकारियों को जोर जबंदस्ती करके केस लाने के लिये कहा जाता है। इतना कोहेसन के बाद भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने का क्या कारण है ?

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहती हूँ, आप यह कहते हैं कि आपने कभी इवेलूएट नहीं किया कि इसका प्रभाव क्या हुआ है ? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इवेलूएट करना जरूरी नहीं है कि आपके इस प्रोग्राम का क्या प्रभाव हो रहा है। क्या आप नीतिगत रूप से इसमें इन्सेंटिव देने के बजाय डिसइन्सेंटिव पर विचार करना चाहते ? क्या उचित नहीं समझते हैं डिसइन्सेंटिव देने पर विचार करना ?

(मध्याह्न 12.00)

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूँगी, लक्ष्य प्राप्त करने की अंधी दौड़ में जो डाक्टर लापरवाही बरत जाते हैं उससे जन-धन की क्षति होती है, महिलाओं की मृत्यु हो जाती है क्या उस ओर भी मंत्री महोदया कुछ ध्यान दे रही हैं या नहीं दे रही हैं ? अगर दे रही हैं तो मैं यह जानना चाहूंगी कि पिछले वर्षों में जो 94 महिलाओं की मृत्यु हुई नसबन्दी में लापरवाही से, उसमें आप

Page No. 26

(26)

(सुश्री पुष्पा जैन)

क्या मुआवजा देने जा रही हैं और उन डाक्टर्स के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल करना चाहूंगा । क्या आप इस प्रोग्राम की सफलता के लिये कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं की मदद लेंगे ?

श्री विजय सिंह (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न करना चाहूँगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेशानुसार माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहूँगा, नसबन्दी के बावजूद जो बच्ची-बच्चा हो जाते हैं, क्या सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । एक तरफ तो नसबन्दी कम करने के लिये जोर दिया जा रहा है दूसरी तरफ पति भी करा ले, पत्नी भी कराले उसके बाद भी बच्चे हो रहे हैं । उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, यह आप प्रस्ताव रखो ।

श्री अध्यक्ष : विजय सिंह जी, आपका क्या सुझाव है ?

श्री अमरचन्द (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, मुझे नसबन्दी के मामले में सिर्फ इतना कहना है, श्री माणक डाणी, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया उसका मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि एक मुश्त राशि देने से उसका एड-वर्टाइजमेंट हो जाने से स्वतः आकर नसबन्दी करा लेंगे ।

दूसरा, हमारी बहुत ही अच्छी वक्ता हैं, विद्या जी पाठक, माननीय सदस्या । उन्होंने एक बात कही, यह बात बिल्कुल निराधार है कि जोर जबर्दस्ती करके नसबन्दी का आपरेशन कराया जाता है । यह बिल्कुल गलत कह रही हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह जी ।

श्री नाथू सिंह : क्या यह सही है कि कई विकास के कामों में राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग लेती है तो क्या इस मामले में भी जैसा आप राजस्व अभियान चलाते हैं, दूसरे अभियान चलाते हैं, ऐसे अभियान चला कर यूथ कांग्रेस, सेवादल, दूसरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग लेंगे और इसका उद्घाटन भी उन से ही करवायेंगे ?

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कार्यकर्ता सहयोग तो देंगे लेकिन हम पकड़-पकड़ कर इनको ले जायेंगे । हम तो आपको पकड़ कर ले जायेंगे साथ में । सहयोग जरूर देंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां यह जाहिर किया कि परिवार कल्याण का जो कार्यक्रम है वह सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उससे मैं सहमत नहीं हूं । चूंकि यहां जितने भी लोगों ने सवाल उठाये हैं वह केवल नसबन्दी की बात की है । लेकिन बाकी भी परिवार कल्याण के तरीके है, जैसे लूप निवेशन, गर्भ निरोधक उपयोग कर्ता, मुख्य सैव्य गोली । निश्चित ही पिछले पांच वर्ष के अन्दर इसके उपयोग में वृद्धि हुई है ।

(श्रीमती बीना काक)

जैसा माननीया विद्याजी ने कहा कि हमारे पास आंकडे उपलब्ध नहीं हैं, यह आंकडे इसलिये उपलब्ध नहीं हैं कि 1981 के अन्दर सेन्सस हुआ था, दूसरा 91 के अन्दर होगा। हमारे पास जनसंख्या की वृद्धि या घटने के आंकड़े नहीं हैं लेकिन जन्म-दर के अवश्य हैं जो मैंने आपको बता दिये हैं।

जैसा माननीय हीरासिंहजी ने कहा कि इन्सेन्टिव बढ़ाया जाय, तो मेरी खुद की तो यह राय है कि इन्सेन्टिव बढ़ाने के बजाय यदि आप सभी, जो हमारे जन–प्रतिनिधि लोग हैं, जाकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें मदद करें और मोटिवेट करने में मदद करें तो वह इन्सेंटिव देने की वजाय अधिक उपयोगी होगा। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि इन्सेन्टिव के अन्दर लोग अलग-अलग कैम्प के अन्दर जाकर कम्पेयर करते हैं कि किस कैम्प के अन्दर राशि ज्यादा मिल रही है या बाल्टियां ज्यादा मिल रही हैं, कम्बल ज्यादा मिल रहे हैं, उस चक्कर के अन्दर उनका एक और बच्चा पैदा हो जाता है। इसलिये मैं इससे सहमत हूं। आप मोटिवेट करिये लोगों को जा करके। आपको मैंने पत्र भी लिखा है, आपका सहयोग मुझे दीजिये। आपके जितने भी सजेशन्स हैं वह मेरे पास आयें, आपका वेलकम होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त होता है।

श्री विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, अगले प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिये। सिर्फ जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जवाब स्पष्ट आ गया है।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाह रहा हूं, नसबन्दी के बावजूद लड़का लड़की पैदा होते हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार लेगी या नहीं लेगी ?

श्रीमती बीना काक : उसकी जिम्मेदारी माता-पिता की होगी।

श्री विजय सिंह : वाइफ और हजबैंड की नसबन्दी कराने के बावजूद बच्चे हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी लेगी या नहीं ? जवाब दिलायें साहब। उनके रहने सहने की व्यवस्था करेगी या नहीं ? इसका जवाब दिलवा दीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : उसकी जिम्मेदारी बीना काक लेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो, नो। आप बैठिये। 12.5 हो गये हैं। गलत है। थोड़ा सा टाइम होता, मैं लेता।

श्री माणक डाणी : कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री विजय सिंह : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये या नहीं।

श्री अध्यक्ष : कह दिया, बैठिये बैठिये।

श्री विजय सिंह : लड़का लड़की हो रहे हैं, साहब पढ़ा लिखा नहीं सकते, मंहगाई

(श्री विजय सिंह)
इतनी ज्यादा है, उनकी जिम्मेदारी ले सरकार।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मुंसिफ न्यायालय, नवलगढ़ का भवन

72. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मुन्सिफ न्यायालय, नवलगढ़ (झुंझुनूं) में माल गोदाम व कोर्ट के भवन के अभाव में बहुत असुविधा है? यदि हां, तो उक्त कोर्ट के भवन व गोदाम का कब तक बनने का प्रस्ताव है?

(2) क्या यह सही है कि नवलगढ़ बार व जनता के बैठने के लिए न्यायालय में कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो कब तक व्यवस्था करने का प्रस्ताव है?

(3) मुन्सिफ न्यायालय नवलगढ़ में कुल कितने विभिन्न श्रेणी के मुकदमें विचाराधीन हैं, और क्या इन मुकदमों की संख्या को देखते हुये वहां कोई अतिरिक्त कोर्ट कायम करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु धनाभाव के कारण पर्याप्त कोर्ट भवन व माल गोदाम निर्माण कराना अभी संभव नहीं हैं।

(2) जी हां। परन्तु धनाभाव के कारण निर्माण कार्य कराना अभी संभव नहीं है।

(3) मुंसिफ न्यायालय, नवलगढ़ में 31.3.89 तक 2629 फौजदारी व 1094 दीवानी मुकदमें लम्बित है। धनाभाव के कारण वहां पर अतिरिक्त कोर्ट कायम करना अभी संभव नहीं है।

अटलबन्द मण्डी, भरतपुर

75 **श्री नत्थी सिंह** (कुम्हेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर में अटलबन्द मण्डी को स्थानान्तरित करने के लिए कुम्हेर दरवाजे बाहर मण्डी यार्ड का निर्माण हो रहा है? यदि हां, तो निर्माण कब शुरू हुआ और अब किस स्टेज पर है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य को पूरा करने की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है और कब तक इस यार्ड में उक्त मण्डियों को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा?

(3) उक्त मण्डी यार्ड पर लागत का क्या अनुमान था? अब तक कितना व्यय हो चुका है? पूरे निर्माण में कितनी और लागत आयेगी?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1987 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया।

(2) परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत

(कृषि मंत्री)

कार्यों को पूर्ण करने की सीमा 30 जून, 89 को समाप्त हो चुकी है। चारदीवारी के कार्य को छोड़कर शेष सभी निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने को हैं। जल एवं विद्युत व्यवस्था भी अभी तक यार्ड में नहीं हो पाई है जिसके लिए सम्बन्धित विभागों से कार्यवाही की रही हैं। समस्त निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं जल एवं विद्युत व्यवस्था उपलब्ध होने पर ही व्यापार स्थानान्तरित किया जाना सम्भव हो पायेगा।

(3) परियोजना अनुसार इसकी लागत 118.76 लाख रूपये हैं। अब तक 86.00 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 30.00 लाख रूपये और व्यय किये जाने हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पैदावार-बेचने पर सरकार का प्रतिबन्ध

107. श्री रघुवर दयाल गोयल (रामगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान का किसान अपनी पैदावार प्रान्त से बाहर ले जाकर नहीं बेच सकता चूंकि सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगा रखा रखा है और किस आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार के इस संबंध में क्या अधिनियम/नियम विद्यमान हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह भी सही हैं कि इसके कारण किसानों को बाध्य होकर अपनी पैदावार यहीं पर बेचनी होती है और आर्थिक हानि उठानी पड़ती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राजस्थान सरकार ने किसान की पैदावार को प्रान्त से बाहर ले जाकर बेचने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है। अतः आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं है।

(2) सम्बन्धित अधिनियम/नियमों की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

घटिया कीटनाशक दवाओं का निर्माण

108. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कीटनाशक दवाओं का निर्माण करने वाले उद्योगों में से किन की दवाईयां मिसब्रान्डेड, घटिया एवं नकली पाई गई हैं ? उनके विरुद्ध सरकार ने पेस्टीसाइड एक्ट के तहत कब व क्या कार्यवाही की ? पूर्ण विवरण उद्योगों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त प्रकरणों में कोई जांच आदि चल रही है अथवा अपेक्षित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1988-89 में राज्य कीटनाटक दवाओं का निर्माण करने वाले 13 उद्योगों में से 9 उद्योगों द्वारा निर्मित कुछ

(कृषि मन्त्री)

दवाइयां, रसायनिक विश्लेषण कराने पर अमानक पाई गई हैं, जिनके विरुद्ध विभाग ने जिलों के इन्सेक्टिसाइड इन्सपेक्टर्स को इन्सेक्टिसाईड एक्ट 1968 के प्रावधानान्तर्गत अमानक दवाइयों की बिक्री रोकने एवं जब्त कर एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। संबंधित इन्सेक्टिसाइड इन्सपेक्टर द्वारा प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर कोर्ट में चालान पेश करने के लिए प्राप्त 16 प्रस्तावों पर राज्य सरकार की ओर से विभाग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, तथा शेष 24 केसेज के लिये कोर्ट में चालान पेश करने की स्वीकृति देने की भी कार्यवाही की जा रही है। पूर्ण विवरण उद्योगों के नाम सहित संलग्न करदिया गया है।

(2) विक्रेताओं एवं निर्माण कर्ताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

कनकपुरा रेल्वे स्टेशन स्थित विद्युत ट्रान्सफार्मर

109 **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले के मीणा वाला मुखर्जी फार्म स्थित ट्रान्सफार्मर जिससे 24 घण्टे विद्युत उपलब्ध रहती है से कनकपुरा रेल्वे स्टेशन के ट्रान्सफार्मर को जोड़ने का प्रस्ताव कब से विचाराधीन है?

(2) क्या यह भी सही है कि इसको जोड़ने से मण्डल की कोई ज्यादा राशि खर्च नहीं होगी व इस क्षेत्र में कुटीर उद्योगों का विस्तार होगा। यदि हां, तो इसे कब तक जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(2) जी नहीं, इस प्रकार 11 के.वी. लाईन का विस्तार तकनीकी दृष्टि से उचित एवं साध्य नहीं है। अतः इसका प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर प्रश्न संख्या 110 व 111 (स्थगित)

हुलमाना खुर्द (अलवर) की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

112. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 839 (124) रा. मं. ।राजस्व।अता. दिनांक 29 मार्च, 1988 के स्पष्ट लिखित आश्वासन के पश्चात् ग्राम हुलमाना खुर्द, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर की चरागाह सिवाय चक-बंजड भूमि पर से अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? अब कब तक ये अतिक्रमण हटा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि में से लगभग 5 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुलमाना खुर्द को खेल-कूद मैदान हेतु देने का प्रार्थना-पत्र भी ग्रामीणों ने सम्बन्धित जिलाधीश/विकास

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अधिकारी को दिया था ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? प्रार्थना-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। ग्राम हुलमाना खुर्द, तहसील मुण्डावर की समस्त चारागाह, सिवायचक, बंजड भूमि पर से अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया है ?

(2) सभी अतिक्रमण हटाये जा चुके हैं।

(3) राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुलमाना खुर्द को क्रीडांगन हेतु भूमि आवंटन हेतु ग्रामवासियों द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रशासन गांवों की ओर अभियान शिविर मुण्डनवाडा कलां में दिनांक 14-6-89 को ग्राम पंचायत मुण्डनवाडा कलां पं. सं. मुण्डावर द्वारा प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 14-6-89 प्रस्तुत कर प्राथमिक शाला हुलमाना खुर्द को क्रीडांगन हेतु 4 बीघा 04 बिस्वा भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित किया गया। प्रधानाध्यापक प्रा. शा. हुलमाना खुर्द का प्रार्थना पत्र संलग्न न होने से अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। अतः शाला को भूमि आवंटन नहीं हुआ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 113 (स्थगित)

कोटा संभाग में पोषाहार वितरण में अव्यवस्था

114. **श्री दाऊ दयाल जोशी**(दीगोद): क्या महिला शिशु पोषाहार राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा सम्भाग में बच्चों एवं शिशुओं को दिए जाने वाले दलिये के निमित्त कब से कब तक किन कारणों से गुड उपलब्ध नहीं रहा ?

(2) क्या यह सही है कि बिना गुड़ के दिए जा रहे दलिये का बच्चों व शिशुओं में कोई उपयोग नहीं हो सका ?

उत्तर

(1) कोटा संभाग के कुछ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों एवं शिशुओं को दिये जाने वाले दलिये में गुड़ की अनुपलब्धता माह मार्च, अप्रेल, व अंश भाग मई, 89 में रही।

अनुपलब्धता का कारण अधिक दरें एवं उनसे सम्बन्धित नेगोशियेशन और न्यायिक वाद है। माह मई से गुड़ उपलब्ध कराया जा चुका है।

(2) जी नहीं। शिशुओं को सप्ताह में दो दिन मीठा व चार दिन नमकीन दलिया उपलब्ध कराया जाता है गुड के अभाव में मीठे के बदले नमकीन दलिया वितरित किया जाता रहा है एवं उसकी उपयोगिता है।

खटवा में लालसोट का आम रास्ता

115. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि गांव खटवा, तहसील लालसोट, जिला जयपुर में तहसीलदार लालसोट के मौके पर जाने पर एक काश्तकार द्वारा आवागमन हेतु व सड़क हेतु रास्ता देने सम्बन्धी कागजों पर हस्ताक्षर हुए हैं ? यदि हां, तो उस काश्तकार का नाम व खेत के खसरा नं. क्या हैं ? तहसीलदार व काश्तकार के बीच हुए

(32)

(श्री परसादीलाल मीणा)

हस्ताक्षर शुदा मामले की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्रामवासियों के खटवा से लालसोट जाने का रास्ता एक काश्तकार के खेत में होकर निकला हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में आम रास्ता सड़क हेतु कटा हुआ दर्ज है? यदि है, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मुताबिक रिकार्ड तहसीलदार, लालसोट द्वारा तहसील में स्थित ग्राम खटवा पर मौके पर जाने व वहां किसी काश्तकार द्वारा आवागमन हेतु व सड़क निकालने हेतु रास्ता देने सम्बन्धी कागजों पर हस्ताक्षर होना नहीं पाया जाता।

(2) जी हां, ग्रामवासियों के खटवा से लालसोट जाने का रास्ता काश्तकार श्रीरामकरण पि. मु. प्रभुलाल पारीक, निवासी खटवा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 35 बीघा 15 बिस्वा में होकर पगडण्डी के रूप में निकला हुआ है। पगडण्डी के रूप में निकला हुआ उक्त रास्ता सड़क अथवा ग्राम रास्ते हेतु अभिलिखित नहीं है। यह पगडण्डी (रास्ता) राजस्व मानचित्र में डोटेड लाइन से दिखाया गया है जो खसरा नम्बर 312 तक ही अभिलिखित है और यह सिवाय चक एक खसरा नम्बर 311 तक पगडण्डी के रूप में जाता है।

अलवर में रासायनिक खादों का स्टॉक

116. श्री रघुवर दयाल गोयल (रामगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अलवर जिले में यूरिया, डी. ए. पी., सी. ए. एन. सभी तरह के रासायनिक खादों का स्टॉक खरीफ फसल की आवश्यकतानुसार है? यदि हां, तो कितना-कितना स्टॉक किस-किस तरह की रासायनिक खादों का है? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन खादों का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं है उसकी आपूर्ति के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? यदि हां, तो कब तक आपूर्ति हो जायेगी?

उत्तर

(1) अलवर जिले में उर्वरक वार स्थिति निम्न प्रकार है—

उर्वरक	वितरण (15 जून, 89 तक) मै. टन	स्टाक (16 जून, 89 तक) मै. टन	योग
यूरिया	636	658	1294
सी. ए. एन.	107	30	137

(कृषि मन्त्री)

1	2	3	4
डी. ए. पी.	7	23	30
एन. पी. के.	4	71	75
एस. एस. पी	19	73	92
एम. ओ. पी.	9	27	36

(2) स्टॉक सन्तोषप्रद है। आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाती रहेगी।

नागौर जिले के नलकूप

अतारांकित प्रश्न संख्या 117
(स्थागित)

118. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या भू-जल राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में इस वर्ष एवं गत वर्ष में विभाग की मशीनों और डी.आर.डी.ए. की मशीन से नलकूल बनाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी स्कीम में कितने-कितने नलकूप कहां-कहां पर बनाये। तहसीलवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नलकूपों में से कौन-कौनसे सफल हुए और कौन-कौनसे असफल रहे। सफल नलकूपों की क्षमता क्या-क्या है।

(3) इस समय में मंदी काश्तकारों के लिए नलकूप बनाये गये हों तो उनका वास्तविक कब्जा काश्तकारों को कब-कब दिया और उनकी लागत क्या-क्या आई? काश्तकारों के नाम, पते सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले में वर्ष 1988-89 व 1989-90 (अप्रैल-89) में भू-जल विभाग की मशीनों व डी.आर.डी.ए. की मशीनों से बनाये गये नलकूपों की योजना वार व तहसीलवार सूची, परिशिष्ट "अ" एवं "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1988-89 व 1989-90 (अप्रैल-89 तक) बनाये गये नलकूपों में सफल व असफल नलकूप व उनकी जल क्षमता का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) डी. डी. पी. योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों का बेचान व वास्तविक कब्जा डी. आर. डी. ए. द्वारा दिया जाता है। वर्ष 1988-89 व 1989-90 में भू-जल विभाग द्वारा निर्मित नलकूपों की लागत व काश्तकारों के नाम व पतों आदि का विवरण भी परिशिष्ट "द" में सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

जवाजा पंचायत क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी की सड़कें

119. श्री माणक डाणी (ब्यावर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री माणक डाणी)

(1) क्या कृषि उपज मंडी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने पर धनराशि खर्च करती हैं ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कों के बनाने के प्रस्ताव कृषि विपणन निदेशालय एवं सरकार को प्राप्त हुए और उनमें से कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई । सूची मय लागत एवं खर्च की गई धनराशि के सदन की मेज पर रखें ।

(2) कृषि मंडी समितियों की शेष प्रस्तावित सड़कें कब स्वीकृत की जा रही हैं । अब तक स्वीकृत नहीं किये जाने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या ब्यावर में मंडी समिति के पास वित्तीय साधनों की कमी के कारण सड़कों का निर्माण-कार्य नहीं हो सका ?

उत्तर

(1) जी हां । गत पांच वर्षों में जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कों की विस्तृत सूचना परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है ।

(2) मण्डी समितियों के पास उपलब्ध धनराशि को मद्देनजर रखते हुए सम्पर्क सड़कों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करती है । मण्डी समिति द्वारा उनके पास उपलब्ध धनराशि से अधिक धनराशि की सड़कें प्रस्तावित किये जाने के कारण स्वीकृति नहीं दी गई ।

(3) मण्डी समिति के पास उपलब्ध धनराशि के आधार पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं तथा निर्माण कार्य जारी है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें ।)

अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिकों के रिक्त पद

120. श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों के स्वीकृत सभी पद भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो मई, 1989 तक ऐसे कुल कितने पद रिक्त हैं तथा उक्त पद रिक्त रहने के क्या-क्या कारण रहे हैं और उक्त पद भरे जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1983 के पश्चात् अधीनस्थ कार्यालयों के हिन्दी आशुलिपिकों के पद पर नियुक्तियां किये जाने हेतु कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(3) वर्तमान में विद्यमान नियमों के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अधीनस्थ कार्यालय के आशुलिपिकों के पद पर नियुक्ति हेतु कितने वर्ष में परीक्षा आयोजित करनी होती है ? क्या उक्त नियमों की पालना हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मई, 1989 तक विभिन्न अधीनस्थ विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार 39 पद हिन्दी आशुलिपिकों के रिक्त हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा रिक्त पदों की सूचना मांगने पर अधीनस्थ कार्यालयों ने मार्च, 1988 से मई, 1989 तक समय-समय पर अपने कार्यालयों सम्बन्धी रिक्त पदों की सूचना भिजवाई थी। दिनांक 24-3-88 से राज्य सरकार के आदेशों द्वारा नई भर्ती पर भी रोक लगाई हुई है। रोक हट जाने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को इन पदों पर चयनित व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु अर्थना भेज दी जावेगी।

(2) मार्च, 1988 तक प्रशासनिक सुधार विभाग के पास रिक्त पदों की शून्य सूचना होने के कारण परीक्षा आयोजित कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित करने की समयावधि का नियमों में उल्लेख नहीं है। समय-समय पर रिक्तियां उपलब्ध होने पर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अर्थना भेजने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 111
(स्थगित)

शिक्षा विभाग में निदेशक का पद

122. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के निदेशक पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के बजाय विभाग के ही अधिकारी को पदोन्नत कर भरे जाने की मांग समय-समय पर की जाती रही है ?

(2) यदि हां, तो उक्त पद पर विभागीय व्यक्ति को अभी तक पदोन्नत नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार शिक्षा निदेशक के पद को विभागीय अधिकारी की पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पदोन्नति से उक्त पद भरने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

नागौर जिले में जीवन धारा योजना में अनुसूचित जातियों को नलकूप

123. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला नागौर में जीवन धारा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 व 1889-90 में अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों के कूप निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

(श्री मोहनलाल चौहान)

प्राप्त हुए पंचायत समितिवार, वर्ष वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें। प्राप्त आवेदनों से पं.स. वार कितने आवेदन स्वीकृत किए, कितने-कितने कूप निर्माण हो चुके हैं ? कितने कूपों का निर्माण कार्य चालू है ?

(2) निर्माणाधीन कूपों का भुगतान कितनी-कितनी किस्तों में किया गया, कितनी किस्तों का बकाया है अब बकाया किस्तों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरी स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो अब कितने आवेदन और स्वीकृत करने शेष हैं ? शेष रहे कूपों को कब तक स्वीकृत कर देंगे।

उत्तर

(1) जिला नागौर में जीवनधारा योजनान्तर्गत वर्ष 1988-89 व 1989-90 में अनु. जाति के 1829 व्यक्तियों के कूप निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों में से से राज्य सरकार से प्राप्त लक्ष्यानुसार 870 कूप निर्माण स्वीकृत किये गये जिनमें से 406 कूप निर्माण पूर्ण हो चुके एवं 407 कूपों का निर्माण कार्य चालू है जिनका पंचायत समितिवार एवं वर्षवार विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) निर्माणाधीन कूपों का भुगतान चार किश्तों में किये जाने का प्रावधान है जिसमें से 163 कार्यों का पूर्ण भुगतान, 342 कार्यों पर तृतीय किश्त का भुगतान 209 कार्यों पर द्वितीय किश्त का भुगतान एवं 71 कार्यों पर प्रथम किश्त का भुगतान अब तक किया जा चुका है। बकाया किश्तों का भुगतान कार्य के मूल्यांकन के अनुसार/पूर्ण होने पर दिया जायेगा।

(3) हाँ, निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पूरी स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

नगर पालिका कुम्हेर की स्ट्रीट लाइट

124 श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका कुम्हेर को स्ट्रीट लाइट नहीं दी जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि आर.एस.ई.बी. स्ट्रीट लाइट चार्जेज के रूप में रु. 43,000/- नगरपालिका से माँग रही है ?

(3) क्या यह सही है कि आर.एस.ई.बी. के ग्रिडसब-स्टेशन के निर्माण हेतु नगरपालिका की जमीन के रुपये 78,000/– नगरपालिका कुम्हेर के आर. एस. ई. बी. द्वारा देय हैं ?

(4) क्या यह सही है कि नगरपालिका कुम्हेर प्रारम्भ से ही जमीन के मूल्य में से स्ट्रीट लाइट चार्जेज मुजरा करने का अनुरोध करती रही है ? यदि हां, तो फिर स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन क्यों काटा गया ?

(5) क्या राज्य सरकार शीघ्र उक्त विवाद का निपटारा कर कुम्हेर में स्ट्रीट लाइट का पुनः कनेक्शन देने तथा नगर-

(श्री नत्थी सिंह)

पालिका की जमीन थी शेष रकम का भुगतान शीघ्र करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, कुम्हेर की स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन कटा हुआ है।

(2) जी हां। नगरपालिका कुम्हेर की ओर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की स्ट्रीट लाइट के विद्युत उपयोग के मद में लगभग 43 हजार रुपया माह अगस्त 1986 तक की राशि भुगतान हेतु बकाया थी।

(3) जी नहीं, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ग्रिड सब-स्टेशन जो सोंख रोड पर स्थित है उसकी कोई बकाया राशि नगरपालिका कुम्हेर को देय नहीं है। लेकिन सहायक अभियन्ता (आर.ई.सी.) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कार्यालय की जमीन तथा 11/.4 के. वी. सब-स्टेशन, कटरा मोहल्ला, में निर्मित जमीनों का एक बिल लगभग 78,000/– का दिया गया था जो विवादग्रस्त है।

(4) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत रु. 78,000/– का बिल की राशि देय नहीं है। अतः उनका ऐसा अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया तथा मण्डल द्वारा उसके स्ट्रीट लाइट के बिजली के बिलों की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण कुम्हेर शहर की स्ट्रीट लाईट का कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया।

(5) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस सब स्टेशन की जमीन का कुम्हेर नगरपालिका द्वारा एक विवाद जिलाधीश एवं उप जिलाधीश, भरतपुर के समक्ष विचाराधीन है। यदि नगरपालिका कुम्हेर स्ट्रीट लाइट की बकाया राशि का भुगतान विद्युत मण्डल को कर दे तो स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन नियमानुसार पुनः चालू किया जा सकता है।

कृषि उपज मण्डी, अजमेर की आय

125. **श्री रमजान खां** (पुष्कर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि उपज मंडी समिति, अजमेर को वर्ष 1988-89 में कुल कितनी आय किस-किस मद से हुई। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर ने वर्ष 1988-89 में कुल कितने विकास के कौन-कौन से कार्य किस-किस गांव में कितनी-कितनी राशि के करवाये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1989-90 में मण्डी समिति अजमेर कौन-कौन से विकास के कार्य किस-किस गांव में कितनी-कितनी राशि के कराने जा रही है ? सूची विगतवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बुधवाड़ा की पुलिया टूटी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या इस पुलिया को पुनर्निर्माण हेतु वर्ष 1989-90 की सूची में शामिल किया गया है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आय का विवरण परिशिष्ट "क", पर संलग्न हैं।

(2) वर्ष 1988-89 में कराये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

(3) मण्डी समिति द्वारा वर्ष 1989-90 हेतु अभी तक निर्माण कार्यों हेतु बजट प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कौन हैं कौनसे विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

(4) उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 126 (स्थगित)

जोधपुर जिले में कृषि कनेक्शन्स

127. **श्री नारायण राम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 1988-89 से कुल कितने कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य था व कितने लक्ष्य की पूर्ति हुई? कृपया अलग-अलग उपखण्डवार निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्ष में सिंगल पोल के कितने कृषि कनेक्शन जारी किये गये? सूची मय काश्तकार के नाम, गांव उपखण्डवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वर्ष में ग्रीन कार्ड धारियों को प्राथमिकता के आधार कितने कनेक्शन देने का लक्ष्य था और कितने कृषि कनेक्शन जारी किये गये? सूची मय काश्तकार के नाम, गांव व उपखण्डवार सदन की मेज पर रखें।

(4) जोधपुर जिले के भोपालगढ़ व बावड़ी व तिवरी उपखण्ड में मार्च, 1989 से 30 जून, 1989 तक कितने कृषि कनेक्शन का लक्ष्य था, तथा कितने कनेक्शन जारी किये? सूची मय काश्तकार के नाम गांव व उपखण्ड सहित सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में जोधपुर जिले में कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए गांव उपखण्डवार प्राथमिकता की सूची अलग केटेगरी के अनुसार प्रकाशित की गई? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) जोधपुर जिले में ऐसे कितने विद्युतिकृत घोषित गांव हैं जिनमें आज तक एक भी कृषि कनेक्शन नहीं है? कृपया सूची उपखण्डवार सदन की मेज पर रखें। क्या ऐसे गांवों में इस वर्ष कृषि कनेक्शन दे दिये जायेंगे। यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 1988-89 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 400 कृषि कुओं को ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसकी पंचायत समितिवार फेज प्रोग्राम के तहत 428 कनेक्शनों का लक्ष्य आवंटित किया गया जिसके सापेक्ष में 428 कृषि कुओं को ऊर्जीकृत कर लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गई।

(ऊर्जा मन्त्री)

वांछित सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" में है।

(2) जोधपुर जिले में वर्ष 1988-89 में कुल 195 सिंगल पोल के कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। उपखण्डवार सूची मय काश्तकार के नाम व ग्राम सहित संलग्न परिशिष्ट "ब" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जोधपुर जिले में वर्ष 1988-89 में 40 ग्रीनकार्ड धारियों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से 30 ग्रीनकार्ड धारियों को कृषि कनेक्शन दिये गये। उपखण्डवार मय काश्तकार के नाम एवं ग्राम के सूची संलग्न परिशिष्ट "स" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जोधपुर जिले के भोपालगढ़, बावडी एवं तिबरी उपखण्ड में अप्रेल, 89 से 30 जून, 1989 [प्रथम त्रैमासिक] के लक्ष्य एवं उसकी प्राप्ति निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	अप्रेल, 89 से 30, जून 89 तक के लक्ष्य	प्राप्ति 1.4 से 89 30. 6. 1989 तक
1.	तिबरी उपखण्ड	22	22
2.	बावडी उपखण्ड	19	18
3.	भोपालगढ	27	8

उपखण्डवार सूची मय काश्तकार का नाम व गांव के नाम सहित संलग्न परिशिष्ट "स" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं। कृषि कनेक्शन की गांव उपखण्डवार केटेगरी के अनुसार प्राथमिकता सूची प्रकाशित नहीं की गई है।

(6) जोधपुर जिले में कुल 228 विद्युतिकृत गांव हैं जिनमें आज तक एक भी कृषि कनेक्शन नहीं दिया गया है। ऐसे गांवों की उपखण्डवार सूची संलग्न प्रपत्र "क" में सदन के पटल पर रख दी गई है। ऐसे कुछ ग्रामों में मांग के अनुसार इस वर्ष के फेज प्रोग्राम [1989-90] के अनुसार कनेक्शन दिया जाना संभव हो सकता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में घाटा

128. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को 31 दिसम्बर, 1988 तक कितना घाटा था ?

(2) मण्डल ने किन-किन सूत्रों से दिसम्बर, 1986 तक कर्जा ले रखा है ? गत 5 वर्षों में प्रति वर्ष मूल व ब्याज सहित कितना-कितना चुकता किया गया है ?

(3) वर्तमान में मण्डल पर ऋण के अलावा किस-किस की कितनी-कितनी देनदारी बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

(ऊर्जा मन्त्री)

का वित्तीय वर्ष अप्रेल से प्रारम्भ होकर मार्च में समाप्त होता है तथा लाभ तथा हानि के लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तैयार किये जाते हैं। अतः 31 दिसम्बर 1988 तक की लाभ हानि की स्थिति को बता पाना संभव नहीं है। तथापि, मण्डल की लेखा पुस्तिकाओं में 31 मार्च, 1988 तक संकलित घाटा 347.50 करोड़ रुपये दर्शाया गया हैं।

(2) 1. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने जिन जिन श्रोतों से ऋण लिये हुये है उनका विवरण तथा पुर्नःभुगतान पश्चात 31 दिसम्बर, 1986 तक की स्थिति संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

2. गत पांच वर्ष में, वर्षवार मूलधन व ब्याज के चुकारे का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पर ऋण के अलावा 31 मई, 1989 की देन दारियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

खेतड़ी-रतनगढ़ 220 के. वी. लाइन

129. **श्री मोहन लाल बारुपाल** (जायल)।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1981 से 1989 तक खेतड़ी–रतनगढ़ 220 के.वी. लाइन्स कितनी बार टूट कर गिरी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एक किलोमीटर लाइन गिरने से बिजली बोर्ड को 50 हजार रुपये का नुकसान होता है ?

(3) क्या यह सही है कि लाइन गिरने से बोर्ड को 50 लाख रुपये का सीधा नुकसान हुआ था तथा लाइन महीनों देर से खींचने के कारण करीब चार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ ?

(4) क्या लाइन गिरने का कारण घटिया स्तर के इंसुलेटर तथा नट-बोल्ट थे ? यदि हां, तो क्या उक्त इन्सुलेटर तथा नट-बोल्ट सप्लाई करने वाली फर्म के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1981 से 1989 तक 220 के.वी. खेतड़ी रतनगढ लाइन गिरी नहीं, अपितु उक्त लाइन के डिस्क इन्सुलेटर में खराबी आने के कारण यह लाइन कई बार बन्द अवश्य हुई थी।

(2) जी नहीं। एक कि.मी. लाइन के गिरने से होने वाले नुकसान का सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि यह लाइन गिरने से किन किन उपकरणों को क्षति होती है इस पर निर्भर करता है।

(3) जी नहीं, लाइन गिरी नहीं। विद्युत विस्तार एवं प्राथमिकता के आधार पर लाइनें खींचने का कार्य हर वर्ष चलता रहता है। अतः यह कहना सही नहीं है कि लाइन देर से खिंचने से राजस्व हानि हुई।

(4) नट बोल्ट के कारण लाइन नहीं

(श्री देवी सिंह भाटी)

गिरी। इन्सुलेटरों के फेल होने की सूचना प्राप्त होने पर जांच करवाई गई तथा फर्म को बिना किसी अतिरिक्त व्यय के परिष्कृत संरचना के इन्सुलेटरों से बदलने हेतु बाध्य किया गया। यद्यपि काफी संख्या में इन्सुलेटर बदल दिये गये हैं, परन्तु शट डाऊन नहीं देने की स्थिति के कारण इस लाइन के इन्सुलेटर अभी तक नहीं बदले जा सके।

सिणधरी (बाड़मेर) स्थित सरकारी कार्यालय के किराये का भुगतान

130. श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या महिला, शिशु पोषाहार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है विभाग ने अपना सामान रखने के लिए ग्राम सिणधरी (जिला बाड़मेर) में कोई मकान किराये पर ले रखा है ?

(2) यदि हां, तो वह किसका मकान है व उसके कितने कमरे, बरामदे, हत्था आदि किराये पर ले रखे हैं तथा किस तिथि से किराये पर लिये हैं, किस दर पर ?

(3) क्या बाड़मेर जिले के किसी अधिकारी ने इस प्रकार किराये पर मकान ले लिए जाने के सम्बन्ध में विभाग को कोई सूचना दी है ? यदि हां, तो कब ? कृपया पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभाग ने अब तक कथित मकान मालिक को कोई किराया नहीं चुकाया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(5) विभाग कब तक किराये का बकाया भुगतान कर देगा व किस दर से ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग ने पोषाहार सामग्री रखने के लिए ग्राम सिणधरी (जिला-बाड़मेर) गोदाम किराये पर ले रखें हैं।

(2) किराये पर लिए गोदामों की सूची एवं विवरण निम्नानुसार है—

क्र.सं.	मकान मालिक का नाम	किराये पर लेने की तिथि	खाली करने की तिथि	दर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दलपत सिंह	22-7-88	31-1-89	सार्वजनिक निर्माण	क्र.सं. 1 व 2 के दो-दो कमरे
2.	श्री अचल सिंह	22-7-88	31-1-89	विभाग द्वारा दी जाने वाली	एवं बरामदे किराये पर

(महिला, शिशु पोषाहार राज्य मन्त्री)

				निर्धारित दर से	लिए गये हैं। इन भवनों के हत्थे बने हुए हैं जिनका किराये के भुगतान से सम्बन्ध नहीं है क्योंकि भवन में और भी कमरे हैं जो मकान मालिक के पजेशन में है।
3.	श्री घमण्डाराम	3-8-88	—		एक कमरा
4.	श्री फत्तूमल सिन्धी	15-1-88	—		एक कमरा
5.	श्री चम्पालाल/चुन्नीलाल	15-9-88	—		दो कमरे
6.	श्री मेघवालों का मठ	15-2-88	—		दो कमरे
7.	पंचायत समिति (हाल)	1-6-88	31-3-88		जनरल बैठक हाल
8.	श्री भानाराम	26-8-88	—		एक कच्चा कमरा
9.	श्री जोराराम/पदमाराम	30-6-88	—		एक कमरा (किराये का भुगतान पंचायत समिति दर पर किया जाना है।
10.	राजस्व परिषद भवन	1-6-88	—		रैस्ट हाऊस एक कमरा
11.	ग्राम सेवा सहकारी	1-3-88	—		एक कमरा

(महिला, शिशु पोषाहार राज्य मन्त्री)

(3) जी नहीं।

(4) परियोजना कार्यालय द्वारा प्रश्न 2 के उत्तर में दर्शाये गये गोदाम किराये पर लिए गये। इनमें से श्री जोराराम/पद्मा राम की पंचायत समिति सिणधरी द्वारा तय करवाई गई दर से माह मई, 89 तक का किराया भुगतान किया जा चुका है। शेष का भुगतान अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, बालोतरा द्वारा किराये की दर निर्धारित नहीं किये जाने के कारण नहीं किया जा सका है।

(5) अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बालोतरा द्वारा किराये की दर तय करने के बाद नियमानुसार भुगतान कर दिया जावेगा।

चित्तौड़गढ़ जिले के युवकों को जिंक स्मेल्टर में रोजगार

131. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में ब्रिटेन की सहायता से जिंक स्मेल्टर प्लान्ट का हाल ही प्रधान मन्त्री द्वारा उद्घाटन किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले के युवकों को उक्त परियोजना में रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) हां। राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्थापित होने वाली परियोजना को भूमि आवंटन करते समय भू-आवंटन पत्र में यह शर्त रखी जाती है कि उसमें स्थानीय लोगों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार देने में प्राथमिकता दी जावे।

मुबारिकपुर स्थित 33 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण

132. श्री रघुवर दयाल गोयल (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले के मुबारिकपुर में निर्माणाधीन 33 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जाकर इस सब स्टेशन से उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराई जायेगी ?

(2) अब तक निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) योजनानुसार वर्ष 1989-90 में कार्य पूर्ण करके इस सब स्टेशन से सम्बन्धित क्षेत्र को विद्युत उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) गत वर्ष इस योजना की तकनीकि स्वीकृति के उपरान्त वांछित प्रारम्भिक औपचारिकतायें परिपूर्ण की गई

(ऊर्जा मन्त्री)

है एवं योजनानुसार इस वर्ष निर्माण एवं संचालन का कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अभी तक कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

बाली तहसील के गांव खुडाला का भू-बन्दोबस्त

133. श्री भोला राम सैनी (गुढ़ा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की बाली तहसील में राजस्व गांव खुडाला की सीमा क्षेत्र में गत भू-बन्दोबस्त कार्यवाही से पूर्व ऐसे कौन-कौन से खसरा नम्बरान की भूमियां थी जो गत जमाबन्दी खेवट खतौनी में सिवाय चक, बारानी भूमियां दर्ज थीं, जिन्हें बन्दोबस्त के दौरान भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के आबादी भूमि में दर्ज कर दिया? गत खतौनियों एवं वर्तमान खतौनी के अनुसार पुराने नये खसरा नम्बरान मिलान खसरा सहित मय क्षेत्रफल विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों को खेवट खतौनी में दर्ज राजस्व कृषि/सिवाय चक पड़त भूमियों को बिना राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी की आज्ञा के आबादी भूमि दर्ज करने के अधिकार नहीं हैं? यदि हां, तो भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पाली जिले की बाली तहसील के ग्राम पादरला में वर्ष 1985-86 में करीब सात सौ बीघा सिवाय चक कृषि भूमि भूमिहीन किसानों को आवंटित की गई? सभी आवंटितियों के नाम व वल्दियत, जाति, खसरा नं. व क्षेत्रफल सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त ग्राम पादरला तहसील बाली, जिला पाली में अन्य कृषि भूमि सिवाय चक आवंटन योग्य उपलब्ध है? यदि हां, तो खसरा नं. क्षेत्रफल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की तहसील बाली के गांव खुडाला के खसरा नम्बर 345 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा की सिवाय चक भूमि को भू-प्रबन्ध के दौरान प्रथम दृष्टया अनाधिकृत रूप से आबादी में दर्ज किया जाकर उक्त खसरा नम्बर का नया नम्बर 383 रकबा 95.76 हैक्टेयर बनाया गया है। इस भूमि से सम्बन्धित गत खतौनी, हाल खतौनी तथा मिलान क्षेत्रफल की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) अनाधिकृत रूप से उपरोक्त उल्लेखित भूमि को आबादी में परिवर्तित किये जाने की परिस्थितियों की जांच के लिए निर्देश दिये जा रहे हैं, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आवश्यकता अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) वर्ष 1985-86 के दौरान दिनांक 13-6-85 को ग्राम पादरला में 131

(राजस्व मंत्री)

व्यक्तियों को 490·09 बीघा भूमि भूमिहीनों को आवंटित की गई थी। प्रत्येक आवंटी का नाम, वल्दियत, खसरा नम्बर, रकबा सहित पूर्ण विवरण की सूची संलग्न है।

(4) वर्तमान में ग्राम पादरला तहसील बाली जिला पाली में अन्य कृषि भूमि सिवाय चक आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 134 (स्थागित)

जयपुर की जनानी ड्योढी में पुरातत्व संग्रहालय

135. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार चौकड़ी सरहद स्थित जनानी ड्योढी में राजस्थान का पुरातत्व विभाग जिसमें राज्य के सभी जिलों की कलाओं का विस्तृत रूप से प्रदर्शन हो सके ऐसा संग्रहालय खोलने का विचार रखती है ? जिससे इस बड़े भवन का सदुपयोग हो सके और राज्य के वैभव का प्रदर्शन हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 136 व 137 (स्थागित)

राजस्व भूमि तहसील नागौर

138. श्री हरीश चन्द्र (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर में नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित डाइट के लिए कौन सी भूमि आवंटित की गई है ? उसके खसरा नम्बर व रकबा एवं आवंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर शहर के पटवार सर्कल में कितनी सरकारी राजस्व भूमि उपलब्ध है ? उसके खसरा नम्बर व रकबा कितना-कितना है तथा यह कहां अवस्थित है ?

(3) नागौर में उपलब्ध सरकारी राजस्व भूमि से किस-किस योजना के लिए कितनी-कितनी भूमि आरक्षित कर रखी है ?

(4) नागौर हवाई पट्टी के लिए कितनी भूमि सुरक्षित रखी हुई है ?

उत्तर

(1) नागौर कस्बा में नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित डाइट के लिए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प. 12(173) राज/87/3916 दिनांक 24.12.87 से ख. न. 125, 127, 130 एवं 95 में से 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई उक्त आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) नागौर कस्बा में सरकारी राजस्व भूमि राजस्व रेकार्ड में कुल 5475 बीघा 6 विस्वा भूमि दर्ज है खसरा नम्बर व रकबा एवं स्थिति के सम्बन्ध की सूची संलग्न है।

(3) नागौर में उपलब्ध सरकारी राजस्व भूमि में से निम्नांकित भूमियां आरक्षित की गई है :

(राजस्व मंत्री)

ख. सं.	रकबा	प्रयोजन
1. 381 में से	12 बीघा	कृषि उपज मण्डी हेतु
2. 338/667	6 बीघा 06 बिस्वा	तहसील भवन हेतु
3. 547 में से	1 बीघा 2 बिस्वा	मेघवालों के शमशान हेतु

(4) नागौर हवाई पट्टी के लिए राजस्व रेकार्ड में 146 बीघा 5 बिस्वा भूमि उड़ान क्षेत्र नाम से दर्ज है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

ग्राम सिरसी, जिला जयपुर की सिवाय चक भूमि

139. श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंजमंडी) :

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सिरसी, तहसील व जिला जयपुर के सिवाय चक भूमि के खसरा नम्बर 1114 व 1115 रकबा 6 बिस्वा पर अतिक्रमण किया हुआ है ? यदि हां, तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या उक्त सिवाय चक भूमि पर अभी भी अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या इस सिवाय चक भूमि बाबत ग्राम पंचायत सिरसी ने कोई पट्टा अतिक्रमणकर्ता के पक्ष में दिया है ? यदि हां, तो क्या जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में सरकारी जमीन का पट्टा देने का अधिकार ग्राम पंचायत को है ? यदि हां, तो पट्टे व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम सिरसी तहसील जयपुर स्थित सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.3 बिस्वा खसरा नम्बर 1115 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 6 बिस्वा पर श्री देवीसहाय पुत्र इन्द्रेश्वर पारीक ने संवत् 2039 से अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। प्रतिवर्ष पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नियमानुसार पैनल्टी व बेदखली की कार्यवाही की जाती है, सम्वत् 2044 के अतिक्रमण की रिपोर्ट पर दिये गये निर्णय की अपील न्यायालय कलक्टर, जयपुर के यहां विचाराधीन है।

(2) जी, हां। उक्त आराजी पर इस समय श्री देवीसहाय पुत्र इन्द्रेश्वर पारीक का ही अधिकृत कब्जा है। जिसने मौके पर खाम डोली (मेड) लगाकर मकान की नींव भर रखी है। इस वर्ष भी पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय नायब तहसीलदार, जयपुर के यहां मुकदमा संख्या 193/1988 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 22-9-88 के द्वारा पैनल्टी कायम की

(राजस्व मंत्री)

जाकर बेदखली की कार्यवाही शीघ्र करने हेतु उनके द्वारा गिरदावर व पटवारी को लिखा जा चुका है।

(3) जी हां उक्त सरकारी भूमि में से ग्राम पंचायत सिरसी द्वारा दि. 7-5-88 को 57×51 फुट भूमि का पट्टा सर्व श्री देवीसहाय, देवकीनंदन, ओमप्रकाश, अजय कुमार पुत्रान इन्द्रेश्वर पारीक निवासी सिरसी को जारी किया है। ग्राम पंचायत को जयपुर विकास प्राधिकरण में स्थित सरकारी जमीन का पट्टा देने का अधिकार नहीं है।

नागौर जिले के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

140. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन गांवों की ओर अभियान में गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार भी दिए गए हैं ? यदि हां, तो नागौर जिले में कितने गैर खातेदार काश्तकार थे, जिनमें किन-किन को खातेदारी अधिकार उक्त अभियान के तहत दिए गए ? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन गैर खातेदार काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिए गए हैं उनको कब तक दे दिए जावेंगे :—

उत्तर

(1) जी, हां। नागौर जिले में 1521 गैर खातेदार काश्तकार थे जिसमें से 1054 को खातेदारी अधिकार दिये गये। तहसीलदार संख्या सूची संलग्न है।

(2) शेष रहे काश्तकारों द्वारा नियमों की शर्तें पूर्ण करने पर खातेदारी अधिकार दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें।)

प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों का वेतन

141. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर की वैर तहसील के प्रौढ़ शिक्षा अनुदेषकों को कई माह से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) अब कब तक वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भरतपुर जिला में वैर तहसील के प्रौढ़ शिक्षा अनुदेषकों को मई, 1989 तक का भुगतान माह जून में उनके पोस्ट आफिस बचत खाते में जमा करा दिया गया है। वह जब चाहे अपने खातों से राशि स्वयं निकाल सकते हैं।

उप तहसील मुख्यालय

142. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 48

(४८)

(श्री हीरासिंह चौहान)

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर रियासत के समय से पाली जिले के सेन्दडा मुख्यालय पर उप-तहसील का कार्यालय था ?

(2) यदि हां, तो रायपुर तहसील के सेन्दडा, चित्तोड़चांग, सुमेल, बाबरा, अमर-पुरा,नानणा, बगड़ी-कलालिया कोट-किराणा रातडिया, प्रतापगढ़ ग्राम पंचायतें एवं राजस्व ग्रामों की जनता की सुविधा के लिए क्या राज्य सरकार का पुन : सेंदडा में उप तहसील खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर रियासत के समय पाली के सेंदडा मुख्यालय पर उप तहसील का कार्यालय न होकर तहसील का कार्यालय था।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 143 (स्थगित)

कृषि मंडी समितियों द्वारा सड़क निर्माण

144. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मण्डी समितियों द्वारा निर्मित कराये जाने वाली सड़कों की स्वीकृति का मापदण्ड क्या है उनकी स्वीकृति का क्या आधार रहा ?

(2) गत तीन वर्षों में कितनी सड़कें बनी ? कितनी कि. मी. सड़कें बनाई गई सूची मण्डी अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में बाड़मेर एवं बालोतरा मण्डियों की अपेक्षा का रहने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों के अन्तर्गत निर्माण कराई जाने वाली सड़कों की स्वीकृतियां मुख्यतया: मण्डी प्रस्ताव वित्तीय स्थिति एवं अधूरी सड़कों को पूर्ण कराना तथा नवीन सड़कों में मास्टर प्लान की सड़कों को आधार मानकर किया जाता हैं।

(2) परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(3) मण्डी समितियां अपने क्षेत्र में अपनी आय में से हुई बचत को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्यों पर व्यय प्रस्तावित करती है। मण्डी समिति बालोतरा एवं बाड़मेर में वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण सड़क निर्माण कार्य कम कराये गये है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय

145. **श्री विरदमल सिंघवी** (जोधपुर): क्या संस्कृत शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य में संस्कृत शिक्षा के लिए कोई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही हैं ?

(2) यदि हां, तो अब तक इसके लिए क्या प्रयास हुए हैं ?

(3) नए विश्वविद्यालय खोलने के

(श्री विरदमल सिंघवी)

स्वीकृति व निर्णय किस स्तर पर हुआ है और कब हुआ।

उत्तर

(1) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है।

गंगानगर जिले में राजस्व अभियान

146. **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ विजयनगर-अनूपगढ़-घड़साना में राजस्व अभियान चलाया गया था? यदि हां, तो तहसीलवार निपटाए गए इन्तकाल व खातेदारी डबल अलाटमेन्ट-रास्ते व अन्य मुकदमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गंगानगर जिले को सूरतगढ/विजयनगर/अनूपगढ व घड़साना में 15 मई, 89 से 30 जून, 89 तक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान इन्तकाल, खातेदारी, डबल एलाटमेन्ट रास्तों एवं अन्य मुकदमात के सम्बन्ध में किए गए कार्य का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

लोक अदालतों द्वारा मुकदमों का निस्तारण

147. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या विधि मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे:—

वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में लोक अलादतों के माध्यम से कितने फौजदारी, मोटर व्हीकल, दीवानी, ट्रिब्यूनल हर्जाना के राजस्व व अन्य प्रकार के मुकदमों का निस्तारण हुआ?

उत्तर

(1) वर्ष 1987–88 में लोक अदालतों के माध्यम से जो मुकदमें तय हुए हैं उनका किस्मवार विवरण निम्न प्रकार से है:—

1. फौजदारी मुकदमें	11676
2. मोटर व्हीकल के मुकदमें	36922
3. दीवानी मुकदमें	2019
4. ट्रिब्यूनल के हर्जाना के मुकदमें	1111
5. राजस्व मुकदमें	4539
6. अन्य मुकदमें	34008
योगः—	90275

वर्ष 1988–89 में लोक अदालतों के माध्यम से निर्णित प्रकरणों का किस्मवार विवरण जिला विधिक सहायता समितियों से प्राप्त नहीं हुआ हैं, जिसमें समय लगेगा अतः इस भाग का उत्तर देने में समय लगेगा।

(2) भारत सरकार ने लीगल सर्विस अथारिटी अधिनियम भी पारित किया है तथा नियम भी बनाये हैं परन्तु इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के घोषित

(विधि मन्त्री)

नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर लोक अदालत के सम्बन्ध में कोई कानून व नियम नहीं बनाये गये है। समर्य-समय पर राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड ने लोक अदालतों के कार्यकलापों के गठन हेतु सरक्यूलंस जारी कर निर्देश किये है जिनकी प्रतियां संलग्न की जा रही हैं।

(3) अप्रेल, 1988 के बाद लोक अदालतों के आयोजनों में कमी आई है तथा कम लोक अदालतें लगी हैं इसका कारण अधिनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों की हड़ताल के बाद उनके द्वारा लोक अदालत का नाम नहीं किया जाना था। लोक अदालत के कार्य के लिए अलग से स्टॉफ दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा,

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भू-जल कार्यालय कोटा का स्टाफ

148. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या भू-जल राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर में क्या भू-जल विभाग का कोई कार्यालय है?

(2) यदि हां, तो उक्त कार्यालय में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ,

(2) परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

बस स्टेण्ड निवाई में सार्वजनिक सुविधा

149. **श्री ग्यारसीलाल परिडवाल** (निवाई): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निवाई नगर में पथ परिवहन निगम का बस स्टेन्ड शहर के बीच में स्थित है? जिसके कारण भीड़ रहने से कई बार ट्रेफिक जाम हो जाता है?

(2) क्या उक्त बस स्टेण्ड की छत व फर्श जो टूट चुकी है? जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या निगम के अधिकारियों द्वारा भी मौके का निरीक्षक किया गया था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई।

(4) क्या वर्षा से पहले उक्त बस स्टेण्ड पर फर्स सीमेन्ट की तथा ऊपर छत की टीन शेट सीमेन्ट एवं बैठने की तथा फर्नीचर की पूर्ण व्यवस्था कर दी जावेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भीड़ रहने के कारण यदाकदा ट्रेफिक जाम हो जाता है।

(2) जी हां। बस स्टेण्ड की छत व फर्स के निर्माण कार्य हेतु तकमीना तैयार किया जा चुका है।

(यातायात मंत्री)

(3) जी हां। निरीक्षण पश्चात कार्य का तकमीना तैयार कर कार्य हेतु।

(4) निविदायें आमंत्रित की जाकर कार्य निकट भविष्य में शीघ्र करवाया जाना प्रस्तावित है।

पंचायत समिति जवाजा के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बस सेवा

150. श्री माणक डाणी (ब्यावर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जवाजा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मुख्यालय नाइकलां, आसन एवं ग्राम खोडमाल आदि बस सेवा से जुड़े हुए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त ग्रामों के बस मार्गो हेतु सर्वे के समय-समय पर डी. टी. ओ. अजमेर को आदेश दिये थे? यदि हां, तो कब-कब व उस पर क्या कार्यवाही हुई? कृपया सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त गांवों को बस सेवा से कब तक जोड़ दिया जावेगा?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत मुख्यालय आसन ब्यावर-भीलवाड़ा राज्य पथ परिवहन निगम के मार्ग से जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत मुख्यालय नाईकलां व खोड़माल बस मार्ग से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि इनके लिए कोई परमिट स्वीकृत नहीं है।

(2) ग्राम पंचायत मुख्यालय आसन पूर्व में ही बस सेवा से जुड़ा हुआ है। ग्राम खोड़माल को बस सेवा से जोड़ने के लिए जिला परिवहन, अजमेर को दि. 22-2-88 को निर्देश दिये गये थे तथापि ग्राम पंचायत मुख्यालय खोडमाल एवं नाइकलां दोनों को बस सेवा प्रदान करने हेतु सर्वेक्षण करवाया जा चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) उक्त गांव को बस सेवा से जोड़ने के लिए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार की आगामी बैठकर (माह अगस्त, 1989) में इन मामलों को विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। प्राधिकार द्वारा निर्णय लेने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सिरे बिहारी मन्दिर, जैतारण की सम्पत्ति

151. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की जैतारण तहसील में निमाज गांव स्थित श्री सिरे बिहारी जी के मंदिर का प्रबन्ध किस के हाथ में है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर के पुजारी श्री अर्जुनदास पाठक एवं श्री मदनलाल पाठक के बीच अपने हकों को लेकर विवाद विभाग के सामने आया था? यदि हां, तो इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

Page No. 52

(52)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(3) क्या यह भी सही है कि समय-समय पर स्थानीय जनता ने लिखित रूप से एवं ग्राम हड़ताल करके श्री मदनलाल के विरुद्ध मंदिर की सम्पत्ति का एवं मंदिर परिसर में निवास करने आदि की शिकायतें सरकार को की थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मंदिर श्रीमती रतन कंवर धर्मपत्नी स्वर्गीय रावल साहब श्री जितेन्द्रसिंह भूतपूर्व जागीरदार नवलगढ़, जिला झुंझुनूं द्वारा बनवाया जाकर मात्र सेवा-पूजा हेतु पाठक परिवार को पुजारी नियुक्त किया था ? यदि हां, तो अर्जुनदास पाठक को नकारा जाने के क्या कारण है ? स्पष्ट करें।

उत्तर

(1) पुजारी श्री मदनलाल पाठक निमाज के हाथ में हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी हां, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। मंदिर का निर्माण विक्रम सम्वत् 1888 में भूतपूर्व निमाज ठाकुर सुल्तानसिंह की पुत्री सिरेह कंवर बाई द्वारा करवाया जाना ज्ञात हुआ है। मंदिर की सेवा-पूजा हेतु पाठक परिवार को कब नियुक्त किया ज्ञात नहीं है।

महिला शिशु एवं पोषाहार विभाग, बून्दी के केन्द्र

152. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या महिला शिशु एवं पोषाहार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में उपरोक्त विभाग का कोई प्रोजेक्ट है ?

(2) यदि हां, तो कितने केन्द्र कहां-कहां खोले गये हैं और उनकी क्या गतिविधियां हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में पटवारियों/गिरदावरों के आरक्षित पद

153. श्री केसरदेव मरहडा (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पटवारियों, गिरदावरों की कुल संख्या क्या है। इनमें अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने पटवारी हैं ?

(2) आरक्षित कोटा के अनुसार कितने पद पिछले तीन वर्षों से रिक्त चल रहे हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) तीन साल के बेक लॉग के कितने पदों को किस आधार पर सामान्य पद में

Page No. 53

(53)

(श्री केसरदेव महरड़ा)

परिवर्तित किया गया है ? यदि नहीं किया है तो इन्हें भरने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कार्यरत राजस्व पटवारियों एवं गिरदावरों की कुल संख्या क्रमशः 10577 एवं 1310 है। इनमें 1278 अनुसूचित जाति एवं 613 अनुसूचित जनजाति के पटवारी सम्मिलित है।

(2) राजस्व मण्डल में उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों का आरक्षित कोटा का कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 154 (स्थगित)

बीकानेर स्थित ईंट भट्टों हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

155. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़) : **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिलाधीश, बीकानेर के पास ईंट भट्टों हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कितने आवेदन-पत्र कब से विचारधीन हैं ? विवरण मय आवेदक के नाम, आवेदन की तारीख व लम्बित होने के कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) जिलाधीश, बीकानेर ने ईंट भट्टों हेतु मार्च, 1985 से दिसम्बर, 1988 तक कितने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए ? विवरण मय नाम स्थान व स्वीकृति क्षेत्रफल के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिलाधीश कार्यालय में ईंट भट्टे हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये विभिन्न आवेदकों के वर्ष 1988 के 11 तथा वर्ष 1989 के आज दिनांक तक 10 प्रकरण इस प्रकार कुल 21 प्रकरण विचाराधीन है। पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) जिलाधीश, कार्यालय द्वारा ईंट भट्टे हेतु मार्च 1985 से दिसम्बर, 1988 तक कुल 25 अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभिन्न आवेदकों को जारी किये गये हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 156 (स्थगित)

अलाभकारी जोत के हस्तान्तरण का नियमन आदेश

157. **श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, 1955 में संशोधन कर कृषि जोत के "फ्रेगमेन्ट" (अलाभकारी जोत) के हस्तांतरण को नियमित करने के कोई आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो ऐसे संशोधन एवं नियमन के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। जिला कलक्टर कार्यालय, बाड़मेर में ऐसे आदेश की प्रति कब प्राप्त हुई ?

(2) जिला बाड़मेर में प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम किस तिथि से पुनः चालू किया गया व कब तक चलाया गया ?

(श्री गंगाराम चौधरी)

(3) प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत कितने मामलों में "फ्रेगमेंन्ट" के हस्तांतरण का नियमन किया गया ? लाभांवित व्यक्ति का नाम व पता सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 दि. 26-5-89 को जारी कर अधिनियम की धारा 42-क में एक नया परन्तुक जोड़ा गया है। इसके द्वारा दिनांक 1-4-89 से पूर्व कृषि प्रयोजनार्थ उपखण्डों के हस्तांतरण को निर्धारित शास्ति जमा कराने पर नियमित करने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त संशोधन अध्यादेश के सम्बन्ध में जिला कलक्टर कार्यालय में तार दिनांक 31-5-89 को प्राप्त हुआ जिसकी पुष्टि प्रति दिनांक 1-6-89 को प्राप्त हुई।

(3) जिला बाड़मेर में प्रशासन गांवों की ओर राजस्व अभियान दि. 16-5-89 से 30-6-89 तक चलाया गया।

(4) प्रशासन गांवों की ओर अभियान के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रकरण नियमित नहीं हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 157 (स्थगित)

सरदार शहर की गोचर भूमि पर अतिक्रमण

158. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदार शहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरदार शहर तहसील में किन गांवों में कितने-कितने बीघा भूमि गोचर, सिवाय चक, आराजी, रारावा, जोहड, पायतन भूमि स्थित है ? विवरण मय खसरा नम्बर तादादी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गोचर भूमि सिवाय चक और जोहड पायतन भूमियों पर कब्जा हो चुका है ? यदि हां, तो किस-किस गांव में किस-किस खसरे पर कितने व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? नाम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त कब्जों को हटाने की अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कितने कब्जे हटाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील सरदार शहर में कुल 185 ग्रामों में 58610 बीघा 2 बिस्वा भूमि निम्न श्रेणियों की राजकीय भूमि स्थित है। भूमि की किस्म वाइज स्थिति निम्न प्रकार है :—

गोचर	सिवायचक	जोहड़ पायतन
बीघा बिस्वा	बीघा बिस्वा	बीघा बिस्वा
31103.16	2765.04	24741.02

उपरोक्त श्रेणी की भूमियों का विवरण

(राजस्व मन्त्री)

खसरा नं. दर्शाने वाली सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि तहसील सरदार शहर के कुछ ग्रामों में कुछ गोचर सिवायचक तथा जोहड़ पायतन भूमियों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किये गये हैं। अतिक्रमियों की संख्या व अतिक्रमित क्षेत्र-फल भूमि की किस्म वाइज विवरण निम्न प्रकार से है—

भूमि की किस्म तथा अतिक्रमण किया गया रकबा

अति. की सं.	गोचर		सिवायचक		जोहड़पायतन	
	बी.	बी.	बी.	बी.	बी.	बिस्वा
118	105·00		220–14		7–08	

ग्राम वाईज अतिक्रमियों के नाम तथा भूमि का रकबा मय खसरों के संलग्न परिशिष्ट "ख" सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही की गई है। अतिक्रमण के विचाराधीन मामलों में निर्णित 82 मामलों में से 33 मामलों में कब्जा हटाया जा चुका है। 2 मामले नियमन किये गये हैं तथा 8 मामलों में विभिन्न न्यायालय से स्थगन आदेश है या 39 मामलों में भू-अभिलेख निरीक्षक को कब्जे हटाने के आदेश दिये जा चुके हैं जिनमें पालना रिपोर्ट आनी शेष है।

अन्य शेष 36 मामलों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही जेरकार है तथा आगामी ता. पेशी 18-7-89, 21-7-89 एवं 24-7-89 निश्चित रखी गई है। प्रत्येक मामलों के कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में की गई/की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

थानेश्वर मन्दिर की भूमि

160. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील से आसन-जिले लाव में स्थित थानेश्वर मन्दिर जोधपुर रियासत के समय उक्त राजस्व गांव की जमीन का मालिक कौन था ?

(2) थानेश्वर मन्दिर को देवस्थान विभाग के अधीनस्थ लेने सम्बन्धी अब तक क्या निर्णय सरकार द्वारा लिया गया ?

(3) किसी मन्दिर को देवस्थान विभाग के अधीनस्थ लेने के क्या नियम

(56)

(श्री हीरासिंह चौहान)

हैं ? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह मन्दिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित राजकीय मन्दिर नहीं है।

(2) मन्दिर को राजकीय नियन्त्रण में लेने सम्बन्धी मामला विचाराधीन नहीं है।

(3) भूतपूर्व रियासतों के समय जिन मन्दिरों की व्यवस्था रियासतों द्वारा की जाती थी, अब ऐसे मन्दिरों की व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग द्वारा की जाती है। निजी मन्दिरों को देवस्थान विभाग के अधीन लेने हेतु कोई नियम बने हुए नहीं हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिमशिया व दस्सूसर में एक खेत के मामले को लेकर हुए झगड़े में प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा हड़ताल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(3) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से आगरा के निकट पिनहाट परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये जाने से राज्य को चम्बल नदी के पानी से होने वाली हानि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। माननीय सदस्य को सिंचाई की मांग पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी।

श्री यदुनाथ सिंह : नो, आई आब्जेक्ट हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : पहले व्यवस्था सुन लीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : आप रूलिंग दें····

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। व्यवस्था सुन करके फिर करें।

श्री यदुनाथ सिंह : आप व्यवस्था दे देंगे फिर उस पर····

श्री अध्यक्ष : बीच में नो इंट्रप्शन, माननीय सदस्य।····(व्यवधान) माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य, अच्छा नहीं है। आप तो सचेतक हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप स्पीकर हैं। आप स्पीकर हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। यह कायदा नहीं है कि बीच में हरेक कोई बोलने लगे।

श्री यदुनाथ सिंह : यह कायदा है कि आप किसी भी विषय को बिना उसकी गम्भीरता को समझे चाहे जहां रेफर कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे दूं जब आप बोलियेगा। बैठिये।

(4) श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री हरिकुमार औदिच्य, सुश्री पुष्पा जैन, श्री मांगीलाल मेघवाल, श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री बिरदमल सिंघवी, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री चुन्नीलाल मेघवाल और श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के कर्मचारियों द्वारा 9 मई, 1989 से की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को आज शिक्षा की मांग पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री मानिकचन्द सुराना
2. श्री बिरदमल सिंघवी
3. श्री शोपत सिंह
4. श्री किरोड़ीलाल मीणा
5. श्री मूल चन्द
6. श्री ग्यारसीलाल परिडवाल
7. श्री नारायण राम बेड़ा
8. श्री देवी सिंह भाटी
9. श्री हीरा सिंह चौहान
10. श्री नाथू सिंह
11. श्री हरिश्चन्द्र कुमावत
12. श्री रामप्रताप कटारिया

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को केवल पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो एजोर्नमेंट मोशन दिया है उसमें रतनगढ़ क्षेत्र में पांच आदमियों की हत्या हुई है, दो मरणासन्न है। इस सम्बन्ध में सरकार को हमको कुछ बताना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों? इसमें प्रशासन की कहां गलती थी जिसको लेकर इतना बड़ा हत्याकाण्ड हो गया और प्रशासन इस पर कुछ बोले नहीं। आपने समय भी नहीं दिया कि वह कब तक जवाब देगी।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार से कहूंगा कि यह 30.6 की रीसेन्ट घटना है कृपया इसके बारे में जांच करके दे दें।

श्री नाथू सिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, आप जब खड़े रहते हैं तो

Page No. 58

(58)

(श्री नाथू सिंह)

माननीय सदस्यों पर पाबन्दी है कि वह इधर-उधर आयें या जायें नहीं लेकिन गैलेरी में अधिकारी इधर-उधर जाते रहते हैं एवरी डे, हर समय यह हम देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई डायरेक्शन दे दें। हर समय, दस बार हम कह चुके हैं। अधिकारी आपको नहीं पूछें, हमको नहीं पूछें, सरकार को नहीं पूछते।

श्री अध्यक्ष : जिस समय आसन पैरों पर हो उस समय कृपया बीच में अधिकारी आवें-जावें नहीं।

श्री माणक डाणी : एक व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, कल भी सदन में यह मामला उठाया गया था। मैं आज भी आपका ध्यान इस व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप कोई व्यवस्था दें और राज्य सरकार उनका पालन करे, यदि राज्य सरकार पालन नहीं करे तो उस अवस्था में सत्ता दल के सदस्य क्या करें। इस पर आप अपना निर्देश दीजिए। पिछली बार विधान सभा के सत्र में हमने 295 के प्रस्ताव दिये, कटौती प्रस्ताव दिये, स्थगन प्रस्ताव दिये उन प्रश्नों का जवाब विधान सभा का नया सत्र आने तक नहीं आया। हमें राजस्व सम्बन्धी मामले में हमारा प्रश्न लगा उसका आज तक जवाब नहीं आया। हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में। कोई जवाब नहीं हम आपको लिख कर दें तो कोई एक्शन नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसका एक कांक्रीट जवाब होना चाहिए। अगर सदन में हर सदस्य इस बात के लिए कहता रहे, इस बात के लिए चिल्लाता रहे तो हमारा इस प्रकार से कहना भी अच्छा नहीं लगता। अध्यक्ष महोदय, हमारी व्यवस्था निकालिये। कोई इसका रिजल्ट तो निकालिए आप। हमारी तो बड़ी विकट परिस्थिति कर रखी है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि 295 के जहां प्रश्न आये हैं जिनको हमने देखा है, प्रतिदिन जवाब आ रहे हैं और इस तरह से 85% के जवाब आ गये हैं। इसी तरह केरेफरेंस लोक सभा में होते हैं। वहां का रेकार्ड है 60–65%, इसके बावजूद भी अगर किसी माननीय सदस्य के 295 के जवाब नहीं आते हैं तो बजाय यहां कहने के अगर चेम्बर में कहें तो मैं इंडिविजुअल केसेज को देख करके जल्दी कार्यवाही कराऊंगा। ...(व्यवधान)

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, आप देखिये, पिछली विधान सभा सत्र के चार सत्र निकल गये...

श्री अध्यक्ष : माननीय डाणी जी आप मुझे चेम्बर में इन्डीविज्यूअल केस बताइये। मैं उसी समय जांच करूंगा।

श्री माणक डाणी : मैं आपसे सहमत हूं अध्यक्ष महोदय, जितने कटौती प्रस्ताव लगे, कटौती प्रस्ताव के प्रश्न देने का क्या वेल्यूयेशन है आप यह समझाइये, क्योंकि कटौती प्रस्ताव मांगे जाते है ? या तो इस नियम को अवाइड कर दीजिए। कटौती प्रस्ताव देने में समय, श्रम और धन तीनों चीजें असेम्बली में खर्च होती हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, या तो यह विलोपित कर दें नियमों में, प्रक्रिया में ताकि यह व्यवस्था

Page No. 59

(59)

(श्री माणक डाणी)

ही न हो और अगर यह व्यवस्था है तो इसकी पालना होनी चाहिए। इसमें कहीं वित्तीय प्रावधान भी आड़े नहीं आते।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव का जो कायदा है कि हर पार्टियां अपना-अपना नाम देती हैं और उस नाम के हिसाब से हम यहां लेते हैं। इसमें आपका राइट है, आपको कहना चाहिए, उसके बावजूद दिक्कत है तो मुझे अलग से कह दें।

श्री मानिकचन्द सुराना : आपने व्यवस्था दी है अध्यक्ष महोदय, कि कटौती प्रस्तावों का अलग से जवाब दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नियम 295, श्री मानिक चन्द सुराना।···(व्यवधान)

श्री ऋषिकेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सं. 79 का मुझे जवाब मिल गया है। विधि मन्त्री जी ने मुझे जवाब दिया है इसको मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में दिखलावें कोई दिक्कत है तो।

श्री ऋषिकेश मीणा : मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि जनता को सस्ता न्याय···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यहां नहीं, यहां नहीं। आप बिराजें।

श्री ऋषिकेश मीणा : दूसरे में यदि हां तो सपोटरा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय कब तक खोला जायेगा? इसमें जवाब दिया है···जी नहीं····

श्री अध्यक्ष : यह कोई समय नहीं है, माननीय सदस्य, आप क्या कर रहे हैं?··· (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, यह नियमों में रिलेक्स कर दिया है क्या?

श्री अध्यक्ष : कौन सी चीज किस समय उठा रहे हो, यह तो देख लिया करो, नियमों को तो कुछ पढ़ लिया करो।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, इनका कोई सचेतक नहीं है क्या हां पक्ष में? यह सारे नियमों का उल्लंघन कर प्रश्न का जवाब ही विधान सभा में पढ़ दें···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले दो मिनट में अपनी बात को निवेदन कर दूं। पिछले दस दिनों से जयपुर शहर में चार हजार आटो रिक्शा वालों ने हड़ताल कर रखी है····

श्री अध्यक्ष : इसमें सरकार ने बात कर ली है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कल वह विधान सभा के सामने आये थे। जनता का कष्ट है। आटो रिक्शा के बन्द हो जाने के कारण जो रेल्वे स्टेशन से आते जाते हैं, मरीजों को लाना ले जाना होता है। विधान सभा के सदस्य भी सभी बस में नहीं आते। उनको भी आटो रिक्शा का उपयोग करना होता है। यातायात की व्यवस्था में आटो रिक्शा बहुत बड़ा साधन है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(म.प. 12.15 बजे).

(श्री किशन मोटवानी उपाध्यक्ष, पदासीन)

कल वह विधान सभा के सामने आ गये और प्रदर्शन किया। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि राज्य सरकार ने आटो रिक्शा चालकों की जो मांगें हैं उसके सम्बन्ध में क्या विचार किया है। यातायात मन्त्री जी मौजूद हैं उनको सदन में घोषणा करनी चाहिए। यह बहुत अहमियत का प्रश्न है। यातायात से जुड़ा हुआ है। जो उनकी मांग है उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराना।...(व्यवधान)...माननीय सदस्य, कृपया को-आपरेट करें। सहयोग करें आप। नॉट टू बी रेकार्डेड नाऊ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : XXX

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : मैं नियम 295 के तहत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 30 हजार/मैट्रिक टन नोन लेवी सीमेंट की खरीद के मामले का विशेष उल्लेख करता हूं।

श्री राजेन्द्र जैन अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना ने दि. 2-3-89 को मुख्य अभियन्ता श्री शमशेर सिंह को निर्देश दिये कि 30 हजार मैट्रिक टन सीमेंट खरीद के लिए टेण्डर आमन्त्रित कर लिये जावें। नहर मण्डल के अध्यक्ष के आदेशानुसार श्री शमशेर सिंह मुख्य अभियन्ता ने अपने मैकेनिकल टी. ए. को टेण्डर जारी कर सीमेंट क्रय करने के लिए निर्देश दिये। रिकार्ड के अनुसार दिनांक 31-3-89 को सीमेंट की स्टॉक पोजीशन विभाग में छः टन थी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक व्यवस्था देना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस समय अगर मन्त्री उपस्थित हों और उसके कंसर्न कोई मैटर आता हो तो विधायकगण उनको डिस्टर्ब न करें। माननीय डाणी जी, Please go to your seat. मैं समझता हूं आई. जी. एन. पी. के सन्दर्भ में क्वेश्चन है और आप कृपा करके नोट करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह इन्दिरा गांधी कैनाल के मन्त्री नहीं हैं। इसलिए आपकी इच्छा के अनुसार उन मन्त्री जी को बुलाया जाय जिनको जवाब देना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह कहा कि जो उपस्थित हो उनको डिस्टर्ब न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो अनुपस्थित हैं उनका क्या करें, बुला लीजिए उनको भी।

श्री उपाध्यक्ष : उनको तो बुलाने की व्यवस्था मैं नहीं दे सकता।

श्री मानिकचन्द सुराना : सरकार सुन रही है और सुनें या न सुनें हम अपना

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मानिकचन्द सुराना)

कर्त्तव्य पूरा कर रहे हैं सारा राजस्थान इस विधान सभा के माध्यम से सुन रहा है।

माननीय गृह मन्त्री जी, अशोक जी गहलोत, इस मामले में भ्रष्टाचार का मामला भी आयेगा। आप गृह मन्त्री हैं और विधि मन्त्री जी वार्ता बाद में करें, यह काम्पलिकेटेड मैटर है जिसको मैं उठा रहा हूं और आपके पास पी.एच.ई.डी. भी है और सरकार के पास पैसा नहीं है यह बात भी आती है और 50 लाख रुपया आपने दिया जिसके पेटे एक बोरी सीमेंट नहीं आये इसका मामला मैं उठा रहा हूं।

रेकार्ड के अनुसार दिनांक 31-3-89 के सीमेंट की स्टॉक पोजीशन विभाग में 6000 टन थी जो काम की गति व लक्ष्य को देखते हुए अगले तीन माह तक पर्याप्त थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता श्री ए.एम. शर्मा द्वारा नहर बोर्ड को लिखित राय दी गई कि सीमेंट की अधिकतम और जरूरत केवल 6000 टन ही है। लेकिन इसके विपरीत श्री राजेन्द्र जैन के निर्देश पर श्री शमशेर सिंह, मुख्य अभियन्ता ने बिना किसी आधार पर यह राय जाहिर की कि अगले तीन माह में 15000 टन सीमेंट जरूरत है दोनों मुख्य अभियंताओं की विपरीत राज्य बोर्ड पत्रावली पर दिनांक 10-4-89 की टिप्पणी पर है जो कि स्पष्ट है।

राज्य सरकार के आदेशानुसार सरकारी रेट कांट्रेक्ट का सामान रेट-कांट्रेक्ट वाली फर्म से ही लिया जा सकता है और जिन वस्तुओं के लिए रेट कांट्रेक्ट सरकार द्वारा मंजूर किया हुआ है, उस सामान को खरीदने के लिए कोई भी विभाग टेण्डर भी आमन्त्रित नहीं कर सकता है। इसलिए राज्य सरकार के सैन्ट्रल स्टोर पर्चेज आर्गेनाइजेशन वित्त विभाग ने दिनांक 14-3-1989 को टेण्डर रद्द करने के लिए लिख दिया परन्तु नहर मण्डल ने वित्त विभाग के उक्त निर्देश को पूर्णतया नजर अन्दाज किया और श्री राजेन्द्र जैन के निर्देशन में 15000 टन सीमेंट की खरीद के लिए टेण्डर आमन्त्रित किया जाना जारी रहा। दिनांक 20 मार्च, 1989 को 12 टेण्डर आये परन्तु बांसवाड़ा स्थित कल्याण सुन्दरम् कम्पनी के अलावा सब को यह कह दिया कि आपकी दरें बहुत ऊंची हैं इसलिए आपका टेण्डर रिजेक्ट कर दिया गया है। अन्य सब फर्मों व कम्पनियों के टेण्डरों को नजर अन्दाज करके कल्याण सुन्दरम् फर्म को भी श्री राजेन्द्र जैन ने नेगोसियेशन के लिए अपने कक्ष में आमन्त्रित किया और कल्याण सुन्दरम् को उसके द्वारा दी हुई रेट को सी.एस.पी.ओ. की रेट से कम करने को कहा। सी.एस. पी.ओ. की रेट से कांट्रेक्ट सीमेंट के लिए 1364 रुपये प्रति टन है। मैसर्स कल्याण सुन्दरम् ने 1388 रुपये प्रति टन सीमेंट की रेट कोट की थी लेकिन टेण्डर स्वीकार कराने के लिए उन्होंने अपनी रेट 1349 रुपये प्रति टन कर दी।

उपरोक्त रेट कम करने पर फर्म कल्याण सुन्दरम् का न सिर्फ टेण्डर मंजूर किया गया बल्कि सीमेंट के 15000 टन मूल्य का 25 प्रतिशत 50 लाख 61 हजार 300 रुपया आर्डर के साथ फर्म कल्याण

(श्री मानिकचन्द सुराना)

सुन्दरम् को बिना किसी प्रकार की सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी लिए हुए दे दिये गये । 50 लाख 61 हजार 300.

उपरोक्त 50 लाख रुपये अधिक की राशि अग्रिम देने के साथ कल्याण सुन्दरम को सीमेंट बांसवाड़ा से ट्रक द्वारा बज्जू, बीकमपुर, फलौदी, मोहनगढ़, जैसलमेर व रावतसर भेजने की सुविधा दी गई ताकि सीमेंट थैलों में सीमेंट की मात्रा में कमी किये जाने की गुंजाइश का फायदा भी फर्म उठायें । इसके साथ ही कल्याण सुन्दरम् को 14 लाख रुपये की धरोहर राशि भी विभाग ने लौटा दी ताकि डिफाल्टर होने पर विभाग फर्म से कोई पैसा वसूल न कर सके । नहर मण्डल के अधिकारियों ने जैन के निर्देशन में मैसर्स कल्याण सुन्दरम् को 15000 टन सीमेंट तीन माह में सप्लाई करने का आर्डर दि. 13-4-1989 को जारी कर दिया और इसके साथ-साथ ही 50 लाख 61 हजार 300 रुपये का ड्राफ्ट भी फर्म को एडवांस के रूप में दे दिया गया ।

राज्य सरकार द्वारा मैसर्स कल्याण सुन्दरम् को दी गई 50 लाख रुपये से अधिक की एडवांस राशि के पेटे कम्पनी ने सरकार को तीन महीनों के 16-16 लाख रु. के तीन चैक बतौर जमानत दिये । उक्त कम्पनी ने आदेश प्राप्त करने के एक महीने में नहर मण्डल को सीमेंट की कोई सप्लाई नहीं की और इस कारण एक माह समाप्त होने पर पहला चैक विभाग ने अपने खाते में जमा कराया जो कि बैंकर की इस टिप्पणी के साथ लौट आया कि फर्म के खाते में पैसा नहीं है ।

कल्याण सुन्दरम् में द्वारा सीमेंट सप्लाई न करने पर श्री जे.पी. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता को बांसवाड़ा कल्याण सुन्दरम् की फैक्ट्री का निरीक्षण करने हेतु भेजा गया तो उसने आकर ए.एम. शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को रिपोर्ट दी और मैकेनिकल मुख्य अभियन्ता को रिपोर्ट दी कि फैक्ट्री बन्द है तथा ताला लगा हुआ है तथा स्टॉक में कोई सीमेंट नहीं है । उपरोक्त तथ्यों की जानकारी नहर मण्डल के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जैन को लिखित में दे दी गई परन्तु वे अभी भी कल्याण सुन्दरम् कम्पनी के डाइरेक्टरों को आमंत्रित कर कल्याण सुन्दरम् से वसूली की कार्यवाही को आगे से आगे टला रहे हैं ।

एक बन्द पड़ी फैक्ट्री को 15000 टन सीमेंट का नियमों व कानूनों को ताक पर रखकर टेण्डर मंजूर कर 15000 टन सीमेंट के मूल्य की 25 प्रतिशत की राशि एडवांस में दिया जाना और उसके बाद फर्म द्वारा सीमेंट की सप्लाई न करना और राज्य सरकार द्वारा दी हुई अग्रिम राशि की वसूली न करना अपने आप में एक जबरदस्त घोटाला है । जिस तरह से सारे घटनाक्रम का चक्रव्यूह रचा गया और बन्द पड़ी फैक्ट्री को चालू फैक्ट्रियों के मुकाबले प्राथमिकता दी गई वह भ्रष्टाचार की जीती जागती कहानी है जिसके लिए नहर मण्डल के शीर्षस्थ अधिकारी, सचिव और पूरा प्रशासन जिम्मेवार है ।

मैं उक्त घटना का विशेष उल्लेख करके इस बात को उजागर करना चाहता

(श्री मानिकचन्द सुराना)

हूँ कि आये दिन आर्थिक तंगी की बात कहने वाली सरकार किस प्रकार से 50 लाख रुपये माल सप्लाई करने की स्थिति में न होने वाली कम्पनी को एडवांस में देने के लिए तैयार रहती है। ऐसी घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि नहर मण्डल के शीर्षस्थ अधिकारी भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत हैं और ऐसे अधिकारियों को बर्दाश्त करने वाली सरकार किसी भी प्रकार से पाक व साफ नहीं है।

मैं उम्मीद करता हूं कि यह माननीय गृह मन्त्री जी भी कुछ करेंगे और इन्दिरा गांधी नहर मंत्री जी भी उसमें राज्य सरकार की ओर से कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे यह लगे कि वह खुद इस सारे घोटाले में शामिल नहीं है। शायद वह ऐसा कुछ करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आसन भी ऐसा ही चाहेगा।....आप भी बोलेंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : जो माननीय सदस्य ने मामला उठाया है वह बहुत गम्भीर है। मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार इसका उत्तर नहीं दे यह इससे भी ज्यादा गम्भीर है। यह आज कोई नई बात नहीं है। पिछले 3–4 माह से लगातार समाचार पत्रों में आ रहा है। इस सम्बन्ध में पत्र लिखे गये हैं, इस मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। न तो पत्रों का उत्तर मिलता है और न हीं समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का खण्डन होता है। यह कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है।....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसका जवाब दिलवाऊंगा। I assure you that reply in this case will come.

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखिये, दो तरह की रिप्लाई है।....(व्यवधान).. मेरी सुन लीजिए। एक तो रिटर्न रिप्लाई आप श्री सुराना जी के पास भेजते हैं और एक इस मामले पर हाउस में चर्चा हो। मैं यह चाहूँगा कि उपाध्यक्ष महोदय, कि यह दो करोड़ रुपये का मामला है और दो करोड़ रुपये में एक फर्म का पक्ष लेकर उससे सांठ-गांठ की है। वह शायद लेंग्वेज में कुछ कंजूसी कर गये। सांठ-गांठ करके राज्य सरकार को हानि पहुंचायी गयी है। ऐसे मसले पर इस सदन में निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने 295 में नोटिस दिया है। इस विषय पर किस तरह से चर्चा हो यह आप विचार कर लें। लेकिन यह मसला हाउस में निश्चित रूप से आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री नाथू सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी मामले पर मैंने एक काल....

श्री उपाध्यक्ष : Your Leader has spoken.

श्री नाथू सिंह : इस मामले में मैंने काल अटेन्शन दिया।...

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघली ...(व्यवधान)..I will don't allow you. आप बैठिये।

श्री नाथू सिंह : यह एक बहुत बड़ा घपला है। इसमें मिलीभगत से सीमेंट सप्लाई नहीं कर सकते। सरकार इस मामले में पैसा कब तक वसूल करेगी, उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? इसकी सदन में घोषणा करे। काल अटेन्शन दे चुका हूं। घोटाला बहुत है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : आप हर मामले में बोलेंगे। आपके जब नेता बोल चुके हैं उसके भी आप बात करेंगे। प्लीज सिट डाउन नाउ।

श्री नाथू सिंह : हम व्यवस्था चाहते हैं। काल अटेन्शन दिया है। उनको देखना पड़ेगा। सरकार जवाब नहीं देती है तो इसका क्या मतलब हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दे दी है मैंने। इसका जवाब मैं 295 के तहत निश्चित दिलाऊंगा। श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी पिछले दो-ढाई माह से सहकारी कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है और उसके कारण जो ग्रामीण जीवन बिल्कुल ठप्प हो गया है वहां के विकास के काम बिल्कुल बन्द हो गये हैं उनको न तो ऋण मिल रहा है, न उनको खाद मिल रहा है और न ही उनको उपभोक्ता की वस्तुएं मिल रही है। इसके विषय में मैंने यह विशेष उल्लेख का प्रस्ताव रखा है उसको आपके समक्ष रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल 26 अप्रैल, 1989 से चल रही है। दो माह से अधिक समय बीत जाने पर भी अभी हड़ताल समाप्त होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लगभग सात हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं। प्रदेश की कुल 5267 समितियों का काम काज ठप्प हो गया है। राज्य सरकार की उदासीनता से ग्रामीण जन जीवन व विकास कार्य की प्रगति में अवरोध उत्पन्न कर दिया है।

इन कर्मचारियों में सहकारी व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक एवं विक्रय प्रतिनिधि सभी सम्मिलित हैं। वेतनमानों व सेवा नियमों में निर्धारण न होने से उत्पन्न स्थिति से उनमें भयंकर रोष है। आज भी व्यवस्थापक को कुल रुपये 914 माहवारी वेतन मिलता है जो कि पटवारी, अध्यापक, ग्राम सेवक व कम्पाउन्डर आदि के प्रारम्भिक वेतन से भी बहुत कम है। उन्हें 1300 मिलता है और इन्हें उनसे भी कम मिल रहा है, उपाध्यक्ष महोदय। सहायक व्यवस्थापक को तो कुल मिलाकर रुपया 600 तक ही प्राप्त होते हैं। विक्रय प्रतिनिधियों को रुपया 250 या 300 तक सन्तुष्ट होना पड़ता है। इनको ग्रेच्यूटी, मेडिकल, पेन्शन, बोनस आदि की भी सामान्य सुविधाएं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को है वह प्राप्त नहीं है जबकि दूसरी ओर इनकी जिम्मेदारियां व कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह 24 घन्टों के कर्मचारी हैं। समिति के सदस्य बनाना, खाद-बीज व उपभोक्ता सामग्री का वितरण करना, कन्ट्रोल की वस्तुओं का वितरण, बैंक द्वारा ऋण दिलाने के लिए मांग पत्र भरना व ऋण दिलाने की प्रक्रिया पूर्ण कराना एवं ऋण का वितरण करवाना, खाता खोलना, ब्याज लगाना, ऋण की

(श्री बिरदमल सिंघवी)

वसूली करना एवं मिनी बैंक खोलना, अल्पकालीन व मध्यकालीन खातों में जमा खर्च करना, राशि वसूली के बाद में बैंक में जमा करवाना आदि अनेक महत्वपूर्ण व जिम्मेदारी के कार्य ये लोग करते हैं। इनकी प्रमुख मांग यह है कि इन्हें कोई भी अपना कर्मचारी नहीं मानता। राज्य सरकार इन्हें अपना कर्मचारी नहीं मानती एवं राज्य सरकार के वेतन मान व सेवा नियम इन पर लागू नहीं हैं, बैंक भी इन्हें अपना कर्मचारी नहीं मानती। सहकारी व्यवस्थापक चाहते हैं कि इसका वेतन मान बैंक के कनिष्ठ लिपिक के समान हो एवं इन्हें बैंक कर्मचारी माना जावे जैसा कि सहकारी बैंक कर्मचारियों को माना जाता है। जब जिला स्तर का बैंक ही इसका नियोजक है व वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, अवकाश, निलम्बन, स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवा समाप्ति आदि बैंक द्वारा होती है तो इन्हें बैंक कर्मचारी माना जाना इनकी प्रमुख मांग है। जब इन्हीं व्यवस्थापकों के समान केडर आथोरिटी के ही कर्मचारी ऋण पर्यवेक्षकों को पिछले साल बैंक कर्मचारी बना दिया गया तो व्यवस्थापकों को बैंक कर्मचारी न मानने का क्या औचित्य है? वह उसी के कैडर के लोग हैं, उन्हें बैंक कर्मचारी मान लिया है, इन्हें नहीं माना गया, यह इनकी विशेष मांग है। इसके अतिरिक्त सहायक व्यवस्थापकों व विक्रय प्रतिनिधियों के लिए भी वेतनमान निर्धारण करके इनकी सेवा शर्तें लागू करने के लिए इनकी मांग है। आज की बढ़ती मंहगाई को देखते हुए व अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए, इन कर्मचारियों को अपना शोषण बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वे आन्दोलन की राह पर निकल चुके हैं। इनके आन्दोलन के कारण आज जन जीवन ठप्प हो रहा है, इस विषय में भी आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। इस हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी प्रभाव पड़ा है। खाद, बीज आदि का वितरण नहीं हो रहा है इसके कारण उपभोक्ताओं को सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। उपभोक्ता सामग्री का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा है। वसूली भी बन्द हो गयी है व जो कृषक ऋण के ब्याज से बचने के लिए कुछ राशि जमा भी कराना चाहते हैं, वे भी करा नहीं पा रहे हैं। सारा ग्रामीण अंचल व छोटा किसान दुखी है, मगर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार को चाहिए कि इस विषय में जरूर कोई कार्यवाही करे व कोई रास्ता निकाला जाये जिससे ग्रामीण जन जीवन अस्त व्यस्त नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, प्रसन्नता इस बात की है कि सहकारिता मन्त्री जी यहां मौजूद हैं और अखबारों में जो मैंने वक्तव्य पढ़ा, उसके अनुसार उन्होंने भी स्वीकार किया है कि उनकी मांगें वाजिब हैं। वह छोटे कर्मचारी हैं जिनके कारण सारा ग्रामीण जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इस विषय में वे तुरन्त कोई कार्यवाही करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सात हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दो महीने से अधिक हो गये। पहले भी कई बार कर्मचारियों ने हड़तालें की हैं। अनेक लम्बी हड़तालें होने के बाद में मामला सुलझता

(श्री बिरदमल सिंघवी)

है, यदि वह शीघ्र सुलझ जाये तो उसके कारण जो ग्रामीण जीवन को असुविधा हो रही है, वह खत्म हो जायेगी। मैं चाहूंगा सहकारिता मन्त्री जी हैं, उन्होंने पत्रों में इस विषय की घोषणा की है, यहां पर वे घोषणा करें तो उसका लाभ उनको होगा और सन्तोष होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपत सिंह जी।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीम उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत राज्य में बन्द पड़े उद्योगों की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा क्योंकि मन्त्री जी तो हैं नहीं और न ही श्रम मन्त्री जी हैं। मैं 295 के तहत यह अपना प्रस्ताव पढ़ू, उसके पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप पढ़िये।

श्री शोपत सिंह : कोई भी सम्बन्धित मन्त्री इस प्रस्ताव के देने के बाद अगर इसकी अहमियत को कोई नहीं समझता है, इसको अहमियत कोई नहीं देता, सदन में नहीं रहेंगे तो हमारे इस सवाल को रखने का कोई महत्व नहीं रहेगा और न ही....

श्री उपाध्यक्ष : उनको प्रीवियस नोटिस हम नहीं देते हैं।

श्री शोपत सिंह : मन्त्री को देना चाहिए। हम लोग आते हैं और....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, समयका अभाव है, उसको दे नहीं सकते, इसीलिए उसका बाद हम देंगे, यह जायेगा, तब उसका जवाब आयेगा।

श्री शोपत सिंह : हम एक दिन पहले देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़िये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हमें कह दीजिये तो हम तीन दिन पहले दे देंगे। लेकिन जवाब तो उसका आना चाहिए, उनको बैठना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष जी व्यवस्था की बात करेंगे। आप पढ़ें।

श्री शोपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर सवाल है और अगर आप यही चाहते हैं कि हम सिर्फ इसको बोलने के लिए बोलें और आप सुनने के लिए सुनें....

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप गम्भीरता से इसको पढ़ें। यों ही यह नहीं है आप इस प्रक्रिया को लाइटली नहीं लें। हम बार-बार उसको मन्त्री को भेजते हैं और उसकी प्रक्रिया को फालो अप करते हैं, जवाब आपको दिलाते हैं।

श्री शोपत सिंह : लेकिन मन्त्री जी सदन में है, उनको कहें आप पधारें। चेम्बर में नहीं बैठे रहें।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रक्रिया के नियम में नहीं है कि इस तरह मन्त्री जी को बुला कर बाध्य करें।

श्री शोपत सिंह : तो कोई व्यवस्था कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी व्यवस्था के बारे में अध्यक्ष जी से बात करेंगे।

श्री शोपत सिंह : मैं समझता हूं कि यह ठीक है, आप कहेंगे हम वही पढ़ लेंगे, हमको भी सन्तोष हो जायेगा, यह सन्तोष की बात है, समस्या का निदान नहीं निकालना है। हम निदान के लिए बैठे हैं कि लोगों की समस्याओं का निदान निकालें।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ें, Obligl me please.

श्री शोपत सिंह : हमको इसीलिए तो भेजा है यहां पर। मगर, ऐनी हाउ, इसको ठीक समझते हैं तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : थैंक्यू।

श्री शोपत सिंह : कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत राजस्थान में बन्द पड़े सैकड़ों कारखानों के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। सरकार की गलत आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों के फलस्वरूप सैकड़ों उद्योग बन्द हो चुके हैं और कई बन्द होने के कगार पर हैं जिसके कारण हजारों श्रमिक बेरोजगार हुए हैं और उनके परिवार के सदस्यों के समक्ष रोजी-रोटी की गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है तथा जीवनयापन के लिए प्रभावित श्रमिक दर-दर भटकने पर मजबूर हो रहे हैं। राजस्थान के टेक्सटाइल मिलों के श्रमिक जो एक जमाने में राज्य में सबसे अच्छी स्थिति का श्रमिक था, आज लगातार होती गयी मिलबन्दी व संकट के कारण कई उद्योगों से पिछड़ गया है और एक गम्भीरतम दौर से गुजर रहा है। जयपुर में ही जयपुर स्पिनिंग मिल गत 1982 से तथा पोदार मिल वर्ष 1985 से बन्द पड़ी हैं। जिसके कारण क्रमशः करीब 3500 एवं 1200 श्रमिक तथा उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। इसी प्रकार भीलवाड़ा की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, ब्यावर में कृष्णा मिल, उदयपुर की सूती मिल बन्द हो जाने से करीब क्रमशः 3000 एवं 1600 एवं 1000 श्रमिकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कोटा जिले में जे. के. सिंथेटिक्स कारखाने के कुछ प्लांट बन्द किये जाने से 2500 श्रमिकों की छंटनी, सुदर्शन टेक्सटाइल मिल, नागपाल कोंबिग मिल एवं कोटा पेपर मिल, बूंदी जिले की एरिस्टो पेपर मिल बन्द हो जाने से करीब 2000 श्रमिकों एवं उनके परिवार की रोजी-रोटी छिन गयी है। सबसे ज्वलंत उदाहरण कोटा जिले का ओरियेण्टल पावर केबल्स उद्योग का है जो निरन्तर लाभ कमाता हुआ अपने सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा था। चूंकि इसके पास आधुनिक एवं उच्च तकनीकीयुक्त मशीनों के अलावा स्वयं की आधुनिक आवासीय कालोनी भी हैं और इस प्रकार यह उद्योग 369 एकड़ क्षेत्र में स्थित है तथा देश के 12 केबल उद्योगों में न सिर्फ प्रसिद्ध केबल उद्योग ही रहा है बल्कि केबल उद्योग में इसकी नेतृत्वकारी भूमिका भी रही है जैसे कि सबमेराइन केबल, 23 के.वी. केबल एवं डी.सी. केबल आदि। जब इस उद्योग का उत्पादन सस्पेंड किया गया तो इसके पास 11 करोड़ रु. के आर्डर्स मौजूद थे जिनमें 4 करोड़ रुपये

(श्री शोपत सिंह)

के विदेशी आर्डर्स भी शामिल हैं। इस उद्योग का वार्षिक उत्पादन 14.15 करोड़ रुपये का रहा है जिसके अनुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार लगभग 3-4 करोड़ रुपये की आय वार्षिक प्राप्त करों के रूप में होती रही है। विदेशी मुद्रा अर्जित करते रहने के अलावा इस उद्योग का उत्पादन माह जनवरी 1986 में जब सस्पेंड किया गया उसके कुछ समय पूर्व ही एक नया एक्स. एल. पी. प्लांट 10 करोड़ रुपये की लागत से बन कर खड़ा हो चुका था जो पूर्णरूप से आधुनिक एवं उच्च तकनीकी से युक्त है। इतना सब कुछ होते हुए भी सरकार द्वारा किसी तरह के रचनात्मक कदम नहीं उठाने का स्पष्ट तात्पर्य यह हैं कि सरकार जान-बूझ कर श्रमिकों को बेरोजगारी के मुंह में धकेल कर उनको पूर्ण रूप से बर्बाद करते हुए तिल-तिल करके मारना चाहती है। साथ ही राष्ट्र की 25-30 करोड़ की सम्पत्ति भी नष्ट करना चाहती है। इस उद्योग के बन्द होने से न केवल इसमें कार्यरत 850 श्रमिक बेरोजगार हुए हैं बल्कि उनसे जुड़े परिवार के करीब 5000 लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सबसे दुखद त्रासदी तो यह है कि आज देश में बढ़ती जा रही बेरोजगारी के भयंकर दौर में जब आय एवं रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध न होने से उद्योग के श्रमिक/कर्मचारी भुखमरी तथा ला-इलाज बीमारियों के शिकार तो हो ही रहे हैं, परन्तु आर्थिक विषमताओं के चलते सामाजिक उत्पीड़न का मामला भी उन्हें करना पड़ रहा है। यहीं नहीं, उनके पानी एवं बिजली के कनेक्शन भी एक लम्बे समय से काट दिये गये हैं। इस तरह इस उद्योग के श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मानवीय आवश्यकता के उन तमाम बुनियादी साधनों से वंचित कर न केवल दयनीय अवस्था में पहुंचा दिया गया है अपितु नारकीय जीवन जीने को विवश कर दिया गया है।

इसी प्रकार सवाई माधोपुर जिले में जयपुर उद्योग की सीमेंट फैक्ट्री के लगातार बन्द रहने से प्रभावित हजारों श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भयंकर मानसिक यातनाओं व त्रासदी के दौर से गुजरना पड़ा है उसकी कल्पना करना भी मानव मूल्यों के लिए असहनीय है। यही कारण है कि सवाई माधोपुर के सीमेंट कारखाने के श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा राज्य की राजधानी जयपुर में आकर जो शानदार संघर्ष किया उसने मानवीय मूल्यों से लैस तमाम जनतंत्र पसन्द लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।

इसके अलावा लघु उद्योग क्षेत्र की हालत भी अत्यन्त शोचनीय है और दिनों-दिन बरबादी की ओर बढ़ती जा रही है। राजधानी जयपुर में ही करीब 85 लघु उद्योग बन्द हो चुके हैं जिसके परिणामस्वरूप करीब डेढ़ हजार मजदूर बेरोजगारी के शिकार हुए हैं। इसी प्रकार जोधपुर में पचास लघु उद्योग बन्द होने के कारण आठ सौ से एक हजार के बीच श्रमिक, अलवर में सत्तर से अधिक उद्योग बन्द होने से करीब पांच हजार श्रमिक व किशनगढ़ क्षेत्र के साढे सात हजार पावरलूमों में से चार हजार पावरलूम बन्द होने से करीब दस हजार श्रमिक, उदयपुर एवं पाली क्षेत्र में क्रमश: तीन एवं चार हजार श्रमिक तथा

(श्री शोपत सिंह)

उनके परिवारों की रोजी-रोटी छीन ली गई है। हाल ही में नागौर जिले के मकराना कस्बे में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण हजारों श्रमिक प्रभावित हुए हैं। सीमा क्षेत्र की गजसिंहपुर की ग्रायल मिल, जो सहकारी क्षेत्र में हैं, सरकार की लापरवाही के कारण बन्द होने के कगार पर खड़ी है। नवभारत टाइम्स लगातार कुछ ग्ररसे से बन्द चल रहा है, उसमें हड़ताल चल रही है एवं इण्डो इंजीनियरिंग वर्क्स, कोटा में प्रस्तावित बन्दी हमारे सामने ताजा उदाहरण हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन बन्द होते जा रहे कारखानों में राज्य सरकार की सम्पति भी लगी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ हजारों मजदूर ही बेरोजगार नहीं है, सरकार की ग्ररबों रुपये की सम्पत्ति उन कारखानों में, उन लघु कारखानों में, उन बड़े कारखानों में, उन मध्यम कारखानों में लगी हुई है, वह बरबाद हो रही है। जिससे हजारों मजदूर वहां भूख के कगार पर पहुंच गये हैं। इसके साथ-साथ चिन्ता का विषय तो यह है कि राजस्थान ग्रौद्योगिक निगम के ग्रधीन चल रहे ग्रधिकांश उद्योग या तो बन्द हो गये हैं या फिर बन्द होने के कगार पर खड़े हैं। मैं यहां जोर देकर रेखांकित करना चाहता हूं कि राज्य में लगातार बन्द होते जा रहे उद्योगों से उत्पन्न जटिलतम स्थिति की ग्रोर इसी सदन में कई बार सवाल उठाये जाकर सरकार का ध्यान ग्राकर्षित किये जाने, मंत्रियों सहित मुख्य मंत्री महोदय से प्रतिनिधि मण्डलों के माध्यम से मिलकर इस ज्वलन्त समस्या के समाधान हेतु रचनात्मक उपाय सुझाये जाने के बावजूद सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। फलस्वरूप बन्द कारखानों से प्रभावित श्रमिकों में राज्य सरकार द्वारा बन्द कारखानों को पुनः चालू करवाने, कारखाना-बन्दी को रोकने के प्रति लापरवाहीपूर्ण व श्रम विरोधी रुख ग्रपनाये जाने से प्रभावित श्रमिकों में सरकार की दिवालियेपन की ग्रार्थिक एवं ग्रौद्योगिक नीतियों के खिलाफ रोष एवं ग्रसंतोष विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है ग्रौर वर्षों से रोजगार में लगे श्रमिक भी स्वयं को ग्रसुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मालिकों की चाकरी में लीन राज्य सरकार का श्रम विभाग भी श्रमिकों को किसी प्रकार की राहत दिला पाने में ग्रसमर्थ रहा है।

ग्रतः मैं उद्योग बन्दी से प्रभावित हो ग्रमानवीय यातनाग्रों एवं भीषण ग्रार्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हजारों श्रमिकों, उनके परिवार के सदस्यों तथा राज्य के व्यापक हित में मांग करता हूँ कि इस विवेकहीन सरकार के मन में किसी कोने में ग्रगर जरा भी रहम बचा हो तो कारखाना बन्दी को रोकने एवं बन्द कारखानों को पुनः चालू करने हेतु जन प्रतिनिधियों एवं श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों से गम्भीर तथा गहन विचार-विमर्श कर एक ठोस योजना बनाकर निश्चित ग्रवधि में उसे लागू करे ताकि राज्य के ग्रौद्योगिक क्षेत्र को तबाही से बचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : डॉक्टर किरोड़ीलाल।

श्री हरिमोहन शर्मा : नियम 295 के ग्रन्तर्गत ग्रापने शब्द तय किये हैं कि इतने शब्दों का भाषण होगा...

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी जो तीन पेज, साढ़े तीन और चार पेज के जो आपके सामने पढे गये...

श्री उपाध्यक्ष : सवा दो पेज हैं। बैठे आप। I shall look into it.

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं तो जो अधिकार, जो कामरेड...

श्री शोपत सिंह : यह पेज गिन रहे थे, आपका ध्यान मजदूरों की तरफ नहीं था, आपका ध्यान अरबों रुपयों की तरफ नहीं था, राजस्थान की तबाही की तरफ नहीं है, आप पेज गिन रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको गलत फहमी हो रही है। जो कामरेड को विशेष रियायत चेयर की ओर से दी गई है कृपया वो ही रियायत सभी सदस्यों को दें, मैं तो यह कह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री शोपत सिंह : आप तो पेज गिन रहे थे, सुन नहीं रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डॉक्टर किरोड़ीलालजी।

श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, इस विशेष उल्लेख के जरिये एक ऐसे गम्भीर मामले की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकार घोषणा तो लम्बी-पूरी कर रही है लेकिन जिस ढंग के अत्याचार की बात राजस्थान की धरती पर आई है उसका एक जीता-जागता नमूना एक जघन्य अपराध सवाई माधोपुर की धरती पर हुआ है। ग्राम कुनकुना जिला रायपुर (मध्य प्रदेश) की रहने वाली अभागिनी माँ व बेटी करीब बीस-पच्चीस दिन पूर्व सवाई माधोपुर जिले के कस्बा गंगापुर में फ्रंटियर मेल से उतरी थी। किसी सज्जन ने उन दोनों भूखी महिलाओं को पेट भरकर खाना खिलाया। उसके बाद वो वहीं रहकर दिन भर भीख मांगकर खाना खाती, पेट भरती थी और प्लेटफार्म पर सो जाती थीं। चार-पांच दिन बाद कुछ गुण्डों की नजर इन पर पड़ी और इनको अपनी हवश का शिकार बनाने के लिए झपटे। लेकिन इन दोनों माँ-बेटी ने भागकर गंगापुर में स्थित काका होटल में शरण ली। गंगापुर के सुरेश व दिनेश ने उन्हें धर्मशाला में ठहराया। लड़की की माँ ने जैसा कि थाने में बताया है कि इस धर्मशाला में ठहराने के बाद इन दोनों लड़कों ने मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया....

श्री उपाध्यक्ष : यह कहां लिखा है? गंगापुर से बचकर लोकल गाड़ी में बैठकर नारायणपुर के टटवाड़ा स्टेशन पर उतर गई थी...

श्री किरोड़ीलाल मीणा : वो ही पढ़ रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : कहां पढ़ रहे हैं? पढ़िये न उसको। बीच में आप दूसरी बात जोड़ते हैं फिर लिखने में तकलीफ होती है।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : पढ़ रहा हूँ।

श्री हीरासिंह चौहान : कुछ तो बोलने दीजिये साहब।

श्री किरोड़ी लाल मीणा : उसके बाद यह धर्मशाला में कुकर्म करने के बाद में रिक्शे से इस लड़की को छोड़ आये और इस मां-बेटी के पीछे गंगापुर से ही गुण्डे लग गये। गंगापुर से जैसे ही चले, इन गुण्डों के भय के कारण रेल के गार्ड ने इस लड़की और उसकी माँ को नारायणपुर टटवाड़ा स्टेशन पर उतार दिया। वहां पर कुछ लोगों ने और पीछे लगे गुण्डे इन्हें बहला-फुसलाकर ले गये और थाना सपोटरा की नाक के सामने पंचायत समिति के प्रांगण में दर्जनों लोगों ने जमकर जबरन बलात्कार किया जिस सोलह वर्ष की अबोध बालिका राजन्ती सह नहीं सकी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। इन हवशियों ने इतना ही नहीं किया, इन्होंने मृत बालिका को वहां एक पेड़ से लटका दिया और उसकी मां को एक कुएं में जाकर डाल दिया। सुबह जब सपोटरा के लोगों को पता लगा तो उसकी मां को कुंए से बाहर निकाला तो वह जीवित थी। उस बुढ़िया को जब थाने में गांव वालों ने सुपुर्द किया तो इसका मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे का नम्बर 69/89 है जो 376-302 भारतीय दण्ड संहिता की धारा में थाना सपोटरा में 20-6-89 को दर्ज हुआ है। इस बुढ़िया को वहां थाने में जाने के बाद में अचम्भे की बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जैसे ही बुढ़िया थाने में गई, वहां पर उपस्थित दो लोगों को पहचान गई और दो लोग पुलिस के सिपाहियों के, पुलिस के थानेदार का बेटा था। जैसे ही इस बात का पता लगा, उसने इस बात को पहचाना कि पुलिस के थानेदार का बेटा है और एक वहां के हैड कांस्टेबिल का बेटा है तो पुलिस के एस. पी. सवाई माधोपुर आये और थाने में पहुंचकर यह निर्देश दिये कि इस औरत को यहां से गायब कर दो। केवल इतनी सी कार्यवाही की गई कि वहां के थानेदार और हैड कांस्टेबिल को तो लाईन हाजिर कर दिया गया लेकिन उस औरत को वहां से भगा दिया। जिसका आज तक पता नहीं लग पा रहा है जो एक-एक मात्र इस जघन्य अपराध का सबूत थी। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ। एक 16 वर्ष की बेटी किसी सड़क पर भीख मांग रही थी। भीख मांगती बच्ची के साथ दर्जनों लोगों ने बलात्कार किया। बलात्कार के कारण मर गयी, मरने के बाद पेड़ पर लटका दिया और उसकी मां को कुएं में लटका-दिया।

श्री उपाध्यक्ष : नो रिपीटीशन।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़ा ही गम्भीर मामला है। इसको आसानी से नहीं लिया जा सकता है, थाने के सामने पंचायत समिति है उस पंचायत समिति में बलात्कार हुआ। क्या पुलिस सोयी हुयी थी। इन तरह सब कुछ होने के बाद भी, उसके सामने होने के बाद भी····

श्री शोपत सिंह : आप पंचायत समिति की बात करते हो थाने में होता है।

श्री हरीश शर्मा : उसके साथ लगातार बलात्कार होता रहा है और थाना पास में। सवाल उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रक्रिया है उसमें तरीका यह है कि बोल सकते हैं। श्री फूलचन्द।

श्री हरीश शर्मा : श्रीमान् मेरा नाम है बिना नाम के नहीं बोल रहा हूँ क्या होगा क्या वहां के थानेदार प्रधान पर इसकी पेनल्टी लगेगी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको बुलाया नहीं है। आप बैठें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवायें। ऐसा अपराध हुआ है इससे ज्यादा और क्या बरबतापूर्ण कार्यवाही हो सकती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें, प्लीज सिट डाउन। इस तरह से हाउस नहीं चलता है।

श्री हरीश शर्मा : मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास नाम नहीं है अगर नाम है तो आप भी इसमें-दो जनों का हो तो एक पढ़ लेता है और एक को एक मिनिट कह लेने की मैं इजाजत दूंगा। आप बैठिए। अब आप भी समाप्त कर दें।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने इस बात का नोटिस लिया है? आपने हम को तो कह दिया बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा जब तक सरकार इसका जवाब नहीं देगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जानकारी होनी चाहिए कि 295 में ऐसा कोई नियम नहीं है कि सरकार को इस तरह से बाध्य किया जा सके। अगर आप इस तरह करेंगे तो आई विल नेम यू। प्लीज सिट डाउन.... (व्यवधान)

श्री ग्यारसी लाल : इतने दिन हो गये इस काण्ड को हुए अब तक क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी जघन्य घटना हो जाय तो सरकार को कोग्नीजेंस लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए तो निर्देश दूंगा। आप लोग नहीं बैठेंगे तो मैं निर्देश किस को दूंगा। कृपया बैठें। कृपया सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : गृह मंत्री बैठे थे और यह सवाल आया तब उठकर चले गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने सवालों का ही मुद्दा रखें।

श्री हरीश शर्मा : पूरे सदन का ही मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं? बोलिये। डाक्टर साहब आप बिराजें।

श्री हरीश शर्मा : मुझे साफ कहना है एक गरीब भूखी भिखारिन ऐसी जिसका कोई पहचान वाला नहीं, जानने वाला नहीं उस महिला को जिसकी पुत्री, जवान

(श्री हरीश शर्मा)

पुत्री के साथ थानेदार के बेटे ने अपने गिरोह के साथ 24 घण्टे लगातार एक के बाद दूसरा बलात्कार करता रहा है और आप कह रहे हैं कि बैठ जाओ, बार-बार कह रहे हैं कि बैठ जाओ। यह उसकी भूख का नाजायज लाभ उठाया जा रहा है। उसको रोटी खिलायी गयी, दूध पिलाया गया माल खिलायेंगे यह कहकर उसको ले आये। वह ले गये और उपाध्यक्ष महोदय, 24 घण्टे तक उसके साथ बलात्कार किया। आप देखें बलात्कार का क्या स्थान है पंचायत समिति में। बलात्कारियों ने पंचायत समिति के क्षेत्र में, पंचायत के दफतर में बलात्कार का केन्द्र बनाया है। उसकी हत्या हो गयी वह मर गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठे।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बलात्कार करने के बाद उसको पेड़ पर लटका दिया गया पर पुलिस का एक भी आदमी नहीं आया। मां जो जिन्दा थी उसको उठाकर के कुवें में फैंक दिया ताकि कोई गवाह न बचे, प्रमाण न बचे।

श्री उपाध्यक्ष : वह सब डाक्टर साहब ने कह दिया।

श्री हरीश शर्मा : इस केस में 120 भी लगनी चाहिए थी वह धारा नहीं लगायी गयी, क्यों? आप तो वकील हैं 120 लगनी चाहिए थी ना और एस. पी. वहां गया उस एस. पी. ने औरत को वहां से भगाया। केवल थानेदार को लाइन हाजिर किया गया और इस कैस को रफा दफा कर दिया गया। यह कलंक है इस सरकार पर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें Let me speak some thing आपने बोल दिया, उन्होंने पढ़ लिया।

श्री हरीश शर्मा : मैं कह रहा हूं बैठने की बात नहीं उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में सरकार भी मौन रही है, सरकार जवाब नहीं दे तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : बलात्कारी का क्या हुआ उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री हरीश शर्मा : वह महिला अगर किसी पूंजीपति की स्त्री होती तो क्या होता? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें। डाक्टर साहब आप बैठें। प्लीज को आपरेट। मैं कह रहा हूँ आप बैठे तो सही।

श्री हरीश शर्मा : राजस्थान में भयंकर प्रतिक्रिया होती। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर विषय की गम्भीरता को राज्य सरकार लेती तो गृह मन्त्री बीच में से उठकर नहीं जाते और इस मुद्दे पर बयान देते कार्यवाही करने का आश्वासन देते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें तो सही। आप बैठें तो कुछ कहूं आप बैठेंगे नहीं तो कुछ नहीं बोलूंगा।

श्री हरीश शर्मा : लगातार पुलिस थानों में बलात्कार होते जा रहे हैं, बदनामी किसकी हो रही है। मैं घोषणा

(श्री हरीश शर्मा)

करता हूँ मेरी बहन थी, इनकी नहीं थी, महिला मेरी मां हैं, इनकी नहीं हो सकती है, यह तो क्रूर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सब की मां है। प्लीज सिट डाउन।

श्री हरीश शर्मा : यह नहीं समझते। मैं नही बैठूंगा। आप मेरा नाम लीजिए। मैं नही बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका नाम नहीं लूंगा। आप बैठें तो सही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज प्लीज। आप बैठें तो मैं बोलूं। आप बैठेंगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि 295 की जो प्रक्रिया है उसमें तो मैं जवाब के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं इसकी सिरीयसनेस को समझता हूं और मैं इंगित करता हूं राज्य सरकार की ओर कि जो समस्या है अपरेण्टली सिरीयस है उस पर आप तुरन्त कार्यवाही करें, अवगत भी करायें और 295 की प्रक्रिया में जो जवाब है वह 7 दिन के बजाय तीन दिन में दें ताकिDuring the duration of this sesseen अगर कोई बात आये तो डिसकस भी किया जा सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तुरन्त जवाब देंगे और कार्यवाही भी करेंगे। (व्यवधान)

नियमानुसार तुरन्त जवाब भिजवा देंगे।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : आप गृह-मंत्रीजी से बुलवायें वह तो बैठे हैं कमरे में।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे मै पहले ही कह चुका हूँ 295 में बाध्य नही कर सकता हूँ। माननीय श्री फूलचन्द।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति नीम का थाना क्षेत्र में विकास विभाग में नियम विरूद्ध कार्य करने में हो रही भयंकर रूप से लूट के क्रम में। पंचायत समिति नीम का थाना के क्षेत्र में पंचायतों द्वारा विकास के नाम से कार्य शुरू करवाये गये हैं उक्त कार्य विकास विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से लूट करने का अड्डा बन गया है जिन कार्यों की जनता ने भयंकर रूप से शिकायतें भी की है उक्त कार्यों से जनता के हित की बजाय अहित होने जा रहा है। उनमें कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं उक्त क्षेत्र के ग्राम मोठूका (ग्राम पंचायत बेगा की नांगल) में इंदिरा आवासीय योजना के नाम से कुछ भवन बनाये जाने का कार्य शुरू किया है यह कार्य ग्राम मोठूका के मध्य एक गैर मुमकिन तलाई

समय : 1.00 म. पं.

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

है जो बहुत बड़ा जोहड़ है जोहड़ के पेटे में बनाने हेतु नींव खोदी है जबकि उक्त जोहड़ वर्षा के बाद पानी से भर जाता है जिसमें पशुधन पानी पीता है तथा पहाड़ी के नाले वगैरा भी इसी जोहड़ में गिरते हैं। जोहड़ के तीन तरफ आवास के मकान व प्याऊ कूप तथा चौथी तरफ शमशान व कब्रिस्तान बने हुए हैं। गर्मी में जब पानी सूखता है तो यहां पार्क के रूप में बच्चे खेलते हैं। ग्रामवासी उक्त पर शाही विवाह में खुले घूमते है। तथा बच्चे खेलते हैं आसपास गरीब हरिजन

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

निवास करते हैं परन्तु महोदय, सरपंच ग्राम पंचायत बेगा की नांगल ने बदले की भावना से उक्त जोहड़ में मकान बनाने की कुचेष्टा की है जिससे आसपास के घर तबाह हो जायें तथा बरसात में उक्त जगह के आबाद निवासियों के सब रास्ते बन्द हो जायें। मकानों के चारों तरफ पानी ही पानी भर जावे। जिससे वहां की जनता तबाह हो जाये। महोदय, उक्त ग्राम के हरिजनों को जैसे ही इस षडयंत्र का मालूम पड़ा उन्होंने अपने हरिजन वार्ड पंच के मार्फत एक विरोध पत्र राजस्व कैम्प बेगा के नांगल की मीटिंग में विकास अधिकारी को दिया कि जनता के जानमाल की रक्षा करवायें तथा गैर मुमकिन तलाई को नष्ट करने से बचाया जावे। उक्त विनाशकारी कार्य को रूकवाने के लिए उक्त कैम्प में जनता व पंचायत के अन्य सभी पंचों ने भी विरोध किया।

परन्तु महोदय, भारी विरोध के बावजूद उक्त तलाई के पेटे में दो तीन रोज से नींव खोदने का कार्य शुरू किया है तथा कुछ गुण्डों के बल पर उक्त कार्य को बनाने का षड़यंत्र किया जा रहा है। पूरे हरिजन समुदाय में विरोध है तथा उक्त समुदाय के सभी हरिजन पंच भी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। गांव में तनाव की हालत बन गयी है तथा जोहड़ को चारों तरफ से नष्ट करने का षड़यंत्र किया जा रहा है। जिससे उसके पेटे में मकान बनने से पानी खुर्द बुर्द हो जाय और आस पास के सारे मकानों को नष्ट करने की योजना है। गांव के सब लोग बड़े भयभीत हैं। कभी भी भयंकर झगड़ा हो सकता है जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी इसी प्रकार अन्य कार्यों में भी भयंकर अनियमितताएं हो रही हैं। उक्त पंचायत समिति में विकास कार्य की अवैध रूप से विकास अधिकारी अपनी मिली भगत से ही कार्य की स्वीकृति दे रही है। सरपंच ग्राम पंचायत दरीबा में खेल कोठा योजना में भी कार्य करवाये गये हैं जिसमें भी नियम विरूद्ध अपने निजी कृषि कूप पर जो अपने एक छोटी सी ढाणी में है खेल कोठा निर्माण करवाया है जो मापदण्डों के विपरीत है इसी प्रकार अधिक से कार्य नियम व मापदण्डों के विपरीत विकास अधिकारी नीम का थाना की देखरेख में हो रहे हैं उनमें अच्छी खासी लूट की कमाई में सभी लिप्त हैं।

अतः मैं नियम 295 के तहत मांग करता हूं कि इस प्रकार के विकास अधिकारी के द्वारा नियम विरूद्ध कार्य की स्वीकृति के प्रस्ताव भेजने और उन कार्यों को अपने इच्छा से करवाना यह बहुत ही नियम विरूद्ध है। नियम विरूद्ध मापदण्ड के विरूद्ध भी ऐसे कार्य जो गैर मुमकिन तलाई में कराये जा रहे हैं, ऐसे जोहड़ जो गांव में पशुधन के पीने के पानी के काम आते हैं तथा पहाड़ी के पास में गांव तथा नाले वगैराह होते हैं उनमें पानी को रोकने के लिए होते हैं अतः मैं मांग करता हूं कि विकास अधिकारी जो इस प्रकार के हैं, अनियमित कार्य कर रहे हैं उनकी सीधी-जिम्मेदारी मानकर के जानमाल के खतरे के लिये उनको जिम्मेदार माना जाय तथा जो भी सरपंच इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्यवाही करें तथा उनको तुरन्त रोका जाय तथा ऐसे कार्य न हों इसके लिऐ उन्हें पाबन्द किया जाय। अतः मैं मांग करता हूँ कि गैर मुमकिन तलाई जोहड़ और श्मशान और कब्रिस्तान आदि के एरियाज की किस्म को नहीं बदला जाय जिससे उसका दुरूपयोग

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

न हो।

माननीय मैं आपके मार्फत यह मांग करता हूं कि एक ऐसा बहुत बड़ा गांव है जहां हरिजन बहुत सारे निवास करते हैं। गांव के बीच में जोहड़ है और उस जोहड़ में पहाड़ी का सारा पानी भरता है। यानी ऐसी कुछ चेष्ठा की गई है कि जोहड़ के पैंदे में हरिजन आवास के नाम से, इन्दिरा आवासीय....

श्री सभापति : आपने लिख दिया इसमें सारा।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अगर यहां बरसात आई और उसमें पानी भरने के बजाय घरों में घुस गया तो सारा गांव तबाह हो जायेगा। इसलिए मै आपकी मार्फत यह निवेदन करता हूं कि ऐसे कार्यों को तुरन्त रूकवाया जाय जिससे जानमाल का खतरा टाला जा सके। आपसे यही निवेदन है कि आप इस कार्य को तुरन्त रुकवाने के लिए सरकार को जरूर निर्देश दें

एक मिनट, साहब। आप जरूर यह कहें कि इस कार्य को जरूर रूकवायेंगे जिससे ऐसा अनैतिक कार्य जोहड़ में नहीं हो और कहीं भी चाहे कार्य करें तो कोई दिक्कत नहीं। सारे हरिजनों ने विरोध किया है, सारी पंचायत ने किया हैं एक सरपंच की मनमानी से जोहड़ में कार्य करके"

श्री सभापति : हां, मैं कह रहा हूँ आसन की ओर से, सरकार गम्भीरता से ले इस विषय को।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल (निवाई) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवाई नगर में स्थित सिचाई विभाग के डाक बंगले के सामने पानी इकट्ठा होने से दुर्घटना की सूचना देने के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं। निवाई नगर में स्थित सिंचाई विभाग का डाक बंगला के सामने पानी इकट्ठा होने से दुर्घटना होने की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन है कि निवाई नगर में जो सड़क नेशनल हाई वे है, शहर के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक पुलिस थाने के पास तथा डाक बंगला के एकदम सामने जहां सड़क का घुमाव है वहां एक तरफ ढ़लान होने के कारण बरसात का पानी मैन रोड पर इकट्ठा हो जाता है और पास के जो मकान बने हुये हैं उन मकानों तक में पानी चला जाता है। जब सड़क से वाहन गुजरते हैं तो उस पर मार से पानी घरों में घुस जाता है तथा चारों चारों तरफ गन्दगी का साम्राज्य हैं और जब दोनों ओर से वाहन आ जाते हैं तो कई घन्टो तक रास्ता जाम हो जाता है। सभापति महोदय, बड़ी मुश्किल से पानी को निकाला जाकर रास्ता साफ किया जाता है इसी तरह बस स्टेण्ड निवाई पर भी सड़क छोटी होने के कारण मुख्यतया बस स्टेण्ड पर भी भीड़ रहने के कारण आये दिन रास्ता जाम हो जाता है। बाई पास, जो निकाला जा रहा है वह भी अभी तक काफी समय से पूरा नहीं हुआ है तथा वहां भी लोगों को जिनकी जमीन खेती की थी, का मुआवजा अभी तक नहीं मिला हैं और उसी कारण वाहन अधिक चलने के कारण सड़के सारी खराब है। जगह-जगह खड्डे पड़े हुये हैं। पानी भर जाने से सड़क के बीच में गहरा गड्ढा हो जाता है और वह वाहन चालक को दिखाई नहीं देता और वाहन वहीं खराब हो जाता है या टायर फट जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी

(श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल)

समस्या बनी हुई है। अतः निवेदन है कि इस समस्या के आने से पहले या बरसात से पहले सड़क की व्यवस्था ठीक करावें जिससे सड़कों पर पानी नहीं भरे और जन जीवन की हानि न हो। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नारायण राम बेड़ा।

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) : वैसे यह जोधपुर जिले से सम्बन्धित मामला है और जिन मन्त्रीसे संबंधित है वे मंत्री यहां बिराज रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी ने जोधपुर को काफी प्रतिनिधित्व दिया है वह दिख नहीं रहे अगर वह भी होते तो उनको भी मालूम रहता।

श्री सभापति : कृपया बोलें।

श्री नारायण राम बेड़ा : मान्यवर जी, मैं प्रक्रिया कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत अपना विशेष उल्लेख कररहा हूं। जोधपुरजिले के किसानों के लिए डी. आर. डी. ए. से एक ही नल कूप खोदने की योजना लाभदायक रुप से चल रही थी।

श्री नाथू सिंह : इस पार्टी का कितना इन्ट्रेस्ट है इसका नमूना यह 11 सदस्य बैठे हुये है।

श्री सभापति : आपको क्या दिक्कत है, कोरम पूरा है।

श्री नाथू सिंह : नहीं, कोरम का सवाल नहीं है।

श्री सभापति : दैट्स ऑल राइट।

श्री नाथू सिंह : न मिनिस्टर है, न सदस्य है। इनका इन्ट्रेस्ट क्या है?

श्री सभापति : धन्यवाद, ध्यान आकर्षण किया आपने।

श्री नारायण राम बेड़ा : वह पूर्ण रुप से समाप्त हो गयी है। उक्त योजना को भू-जल विभाग द्वारा समाप्त किया गया है।

चूंकि प्राइवेट काश्तकार अपना फार्म भर कर बैंक से ऋण स्वीकृत करवाने के बाद डी.आर.डी.ए. द्वारा अमानत के रूप में 2% राशि जमा कराया करते थे। बाद में वरीयता की सूची बन जाती है फिर डी. आर. डी.ए. भू-जल अधिकारी उक्त सूची के अनुसार नलकूप खोदने का कार्य करते थे। यह एक साधारण प्रक्रिया थी। ठीक इसी प्रकार के अनुसार डी. आर. डी. ए. जोधपुर द्वारा 29-2-88 को 88 नलकूप खोदने की एक सूची काश्तकारों के नाम व गांव के नाम सहित जारी हुई।

इसी सूची को प्राथमिकता अनुसार भू-जल विभाग नल कूप खोद रहा था परन्तु बीच में ही उप शासन सचिव कृषि ग्रुप 5 विशिष्ठ संगठन योजना के परिपत्र मं. 8/2 122 कृषि/84 तारीख 27-3-89 के द्वारा भोपालगढ़ व बिलाड़ा के तहसीलो के 23 नलकूप खोदने बाकी थे। उन सभी को यह कह कर बन्द कर दिया बाकी सभी गांव डार्क जोन में है इसलिए नल कूप नहीं खोदे जा सकते। अतः काश्तकारों ने राशि डी.आर.डी.ए. में वर्ष 1983-84 व 1984-85 में जमा कराई थी। इस प्रकार प्रत्येक काश्तकार को 7से 10 हजार रुपये तक खर्चा आया था और अब काश्तकार को यह कह कर बन्द कर दें कि आपका गांव डार्क जोन में है, यह काश्तकारों के साथ साफ-साफ धोखा है। साथ ही साथ भु-जल अभियंता द्वारा परिपत्र संख्या भूज-वि/89/187 तारीख 3.5.89 द्वारा बताया कि 19

(श्री नारायण राम बेड़ा)

नलकूप डार्क जोन में है जो खोदे नहीं जा सकते। उक्त सिफारिशी पत्र विशिष्ट योंजना संगठन वना बार्ड को भेजा गया। इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ठीक थोड़े समय के बाद भू-जल विभाग के अधिकारियों द्वारा इसके बिलकुल उलटी रिपोर्ट और भेजी जिसमें 8 नलकूप खोदे जा सकते हैं बाकी 19 नलकूप डार्क जोन में बताये। किसानों के साथ दो तरह से अन्याय बराबर हो रहे है।

असल नलकूप की अनुदान राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा बन्द कर देने से भी उक्त योजना समाप्त हो रही है। अतः अब मेरा आपसे निवेदन है कि काश्तकारों की डार्क जोन की जांच करवाई जावे कि कौनसे डार्क जोन एरिया हैं और कौनसे नही हैं। जो सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी बन्द की है उसको दिलवाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें। यही 295 का विशेष उल्लेख के जरिये किसानों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, 295 की रीडिंग कितनी बोर लगती है लोगों को कि आप ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ देखिये, किसी को रूचि नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप अपना 295 पढ़िये ना।

श्री देवीसिंह भाटी : इससे अच्छा तो जैसा लिखकर हमने दिया है, हम सभापति जी को दे दें और बैठ जायें। तात्पर्य क्या निकला ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : रीडिंग का मामला यह है कि तुरन्त जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति : आप कृपया पढ़े। (व्यवधान)

मैं आसन की ओर से कह रहा हूं कि तीन दिन में जवाब भिजवा देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : आज तक तो कभी आया नहीं और ना ही भविष्य में आने की कोई उम्मीद है।

सभापति महोदय, मैं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के जो केनाल सिस्टम है और जिसकी तरफ सरकार की अनदेखी है, किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके बारे में निवेदन करना चाहूँगा।

मान्यवर, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में निर्मित नहरों की स्थिति दयनीय है जिससे स्थानीय किसान तबाह हो रहा है। बरसलपुर शाखाओं आर. डी. से । आर. डी. तक बनाते समय नहर का तल पक्का बनाना छोड़दिया गया जिससे नहर के दोनों तरफ सीपेज से खेतों में जल-भराव हो रहा है। तथा नहर का बायां किनारा घाट के पास हाल ही में क्षतिग्रस्त भी हो गया है जिससे नहर कभी भी टूट सकती है। नहर मिट्टी के भराव वाले करीब हर स्थान पर बैठ गयी है जिससे 625 क्यूसेक्स की नहर 350 क्यूसैक्स पानी चलने पर ही, कई

(श्री देवीसिंह भाटी)

जगह डोलों के किनारे पानी लग जाता है तथा कम पानी चलने के कारण जंगली घास व मिट्टी से भरी रहती है। बुर्जी नंबर 120 से 132 तक टाइल इतनी कच्ची लगाई गई है कि टाइल के झरने से खड्डे पड़ गए हैं। नहर से मिट्टी निकालते की एक मशीन लगी हुई है वह भी प्रायः खराब पड़ी रहती है। बरसलपुर शाखा में कम पानी चलने के कारण या हरी मिट्टी भरी रहती है जिसको निकालने के लिए हर समय ही प्रोक्लेन मशीन की आवश्यकता है। भुट्टों वाली वितरिका, अहमदवाली माइनर के आखिर छोर व रावत माइनर, दातौर वितरिका, सम्मेवाली वितरिका जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है, जिसकी बार-बार शिकायत करने पर भी मरम्मत नहीं की जा रही है जिससे किसानों को काफी क्षति उठानी पड़ रही है। बरसलपुर शाखा की प्रणाली छीला वितरिका, हाई लेवल माइनल, चारणवाली शाखा की विभिन्न प्रणालियों पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवागमन के लिए पुल नहीं बनाये गये हैं जिससे किसानों को कई किलोमीटर चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। बरसलपुर शाखा की विभिन्न प्रणालियों के आखिरी छोर पर कभी सुचारु रूप से पानी नहीं दिया जाता है। विभिन्न प्रणालियों में 8" से 10" के मोगे लगाये हुये हैं जबकि आवश्यकता वर्तमान मोगो से आधे पानी की है। बड़े मोगे लगे होने के कारण किसान दिन में सिंचाई के लिए पानी लगाते हैं और रात को मोगा बन्द कर देते हैं जिससे विभाग वाले नहर टूटने के डर से पूरा पानी नहीं छोड़ सकते। विभाग को पानी की आवश्यकतानुसार मौके पर मोगे लगाने चाहिए जिससे आखिरी छोरों पर पानी पहुंच सके। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा जहां-जहां पक्के नालों का काम पूरा हो चुका हैं वहां निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही मोगे लगे तथा सम्बन्धित चक के अस्थायी मोगे साथ के साथ हटाये जावे अन्यथा पानी की समस्या बनी रहेगी। बरसलपुर शाखा की हाई लेवल माइनर 10 से 13 आर, डी. तक मिट्टी से भरी होने के कारण इसमें पानी नहीं चलाया जा रहा है।

अहमदवाली माइनर 9 आर. डी. के बाद सारी मिट्टी से भरी पड़ी है, नहर के अन्दर से ऊंट गाड़े निकाले जा रहे हैं। मानकासर वितरिका 35 आर. डी. से आगे मिट्टी से ऊपर तक भरी हुई है जिससे नहर व पक्के खालों का निर्माण कार्य ठप्प पड़ा है। नहरों से तुरन्त मिट्टी निकालने की आवश्यकता है जिससे किसान अपनी खरीफ, रबी की फसल समय पर बीज सके तथा जलदाय विभाग की योजनाओं में पेयजल उपलब्ध हो सके।

इन्दिरा गांधी नहर के प्रभारी मन्त्री समय-समय पर दौरा जरूर करते रहे हैं लेकिन समस्या के समाधान के लिए रत्ती भर प्रयास नहीं हुये हैं। द्वितीय चरण की नहरों की स्थिति बहुत शोचनीय है। किसान, विभाग व सरकार के जन प्रतिनिधियों की कार्य प्रणाली व आश्वासनों से ऊब चुका है। किसानों को लाखों रुपये की क्षति उठानी पड़ रही है। देश के खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कराने के पीछे रखा जा रहा है मात्र लापरवाही के कारण से। अतः सरकार स्थानीय किसानों, जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर समस्याओं का

(श्री देवीसिंह भाटी)

निदान करे अन्यथा सरकार को स्थानीय किसानों के रोष का सामना करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मसला है और आज इन्दिरा गांधी केनाल मिनिस्टर यहां मौजूद नहीं है। कृपया आप विशेष किसी मन्त्री को फरमा दें कि इसकी काग्नीजेंस ले और राज्य सरकार का उत्तर तीन दिन में आ जाये जिससे अगली जो डिबेट इसके ऊपर होने जा रही उसमें हम चर्चा कर सकें।

श्री सभापति : मैं आसन की ओर से सरकार को कह रहा हूँ काग्नीजेंस लिया जायें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका 295 काग्नीजेंस ले लिया गया है और तुरन्त जवाब भिजवायेंगे।

श्री सभापति : आपका काग्नीजेंस तो सबको ही लेना पड़ता है, आपके विषय पर खास तौर से ले लिया है।

माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं जिस प्रश्न को नियम 295 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाला की चौकी से काणोजा एक औद्योगिक रोड़ है। इस रोड़ से ब्यावर श्री सीमेण्ट फैक्ट्री का लाखों टन पत्थर ब्यावर को आता है और उसी काणोजा की खानों से देश के कोने-कोने में संगमरमर का पत्थर गया है। केवल यह रोड़ 9 किलोमीटर की है लेकिन पिछले तीन सालों से इस प्रश्न को उठाया जा रहा है।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं पढ़ रहा हूं, मेरी बात की भूमिका तो बनाऊं।

श्री सभापति : भूमिका तो लिखी हुई है उसमें आप पढ़िये।

श्री हीरासिंह चौहान : 295 में माननीय सभापति जी आप एक मैम्बर को बांध नहीं सकते। हमें बोलने से, हमारे अधिकारों से आप रोक नहीं सकते। मैं आसन से प्रोटक्शन चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : जो नियम हैं उन्हीं में चलना पड़ेगा आपको। आप पढ़ें।

श्री हीरासिंह चौहान : राज्य सरकार की घोषित नीतियों के विपरीत विधान सभा क्षेत्र रायपुर के ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 40 किलो मीटर की चार सड़कें क्रमशः चण्डावज नगर से रामपुरा, रावपुर से कुशालपुरा, ब्यावर से बावरा तथा पीपलिया से दोनर बनी हुई हैं। इसके अलावा कोई भी महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण पिछले 40 वर्षों में नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट जाहिर है कि इस विधान सभा क्षेत्र के साथ लम्बे समय से उपेक्षापूर्ण बर्ताव किया जा रहा है जो विकास के नाम पर राज्य सरकार के ऊपर धब्बा है। पिछले सत्र के दौरान 13 से 17 फरवरी, 1989 को विधान सभा क्षेत्र रायपुर के लगभग 15 सरपंच विधान सभा के सामने धरने पर बैठें तथा महामहिम राज्यपाल

(श्री हीरासिंह चौहान)

महोदय से लेकर माननीय मन्त्री महोदय तक ज्ञापन देकर निवेदन किया कि झालाकी चौकी से कानूजा 9 किलोमीटर के वर्षों पुराने मैटल रोड़ का डामरीकरण, हरीपुर से जस्साखेड़ा रोड़, जो मारवाड़ और मेवाड़ को मिलाती है, जिसके मिलाने से 40 किलोमीटर की दूरी कम होती हैं, ब्यावर से बलाड़ा, जिस रोड़ पर 10 पंचायतों के लगभग 50 हजार लोगों का आना-जाना है, डामरीकरण किया जाय लेकिन उस रोड़ को तैयार नहीं करवा रहे हैं। इसके लिए 15 सरपंचों द्वारा घरना देने के बावजूद, ज्ञापन देने और सरकार द्वारा आश्वासन देने के बावजूद सरकार के ऊपर आज तक कोई असर नहीं पड़ा, इसका मुझे दुःख है, खेद है। माननीय सभापति महोदय, गत 11 अक्टूबर, 1988 को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने आसन जिलेलाव गांव में अपनी मन्त्रिमण्डल के अनेक साथियों के साथ एवं ग्रामीण जनता की उपस्थिति में घोषणा की थी कि उक्त गांव को पाली जिले की मुख्य सड़क झालाकी चौकी वाया कानूजा डामरीकरण कर जोड़ दिया जावेगा लेकिन पिछले दिनों में सिर्फ 3 किलोमीटर रोड़ आसन जिलेलाव से कलालिया की स्वीकृति देकर इतिश्री करना चाहा है जो पर्याप्त नहीं है। लोग ऐसा महसूस करते हैं कि यह घोषणा सरकार है। गत पाली संसदीय उप चुनाव में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने ब्यावर से बलाड़ा रोड़ की चार जन सभाओं में यह घोषणा की थी कि ब्यावर से बलाड़ा रोड़ को उस समय से तीन महीने के अन्दर-अन्दर डामरीकरण के आर्डर कर दिये जायेंगे। इस बाबत मैंने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को स्मरण पत्र भी लिखा, बार-बार याद भी दिलाया लेकिन मुझे बड़ा दुःख है कि जब हमने इन को याद दिलाया, कई लोगों के सामने बात की तो कहने लगे कि यह तो चुनाव की घोषणायें थीं, आप कहां आशा करते हो कि चुनाव में जो घोषणायें करते हैं वह सारी पूरी हो जायेंगी।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मुझे खेद है इसलिए मैं आप से प्रोटेक्शन चाहता हूं। निवेदन करना चाहूँगा कि यह एक गम्भीर बात है। सरकार घोषणा करती है, घोषणा करने के बावजूद वह कार्य नहीं होता तो हम कहां जाकर कहेंगे? इस सवाल को मैं बार-बार इस विधान सभा में नहीं उठा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो सड़कों वाला मामला है, पिछले चालीस साल में 40 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी। जो मन्त्री लोगों के क्षेत्र हैं, जहां पर प्रभावशाली लोगों के क्षेत्र हैं वहां सारी ग्रामीण सड़कों का डामरीकरण हो रखा है। इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया अगर हमें नजर आता है तो इससे दुःख और खेद होता है क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग कोई कम टैक्स नहीं देते हैं।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री हीरासिंह चौहान : झाला की चौकी से कानूजा औद्योगिक सड़क है क्योंकि कानाजी भैरू के नावा स्थान से संगमरमर

Page No. 82

(82)

(श्री हीरासिंह चौहान)

वर्षों से निकल रहा है तथा देश के प्रत्येक भाग में जाता है जिससे करोड़ों रुपयों की राज्य सरकार को आमदनी होती है। इसी स्थान से श्री सीमेंट फैक्ट्री, ब्यावर को लाखों टन पत्थर सड़क मार्ग से ब्यावर जा रहा है। लेकिन 15 वर्ष पूर्व निर्मित कंकरीट रोड ऐसी टूट चुकी है कि इस पर वाहन नहीं चल पा रहे हैं। उक्त सड़क ग्राम पंचायत मुख्यालय कानूजा के 4 हजार के इस गांव को जोड़ने के अलावा अजमेर जिले को जोड़ती हुई ब्यावर मुख्य मण्डी, जो इस क्षेत्र की मुख्य मण्डी है, लाखों मन कच्चा माल वहां जाता है, को जोड़ती है। गत दो वर्षों से इस रोड़ पर तीन काज वे क्रमशः आसन लिरोलिया, सूरजकुण्ड तथा कायाभील बनाया गया है। उपरोक्त तीनों ही काज-वे आज अपूर्ण पडे हैं, तीनों पर टेण्डर अनुसार कार्य नहीं हुआ है। सूरजकुण्ड तथा आसन लिरोलिया, जहां सीमेंट का कार्य होना था और इस वर्ष जो कार्य बढ़ाया गया कायाभील स्थान पर, जहां खण्डे के पत्थर जोड़ने थे लेकिन आज दिन तक नहीं जोड़े हैं। विभिन्न प्रकार के अधिकारी जो इससे सम्बन्धित हैं मैं उनसे निवेदन करता रहा हूं लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया रहा है जिसके लिए विभाग के अधिकारी सीधे जिम्मेदार हैं। इसकी अविलम्ब जांच करना आवश्यक है। झालाकी चौकी से वाया कानूजा होकर आसन जिलेलाव तक सीधा रोड़ होने से 70 किलोमीटर की दूरी पाली मुख्यालय से कम हो रही है। औद्योगिक सड़क होने से इसे इसी बजट वर्ष में बनाया जाना आवश्यक है।

अतः विशेष उल्लेख के जरिये मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यह मैं पढ़ चुका हूँ, कि यह महत्वपूर्ण रोड़ है। इसलिए मैं आप से प्रोटेक्शन चाहता हूँ कि जिस प्रकार अन्य प्रश्नों के बारे में आपने व्यवस्था दी, इस बारे में मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से मिल चुका। उन्होंने कहा कि बजट पास होते ही इसकी तरफ ध्यान दिया जायेगा। जो आपका चीफ इंजीनियर है प्रमोदकुमार लोहाड़िया वह एस. आर. के जितने भी पैसे होते हैं उसका पैसा मुख्य सड़कों पर खर्च करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों पर एक पैसा खर्च नहीं करते जबकि स्पेशल रिपेयर प्रोग्राम के पैसे से ग्रामीण क्षेत्रों में कई सैकड़ों मील सड़कें बनायी जा सकती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन उनसे जब-जब भी हम मिलते हैं हर बार कहते हैं कि हम नहीं बना सकते। इसलिए मेरा निवेदन है....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हीरासिंह चौहान : इस बारे में राज्य सरकार से मुझे आश्वासन दिलावें कि इसकी तरफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री सभापति : सरकार इस बारे में कार्यवाही करे।

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार तो सुन ही नहीं रही है, साहब।

मैं एक बार और आग्रह करना चाहूँगा, विनम्र शब्दों में आग्रह करना चाहूंगा।

श्री सभापति : मैंने कह दिया सरकार को इस बारे में।

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार की ओर से कोई तो बोले कम से कम।

श्री सभापति : वह क्या कहेंगे ? मैंने आसन से कह दिया।

श्री हीरा सिंह चौहान : कहें कुछ नहीं, हम भी जानते हैं, इट इज मीयर फार्मेलिटी लेकिन सदन में कुछ बोला जाय रिकार्ड पर तो आता है। कितना कान्जिेन्स लिया जायेगा, सरकार कितना सुनती है, हम क्या बोलते हैं, इसका कितना क्या होता है। सरकार के पास कोई नक्शा ही नहीं है, विकास तो करना ही नहीं चाहती। वह क्या करना चाहती है, क्या करेंगे

श्री सभापति : 295 में पढ़ दिया बस, तीन दिन में जवाब आ जायेगा आप का।

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने इस पवित्र सदन में एक चीज उठायी

श्री सभापति : आपने प्रश्न उठाया और सदन ने प्रक्रिया तय कर रखी है, आपने जो कुछ बोला उसका जवाब आ जायेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : प्रक्रिया सारी हम जानते है कि जवाब के लिए कम से कम····

श्री सभापति : मैं कह रहा हूँ आसन की ओर से कि आपने जो कुछ कहा उसके बारे में सरकार सीरियसली कार्यवाही करे।

श्री हीरासिंह चौहान : Thank You.

श्री सभापति : श्री नाथू सिंह।

श्री नाथूसिंह (टोडाराय सिंह) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत निम्न मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पता चला है कि राज्य सरकार ने पर्यावरण एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के विरुद्ध अभी हाल ही में ओबेराय होटल ग्रुप को प्रदेश की राजधानी से सटे अभयारण्य एवं पुरातत्व महत्व के क्षेत्र नाहरगढ़ की पहाड़ियों में एक लम्बा-चौड़ा होटल बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के पश्चात् यदि किसी वन क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो वनों से सम्बन्धित न हो उसके लिए राज्य के वन विभाग की मार्फत केन्द्रीय वन मन्त्रालय से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। यदि केन्द्रीय वन मन्त्रालय से किसी प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है तो उसके पश्चात राज्य मन्त्रि-मण्डल उसकी स्वीकृति प्रदान कर सकता है और यदि केन्द्रीय वन मन्त्रालय स्वीकृति प्रदान नहीं करता तो किसी भी हालत में उस कार्य हेतु राज्य सरकार स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकती। लेकिन उक्त मामले में न तो राज्य के वन मन्त्रालय ने केन्द्रीय वन मन्त्रालय से अभी तक कोई स्वीकृति प्राप्त की और न ही अन्य नियमों का पालन किया गया है। उक्त ओबेराय होटल ग्रुप जयपुर में लम्बे समय से आलीशान होटल बनाने हेतु पुरातत्व महत्व की ईमारत को

(श्री नाथू सिंह)

लेने की कोशिश कर रहा था। उसमें नाकाम रहने के पश्चात् उच्च स्तर पर सम्पर्क कर कानूनों के विपरीत तुरतफुरत में राज्य मन्त्रिमण्डल से उक्त निर्माण करवा लिया जबकि प्रदेश की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में मन्त्रिमण्डल काफी समय लेता है। इससे सिद्ध होता है कि इस मामले में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। नाहरगढ़ पर होटल बनने से जहां एक ओर वन क्षेत्र नष्ट होगा वहीं प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो जायेगी एवं पुरातत्व महत्व की चीजें नष्ट हो जायेंगी।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने इस होटल को स्वीकृति प्रदान करने में न तो पुरातत्व विभाग से एन.ओ.सी.ली, न फारेस्ट डिपार्टमेंट से एन.ओ.सी. ली और न ही फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 के प्रावधानों का कोई पालन किया गया है। उच्च स्तर पर ओबेराय ग्रुप वालों से मिल कर इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, उनको इजाजत दी गयी है। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें क्या अरजेन्सी थी कि जो मन्त्रि-मण्डल ने तुरतफुरत मीटिंग बुलाकर इसको स्वीकृति प्रदान की ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, एक मिनट।

मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या सेन्ट्रल फारेस्ट मिनिस्ट्री से इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई स्वीकृति ली है ? न तो सेन्ट्रल फारेस्ट मिनिस्ट्री से इसकी स्वीकृति ली गयी, न फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधानों का पालन किया गया। इसके विपरीत यदि आम आदमी राज्य सरकार के पास किसी अच्छे काम के लिए स्वीकृति लेने जाता है तो राज्य सरकार स्वीकृति नहीं देती।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह ओबेराय ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके विरुद्ध दिल्ली में भी कई कार्य-वाहियां चली है। इसलिए, सभापति महो-दय, राज्य सरकार ने....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथू सिंह : यहां की जनता के हितों के विपरीत जाकर....

श्री सभापति : आपने कह दी यह बात।

श्री नाथूसिंह : पूरे जयपुर को प्रदू-षण से कोई बचाता है तो यह पहाड़ियां हैं जिनके ऊपर फोरेस्ट है जो जयपुर को प्रदू-षण से बचा रही हैं और जयपुर को प्रदूषण से बचाने वाली चीज नष्ट की जा रही है, राज्य सरकार इस प्रकार की कार्य-वाही कर रही है। इस सम्बन्ध में आरोप लगाना चाहता हूं कि बडे बड़े लोगों से सम्पर्क साधकर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, लाखों रुपयों की हेरा-फेरी हुयी है। सर-कार इस पर तुरन्त कार्यवाही करे और रोक लगावे। मैं तो यही मांग करना चाहता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हरिश-चन्द्र कुमावत। (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : मान-नीय सभापति महोदय, श्री नाथसिंह ने जो

(श्री मोहन छंगाणी)

मामला उठाया है इस सम्बन्ध में आपको इन्टरविन करना चाहिये । इतना गम्भीर मामला है जिसका कोई अन्दाजा नहीं है। यह सिर्फ नाहरगढ़ का ही मामला नहीं है यह जैसलमेर में भी होटल बना रहे हैं जो ऐसी चीज है जिसको हमेशा सुरक्षित रखना चाहिये। नाहरगढ़ के मामले में ट्रेजरी बेंचेज की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा हैं, इतनीबड़ी, बिना सेन्ट्रल गवर्नमेंण्ट के इजाजत के. एन. ओ. सी. दे दी यह कितनी बड़ी गलत बात है। माननीय सभापति महोदय, आपको इन्टरविस करना चाहिये और राज्य सरकार को फोरन इस मामले में जवाब देना चाहिये। हम तो कार्यवाही करेंगे वह तो करेंगे ही पर आपसे भी मेरा यही निवेदन करना है की आप इन्टरविन करें और अभी का अभी राज्य सरकार से जवाब दिलवायें ।

श्री सभापति : अभी का अभी तो सरकार जवाब कैसे देगी ? सरकार इसका जवाब देगी इसलिए मैं कह रहा हूं। श्री हरीशचन्द्र कुमावत । (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : नायला दुर्ग पुरातत्व विभाग का दुर्ग है वह सारा नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। उसको भी होटल के अन्दर दे दिया। सरकार की इस बात से लगता है कि सरकार की ओबेराय होटल ग्रुप्स पर विशेष कृपा है...

श्री हरिकुमार औदिच्य : वन मंत्री महोदय बैठे हैं उन्हें जानकारी हो तो बता दें.... (व्यवधान) गोविन्द सिंह जी आपको जानकारी हो तो बता दीजिये ।

श्री कालीचरण सराफ : रणथम्भौर, नायला का दुर्ग, नाहरगढ़ का किला और दूसरी चीजें दी जा रही हैं....

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, क्या राज्य सरकार मुझे परमिशन देने को तैयार है ?

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : गोविन्दसिंह जी साहब आपको जानकारी हो तो बता दीजिये ।

एक माननीय सदस्य : करोड़ों रुपया रिश्वत के रूप में होटल ओबेराय गुप्स से लेते हैं....

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपको जानकारी नहीं है तो बता दीजिये ना आपसे सम्बन्धित प्रश्न नाथूसिंह जी ने पूछा है, आप कह दीजिये मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (वन मन्त्री) : समुचित उत्तर दे देंगे । समुचित रूप से उतर आपके पास आ जायेगा ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपको जानकारी में नहीं हैं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरी जानकारी में है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपकी चली नहीं मंत्रिमण्डल में ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आपका जवाब आ जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : वन मंत्री जी ने कहा है कि मुझे मालूम है, जवाब आ जायेगा। श्री हरीशचन्द्र कुमावत।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : सभापति महोदय, नावां शहर में राजकीय कन्या हायर सैकण्डरी विद्यालय खोलने व नवीन भवन में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

सभापति महोदय, नावां शहर तहसील हैड क्वार्टर है जहां बहुत पुरानी राजकीय कन्या सैकण्डरी विद्यालय संचालित है परन्तु इसके लिये पर्याप्त भवन नहीं होने से वर्तमान में यह लड़कों की सीनियर हायर सैकण्डरी विद्याय में दूसरी शिफ्ट में चलाई जा रही है तथा इसका आफिस अन्य किराये के भवन में है।

गत वर्ष अकाल राहत के अन्तर्गत कुचामन विकास समिति के प्रयत्नों से दानदाता द्वारा भूमि व करीब आठ लाख का भवन इस विद्यालय का महासूख वियाणोय राजकीय महाविद्यालय व उसके पूर्वजों के नाम से तैयार कराया गया है। दानदाता की इच्छा है कि इतना विशाल भवन जो कि सीनियर हायर सैकण्डरी के लिये पर्याप्त है तथा राज्य सरकार महिलाओं को विशेष प्रोत्साहित कर रही हैं तो इस नवीन भवन में विद्यालय स्थानान्तरित किया जावे इसे सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया जाय। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को बार-बार निवेदन किया गया किन्तु यही कहा जाता है कि बजट प्रावधान नहीं है चूकि अभी बजट पास किया जा रहा है। महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाता है व यही एक विशेष प्रकार का विद्यालय है जिसके लिये नवीन पर्याप्त विशाल भवन निर्माण किया गया है तथा राज्य सरकार ने मान सरोवर स्कीम जयपुर में सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय खोलने की घोषणा की है तो वांवा शहर को इस महिला विद्यालय को भी क्रमोन्नत कराये जाने का विशेष प्रोविजन किया जावे।

मौजूदा समय सैकण्डरी विद्यालय को संचालित करने में नांवा में बड़ी तकलीफ हो रही है जिसे नवनिर्मित भवन में शीघ्राति शीघ्र स्थानान्तरित किया जाना जरूरी है।

अतः दानदाता द्वारा गिफ्ट डीड स्वीकार कराके इसे स्थानान्तरित कराया जावे व इसे सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत किया जावे। जिससे इस तहसील हैड क्वार्टर एवं इसके आस-पास लगे गांवों के लोगों की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके व नवनिर्मित भवन का उपयोग हो सके।

श्री सभापति : श्री राम प्रताप कटारिया।

श्री रामप्रताप कटारिया (आमेर) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके मार्फत सराकर का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे आमेर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हरमाड़ा, भढारणा दीड जरख्या और मोडलां लगभग 2 वर्ष पहले

(श्री रामप्रताप कटारिया)

जयपुर नगर परिषद् सीमा में लिये गये थे। मैं हमारी सरकार से जानना चाहूंगा कि इन गांवों में आज तक किसी भी तरह का कोई विकास कार्य हुआ है क्या ? अगर नही हुआ तो क्यों नहीं हुआ ?

इन गांवों में पीने के पानी के हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, जिनको कोई ठीक करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसी तरह से ग्राम हरमाड़ा में पेयजल समस्या की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, राशन वितरण व्यवस्था नहीं है। मृत पशुओं को उठाने व ग्राम की सभी तरह की सफाई कार्यक्रम व्यवस्था ठप्प हो गयी है जिससे गांव में काफी गन्दगी फैल चुकी हैं। इन गांवों में अधिकतर लोग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लघु सीमान्त कृषक, मजदूर, नौकरी पेशा लोग बसते हैं इन गांवों के बसे हुए 4–5 हजार लोगों का जन-जीवन काफी समस्या में घिरा हुआ है आज यह गांव हर तरह से विकास से वंचित है। जवाहर योजना से इन गांवों का काफी विकास होता पर शहरी सीमा में आने के बाद विकास नहीं हो रहा है। इन गांवों के लोग संकोच में पड़े हुए हैं कि हमारे गांवों को सरकार ने क्यों शहरी सीमा में किया है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने से हम लोग ठीक थे। जब हमारा विकास भी होता था। पंच, सरपंच, सभी जन प्रतिनिधि हमारा ध्यान रखते थे।

सभापति महोदय, मेरा हमारी सरकार से निवेदन है कि इन गांवों को जयपुर शहरी सीमा से निकालकर इन गांवों का विकास करवाने हेतु विशेष ध्यान दिलवाने की व्यवस्था करावें तथा अगर जयपुर शहर व राजस्थान में इस तरह कोई और भी गांव शहरी सीमा में लिए हैं तो उनकी ओर भी ध्यान दिया जावे।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री सभापति : याचिकाओं का उपस्थापन····

श्रीमती विद्या पाठक ···

श्रीमती विद्या पाठक (सागानेर) : सभापति महोदय, मैं निम्नांकित याचिकायें उपस्थापित करती हूं :—

(1) 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ग्राम खटवाड़ा, ग्राम पंचायत महापुरा, पंचायत समिति सागानेर (जयपुर) में मिडिल स्कूल खुलवाने विषयक।

(2) 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ग्राम खटवाड़ा, ग्राम पंचायत महापुरा, पंचायत समिति सागानेर (जयपुर) में पेयजल समस्या विषयक और

(3) तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ग्राम खटवाड़ा, ग्राम पंचायत महापुरा, पंचायत समिति सागानेर (जयपुर) में सड़क निर्माण विषयक····

श्री सभापति : माननीय श्री महेन्द्र शास्त्री ।····(अनुपस्थित)

मांगों पर विचार

मांग-24 संख्या शिक्षा, कला एवं संस्कृति

अनुदान की मांग, मांग संख्या–24

(श्री सभापति)

शिक्षा, कला एवं संस्कृति, श्री दामोदरदास आचार्य, शिक्षा राज्य मन्त्री विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री दामोदरदास आचार्य (शिक्षा, राज्य मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5 अरब 19 करोड़, 65 लाख 97 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा लेखानुदानित राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

(1) **श्री चन्द्रशेखर** (खैरथल) :

1. संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने के लिए खैरथल कस्बे के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिए।

2. अलवर जिले की पंचायत समितियों में पूर्व में लगे अध्यापक जिनका चयन नहीं हो सका। उन्हें पुनः शिक्षक के रूप में लगाने के क्रम में चर्चा के लिए।

3. सन् 1988-89 में खोले गये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(1) **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) :

(2) **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़) :

4. चूरू जिले की विभिन्न स्कूलों में रिक्त स्थानों पर अध्यापकों की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(1) **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) :

(2) **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) :

(3) **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़) :

5. सैकण्ड्री विद्यालयों को 10 जमा 2 में बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

6. निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ में चल रही अध्यापकों की कमी को दूर कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

7. जिला बांसवाड़ा के गांव जहांपुरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोलने से आदिवासी क्षेत्रों में भारी आक्रोश की स्थिति पर चर्चा के लिए।

8. जिला बांसवाड़ा के गांव छोटीसर में सैकण्ड्री स्कूल नहीं खोलने से लड़कों में व्याप्त भारी आक्रोश पर चर्चा के लिए।

9. जिला बांसवाड़ा के गांव खेड़ाव डलिपाड़ा में उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिए।

10. जिला बांसवाड़ा के गांव नवा

(श्री बहादुर सिंह)

गांव में सैकण्ड्री स्कूल नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. जिला बांसवाड़ा में शिक्षा के प्रचार-प्रसार की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री विजय सिंह (रूपवास) :

12. भरतपुर से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर रूपवास से धौलपुर सड़क मार्ग के बांई तरफ स्थित दाऊजी के मन्दिर को पुरातत्व विभाग द्वारा अधिगृहित कर इनकी मरम्मत और देखभाल करने हेतु चर्चा के लिए।

13. रूपवास भरतपुर में तालाब तथा इसके पास बनी बिल्डिग को पुरातत्व विभाग द्वारा अधिगृहीत कर तालाब की सफाई तथा बिल्डिग की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिए।

14. रा. मा. वि. खान सूरजापुर (भरतपुर) को 10 जमा 2 में कृषि विषय से क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिए।

15. रा. मा. वि. गहनोली मोड (भरतपुर) को राज. सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री केशरदेव महरड़ा (लक्ष्मणगढ़) :

16. साखूतन हनुमानगढ़ में 500 की जनसंख्या वाले ग्रामों में नया प्राथमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

17. ग्राम सांखू की संस्कृति मन्डली द्वारा आयोजित कार्यक्रम को प्रदेश भर में प्रदर्शित कराने एवं प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु चर्चा के लिये।

18. ग्राम बीदसर में मीलों की ढ़ाणी में नया स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

19. ग्राम पंचायत हैड क्वाटर खीवासर तससील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में उच्च प्राथमिक स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) :

20. रतनगढ़ क्षेत्र में लाधडसर, जालेऊ, सेहला, जेगंन्जिया में माध्यमिक स्कूलों की व नोसरिया, जादवा, सुलखाणिया, चरंपासी, अखडसर, छानूसर आदि गांवों में उच्च प्राथमिक पाठशालाओं बाबत चर्चा के लिये।

(1) **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) :

(2) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

21. श्री सरस्वती विद्या पीठ कोटा को अविलम्ब राज्याधीन किये जाने के विषय में चर्चा के लिये।

(1) **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) :

(2) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

22. कोटा गन नगर में नृत्य व संगीत केन्द्रों की व्यवस्था विभाग द्वारा किये जाने तथा कलाकारों के प्रोत्साहन के लिये उन्हें पुरुषकृत किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) :

23. रामगंज मण्डी में महाविद्यालय खोले जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

24. ग्राम ब्राह्मणों की ढाणी तल देवरोड़ तथा सुल्ताना की कन्या शालाओं को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किये जाने पर चर्चा के लिये।

25. ग्राम क्रिडवाना में माध्यमिक शाला खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) :

26. ग्राम टोडरपुर तहसील मुण्डावा जिला अलवर के स्कूल को क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये।

27. ग्राम राजवाड़ा तहसील मुंडावा, जिला अलवर के विद्यालय को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

28. झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के ग्राम ढंढरिया में उच्च प्राथमिकशाला खोले जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) :

29. मुंडावा क्षेत्र में (अलवर जिले) हटूण्डी को क्रमोन्नत नहीं करने से क्षेत्रीय जनता की भावना को ठेस पहुंचने पर चर्चा के लिये।

30. अलवर जिले के निर्वाचन क्षेत्र मुंडावा के गांव मातौर के विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं करने से क्षेत्र में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

(1) **श्री महेन्द्र शास्त्री** (मुण्डावर) :

(2) **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) :

31. शिक्षा के विकास के नाम पर प्रांत में बढ़ रहे असन्तुलन पर चर्चा के लिए।

32. संस्कृत एवं कला के विकास को सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप नहीं ढाला जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए।

33. कला एवं संस्कृति के विकास के नाम पर कोई कारगर कदम नहीं उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. शिक्षा के स्तर में दिनोंदिन गिरावट आने पर एवं नवोदय विद्यालयों के खोलने में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिए।

श्री ब्रजेन्द्र सिंह (बयाना) :

35. बयाना (भरतपुर) में कालेज खोलने हेतु चर्चा के लिए।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

36. ग्रामीण स्कूलों में अध्यापकों के पदों पर ग्रामवासियों के लगाये जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

37. पाली जिले की पाठशालाओं के

(श्री पोकरलाल परिहार)

रिक्त पदों पर अध्यापक लगाने हेतु चर्चा के लिये।

38. रानी व देसूरी (पाली) कन्या पाठशालाओं में अध्यापकों के स्थान पर अध्यापिकाएं लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) :

(2) **श्री केदारनाथ शर्मा** (गंगानगर) :

39. नई शिक्षा नीति से ग्राम विद्यालयों व अध्यापकों में व्यापक रोष पर चर्चा के लिये।

40. हनुमानगढ़ नेहरू मेमोरियल कालेज की अनुदान राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. कालेजों में पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिये होस्टल्स की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

42. एस. टी. सी. स्कूल नवलगढ़ को अन्यत्र स्थापित करने की चर्चा से जनता एवं छात्रों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

43. ग्राम-बाय, तहसील - नवलगढ़, जिला- झुंझुनू में पर्याप्त भवन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खुलने पर जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

44. शाहपुरा-जिला भीलवाड़ा की एस. टी. सी. स्कूल की टाइट बनने पर भी शाहपुरा में ही रखा गया है जबकि नवलगढ़ की एस. टी. सी. स्कूल को टाइट के नाम पर जिला मुख्यालय पर ले जाने के दोहरे मापदण्ड से छात्रों एवं जनता में व्याप्त असंतोष तथा एस. टी. सी. स्कूल को नवलगढ में ही रखवाने हेतु चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं का सैकण्डरी स्कूल नहीं होने से पढ़ाई में हो रही बाधाओं पर चर्चा के लिये।

46. नवलगढ़ जिला– झुंझुनू में पचास हजार की आबादी होने पर भी आई. टी. आई. विद्यालय नहीं खोलने से बेरोजगारों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

47. नवलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर कोई भी सरकारी सैकण्डरी एवं सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के अभाव से छात्रों की हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

48. नवलगढ़ के कन्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय को सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

49. जसवंतगढ़ जिला नागौर में लड़कियों के हाई स्कूल में पुरूष अध्यापक लगाने व उन पर गंभीर आरोप होते हुए भी उनको वहां से नहीं हटाने पर चर्चा के लिये।

50. कस्बा लाडनूं जिला नागौर में लड़कियों की शिक्षा के लिये सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं होने के कारण उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

51. तहसील लाडनूं जिला नागौर में जैन विश्व भारती लाडनूं के माध्यम से चलाये जा रहे प्रौढ़ शिक्षा विशेष कार्यक्रम में की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

52. नागौर जिला पुस्तकालय की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

53. जिला शिक्षा अधिकारी नागौर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में की गई मनमानी व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

54. नागौर के प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी द्वारा सामान की खरीद में लाखों रुपयों का घोटाला किया जाना और आडिट एतराज के बावजूद सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

55. ग्रामीण क्षेत्रों की मिडल स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. प्रधानाध्यापकों मिडल स्कूल, सुनारी तहसील लाडनूं जिला, नागौर के विरुद्ध गम्भीर आरोप होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

57. कस्बा लॉडनूं के पुरातत्व के महत्वपूर्ण स्थानों की उपेक्षा करना एवं उचित संरक्षण प्रदान नहीं किये जाने से हो रही राष्ट्रीय हानि पर चर्चा के लिये।

58. नागौर जिले के पुरातत्व के महत्वपूर्ण स्थानों के सर्वेक्षण व संरक्षण में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

59. कस्बा लाडनूं जिला नागौर में पुरातत्वीय सर्वेक्षण में बरती जा रही शिथिलता एवं इस क्षेत्र की उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द गूर्जर (नीम का थाना) :

60. पंचायत समिति नीम का थाना में ब्लैक बोर्ड स्कीम में पूरी सुविधाएं न देने पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

61. पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के अनेक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

62. बालोतरा के राजकीय सीनियर हायर सैकेण्डरी गर्ल्स विद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (विषय) प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. पचपदरा ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. कला एवं संस्कृति विभाग को गतिशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. जसोल (औद्योगिक एवं 12 हजार की आबादी वाले) ग्राम के कन्या उच्च माथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

66. बड़नामा (पचपदरा) में युवा गायक कलाकारों को दयनीय स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

Page No. 93

(93)

(श्री चम्पालाल बांठिया)

67. पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख गांवों में खेल के मैदान सुरक्षित रखने एवं उन पर से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा को लिये ।

68. बाड़मेर जिले में प्राचीन कला को जीवित रखने हेतु संग्रहालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

69. बालोतरा में आई.टी.आई. अब तक प्रारम्भ नहीं किये जाने से आ रही कठिनाई के लिये ।

70. बालोतरा में नगरपालिका द्वारा बनाये जाने वाले स्टेडियम में विभागीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

71. बालोतरा में महाविद्यालय इसी वर्ष प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

72. सीकर जिले के कटराथल दौलत पुरा ग्रामों की संयुक्त कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की क्रमोन्नति लम्बे समय से विचाराधीन होने पर चर्चा के लिये ।

श्री मुल्ताना राम (जैसलमेर) :

73. महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों तथा प्राध्यापकों को आरक्षण पद स्थापन नहीं करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

74. जैसलमेर जिले में वर्ष 1988-89 में खोले गए उच्च प्राथमिक शालाओं में स्टाफ अभी तक नहीं लगाने से छात्रों को हो रही हानि पर चर्चा के लिये ।

75. जैसलमेर जिले में ग्राम सम व लाठी में माध्यमिक स्कूलें शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

76. जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायत मुख्यालयों की प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये ।

77. जैसलमेर जिले में कोठारी महाविद्यालय में पी. जी. कक्षाएं शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. जैसलमेर जिले के ग्राम सेऊवा (राघवा) में वर्ष 1988-89 में क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक शाला को अभी तक शुरू नहीं करने व स्टाफ नहीं लगाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

79. जैसलमेर जिले की शालाओं में छात्रों के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

80. जैसलमेर जिले की समस्त पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

81. जैसलमेर जिले को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष श्रेणी में मानकर अधिक सुविधाएं दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

82. जैसलमेर जिले में स्कूलों के प्रांगण में अध्यापक आवास सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

83. जैसलमेर जिले की पाठशालाओं में छात्रों के पेयजल हेतु टांका निर्माण एवं

(श्री मुल्ताना राम)

पाइप लाइन से जोड़ने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. जैसलमेर में जिले की पाठ शालाओं में कई वर्षों से खेलकूद सामान उपलब्ध नहीं होने से खेल प्रतियोगिता से पिछड़ने पर चर्चा के लिये।

85. जैसलमेर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद पर शीघ्र पदस्थापन हेतु चर्चा के लिये।

86. जैसलमेर जिले में उच्च प्राथमिक शालाओं में पी.टी.आई. नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. जैसलमेर जिले में पाठशालाओं में कार्यरत स्थानीय एवं अन्य अध्यापकों को दो-तीन वर्ष से एक ही जगह नहीं लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

88. राज्य में महिला शिक्षा का प्रतिशत कम होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं करने के कारण महिला शिक्षा का प्रतिशत कम होने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

89. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये 500 से अधिक आबादी के ग्राम-राजपुरा, पातलवास, पाटण, भटेरी, भुडसा पड़ासोली, जटबाड़ा, फाल्यावास, बराला, कूथाड़ा कला, घाटा, कचोलिया, मनोहरपुरा में कन्या शाला नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. जयपुर जिले की बस्सी नगरपालिका क्षेत्र में 300 से अधिक आबादी की ढाणी ढोला की बाडया, बालाजी वाली ढाणी, जोड़ला कुआ ढाणी, में विभागीय प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

91. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में असुरक्षित विद्यालय भवनों के सुधार व मरम्मत के लिये सूचना प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा व्यवस्था नहीं किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

92. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजपुरा-पातलवास (जयपुर) में छात्र संख्या 300 होते हुए भी केवल 6 अध्यापक ही विद्यालय में होने से उत्पन्न गतिरोध पर चर्चा के लिये।

93. राजस्थान फ्लाईंग ट्रेनिंग के लिये जयपुर जिले को तहसील बस्सी के ग्राम रोजवाड़ी में हैलीपैड बनाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

94. गैर सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों द्वारा अध्ययनरत छात्रों से मनमाना शुल्क वसूल करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

95. गैर सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों से सरकारी विद्यालयों से अधिक शुल्क लेने की स्थिति में सहायता नहीं दिये जाने तथा सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षा के स्तर को सुधारने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

96. माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को विद्यालय छोड़ने व जिला

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

शिक्षा अधिकारी के यहाँ सरकारी कार्य पर यात्रा करने के लिये एक शिक्षा सत्र के लिए कम से कम दिन निर्धारित कर विद्यालयों से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति को रोके जाने हेतु चर्चा के लिये।

97. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र व्यवस्थित एवं नियमित चलाने के लिये स्थानीय लोगों को निगरानी कमेटी बनाये जाने तथा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

98. जयपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में उच्च प्राथमिक विद्यालय सांभरिया, रोजवाड़ी, पालावाला जाटान, बैनाड़ा, महादेवपुरा, रूपाहेड़ी को क्रमोन्नत नहीं कर ग्रामीण लोगों को अध्ययन सुविधा से वंचित रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. जयपुर जिले के ग्रामीण कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. राज्य से ग्रामीण क्षेत्र में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बने पहले गायत्री स्टेडियम रोजवाड़ी (जयपुर) के विकास के लिये खेल-कूद विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

101. राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम स्तर पर बने पहले गायत्री स्टेडियम रोजवाड़ी (जयपुर) में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने में उपेक्षा किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

102. जयपुर जिले के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तूंगा के प्रधानाध्यापक द्वारा अनियमित तथा अनावश्यक रूप से की गई खरीद की निष्पक्ष जांच कराने हेतु चर्चा के लिये।

103. जयपुर जिले के ग्राम रोजवाड़ी में उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. जयपुर जिले की तहसील बस्सी एवं चाकसू के बालक एवं बालिकाओं में खेल-कूद का सामान उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक बालिका विद्यालय बड़वा, जटवाड़ा मोहनपुरा, बैनाड़ा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किये जाने से बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखे जाने पर चर्चा के लिये।

106. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में खोले गये नवीन संस्कृत प्राथमिक विद्यालयों में संस्कृत अध्यापक नहीं लगाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

107. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम सभी प्रोढ़ों को साक्षर बनाये बिना बन्द कर दिये जाने से संदर्भ में चर्चा के लिये।

109. बस्सी (जयपुर) में कालेज नहीं खोल कर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित रखने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

110. आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति बस्सी के विद्यालयों को सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

111. जयपुर जिले की बस्सी एवं चाकसू में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य मोहल्लों व ढाणियों में औपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

112. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में स्कूल भवनों की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. राजकीय प्राथमिक विद्यालय मानपुर पंचायत समिति झाड़ोल जिला उदयपुर को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. राजस्थान में निरन्तर शिक्षा स्तर में हो रही गिरावट से उत्पन्न चिन्ता पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

116. शिक्षा-भवनों की मरम्मत व पानी, शौचालयों आदि की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

117. समय पर परीक्षाएं व परिणाम घोषित न होने से विषम स्थिति व कई बार विद्यार्थी का एक वर्ष खराब होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. राजस्थानी भाषा व साहित्य के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता व इसके शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

119. स्कूलों में खेलकूद के पर्याप्त साधन व मैदान न होने पर चर्चा के लिये।

120. गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर चर्चा के लिये।

122. ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को विशेष सुविधा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. जोधपुर विश्वविद्यालय के इन्जीनियरिंग संकाय के दोषी प्रोफेसरों के विरुद्ध कार्रवाई न करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

124. जोधपुर विश्वविद्यालय में सिंडीकेट द्वारा बजट पारित करने पर आपत्ति व फिजूल खर्ची होते हुए भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

125. जोधपुर में अभी तक महिला पोलीटेक्नीक कालेज न खोलने से छात्राओं को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये

(श्री बिरदमल सिंघवी)

126. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये।

127. छात्र संघों के चुनाव समय पर नहीं होने की स्थिति से छात्रों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन):

128. ग्रामीण लोक कलाकारों को विशेष ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. केशोराय पाटन क्षेत्र के लाखेरी नगर में कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. कापरेन सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में एन. सी. सी. खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. केशोरायपाटन क्षेत्र के सैकण्डरी स्कूलों में कृषि विषय खोले जाने पर चर्चा के लिये।

132. केशोराय पाटन क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर विभागीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. बून्दी जिले की उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद अतिशीघ्र भरने हेतु चर्चा के लिये।

134. केशोराय पाटन क्षेत्र की मायजा दईखेड़ा, हिन्गोनिया, घाटका बराना, भीया भाली का बराना, बड़ाखेड़ा विद्यालयों को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

135. लाखेरी में आई. टी. आई. खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. कापरेन में बालिका हायर सैकण्ड्री खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. केशोरायपाटन क्षेत्र की अड़ीला हिंगोनिया, जैथल-दईखेड़ा, चितावा आदि गांवों में कन्या विद्यालय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

138. बून्दी की चित्र शैली को विकसित करने के लिये नई योजनायें बनाने एवं और अधिक आर्थिक सहयोग दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित छात्रों को रिक्त पदों पर अस्थाई तौर पर लगाया जाकर पूर्ति करवाई जाने पर चर्चा के लिये।

140. ग्रामीण क्षेत्र के लोक कलाकारों को विशेष प्रशिक्षण दिलाने एवं प्रदेश स्तर के दौरों द्वारा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने, प्राचीन राजस्थानी साहित्य का प्रचार प्रसार कर लोक जागृति उत्पन्न करने की विफलता पर चर्चा के लिये।

142. कन्या विद्यालयों में रोजगारोन्मुखी एवं घरेलू कार्य आदि से सम्बन्धित शिक्षा दी जाने पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री किरोड़ी लाल मीणा** (महुआ)

(2) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) :

143. ग्राम धनौली पंचायत समिति सवाई माधोपुर में पर्याप्त आबादी व अनुसूचित जाति/जनजाति का बाहुल्य होते हुए भी 38 वर्ष पुराने प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

144. राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली में दीर्घावधि से भौतिक शास्त्र के अध्यापक के अभाव में शिक्षा के गिरते स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

145. ग्राम पंचायत कुढबिल पंचायत समिति टोडाभीम के गांव मोहनपुरिया में पर्याप्त जनसंख्या होने के बावजूद भी कोई विभागीय प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

146. राजकीय महाविद्यालय दौसा में दीर्घावधि से बने छात्रावास में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं कराने के कारण छात्रों के उसमें नहीं रह पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

147. विश्वविद्यालय परिसर स्थित अम्बेडकर छात्रावास में स्नातकोत्तर छात्रों के अतिरिक्त नियम विरुद्ध अन्य छात्रों को छात्रावास में रखने से उत्पन्न स्थिति पर भी विश्वविद्यालय को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

148. सनातन धर्म शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, अजमेर की मान्यता रद्द करने के बाद पुनः मान्यता दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

149. राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में दीर्घावधि से छात्रसंघ के चुनाव नहीं होने से छात्रों में असंतोष व्याप्त होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

150. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की उत्तर पुस्तिकायें रेल दुर्घटना में जल जाने के बाद परीक्षा का पुनः आयोजन न किए जाने से परीक्षा परिणाम के आंकलन में कठिनाई व देरी होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के प्राप्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

151. शिक्षा विभाग में विभिन्न सेवा पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

152. प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को दी जा रही मान्यता से शिक्षा के गिरते स्तर व ऐसे स्कूलों के संचालकों द्वारा छात्र अभिभावकों की हो रही लूट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

153. सवाई माधोपुर में शाहनगर हायर सैकण्डरी स्कूल को राज्य सरकार द्वारा अभी तक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत नहीं किये जाने व उनके लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

154. ग्राम मंडावर पंचायत समिति महुआ में सरकार द्वारा आश्वासन दिये

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

जाने के बावजूद भी अब तक संस्कृत मिडल स्कूल नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

155. शारीरिक शिक्षा विद्यालय सूरौठ (सवाई माधोपुर) में भ्रष्टाचार व धांधली के बढ़ते रहने व फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

156. ग्राम ऊकरूंद पंचायत समिति महुआ में निर्मित छात्रावास में निर्माण से अब तक किसी छात्र के नहीं रहने व बिल्डिंग में पशुओं के बांधने व चारा भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

157. महुआ (सवाई माधोपुर) में आवश्यकता होते हुए भी महाविद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

158. दिनांक 5-8-83 को महोली (सवाई माधोपुर) प्रधानाध्यापक का फर्जी प्रार्थना-पत्र के आधार पर किये गये स्थानांतरण व प्रधानाध्यापक द्वारा दिये गये पुष्ट प्रमाणों के बावजूद भी दोषी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

159. केन्द्रीय लाइब्रेरी बीकानेर में फैली अव्यवस्था जर्जरित इमारत, प्रशासनिक अव्यवस्था व उदासीनता के कारण दुर्लभ साहित्य के दिनों दिन नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

160. तकनीकी अनुदेशक सादुल हायर सैकण्डरी स्कूल बीकानेर द्वारा सन् 1985 में फर्जी व्याख्याता पदनाम बदलकर पुरस्कार प्राप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

161. डीग (भरतपुर) के नन्द भवन की मरम्मत के लिए केन्द्रीय सहायता मिलने के बावजूद दिनोंदिन खत्म हो रही कला संस्कृति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

162. खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा छात्रों को पूरी सुविधा न देकर अधिक फीस लेने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

163. प्रदेश में लम्बे समय से कालेज छात्र संघों के चुनाव न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

164. हिन्दू संस्कृति एवं कला को उचित संरक्षण न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

165. प्रदेश में शिक्षा के स्तर में निरन्तर गिरावट आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

166. प्री. बी. एड. परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में मेरिट लिस्ट पूरे प्रदेश को एक न बनकर जिलावाइज अलग-अलग बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

167. कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रहने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

168. प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय से

(श्री हरीश शर्मा)

माध्यमिक शिक्षा तक के पाठ्यक्रम में ली जाने वाली पुस्तकों का भली प्रकार विद्वान शिक्षा पंडितों द्वारा बिना अध्ययन करवाये ही पाठ्यक्रमों में पुस्तकों को सम्मिलित करने की स्वीकृति दे देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

169. बांरा महाविद्यालय में चलने वाली विधि कक्षाओं को बन्द करा देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

170. बूंदी के भित्ती चित्रों तथा कमलेश्वर महादेव जैसे तीर्थ स्थान को पर्याप्त संरक्षण न मिलने से नष्ट होती जा रही भित्ती चित्रकला पर चर्चा के लिये ।

171. हाड़ौती क्षेत्र की कला एवं संस्कृति को संरक्षण न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

172. प्रदेश के सैंकड़ों प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था, पर्याप्त अध्यापक, भवन की व्यवस्था, मेज कुर्सी टाट पट्टियां, क्रीड़ा सामग्री, पुस्तकालय, आदि की समुचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये ।

173. प्रदेश में स्थित प्राइवेट बी. एड. कालेजों द्वारा हर वर्ष हजारों विद्यार्थियों से लाखों रुपये धोखा देकर लेने तथा जाली डिग्रियां देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

174. प्रदेश में बढ़ रहे प्राइवेट स्कूलों की संख्या तथा लगातार बढ़ रहे किताबों के बोझ और महंगी होती जा रही शिक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

175. प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चों को नैतिक देश भक्ति, आचरण, व्यवहार, भारतीय संस्कृति तथा चरित्र निर्माण तथा वीरता का अध्ययन न करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

176. हल्दीघाटी के ऐतिहासिक मैदान के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

177. कोटा में होने वाले हर वर्ष हाड़ौती उत्सव को सहायता एवं संरक्षण प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

178. झालावाड़ जिला मुख्यालय के महाविद्यालय में विधि कक्षायें न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

179. बारां महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल):

180. गांव बामनपाड़ला, जिला बांसवाड़ा में माध्यमिक विद्यालय भवन की जीर्ण एवं जर्जर स्थिति से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये ।

181. गांव कन्डावा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के जीर्ण शीर्ण अवस्था से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये ।

182. गांव सेनावास, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा के आसपास 17 प्राथमिक विद्यालय व 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय होने के बावजूद माध्यमिक विद्यालय नहीं

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

खोले जाने से छात्रों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

183. गांव गरणावर तहसील घाटोल में प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जाने पर हो रहे जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ़):

184. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा चालू करने पर चर्चा के लिये ।

185. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति को शिक्षा निःशुल्क दी जाने पर चर्चा के लिये ।

186. सूरतगढ़ कालेज एवं गर्ल्स स्कूल व हायर सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने पर चर्चा के लिये ।

187. श्री विजयनगर राव जैतसर गर्ल सैकण्डरी स्कूल में प्रधानाध्यापिका दो साल से नहीं है इस पर चर्चा के लिये ।

188. हैड 365 में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

189. अनूपगढ़ श्री विजयनगर में कालेज खोलने पर चर्चा के लिये ।

190. श्री विजयनगर में गर्ल्स कालेज खोलने पर चर्चा के लिये ।

191. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में चक LE (ए) शिवपुरी 15 जी. बी.=29 जी. बी.=33 जी. बी.=2 ए=पतरोड़-रोजड़ी 4 एल. एस. एम. की प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये ।

192. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भाती वाला घडसाना नई मण्डी घडसाना पुरानी मण्डी-रावला-राजियासर की उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये ।

193. राजियासर सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भवन बना हुआ है वहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

194. रावलामण्डी में कालेज खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

195. पुरानी मण्डी में घड़साना में हाई स्कूल की बिल्डिंग सरकार द्वारा बनाई गई है फिर भी स्कूल चालू नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

196. घड़साना नई मण्डी हाई स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये ।

197. गांव भातीवाला में हाई स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये ।

198. मण्डी श्री विजयनगर में कालेज खोलने पर चर्चा के लिये ।

199. अनूपगढ़ में कालेज चालू कराने पर चर्चा के लिये ।

200. श्री विजयनगर मण्डी गर्ल्स स्कूल में दो वर्ष से प्रधानाध्यापिका नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

201. मण्डी जैतसर में गर्ल्स सैकण्डरी

(श्री हंसराज मिढा)

स्कूल में एक साल से प्रधानाध्यापक का पदस्थापन नहीं होने से व्याप्त कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

202. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पंचायत हैडक्वार्टरों पर हाई स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये।

203. गांव संगीता में हाई स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

204. चक नं. 33 जी.बी. में मिडल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

205. गोगामेड़ी-5 (बी-2 एम.) में मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

206. चक 15 जी. बी. में मिडल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

207. गांव खानूवाला में हाई स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

208. गांव ढाबा में मिडल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

209. गांव गोमावाली–3 एन. डी. ढाबा (12 के.एन.डी.) कूपली में शिक्षा का प्रसार करने हेतु चर्चा के लिये।

210. गांव बिलोचिया में हाई स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

211. चक 4 बी. एल. डी. में हाई स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

212. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कालेज, हाई स्कूल, 10+2 की शिक्षा आदि कमियों को ध्यान में रखकर कमी पूरी करने हेतु चर्चा के लिये।

213. सूरतगढ़, श्री विजयनगर, जैसतर, रामसिंहपुर, अनूपगढ़, घड़साना-रावला-365 में कला एवं संस्कृति के कार्यक्रम चालू कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

214. राजस्थान में विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्वरूप में अनुरूपता रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. नाथद्वारा में कला एवं संस्कृति का केन्द्र टेम्पल बोर्ड की सहायता से स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

216. ग्राम दासूड़ी तहसील नोखा, कोलायत के मिड्ल स्कूल को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

217. ग्राम हिम्मतसर व काकड़ा तहसील नोखा में गर्ल्स स्कूल खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

218. ग्राम गजरूप देसर मोरखाणा की मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

219. ग्राम जसरासर व पाँचू तहसील नोखा में गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल की सुविधा देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

220. ग्राम चिताणा (खायड़ा)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मिडल स्कूल को क्रमोन्नत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

221. ग्राम मेनसर तहसील नोखा के स्कूल को क्रमोन्नत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

222. ग्राम थावरिया व झाड़ेली तहसील नोखा के मिडल स्कूल को सैकण्रडी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

223. ग्राम साधासर तहसील नोखा के मिडल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

224. ग्राम बाधनूं तहसील नोखा को मिडल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

225. ग्राम कुचोर आथूणी तहसील नोखा की मिडल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

226. ग्राम साधूना तहसील नोखा की मिडल स्कूल को क्रमोन्नत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

227. ग्राम पंचायत ढींगसरी तहसील नोखा में मिडल स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

228. ग्राम बधाला तहसील नोखा की प्राथमिक शाला को मिडल स्कूल में क्रमोन्नत करने में बरते जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये ।

229. ग्राम बेरासर तहसील नोखा के मिडल स्कूल को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

230. ग्राम केड़ली तहसील नोखा की प्राथमिक शाला को मिडल स्कूल में क्रमोन्नत करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

231. नोखा मण्डी जिला बीकानेर में कालेज भवन उपलब्ध होने पर भी इसे चालू नहीं करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

232. भवन की उपलब्धता के बावजूद भी ग्राम सूरपुरा तहसील नोखा के मिडल शाला को सैकण्डरी में क्रमोन्नत नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

233. ग्राम जयसिंह देसर मगरा तहसील नोखा के मिडल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

234. ग्राम जांगल तहसील नोखा के मिडल स्कूल को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) :

235. कला एवं संस्कृति के रखरखाव एवं सुरक्षा के लिए बूंदी जिले के लिए किये गये कार्यक्रमों की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

236. बूंदी में गर्ल्स कॉलेज खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

237. सैन्ट्रल स्कूल बूंदी में खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा अभिशंसा करने की आवश्यकता एवं राजकीय महाविद्यालय बूंदी में रसायन शास्त्र विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) :

238. विद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के शैक्षणिक स्तर की दस साल के सेवाकाल बाद परीक्षा लेने एवं शारीरिक प्रशिक्षकों की पांच-पांच वर्ष बाद शारीरिक फिटनेस व परीक्षा आवश्यक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. सोफिया स्कूल बीकानेर में सरकारी अनुदान राशि का दुरुपयोग करने की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. जैन हायर सैकण्डरी स्कूल, बीकानेर को मैनेजमेंट कमेटी द्वारा प्रोविडेन्ट फण्ड के गबन, अनुदान राशि के दुरुपयोग व अन्य शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच में विभाग द्वारा उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये।

241. बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. महाविद्यालयों में रोजगार आधारित प्रशिक्षण एवं शिक्षा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. त्रिभाषा फार्मूले में संस्कृत को उचित स्थान दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. उच्चतर माध्यमिक शिक्षण विद्यालय तक चरित्र निर्माण व नैतिक शिक्षा के आवश्यक विषय रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत विषय आवश्यक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. तहसील कोलायत, बीकानेर में ग्रामीण खेलकूद विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. देशनोक जिला बीकानेर में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. बीकानेर शहर में बंगलानगर, सांगलपुरा, इन्द्रा कॉलोनी, कुम्हारों का मोहल्ला, गंगाशहर, भीनासर में विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

249. ग्राम गडियाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर में हायर सैकण्ड्री स्कूल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. ग्राम बीकमपुर, भलूरी, नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर में उच्च माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. प्रदेश में तहसीलवार वैदिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री देवी सिंह भाटी)

252. प्रशिक्षण प्राप्त योग्य प्रशिक्षकों से विद्यालयों में प्रशिक्षण दिलाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

253. योग प्रशिक्षण केन्द्र, बापूनगर, जयपुर के व्यवस्थापक द्वारा लिखित पुस्तक योग प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रशिक्षण विषय जरूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. योग प्रशिक्षण केन्द्रों को शत-प्रतिशत अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

256. जोधपुर शहर के जीर्ण-शीर्ण उच्च प्राथमिक विद्यालय श्याम सदन को सरकार द्वारा खाली नहीं करने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) :

257. नये अध्यापकों की भर्ती प्रारम्भ करने एवं चयन प्रक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. ग्राम गजसिंहपुरा, हिरादेशर व रड़ोद, तवेरा खुर्द को सैकण्डरी एवं मिडल स्कूल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

259. मिडल स्कूलों व सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के बाबत चर्चा के लिये

श्रीमती रतनकंवर (शेरगढ़) :

260. ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक व अध्यापिकाओं के पदस्थापन के बाद डेपूटेशन पर अन्यत्र लगाने से बढ़ रहे असन्तोष पर चर्चा के लिये।

261. शेरगढ़ क्षेत्र में स्कूल भवनों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

262. शेरगढ़ क्षेत्र में कन्या पाठशालाओं की नितान्त कमी पर चर्चा के लिये।

263. शेरगढ़ (जिला जोधपुर) में पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त स्थान न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

264. शेरगढ़ क्षेत्र जिला जोधपुर में अपर्याप्त पाठशालाएं न होने से व्याप्त जनआक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) :

265. प्रौढ़ शिक्षा योजना को फलीभूत बनाने के लिये अधिक प्रचार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

266. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बस्सी, बेसरोली, बिदीयाद, हरनावा, बाजवास, मेगलाना, बानोट को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

267. राजकीय प्राथमिक विद्यालय सीटावट, मिण्यान, कूणिणा, खानपुर को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

(श्री मोहनलाल)

268. परबतसर (नागौर) उपखण्ड मुख्यालय पर पोलीटेक्निक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

269 ग्राम बागोट, राबड़ियाद में कन्या प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

270. राजकीय उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय, बड़ को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

271. विद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

272. राजस्थान में शिक्षा का स्तर गिरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

273. प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत अनुदेशक व अनुदेशिकाओं को कम मानदेय भत्ते देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

274. क्राफ्ट प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

275. राजकीय हायर सैकण्डरी कन्या विद्यालय परबतसर को दस जमा दो प्रणाली में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

276. शिक्षा विभाग के प्रत्येक कैडर में आरक्षण कोटे की पूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

277. नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत राजस्थान में अभी तक समुचित व्यवस्था नहीं होने के क्रम में चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) :

(3) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

(4) **श्री फूलचन्द गुर्जर**(नीमकाथाना):

278. राज्य में छात्र संघों के चुनाव न कराये जाने से छात्रों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) :

(3) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

(4) **श्री फूलचन्द गुर्जर**(नीमकाथाना):

(5) **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) :

279. पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को पुनः संशोधित कर छात्रों को प्राप्तांक पूर्ण रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) :

(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(3) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

(श्री दाऊदयाल जोशी)

280. रोक के बावजूद भारी संख्या में फर्जी आदेशों से तबादले करने में हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

281. सनातन धर्म शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अजमेर में व्याप्त अनियमितताओं के बावजूद उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

282. राज्य में फर्जी व अमान्य डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्ति देने की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

283. राजस्थान विश्वविद्यालय में मेडिकल, विधि एवं अन्य संकायों में दिये गये नम्बरों में अनियमितता एवं हेराफेरी होने पर भी उसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) :

(2) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

284. राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर की पुत्री के एडमिशन में अनेकों नियमों की अवहेलना करने पर भी उसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) :

(3) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद)

(4) **श्री फूलचन्द गुर्जर**(नीमकाथाना):

285. राजस्थान विश्वविद्यालय के पेपर स्वयं के प्रेस में छापे जाकर पेपर आउट कराने एवं स्वयं के प्रेस को समर्थ बनाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

286. पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में अशुद्धियों की भरमार होने पर भी उसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

287. चौकड़ी रामचन्द्र जी में सार्वजनिक पुस्तकालय लगभग दो वर्ष से बन्द रहने पर भी संचालक के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने से पाठकों में उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

288. पुस्तकालय सेवाओं में पदोन्नति के अवसर प्रदान करने या सेवा समय के समान काम के समान दाम नियम से शिक्षकों के अनुसार समय-समय पर वेतन वृद्धि व अन्य भत्ते उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) :

(3) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

289. समय पर परीक्षाएं न कराये जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

290. प्राइमरी कक्षाओं में इम्तिहान नहीं होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी दस्तखत करना तक भी नहीं जानते इस स्थिति पर चर्चा के लिए।

291. प्रौढ़ शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा में हो रहे धन के अपव्यय पर चर्चा के लिए।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) :

292. कुचामन महाविद्यालय को अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

293. कुचामन में स्थापित राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय को नागौर में स्थानान्तरण नहीं कराने बाबत चर्चा के लिए।

294. नावां में नवनिर्मित महासुख बियाणी कन्या विद्यालय की सीनियर हायर सैकण्डरी महिला विद्यालय में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

295. शिवगंज जिला सिरोही में एस.टी.सी. स्कूल खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

296. शिवगंज जिला सिरोही में महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

297. सिरोही महाविद्यालय में एन.एस.सी. कक्षाएं शीघ्र शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

298. सिरोही जिला शिक्षा कार्यालय में जीप आवंटन नहीं करने से निरीक्षण कार्य में आ रही कठिनाई पर चर्चा के लिए।

299. सिरोही जिले की पुराने स्कूलों की इमारतों को शीघ्र मरम्मत कराने की विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर**(नीमकाथाना):

(3) **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) :

(4) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) :

(5) **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) :

300. शिक्षाविदों की कमेटी बनाकर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

301. डिप्लोमा होल्डर लायब्रेरियनों की और सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

302. हिन्दी राष्ट्रभाषा को समुचित सम्मान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

303. 10 जमा 2 योजना के अन्तर्गत जिन 640 सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों को सुदृढ़ करने की बात की गई थी उसे न किये जाने बल्कि गणित आदि पढ़ने वालों को अलग से प्रशिक्षण न दिये जाने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

से परीक्षा परिणाम के स्तर में आयी गिरावट पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण):

(2) **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर):

(3) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार):

(4) **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर):

(5) **श्री फूलचन्द गुर्जर**(नीमकाथाना):

(6) **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल):

304. ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के भवनों के लिए राशि आवंटित कराने के विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना)

(3) **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशन पोल)

(4) **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार)

305. सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में 100 नये विषय आरम्भ किये जाने में की जा रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

306. कलाकारों, शिल्पकारों एवं साहित्यकारों को प्रदेश में उचित सम्मान न दिये जाने से उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये।

307. फूड क्राफ्टस् इन्स्टटीट्यूट को क्रमोन्नत किये जाने में की जा रही देरी पर भी ये दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

308. सायंकालीन क्लासेज को और अधिक विद्यालयों में चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर):

309. सलूम्बर हायर सैकण्डरी स्कूल को डिग्री कालेज में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

310. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधीपुरा तहसील सारड़ा के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री सभापति : माननीय श्री सी. पी. जोशी।

श्री बाऊदयाल जोशी : गम्भीर थोडे ही हैं?

श्री सभापति : बहुत गम्भीर हैं, अभी बोलेंगे तब मालूम पड़ जायेगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : कला और संस्कृति में है।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा कला एवं संस्कृति की मांग पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व में माननीय मंत्री महोदय, का

(श्री सी. पी. जोशी)

जो दुबारा शिक्षा मंत्री बने हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ विश्वविद्यालय की संरचना के सम्बन्ध में। खास तौर से मैं नयी शिक्षा नीति और उसके सम्बन्ध में ज्यादा अपनी बात नहीं कहूंगा लेकिन मैं अपनी बात विश्वविद्यालय की संरचना के सम्बन्ध में ही कहना चाहूँगा।

माननीय आचार्य साहब उस कमेटी के सदस्य रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं, यूनानी मसली यह फैसला किया गया था, कल्ला साहब, गिरिजा व्यास उस कमेटी के सदस्य थे उन्होंने अपनी राय व्यक्त की थी। वह दोनों मंत्री बन गये, उसी आधार पर विश्वविद्यालय की संरचना कर दी जाय।

मैं इस बात के लिए तो माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि विधान सभा में चर्चा के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय की संरचना के संबंध में जो लोगों के मन में धारणायें थीं कि म्यूनिसिपैलिटी लिमिट के अलावा सम्भाग के कालेजों को राजस्थान विश्वविद्यालय से जोड़ा जाय। इस सम्बन्ध में तो उन्होंने इसी समय आदेश प्रसारित कर दिये विधान सभा में चर्चा के बाद। परन्तु अन्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कोशिश करेंगे कि बाकी विश्वविद्यालय जो हैं राजस्थान में उनमें यूनिफार्म रूल्स रेगूलेशन एक्ट प्रोविजो है। इस सम्बन्ध में हम शीघ्र ही सदन में कोई मत व्यक्त करेंगे। मुझे खेद है माननीय सभापति महोदय, शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है और नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व यदि सरकार इस सम्बन्ध में कोई अपनी मंशा विधानसभा के सामने नहीं रखती है तो हम अभी तक भी इस विश्वविद्यालय की संरचना के सम्बन्ध में जो कल्पना है, कमेटी के सदस्य के रूप में हैं, एक मंत्री के रूप में माननीय आचार्य साहब से हम अपेक्षा करते हैं। मैं आशा करूंगा कि उसकी भावनाओं को जिन भावनाओं को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरिदेव जोशी ने व्यक्त किया, जिन भावनाओं को माननीय माथुर साहब ने अभिव्यक्त की और जिन भावनाओं के आधार पर माननीय कल्ला साहब ने इस सदन में आश्वासन दिया विश्वविद्यालय की संरचना के सम्बन्ध में हम शीघ्र ही एक मसौदा लाकर सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करेंगे। पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हो क्या रहा है, माननीय सभापति महोदय। हमने अवधारणा की कि कोटा विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी बनेगी। उस ओपन यूनिवर्सिटी को ग्रेजुअली हम एक यूनिवर्सिटी के रूप में डवलप करेंगे। पर अभी केवल इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पार्ट के रूप में काम कर रही है और जब हमने अवधारणा कोटा की फुलफ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बनाने की की। तब आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वहां कोटा में आटोनोमस कालेज बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? कोटा का आटोनोमस कालेज कोटा के भविष्य बनाने वाली यूनिवर्सिटी के बीच में बहुत बड़ा राइडर बन जायेगा। इसलिए यदि हमारे मन में यह धारणा है कि कोटा विश्वविद्यालय को फुलफ्लेज्ड डवलप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर

(श्री सी. पी. जोशी)

पर कोटा के आटोनोमस कालेज की बजाय उसको कोटा का कान्स्टीट्यूएन्ट कालेज बनना पड़ेगा । उस कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का और वहां पर टीचिंग की जो रिसर्च और पी. एच. डी. की फैसिलिटीज है उसका कोर बनाकर यदि आप डवलप करेंगे तो आने वाले समय में वह ओपन यूनिवर्सिटी की जगह पर एक फुल-फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी डवलप हो पायेगी। ठीक उसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, अजमेर के विश्वविद्यालय की हमने अवधारणा की । (व्यवधान)

वह अजमेर का विश्वविद्यालय माननीय···

श्री सभापति : जी सुन रहे हैं, वे । (व्यवधान) बहुत तवज्जोह से सुन रहे हैं, आप बैठिये। (व्यवधान) वे बहुत महत्वपूर्ण बात को बहुत तवज्जोह से सुन रहे हैं । आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : दुर्भाग्य यह है कि क्रियान्वयन नहीं कर सकेंगे । पढ़ना है वह वहीं पढ़ेगा । (व्यवधान)

श्री सभापति : उसकी चिन्ता आप क्यों कर रहे हैं ? वे सुन रहे हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अजमेर की तो संरचना हो जायेगी लेकिन कोटा की संरचना की चिन्ता नहीं है ।

श्री सभापति : उनको सब की चिन्ता है, सारे राजस्थान की चिन्ता है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कोटा के बजाय आप दक्षिणी राजस्थान के किसी शहर का नाम लेओ न ।

श्री सभापति : नहीं, साहब । यहां राजस्थान की बात चल रही है ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, ठीक उसी प्रकार जो अजमेर विश्वविद्यालय की हमने अवधारणा की उसके पीछे मंशा थी कि एफिलियेट यूनिवर्सिटी बनेगी । आज अजमेर विश्वविद्यालय में हमने केवल मात्र एक बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजूकेशन की जगह पर हमने एक हायर एजूकेशन बोर्ड बना दिया है । बाकी वहां का जो गवर्नमेंट कालेज था उसको कान्स्टीट्यूएन्ट कालेज बना के उसको भी आपने आटोनोमस कालेज बना दिया । तो मैं नहीं समझता कि आने वाले 15-20 साल में अजमेर विश्वविद्यालय कोटा विश्व विद्यालय किसी तरह से डवलप होंगे । इसकी अवधारणा हम ठीक ढंग से नहीं कर पाये । माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में आपने एकेडेमिक विश्वविद्यालय बनाया हैं । यह बात आज भी समझ में नहीं आती मुझे कि अगले 15-25 साल में जो स्वीडिंग इस यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए वह उदयपुर यूनिवर्सिटी में हो नहीं सकती और इसलिए नहीं हो सकती कि कि आपने उदयपुर के अन्दर कालेज एसोशिएट किये हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन डिस्ट्रिक्स में कालेज आपने उदयपुर यूनिवर्सिटी के जोड़े हैं । इन सब डिस्ट्रिक्स के अन्दर पी. जी. क्लासेज रन करती हैं ।

उदयपुर में पी. जी. कालेज है, बांस-

Page No. 112

(112)

(श्री सी.पी. जोशी)

वाड़ा में पी. जी. कालेज है, चित्तौड़गढ़ में पी. जी. कालेज है, भीलवाड़ा में पी. जी. कालेज है तो वहां का लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए क्यों आयेगा और तो और, माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि एक विश्वविद्यालय के साथ साथ में हिन्दुस्तान में और कहीं व्यवस्था नहीं है लेकिन उदयपुर में व्यवस्था क्या है कि मीरा गर्ल्स में पी. जी. अलग चल रही है मगर जो छात्राएं हैं वह एम. ए. करने के लिए विश्वविद्यालय में नहीं आयेगी। आज जयपुर में यदि आप कनोडिया कालेज में पढ़ें। चाहे आप किसी गर्ल्स में पढ़ें पी. जी. करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। दिल्ली में जायें, किसी भी जगह जाय और पी. जी. में की कहीं व्यवस्था नहीं मिलेगी। उदयपुर के अन्दर आज बी. एम. कालेज के अन्दर पी.जी. चलती है, मीरा गर्ल्स के अन्दर पी. जी. चलती है, संजीव कालेज के अन्दर पी. जी. चलती है, और उदयपुर के अलावा वहां डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बन गयी है राष्ट्रीय विद्यापीठ। संजीव विश्वविद्यालय अब आने वाले 15-20 साल में माननीय सभापति महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय की ग्रोथ कैसे होगी, इसकी भी हमने मन में कल्पना नहीं की। इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे उदयपुर में पालिटिकल एग्रीकल्चर का जो इन्फ्रास्टक्चर था उसकी कास्ट पर हमने दक्षिण में यूनिवर्सिटी बना दी तो वाइस चान्सलर महोदय 20 दिन तो रहते है उदयपुर में। मैं अभी इसके सम्बन्ध में एग्रीकल्चर की डिटेल में बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बाकी एकेडेमिक यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वह अजमेर की हो, चाहे कोटा की हो, चाहे उदयपुर की हो, उनका ग्रोथ अगले 15-20 साल में जो हमने संरचना की इससे नहीं हो सकता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं, हमने विश्वविद्यालय तो खोल दिये। यह शिक्षा विभाग की रिपोर्ट हमने दी है। मैं एक फीगर देना चाहता हूं आपको कि हमने आय-व्यय अनुमान जो लगाये हैं 88-89 में उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए हमने लगाये हैं आयोजना भिन्न में 9 करोड़ 47 लाख रुपये और अजमेर विश्वविद्यालय के लिए लगाये हैं हमने 20 लाख रुपये और ओपन विश्वविद्यालय कोटा के लिए 15 लाख रुपये और जो हम अगला अनुमान लगा रहे है 89-90 का उसमें कोटा में तो आपने लगाये हैं फिर 25 लाख रुपया ही और अजमेर विश्वविद्यालय में लगा दिये आपने एक करोड़ रुपये उसके एवज में आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में 10 करोड़ रूपये और जोधपुर विश्वविद्यालय में 8 करोड़ 69 लाख रुपये और सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 3 करोड़ 51 लाख रुपये रखे हैं, आपने आयोजना भिन्न में आयोजना में आपने 50 लाख रुपये रखे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में 32 लाख रुपये, जोधपुर विश्वविद्यालय में 23 लाख रूपये और सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 30 लाख रुपये, ओपन विश्वविद्यालय कोटा में और40 लाख रूपये अजमेर विश्वविद्यालय में। परन्तु, माननीय सभापति महोदय, मुझे कुछ समझायें कि आप नई यूनिवर्सिटी का ग्रोथ

(श्री सी. पी. जोशी)

करना चाहते हैं और ग्रोथ करना चाहते हैं कोटा विश्वविद्यालय का ग्रोथ करना चाहते हैं। अजमेर विश्वविद्यालय का एलोकेशन आफ फण्ड ज्यादा हो रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में एलोकेशन आफ फण्ड ज्यादा हो रहा है, सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एलोकेशन आफ फण्ड ज्यादा हो रहे हैं आपके जोधपुर विश्वविद्यालय में अगली शताब्दी में आप इस फण्ड में एलोकेशन के आधार पर कोटा विश्वविद्यालय और अजमेर विश्वविद्यालय की ग्रोथ को नहीं कर सकते इसलिए, माननीय सभापति महोदय, हमने अपनी फाइनेंसियल जो कान्स्ट्रेन्ट्स जिसको आधार मानकर के आधार पर जो एक्जामिनिशन फीस देते हैं उस फीस के आधार पर हमने विश्वविद्यालय चलाने की संरचना की है। उसकी हालत यह हो रही है, माननीय सभापति महोदय, आज अजमेर विश्वविद्यालय के परिणाम और अजमेर विश्वविद्यालय में एकेडेमिक स्टेण्डर्ड का जो कम्प्रोमाइज हो रहा हैं, उसके सम्बन्ध में लेवें।

The least the better. I do not want to say more than this मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं। कोई भी विश्वविद्यालय इस बात से जाना जाता है कि उस विश्वविद्यालय का उप-कुलपति कौन है।

श्रीमती नीलिमा शर्मा : आदरणीय सी. पी. जोशी जी, एक मिनट मैं आपको इन्टरफियर करूंगी कि आप ने जो आंकड़े दिये हैं वह सही हैं लेकिन इन राजनेताओं को दूर रखें एजूकेशन से। एक घण्टे में बनी हुई एजूकेशन पालिसी का नतीजा यहीं होगा जो सामने आ रहा है। आप कितना भी बोल दो। पिछले चार पांच साल से हम बोलते आ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है इन चीजों से और आप बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ जायेगा। अजमेर यूनिवर्सिटी की हालत आप भी जानते हैं। और हम भी जानते हैं मेरे तो ख्याल में आप यों बोल दो कि साहब, मैं शौक की वजह से कुछ बोलना ही नहीं चाहता।

श्री सी. पी. जोशी : मैं माननीय सदस्या की भावनाओं की कद्र करता हूं पर मैं डिस-अपाइन्ट नहीं हूं। आखिर में कुछ न कुछ कहने के बाद में असर तो होगा। कुछ असर हुआ है, कुछ असर होना बाकी है। निश्चित तौर पर इसका असर होगा। मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन कर रहा था कोई भी विश्वविद्यालय इस बात के लिए जाना जाता है कि उस विश्वविद्यालय का उप-कुलपति महोदय, कौन है, उस उप-कुलपति का स्टेचर क्या है ? हम माननीय सभापति महोदय, जैसे टेण्डर निकालते हैं किसी काम का कि पी. डब्ल्यू. डी. में काम है, इरिगेशन में काम है। हम टेण्डर निकालते हैं और जो लोएस्ट टेण्डर होता है उस टेण्डर को हम काम देते हैं। शायद हमने विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में टेण्डर निकाले हैं और टेण्डर निकालने के बाद जो लोएस्ट एकेडेमिक क्वालिफिकेशन अवेलेबल है उन लोगों के आधार पर हमने उप-कुलपति बना दिये। उस सम्बन्ध में आज जो

(श्री सी. पी. जोशी)

हालात बन रहे हैं उसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मुझे खुशी होती है इस बात की। (व्यवधान)

टेण्डर में यही सिस्टम होता है। माननीय सभापति महोदय, हम पोलिटिकल वर्कर हैं। आचार्य निरंजन देव उप-कुलपति रहे हैं, डी. पी. मिश्रा उप कुलपति रहे हैं। राजस्थान में टेलेंट अवेलेबल है। जो जगत मेहता फारेन सैक्रेटरी रिटायर होकर राजस्थान में बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत से आदमी मिल जायेंगे। एक अग्रवाल है जो स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया के काम्पीटेंट आदमी रहे हैं। ऐसे बहुत से आदमी हैं जिनमें मैन-पावर को आर्गेनाइज करने की क्षमता है। उन्होंने अपना डिमोन्स्ट्रेटिव किया है। पोटेंशल को बचाया है। हमने उप-कुलपति बनाने के लिए यह बात नहीं की है। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि अजमेर विश्वविद्यालय के और उदयपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति 30 दिन में 20 दिन जयपुर में रहते हैं। आप आश्चर्य करेंगे उप-कुलपति हो अजमेर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति हों, उदयपुर विश्वविद्यालय में 20 दिन में उनका हैड-क्वार्टर जयपुर के अन्दर रहता है। केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर, केन्द्रीय कार्यालय, अजमेर और उप-कुलपति बने हुए हैं, अजमेर विश्वविद्यालय के, उदयपुर विश्वविद्यालय के। आप कुलपति को कुलपति कहें जो भी कहें। मैं माननीय सभापति महोदय इसलिए कहना चाहता हूँ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने उप-कुलपति बने हुए हैं।

They are aspiring for second term. उन्हें जिस एज ग्रुप में आपने वाइस चान्सलर बना दिया है, सब ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति बन सकते हैं। उदयपुर विश्वविद्यालय का वाइस-चान्सलर भी राजस्थान विश्वविद्यालय का वाइस-चान्सलर बनना चाहता है और राजस्थान विश्वविद्यालय का जो वाइस-चान्सलर है वह सैकिण्ड टर्म लेना चाहता है। इस घुड़-दौड़ के अन्दर विश्वविद्यालय की हालत क्या हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा इस सम्बन्ध में निवेदन नहीं करना चाहता पर मैं कहना चाहता हूं कि एकेडेमिक एन. आर. ई. पी. की तरफ हम बढ़ रहे हैं।

आज विश्वविद्यालय की संरचना के सम्बन्ध में सबसे बड़ी डिस्टिन्क्ट बॉडी होती है सिण्डीकेट जिसको आपने उदयपुर में कर रखा है बोर्ड ऑफ मैनेजमेन्ट। अब आप देखिये जोधपुर विश्वविद्यालय की संरचना में क्या है? जोधपुर विश्वविद्यालय की संरचना में दो पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव भी होंगे लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं होंगे। उदयपुर विश्वविद्यालय में नहीं होंगे। फिर उदयपुर विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट में नोमीनेट जो. एम. एल. ए. होंगे चाहे एजूकेनशलिस्ट होगा, उसका टर्म एक साल का। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो नामीनेट होगा उसका टर्म तीन साल का। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि आप यूनिफोर्म पालिसी बनाकर सिण्डीकेट को गवर्न करने की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं कर पाते। और मुझे कहते हुए तकलीफ है, उदयपुर विश्व-

Page No. 115

115

(श्री सी. पी. जोशी)

विद्यालय में एक साल हो गया लगभग, माननीय सभापति महोदय, आप भी उस सिण्डीकेट के मेम्बर रहे हैं, सुना है, रहे हैं, एक साल से नोमीनेशन नहीं हुआ। अब आज भी मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस तरफ से गवर्नेन्स करना चाहते हैं विश्वविद्यालय में। मेरे साथी कहेंगे कि आप एकेडेमिक आटोनामी में एनक्रोचमेन्ट करना चाहते हैं। मैं आपसे बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं इस एकेडेमिक आटोनॉमी के नाम पर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति अपने मनपसन्द के डीन और प्रोफेसर को सिण्डीकेट में नोमीनेट करवाकर जिस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। जब नये ग्रेड 1.1.86 से लागू हो गई तो उसमें नियम बने थे कि कोई प्रमोशन नहीं होगा रीडर से प्रोफेसर का। लेकिन विश्वविद्यालय में 1.1.86 के बाद भी रीडर से प्रोफेसर के प्रमोशन कर दिये गये। अब आप विश्वविद्यालय के अपाइन्टमेन्ट और प्रमोशन हैं उसके सम्बन्ध में देखेंगे तो, माननीय सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे। अभी यू. जी. सी. की नई गाइड लाइन्स आई है कि 10 साल और 13 साल की सर्विस के बाद हम लेक्चरार को सीनियर और सलेक्शन ग्रेड देंगे। रीडर की ग्रेड देंगे। अभी इस सम्बन्ध में नियम बनने हैं और नियम बनने बाकी हैं, सरकार को एलोकेशन ऑफ पोस्ट कराना बाकी है। लेकिन विश्वविद्यालय में आज भी बिना किसी रुकावट के सलेक्शन हो रहे हैं। अब आपको लेक्चरार में से सलेक्शन ग्रेड देनी है, सीनियर ग्रेड देनी है, इनकी पोस्ट हमें एलोकेशन करनी है। वह पोस्ट कब एलोकेशन होगी लेकिन उसमें रीडर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। उस सम्बन्ध में आज दिन तक सरकार ने कोई भी डाइरेक्शन किसी भी विश्वविद्यालय को नहीं दिये। माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि अजमेर विश्वविद्यालय और कोटा विश्वविद्यालय में जहां टीचिंग फैकल्टी नहीं है वहां प्रोफेसर के अपाइन्टमेन्ट हो रहे हैं। अब मेरे आज भी समझ में नहीं आता है कि कोटा विश्वविालय का सेन्टर आपने खोल दिया उदयपुर में, कोटा विश्वविद्यालय का सेन्टर आपने खोल दिया राजस्थान में। आप वहां पर प्रोफेसर की पोस्ट किसको देना चाहते हैं। जो 15-20 साल से स्टेग्नेन्ट हो गये, सीनियर फैकल्टी मेम्बर वह वहां प्रोफेसर बनाकर जा रहे हैं। मतलब नये टेलेन्ट तो हमारे रिक्रूट नहीं होंगे। और जितने आदमी वहां पर रिक्रूट होंगे प्रोफेसर के नाम पर, कहीं पर अजमेर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन रहे हैं, वह आज कोटा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन रहे हैं और पांच साल बाद जब फुलफ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बन जायगी तब यह आदमी टीचिंग फैकल्टी को कैसे डवलप करेगा। कोई भी डिपार्टमेन्ट जिसकी एकेडेमिक लीडरशिप प्रोफेसर देता है वह यदि इन्काम्पीटेन्ट है, वह डिपार्टमेन्ट ग्रोथ नहीं कर सकता आगे नहीं बढ़ सकता। आप प्रोफेसर रिक्रूट पहले कर रहे हैं डिपार्टमेन्ट बाद में बनायेंगे। मुझे समझ में नहीं आता किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो गवर्निंग कौंसिल है, चाहें आप इसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेन्ट कह दें चाहे सिण्डीकेट कह दें, चाहे कोटा में आपने जो बना रखा

(श्री सी. पी. जोशी)

है, कोटा और अजमेर के कम्पोजीशन में, माननीय सभापति महोदय, ज्यादातर सरकारी अधिकारी उसके मेम्बर्स हैं। अब आप बताइये, मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं। हमने टोटल नकल कर ली है इन्दिरा गाँधी ओपन यूनिवर्सिटी की, कोटा विश्वविद्यालय की गवर्निंग कौंसिल, मुझे मालूम नहीं कि कोटा संभाग से आने वाले जो माननीय विधायक और जन प्रतिनिधि हैं उनका कितना इन्वाल्वमेन्ट है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आज कोटा विश्वविद्यालय की गवर्निंग कौंसिलमें हमारे जन-प्रतिनिधियों का कोई रोल नहीं है। आटोनामस कालेज के सम्बन्ध में आप जानकर आश्चर्य करेंगे, माननीय सभापति महोदय, आटोनॉमस कॉलेज की गवर्निग कौंसिल होती है। आज अजमेर की गवर्निग कौंसिल बनी कि नहीं बनी, कोटा की गवर्निग कौंसिल बनी कि नहीं बनी उसके नियम कैसे हो रहे हैं, उनका केरीकुलम कौन प्रेस्क्राइब कर रहा है। वह जब पास होकर जायेंगे उनका मार्के में क्या होगा। डाइरेक्टोरेट ऑफ कॉलेज एजूकेशन में, माननीय सभापति महोदय एडहॉक अपाइन्टमेन्ट केवल मात्र मेरिट के आधार पर होते हैं। तो मेरिट जो बनेगी, कोटा के आटोनामस कॉलेज से निकलने वाला आदमी चाकू बताकर 80 पर्सेन्ट नम्बर लायेगा, वह लेक्चरार बनेगा या राजस्थान विश्वविद्यालय के कोटपूतली से निकलने वाले लेक्चरार बनेगा, इसका फैसला हम अभी नहीं कर पाये। हमको पहले यह निवेदन करना पड़ेगा कि यदि डाइरेक्टोरेट ऑफ कॉलेज एजूकेशन में जो एडहॉक अपाइन्टमेन्ट करते हैं, गवर्नमेन्ट कॉलेज के लेक्चरार के लिए उनका यदि हमने आधार केवल मात्र मार्क्स रखा तो आटोनामस कालेज से निकलने वाला आदमी इतने इन्फिल्टरेट मार्क्स लेकर आ जायगा कि आपकी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेन्ट बेकार हो जायेंगे। तो जो नेचूरल कोरोलरी में सामन्जस्य होना चाहिए उसके सम्बन्ध में हमने चिन्तन और मनन नहीं किया। हमने व्यवस्था कर दी आटोनामस कालेज होंगे, हमने व्यवस्था कर दी विश्वविद्यालय होंगे। तब डाइरेक्टोरेट ऑफ कालेज एजूकेशन रिक्रूटमेन्ट कैसे होगा, इस सम्बन्ध में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया और माननीय सभापति महोदय, आज आठ महीने से डाइरेक्टर आफ एजूकेशन नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन का अपाइन्टमेन्ट हुआ या नहीं, पर मुझे यह जानकारी है कि पिछले 6 महीने से आठ महीने तक डाइरेक्टर आफ कालेज एजूकेशन के पद पर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है। अब हम किस तरह हायर एजूकेशन की व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में करना चाहते हैं। एकेडेमिक कौंसिल के बारे में और ज्यादा नहीं कहना चाहता।

इस नई शिक्षा नीति में हिन्दी और अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं होंगे। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट फैसला कर रही है कि यहां का टीचर रिट्रेन्चमेन्ट नहीं हो इसलिए वहां पर हिन्दी और अंग्रेजी की व्यवस्था होगी। आप बताओ यदि नई शिक्षा नीति में टी. डी. सी. कोर्स में हिन्दी-अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं होंगे तो एकेडेमिक कौंसिल कैसे निर्णय ले सकती है कि वहां हिन्दी-अंग्रेजी सब्जेक्ट होंगे। इस सम्बन्ध में भी हमने कोई निर्णय नहीं किया।

(श्री सी. पी. जोशी)

है। माननीय सभापति महोदय, जो टेन प्लस टू स्कीम लागू की है हमने, उस समय हमने बिल्कुल फैसला कर दिया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. का जो कोर्स है वह उन सब स्कूलों में लागू होगा। अब आप आश्चर्य करेंगे, केरीकुलम जो बनाया राजस्थान यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. का जो सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है टेन प्लस टू स्कीम, उसके सारे केरीकुलम में राजस्थान विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा देंगे। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में केरीकुलम क्यों नहीं बनाया। टेन प्लस टू स्कीम लागू की तो हमने तैयारी क्या की। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, कि आज भी हमारी नई शिक्षा नीति में टेन प्लस टू में भर्ती होने वाले विद्यार्थी का केरीकुलम प्रेस्क्राइब नहीं किया। वह केरीकुलम केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. के कोर्स को हमने इनकारपोरेट किया है तो जो लड़का फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. में पढ़ने आयेगा, टेन प्लस टू करने के बाद उसका केरीकुलम क्या होगा। सैकिण्ड ईयर का कोर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ेगा, थर्ड ईयर का कोर्स सैकिण्ड ईयर में पढ़ेगा। तो इसका मतलब थर्ड ईयर के कोर्स में क्या पढ़ेगा वह। हमने कोई तैयारी इस तरह की नहीं की है। हम एक ऐसी जनरेशन को पैदा करना चाहते हैं जिस जनरेशन के सम्बन्ध में हमारे खुद का आउटलुक नहीं हैं कि यह जनरेशन जो पढ़कर पास होगी उसका भविष्य क्या होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, उदयपुर का विद्यार्थी जो बी. एन. कालेज का है, एक साल में तो विद्यार्थी बन गया अजमेर विश्वविद्यालय का, उसके पहले बन गया था मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का, सैकिण्ड ईयर में बन गया अजमेर विश्वविद्यालय का, और थर्ड ईयर में फिर जाकर बन गया राजस्थान यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी। एक लड़का फर्स्ट ईयर, सैकिण्ड ईयर, थर्ड ईयर में तीन साल में तीन यूनिवर्सिटीज का विद्यार्थी रह गया। यह व्यवस्था हमने पिछले तीन साल में की।

श्री शोपत सिंह : बहुत प्रोग्रेस की है।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए माननीय सभापति महोदय, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि हमने वोटिंग राइट दे दिये उनको। हमने कहा कि 18 वर्ष के आदमी को वोटिंग राइट होगा। जिस आदमी को हमने वोटिंग राइट दिये, हम यह मानकर चलते हैं कि वह नीति-निर्धारित करेगा इस देश की। उसकी नीति निर्धारण करने वाली जो जमात के सम्बन्ध में व्यवस्था हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं तो देश का भविष्य बनाने का जो आउटपुट निकलेगा वह आउटपुट ठीक ढंग का नहीं निकलेगा। इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में, माननीय शिक्षा मन्त्री जी, जो हमारे सबसे संजीदा मन्त्री हैं और जिनका शिक्षा के सम्बन्ध में अनुभव भी है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, नम्बर एक, अगले डिकेड, दस साल में राजस्थान में विश्वविद्यालय की संरचना का जो कन्सेप्ट है उसमें हम कोटा विश्वविद्यालय को फुल-

(श्री सी. पी. जोशी)

फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, जिसमें हम अजमेर विश्वविद्यालय को फुलफ्लेड यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, जिसमें हम उदयपुर के ट्राइबल इलाके के लोगों की जो समस्यायें हैं उनको यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ना चाहते हैं, तब हमें इन विश्वविद्यालयों की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता हैं। जब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पी. जी. कालेज की फेसिलिटी दी है तो यूनिवर्सिटी के कन्सेप्ट में आपको व्यवस्था दूसरी करनी पड़ेगी। आज यह व्यवस्था नहीं है कि, आज जिन लोगों की हालत सुधरी हुई नहीं है वहां कोई भी मां-बाप अपने बच्चे को डूंगरपुर से जयपुर पढ़ाने नहीं भेजेगा जबकि एम.ए. पढ़ाने की व्यवस्था डूंगरपुर में है। इसलिए हमने जो पी.जी. कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर दिये हैं तो विश्वविद्यालय में केरीकूलम किस तरह का बने उस सम्बन्ध में हमें सोचने की आवश्यकता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय में एम.ए. की क्लास पढ़ाता है प्रोफेसर, रीडर जिनकी तनखा है 7000 रुपये तक और डूंगरपुर में गवर्नमेंट कालेज में पढ़ाता है लेक्चरर जिसने तीस साल पहले एम.ए., एम.एस.सी. की। मतलब यह कि उसकी नॉलेज आउट आफ डेट हो जाती है तब वह टीचिंग इम्पार्ट करता है पोस्ट ग्रेजुएट को डिग्री कालेज में। हम उन गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो बच्चे आज डूंगरपुर में अपनी माली हालत के कारण उदयपुर आकर नहीं पढ़ सकते, जयपुर आकर नहीं पढ़ सकते, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए जो टीचर है उसने बीस-पच्चीस साल पहले एम. ए., एम. एस. सी. और एम.कॉम. किया है जिससे सारा केरीकूलम आज इरेलेवेन्ट हो गया है। हमने रिओरियेन्टेशन करके उन ओल्ड टीचर्स के लिए लागू नहीं किया है। नई टीचिंग व्यवस्था में हमने एकेडेमिक स्टाफ को लगाया हैं। पर एकेडेमिक स्टाफ के अन्दर न्यू रिक्रूटमेंट हम कर चुके हैं, उनकी ओरियेन्टेशन के लिए यह जो ओल्ड आदमी आयेंगे उनकी ओरियेन्टेशन के लिए नहीं है। इसलिए आज हालत यह हो गई है कि किसी गवर्नमेंट कालेज का पी.जी. हैड कौन बनेगा, पी.जी. हैड वह बनेगा जिसने बीस साल तक डिग्री कालेज का टीचिंग किया हो। बीस साल पहले जिसने एम. एस. सी. की हो। माननीय सभापति महोदय, मेरे को भी सौभाग्य मिला है एम.एस.सी. फिजिक्स का, और एम.ए. साइकोलॉजी का। मैंने जो एम एस.सी. में केरीकूलम पढ़ा फिजिक्स का वह केरीकूलम आज हायर सैकन्ड्री में पढ़ाया जाता है। मैंने एम.एस.सी. 1971 में की।

(2.00 म. प.)

1971 का जो केरीकुलम है एम.एस.सी. फिजिक्स का, वह टीचिंग आज इम्पार्ट की जा रही है हायर सैकण्ड्री लेवल पर 20 साल पहले जिन्होंने एस. एस. सी. की वह पी.जी. टीचिंग को इम्पार्ट करेंगे। हम किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं माननीय सभापति, मैं समझता हूं कि हम हायर एज्युकेशन के सम्बन्ध में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि आप पहले इसकी संरचना के सम्बन्ध में ब्लू प्रिन्ट लायें और उसके बाद एक्ट में यूनिफार्मिटी लायें।

(श्री सी. पी. जोशी)

राजस्थान विश्वविद्यालय के एक्ट में आज भी इवन टूड़े, वहां आज भी प्रमोशन की व्यवस्था है। चाहे आपने नई ग्रेड लागू कर दी लेकिन वहां एक्ट में आज भी प्रमोशन की व्यवस्था है। उदयपुर विश्वविद्यालय के एक्ट में प्रमोशन की व्यवस्था ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हम एक्ट लायें 1974 या 1976 में टीचर रिक्रूटमेंट का, जिसमें यह लिख रखा है कि 6 महीने से ज्यादा हम एडहॉक अपॉइटमेंट नहीं कर सकते। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज के दिन 125 आदमी एडहॉक काम कर रहे हैं। From three to five years. वह तीन से पांच साल तक आदमी जिनके बच्चे पांचवीं क्लास में पढ़ने जाते हैं उनका पांच साल बाद क्या नौकरी से बाहर निकाला जाना ठीक है। तो हमने एडहॉक व्यवस्था किस तरह की कर रखी है, 125 आदमी का हमारा बैकलाग चल रहा है। हमें एडहाक लैक्चरार के सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। चाहे आप आर्डिनेंस नहीं लाये तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कब तक हम इन्टरव्यू कर देंगे। आज इन्टरव्यू हैल्ड करने का निर्णय भी विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट में जबकि कम्पोजीशन इस तरह का बना हुआ है कि वहां पर प्रोफेसर और डीन का नोमीनेशन सिन्डीकेट में वाइस चांसलर करता है जो जिस सबजेक्ट में वह चाहते हैं उस सबजेक्ट में अपाइंटमेंट हो जाते हैं। मैं तो और ज्यादा नहीं कहना चाहता सभापति महोदय, हूं जिस तरह के लोग एज्यूकेशनिस्ट के नाम से नामीनेट हो रहे हैं, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ उनकी लिस्ट देखें क्या हम न्याय कर पा रहे हैं, एज्यूकेशनिस्ट के नाम पर कौन आदमी नामीनेट हो रहे हैं। चाहे वह गवर्नर की लिस्ट से नामीनेट हो रहे हो, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट से नामीनेट हो रहे हैं उन एज्यूकेशनिस्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन एज्यूकेशिनिस्ट के नाम पर वह प्रोफेसर के सलेक्शन में बैठ रहे हैं, जो लोग डिग्री कालेज के प्रिन्सीपल नहीं है जो लोग किसी स्कूल मास्टर के इन्टरव्यू में नहीं बैठ सकते हैं वह आज प्रोफेसर के सलेक्शन में बैठेंगे।

यह व्यवस्था एज्यूकेशनिस्ट के लिये, हम ठीक न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपको सलेक्शन के पैटर्न में भी आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि आप व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं कर पायेंगे तो ब्रेन ड्रेन इस तरह का हो जायेगा कि दस साल बाद कोटा में 15 परसेन्ट मिल जायेंगे, अजमेर में 20 परसेन्ट मिल जायेंगे और टीचिंग एक्सपीरियेन्स उनका जीरो होगा क्योंकि कॉलेज ही नहीं गये। इसलिये हमें इसके साथ-साथ आटोनाम्स कॉलेज की व्यवस्था के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहना चाहता हूं, आटोनामस कॉलेज राजस्थान में बनना चाहिये, जैसलमेर में, आटोनामस कालेज राजस्थान में बनना चाहिये डूंगरपुर में, आटोनामस कालेज राजस्थान में बनना चाहिये बांसवाड़ा में, यदि गवर्नमेंट कैडर में उसको बनाने हैं तो। हमें आटोनामस कालेज बनाने चाहिये प्राइवेट जगह पर, पर हम आटोनामस

(श्री सी. पी. जोशी)

कॉलेज बना रहे हैं अजमेर में, हम आटोनामस कॉलेज बना रहे हैं कोटा में, हम आटोनामस कॉलेज बना रहे हैं भरतपुर में, हम आटोनामस कॉलेज बना रहे हैं अलवर में। माननीय सभापति महोदय, वैल एस्टेब्लिश्ड इन्स्टीट्यूशन्स को हम खत्म करना चाहते हैं। इसलिये आटोनामस के कान्सेप्ट को भी, आपको इस सम्बन्ध में समझने की आवश्यकता है कि मनी मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया हमको पैसा दे रही है इसलिये पैसे के आधार पर यदि आप प्लानिंग करेंगे तो हम एकडीमिक एक्सपान्शन के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। इसलिये मेरी यह फर्म कनविक्शन है कि हमने बहुत डेलिब्रेशन्स किये हैं हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भी इस कमेटी के मैम्बर थे भाभड़ा साहब मैम्बर थे, घनश्याम जी तिवाड़ी मैम्बर थे, प्रो. केदार मैम्बर थे, हमने डिसकसन करके आपके सामने एक ब्लू प्रिन्ट दिया है। या तो हम उसको एडहेयर कर लें उसको नहीं कर पायें तो दुबारा जो भी कुछ चाहते हैं लेकिन हमको ब्लू प्रिन्ट लाना चाहिये कि राजस्थान में हायर एज्यूकेशन का ब्लू प्रिन्ट क्या बनेना। और मैं आप से अपेक्षा करता हूं कि जहां संरचना के सम्बन्ध में आप करें, वहां उसके एक्ट में यूनिफार्मिटी लाने के लिये भी आपको पहल लेनी पड़ेगी। अभी तक इतनी एनोमलीज हैं तीनों यूनिवर्सिटी के एक्ट में जिसके सम्बन्ध में ज्यादा विस्तार से आपसे चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन एक बात जरूर चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आज फोर्थविद आप इन्टरव्यू रोकिये, यदि आज नई यूनिवर्सिटी ग्रेड लागू होने के बाद जो आपकी पोस्टे हैं उनको यदि सही ढंग से इम्पलीमेंट करवाना है तो सलेक्शन कमेटी को पहले रोकिये, फिर आप देखें किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। सातवीं प्लान की योजना की पोस्ट हमने यहां जयपुर में दे दी उदयपुर विश्वविधालय में आज भी छठी पंचवर्षीय योजना की जो रिकमन्डेड पोस्ट है यू.जी.सी. की, वह आज दिन तक हमने नहीं ली है। इसलिये हमको यह सोचने की आवश्यकता है कि जो यूनिवर्सिटी जयपुर के पास है, किसी अमुक आदमी का इन्ट्रेस्ट हो, उस आदमी की पोस्ट को बढ़ाने के लिये हम सेवन्थ प्लान की पोस्ट दे रहे हैं और जिस यूनिवर्सिटी की भी ग्रोथ नहीं करना चाहते उसकी छटी पंचवर्षीय योजना की भी यू.जी.सी. की जो सैकण्ड पोस्ट है रीडर और प्रोफेसर की उस पोस्ट को हमने सैंक्शन नहीं किया। इसलिये हमें इस सम्बन्ध में एक यूनिफार्म पालिसी बनानी पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, आपकी कोआर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, कोआर्डिनेशन कमेटी में निर्णय क्या होते हैं, पिछले पांच सात साल से स्टूडेन्ट्स मांग कर रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिये। हम आज दिन तक फैसला नहीं कर सके कि इलेक्शन होने चाहिये या नहीं होने चाहिये। हमको निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय में छात्रों के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लेना पड़ेगा और मैं तो कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि आपको उसके कान्स्टीट्यूशन में भी चेन्ज करने की आवश्यकता है। हम जितने पोलिटिकल एक्टेविस्ट पार्टी के

(श्री सी.पी. जोशी)

आदमी है जो स्टुडेंट विंग में काम करते हैं उनके साथ बैठकर एक निर्णय करना पड़ेगा कि छात्रसंघ के चुनाव के अन्दर किस तरह का संविधान बनाया जाय कि एकेडेमिक एन्वायरमेंट डिस्टर्ब नहीं हो और चुनाव भी ठीक ढंग से हो सकें। और लोग ठीक ढंग से काम कर सकें। आज हालत यह हो गये हैं माननीय सभापति महोदय, नान टीचिंग स्टॉफ डिटरमिन करता है विश्वविद्यालय की गवर्नेंस के लिये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि governse of University is being done by the non-teaching staff. वहां के जो ठेकेदार है, कान्ट्रैक्टर हैं, उनके सम्बन्ध में मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन जांच कर लें माननीय शिक्षा मन्त्री जी। हर विश्व-विद्यालय में विश्वविद्यालय का ठेकेदार जैसा चाहता है। विश्वविद्यालय की गव-र्नेंस में वैसा निर्णय और इन्टरवेंस कर रहा है। हमको यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि क्वालिटी आफ वर्क इम्प्रूव करने के लिये पी. डब्लू. डी. और इरींगेशन के जो रूल्स हैं उनको हम एडहैयर करें यूनिवर्सिटी के अन्दर तब तो हम ठीक ढंग से क्वालिटी ऑफ वर्क मेन्टेन कर पायेंगे। मैं इससे ज्यादा विस्तृत आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता पर मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूँ कि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आपको ब्लू प्रिन्ट लाकर सदन के सामने या अगले सत्र के पहले आप कुछ कर पायेंगे जिससे हम सब इसका लाभ उठा सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, 1980 से लगाकर 1989 तक मैं समझता हूं कि दो तीन बार यह कह दिया गया कि नया डायरेक्टर बनेगा परन्तु आज दिन तक हम नया डाय-रेक्टर नहीं बना पाये। अब पंचायती राज में आपने मिडिल स्कूल दे दिये हैं तो मिडिल स्कूल तक का डायरेक्टर आप अलग कर दें तब तो कुछ व्यवस्था ठीक ढंग से बन पायेगी। आज भी सैकण्ड्री स्कूल का डाय-रेक्टर बीकानेर में बैठा रखा है। जो भी शिक्षा मन्त्री बनते हैं, माननीय सभापति महोदय, आचार्य साहब को तो अनुभव है और दूसरे मन्त्री रहे है उनको भी अनुभव है। जब भी जून का महीना आता हैं और शिक्षा मन्त्री के घर पर चार पांच सौ की भीड़ घूमती रहती है ट्रांसफर, पोस्टिंग। बस में कहां जा रहे हो, जी.ओ. लेने के लिये; कार में कहां जा रहे हो, जी.ओ. लेने के लिये, ट्रेन में कहां जा रहे हो जी.ओ. लेने के लिये, हमें एक निश्चित नीति बनानी पड़ेगी ट्रांसफर, पोस्टिंग की । और ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति को हम एडहेयर कर लें तो मैं समझता हूं व्यवस्था बहुत ठीक ढंग से हो पायेगी। आज जैसे माननीय हेमाराम जी ने प्रश्न पूछा कि सैकण्ड्री स्कूलों की बाड़मेर जिले के अन्दर 25 मास्टरों की पोस्टें खाली है लेकिन जयपुर में पता लगायें तो 25 सरप्लस होंगे। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आज सारा जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो झमेला है वह सिटी के अन्दर सबसे ज्यादा लग रहा है। तो हमें यह बात निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी कि हम किस तरह से इस व्यवस्था को ठीक कर सकें। मैं इस सम्बन्ध में एक ही निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, 50 प्रतिशत तो आप प्रमोशन के एवेन्यूज रखिये चाहे थर्डग्रेड से सैकण्ड ग्रेड

(श्री सी. पी. जोशी)

में लाना हो, चाहे सैकण्ड ग्रेड से सीनियर टीचर बनाना हो ग्रौर 50 प्रतिशत ग्राप डायरेक्ट रिक्रूमेंट रखें तब तो ग्रापका एज्यूकेशन का सिस्टम ठीक ढंग से हो पायेगा, वाकी थर्डग्रेड से सैकण्डग्रेड बनने में, माननीय सभापति महोदय, 15 साल लगते हैं, ग्रौर सैकण्ड ग्रेड से सीनियर टीचर बनने में 15 साल लगते हैं जो एक व्यक्ति एम. ए. कर ले वह बीस साल बाद सीनियर ग्रेड टीचर बनेगा ग्रौर तब वह टीचिंग इम्पार्ट करेगा, इस सम्बन्ध में हम कल्पना करें।

मैं एक ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, ग्राज हम गांवों में तो स्कूल बिल्डिंग भी बना रहे है चाहे एन. ग्रार. ई. पी. में बनाई, चाहे ग्रार. एल. ई. जी. पी. बनाई, जाय ग्राज जवाहर रोजगार योजना में बना रहे हैं पर जो टाउन डवलप हो रहे हैं, उन टाउन्स में स्कूलों की व्यवस्था क्या है ? पुरानी बिल्डिंग में स्कूल चल रही हैं, उसको मिडिल स्कूल करवा दी, उसको सैकण्ड्री स्कूल करवा दी, ग्राज उस स्कूल को बिल्डिंग के रिपेयर की रिप्लेसमेन्ट की कोई व्यवस्था नही है। उनके पास सोर्स ही नहीं है। इसलिये मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि लोकल सैल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ शिक्षा विभाग का टाई-ग्रप होना चाहिये जो नये टाउन डवलप हो रहे हैं वहां तो कम से कम जमीन हम रिजर्व कर दें स्कूल के लिये, प्राइमरी स्कूल के लिये, मिडिल स्कूल के लिये, सैकण्ड्री स्कूल के लिये। ग्राने वाले समय में वह बिल्डिंग बन पायेगी लेकिन ग्राज दिन तक हम जमीन रिजर्व नहीं करते हैं, कमेटी बनाकर रिकमण्ड करते है तो 50 प्रतिशत लेंगे, 25 प्रतिशत लेंगे लेकिन वह फायदा भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन वाले उठा रहे है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इसलिये हमको प्रोवीजो रखना पड़ेगा, एक करोड़ रुपया, दो करोड़ रुपया कुछ भी करें लेकिन टाउन के ग्रन्दर जो स्कूल है खासतौर से प्राइमरी ग्रौर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग, उन बिल्डिंग को यदि ग्राप ठीक ढंग से नहीं बनवा पायेंगे तो सारा स्कूल के नाम से जो प्राइवेट दुकानें चल रही हैं, सब मां बाप ग्रपने बच्चों को वहां भेजेंगे, ग्रौर उसके नाम से जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके सम्बन्ध में भी, सभापति महोदय, हमें बहुत सोचने की ग्रावश्यकता है कि ग्राज जो लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं वह ग्रच्छे स्कूल के प्रिन्सिपल बन रहे हैं जिन ग्रादमियों को नौकरी नहीं मिलती है वह पब्लिक स्कूल लिमिटेड के प्रिन्सिपल साहब कौन रामलाल जी, रामलाल जी स्कूल चला रहे हैं वहां भर्ती करके लोगों को एम्पलाय भी कर रहे हैं, कम तनख्वाह भी दे रहे हैं, ग्रौर स्कूल ठीक ढंग से चल रही हैं ग्रौर जो हमारा ग्रच्छा ब्रेन है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। सभापति महोदय, हमें इस सदन में बार-बार यह कहा गया है कि हम प्राइमरी ग्रौर सैकण्ड्री का डायरेक्टर ग्रलग बनायेंगे लेकिन ग्राज तक नहीं बनाया गया है। यदि मिडिल स्कूल हमने पंचायती राज को दे दिये तो मिडिल स्कूल तक ग्रापको ग्रलग से डायरेक्टर की व्यवस्था करनी चाहिये। ग्रब हमने यह फैसला किया है कि मिडिल स्कूल

(श्री सी. पी. जोशी)

जिला परिषद् के अन्तर्गत चले जायेंगे लेकिन जो टाउन के मिडिल स्कूल है, उनका फैसला कौन करेगा ? यह दोहरी व्यवस्था हो जायेगी। इसलिये इस सम्बन्ध में निर्णय करने की आवश्यकता है। जब एम. एल. ए. जिला परिषद में वोट दे सकता है, खड़ा हो सकता है, तब गांव और शहर में क्या तकलीफ है ? सबको एक साथ लिजिये।

एक बात, अन्त में, सभापति महोदय, रिक्रूटमेंट के सम्बन्ध में कहनी है। आज 80 प्रतिशत जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमे फर्स्ट जनरेशन के जो लोग हैं वे इस जांच से डिप्राइव्ड हैं। हम जो जन-प्रतिनिधि गांव में जाते हैं, वहां एक बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है। फर्स्ट जनरेशन का बच्चा है, जिसके घर में मां, बाप पढ़े लिखे नहीं है जिसने बी. ए. कर लिया सैकिण्ड क्लास या थर्ड क्लास, उसके रिक्रूटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं, शिक्षा मन्त्री जो, आपसे निवेदन करूंगा कि पंचायती राज में जो स्कूल की व्यवस्था है, जिसके सम्बन्ध में कल मन्त्री जी ने कहा था कि हम पंचायतों के अधिकार में देंगे उसमें एक काम कर दें। जो फर्स्ट जनरेशन का लड़का है उसको आप प्राइमरी स्कूल में नौकरी देंगे तो एक बहुत बड़ी सेवा आप कर पायेंगे समाज में परिवर्तन करने की। आज शहर में रहने वाले आदमी सिफारिश से नौकरी पर लगते जा रहे हैं लेकिन गांव का फर्स्ट जनरेशन का लड़का खासतौर से शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स और माइनोरिटी के फर्स्ट जनरेशन का लड़का, उसको नौकरी में बड़ी कठिनाई आती हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में हमें सोचने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, अन्य माननीय सदस्य भी अपनी बात कहेंगे। इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले कला, संस्कृति और उसके साथ में जुड़े अन्य विभागों के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। आपने कला और संस्कृति का डिपार्टमेंट बना दिया। कला और संस्कृति के डिपार्टमेंट की ग्रोथ के लिये राजस्थान में बड़ी पोटेन्शल है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कला के लिये मन्त्री महोदया हैं और संस्कृति के नाम पर जो पुराने मेले होते थे, उनकी पैरोड जी हो रही है। दोनों काम हो रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापतिजी मैं यह प्रपोज कर रहा हूं, जैसे हाइटेक सोसायटी बनी, राजस्थान में जितने बड़े घराने हैं उनकी एक सोसायटी बनायी जाये, उनके साथ मेचिंग ग्रान्ट रखी जाये और उसको हम डवलप करें। हमारी कला और संस्कृति को डवलप करने के लिये कुछ सेन्टर बनावें। अब हम जवाहर कला केन्द्र बना रहे हैं। जवाहर कला केन्द्र के अन्दर जैसे इन्टेक भी है, उसी तरह की सोसायटी राजस्थान में बनायी जाये और राजस्थान में जितने राजा-महाराजा हैं जिन्होंने रिजर्व कर रखा है, उनके साथ गवर्नमेंट कोलाबोरेट करे। नाथद्वारा टेम्पल का मैंने आपको उदाहरण दिया। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि वहां जो पिछवई है वह फेमस हैं। मैं आपको पूछता हूं आज वह कहां है। इसको डिमान्स्ट्रेट करने के लिये सरकार आगे आये और टेम्पल बोर्ड

(श्री सी. पी. जोशी)

से कोलोबोरेट करके कोई जगह बनावे तो पिछवई का डिमान्स्ट्रेशन हो सकेगा अन्यथा पिछवई को लोग बेच रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम कला और संस्कृति के नाम पर शिल्प ग्राम बना दें तो इससे राजस्थान की संस्कृति की तरक्की नहीं होगी। आपने प्रयास किये होंगे लेकिन क्या आप शिल्प ग्राम को मेनटेन कर पायेंगे, यह एक बड़ा प्रश्न चिह्न है। जो हमारी कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, उसको मेनटेन करने के लिये कोई काम नहीं कर पायेंगे, वह ठीक ढंग से नहीं कर पायेंगे। आज जो कुछ हमने किया है वह स्तुत्य है लेकिन इससे हम परमानेन्ट कल्चर, हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिये ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं कर पायेंगे।

मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी, खासतौर से मेरी जो चिन्ता है हायर एजूकेशन के सम्बन्ध में, उस सम्बन्ध में एक तरह से ब्लू प्रिन्ट लेकर आयेंगे जिससे राजस्थान में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो सके। खास तौर से मैं आपको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि आप प्रयास करके विश्वविद्यालय बनावें परन्तु यह विश्वविद्यालय बने ही न रह जायें, यह विश्वविद्यालय का स्वरूप ले पायें तो एकेडेमिक क्षेत्र में हम कुछ कन्ट्रीब्यूट कर पायेंगे। इस सम्बन्ध में आप कुछ कर पायेंगे तो ठीक होगा। बाकी आप सब बोलेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले माननीय सी. पी. जोशी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में जो कमियां हैं उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

सभापति महोदय, अंग्रेजों के काल में ऐसा कहा जाता था कि लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति हिन्दुस्तान में लागू हुई तो यह आरोप लगाया जाता था कि यह केवल बाबू तैयार करने के लिये हैं जो हिन्दुस्तान का आदमी है और उसमें दिमाग अंग्रेजों का हो या विदेशी नीति का हो। यह बात आजादी के पहले तक चलती रही लेकिन हमारे देश के आजाद होने के बाद, सन् 1947 के बाद हमने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रयोग शुरू किये। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मनोवैज्ञानिक शिक्षा लागू करने के लिये एक शिक्षा नीति बनायी कि किस प्रकार की शिक्षा हमारे प्राथमिक विद्यालय में दी जाये, कैसा पाठ्यक्रम हो और उसके साथ में किस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को दी जाये। यह एक तरह का मार्गदर्शन हमारे देश को दिया। देश के प्रारम्भिक काल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा नीति या शिक्षा पद्धति का जो प्रसारण किया गया उसका खुले रूप से प्रचार किया गया लेकिन वास्तव में व्यावसायिक शिक्षा के लिये जो पाठ्यक्रम लागू होना चाहिये, सरकार की ओर से व्यावसायिक शिक्षा के लिये जितनी सामग्री दी जानी चाहिये वह नहीं दी गई और व्यावसायिक शिक्षा की तरह हमारा देश आज भी प्रगति कर रहा है।

(श्री हीरासिंह चौहान)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कल विधान सभा में एक तारांकित प्रश्न संख्या-5 लगा था जिसमें सरकार की ओर से उत्तर दिया गया कि वर्ष 1988 के अन्त में 195 डाक्टर, 1009 इंजीनियर, 29400 बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त, 10021 आई.टी.आई. व अन्य ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति हमारे प्रदेश में बेरोजगार हैं। सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं और किस प्रकार देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब इतनी संख्या में बेरोजगार हैं, उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं क्योंकि सरकारी प्रतिष्ठानों में और प्राइवेट संस्थाओं में इतना रोजगार नहीं है लेकिन हम अपनी शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा लागू करते हैं तो निश्चित तौर से व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा जो एजूकेशन पायेगा वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकेगा। इसलिये सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज हमारे पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। आपने दस जमा दो की शिक्षा पद्धति लागू कर दी है लेकिन आज स्कूल में टेनेरी का सामान नहीं है, जहां कम्प्यूटर की शिक्षा लागू की है तो उसके लिये सामान नहीं है। जहां कारपेन्टरी की शिक्षा लागू की है तो कारपेन्टरी का सामान नहीं है। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के कुछ विद्यालय आपने खोले हैं, जितने सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें तो नहीं हैं लेकिन कुछ संख्या में व्यावसायिक शिक्षा के लिये आपने स्पष्ट रूप से घोषणा की है उसमें जब तक यह सामग्री नहीं दी जायेगी, जब तक ट्रेन्ड टीचर्स, लेक्चरार नहीं दिये जायेंगे तब तक उस जमा दो की शिक्षा पद्धति, जिसकी अन्य प्रदेशों से नकल की है, उस नकल में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो शिक्षा हम देना चाहते हैं अपने बच्चों को उसका कोई पाठ्यक्रम, नीति तय नहीं है। अभी सी.पी. साहब ने कहा कि आपने चार, पांच विश्वविद्यालय खोले हैं लेकिन कौनसा विद्यार्थी क्या अध्ययन करेगा उसका क्या पाठ्यक्रम होगा यह कोई नीति तय नहीं है। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिये हमें अच्छी तरह से मालूम है हमारा आज जो विद्यार्थी है जो कक्षा एक से पांचवी तक पढ़ता है, उसकी शिक्षा का मूल्यांकन किया जाये तो मालूम होगा कितनी गिरावट आयी है। पहले जो शिक्षा थी उसमें किताबें कम थीं, अध्ययन करते थे और बच्चे होशियार होते थे लेकिन आजादी के 40 साल बाद भी हम बच्चों को ठीक तरह से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। आज भी प्रयोग किये जा रहे हैं। एक से तीन कक्षा तक बच्चों की परीक्षा नहीं होती है। तीसरी कक्षा तक बच्चों की परीक्षा नहीं होती है इससे बच्चों में हीनभावना आती है। परीक्षा कम्पीटीशन हैं। काम्पीटीशण में बच्चा कैसे निकलता है, उस काम्पीटीशण के लिये परीक्षा का होना बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिये आपने आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। इसके तहत आपने यह घोषणा की है कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय होंगे उनमें आप दो अध्यापक और उस विद्यालय

(श्री हीरासिंह चौहान)

(2·20 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति पदासीन)

मे पाठ्न सामग्री जितनी भी चाहिए वह आप उपलब्ध करायेंगे। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत वाहन उपलब्ध करायेंगे। यह तीन प्रकार की व्यवस्था आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत आप करना चाहते हैं। यह घोषणा दो साल से हो रही है। माननीय शिक्षा मन्त्री जी, मैं दावे से कह सकता हूँ, इस प्रांत में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में एकल अध्यापक के विद्यालय चल रहे हैं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना लागू करनी चाहिए थी लेकिन घोषणा के बावजूद भी आज दिन तक लागू नहीं की। पता नहीं आप कब करेंगे, मैं नहीं कह सकता लेकिन इस प्रकार की गम्भीर स्थिति है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमने प्राथमिक शिक्षा एक से पांचवीं तक पंचायत समिति को दे दी है। यह प्राथमिक शिक्षा 59 से अलग हुई है। कौन स्कूल की सफाई करेगा, कौन पानी लायेगा, स्कूल के दरवाजे कौन बन्द करेगा, इसके लिए एक भी चपरासी की व्यवस्था नहीं की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक भी प्राथमिक विद्यालय को नहीं दिया। जगह-जगह यह शिकायत सुनने को आ रही है। बहुत सारे प्राइमरी स्कूल थे, मिडल स्कूल हो गये, कुछ जगह सैकण्डरी स्कूल हो गये। आज बड़े-बड़े गांव हैं, कस्बे हैं जहां पर फुलफ्लेश्ड प्राइमरी स्कूल चलता है, जहां सैकण्ड ग्रेड एच.एम. रखा जाता है, जहां 500 से 1000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन बड़े-बड़े स्कूल में आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे हुए नहीं हैं।

श्री मोहन छंगाणी : सभापति महोदया, पाइन्ट आफ आर्डर।

आज इतनी गम्भीर डिमाण्ड चल रही है, यहां न तो सैक्रेटरी हैं एजूकेशन के, न वाइस चांसलर हैं, न कोई बैठे हैं। उनके नीचे के अधिकारीगण यहां बैठे हैं। कम से कम आज एजूकेशन की डिमाण्ड में एजूकेशन कमिश्नर नहीं आयें, डायरेक्टर आफ कालेज एजूकेशन तो गायब हैं खैर, वाइस चांसलर नहीं आयें, यह हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपको पाइन्ट आउट करना चाहिए सरकार को, कम से कम डिमाण्ड के दिन यह अधिकारी निश्चित रूप से यहां हाजिर रहे।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ : एजूकेशन कमिश्नर नहीं हैं, डायरेक्टर ऑफ कालेज एजूकेशन नहीं हैं, क्या मतलब है फिर।

श्री सभापति : वह व्यवस्था कर रहे हैं। श्री हीरासिंह जी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपको इतनी बातें कहां याद रखनी पड़ेंगी। वह हों तो आपको मदद तो रहेगी।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदया, व्यवस्था होने में देर लगेगी, हम यह चाहते हैं मंत्री महोदय से कि वह इसको नोट करलें, जो नहीं आये हैं उनसे कम से कम एक्सप्लेनेशन काल करें, क्यों नहीं

(श्री दिग्विजय सिंह)

आये। जब आज एजूकेशन की डिमाण्ड थी तो आज क्यों नहीं आये, एक्सप्लेनेशन तो आप अपने स्तर पर लें।

श्री सभापति : He has taken notice of it and he is managing to do the same.

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करने जा रहा था, प्राथमिक शिक्षा के स्तर में बड़ी भारी गिरावट आई है। उस गिरावट को दूर करने के लिये बहुत जरूरी है, कल भी एक सुझाव आया था, आज मैं और देना चाहता हूं कि गांवों में अध्यापकों के रहने लिये गृह नहीं हैं, आवास गृह हालांकि गांवों में उपलब्ध हैं लेकिन अध्यापक 30-40 किलोमीटर की यात्रा करके बच्चों को पढ़ाने आते हैं। मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना शारीरिक श्रम करके जो आदमी 20-30 किलोमीटर साइकल से दौड़ कर स्कूल में पहुंचता है, क्या अपने शरीर की थकान उतारेगा या बच्चों को शिक्षा देगा ? इसके लिये मेरा निवेदन है कि कम से कम आप इस प्रकार के निर्देश जारी कीजिये कि अमुक दूरी के अलावा किसी का मुख्यालय नहीं रहेगा। अगर आप शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। पहले के समय में अध्यापक गांव में रहता था, गांव के वातावरण से परिचित होता था, अभिभावकों से उसका सम्पर्क होता था, आज का अध्यापक केवल स्कूली अध्यापक हो गया है। वह कभी दस बजे पहुंचता है. कभी ग्यारह बजे पहुंचता है। पंचायत समिति में आप शिक्षा को देकर बिल्कुल गिरावट लाये हैं, इससे किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है लेकिन एक एक्सपेरीमेंट आप और करना चाहते हैं, मेरा मतलब है कि प्राथमिक विद्यालय को जिला परिषद को देना चाहते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय को जिला परिषद् को दे देंगे लेकिन ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी, बच्चों की संख्या बढ़ेगी, कक्षाएं बढ़ेंगी उस अनुपात में आपको बजट नहीं देंगे, टीचर नहीं देंगे, वह की वह समस्या आयेगी आज जो प्राथमिक विद्यालयों में सामना करना पड़ रहा है कि बीस वर्ष में आपने पे स्केल दिये क्योंकि बजट नहीं दिया उनको। आप उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला परिषद् को देकर यह दुर्गति करोगे और शिक्षा के स्तर में गिरावट आयेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि चाहे आप पावर्स को डिसेन्ट्रलाइज करने के लिये यह बधाई ले सकते हो लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि इससे किसी प्रकार की शिक्षा क्षेत्र में प्रगति नहीं होगी। इसलिये मेरा तो निवेदन है कि इसका एक ऐसा ढांचा तैयार कीजिये उस के तहत कम से कम उच्च प्राथमिक विद्यालय तक की शिक्षा की प्रगति हो, इसमें गिरावट नहीं आये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं उन निजी शिक्षण संस्थाओं को हमारे राजस्थान में शिक्षा जगत में बहुत ज्यादा महत्व है। मैं तो इस मान्यता का हूं, केरल राज्य में बहुत ज्यादा संख्या में निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको मान्यता दे रखी है, वह बहुत सुन्दर ढंग से चलती हैं। आज उस स्टेट को पूरे हिन्दुस्तान एजूकेशन में पर्सेन्टेज हाई जा रहा है, हमारा पर्सेन्टेज

(श्री हीरासिंह चौहान)

बहुत बिलो जा रहा है। हमारे सरकारी विद्यालयों में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहित कीजिये। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थाओं का जो बिल पिछले दो साल से अटका हुआ है, क्या ऐसे कारण हैं जिससे बिल पास नहीं हो पा रहा है। जो उनकी व्यावहारिक डिफिकल्टीज हैं, निजी शिक्षण संस्थाओं में कम वेतन दिया जाता है, मन चाहे जब मैनेजमेंट उनको हटा देता है, इस प्रकार की अव्यवस्था जब आपके सामने बार-बार आयी है और आपने साहस करके, हिम्मत बटोर कर विधान सभा में निजी शिक्षण संस्थाओं का बजट रख दिया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट को अतिशीघ्र पास करना चाहिये। इन निजी शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार को चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे। हां, यह बात जरूर है, इसके मैनेजमेंट को चैक करने के लिये एक उच्च स्तरीय कमेटी रखी जानी चाहिये जो समय पर उस पर चैक रखती रहे। शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है तो निजी शिक्षण संस्थाओं के बिल को बहुत जल्दी पास करना पड़ेगा और उनको प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिये।

प्रौढ़ शिक्षा के हमारे केन्द्र राज्य में 14602 चल रहे हैं। हमने यह तय किया है कि निरक्षता का हम अंत करना चाहते हैं। सरकारी बजट है जिसका दुरूपयोग होगा। एक प्रौढ़ जिसका लड़का बी. ए. पढ़ा लिखा सड़क पर घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, अपने काम के लिये तरस रहा है, जो निरक्षर मां-बाप है जो कमा कर खाता है खेत पर मेहनत करता है, सड़क पर मजदूरी कर लेता है और परिवार का भरण-पोषण करता है क्या केवल अक्षर ज्ञान कर लेने से बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जायगा। मतलब यह प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम है यह हम जानते हैंकि 100-150 रूपयाकेन्द्र चलाने वाले अनुदेशक जो होते हैं उनको मिलने हैं, लेकिन इस प्रौढ़ शिक्षा कि कार्यक्रम से शिक्षा में प्रगति कोई हुई हो, तो मेरी स्पष्ट मान्यता है, इससे किसी की प्रगति नहीं हो पा रही है। हां, यह मानते हैं कि केन्द्र सरकार का बजट है और उपयोग में लाया जा रहा है। लेकिन इनका चैकिंग बराबर होना चाहिये। इनका चैकिंग बड़ा पुअर है। कहीं तो चल ही नहीं रहे हैं। तनख्वाह उठा रहे हैं लोग केवल मात्र नाम अमुक जगह पर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहा है, यह नामांकन आ रहा है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, गुणात्मक वृद्धि न करके केवल आंकड़ों के जाल में फंसे हुए हैं, हमने आपके शिक्षा विभाग का सारा यह देखा है, इसमें मुख्य रूप से आंकड़े दिये गये हैं। हमने गुणात्मक वृद्धि कितनी की, शिक्षा के जगत में हम कितना आगे बढ़े हैं, हमारे यहां के विद्यार्थी कितने सक्सेसफुल जा रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा हैं उस तरह ध्यान नहीं देकर आंकड़ों में जाते हैं हमने इतनी शाखाएं इसमें करली, इतने बच्चों का नामांकन कर दिया। एक घोषणा आपने और की है कि हम 90 तक पूरे देश में 6 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों पर शिक्षा लागू कर देंगे। 90 आ गया है, 5-6 महीने बाद शुरू होने वाला है लेकिन बजट की घोषणा के अनुसार मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रकार व्यवस्था कर

(श्री हीरासिंह चौहान)

पायेंगे । और कर लिया जाय तो बहुत ही सौभाग्य है कि छह से ग्यारह वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देनी चाहिये । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र आपके राज्य में काफी चल रहे हैं उसमें भी आपकी नीति यह है कि वह बच्चे जो 6 से 14 साल के हैं, किसी कारण से विद्यालय में रेगूलर अध्ययन नहीं कर सके उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन उनको जो मासिक वेतन दिया जा रहा हैं, 100-125 रुपये प्रतिमाह उन लोगों को दिया जाता हैं । आप उनको कम स्थानों पर चलाइये लेकिन उसमें गुणात्मक क्या वृद्धि हो रही है इसका मूल्यांकन कीजिये । आप कम जगह चलाइये, पूरी तनख्वाह देकर रखिये । बड़ी-बड़ी जगह रखिये, सेन्टर बना लीजिए, उनको आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराइये तो यह आपके अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र का विशेष उपयोग हमारे प्रान्त में हो सकता है ।

इसके अलावा शिक्षा जगत में प्राविधिक शिक्षा भी चल रही है। कुल मिला कर जितना ज्यादा एक्सपेरीमेंट चल रहा शिक्षा की विभिन्न शाखाएं हैं, विभिन्न प्रकार का स्वरूप चल रहा है लेकिन उसमें जितनी ज्यादा उन्नति होनी चाहिये उतनी नहीं हो रही है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बहुत गम्भीर प्रकृति के हैं इसलिए पूरा-पूरा ध्यान भी देंगे । इसलिए मैं आपसे आशा रखता हूं कि जो कमियां चल रही हैं उन कमियों के लिए कमेटी बनाकर सुधार किया जाना चाहिए ।

आज हमारे देश में जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि हो रही है । इस वृद्धि को रोकने के लिए हमारे पाठ्यक्रम में बहुत सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिए और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वह इस तरफ ध्यान दे कि जनसंख्या की कहां तक वृद्धि की जा सकती है । हालांकि इस तरफ कुछ कार्यवाही शुरू की गई है लेकिन इस दृष्टि से जितना पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए उतना समावेश नहीं हो रहा है । अगर पाठ्यक्रम में जनसंख्या वृद्धि और परिवार पर नियन्त्रण का अच्छा कार्यक्रम दिया जाता है तो प्राइमरी स्तर पर ही जो आने वाली भावी पीढ़ी के नौजवान हैं वह इस कार्यक्रम को पहले से ही समझ जायेंगे और इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

आज नैतिक शिक्षा की बहुत कमी है । नैतिक शिक्षा और राष्ट्रीयता की बहुत जरूरत है । आज जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं । क्या कमी है कि पिछले वर्षों में साम्प्रदायिक दंगे आजादी के कई वर्षों के बाद में हमारे देश में, प्रदेश में वापस बढ़ गये । पहले शांत हो गये थे । इसमें क्या कारण है । शिक्षा में कहीं न कहीं दोष है या हमारे विद्यालयों में जो विद्या पा रहे हैं उन विद्यालयों को इस तरह स्वतन्त्र रूप से चला रहे हैं या उनमें शिक्षा की नीति या बच्चों को गलत ढंग से शिक्षा दे रहे हैं । आम तौर पर विद्यालय भी आपके अधीनस्थ चलते हैं, उनको चैक करना चाहिए । क्या उनमें जो शिक्षा दी जा रही है, कहीं साम्प्रदायिकता की शिक्षा तो नहीं दी जा रही है । कहीं न कहीं इसके मूल में जाना पड़ेगा । हम मूल में

(श्री हीरासिंह चौहान)

नहीं जाकर ऊपर ही ऊपर हवा में खुश होना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ यह हमारा दुर्भाग्य होगा। इसलिए इस साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए भी इस पाठ्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार का समावेश किया जाना चाहिए ताकि देश की आगे आने वाली भावी पीढ़ी हमारी राष्ट्रीयता को पहचाने और हमारे देश का चरित्र अच्छा बन सके, इस प्रकार का स्वरूप हो सके। आपने समय दिया, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति के बजट अनुदान की मांग पर मैं अपने विचार रख रहा हूं। यह निर्विवाद है कि जिस समय इस देश को आजादी मिली उस समय शिक्षा का प्रचार और प्रसार उतना नहीं था जितना आज है।...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सभापति महोदय, कला और संस्कृति मन्त्री तो हैं ही नहीं। किसको सुनाते है आप।......(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके होते हुए तो नई कला का प्रदर्शन होता है।...

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी, मुचेतक महोदय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मन्त्री जी नोट कर रहे हैं। मुख्य मांग शिक्षा की है। शिक्षा मन्त्री जी विराजे हुए हैं। कोई प्वाइंट कला और संस्कृति के बारे में कहेंगे तो नोट कर बता देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : कल्ला साहब, नोट तो रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं। आप इतना लाइटली मत लो। मिनिस्टर्स आर नॉट दी पी.एज.।...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आज शिक्षा पर करीब पांच अरब रुपये का खर्चा किया जा रहा है जबकि आजादी मिलने के समय राजस्थान के जिला मुख्यालय पर भी मैट्रिकुलेशन से अधिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। यह निर्विवाद है कि आजादी मिलने के बाद सरकार ने निरन्तर, निर्बाध रूप से शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, नई शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए, शिक्षा के नये संस्थान चलाने के लिए व्यापक स्तर पर, व्यापक पैमाने पर काम किया है इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी निर्विवाद है कि जहां एक ओर शिक्षा के संस्थान खोलने में, शिक्षा संस्थाएं चलाने में, प्राइमरी और सैकण्डरी स्कूल खोलने में, कालेज और यूनिवर्सिटीज खोलने में जहां काफी तत्परता दिखाई है दूसरी ओर इन शिक्षण संस्थाओं का प्रशासन चलाने वाले अधिकारीगण, शिक्षा अधिकारी हैं उनका कार्यक्रम और कार्य करने के तरीके में सुधार लाने की भी आवश्यकता है।

आज हम यह देखते हैं कि जहां सरकारी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं चाहे वह प्राइमरी और सैकण्डरी स्कूल हों या कालेज हों, चाहे यूनिवर्सिटी हों लेकिन दूसरी ओर जहां पर प्राइवेट सेक्टर में जो पब्लिक स्कूलों के नाम पर शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं उनके स्तर में और सरकारी स्तर पर चलने वाली शिक्षण संस्थाओं

(श्री हरि मोहन शर्मा)

के प्रशासन में और शिक्षा की व्यवस्था में व्यापक अन्तर है । इसका मूल कारण यह है कि जो पब्लिक सैक्टर में स्कूल चला रहे हैं उन संस्थाओं में आई. ए. एस. के लड़के, मंत्रिगण के लड़के और जो भी साधन सम्पन्न हैं उनके लड़के पढ़ते हैं और उनका सरकारी शिक्षण संस्थाओं से अन्तर होना स्वाभाविक है । अगर मन्त्री जी, आई.ए.एस. अफसर, डायरेक्टर आफ एजूकेशन और किसी पैसे वालों के सुपुत्र भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अगर शिक्षा ग्रहण करें तो निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि इन शिक्षण संस्थाओं का जो कार्य करने का तरीका है, जो शिक्षा देने का तरीका है उसमें निश्चित रूप से सुधार आयेगा ।

तो पहला तो मेरा सुझाव शिक्षा मंत्री जी को और राज्य सरकार को यह है कि जितनी भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन हैं उनको कम्पलीट रूप से बन्द कर दिया जाना चाहिये । हालांकि कई आदमी मानसिक रूप से मेरे इस विचार से सहमत नहीं होंगे लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक शिक्षा की यह दोहरी व्यवस्था रहेगी तब तक सरकारी स्तर पर चलने वाली शिक्षण संस्थाओं के प्रशासनिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण में सुधार होना मुझे तो कोई सम्भव लगता नहीं है । तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं चलाओ जहां मन्त्री जी के, एजूकेशन सैक्रेटरी के और सम्पन्न घरानों के लड़के उन में पढ़े और अनुसूचित जाति का लड़का जो गांव के ठेठ + + + का लड़का है वह भी उसी संस्था में पढ़े तब तो शिक्षा के स्तर में सुधार आ सकता है । अगर यह काम नहीं किया गया और इस प्रकार से नहीं सोचा गया और इस प्रकार के सुधार नहीं किये गये तो शिक्षा में जो अन्तर है । एक आई. ए. एस. का लड़का आराम से कम्पीटिशन देकर, बढ़िया शिक्षा ग्रहण करके आई. ए. एस. बन जाएगा और गांव का लड़का जो ठेठ + + + का लड़का है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, गांव के + + + शब्द पर मेरे को आपत्ति है । गांव का ग्रामीण हो सकता है लेकिन क्या गांव में रहने वाले + + + होते हैं । यह शब्द दो बार दोहरा दिया··· (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । + + + शब्द को एक्सपंज कर दिया जाय । (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : + + + शब्द कोई विवाद का विषय नहीं है । अगर एक्सपंज भी कर दिया और यों भी गलत है तो मैं इसको वापिस ले सकता हूं । यह विवाद का विषय नहीं हैं। लेकिन आप जिस भावना से यह बात कही जा रही है और जिस भावना से आपको समझना चाहिए और जिस बात को विपक्ष के सदस्यों को जोर-शोर से उठाना चाहिए उसकी बजाय अगर सत्ता पक्ष के सदस्य कहते हैं तो आप + + + शब्द को आधार बना कर उसको विवाद का विषय बना कर न कोई न्याय कर सकते हैं, न कोई तर्क संगत है । मेरा अभिप्राय···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चेयर

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री सभापति)

को एड्रेस करें। (व्यवधान)

प्लीज कंटीन्यू माननीय सदस्य।

श्री हरि मोहन शर्मा : मेरा अभिप्राय गांव के गरीब आदमी से है....

श्री डूंगरराम पंवार : हां गरीब कह सकते हैं। + + + मत कहें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, वह शब्द बदल दें।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा मतलब उस गरीब आदमी से है जिसको दोनों टाइम पूरा भोजन नहीं मिलता। मेरा अभिप्राय उस अनुसूचित जाति और जन जाति के आदमी से है जो आर्थिक दृष्टिकोण से अपने बच्चों को ठीक शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। मेरा अभिप्राय गांव के रहने वाले उस साधारण नागरिक से है जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सके और इस अभिप्राय को समझते हुए ही आपको अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जिस आधार पर आपसे निवेदन चाहता हूं कि यह पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल और जो सरकारी स्कूल हैं। शिक्षा की व्यवस्था एक प्रकार की होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि महिलाओं की शिक्षा के लिए भी कुछ और अधिक कर गुजरने की आवश्यकता है। यह भी सही है कि प्राइमरी स्तर पर भी महिलाओं के स्कूलस चलते हैं। यह भी सही है कि मिडल क्लासेज भी महिलाओं की शिक्षण संस्था अलग है, सैकण्डरी स्कूल भी महिलाओं की अलग है, 10+2 वाली भी महिलाओं की अलग है, महिलाओं के कालेज भी है,। तो मैं यह चाहूंगा, माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से ठीक से व्यवस्था चलाने के लिए महिलाओं के लिए महिलाओं की शिक्षण संस्थाओं को ठीक प्रकार से चलाने के लिए महिलाओं के लिए एक अलग डायरेक्टोरेट होना चाहिए और महिला शिक्षण का संचालन पूरे राजस्थान में करें और वह डायरेक्टोरेट इस बात को भी देखे कि राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षण संस्थाओं के लिए किस प्रकार के और काम करना और प्रशासनिक स्तर पर किस प्रकार से सुधारना है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह सही है कि आपने प्राइमरी स्कूल को पंचायती राज में दिया। यह भी सही है कि आपने मिडल स्कूल को आपने इस बात के लिए न तो नियम बनायें, न कोई कानून बनायें, न कोई सोचा और एकदम ही निर्णय ले लिया। उन अध्यापकों का क्या होगा? जो अध्यापक आज मिडल स्कूल में है। जो अध्यापक मिडल स्कूल में है उनका स्थानान्तरण उनका अधिकार होते हुए भी आज आप शहर में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कानून नहीं है। मिडल स्कूल में जो अध्यापक हैं उनको शहरों में स्थानान्तरित नहीं कर पा रहे हैं। आपका विभाग उस काम को करेगा, शिक्षा विभाग उनके स्थानान्तरण करेगा, शिक्षा विभाग उनकी पदोन्नति को तय करेगा,

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

शिक्षा विभाग का उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल होगा या पंचायती राज विभाग का उन पर कन्ट्रोल होगा, वह डेपुटेशन पर रहेंगे या उनकी सेवाओं को वहां स्थानांरित कर दिया गया है, क्या वह डेपुटेशन पर गये हैं ? तो क्या उनको डेपुटेशन अलाउन्स दिया जायेगा ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर····

श्री दिग्विजय सिंह : अभी तक तो बजट भी ट्रांसफर नहीं हुआ है।

श्री हरिमोहन शर्मा : वह तो बजट पास होते ही जायेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : बजट पास होने का सवाल नहीं है। उसका जो बजट होना चाहिए था, मिडल स्कूल का वह अभी तक ट्रांसफर होकर के गया नहीं है, वहीं पड़ा हुआ है जहां पर पहले था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : इस प्रकार पहले आपको इनको संस्थाओं को स्थानान्तरित करने से पूर्व अपने नियम और अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए थी सरकार को कि जिसके कारण उस क्षेत्र में काम करने वाले, अध्यापकों के मामले में नीति तय होती और उस नीति के अभाव में केवल मात्र निर्णय लेना न तो उचित है और मैं यह चाहूँगा कि राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग इस मामले में जल्दी नीति और नियम बना करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि भले ही आप कितनी ही प्राइमरी स्कूलें खोल दें, हायर सैकण्डरी स्कूल खोल दें, कितने कालेज खोल दें और कितनी यूनिवर्सिटीज बना दें लेकिन जब तक प्रशासनिक स्तर पर उनके कार्य करने के तरीके को कोई चैक करने वाली आथारिटी नहीं रहेगी, चैक करने वाली अथारिटी आपके पास है। आपके पास डायरेक्टर भी हैं, आपके पास कितने ही इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं, आपके पास डिप्टी इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भी हैं। लेकिन मेरा अपने गांव और शहर का यह अनुभव है कि न तो डायरेक्टर साहब और न जिला शिक्षा अधिकारी और न ही डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स चाहे पंचायत समिति में हों, चाहे आपके शिक्षा विभाग के अधीन हो वह जो भी हों उन शिक्षण संस्थाओं का इन्स्पेक्शन करते हैं वह घर बैठे ही कर लेते हैं। वहां जाकर यह नहीं देखते कि किस अध्यापक की क्या हालत है, कौन सा अध्यापक टाइम पर गया है, कौन सा अध्यापक समय पर जाता है। आप यह देखें कि जिला मुख्यालय पर जो गांव में अध्यापक जाने वाले हैं, साढ़े आठ और नौ बजे तक बस स्टैण्ड पर अगर आपका शिक्षा विभाग का कोई आदमी खड़ा हो जायेगा तो उसको वहीं इस बात का पता लग जायेगा कि यह अध्यापक जी सात बजे के स्कूल में साढ़े आठ बजे की बस में बैठ करके यहां से जा रहे हैं। साढ़े आठ बजे वहां पहुंचते हैं और ग्यारह बजे वहां से रवाना हो जाते हैं। टाइम पर कोई जाता नहीं है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिस आदमी का रिजल्ट ठीक हो, जो आदमी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

समय पर जाता हो, जो अनुशासन में रहता हो, जो ठीक ढंग से शिक्षा में काम करता हो, जो लड़कों के साथ ठीक से व्यवहार रखता हो, पढ़ाने में भी कुशल हो, उसकी पदोन्नति भी उसी अध्यापक के माफिक होगी जो स्कूल टाइम पर नहीं जाता हो, जो प्रधानाध्यापक से झगड़ता हो, जो, शिक्षण संस्थाओं में अधिकारी हैं और मंत्री हैं उनकी बेइज्जती करने के लिए तैयार रहता हो और नेतागिरी करके अपना काम चलाता हो उसकी भी पदोन्नति उसी आधार पर हो जायेगी। तो मैं यह पूछता हूं सरकार से कि जो ईमानदारी से काम करेगा, जो समय पर जायेगा, जो निष्ठावान रहेगा, जो पढ़ायेगा उसको भी पदोन्नति उसी आधार पर मिलेगी तो वह ईमानदारी क्यों रहेगा, वह निष्ठावान क्यों रहेगा, वह समय पर क्यों जायेगा, वह अनुशासित क्यों रहेगा? इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर राजस्थान सरकार के माननीय शिक्षा मन्त्री जी को विचार करना चाहिए और उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो निष्ठा के साथ शिक्षण संस्थाओं में लगे हुए हैं और जो भारत के भावी निर्माण में जुटे हुए हैं ईमानदारी से उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए।

आप यह देखिये, आपने प्रोफेसर्स की ग्रेड बढ़ा दी, बहुत अच्छा किया। आपने आल इण्डिया लेवल पर और आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हिसाब से 5-5 हजार रुपये तनख्वाह दे दी, बहुत अच्छा किया। विद्वान आदमियों का आपने चयन कर लिया। लेकिन उनको यूनिवर्सिटी में जो दो तीन पीरियड पढ़ाने पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, वह जाते हैं और आकर के कहते हैं आज प्रोफेसर साहब नहीं आये, आज रीडर साहब नहीं आये, आज हमारी पढ़ाई नहीं होगी। 5 हजार रुपया महीना तनख्वाह देने के बाद जो प्रोफेसर और रीडर दो पीरियड नहीं पढ़ाये और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चैकअप नहीं है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने क्वान्टिटी में बहुत स्कूल खोल दिये। मैं तो बहुत फ्रैंक राय का हूँ कि आप स्कूल खोलना भले ही बन्द कर दें, आप मत खोलिये लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो आपकी शिक्षण संस्थायें चल रही हैं अगर आपने व्यवस्था नहीं सुधारी तो बिल्कुल निकम्मी हालत में यह शिक्षा विभाग पहुंच जायेगा और ये उस ओर दौड़ रहे हैं जिस ओर आगे जाकर के स्थिति खतरनाक होने वाली है।

आपकी शिक्षा नीति के मामले में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पोलीटेक्निक कालेज खोले, बहुत अच्छा किया। टेक्निकल एज्युकेशन को बढ़ावा दिया, बहुत अच्छा किया। इंजीनियरिंग कालेज खोले लेकिन अगर आपने उन इंजीनियरिंग कालेज से निकलने वाले छात्रों को, उन पोलीटेक्निक कालेज से निकलने वाले छात्रों को, आई.टी.आई. से निकलने वाले छात्रों को, उनके निकलने के बाद अगर रोजगार की व्यवस्था सरकार ने नहीं की तो आने वाले दिन में, आने वाले समय में ऐसी क्रांति होगी जिसको

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सम्भाल पाना मुश्किल हो जायेगा। आज आपके पास दो हजार इंजीनियर्स बेकार पड़े हैं। जिनके पास बी.ई. की डिग्री है, वह बेकार सड़कों पर घूम रहे हैं और उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए कि जिसके साथ ही साथ जिन टेक्निकल कालेज से निकलने वाले, इंजीनियरिंग कालेज से निकलने वाले उन छात्रों के लिए हम या तो रोजगार की व्यवस्था करें या सरकारी नौकरी की व्यवस्था करें या वैकल्पिक रूप से उनके व्यवसाय करने के लिए हम कारगर व्यवस्था करें। आज एक पढ़ा लिखा आदमी सड़क पर बेकार तरीके से नहीं घूमें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल के मामले में जो जिला स्तरीय, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हों, चाहे डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हों, चाहे डिप्टी निदेशक हो। पहले जब आपके जमाने में, आपके बाद में पैदा होने वाले लोग हैं उस समय जब कोई एक इन्स्पैक्टर ऑफ स्कूल्स किसी स्कूल में इन्स्पेक्शन के लिए आता था तो तहलका मच जाता था। सात दिन पहले उस स्कूल की व्यवस्था होती थी, वहां सफाई की अवस्था होती थी अनुशासित रूप से लाइनबद्ध लड़कों को बैठना पड़ता था और इस बात का रहता था कि हमारे यहां जिला शिक्षा अधिकारी जी इन्स्पेक्शन पर आयेंगे। एक तहलका मच जाता था। आज की तारीख में चाहे डाइरेक्टर हो, चाहे एजूकेशन सैक्रेटरी हो, चाहे इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे एडीशनल डायरेक्टर हो कोई तहलका मचता ही नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी : किस जमाने की बात कर रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं तो उस जमाने की बात····

श्री सभापति : आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : पुरानी बात है। दामोदर जी आचार्य के समय (व्यवधान) हमारे जमाने की भी है····

श्री सभापति : जमाने के साथ-साथ व्यवस्थाओं में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। प्लीज कन्टीन्यू।

श्री हरिमोहन शर्मा : तो मैं यह चाहता हूँ कि इन सब प्रकार की व्यवस्था मैं आपको कारगर कदम उठाने चाहिए। अभी भिनाय से आने वाली माननीय सदस्या ने जब सी. पी. जोशी साहब अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे थे तो एक रोष जाहिर किया था कि आप बोलेंगे उसका नतीजा क्या निकलेगा और बहुत बढ़िया ढंग से सी. पी. जी ने एक आशावाद रूप में उस बात का उत्तर दिया था कि हम अभी आशान्वित हैं कुछ न कुछ तो होगा। माननीय शिक्षा मन्त्री जी इनकी, सी.पी. जोशी साहब की आशा बरकरार रहे और दूसरे लोग भी आशान्वित रहे इसलिए क्योंकि यह विधान सभा का एक अन्तिम सत्र के रूप में आगे आने वाले समय में 5 दिन के लिए या 10 दिन और मिलेंगे। तो हमें

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आशान्वित रखने के लिए आप निश्चित रूप से इन चार और पांच महीनों में कारगर और क्रांतिकारी कदम उठा करके जो राजस्थान की जनता आपसे आशा और अपेक्षा करती है आप उस अपेक्षा के अनुरूप कुछ कारगर कदम उठाकर प्रशासनिक रूप में, शैक्षणिक रूप में आप इस व्यवस्था को सुधारने का....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पांच वर्ष तक भट्टी झोंक ली और चार महीने में सारा काम कर देंगे यह ? पांच वर्ष तक भट्टी झोंक ली अब कर देंगे काम यह।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य कंक्लूड करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसके साथ ही मैं शिक्षा के साथ कला और संस्कृति पर अपनी बात दो मिनट कहना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : कला और संस्कृति के मामले पर अभी 295 के तहत एक प्रस्ताव रखा जा रहा था जब भी चिन्ता व्यक्त की गयी थी। कोई नायला दुर्ग की चिन्ता कर रहे थे, कोई तारागढ़ की कर रहे थे, कोई कहीं चिन्ता कर रहे थे कि बाहर से होटल वाले, ओबेराय वाले आते हैं और उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं और वहां होटल चलाते हैं। निश्चित रूप से कला और संस्कृति के हिसाब से जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी रक्षा करने का दायित्व हमारा और सरकार का है। आज हम भले ही चिन्ता करें इस बात की कि ओबेराय आकर किसी कीमत पर प्रोटेक्ट करके वहां होटल बना करके उसको ठीक तरह से बनाये रखना चाहता है, लेकिन एक बात पर आपको और हम सदस्यों को विचार करना चाहिए कि अगर प्रोटेक्शन किसी ने नहीं किया, हम बूंदी नगर का तारागढ़ का किला जब ओबेराय इण्टरकांटीनेन्टल ने खरीद लिया तो हमने भी बहुत हल्ला किया था और इस विधान सभा में किया था, इस बात की चिन्ता की थी कि उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे ऐतिहासिक महत्व की है, लेकिन आज उस किले की दीवारें गिर रही हैं वह सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो रही है, वह किला समाप्त हो रहा है। न सरकार उसकी रक्षा कर पा रही है और न हमने ओबेराय को देने दिया। तो हमको इस बात पर तटस्थ रूप से विचार कर लेना चाहिए कि अगर वैसे ही उस सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करना है और किसी को नहीं देना हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री दिग्विजय सिंह : देने वाले को यह पाबन्द किया जाये कि वह उसके कांप्लेक्स को बदलेगा नहीं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरी चिन्ता यह है कि सरकार अपने स्तर पर इस धरोहर

(श्री हरिमोहन शर्मा)

की रक्षा कराये तथा उचित प्रबन्ध कराये, ऐसा प्रबन्ध करे कि वह गिरने न पाये। वह धरोहर सुरक्षित रहे और उसका ऐतिहासिक महत्व बना रहे। अगर आप और हम, बजट और राशि के अभाव में यह नहीं कर पाते हैं तो इस सदन में मेरी बहुत स्पष्ट राय है कि कुछ प्रतिबंन्धों के साथ उसके ऐतिहासिक महत्व को बनाये रखने के लिए अगर कोई आदमी उसको प्रोटेक्ट करता है तो उसे भी अवसर दिया जाना चाहिए नहीं तो यह हमारी पूरी पुरानी सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जायेगी और हम यहां बैठे-बैठे इस बात की चिन्ता व्यक्त करते रहेंगे।

इसी प्रकार बूंदी में एक चित्र शाला बनी हुई है। मुझे इस बात की खुशी हैं कि सरकार ने संस्कृति और कला में थोड़ा बहुत ध्यान दिया है। लेकिन वह महत्व का चित्र है उसकी ओर आपको और अधिक ध्यान देने की जरूरत है उसके लिए और राशि उपलब्ध करने की जरूरत है बूंदी ऐतिहासिक महत्व का स्थल रहा है और वहां के ऐतिहासिक स्थलों को प्रोटेक्ट करने के लिए राज्य सरकार को और आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रासिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय सभापति महोदया, इस देश के ऋषि और मनीषियों ने विद्या के बारे में कहा है कि—"सा विद्या या ददाति विनयम्।" लेकिन वह बात तो दूर रही, मैं मुख्य मन्त्री जी के भाषण पर आती हूँ। मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि एजूकेशन के बारे में मानवीय संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, एवं राष्ट्रीय उच्चाकांक्षाओं को विकसित करने में शिक्षा की चूंकि अहम् भूमिका है, इसलिए इस बजट का 19 पर्सेण्ट से ज्यादा यानि 519.76 करोड़ की बजट मांग लेकर शिक्षा मन्त्री जी सदन में आये हैं। शिक्षा के बारे में अभी बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस दिन से देश आजाद हुआ आप हर बार हर प्रगति रिपोर्ट के अन्दर एक बात ही लिखते हैं कि आजादी से पहले राजस्थान के निर्माण के समय दो करोड़ का शिक्षा का बजट था और अब 519.76 करोड़ का शिक्षा का बजट है और केवल क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस के आधार पर आप करते हैं लेकिन नतीजा सिर आता है, कुछ भी नहीं निकलता है। आज भी हिन्दुस्तान का जो औसत शिक्षा का प्रतिशत है, उसमें राजस्थान, मणिपुर जैसे प्रदेश को छोड़कर सबसे नीचे है। 519 करोड़ रुपये किस बात में खर्च होंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत तो और भी दयनीय हालत में है। उसके बाद भी किसी तरह का परिवर्तन इसमें लाने की सरकार नहीं सोच रही है। मुझे बड़े अफसोस होता है कि यह महिला शिक्षा जगत को, शिक्षा के क्षेत्र को ऊक परीक्षण की दृष्टि से भयंकर बना देते हैं। हर बार कभी कोठारी आयोग बिठाते हैं कभी व्यावसायिक शिक्षा, कभी—

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

बुनियादी शिक्षा, कभी टेन प्लस टू, कभी नवोदय, समझ में नहीं आता कि कब तक यह परीक्षण होते रहेंगे इस देश की भावी पीढ़ी के साथ। हालत तो यह कर दी गांवों में कि प्राथमिक विद्यालय में टीचर नहीं। पहली बात तो पूरे टीचर्स नहीं हैं और जहां हैं, वह समय पर पढ़ाने जाते नहीं हैं और सबसे बड़ी बात तो यह कर दी कि प्राथमिक कक्षाओं के अन्दर परीक्षा लेनी अनिवार्य नहीं है इसलिए बच्चे चाहे कुछ सीखे, न सीखें, मास्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है पढ़ाने की। क्यों पढ़ायेगा पांचवीं तक आप वैसे ही चढ़ाते चले जायेंगे। नतीजा यह निकलता है कि पांचवीं में जब बच्चा आता है कुछ भी नहीं सीखता, कई बार तो पता नहीं, वह अपना दस्तखत भी सीख पाता है या नहीं सीख पाता है। यह मखौल किया है गांवों के साथ। जैसा अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि गांव के XXXबना रहे हैं आप। यह साजिश है अभिजात्य वर्ग की, हिन्दुस्तान के अन्दर। यह साजिश है कि गांव में रहने वाले लोगों को···(व्यवधान) माननीय सभापति महोदया, मुझे टोका नहीं जावे, मुझे अपनी बात कहने दिया जावे। बैठे-बैठे मत बोलें।

हिन्दुस्तान के अन्दर अभिजात्य वर्ग की एक साजिश है कि गांव के अन्दर रहने वाले लोगों को पढ़ने का ऐसा मौका मत दें कि वह काम्पीटिशन में आये, चाहे सर्विस में आये चाहे वह राजनीति में आये, चाहे और कहीं। इसीलिए बंटाढ़ार कर दिया आपने पंचायत समितियों के अन्दर प्राथमिक शिक्षा का। और, अब उस साजिश की एक कड़ी और जोड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का आपने बजट पेश किया है, अभी तक उसमें कोई प्रावधान नहीं किया। उसमें लगता है कि यह मिडल स्कूलें जिला परिषदों को देने की बात एक चुनावी झांसेबाजी है, इसके अलावा मुझे कुछ और नजर नहीं आता। प्राथमिक शिक्षा की तो यह हालत इन्होंने बना ही दी है। प्राथमिक शिक्षा के अन्दर खेल के मैदान नहीं, खेल के सामान नहीं, टाट पट्टी नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, कभी भी किसी तरह की व्यवस्था की है और आप ताज्जुब करेंगे गांवों में एक इस तरह का प्रचलन है कि स्कूल से कुछ दूर पर जोहड़ के अन्दर या चारागाह भूमि पर जो लोग स्कूलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम अपने स्कूल को ऐसी जगह पर लें कि किसी जमाने में मिडिल स्कूल भी हो, सैकण्डरी भी हो, उससे भी आगे बढ़े। तो वह गांव से दूरी कुछ पर स्कूल बने हुए हैं। उन स्कूलों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। 519 करोड़ का जो बजट आप बना रहे हैं, क्या यह आप नहीं कर सकते कि गांवों के अन्दर आपने पेयजल की व्यवस्था की है तो थोड़ी सी पाइप लाइन और डाल करके आगे स्कूल तक पहुंचा दें। छोटे-छोटे बच्चे या तो अपने घर से जाकर पानी लेकर आते हैं या पानी के लिए दौड़कर वापस जाकर आयें। यह तो हमारे प्राथमिक स्कूलों की हालत है। मकानों की जो हालत है, वह तो अब तक तो आप आर.एल.ई.जी.पी., एन.आर.ई.पी के अन्दर गांवों की बात करते थे अब उस और जवाहर रोजगार योजना को बिल्कुल

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सरपंचों के सहारे छोड़कर स्कूलों में जो थोड़े-बहुत काम होते थे वह बात भी आयी गई हो गयी। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि घोषणाएं तो बहुत बड़ी-बड़ी माननीय मुख्यमंत्रीजी ने की हैं तीन हजार प्राथमिक स्कूल खोलेंगे छः सौ प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक बनायेंगे, छः सौ स्कूलों को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय बनायेंगे, सौ नवोदय स्कूल खोलेंगे। बहुत कुछ की हैं, लेकिन यह सब करने के बाद भी आपने जो पिछले साल घोषणायें की थीं, वह सारी क्या स्कूलें खुली हैं ? और खुल गयीं तो क्या उनके अन्दर अध्यापकों का अभाव नहीं है और यदि अध्यापकों का अभाव नहीं है तो यह आप जो थोथी और असत्य घोषणायें क्यों करते हैं ? जितने जिला मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालयों के ऊपर चाहे डिग्री कालेज लड़कियों के हों, चाहे डिग्री कॉलेज लड़कों के हों, एक तरफ तो आप फीमेल एजुकेशन के बारे में बहुत चिंतित नजर आते हैं...

(3.00 म.प.)

लेकिन फिमेल एजुकेशन के बारे में आपकी उदारवादी नीति नहीं हैं। मैं इसलिए कह सकती हूं कि जहां डिग्री कालेज है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, आपके कहीं भी गर्ल्स होस्टल नहीं है। फिर आप ग्रामीण इलाके से आने वाली लड़कियों से कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि वह रोजाना अप-डाउन करें और वहां आकर पढ़े ? यह मुसीबत झुंझुनूं के अन्दर भी हमें महसूस होती है कि वहां एक गर्ल्स होस्टल है, एक प्राइवेट संस्था है लेकिन उसको किसी तरह की सरकारी इमदाद नहीं मिलने से वह संस्था भी, जिसे कहना चाहिए कि जितना प्रबन्ध उसे करना चाहिए वह नहीं कर पाती है। यह एक जिले की समस्या नहीं है, कई जिलों के अन्दर इस तरह की समस्या है। जयपुर जिले के अन्दर तो आपने जाने कितने होस्टल खोल रखे हैं–लड़कियों के भी और लड़कों के भी। लेकिन गांवों की तरफ, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स की तरफ आपका कत्तई ध्यान नहीं हैं। इसलिए उस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूँ कि कई जगह पर लड़कियों के स्कूल में मेल टीचर लगे हुए हैं और लड़कों के स्कूल में फिमेल टीचर लगी हुई है एक बार एक फिमेल मेरे पास आई। मैं उसका नाम बता सकती हूं लेकिन नाम बताना कोई जरूरी नहीं है। वह मेरे पास आई और कहा कि मैं बायलोजी की टीचर हूं। लड़की की उम्र 23–24 साल की थी। उसने कहा कि मैं बायलोजी की टीचर हूं यह और बड़े-बड़े, ढींग-ढींग लड़के, जिनकी उम्र सत्रह-सत्रह, अठारह-अठारह साल की होती है, मुझसे क्वेश्चन पूछते है और बड़े उल्ट-पटॉग क्वेश्चन पूछते हैं और जवाब देने में मुझे बड़ी सकुचाहट होती है। मेरा ट्रांसफर आप किसी फिमेल स्कूल में करवा दीजिए, लड़कियों के स्कूल में करवा दीजिए।.... (व्यवधान)

आप बात तो कहने दें। बीनाजी की बात थोड़े ही है। मैं प्रेक्टिकल डिफिकल्टी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बता रही हूँ। उन बातों को दो साल बीत गये, आज दिन तक, वह टीचर लड़कों के स्कूल में लगी हुई है और बायलोजी पढ़ाती हैं। क्या लड़कियों के स्कूल में कहीं कोई जगह नहीं है जहां पर उसे लगाया जाय ? जबकि कमला जी के जमाने में, जब कमला जी शिक्षा मंत्री थी, तब उन्होंने एक आदेश प्रसारित किया था कि यदि झुंझुनूं जिले में कोई स्थान रिक्त हो तो लड़कियों के स्कूल में उसको लगा दिया जाय लेकिन आज दिन तक वह इम्पलीमेंट नहीं हुआ। इसलिए कहां तक बात करते हो आप ? यहाँ ब्यूरोक्रेसी छाई हुई है, मिनिस्टर्स के आदेश कोई नहीं मानता और अब तो इसलिए नहीं मानते कि वह देखते हैं कि चार-छह महीने के हैं। अब तो कोई आदेश मानता ही नहीं है। माननीय सभापति महोदया, मुझे इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना है कि जितने गांवों में स्कूल हैं, पंचायत समितियों के जरिये, यह जो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा पर हम 5 करोड़ 63 लाख रुपये खर्च करेंगे। यह बात सही है कि यह भारत सरकार का पैसा है लेकिन भारत सरकार का पैसा क्या बरबाद करने के लिए है ? 5 करोड़ 63 लाख रुपये यदि आप पेयजल व्यवस्था के लिए कहीं खर्च करते तो समझने वाली बात थी। यह प्रौढ़ शिक्षा नहीं "फ्राड" है, बिल्कुल फ्राड है। इसके अन्दर कहीं कुछ नहीं होता है। केवल पंचायत समितियों के विकास अधिकारी और प्रधान मिलकर चाहे जैसे कर लेते हैं, आंकड़े दिखा देते हैं और बता देते है कि हमने इतनों को शिक्षित बनाया और इतना यह किया। इन 5 करोड़ 63 लाख रुपयों का कोई उपयोग नहीं है और यह सरासर भारत सरकार को धोखाधड़ी है।

माननीय सभापति महोदया, मुझे यह भी निवेदन करना है कि प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में जो ट्यूशन फीस का अन्तर है उसके बारे में सरकार बिल्कुल चिन्तित नहीं है। यह बात सही है कि सरकारी स्कूलों में तो कोई पढ़ाता ही नहीं है और प्राइवेट स्कूलों में थोड़ा-बहुत पढ़ाते तो है लेकिन वहां जिस कदर बच्चों और अध्यापकों का शोषण होता है उसकी भी करूण कहानी है। छोटे से तीन साल के बच्चे को जयपुर की किसी पब्लिक स्कूल के अन्दर, जहां इंगलिश मीडियम हो, डालकर देखिये। तीन साल के बच्चे की ट्यूशन फीस सवा सो रुपये और डेढ सो रुपये हैं। इसलिए एक तरफ तो ट्यूशन फीस का इतना अधिक होना, दूसरी तरफ अध्यापकों का शोषण, दस्तखत कराते हैं कितने पर और देते है कितना ? इसलिए इसके ऊपर कोई न कोई सरकारी नियंत्रण होना चाहिए ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चालीस-चालीस हजार रुपये डोनेशन ले रहे हैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसके अलावा खासतौर से बी.एड. के जितने कालेजेज चलते हैं उनमें तो ऐसी प्रथा नहीं है कि वह तो डोनेशन ले-लेकर लखपति बन गये। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि इसके बारे में भी सरकार सोचे। मैं एक और निवेदन करना चाहती हूँ शिक्षा मंत्रीजी कि जब रूल्स के अन्दर बड़ी एनॉमली है। जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको आप अपने

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यहां पर चाहे एल. डी. सी. रखते हों, चाहे यू. डी. सी. रखते हों और कई बार एजूकेशन से कोई आदमी आता है तो उसको टीचर भी रख लेते हो लेकिन आज दिन तक उसको तो आप रिटायर करते हैं तो 55 साल की उम्र पर और बाकी लोगों को 58 की उम्र पर रिटायर करते हैं। यह भूतपूर्व सैनिकों के साथ अन्याय है। इस तरह के केसेज़ में आपको बता सकती हूँ जहां झुंझुनू के अन्दर 55 साल की उम्र पर यह कहते हुए रिटायर कर दिया गया। राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों को 58 साल की उम्र में सेवा निवृत करती है। इन भूतपूर्व सैनिकों के साथ फिर यह अन्याय क्यों? 55 वर्ष पर क्यों रिटायर किया? इसलिए इस विसंगति को भी दूर कीजिए।

आज हमारी शिक्षा की जैसी नीति है उसके कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि ऐसी क्या बात हो गई है कि इस जमाने के अन्दर कोई जय नारायण व्यास हम पैदा नहीं कर सके, कोई मोहनलाल सुखाड़िया पैदा नही कर सके। आखिर वही राजस्थान है। क्या यह रत्नगर्भा धरती कोई रत्न पैदा नहीं करती है। लेकिन असली बात यह है कि हम अपनी शिक्षा के अन्दर शुरू के स्तर पर तो कहते हैं कि मां की गोद बच्चे का प्रथम स्कूल होती है और इसीलिए मैं खास तौर से कला और संस्कृति मंत्रीजी से कहना चाहूँगी कि हम बच्चों का वह चरित्र नहीं बना पा रहे हैं और इसलिए आज जितना शोरगुल, विरोध का स्वर उठता है वह इसी बात के लिए उठता है कि 519 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी क्या हम शिक्षा के स्तर में सुधार कर पाये हैं? क्यों नहीं इस जमाने के अन्दर कोई जय शंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा पैदा हुई? इसलिए कि धीरे-धीरे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा हैं। अब पहले की तरह से 'तम सो मां ज्योतिर्गमय' की बात नहीं हैं कि 'विद्या अन्धकार से हमें प्रकाश की ओर ले जायेगी।' अब तो उदर पालने वाली बात है। अब तो मां-बाप देखते हैं कि बच्चा उदर किस तरह पालेगा? अपना पेट कैसे पालेगा? इसलिए इस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा देने के बाद भी, आज के अखबार में है कि 1900 इन्जीनियर इन्जीनियरिंग की शिक्षा पास करने के बाद बेकार हैं और इस राजस्थान के अन्दर 120–130 के करीब डाक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली हैं लेकिन नौकरियों के लिए बैठे हुए हैं। एक तरफ तो अन्धाधुन्ध शिक्षा का प्रसार, उसके बाद आगे की रोजगार की कोई योजना नहीं, यह बेकारी, यह बेरोजगारी और खास तौर से नवयुवकों में यहा असन्तोष, जो आज सामाजिक व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और खास तौर से इस बात को भी देखते हैं कि मंत्रीजी का बेटा आता है गाड़ी के अन्दर, अच्छा कार में बैठकर आता है, बढ़िया कपड़े पहनता हैं, पालिश किए हुए जूते पहनता है और गरीब का लड़का जाता है फटेहाल और आता है क्लास में अव्वल और मंत्रीजी का होता है सिफारिश से पास। पांचवीं तक तो वैसे ही पढ़ा दिया जाता है और उसके बाद भी जरूरत हुई तो सिफारिश। मुझे बताइये, उस अव्वल दर्जे आने वाले लड़के में विद्रोह नहीं होगा तो विद्रोह कौन करेगा? इसलिए

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हमारी मान्यता, हमारी सामाजिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। हम योग्यता के आधार पर आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए डाक्टर्स और इन्जीनियर्स, जिनको उनके मां-बाप ने बड़ी मुश्किल से पेट काटकर पढ़ाया है, आज बेकार बैठे हुए हैं, उनके दिल पर क्या बीतती है? हम अन्धाधुन्ध प्रगतिशील कहलाने की होड़ के अन्दर प्रगतिशील भी तो नहीं कहला पा रहे हैं। प्रगति की होड़ में हर क्षेत्र में सबसे पीछे हैं और इस शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे पीछे होना और भी शर्म की बात है कि जब बजट का 19 प्रतिशत से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं कला और संस्कृति के लिए दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि मां की गोद उसकी पहली स्कूल होती है। इसलिए मां अपने संस्कार बच्चों में डालती है। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग बच्चों को पब्लिक इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हर मां अपनी बच्ची को सोफिया या एम. जी. डी. में पढ़ाना चाहती है और एम. जी. डी. में पढ़ने के बाद वह विदेशी भाषा बोलती है, विदेशी कपड़े पहनती है, विदेशी एटीकेट्स सीखती है, एटीकेट्स भी, तहजीब और तमीज भी विदेशी होती है। इन सब हालतों के अन्दर हम कला और संस्कृति की बात करते हैं। मैं मन्त्री महोदया आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपने कभी सावन की मल्हार सुनी है, क्या तीज के झूले और हिण्डोले देखे हैं? गणगौर के ऊपर एक चौगान में नाटक कर लेते हैं। उससे आप समझते हैं कि राजस्थान के गांव-गांव के अन्दर आज तीज के हिण्डोले पड़ते हैं? क्या गणगौर के ऊपर घूमर नाचती हैं लड़कियां।

श्री नाथूसिंह : यह तो नाचती हैं। बीनाजी तो पढ़ती थी तब भी नाचती थीं।

श्री सभापति : आर्डर माननीय सदस्य, डोंट डिस्टर्ब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह बात तो अलग है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बाल कटाने के भी खिलाफ हैं। सुमित्राजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य की खुद की बात है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि एक तरफ तो कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने की बात होती हैं। कला और संस्कृति के नाम पर विदेश जाने की बात होती है, कला और संस्कृति के नाम पर पता नही कितने बड़े-बड़े पांच सितारा होटलों में जाकर के क्या-क्या आयोजन किये जाते हैं। लेकिन कला और संस्कृति इस प्रदेश से जो प्रदेश अपनी कला के लिये, संस्कृति के लिये प्रसिद्ध है। समाप्त हो रही है। इसलिए मुझे वह याद आता है। मैं आधा शेर सुनाऊंगी जो इकबाल ने कहा था। किस बात के लिये कहा था वह हमारी संस्कृति तो थी। हमारी इसी संस्कृति की वजह से हमारा हिन्दुस्तान जिन्दा था, इतने आततायी, इतने आक्रमणकारी आये, आ करके भी हिन्दुस्तान की हस्ती को मिटा नहीं सके। इसलिए नहीं मिटा सके.......

श्रीमती बीना काक : पूरा याद नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे याद है लेकिन इसका कोई प्रसंग नहीं है । केवल जितना प्रासंगिक है उतना ही कह रही हूं, देवीजी ।

श्री शिवराम शर्मा : पूरा याद नहीं होगा ।

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर, माननीय सदस्य कनक्लूड करें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यूनान मिश्र मिट गये जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । ऐसी बात नहीं है । समझीं आप ।

श्रीमती बीना काक : मैं तो आपसे सुनना चाहती थी ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी मैं तो पहले ही कह रही थी कि क्या बात है कि "हस्ती मिटती नहीं हमारी" यह बात और कुछ नहीं हमारी संस्कृति थी और इस संस्कृति के पिछे हम जिन्दा हैं, इसी संस्कृति के पिछे हम जिन्दा थे । लेकिन आज हम अपनी संस्कृति से अलग-थलग पड़ गये हैं । अब हम विदेशी नारी की तरह से, विदेशी भाषा बोलकर के विदेशी एटीकेट्स सीखकर रहना चाहते हैं और बात करते हैं कला और संस्कृति की ।

मैं कह रही थी कि मैं पंचायती राज के खिलाफ नहीं हूं, मैं पंचायती राज की हामी और पक्षधर हूं लेकिन आज इन पंचायतों के अन्दर चुनावों के अन्दर घर-घर के अन्दर जो वैमनस्यता का वातावरण पैदा कर दिया है गांव में जो विद्वेष फैला रखा हैं, भाई-भाई में दुश्मनी बढ़ गयी है । शादी ब्याह में जाना बन्द कर दिया है न सामूहिक गीत और संगीत होता है न घूमर का नाम होता है न सावन की मल्हार होती है, होली पर तालचंग नहीं बजते हैं न कुछ होता हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान की संस्कृति को यदि जिन्दा रखना है तो आवश्यकता इस बात की है कि आप इन सब चीजों को सोचें । इनको पनपाने के लिये आप कुछ न कुछ करें । एक किसी को उठा लें और उसको लेकर विदेश भेज दिया उससे संस्कृति पनपाने वाली नहीं है । गांव-गांव के अन्दर आपको इस तरह के केन्द्र बनाकर के इस बात के लिये प्रेरित करना होगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या समाप्त करें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, अपने इन्हीं शब्दों के साथ मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं उन्हें मैं सदन में प्रस्तुत करती हूं ।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी ।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज हम शिक्षा की मांग पर मांग संख्या-41 के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं...

श्री डूंगर राम पंवार : काले कपड़े पहनकर के डिस्को डांस करो ।

श्री नाथू सिंह : डांस भी एक कला है ।

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर माननीय, सदस्य । नो डिस्टर्ब ।

श्री रतन लाल ताम्बी : इसके विगत में जायेंगे तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां राजाशाही, सामन्तशाही व्यवस्था और अंग्रेजी शासन की दोहरी तीहरी व्यवस्था के बीच जन जीवन शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ रहा है, उपेक्षित रहा है राजस्थान में आजादी से पहले से डेढ़ करोड़ रुपया कुल 22 रियासतों में शिक्षा पर खर्च होता था। उसी कारण सम्भवतया देश में सबसे नीचे अरूणाचल प्रदेश के बाद, राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए हमें गम्भीर चिन्तन करना होगा कि इस स्थिति में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े ? सामाजिक विषमता शिक्षा के अभाव में है वह इससे निश्चित रूप से दूर हो सकती है, आपको नया वातावरण शिक्षा का राजस्थान में बनाने के लिये प्रयास करना चाहिए। जहां आजादी के बाद सौभाग्यवश दो ढ़ाई साल को छोड़कर कांग्रेस पर ही यह महती जिम्मेदारी आयी कि जिसने राजाशाही-सामन्तीय व्यवस्था से संघर्ष किया और नये समाज का निर्माण करने के लिये उसने योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान में शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया और ऐसा अनुमान है कि आज पांच सौ, सवा पांच सौ करोड़ के आस-पास यहां शिक्षा पर खर्च हो रहा हैं। एक और हम शिक्षा के प्रसार की ओर बढ़ रहे हैं मगर हमें इसके साथ-साथ यह देखना होगा कि गुणवत्ता की दृष्टि से हमारी शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है ? यह हमारे सामने चिन्तन का विषय है।

श्री दिग्विजय सिंह : 500-525 करोड़ खर्च करने के बाद शिक्षा का कितना प्रतिशत है ? कितने प्रतिशत लोगों को एजूकेट कर सके हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 1981 के बाद एक भी प्रतिशत की वृद्धि नहीं हुयी है शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ा।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह आपके भाषण में कहने की बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वही का वही है। 10 वर्ष हो गये आपको + + +

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 9 वर्ष हो गये वह की वह प्रतिशत है।

श्री रतन लाल ताम्बी : उसमें सुमित्रा जी आपकी भी भागीदारी रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज इतना सब कुछ होने के बाद भी हम को चाहे इस तरफ के लोग हो, चाहे उस तरफ के लोग हों। हमारे समाज का, शिक्षा स्तर ऊंचा उठे, शिक्षा रोजगार के साथ जुड़े। बेरोजगारी की समस्या हमारी निरन्तर बढ़ रही है यह चिन्ता का विषय है। आज जो वातावरण है कई शिक्षित बेरोजगार गांवों में घूमते है तो उनको देखकर इस बात को महसूस करते हैं कि पढाकर अपने घर के काम से भी उसको खो दिया और उसको रोजगार भी नहीं मिल रहा है। एक तो आम जनता का यह दिमाग बन चुका है कि पढ़ने का मतलब ही नौकरी है।

श्री ग्यारसी लाल परिड़वाल : आप इससे सहमत नहीं हैं क्या ?

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : आपका

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

पाठ्यक्रम ही ऐसा है। आपकी शिक्षा ही ऐसी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं सब बातें कहना चाहता हूं आप सुननें की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप अपने भाषण में यह बात कह दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपनी बारी का इन्तजार करें।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : आज वह चौराहे पर खड़ा है उसको किधर जाना चाहिए, किधर नहीं, पता नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरे अधिकार पर आप कुठाराघात नहीं कर सकते हैं। आपका नम्बर आये तब आप चाहे जो कहें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बीच में इण्ट्रप्ट नहीं करें।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : कहां जाना चाहिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप किससे बहस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री डूंगरराम पंवार : आपकी सरकार के कर्म ही ऐसे है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वह मेकाले की शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा थी, जिसके आधार पर हिन्दुस्तान के नेताओं ने, हिन्दुस्तान के शिक्षाविदों ने चिन्तन किया और चिन्तन करने के बाद राजीव गांधी ने जो इस देश के रहनुमा है, प्रधान मन्त्री है नई शिक्षा के नाम पर आपके सामने नया पाठ्यक्रम लेकर आये है...

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर, प्लीज माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : अभी शर्मा साहब कह रहे थे। दूसरे स्कूल्स की बात, पब्लिक स्कूल, दून स्कूल के पढ़े हुये हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि देश के प्रधान मन्त्री के नाम वाली जवाहर योजना का नाम लेते ही उछल रहे थे, आज की शिक्षा का नाम लेते ही उछल रहे थे। राजीव गांधी के नेतृत्व में नई शिक्षा पद्धति को स्वीकार करना चाहिए। हमने भूल स्वीकार की।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : राजीव गांधी कौन से ?

श्री रतनलाल ताम्बी : नई शिक्षा नीति के आने के बाद देश के कौन-कौन से देश की संसद में, विधान सभाओं में, सब जगह आपने देखा होगा उसकी सराहना की गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमने, हमारी कमेटियों ने सुधार किया है और बुनियादी शिक्षा का, ऐसी योजनाओं की शिक्षा, जिसके लिए महात्मा गांधी का चिन्तन था उसको लागू करने का प्रयास इस प्रकार की शिक्षा नीति में समाविष्ट किया है। (व्यवधान)

राजस्थान में 1981 की जनगणना में 24.38% शिक्षा का आया। मैं समझता

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हूँ अब यह बढ़कर 28% के आसपास हो गया है।

श्री दिग्विजय सिंह : 26% है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो वह का वह ही है 24.38%।

श्री रतनलाल ताम्बी : सुमित्रा जी आप बोले रही थी तो मैं तो बोला ही नहीं था। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, आप उनको कुछ बोलते ही नहीं हैं। मैं बोलता हूं तो सब बोलते हैं।

श्री सभापति : आप एड्रेस तो उन्हीं को कर रहे हैं। चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे सामने इस बात का चिन्तन है। 24.38 शिक्षा का प्रतिशत है उसको किस ढंग से आगे बढ़ाया जाये और इसीलिए मैं समझता हूं शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ गुणवत्ता की दृष्टि से हमको सोचना है। इसी सन्दर्भ में सुझाव देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर, माननीय सदस्य, डिस्टर्ब नहीं करेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : चाहे प्रौढ़ शिक्षा चल रही हो, चाहे अनौपचारिक शिक्षा चल रही हो इन सारी शिक्षाओं में हमें इस बात का प्रयत्न करना होगा कि चाहे भारत सरकार हमको पैसा दे रही हो, चाहे राजस्थान सरकार पैसा दे रही हो, प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र जिस उद्देश्य से हमने स्थापित किये थे उनके परिणाम जितने गुणात्मक दृष्टि से अच्छे आने चाहिए वे नहीं आ पा रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी आप पूरी तरह से समीक्षा करवाइये। इतनी बड़ी तादाद में पैसा खर्च होने के बाद वह किस ढंग से लागू हो सके इस बात का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा एक सुझाव तो यह है कि प्रौढ़ शिक्षा को, अनौपचारिक शिक्षा को सीधा ग्राम पंचायतों से जोड़ दीजिये ताकि नियन्त्रण कुछ न कुछ रह सके। वर्तमान में यह पंचायत समिति, जिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और कई तरह की संस्थाओं के माध्यम से यह चल रही है। आप जानते हो कि संस्थायें किस प्रकार की चला करती है। कहीं क्या है? कहीं क्या है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में काम चलाना है वहां निर्वाचित ग्राम पंचायतों का सुपरवीजन, पर्यवेक्षण रखा जाये, ताकि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र ठीक प्रकार से चल सकें। एक तो मेरा यह आपके मार्फत राज्य सरकार को सुझाव है। अभी हमने 1995 तक 60% लोगों को साक्षर बनाने की बात की है और 1990 तक हम 40% की बात करते हैं। अभी जिस स्थिति में हम चल रहे हैं, 1989 का वर्ष मान लीजिए करीब-करीब पूरा होने जा रहा है और एक साल हमारे सामने और बचा है। हमने यह स्वीकार किया कि 1990 तक हम 40% साक्षर बना देंगे तो सभापति महोदय, जो हमारा प्रतिशत चला आ रहा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हैं, वर्तमान में उससे मुझे नहीं लगता है कि 1990 तक हम 40% की स्थिति में पहुँचेंगे। इसलिए यह भी हमारे सामने चिन्ता का विषय है। हमने कहा कि 1995 तक हम 7% और आगे बढ़ जायेंगे तो यह मुझे लगता नहीं है कि वर्तमान परिपेक्ष्य में जो योजनायें चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस गति से चल रहे हैं, हम साक्षरता के लक्ष्य को पूरा कर पायेंगे। आज सवाल इस बात का है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय हम कई वर्षों से कहते आ रहे हैं, अलग से स्थापित करेंगे। प्राथमिक शिक्षा हमारी अलग है, सैकण्ड्री शिक्षा अलग है और इन सबके साथ-साथ बीकानेर में हमारा निदेशालय चल रहा है। अब बीकानेर में बैठे डाइरेक्टर साहब और उनका स्टॉफ सारे राजस्थान की प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर या उनके अन्तर्गत जो भी है वह कितना मार्ग-दर्शन कर पाते हैं। इसी कारण मैं कहना चाहता हूँ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अलग से स्थापित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बार-बार घोषणा भी हो गई। बजट में भी कई बार आया है, एक आध बार आपने भी सुना। एक तो यह सुझाव है। दूसरा सुझाव हमारे देश के प्रधान मंत्री का फिर नाम ले रहा हूँ, परेशानी होगी आपको, उन्होंने इस बात का चिन्तन किया कि समाज का 50% हिस्सा महिलाओं का है और उनका प्रजातन्त्र की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान है, उनको भी आगे बढ़ाने की बात सोची है। इसके साथ-साथ उनको इस बात के लिए भी सोचना होगा कि राजस्थान सरकार ने जैसें बालिका शिक्षा के लिए फीस माफ करने की बात सोची। यह बहुत अच्छी बात है इससे बालिकाओं की शिक्षा बढ़ेगी। मेरा इसमें सुझाव है, जैसा माननीय सदस्य बूंदी वालों ने दिया था कि महिला शिक्षा का भी निदेशालय अलग से होना चाहिए ताकि उनका ध्यान उन्हीं संस्थाओं का विकास करने के लिए केन्द्रित रह सके और यह बात सही है कि पहले हमारे यहां शिक्षा की संस्थायें कम थीं इसलिए एक निदेशालय चल सकता था। राजस्थान में इतना प्रसार प्राइमरी स्कूलों का हो गया, मिडिल स्कूलों का हो गया और उन बालिकाओं की स्कूलों का हो गया। स्त्रियों का प्राथमिक निदेशालय, महिला निदेशालय अलग से होना चाहिए ताकि वे अपने ढंग से उन संस्थाओं को विकसित करके अधिक से अधिक ठीक प्रकार से व्यवस्था कर सकें। इसके साथ-साथ हमको यह भी देखना होगा कि वर्तमान में, कल भी बड़ी चर्चा हुई थी अध्यापकों की बात को लेकर के। यह सही है कि शिक्षा प्रसार के साथ-साथ प्रति वर्ष हमारी व्यवस्था पूरे तौर से अध्यापकों को लाभ देने की नहीं रही है। परिणामस्वरूप जो एक प्रश्न आज सुबह भी आया था पूरे जिले में, राजस्थान में जहां तक मेरा अनुमान है सभी तरह के शिक्षित मिलाकर करीब 15 हजार शिक्षक के पद विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में खाली हैं। यह हमारे लिए एक अभिशाप है शिक्षा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से। शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ चाहे एस. टी. सी. निदेशालय हमको और खोलना पड़े सीटें और बढ़ानी पड़े और हमारे इस कार्यक्रम में जो भी कोई व्यवस्था हो सके वह करनी होगी तब जाकर के जिस तरह हमारे निदेशालय

(श्री रतनलाल ताम्बी)

विकसित होते हैं उसी तरह हमारे अध्यापक भी साथ ही साथ दौड़ते चले जायें इस बात को देखना होगा और हम लोगों को उस बात को सोचना होगा। हमारा जो पाठ्यक्रम है आज भी उस पाठ्यक्रम को बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैकाले की शिक्षा पद्धति के पाठ्यक्रम के आधार पर हमारी शिक्षा चल रही है उसमें अब बदलाव आयेगा। उसी ढंग का पाठ्यक्रम भी निर्मित हो उसमें चरित्र, राष्ट्र के अच्छे मनीषी लोगों का, शिक्षा विदों का, जीवन चरित्र बच्चों को मिले। आज सारे देश में, समाज में साम्प्रदायिकता बढ़ रही है, तनाव का वातावरण बढ़ रहा है। हमारा पाठ्यक्रम, साम्प्रदायिकता विरोधी पाठ्यक्रम उसमें समाविष्ट हों तब जाकर के हम नये वाले बच्चों को उचित शिक्षा दे पायेंगे। आज हमारे सामने यह सवाल है कि वर्तमान पाठ्यक्रम में आज के सन्दर्भ में काफी परिवर्तन, चिन्तन करने की आवश्यकता है और इस विषय में यदि हमने नहीं सोचा तो हमारी नई शिक्षा पद्धति, कन्सेप्ट जो भी है या हो सकता है, उसमें हमारा राजस्थान पिछड़ नहीं जाये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उस नई शिक्षा नीति में जो तथ्य, जो बातें समाविष्ट की गई हैं उसके आधार पर....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नई शिक्षा पद्धति क्या है थोड़ा-सा बता दीजिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह मेरा काम नहीं है। वैसे मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। इसमें बहुत टाइम लग जायेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सदस्य रहा था तब काफी डिस्कस किया था इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारी नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ-साथ उसके शिक्षा के आधारों को अभी से समझकर और व्यवस्था करने की बात हमको करनी है तब जाकर हम इसे तेज गति से लागू करेंगे क्योंकि इस बात की तो हमें खुशी है कि 10+2 को चाहे हमने लेट स्वीकार किया हो, पर स्वीकार कर लिया। उसके बाद आज राजस्थान में कोई ऐसा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है जहां इसको स्थापित नहीं किया हो। अब दो प्रश्न और हमारे सामने इससे जुड़े हुए रह जाते हैं। पहला प्रश्न यह है कि 10वीं क्लास आज जहां चल रही है उसके बाद 11वीं या 12वीं स्थापित करने का आपने कोई प्रोविजन वर्तमान बजट में नहीं किया है फिर यह गैप रह जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस बार जो आप स्कूलें खोलें उसमें कन्या/बालिकाओं की स्कूलें जहां कहीं भी हैं उन 10वीं तक की स्कूलों को कम से कम जो पंचायत समिति हैड क्वाटर्स पर हैं उनको आप 12वीं तक क्रमोन्नत नहीं करेंगे तो फिर राजस्थान में बलिका शिक्षा पिछड़ जायेगी और आपने इस बजट प्रावधान में इस बार, इस बात को कहीं नहीं रखा है। एक तो मेरा यह सुझाव है।

दूसरा सुझाव यह है कि जो पंचवर्षीय योजना वर्तमान में चल रही है जो, 1990 में पूरी हो जायेगी, इन पांच वर्षों में राजस्थान में एक भी सैकण्ड्री स्कूल नहीं खुला और आपने इस बार प्रोवीजन रखा केवल मात्र 600 स्कूलें खोलने का। मेरा कहना था

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पांच वर्ष में एक क्षेत्र में एक भी आप खोलें तो पांच तो कम से कम होने ही चाहिए। तो जहां 600 स्कूलें रखीं हैं आपने और कहीं कटौती करें पर जहां शिक्षा का प्रतिशत राजस्थान में यह है तो मैं समझता हूँ एक हजार सैकन्ड्री स्कूलों का प्रोवीजन आपको इसमें रखना चाहिए। आप एक नीति बना दीजिये कि जितने भी पंचायत हैड क्वार्टर हैं वहां मिडिल स्कूलें इस बार खोल देंगे। एक नीति बनानी चाहिए आपको। अभी राजस्थान में कई पंचायत हैड क्वार्टर हैं जहां मिडिल स्कूलें नहीं हैं, 600 मिडिल स्कूलों से कुछ नहीं होगा। इसलिए शिक्षा मन्त्री महोदय, आप नये पधारे हो बाबत दुबारा पुर्नजन्म लेकर के, आप शिक्षा को नई दिशा दें, नई दृष्टि दें, पुर्नजन्म हुआ है शिक्षा मन्त्री के रूप में और आप इस बात का प्रयत्न करें कि इस साल कि सैकण्ड्री स्कूलें एक हजार कम से कम हो, मिडिल स्कूलें एक हजार कम से कम हो, सीनियर हायर सैकेण्ड्री स्कूलें लड़कों की आप न खोल सकें तो राजस्थान में जितनी पंचायत समितियां, तहसील हैड क्वार्टर हैं, वहां लड़कियों की स्कूलें जहां-जहां नहीं हैं वहां स्थापित करें। एक नीति आप यह बनायें, उसके आधार पर हमारी बालिका शिक्षा भी आगे बढ़ेगी। एक तो मेरा आपसे यह अनुरोध है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं शहरी और नगरीय विद्यालयों के लिए आप शिक्षा मन्त्री पहले भी रहे हैं, आपने शहरों और नगरों के विद्यालयों को देखा होगा। बाबा आदम के जमानें के कई पुराने स्कूल हैं, पट्टियां भी टूटी हैं, बच्चे भी मरे हैं, कई जगह चोटें भी लगी हैं, ऐसे स्कूल नगरों में मौजूद हैं। पंचायत समितियों के मार्फत, अकाल राहत कार्यों के मार्फत, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के मार्फत और अन्य कई प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनके मार्फत गांवों में विद्यालय भवन बने हैं। इसमें राजस्थान में कीर्तिमान स्थापित हुआ है इसमें दो राय नहीं है और उसकी तुलना में जहां शहरों की स्कूलों की हालत आप देखेंगे तो पहली बात तो स्थान का बड़ा अभाव, जो कमरे उपलब्ध हैं उनकी हालत बहुत दयनीय और चिन्ताजनक और बरसात तेज आयी और गरज के साथ कहीं बिजली गिरी तो पता नहीं क्या स्थिति बनेगी, यह विद्यालयों की स्थिति है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसी गांवों के विद्यालयों के लिए व्यवस्था है वैसे ही शहरी विद्यालयों के विकास के लिए, विस्तार के लिए भी आप कोई न कोई व्यवस्था इस बजट प्रावधान में करें ताकि शहरी विद्यालयों की दयनीय स्थिति ठीक प्रकार से हो सके, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मैं इसके साथ यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अध्यापकों के जो स्थान रिक्त हैं उसके बारे में आप कोई नीति निर्धारित करें। मेरा तो यह आग्रह है कि आप इस बात की घोषणा आज के दिन करें कि 31 अगस्त तक प्रशिक्षित अध्यापक मिल जाये तो तमाम विद्यालयों में आप उस तरह से प्रशिक्षित अध्यापक लगा दें और बजट आप पूरा पास कर दें साल भर का, विद्यालय आप खोलते हैं नवम्बर-दिसम्बर में और मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रतिशत अध्यापक उपलब्ध नहीं हों

(श्री रतनलाल ताम्बी)

तो आपको अच्छे क्वालिफाइड, ग्रेजुएट मिल जायेंगे, हायर सैकेण्ड्री मिल जायेंगे, कई सब्जेक्ट विशेषज्ञ मिल जायेंगे। तो उनको आप भर्ती करके इन विद्यालयों में एक बार राजस्थान में 31 अगस्त को कोई स्थान रिक्त नहीं रहे। इस तरह की आप व्यवस्था कर दें क्योंकि परीक्षा के परिणामों के ठीक नहीं आने का एक बड़ा कारण यह भी है और अध्यापकों की भर्ती के सम्बन्ध में भी आप नीति निर्धारित कर दें, मेरिट फार्मूला नियम, नीति ऐसी बना दें, उसके अनुसार अपने आप अध्यापक भरती हो जाये, वह बात पंचायत समिति के जिला परिषदों के अध्यापकों के लिए और शिक्षा विभाग के अध्यापकों के लिए लागू कर दें यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ स्थानान्तरण की नीति के सम्बन्ध में भी हम आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। सुबह मैं निकलता हूं आपके यहां भी दो-चारसौ की भीड़ लगी रहती है और हमारे विधायकों के यहां भी दस-बीस-चालीस आदमी रोज फिरते रहते हैं ट्रांसफरों के लिए। न करें तो गाली और नाराजगी हां करें तो आपके सबके सामने संकटहै। इसलिए ऐसी नीति निर्धारित कर दीजिए कि आटोमेटिकली व्यवस्था होनी चाहिए, कोई अध्यापक रोज ट्रांसफर के लिए फिरे नहीं, समय जाया नहीं करें वरना वह स्कूलें छोड़ते हैं और समय जाया करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप ट्रांसफर की एक नीति इस बार निर्धारित करें। इस तरह की आप व्यवस्था करेंगे तो निश्चित् रूप से सारे जन-प्रतिनिधि और अध्यापक ट्रांसफर में रात दिन व्यस्त रहते हैं वह समय शिक्षा सुधार में लगा सकें आप वह भी देखिये।

इसके साथ-साथ इस बात को भी आप देखिये कि बहुत सारे अध्यापक शहर में 15-15 साल से बैठे हैं, कुछ अभागे लोग 15-15 साल से गांवों में बैठे हैं। आप ऐसी कोई नीति निर्धारित करिये कि पांच साल में कोई शहर में रह जाये तो आटोमेटिकली वह गांव में पहुंच जाये, पाँच साल तक कोई गांव में है तो आटोमेटिकली शहर में पहुंच जाये। इस तरह आप व्यवस्था करें तो मैं समझता हूं इससे भी काफी संकट दूर होगा।

इसके साथ-साथ एक यह भी मेरा अनुरोध है कि हम गांवों में कई बार घूमते हैं। सुबह सात बजे से स्कूल आपके खुलते हैं 7 7.30 बजे मेरे मकान के पास में जो बस स्टैण्ड वहां है, कई बार देखता हूं, कि जो बस 7.30 पर, 8.00 बजे जाती है उसमें वह अध्यापक भी जा रहे हैं, 7.00 बजे स्कूल चलाने के लिए, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 12 किलो-दूर जाने वाले अध्यापक साढ़े सात, आठ बजे बैठकर जाते हैं वह पहुंचते होंगे 9 बजे और 11, 11.30 पर वापस रवाना हो जाते हैं वहां क्या स्कूलें चलेंगी। इस लिहाज से आप चाहे इनको ग्रामीण भत्ता दें, कुछ मकान का भत्ता दें, पर यह व्यवस्था करें कि वह गांवों में रहें, गांव वालों के बीच में रहें और वहां शिक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार से करें बल्कि मेरा तो यह भी सुझाव है कि प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के जो केन्द्र हैं उन्हीं अध्यापकों को रात का पैसा और दे दो, रात को वह गांव में रूक जायेंगे और सवेरे आराम से

(श्री रतनलाल ताम्बी)

स्कूल खोलेंगे और पढ़ायेंगे। यह व्यवस्था भी हो तो मैं समझता हूं ज्यादा उचित होगी। एक नया वातावरण वापस गांवों में प्रौढ़ शिक्षा का और इस तरह का सहारा मिलेगा।

श्री सभापति : अब समाप्त करिये आप। बस दो मिनट में कह दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं कहना चाहता हूं कि इस साल भी आपने दिसम्बर में, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में भी प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। इस बार आप यह व्यवस्था करें कि इस स्थिति में 15 अगस्त पहले-पहले समस्त प्रकार के विद्यालय खुल जाने चाहिए ताकि 15 अगस्त का स्वाधीनता दिवस का उल्लासमय समारोह मनाने के बाद 16 अगस्त से नये स्कूल प्रारम्भ हो जायें, यह व्यवस्था आप करें। वरना आप बजट पूरा पास करवाते हैं हर साल और स्कूलें खोलते हैं आप इन महीनों में, क्या फायदा है इससे। इसलिए इस बार आप यह भी व्यवस्था करें कि समय पर स्कूल खुलें और स्कूलें खुलने के साथ-साथ भवनों की बात भी मैंने कह दी है। आपको सारी बातें कहीं, जो सुझाव आपको दिये हैं मैं समझता हूं इन पर आप गम्भीरता से चिन्तन करेंगे और अब एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कई दिनों से हड़ताल चल रही है, कुछ उन की मांगें होंगी, कैसी है, क्या है यह तो आप देखें। उन गरीब बच्चों का क्या दोष है, बड़ी मेहनत के बाद उनके मां बापों ने पढ़ाया उनकी कोपियां आपने कहीं रेल में भेजी, बण्डल गायब हो गया, जल गये, क्या हुआ, भगवान जाने क्या स्थिति है, उनके साथ क्या नीति निर्धारित करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, दुबारा परीक्षा होगी, कॉपियां जल गयीं या रह गयीं। अब मुझे पूरा मालूम नहीं, मैंने अखबारों में पढ़ा, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि बहुत सारे छात्रों की कॉपियां जल गयीं, यह बहुत गम्भीर मामला है। इसमें कौन दोषी है, इस बात की भी आप जांच करें और उन बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो इस बात की आप व्यवस्था करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपने चेयरमेन नियुक्त कर दिया, वहां फंक्शन ही नहीं होता है तो उनकी कई समस्याएं हैं, कई दिक्कतें हैं। पाठ्यक्रम भी शायद समय पर तैयार नहीं हो पाया यह भी एक कारण लेट शिक्षा शुरू होने का होता है तो इन सब प्रश्नों को गम्भीरता से आप देखिये। यह आपसे राजस्थान की जनता उम्मीद करती है। आप एक तरह से मनीषी व्यक्तित्व के रूप में माने जाते हैं। शिक्षा में आपका चिन्तन है, पुराना अनुभव भी आप में है।

आप राजस्थान में शिक्षा की नई रीति-नीति के आधार पर एक क्रान्तिकारी दिशा देंगे, राजस्थान की जनता आपको हमेशा याद करे, इस तरह का शैक्षणिक वातावरण तैयार करेंगे। ताकि रोज हड़तालें होना, रोज झगड़े होना, स्कूलें बन्द होना, स्टॉफ नहीं पहुंचना। मेरे इलाके में ऐसी कोई स्कूल नहीं है जहां साल में हड़ताल न होती हो, नारेबाजी न होती हो। इसलिए सब बातों का एक व्यवस्थित तरीका रखें यहीं मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सभापति : श्री फूल चन्द।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय सभापतिमहोदय, ग्राज मांग संख्या 24 पर जो विचार हो रहा है मैं भी इस मांग के ऊपर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। माननीय मन्त्रीमहोदय, शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रहम् मुद्दा है ग्रौर ग्राज राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से जो ग्रन्तिम कोने पर है सबसे नीचे है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्राचीन ग्रन्थों में कहा गया था कि "सा विद्या या विमुक्तयें" ग्रर्थात् शिक्षा वह है जो ग्रज्ञान ग्रौर दमन से मुक्ति दिलाती है। लेकिन ग्राज हमारे देश में, ग्रामीण क्षेत्रों में किस की निरक्षरता, ग्रज्ञानता की एक मिसाल हो रही है कि ग्राज गांव का कितना बड़ा जो कि 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं उसका कितना बड़ा भू-भाग शिक्षा के इस तरह के मैथड से वंचित है। बहुत ही दुःख की बात है। ग्रामीण शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ग्राज हम गांवों की शालाग्रों की हालत देखें तो मैं प्राथमिक शालाग्रों से ही शिक्षा की जो हालत हैं, उसके बारे में ग्राप को कुछ ग्रहम् मुद्दे बता रहा हूं। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की ग्रविभक्त इकाई है। इस ग्रविभक्त इकाई की शिक्षा ग्राज इस तरह से गिर गयी है कि वह केवल मात्र कागजों में है। ग्राज ग्रविभक्त इकाई का महत्व इतना खत्म हो चुका है कि उस की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि गांव के बच्चे जब ग्रपनी नींव को कमजोर रख कर ऊपर बढ़ते हैं तो शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। ग्रविभक्त इकाई बच्चे की नींव है जिस से बच्चे के विकास का मालूम पड़ता है। उसका एक साल में ही कितनी बार परीक्षण किया जाता है कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है। उसके बाद वह ग्रागे बढ़ते हैं। लेकिन ग्राज ग्रविभक्त इकाई समाप्त हो गयी है, ग्राज वह केवल मात्र कागजों में है। ग्राज ग्रध्यापक प्राथमिक शालाग्रों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इससे हमारे गांवों की प्राथमिक शिक्षा एक तरह से खत्म हो रही है।

मन्त्री महोदय, मैं ग्राप से ग्रामीण उच्च प्राथमिक शाला ग्रौर हाई स्कूल के बारे में भी चर्चा करूंगा कि ग्राज गांवों में दूर-दराज यह शालायें हैं। ग्राज इस पवित्र काम में भी भेदभाव होता है। ग्राज राजस्थान में कई जगह ऐसी हैं कि जहां बच्चों को गांव से पांच किलोमीटर पैदल चल कर जाना पड़ता है। छात्रों की बहुत बड़ी संख्या के ऊपर ग्रध्यापकों की इतनी कम संख्या रहती है कि चार-चार सौ बच्चों के ऊपर एक-एक ग्रध्यापक रहता है। फिर ग्रपने यह कहें कि गांव की शिक्षा का हम उत्थान कर रहे हैं, गांव की शिक्षा को हम बढ़ा रहे हैं तो यह केवल मात्र सपना सा ही है।

इसके साथ जुड़ा हुग्रा एक सवाल ग्रौर है कि ग्राज भी गांवों की कई शालायें उच्च प्राथमिक शालायें, हाई स्कूल हैं जहां प्रधानाध्यापक की पोस्ट काफी समय से खाली पड़ी हुई है। जैसे घर का मुखिया नहीं हो तो उस घर की क्या हालत होती है, वही हालत उन शालाग्रों की है। जिन शालाग्रों में प्रधानाध्यापक की पोस्ट दो-दो साल में खाली पड़ी हुई हैं उन शालाग्रों का कार्य बिलकुल चौपट हो चुका है। कुछ शालायें तो मैं मेरे क्षेत्र की बता सकता हूँ,

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, डाबला सामपुर जहां दो-दो साल से प्रधानाध्यापक की पोस्ट खाली है। वहां लेडी अध्यापक आती हैं, महीने में दो-तीन बार अपनी मासिक रिपोर्ट तैयार करके चली जाती है। इस तरह की हालत बनी हुई है। इसी तरह वहां के हाई स्कूल और हायर सैकण्ड्री स्कूल हैं जहां पिछले लम्बे समय में, दो तीन साल में प्रधानाध्यापक केवल कुछ समय के लिए वहां आये हैं या उन्होंने वहां से अपना ट्रांसफर करवा लिया है या फिर काफी समय से वह पोस्ट खाली पड़ी है जिस से वहां की शिक्षा एक तरह से चौपट हो गयी है।

दूसरी तरफ सबसे बड़ा घुन जो ग्रामीण स्कूल में लगा रखा है वह ट्रांसफर का है। आज वह ऐसा दुर्गुण है कि जिससे शिक्षा जगत में इतना भय का वातावरण बना हुआ है कि प्रत्येक अध्यापक आज इस बात में जुट गया है कि किस तरह से मैं नेताओं के साथ जुट जाऊं जिससे मेरा ट्रांसफर मेरी नियत जगह, जहां मैं चाहूं वहां हो सके। यह एक बड़ा कारण है कि गांव के स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती। या फिर काफी अध्यापक 10-15-20 साल से एक ही जगह जमे हुए हैं और अपना ट्यूशन का या दूसरा पेशा करते हैं। पिछले ही सत्र में एक मामला मैंने उठाया था नीमका थाना हायर सैकण्डरी स्कूल का कि उस शाला में 15-20 सालों से काफी अध्यापक लगे हुए हैं जो केवल अपने घरों पर ही पढ़ाई कराते हैं और शाला में साइन करके चले जाते हैं। उनकी कई प्रकार की शिकायतें आयी हैं। वह शाला में कई प्रकार के झगडे करवाते हैं, छात्रों के गुट बना रखे हैं जिससे शिक्षक और छात्र का सम्बन्ध बिल्कुल टूट गया है। छात्रों के साथ आपस में झगड़ा करना या इस प्रकार के कई कार्य करते हैं। उनकी कई बार शिकायतें आयी हैं। यह व्यवस्था दी गयी है कि जो अध्यापक 10 साल से ऊपर समय से कहीं नियुक्त है तो उसका ट्रांसफर किया जायेगा लेकिन उन सब के बारे में आपकी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, वह केवल आश्वासन ही रहे। उन लोगों का ट्रांसफर किया जाता है जो सही ढंग से काम करते हैं, उनको परेशान करते हैं जिनका सरकार के साथ कोई सम्बन्ध जुड़ा नहीं रहता है। वह आज दुःखी हैं। यह ग्रामीण शिक्षा के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात है जिससे शिक्षा चौपट हो चुकी है। गांव में कोई अध्यापक जाना नहीं चाहता है। पहले तो केवल प्राथमिक शालाओं के अध्यापक राजनीति से जुड़े हुए थे, उनका काम गांव में नेतागिरी करना, गांव वालों के साथ जुड़कर उनमें फूट डालना, भेदभाव पैदा करना, इस तरह की कार्यवाही करना था लेकिन अब और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च प्राथमिक शालाओं को भी आपने पंचायती राज और जिला परिषदों के साथ जोड़ दिया। यह निश्चित रूप से देश का दुर्भाग्य है जिससे गांव की शिक्षा एकदम चौपट हो जायेगी। गांव का कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं हो पायेगा या अच्छी परीक्षाओं में सलेक्ट नहीं हो पायेगा। उनके पास इतनी सहूलियतें भी नहीं होती हैं कि वह पब्लिक स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण समय आ रहा है।

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ट्रांसफर नीति के ऊपर आप जैसा महान आदमी जरूर गौर करें। जो अध्यापक 10 साल से ऊपर किसी शाला में कार्यरत है, जिनके सम्बन्ध में कई प्रकार की ट्यूशन वगैरह की शिकायतें हैं, कई प्रकार के उनके ऊपर लांछन हैं, मेहरबानी करके उनको निश्चित रूप से दूसरी जगह पटकें। उनको कम से कम एक-दो साल तो इसमें लगेंगे। इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जिन शालाओं में प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी हैं उनको मेहरबानी करके चालू सत्र में भरें ताकि शिक्षा का और विस्तार हो सके, वह शालायें आगे बढ़ सकें।

इसके साथ कुछ अहम् मुद्दे और हैं जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। अभी सरकार बहुत ढिंढोरा पीट रही है कि हम महिला शिक्षा को मुफ्त कर रहे हैं। लेकिन यह कहां तक सम्भव है कि गांव की महिलाओं को, गांव की लड़कियों को तो शिक्षा उपलब्ध ही नहीं है, न उनके लिए शालायें होती हैं न उनके लिए कोई हायर सैकण्ड्री स्कूल या कालेज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आंकड़े आये कि राजस्थान में 13 जिला मुख्यालय ऐसे हैं जिन पर कोई महिला महाविद्यालय नहीं है जहां जाकर महिलायें, लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर सकें। अगर आप महिला शिक्षा का उत्थान करना चाहते हैं, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो मेहरबानी करके प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महिला कालेज खोलें, उनके होस्टल भी खोलें जिससे लड़कियां, उस तहसील की लड़कियां, उस जिले की लड़कियां अपने जिले में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें और महिला शिक्षा का विस्तार हो सके। इसके साथ ही यह भी कानून बनायें कि जो अनुदानित गैर सरकारी संस्थायें हैं उनमें अगर लड़कियों से ऊंची फीस ली जाती है तो उस पर रोक लगायें जिससे महिला शिक्षा का विस्तार हो सके। जो बड़े-बड़े गांव हैं उनमें उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय खोलें जिससे वहां पर विस्तार हो सके।

देश में नयी शिक्षा की घोषणा की गयी है। नयी शिक्षा की आपने रूपरेखा तो बहुत लम्बी-चौड़ी बनायी लेकिन आज नयी शिक्षा का प्रारूप जिस रूप में आया हैं उसमें आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की हैं। बिना तैयारी के ही गांव की सभी शालाओं में इसको लागू कर दिया। बिना तैयारी के नयी शिक्षा नीति सारी चौपट हो चुकी है और स्कूलों का अहित हो रहा है। न तो वहां ट्रेण्ड अध्यापक होते हैं और न प्रशिक्षण की ही आपने कोई व्यवस्था की है। इसलिए, मन्त्री महोदय, अगर आप नयी शिक्षा नीति लागू करने जा रहे हैं तो उससे पहले सभी शालाओं में जहां प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हैं, अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाय। नयी शिक्षा में आपने पाठ्यक्रम भी ऐसा चेंज कर दिया कि मैंने खुद देखा है, मुझे भी अध्यापक रहने का मौका मिला है, कि तीसरी क्लास में समुच्चय, वगैरह की गणित चला रहे हैं। पुराने अध्यापकों को यह मालूम भी नहीं है कि समुच्चय, सम, विषम क्या होते हैं। उनको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए आप नयी शिक्षा

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

नया पाठ्यक्रम जब से चालू करें तब से कम्पलसरी करें कि अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाय। जब तक उनको प्रशिक्षित नहीं किया जायेगा, ट्रेण्ड नहीं किया जायेगा तब तक नयी शिक्षा गांव में कभी विकसित नहीं हो सकती।

इस के साथ कम्प्यूटर प्रणाली की भी घोषणा कर रहे हैं। राजस्थान में भारत सरकार ने 30 लाख रुपये दिये हैं। उसके लिए 90 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की जांच करवायी है कि इनमें चालू करवा रहे हैं लेकिन आज तक आगे उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, केवल जांच तक ही यह सीमित है। राज्य के अभी दो हजार से भी ज्यादा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं जिनमें कम्प्यूटर की कोई व्यवस्था नहीं है। यह मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को इस महत्वपूर्ण योजना से जोड़ा जाय। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि राजस्थान में शिक्षा के इस अहम् मुद्दे पर आप जरूर ध्यान दें। राजस्थान शिक्षा में बहुत पीछे है। 1951 से आज तक हम केवल 16 प्रतिशत के लगभग ही आगे बढ़ सके हैं इन तीस वर्षों में हमारी रफ्तार बहुत कम है, आप इस रफ्तार को बढ़ायें। केवल मात्र यह कह कर, ढिंढ़ोरा पीट कर कि हम तीन नये विश्वविद्यालय खोल रहे हैं उससे हमारी शिक्षा पूरी हो जायेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। उसको बदल कर भी आपने छः कर दिया है लेकिन नये विश्वविद्यालयों के बारे में भी आप गहन रूप से देखें तो मैं अजमेर के बारे में आपको बता सकता हूं जिससे मेरी तहसील जुड़ी है कि वहां की हालत क्या है। वहां कोई बुनियादी व्यवस्था नहीं है, यहां तक कि वहां के विश्वविद्यालय के पास स्वयं का भवन भी नहीं है। उसकी हालत आज इतनी दयनीय है कि वहां किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती, बड़ी धांधली होती है। आप अगर दोबारा प्रश्न-पत्र जंचा कर कार्यवाही करावें तो उसमें इतनी अनियमिततायें होती हैं, आप देखते हैं रिजल्ट में, कि जो लड़का उपस्थित नहीं होता हैं उसको उपस्थित दिखाकर पास किया जाता है और उपस्थित को अनुपस्थित दिखाकर फेल किया जाता है। इस तरह की कार्यवाही हो रही है। इन कार्यवाहियों पर आप जब तक गहन रूप से अध्ययन करके रोक नहीं लगायेंगे तब तक नये विद्यालय खोलकर और उनकी संख्या बढ़ाकर इस शिक्षा जगत में आप कोई बहुत बड़ा कार्य करने वाले नहीं हैं और शिक्षा हमारी चौपट हो रही है। जैसा अभी माननीय ताम्बीजी ने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया था, हम 5 साल से हाई स्कूल नहीं खोल रहे हैं मगर हाई स्कूल गांव में नहीं खोल रहे हैं तो हमारे बच्चे, शहरों में जिनके पास इतनी सहूलियत नहीं हैं, जो इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं उनको शहर में आकर शिक्षा ग्रहण करने में बहुत बड़ी बाधा आ रही है। इसलिये मैं अपने क्षेत्र की मांग करता हूँ कि मेरा क्षेत्र भी बहुत दूर-दराज नीम का थाना क्षेत्र है जिसके आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां 10 किलोमीटर के आसपास तक हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल नहीं हैं—उनमें भूधोली है, रायपुर पाटन है, सांवतरा तौरान है, ऐसे गांव हैं जहां से 10–10 किलोमीटर तक बच्चों को हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए मेहरबानी करके आने वाले सत्र में हाई स्कूल जब भी खोलें तो उन क्षेत्रों को आप प्राथमिकता दें या हाई स्कूल की जहां बहुत बड़ी कमी है दूरदराज तक छात्रों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है ।

इसी के साथ-साथ मेरे यहां नीम का थाना में पी. जी. कॉलेज के लिए काफी समय से मांग चली आ रही है। वहां 65 से पहले का हाई स्कूल है, सीकर के बाद में दूसरे नम्बर का महाविद्यालय नीम का थाना में हैं जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैंने सरकार के सामने मांग भी रखी थी। एक पैसा सरकार को खर्च नहीं करना पड़ेगा पी. जी. कॉलेज के लिए, वहां भवन भी उपलब्ध है वहां के कॉलेज के पास भी है, सब व्यवस्थाएं भी हैं, एक भी नये लेक्चरर को नहीं लगाना पड़ेगा, केवल मात्र खोलने की स्वीकृति मात्र से वहां पी. जी. कॉलेज चालू हो सकता है जबकि उसके बाद में चिमनपुरा वगैरह खुले थे वहाँ आपने पी. जी. कॉलेज खोल दिया है

(समय–समाप्ति–सूचक-घण्टी)

मेहरबानी करके नीम का थाना में भी पी. जी. कालेज खोलें।

इसी के साथ-साथ पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर रहे हैं उस पाठ्यक्रम में भी आप सुधार करें। अभी जो पाठ्यक्रम पेश कर रहे हैं उससे एक बच्चे को बहुत बड़ा वजन लेकर घूमना पड़ता है इससे उन किताबों के बोझ के नीचे बुद्धि भी दब जाती है और पाठ्यक्रम की पुस्तकों की मनमानी कीमत बढ़ायी जा रही है उनमें भी सुधार करें।

अन्त में मैं अपनी बात को कहते हुए समाप्त करूंगा कि जब भी नये विद्यालय खोलें तो इस पवित्र काम में भेदभाव नहीं करें और जहां इनके खोले जाने की आवश्यकता है वहां निश्चित रूप से नये माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलें। यही बात आपसे कहूंगा।

श्री सभापति : श्री जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : सभापति महोदया, इस अतीत के हिन्दुस्तान के गुरुकुल कहां खो गये, जहां कालीदास पैदा हुए, धनवन्तरी पैदा हुए और चरक जैसे विद्वान पैदा हुए ? क्या ब्रिटिश हुकुमत ने, क्या मैकाले के बनाये हुए शिक्षा नियमों ने एक ऐसा नासूर पैदा कर दिया जो अब तक पूरा नहीं हुआ ? (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : कालीदास तो अनपढ़ थे फिर भी कालीदास जी महाकवि कालिदास हुए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री जितेन्द्र सिंह : हुजूर, बोल लेने दीजिये मुझे, आप से भी विद्वान बहुत हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज, प्लीज कन्टीन्यू।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चरक तो आप खुद ही हो।

श्री जितेन्द्र सिंह : मैं, महोदया, सबसे पहले आपके सामने कहूंगा प्राथमिक शिक्षा स्तर पर जो वर्गीकरण हो गया कि एक शिक्षा एक गरीब के लिये और एक अमीर के लिये एक गांव के लिये और एक शहर के लिये, विभाजन हो गया, आज एक गांव का लड़का शहर के लड़के के मुकाबले दौड़ में कहीं आगे नहीं निकल पा रहा है, इतना बड़ा अन्तर आ गया है, यह क्या कारण है? यह निश्चित रूप से शिक्षा का जो वर्गीकरण हुआ—एक शिक्षा सुसंस्कृत लोगों के लिये हो गयी, एक गरीब किसान के लड़के के लिये हो गयी, एक गरीब हरिजन के लिये हो गयी वह दौड़ में नहीं पकड़ पा रहे हैं। इन अमीरों के बच्चों को शिक्षा कान्वेन्ट और पब्लिक स्कूल में दी जा रही है उस दौड़ में वह बच्चे पूरे नहीं पड़ रहे हैं, पिछड़ रहे हैं।

मेरी यह गुजारिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अभी भी तकनीकी संस्थानों में बहुत कम है। आज एक ग्राम कालेज जो चाहे चिड़ावा में हो या किसी धौलपुर के गांव के अन्दर हो या नागौर के किसी गांव में हो वहां से निकले लड़के का प्रतिशत गवर्नमेण्ट, कालेज अजमेर या महाराजा कालेज जयपुर, या राजऋषि कालेज, अलवर या महाराव भीमसिंह कालेज, कोटा के लड़के के मुकाबले में कतई कम है। आज नीम का थाना या खेतड़ी कालेज से मेडिकल या इंजीनियरिंग में महज दो लड़के जाते हैं जबकि महाराजा कालेज, जयपुर या गवर्नमेण्ट कालेज, अजमेर के 50-50 लड़के जाते हैं। यह इतनी विषमता क्यों हो रही है? महोदया, निश्चित रूप से कमियां रह गयी हैं। हो सकता है जो लेबोरेट्रीज इन छोटी-छोटी तहसील स्तर के कालेज के अन्दर हैं उनका स्तर निश्चित रूप से महाराजा या गवर्नमेण्ट कालेज, अजमेर के मुकाबले कहीं निम्न है। चाहे बोटनी सैक्शन हो, चाहे जियोलोजी सैक्शन हो, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो, चाहे कैमिस्ट्री का डिपार्टमेण्ट हो निश्चित रूप से आज जबर्दस्त विभाजन एक गांव के लड़के और शहर के लड़के का हो गया है। जो देहातों के अन्दर जो कालेज हैं उनके शिक्षकों का स्तर निश्चित रूप से उत्तम होना चाहिये। मैं डाक्टर होने के नाते बता सकता हूं कि दिमाग में ग्रे मैटर होता है उसका स्टेण्डर्ड सब में एक है उसमें कोई फर्क नहीं है, खुदा के घर से कोई फर्क करके नहीं भेजा गया है, इसके अन्दर तो यह निचले स्तर पर फर्क हो रहा है।

महोदया, गाँव के अन्दर सबसे बुरी जो समस्या है वह महिला शिक्षा के साथ हो रही है। शहर की लड़कियों के पास पढ़ने के लिये बहुत से साधन हैं। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं जानता हूं कि एक ढाणी में पढ़ने वाली लड़की या गांव में पढ़ने वाली लड़की है उसके लिये कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है, उसके लिये कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप बुलन्द विचार वाले हैं और बहुत योग्य शिक्षा मंत्री हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले इस राजस्थान की पिछड़ी हुई महिलाओं और लड़कियों की जो दर्दनाक स्थिति है, गांव के अन्दर, ढाणियों के अन्दर 5वीं कक्षा तक शिक्षा नहीं पढ़ पा रही हैं, आप प्राथ-

(श्री जितेन्द्र सिंह)

मिकता दीजिये स्कूल खोलने में। अगर आप 15 स्कूल खोल रहे हैं तो कम से कम लड़कियों के लिये तीन कन्या प्राथमिक विद्यालय खोलें।

महोदया, लड़कियों के मिडल स्कूल के बाद में सैकण्डरी स्कूल की स्थिति जो है आज की स्थिति के अन्दर लड़कियां लड़कों के स्कूल में पढ़ने की स्थिति में नहीं हैं मैं देहात की स्थिति को समझता हूँ, बहुत से विधायक महोदय देहातों से आते हैं वह जानते होंगे, आज हमारी ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या कस्बों की लड़कियां लड़कों के साथ स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने की स्थिति में नहीं है, उनके लिये अलग से सैकण्डरी स्कूल चाहियें। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं जब यह सुनता हूँ, वह लोग कहते हैं कि साहब 8वीं के बाद में लड़की न घरां बैठा दी, नहीं पढ़ा सकते हैं आज हम इस स्थिति में नहीं हैं। मैं आपको किसी बात की शिकायत नहीं कर रहा हूँ; लेकिन स्कूलों और कालेजों में जिस तरह का वातावरण होता जा रहा है निश्चित रूप से वह एक सोचने का प्रश्न बन गया है। इस समय बड़ी गम्भीर स्थिति आ गयी है। स्कूलों और कालेजों में जो कभी हमारा राजनीति का वातावरण बन रहा था, आज इतनी भयावह स्थिति हो गयी है कि लड़कियां घुस नहीं सकती हैं स्कूलों और कालेजों के अन्दर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस स्थिति में कुछ करिये। जो शिक्षा के अन्दर वर्षों से शहर वालों ने अपनी ठेकेदारी ले रखी थी पब्लिक स्कूल और कान्वेंट स्कूल की, इस चीज के लिये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज इस योजना के अन्दर नवोदय स्कूल खुल रहे हैं, जिला स्तर के ऊपर यह इसी अतीत के हिन्दुस्तान के गुरुकुल सिद्ध होंगे अगर सही तरीके से क्रियान्विति की गयी तो। यह बहुत बड़ा सराहनीय कदम है आप सब लोगों का। आज गांव का लड़का है, मैं जानता हूँ कि उसकी स्थिति क्या होती है। शहर के अन्दर मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज या टेक्निकल कालेज में जब अंग्रेजी के अन्दर प्राचार्य महोदय या कोई डाक्टर या कोई इंजीनियर या प्रोफेसर या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग उन्हें पढ़ाते हैं तो गांव या कस्बे का लड़का उनके मुंह की तरफ यह देखता रहता है कि वह क्या फरमा रहे हैं। अगर अंग्रेजी का इतना ही प्रभुत्व रखना है तो निश्चित रूप से गांव और कस्बों के अन्दर अंग्रेजी का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा।

(म. प. 4·00)

वह लड़का दौड़ के अन्दर पिछड़ जाता है, कालेजेज की एज्यूकेशन के अन्दर। जब आर. ए. एस. और आई. ए. एस. या और तकनीकी संस्थाओं की परीक्षाएं होती हैं उनमें वह पिछड़ जाता है। क्यों? उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं जानता हूँ। मेरे भाई बहुत से उधर भी बैठे हैं। अंग्रेजी में वह नहीं पिछड़ रहा है तो निश्चित रूप से उसका स्तर इस दौड़ के अन्दर बराबर दौड़ने की स्थिति में हो जायेगा। आज सिर्फ कान्वेंट स्कूलों की दौड़ ऐसे देहात के मुकाबले में कम हैं। हमारे देहात और ढाणियों का लड़का अंग्रेजी नहीं जानता उनके मुकाबले के अन्दर। महोदया,

(श्री जितेन्द्र सिंह)

अपना जो कार्यक्रम है तीन हजार प्राइमरी स्कूल खोलना, निश्चित रूप से बहुत सुन्दर कदम है इस सरकार का। लेकिन निश्चित रूप से अतिशीघ्र इसके लिए अध्यापक भी भेजिये, हो सकता है इसके लिए कोई प्रशासनिक तैयारियां हो रही हों। लेकिन निश्चित रूप से मेरा यह निवेदन है आपसे कि अति शीघ्र उन स्कूलों को अध्यापक दीजिए। कई-कई ऐसे स्कूल अभी भी मौजूद हैं जहां तीन-तीन कक्षाओं के अन्दर सिर्फ एक अध्यापक पढ़ा रहा है। मेरे ख्याल से तीन सौ बच्चों पर एक अध्यापक ढंग से नहीं पढ़ा पायेगा। (व्यवधान) बात गुरुकुल की नहीं हो रही है, महोदया। निश्चित रूप से सरकार दौड़ लगा रही है। लेकिन किन्हीं चीजों में तो कमियां रह ही जायेंगी। महोदया, इस शिक्षा के अन्दर मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूँ लेकिन हाल ही में एक एम. काम. 65-70 प्रतिशत वाला लड़का आया था पोस्ट ग्रेजुएट, मैं पूछ रहा था कि क्या कर रहे हो तो उसने कहा मैं राज की नौकरी कर रहा हूँ तो मेरा कलेजा धक से रह गया। यह स्थिति शिक्षा में क्या आ रही है। गांव का लड़का या गांव वाला अपने बच्चों को महज इसीलिए पढ़ाता है कि उसके दिमाग में गलतफहमी है कि उसका बच्चा अगर बी. ए. कर लेगा तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में चला जायेगा। यह उसके दिमाग का भ्रम है। वह भ्रम दूर करना पड़ेगा किसी भी तरह से। ऐसी भयावह स्थिति हो रही है। इसके लिए सिर्फ एक ही निर्णय सरकार ले सकती है कि तकनीकी संस्थाओं को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाय। मैकाले ने सिर्फ एक क्लर्क हिन्दुस्तान में बनाने की ब्रिटिश हुकूमत की योजना बनायी थी। मंत्री महोदया, आपके बुलन्द विचारों से उसका रुख मोड़ना पड़ेगा। आज तकनीकी संस्थानों की जरूरत है हर जगह। यही स्वरोजगार योजना देंगे। जरूरी नहीं है हर पढ़ने वाला डाक्टर या इंजीनियर, प्रोफेसर या आर. ए. एस. या आई. ए. एस. बन जायेगा। वह एक अच्छा कारीगर बनेगा। वह एक अच्छा बढ़ई बनेगा। वह एक अच्छा दुकानदार बनेगा। मेरी गुजारिश है आपसे कि जो तकनीकी संस्थान आप खोल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है आपने चिड़ावा के अन्दर खोला है, एक तकनीकी संस्थान शेखावाटी के अन्दर, जो सैनिकों की एक स्थली है। आपने उदाहरण पेश किया है अच्छे शिक्षा मन्त्री का और वे तकनीकी संस्थान में पढ़ेंगे। हो सकता है उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिले लेकिन वे इन तकनीकी संस्थानों से ऐसी एक खूबी लेकर निकलेंगे कि वे जिन्दगी की दौड़ लगाकर कहीं पीछे नहीं रहें। हो सकता है सरकारी नौकरी नहीं मिले, वे अपना धन्धा खोल लें। महोदय, और भी बहुत से वक्ता हैं, वक्त बहुत हो चुका है, मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा कि आप अपने बुलन्द विचारों से, शिक्षा नीति से फिर एक हिन्दुस्तान का जो गुरुकुल था उसको लौटाइये। मेरी यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहन छंगाणी (अनुपस्थित) श्री मुल्तानाराम

(श्री सभापति)
समय सीमा का ध्यान रखें कृपया ।

श्री मुल्तानाराम (जैसलमेर) : सभापति महोदय, आज सदन में शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग संख्या 24 पर बहस हो रही है । मैं इसमें अपने आपको शामिल करते हुए आपके साथ इस गरिमामय सदन के सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ । सभापति महोदया, आजादी के पूर्व जो स्तर था वह एक सामन्तशाही वर्ग में, जागीरदार वर्ग में, साधन सम्पन्न और पंजीपतियों के वर्ग में निहित था । एक गरीब घर का छात्र उस जमाने में अध्ययन कर नहीं पाता था । मैं यहां पर...(व्यवधान) स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने आजादी से पूर्व और उस काल में किस तरह से शिक्षा ग्रहण की थी और उन्हें उस जमाने में क्या क्या यातनाएं सहन करनी पड़ी थीं, लेकिन आजादी के बाद में इस देश के कर्णधारों ने इस शिक्षा में एक समान स्तर की शिक्षा का हमारे संविधान में प्रावधान किया और इस देश में हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए उसमें प्रोविजन किये गये । सभापति महोदया, शिक्षा मनुष्य की रोशनी है, मनुष्य को शिक्षा की परम आवश्यकता है । इस संसार में जो भी गतिविधियां तकनीकी रूप में होती हैं उसकी भौतिक जानकारी मनुष्य को सीमित रखती है । आजादी के बाद इस देश के निर्माताओं ने शिक्षा पर जोर देने के लिए निरन्तर कदम उठाये फिर भी जितनी अपेक्षा थी, उम्मीद थी, उस सीमा तक पहुच नहीं सके । आज हम राजस्थान को लेते हैं । राजस्थान का प्रतिशत 24.38 है । यह क्या है ? आजादी को 40 साल हो गये और शिक्षा का जो स्तर है, विशेषकर राजस्थान में बहुत ही कम है । यह एक विचारणीय बिन्दु है और चिन्तन का विषय है । इस ओर दूसरे भी कदम उठाने होंगे । ताकि इस देश की तरक्की हो सके । सभापति महोदय, मैं यहां पर यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस शिक्षा का समान स्तर होना चाहिए । आज यह स्थिति है, ग्रामीण स्तर के छात्र आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बड़ी-बड़ी नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी नींव जो है बहुत कमजोर होती है, वे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, सामाजिक दृष्टि से कमजोर होते हैं । ग्रामीण क्षेत्र में उतनी सुविधाएं नहीं होती जितनी कि शहरों में हैं और साधन सम्पन्न लोगों को होती हैं । इसलिए इस पर गहराई से चिन्तन करना पड़ेगा और इस देश के परिप्रेक्ष्य में सोच विचार करके ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से समानान्तर करने की ओर ध्यान देना होगा तभी हमारा यह देश राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में पनप सकता है और देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो सकती है । मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में उसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा में ऐसे साधन, ऐसे चिन्तन, ऐसे पाठ्यक्रम, ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे बेरोजगारी का अन्त करने में सहायता मिल सके । लोग अपने आप जीवन-यापन और जीविकोपार्जन कर सकें । सभापति महोदया, विशेषकर मैं सीमावर्ती और रेगिस्तानी जिलों के बारे में कहना चाहूँगा । जैसलमेर और बाड़मेर सीमान्त और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं

(श्री मुल्तानाराम)

जहां शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। वहां सन् 1960 के बाद में ही प्राथमिक शिक्षा की शुरूआत हुई और अब तक यह स्थिति है कि छात्रों को ग्रामीण क्षेत्र से 25-25, 30-30 किलोमीटर जाना पड़ता है और इतना ही नहीं भवन व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए मैं इसमें यह निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से, कि विशेषकर रेगिस्तानी और सीमान्त क्षेत्र हैं उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उनको विशेष श्रेणी में लेकर अलग से योजना बनाई जाय जिससे उनका तेजी से विकास हो सके। इस पर आगे और कहना चाहूँगा, सभापति महोदया, आपके माध्यम से कि सीमान्त और रेगिस्तानी इलाकों में शिक्षा का स्तर निम्न होने से वहां के लोगों को अध्यापक तक की शिक्षा नहीं मिल रही है जिससे वहां के स्थानीय अध्यापक नहीं मिलते हैं। दूसरे जिलों से या दूसरे राज्यों से नियुक्तियां की जाती हैं जिससे कि दूरदराज क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाते हैं और रह नहीं सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आवासीय व्यवस्था उन अध्यापकों के लिए बहुत ही आवश्यक है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, जहां महिला अध्यापक लगा दी जाती हैं। अगर उनके लिए आवासीय व्यवस्था नहीं होगी, भवन की व्यवस्था नहीं होगी तो वह वहां नहीं रह पायेंगी और इस तरह से महिला शिक्षा में भी गिरावट आ सकती है। सभापति महोदया, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में 1968 से 75 तक शालाओं का निरीक्षण वहां बिल्कुल नहींहुआ है। जिला शिक्षाअधिकारी या अन्य अधिकारी गण साल में एक बार भी किसी शाला का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। इससे शिक्षा में गम्भीर गिरावट आती है क्योंकि समय पर अध्यापक पहुंचते नहीं हैं और वहां पर अध्यापन कार्य नियमित रूप से नहीं हो पाता है। अध्यापकों की डेली डायरी है, उनकी अटेण्डेन्स है, उनकी दैनिक गतिविधियां हैं उन पर वाच करना और निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक है इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले की 93 ग्राम पंचायतें है। 93 ग्राम पंचायतों में यह स्थिति है कि 35 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालयनहीं हैं। यहां तक कि पूरी ग्राम पंचायतों में दो ऐसी पंचायतें हैं जहां प्राइमरी स्कूल भी नहीं हैं।इसलिएमैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहताहूँ कि इस गति से यदि स्कूल खोलते हैं, जैसे कि पिछले सालों में दो-तीन खोले गये, तो कम से कम दस वर्ष पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक शालायें खोलने में लगेंगे। अब आप खुद ही विचार कर लें कि शिक्षा में किस तरहसे तेजी आ सकती है, पिछड़े इलाकों का विकास कैसे हो सकता है। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से एक विशेष आग्रह मन्त्री महोदय से करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में मैंने पिछले कई सत्रों में उल्लेख किया था कि हमारे जैसलमेर में एक ही महाविद्यालय कोठारी महाविद्यालय है जिसमें पी. जी. कक्षाएं नहीं होने से जैसलमेर के गरीब छात्र 300-350 किलोमीटर जोधपुर, दो सौ किलो-

(श्री मुल्तानाराम)

मीटर बाड़मेर, लगभग साढ़े तीन सौ किलोमीटर बीकानेर तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के गरीब छात्र वहां अग्रिम अध्ययन नहीं कर पाते हैं और उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोठारी महाविद्यालय जैसलमेर में पी. जी. कक्षाएं शुरू की जाय। वहां पर हमारी पूरी भवन व्यवस्था है, लाइब्रेरी है, हमें अतिरिक्त और कोई सुविधा की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो कम से कम हमें परीक्षाओं की अनुमति इस साल देने की कृपा करेंगे। मैं इस मौके पर, सभापति महोदया, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसलमेर जिले का पोकरण सबसे बड़ा कस्बा है जिसकी लगभग बीस हजार जनसंख्या है और इसके आस-पास दो सौ के लगभग गांव आते हैं...

श्रीमती सुमित्रासिंह : ऐतिहासिक स्थान है।

श्री मुल्तानाराम : और जैसा कि सम्माननीया सुमित्रासिंह जी ने बताया उसका ऐतिहासिक महत्व है, जहां बाबा रामदेव का बहुत बड़ा मेला लगता है। इस पोकरण कस्बे में...

श्री शोपत सिंह : बाबाजी में ताकत नहीं है कि खोल दे वहां महाविद्यालय।

श्री मुल्तानाराम : ताकत तो है... (व्यवधान)

श्री सभापति : कन्क्लूयूड करें, माननीय सदस्य अब। समाप्त करें। (व्यवधान) ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री शोपत सिंह : फिर इनके आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मुल्तानाराम : हाथ तो आप और हम सब सरकार के आगे ही फैलाते हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पोकरण कस्बे में महाविद्यालय खोलने का विचार करें जिससे पोकरण सब-डिविजन है, तहसील है और अन्य जो वहां सरकारी मशीनरी है उनके छात्रों को भी पूरा लाभ मिल सके।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में तो वास्तव में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वास्तव में जो सबको लाभ मिलना चाहिए और इसके पीछे जो मन्शा है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए केवल कागज तक ही सीमित है और इस पैसे का वास्तव में दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा है इसके बजाय जो रेगूलर शिक्षा दी जा रही है उसमें मर्ज की जाकर उसकी सुविधा दी जाय जिससे शिक्षा का स्तर बढ सके।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मुल्तानाराम : बस दो मिनट में समाप्त करता हूँ।

श्री शोपत सिंह : मेरी पार्टी का भी ख्याल करें।

श्री मुल्तानाराम : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसलमेर, बाड़मेर का जो पिछड़ा इलाका है वहां अध्यापकों के अधिकतर पूरे साल रिक्त पद रहते हैं और प्रधानाध्यापक तो कई स्कूल हैं जहां तीन-तीन वर्ष तक लगाया ही नहीं गया, इसलिए इस ओर भी विशेष ध्यान दें और स्थानान्तरण का जहां तक प्रश्न है, जहां स्थानीय अध्यापक हैं उसी गांव के वह वास्तव में अध्यापन कार्य नहीं कराते हैं, अपना घरेलू धन्धा करते हैं, दुकानदारी करते हैं और ट्यूशन करते हैं। इसलिए समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमारे छात्रों का भविष्य अन्धकार में हो जाता है। इसलिए कृपा करके दो या तीन वर्ष बाद चाहे स्थानीय हों, चाहे बाहर के हों उनका स्थानान्तरण करना अनिवार्य है। इससे शिक्षा में कुछ सीमा तक सुधार आ सकता है। इसके अलावा, सभापति महोदया...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ—

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मुल्तानाराम : शालाओं में कई वर्ष पुराना सामान पड़ा है, दरी है, डेस्क है, खेलकूद का सामान है। बीस-पच्चीस वर्ष हो गये उसके बाद में आज तक नहीं दिया। इस ओर भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि दरी, डेस्क आदि जो आवश्यक सामग्री है वह भी शालाओं में तत्काल मुहैया करानी चाहिए। इसके अलावा, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखना चाहता हूँ जैसलमेर, बाड़मेर में पेयजल की कमी रहती है...

श्री सभापति : पेयजल नहीं आज शिक्षा है।

श्री मुल्तानाराम : उसी सम्बन्ध में मैं बात कर रहा हूँ। स्कूलों में छात्र अपनी छोटी-छोटी केतलियां भर कर ले जाते हैं, वहां उनको पानी उपलब्ध नहीं होता है। या तो घर आकर पानी पीयें। वापिस जाते-जाते उनको एक घण्टा लग जाता है या इससे भी अधिक समय लग जाता है। इससे भी उनके अध्ययन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिये सभी स्कूलों में पेयजल टांका की स्कीम बनाई जाये, उसको पाइप लाइन से जोड़ा जाये ताकि वहां उनको पानी उपलब्ध हो सके। इसके अलावा, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूँगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जैसलमेर में शालाओं के भवन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जैसे रामगढ़ स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है। दस हजार की आबादी है। उस स्कूल में दरारें आ गईं। कम से कम छः लाख की बिल्डिंग है। ऐसे कई स्कूलें हैं। इसमें भवन व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने आपके समक्ष जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनका आप समुचित उत्तर देते हुए जैसलमेर और बाड़मेर, पश्चिमी सीमान्त और रेगिस्तानी इलाकों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व दें। जो मैंने अभी आपके सामने मुद्दे रखे हैं उन पर गौर फरमायेंगे। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री जगदीश तिवाड़ी। (अनुपस्थित)

श्री कुबेर सिंह (अनुपस्थित)

श्री इन्दर सिंह (अनुपस्थित)

श्री रेवतराम चौधरी (अनुपस्थित)

श्री सुन्दर लाल (अनुपस्थित)

श्री पोकरलाल परिहार (अनुपस्थित)

श्री अमरचन्द।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : माननीय सभापति महोदया, आज हाउस के अन्दर, शिक्षा और संस्कृति के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। इस सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, आजादी के पहले शिक्षा का स्तर किसी से छिपा हुआ नहीं है। हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद में हमारी कांग्रेस सरकार के समय जितना स्तर बढ़ा है शिक्षा के अन्दर और वह जमाना भी मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ने जाया करता था, और वास्तव में भेद-भाव की जो भावना कितनी थी उस जमाने के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे को अलग से जमीन पर बैठाया जाता था। और अभी हमारे विपक्ष में बैठने वाले बडे लम्बे-लम्बे भेदभाव के बारे में भाषण देते हैं उस समय कितना भेद करते थे कि सवर्णों के बच्चों के लिये तो टाट पट्टी थीं और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों के लिये जमीन का तल था। यह स्तर उस समय था जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था और महापुरुषों ने इस शिक्षा के क्षेत्र में आज की शिक्षा प्रणाली में इतना विस्तार किया है कि बड़े-बड़े महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छोटे से छोटे गांव में 250 की आबादी के ऊपर, 150 की आबादी के ऊपर एक प्राथमिक विद्यालय खोला है...

(4·25 म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह हमारे उन आजादी के महापुरुषों के बलिदान का फल है जो शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारा देश इतना बढ़ा। हमारा राजस्थान आगे बढ़ा तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जिन महानुभावों ने जैसे कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सी. पी. जोशी, और कोटा से आने वाले माननीय शर्मा जी ने जो सुझाव दिये हैं, उनका मैं समर्थन करता हूँ और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने स्कूलों के खोलने का बहुत ही विशाल हृदय से मानस बनाकर स्कूल खोले हैं और जो उसमें अध्यापकों की कुछ कमी रही है उन अध्यापकों की कमी पूरी नहीं होगी, तो जितने स्कूल खोले हैं तो उसका कोई मायना नहीं होगा। तो जितने स्कूल खोले गये हैं उसके आधार पर, माननीय शिक्षा मंत्री जी, पूर्व में भी यह विभाग आपके पास था और पुनः भी आपके पास आया है मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह समस्या भी बहुत जल्दी हल होगी, इसका समाधान होगा। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा जगत के अन्दर इतना विशाल विस्तार हुआ इसमें आज के युग के अन्दर कुछ प्रणाली ऐसी पड़ गई है

(श्री अमरचन्द)

वह मैं कह देना चाहता हूँ जहां पर नशीली चीजों का प्रयोग ज्यादा होता जा रहा है और उसमें हमारे चाहे स्कूल के मास्टर कह दो, चाहे लैक्चरर कह दो, उनकी मनोवृत्ति भी उस ओर बढ़ती जा रही है। हमारा इस प्रकार का विधान और नियम होना चाहिये कि सस्ती से सस्ती चीज जैसे पान पराग निकाल दिया है, और वह तम्बाकू का खाना स्कूल जायेंगे हाथ में लैक्चरर के वह गुमटी चलती रहेगी, वह हमारे सैकड़ों बच्चे देखेंगे और वह देखेंगे कि गुरु जी इसको ले रहे हैं तो इसमें कोई मजा है। वह भी उस आदत को सीखेंगे। तो कम से कम इस बात की ओर जरूर ध्यान देकर के और ऐसी व्यवस्था बनायें कि वह ऐसी चीजें वहां नहीं इस्तेमाल करें, घर में जैसा मर्जी आये वैसा करें तो ऐसी चीजों पर प्रतिबन्ध होना चाहिये...(व्यवधान)

क्या बताऊं मैं, आप नहीं मानते हो। बोलने दो न ? हम जब आपकी बात सुनते हैं तो आपको हमारी बात को भी सुनना चाहिये। क्या करें, आदत ऐसी बनी हुई है। एक कवि ने कहा है—अंग स्वभाव मिटे नहीं, जात स्वभाव नहीं जाये, होंठा के कांटो लागे, तो भी ऊंट कंटालो खाय। आपको कितना हम कहें, आप समझदार भी हैं, लम्बे समय से आप हाउस के मेम्बर भी हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कहां बात कर रहे हैं। आप मुझे कहें।

श्री अमरचन्द : आप मुझसे ऐसा प्रश्न करते हैं जैसे मैं मंत्री हूँ तो थोड़ा इस बात को सोचो...

एक माननीय सदस्य : अबकी बार आपको मंत्री जरूर बनाया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमर चन्द जी, आप अपनी बात कहिये।

श्री अमर चन्द : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में (व्यवधान) तो मैं समाप्त कर देता हूं। (व्यवधान)...हां हां हम सारे कांग्रेस के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमरचन्द जी, कृपया समाप्त करें।

श्री अमर चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की यह जो भावना है उसका मैं आदर करता हूँ। हमारे माथुर साहब ने अच्छी तरह से शिक्षा का विस्तार किया है। नई शिक्षा नीति के अन्दर हमारे राजीव गांधी ने इन विद्वानों का मानस जाना, बुद्धिजीवियों का मानस जाना और लम्बे समय तक इसका चिन्तन करके एक निष्कर्ष निकाला और शिक्षा नीति के अन्दर एक नवीनता ले आये इसके लिये मैं राजीव गांधी को धन्यवाद देता हूं और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण राम बेड़ा।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24, वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मांग है राजस्थान के लिये, तो यह शिक्षा है। कई जगह जाते हैं तो लिखा हुआ पढ़ते हैं कि डाक्टर की गलती कब्रिस्तान में दफना दी जाती है और इंजीनियर की गलती सीमेन्ट और नीममें दब जाती है मगर शिक्षक की गलती

(श्री नारायणराम बेड़ा)

राष्ट्र में झलकती है। शिक्षा में हमारी जो सब से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन रही है, वह यह बन रही है कि चाहे वह ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पोलिटिशियन हो और चाहे केपेटिलिस्ट हो, इन बड़े लोगों के परिवारों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिये और दूसरी तरफ तो 95 प्रतिशत लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनके लिये यह कहा जाता है कि आपके बच्चे को चौथी कक्षा तक बिना परीक्षा लिये पास करते हैं। यह बहुत अच्छा नारा है अनपढ़ लोगों के लिये जो अनभिज्ञ हैं शिक्षा जगत से उनके लिये लुभावना नारा है ताकि उस बच्चे का बाप यह समझे कि मेरा लड़का पांचवीं पास कर गया और आखिर में मैट्रिक में जाते-जाते वह गुण्डा बनता है या हम पोलिटिशियन का सहायक, या सहायक अभियन्ता के पास मस्टर रोल लेकर जाता है मिस्त्री बनने के लिये या किसी ए. ई. एन. या दूसरे आफिसर के यहां कपड़े धोने या बर्तन साफ करने के लिये लगता है। तीनों जगह वह लड़का अपनी छोटी सी कमाई के लिये जाता है और उसको मालूम नहीं कि शिक्षा में हम कहां हैं। वह दसवीं पास नहीं कर सकता। फिर गुण्डा बनता है। हमने यह जो प्रणाली अपनायी है, हम यह निश्चित रूप से चाहते हैं, हमारी यह मंशा है, सरकार की यह मंशा है कि गांव में रहने वाले लोग जो गरीब हैं, जो मूक है, जो बोल नहीं सकते, उनको उसी स्तर तक रखा जाये। उनको जो टीचर दिये जा रहे है, आप ताज्जुब करेंगे, मैं एक पंचायत के स्कूल में गया था, आप ताज्जब करेंगे सुन कर, लड़के बैठे थे, मैंने एक सवाल अध्यापक से कर लिया। आप यह बता दें .5 और .05 में क्या डिफरेंस हैं तो मैं मान लूंगा कि आप अध्यापक है। उनको यह ज्ञान नहीं है। आप इस नयी शिक्षा नीति से इन विद्यार्थियों को, इन गांव वालों को कहां ले जा रहे हैं। मैं यह निश्चित मानता हूँ कि आपकी शिक्षा नीति से वह दसवीं पास नहीं कर सकता। आपने एक मूल्यांकन समिति बनायी है शिक्षा स्तर के लिये वह मूल्यांकन समिति क्या करती हैं। मन्त्री जी चले गये। मालूम नहीं उनकी मंशा। आप कुछ कर पायेंगे तो चाहिये क्या। आप इसमें कुछ परिवर्तन करें। यह गांव वालों के साथ बैकवर्ड लोगों के साथ एक मीठा जहर है। जो अच्छा लगे और अन्दर जाकर आंतों को तोड़े, ऐसी साजिश है। इस आंतों को तोड़ने वाली साजिश को हटाओ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो षडयंत्र किया जा रहा है उसको आप निश्चित रूप से हटाइये। शिक्षा स्तर के लिये जो मूल्यांकन समिति बनी है उसकी आज तक कब-कब बैठक हुई और उसने क्या-क्या सिफारिश की है। मैं यह मानता हूँ कि गांव वाले बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। आप यह मत सोचिये कि गांव के व्यक्ति स्कूल में नहीं भेजेंगे। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल भोपालगढ़ में लगा ले तो निश्चित रूप से कम से कम 300 लड़के ऐसे मिलेंगे जिनके मां, बाप 200/- रुपये महावार तक दे सकते हैं। वे पैसा खर्च करने की क्षमता रखते हैं। वे पैसा दे सकते हैं। आप केवल नीति निर्देशक तत्व को ही पूरा करने की बात मत सोचिये। क्वांटीटी बढ़ेगी हम नहीं कहते मगर उसमें क्वालिटी देना जरूरी है। जब तक क्वान्टीटी में क्वालिटी नहीं होगी

(श्री नारायणराम बेड़ा)

निश्चित रूप से आज जो हमारा नैतिक स्तर गिर रहा है उसमें हम मानते हैं शिक्षा का दोष है। हमारे पास उस वक्त अच्छे शिक्षक नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, हमारे एक अध्यापक हुआ करते थे, जो छुट्टियों के वक्त घर पर पढ़ाते थे, और अपने गांव नहीं जाते थे। उन्होंने मेरे पिताजी से किसी तरह लड़ झगड़ कर अपने पास कम से कम तीन माह तक रखा। मैं स्कूल में ही सोता था। आज यह भावना कहां है। (व्यवधान) पढ़ने में ठीक था, कमजोर नहीं था। मेरे पिताजी पढ़ाना नहीं चाहते थे। अक्षरज्ञान कर लें। ट्रेक्टर चलायेगा यह इच्छा थी उनकी। मगर उन्होंने लड़ झगड़ कर मुझे पढ़ाया। आज के शिक्षक में हमें यह भावनाएं देनी होगी। कम से कम शिक्षक के प्रति विद्यार्थी में यह भावना उद्वेलित हो कि यह मेरा गुरू है और माता पिता से ज्यादा उनका आदर, सत्कार करे। हमारी कहीं गड़बड़ हुई तो मैं आपको बताऊं तो मुझसे लड़ने वाले और मैंने दोनों ने जो आपस में मारने के लिये तैयार हो गये, यह तय किया कि हम गुरूजी को कुछ नहीं कहेंगे। यह हमारी भावना थी। आज यह भावना समाप्त हो गई। हम टीचर्स को इज्जत दें। कुछ टीचर्स हो सकते हैं अच्छे नहीं हो परन्तु आप शिक्षा के मद में 519 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसमें दस करोड़ और जुड़ जायेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मगर शिक्षक में यह नहीं रहे कि वह भूखा है। उसे अच्छी तनख्वाह दीजिये। मगर उनमें इतनी भावना और आदर और ट्रेनिंग देना पड़ेगी जिससे वे अपने आपको यह समझे कि स्कूल मेरी सबसे बड़ी चीज है और विद्यार्थी मेरे पुत्र से बढ़ कर है। जब तक यह भावना नीचे श्रेणी में नहीं आयेगी तब तक कितने ही विद्यालय खुल जायें इस शिक्षा के स्तर में मुझे लगता नहीं कि कही आप अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे तैयार करें, हो सकता है जो बीस, दस परसेन्ट लोग आई. ए. एस, कलक्टर, एस.पी,आई.पी. एस. में जाते हैं मगर गांव का रूटग्रास लेवल का व्यक्ति किसी भी हालत में नहीं आ सकता है यह मेरी निश्चित मान्यता है। यह मेरी निश्चित मान्यता है। अब मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने यह कहा था कि तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। उसको और ज्यादा बढ़ाया जाय। इसका मैं हामी हूँ। उसको बढ़ाया जाय मगर पिछले दस साल से अनएम्प्लाइड बैठें हैं उनके लिये जगह वेकेण्ट पोस्ट होते हुए या तो वित्तीय साधन नहीं हैं आपके पास, या किसी कारण से उनको वहां आब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी आब्जर्व करने की सोचनी पड़ेगी। उसके साथ-साथ जो आई. टी. आई. करते हैं, न तो डिप्लोमा करने के बाद सर्विस में आना चाहते हैं। बाकी आई. टी. आई. करने वाला व्यक्ति चाहे वह मोटर मैकेनिक हो, चाहे वह रेडियो मैकेनिक हो, चाहे वह वॉच मैकेनिक हो, जो भी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, वेल्डिंग वगैरह की, आज के इस मशीनरी युग में वह कहीं भी पाना-प्लास लेकर बैठ सकता है और अच्छे पैसे कमा सकता है। तो इस मामले में 1984 में जब चुनाव आपके

(श्री नारायणराम बेड़ा)

ऊपर थे, माननीय मुख्य मन्त्री शिवचरण माथुर थे, इन्होंने घोषणा की थी 32 आई. टी. आई. खोलने की। आज वापस चुनाव आ रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वापस याद दिला रहा हूँ, क्या वह इसी तरह से घोषणा करेंगे या वास्तविक रूप में आई. टी. आई. खोलेंगे ? 32 की घोषणा की थी, उसमें एक मेरे क्षेत्र के लिये भी उस वक्त कहा था, भोपालगढ़ में आई. टी. आई. खोलेंगे। उसके बाद वित्तीय साधन खत्म हो गये। जोशीजी आये तो उन्होंने कह दिया, पहले हम क्वालिटी सुधारेंगे, क्वांटीटी नहीं बढ़ायेंगे। न क्वालिटी सुधरी न क्वांटीटी बढ़ी और जोशीजी आसाम चले गये। इसका तो हमें दुःख है। मगर अब जो आप करेंगे, उसमें आई. टी. आई. ज्यादा से ज्यादा खोलिये ताकि आपके ऊपर अनएम्प्लायमेंट का भार नहीं बढ़े। छोटे-छोटे कस्बों में आज मैकेनाइज्ड मामला है वह अपना जीवन यापन कर सकता है। यह तकनीकी वाला मामला मैं इस स्टेज पर देखना चाहता हूँ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत लोग बोलने वाले हैं। और भी बहुत बोलने वाले हैं।

श्री नारायणराम बेड़ा : अभी तो मैं तकनीकी पर बोला हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नारायणराम बेड़ा : ऐसा है, साहब कोई बात नहीं समाप्त कर देंगे मगर एक बात मैं उच्च शिक्षा स्तर के बारे में कहना चाहता हूँ। माननीय जोशीजी आ गये, बड़ी अच्छी बात है। विश्वविद्यालय के मामले में हम कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मन्त्रीजी सुन लें तो ठीक है...

श्री उपाध्यक्ष : सुन रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं। मन्त्रीजी सुन रहे हैं भई, आपकी।

श्री नारायणराम बेड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी, कोई बात नहीं, मुस्कुरायें, आपने उदयपुर को बहुत कुछ विश्वविद्यालय के मामले में दिया और अब इसको क्या देना चाहते हैं, अभी आपका जो भाषण हो उसमें हमें स्पष्ट कर दीजिये। क्या दूसरों को, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर को यूं ही रखना चाहते हैं, सारा ही साउथ कैम्पस उदयपुर में ही बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमें स्पष्ट बता दें। माननीय जोशीजी थोड़ा ज्यादा ज्ञान रखते हैं मगर मैं तो यह जानना चाहता हूँ, क्या आप उदयपुर को देना चाहते हैं, क्या दूसरों को देना चाहते हैं, यह स्पष्ट घोषणा कर दें। यह मैं चाहता हूँ।

श्री सी. पी. जोशी : यह एग्रीकल्चर की डिमाण्ड पर आयेगा।

श्री नारायणराम बेड़ा : हायर एज्यूकेशन इसमें है। इसलिये, जोशीजी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हायर एज्यूकेशन है, तो हायर एज्यूकेशन में आप उदयपुर वाले क्या ले जाना चाहते हो, यह बता दें। या तो हम सबको ले जाओ, हम तो चलने के लिये तैयार हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : जोशीजी पड़ोसी

(श्री डूंगरराम पंवार)

जी का ध्यान रखेंगे।

श्री नारायणराम बेड़ा : कला और संस्कृति के मामले में थोड़ी सी बात ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दूसरों को थोड़े देते हैं कोई।

श्री नारायणराम बेड़ा : थोड़ी सी बात कह दूं, साहब।

श्री सी. पी. जोशी : राज ही हम बनाते हैं तो मजे भी हम नहीं लेंगे क्या। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कम से कम औरों को सबको बोल तो लेने दो।

श्री सी. पी. जोशी : उदयपुर के राज में आप मन्त्री बनी थी, अब आप मन्त्री नहीं हैं तो हमको राज का लाभ तो मिले ना कुछ न कुछ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सी. पी. जी, कम से कम औरो के वोट तो ले लो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बड़ी मुझे बधाई देनी पड़ेगी आपको इस बात की कि आपने स्वीकार तो किया कि आप क्या करते हो। मैं इस बात के लिये आपको बधाई दे दूं कि आपने कम से कम किसी बात को स्वीकार तो किया कि आप ऐसा करते हो।

श्री नारायणराम बेड़ा : हमें खुशी है, यह मानते हैं हमारा राज है, हम ले जायेंगे। बड़ी खुशी की बात है। हम तभी तो कह रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें प्लीज़ फिनिश इट।

श्री नारायणराम बेड़ा : शिक्षा के बारे में मेरी तरफ से कहना था वह कहा और आशा करता हूँ कि शिक्षा मन्त्रीजी इस पर ध्यान देंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिये, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिये और आई. टी. आई. खोलने के लिये तीन मुख्य बातें मैंने कही हैं।

कला और संस्कृति के बारे में तो इसलिये नहीं कहना कि कला और संस्कृति मन्त्रीजी आज काले कपड़े पहन कर आई हैं और काला कपड़ा जब पहना जाता है जब देश से किसी को निकाल दिया जाता है। तो मैं भी आज इस मामले पर नहीं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोलाराम सैनी। (अनुपस्थित)

श्री माणक डाणी। (अनुपस्थित)

सुश्री पुष्पा जैन।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय सदन की सहमति से आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है जब तक मांग पारित हो तब तक समय बढ़ा दिया जाय? (स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री सी. पी. जोशी : कांग्रेस का नम्बर है, साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : वह कांग्रेस के दोनों गैरहाजिर हैं। एबसेंट को अब शुरू करूंगा तो फिर पेण्डोरा बाक्स खुल जायेगा। (व्यवधान)

अच्छा, अब एक को दे देंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने शिक्षा की बढ़ोतरी के लिये बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं, खासतौर से महिला शिक्षा पर राज्य सरकार ने बहुत ज्यादा अपना नरम रूख जाहिर किया है। महिला शिक्षा में मैं उदाहरण के तौर पर पाली जिले को ही लेना चाहूँगी। उपाध्यक्ष महोदय, 11वीं के बाद महिलाओं के लिये कोई कालेज की व्यवस्था नहीं है। छोटे से छोटा भी कोई कस्बा होगा, अगर वहां 50-60 हजार की आबादी भी होगी तो कालेज होगा। लेकिन पाली जहां एक लाख से भी ऊपर आज आबादी है और जहां का रेवेन्यू राज्य सरकार को दूसरे जिलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, वहीं की शिक्षा की बढ़ोतरी के लिये राज्य सरकार ने कभी सोचा तक नहीं। मैं यह आज तक नहीं समझ पाई। मैं तो समझती हूँ ट्रेजरी बेंचेज में बैठे हुए माननीय परिहार साहब, मुख्य सचेतक, और बीनाजी भी मेरी बात से सहमत होंगी कि पाली जिला बहुत बैकवर्ड इलाका है। वहां वैसे ही महिलाएं इतनी फार्वर्ड नहीं हैं, बोल्ड नहीं हैं फिर पुरुषों के साथ वह कैसे पढ़ सकती हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बैकवर्ड होता तो दो-दो महिला को जन प्रतिनिधि बना कर नहीं भेजता।

श्री सी. पी. जोशी : पुष्पाजी, सारी टू इंट्रप्ट यू। दो महिलाएं पाली डिस्ट्रिक्ट से विधायक हैं। पाली से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : शायद यही कारण हो कि दो महिलाओं के आने के बाद ही शिक्षा पर हमें इस सदन में कहने का मौका प्राप्त हुआ, इससे पहले महिला कोई सदस्य नहीं थी पाली से, इसलिये किसी ने इस आवाज को नहीं उठाया। मैं तो ऐसा समझती हूं कि महिला सदस्य मन्त्री-मण्डल में बैठी है, अब देखना है उनमें कितना जोर है। अगर पाली में कॉलेज हो जाता है तो मैं समझूंगी कि पाली जिले से उनका मन्त्री पद पाना भी सफल हो जायेगा।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हमारी मन्त्रीजी में जोर तो बहुत है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पांच बैठी हैं पांच। पांच बैठी हैं महिलाएँ।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पाली में बांगड कालेज है जहां इतनी अव्यवस्था है, माननीय, मंत्री महोदय मैं आपको निमन्त्रण देना चाहती हूँ अगर आप यह सोचते हों महिलाओं के लिए, को-एज्यूकेशन में बांगड में छात्रों के साथ पढ़ सकती हैं तो वहां छात्र भी सुरक्षित नहीं हैं। वहां इतनी अव्यवस्था है, कई बार तो मैंने भी कोशिश की वहां की व्यवस्था को सुधारा जा सके लेकिन वहाँ पर अगर आप

(सुश्री पुष्पा जैन)

इन्टरवीन नहीं करेंगे तो बांगड कालेज में एक छात्र निकले, इसकी बहुत कम गुंजाइश है। आप एक बार पाली में आइये, बांगड कालेज की व्यवस्था की आप गम्भीरता से जाँच करें और उसको सुधारने की पहल करें। महिलाओं का कालेज पाली में हो सके, मैं समझती हूँ, यह सेहरा, आचार्यजी, आपके सिर बंधे तो हम धन्य हो जायेंगे, समझूंगी एक मंत्री ऐसा आया था जिसने महिला शिक्षा की ओर वास्तव में ध्यान दिया।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय पर सबसे ज्यादा चिन्ता व्यक्त करने जा रही हूँ, यह मेरा सौभाग्य है कि आप आसन पर हैं, उस विषय से आपका बहुत ज्यादा ताल्लुक है, मैं जरा गलती करूं तो आप मुझे करेक्ट करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसे मैं बूचडखाना कहूं आज के दिन तो मैं समझती हूं असंगत नहीं होगा और कोई अनुचित बात नहीं होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर मैंने पिछले साल जो सत्र हुआ था उस दिन भी काफी कुछ कहा था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो परीक्षा परिणाम निकाले थे पिछली बार, उपाध्यक्ष महोदय, वह परीक्षा परिणाम अपने आपमें एक बहुत बड़ा कलंक हैं राजस्थान के लिए, जो विद्यार्थी फेल होने योग्य थे वह उत्तीर्ण ही नहीं किये गये उनको इतने अंक प्राप्त हो गये कि वह टापर हो गये और जो टाप करने योग्य थे उनको दो-दो, तीन-तीन नम्बर देकर फेल कर दिया गया। इसको यहां विधान सभा में भी हमने उठाया था और इस पर राज्य सरकार ने कोठारी आयोग अपाइन्ट किया था और यह कहा था कि एक महिने के अन्दर-अन्दर श्री कोठारी अपनी रिपोर्ट दे देंगे। मैं राज्य सरकार से जानना चाहती हूं, आचार्यजी, कोठारी आयोग जो बैठा था उस कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ? अगर वह आ गई है आपके पास तो मैं चाहूंगी कि वह सदन के पटल पर आप रखें ताकि यह सदन जान सके कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो घपले किये हैं उस सम्बन्ध में कोठारी साहब की क्या रिपोर्ट आई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज 57 दिन हो गये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हड़ताल चले।

स्वाभाविक है कि उनकी कुछ अपनी मांगें हैं। उन मांगों के सम्बन्ध में यह हड़ताल पहले भी चली थी। उस समय राज्य सरकार से उनका एक राजीनामा हुआ था उसको मैं पूरा तो नहीं पढूंगी लेकिन उसका ओपरेटिव पार्ट सदन में पढ़कर सुनाना चाहूँगी—

"दिनांक 29.2.88 को माननीय बुलाकी दास कल्ला, शिक्षा मंत्री महोदय के निवास पर कर्मचारी संघ प्रतिनिधियों एवं माननीय किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के मध्य उपरोक्त सहमति के अतिरिक्त निम्न बातों पर और निर्णय लिया गया। इस समस्त बातों के आधार पर दिनांक 1.3.88 को विधान सभा भवन में शिक्षा मन्त्री के कक्ष में सर्वश्री बुलाकी दास कल्ला, सुश्री गिरिजा व्यास, शिक्षा राज्य मन्त्री, श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान

(सुश्री पुष्पा जैन)

सभा, श्री ललित भाटी, विधायक, केकड़ी एवं वर्तमान उप मन्त्री, श्री हनुमन्तसिंह रावत, जिला प्रमुख, अजमेर, श्री रणजीतसिंह कूमट, तत्कालीन शिक्षा सचिव, श्री प्रियदर्शी ठाकुर, सचिव, बोर्ड तथा कर्मचारी संघ के चार प्रतिनिधि सर्व श्री रामप्रसाद वर्मा, सत्यनारायण गर्ग, कैलाश गधिया और विल्सन वाटसन के साथ मांगों के सम्बन्ध में समझौता हुआ और हड़ताल की समाप्ति की घोषणा की गई।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस घोषणा की क्रियान्विति के लिये जब कर्मचारी राजस्थान सरकार के साथ वार्ता के लिये बैठे हुए थे 8.5.1989 को तो मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हड़ताली कर्मचारियों को पुलिस के डण्डे खाने पड़े। उन पर लाठी चार्ज हुआ उपाध्यक्ष महोदय, 200 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको इन्वाल्व नहीं होना चाहिए था ! आप जानते हैं सरकार की हालत जानते है जो। यह बाद में न समझौता करते हैं न लागू करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए मैं भी चुप बैठा हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : इससे बड़ी खेद की बात राज्य सरकार के लिये हो नहीं सकती कि आप एक समझौता करें। जब कर्मचारी उस समझौते की क्रियान्वित के लिये आपसे बात कह रहे थे। उस समय लाठी चार्ज करने का कोई सबब नहीं था लेकिन गरीब कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया गया। यह मेरे पास इन्जरी रिपोर्ट्स है जिन पर लाठी चार्ज किया गया। उन पर गम्भीर चोटें आई हैं। मैं कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार पर यह बहुत बड़ा और गम्भीर आरोप है और लांछन है। अगर इस तरीके से आप आन्दोलन को कुचलना चाहते हैं तो आपको कुचलना होगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उन अधिकारियों को जिनकी वजह से यह सब बूचड़खाना बना हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसलिये कह रही हूं कि ऐसी हालत है।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : यह बूचड़खाना बहुत गन्दा शब्द है। इसका मतलब यह हुआ कि आप आदमियों को जानवर बना रहे हो। यह तो सदन के अन्दर इस तरह का शब्द बोलना शोभाजनक नहीं है। इसलिये मेहरबानी करके या तो इस बूचड़खाने शब्द को गोलमोल कर दो या इसको कटवा दो।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरे पास इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है। जानवर ही नहीं जानवर से ज्यादा गई गुजरी हालत है वहां की। आप जाकर जांच कीजिये मैं आपको निमन्त्रण देती हूं जाइये अजमेर और मुआयना कीजिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सा तफसील से, संक्षिप्त में सारी हालत पर एक नजर देना चाहूंगी इस सदन की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहूंगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस समझौते में आप शामिल थे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने डिनाई कब किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, सरकार तो बाद में जवाब देगी।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मैं जवाब दूं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं आपसे जवाब नहीं चाहता। कम से कम यह तो आप कह ही सकते है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहें तो मैं इस समय इस आसन पर नहीं बैठूं और किसी को बिठा दूं और मैं चला जाऊं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं यह नहीं चाहता उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर नहीं बैठें, यहां आयें और यह समझौते का पालन क्यों नहीं हुआ इसका कारण बतावें।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी जवाब दे दें, फिर बात कर लेंगे। मंत्री जी उचित समझेंगे तो जवाब देंगे और कोई प्रतिवाद की बात आएगी तो मैं अपना आसन छोड़ कर बात कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो ठीक है। यह तो हिम्मत दिखाएंगे ।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि यह जो हड़ताल चली इसकी वजह से बोर्ड का 8 लाख का अतिरिक्त खर्चा हो गया लेकिन 5-6 लाख का खर्चा जो बोर्ड के कर्मचारियों पर वहन करना पड़ता था, राज्य सरकार ने केवल अपनी हठधर्मिता के कारण उस समझौते का पालन नहीं किया और इस हड़ताल के कारण आज तक रिजल्ट आउट नहीं हुए हैं उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड के जबकि जून तक रिजल्ट आउट हो जाने चाहिये थे। यही नहीं. मन्त्री महोदय, आज तक बोर्ड का गठन नहीं हुआ। 1987 के बाद दो साल हो गये हैं आज तक बोर्ड का गठन नहीं हुआ और मुख्यमन्त्री जी के आने के बाद, खासतौर से शिवचरण जी माथुर के लिए कह रही हूं कि उनके मुख्यमन्त्री पद सम्भालने के बाद 1.9.88 को बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर श्री जगमोहन श्रीवास्तव, मैं श्रीवास्तव शब्द पर जानबूझ कर जोर दे रही हूं उपाध्यक्ष महोदय, इनकी एज. ए. अध्यक्ष नियुक्ति की गई और इनके कार्य-कलापों का अगर मैं वर्णन करूं तो मैं समझती हूं, मुझे बहुत समय लग जाएगा। बहरहाल उनके टी.ए. डी.ए. का बिल देख लिया जाय तो आपको अन्दाजा हो जाएगा कि किस तरह से यह बोर्ड के खर्चों पर घूमते रहते हैं उनका यात्रा भत्ता देखें। और इनके दूसरी तरह के खर्चे देखें यानि अध्यक्ष महोदय ने 2800 रुपये का एक डिनर सेट बोर्ड के खर्चे पर अपने घर के लिए खरीद लिया। यही नहीं, 3500 रुपये की कुर्सी अध्यक्ष महोदय के लिए जिस कुर्सी को लाने के लिए दो अधिकारी जयपुर भेजे गये उनकी कार पर खर्चा आया 1500 रुपये।

(सुश्री पुष्पा जैन)

तीस लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें बेकार हो गई। पड़े-पड़े दीमक खा गई। कोर्स बदल गया। उन पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है—

नाम पुस्तक	पुस्तकों की संख्या	मूल्य प्रति पुस्तक
1. सामान्य विज्ञान कक्षा 9,10	1.60 लाख	6.00
2. सामाजिक ज्ञान ,,	80 हजार	6.70
3. बही खाता ,,	70 ,,	11.00
4. व्यापार पद्धति ज्ञान ,,	80 ,,	8.60

मैसर्स टेंग जनरल स्टोर, पुरानी मण्डी, अजमेर को तीस लाख रुपये मूल्य की फर्जी बैंक गारण्टी पर उतनी राशि का कागज दे दिया गया और उस फर्म ने चार लाख रुपये मूल्य का कागज नहीं लौटाया और बोर्ड वसूल नहीं कर पाया और न ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर पाया इन अध्यक्ष महोदय की अनुकम्पा से।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गम्भीर मसले पर सदन का, ध्यान आकर्षित कर रही हूं। मैं समझती हूँ मंत्री महोदय कुछ कर पायें तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगी। 6.25 हजार का 80 मै. टन कागज बिना टेण्डर के ही खरीद लिया और ठीक उसी परम्परा को निभाते हुए जनवरी, 88 में भी 15.60 लाख रुपये मूल्य का 200 मै. टन कागज मनमाने ढंग से खरीदा गया। कागजों की इस खरीद के पहले ही पर्याप्त स्टाक बोर्ड के पास उपलब्ध था। इसका सीधा मतलब है कि 21.85 लाख कागज केवल कमीशन के लालच में खरीदा गया। इसके आगे 50 हजार की कीमत का कन्ट्रोल के कागज से भी बोर्ड को वंचित रहना पड़ा। यह कागज निम्न संस्थाओं के पास आज भी पड़ा हुआ है—

1.	मैसर्स प्रभात प्रकाशनालय, अजमेर	158 रीम
2.	मैसर्स इन्दिरा प्रकाशन, जयपुर	24 ,,
3.	मैसर्स विजय बुक डिपो, अलवर	12 ,,
4.	मैसर्स हिन्दी साहित्य मन्दिर, अजमेर	27 ,,
5.	मैसर्स जनसेवी प्रकाशन, बीकानेर	58 ,,

आज तक यह कागज बोर्ड से वसूल नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त ही करने जा रही हूं।

इन सारी अनियमितताओं के कारण कर्मचारियों को मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष परीक्षा परिणामों में भारी घपला हुआ। इस सदन में जो मसला उठा था, अभी मैंने उसका जिक्र किया। यही नहीं,

(सुश्री पुष्पा जैन)

बोर्ड की लापरवाही से तीन हज़ार कापी रेल के डिब्बों में जल कर भस्म हो गई लेकिन बोर्ड ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

श्री उपाध्यक्ष : तीन हजार नहीं है, तकरीबन एक लाख है ।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरी गलती को आपने करेक्ट किया उसके लिए मैं आभारी हूँ। कर्मचारी हड़ताल पर होने से 150 आलमारियों के बोर्ड ने ताले तुड़वा दिये लेकिन कर्मचारियों से समझौता वार्ता नहीं की। लेकिन इनकी सूझबूझ का परिचय है। आठ लाख रुपये खर्च कर दिये लेकिन उनकी मांगों को इन्होंने नहीं माना इस तरह की हालत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चल रहा है। आप काहे की शिक्षा की उन्नति की बात करते हैं, किस प्रकार से शिक्षा को सुधारेंगे। पांच लाख छात्रों का भविष्य इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ है। भविष्य इस

(म.प. 5.00)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जुड़ा हुआ है । इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यह जो लाठी चार्ज हुआ उसकी जांच करवाइये, जो भी दोषी अधिकारी हैं इस लाठी चार्ज के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय कर्मचारियों के साथ जो समझौता वार्ता हुई है उसको तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाये वरना आज इस सदन में यह बतायें कि इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आप ताला लगाने वाले हैं या इसी तरीके से बूचड़खाना चलाते रहेंगे।...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री पोकरलाल जी ।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय नहीं दे रहे है । मैं कहना चाहती थी कि नायला दुर्ग और कुछ ऐसे भी दुर्ग हैं जिनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ मन्त्री महोदय जब अपना भाषण दें मैं इस विषय पर अलग से बोलूंगी । लेकिन वह अपनी स्थिति स्पष्ट करें, उन पर बहुत से लांछन लग रहे हैं और बहुत तरह की बातें हो रही है। मैं आरोप नहीं लगा रही हूं इस समय। आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि राज्य सरकार ने किस तरह से नायला दुर्ग की रिपोर्ट की ओर उस रिपोर्ट को वापस लेने के लिए आपने लिखा। तो वह कौनसी परिस्थितियां थी ? क्या वह लाखों करोड़ों का घपला था या और कोई आपकी मजबूरियां थीं ? इस बात को स्पष्ट करें। नाहरगढ़ का किला भी ओबेराय को दे दिया था । तो कौनसा हिस्सा दे दिया और कौनसा हिस्सा बचा हुआ है ? इस बात को भी स्पष्ट करें।

सवाई माधोपुर के कई ऐसे ऐतिहासिक किले हैं जहां पर करोड़ों की मूर्तियां चोरी हो गयी। राज्य सरकार ने, आपके पुरातत्व विभाग ने उस सम्बन्ध में क्या-क्या किया ? आप अपनी स्थितियां स्पष्ट करें। और इस विषय पर मैं खुलासा फिर कभी बोलूंगी। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पोकरलाल।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से

(श्री पोकरलाल परिहार)

मांग-संख्या–24 पर अपने विचार रखना चाहता हूं।...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें आप।

श्री पोकरलाल परिहार : सब से कम समय में लूंगा। हमारे प्रधान मन्त्री माननीय श्री राजीव गांधी ने नयी शिक्षा नीति लागू करके जो एक नया हमारे हिन्दुस्तान को उपहार दिया है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं।...

श्री शोपतसिंह : नयी शिक्षा नीति है क्या ?

श्री पोकरलाल परिहार : नयी शिक्षा के माध्यम से समानान्तर रूप से एक राज्य का विद्यार्थी दूसरे राज्य में जाकर के कहीं भी पढ़ सकता है। सब जगह कामन विषय हैं। देश की नयी शिक्षा नीति के मार्फत हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी यह चाहते हैं कि हम 21 वीं सदी में जानें से पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में विकास करें। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में शिक्षा का प्रसार किया जाय और कम्प्यूटर प्रणाली के मार्फत लोगों को जाग्रत किया जाय। विश्व के अन्दर एक नयी मिसाल और हिन्दुस्तान का नकशा विश्व के नक्शे पर कायम किया जाय कि हिन्दुस्तान के अंदर भी कम्प्यूटर प्रणाली के मार्फत, साइंस और टेक्नोलोजी के मार्फत हम कितना आगे बढ़े हैं। इसी सन्दर्भ में हमारी राज्य सरकार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी सराहनीय काम किये हैं। गत वर्ष भी तीन हजार नये प्राथमिक विद्यालय खोल करके हर गांव और ढाणी में शिक्षा का विस्तार और फैलाव किया है। इससे बच्चे अपने स्थानीय जीवन में और अपने नजदीक गांव के पास में या ढाणी के पास में पढ़ कर आगे बढ़ सकते हैं और होशियार हो सकते हैं, अपना जीवन और तरक्की कर सकते हैं।

इसी तरह से इस साल के बजट में भी हमारी सरकार ने तीस हजार नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का जो प्रावधान किया है निश्चित रूप से हम नहीं मान सकते कि कहीं पर भी शिक्षा की कोई कमी रहेगी। बच्चे गांव और ढाणी में नजदीक से नजदीक पढ़ सकेंगे और उनको शिक्षा सुलभ हो सकेगी।

इसी तरह से राज्य सरकार की तरफ से इस बजट में 28 नये विद्यालयों में हमारे प्रधान मन्त्री माननीय राजीव गांधी की भावना के अनुकूल कम्प्यूटर प्रणाली शिक्षा लागू करने का प्रावधान रखा है। इसके लिए तो हम शिक्षा मन्त्रीजी को धन्यवाद देंगे और मुख्य मन्त्रीजी को भी देंगे। कम्प्यूटर प्रणाली के मार्फत हम दुनिया के नक्शे पर उनके मुकाबले में जानकारी आसानी से सुलभ कर सकते हैं।

इसी तरह से महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से केन्द्र में और राज्य सरकार में, हमारी कांग्रेस सरकार ने निःशुल्क शिक्षा प्रणाली लागू की है। जहां वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अभी कोई कह रहे थे कि महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, विपक्ष की तरफ से माननीय सदस्यों ने कहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा की इस नयी व्यवस्था के अनुसार निःशुल्क शिक्षा के मार्फत महिलाओं

(श्री पोकरलाल परिहार)

को पढ़ने का जो अवसर दिया है निश्चित रूप से महिलाएं इस तरह से शिक्षा प्राप्त करके पुरुषों के मुकाबले में, कम्पटीशन में आगे आ सकेंगी और राजनीति के साथ-साथ अच्छी नौकरियों में भी आर. ए. एस. और आई. ए. एस. में सलेक्शन हो सकेगा।

इसी तरह से कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी राजस्थान की सरकार की तरफ से और मन्त्रीजी की तरफ से विशेष ध्यान दिया जा रहा है।...

श्री उपाध्यक्ष : आज पहली बार मीणाजी को आप बधाई देंगे।

श्री पोकरलाल परिहार : इसी तरह से 600 प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करके उनको माध्यमिक विद्यालय बनाये जा रहे हैं इस बजट में। इसी तरह 600 नये माध्यमिक विद्यालय बनाने की जो बजट में व्यवस्था की है हम उसके लिए शिक्षा मन्त्री जी का आभार प्रकट करते हैं और संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि जहां-जहां अध्यापकों के कोई रिक्त स्थान है वहां पर शीघ्रातिशीघ्र सुलभ कराये जाय, रिक्त स्थान पर शीघ्र अध्यापक लगाये जाय। मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मोहन छंगाणी।

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पहले तो शिक्षा मन्त्री जी पर बड़ी दया आती है कि उनको शिक्षा विभाग मिला है, जैसे कोई फटे हुए कपड़े में तरबूज बंधे हुए हों और उस भार को ढोना पड़ेगा साल भर। ऐसी स्थिति शिक्षा मन्त्री जी की है। आज जब मैंने ....

श्री शोपत सिंह : साल भर नहीं छह महीने।

श्री मोहन छंगाणी : छह महीने है पर छह महीने कैसे रहेंगे यह तो यही जाने। मुझे आज बड़ा अचरज हुआ जब यह पढ़ा शिक्षा विभाग का कि भई अरुणाचल से हम आगे हैं सिर्फ बाकी तो सब प्रदेश अपने से आगे हैं पर अरुणाचल से राजस्थान आगे है। यह खुशी की बात है कि कम से कम एक प्रदेश तो है जो हमसे पिछड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुनियादी कुछ बात कह रहा हूँ जिसको मैं थोड़े में ही कहना चाहूँगा। शिक्षा पहले तो जैसे थी पर इसके बाद प्लानिंग कमीशन ने इसमें इन्टरवीन किया। अर्थ शास्त्री आये और उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को इनवेस्टमेंट इन मेन का नाम देकर के जैसे किसी दूसरे क्षेत्र में आउट ले करते हैं वैसे फाइनेंशियल आउट ले करने शुरू कर दिये। बुनियादी बात थी कि शिक्षा में क्वान्टिटी में नहीं होकर के क्वालिटी में परिवर्तन होना चाहिए। यह शुरू से ही बात थी। हमारी शिक्षा सारी की सारी कालेज पर आधारित थी, स्कूल भी वैसे ही थे। एलिट आगे बढ़ती थी और एलिट के लिए शिक्षा थी। कालेजों के आधार पर छोटी स्कूलें भी चलती थीं और सब एग्ज़ामिनेशन पास करके किस तरह से आगे नौकरी मिले, किस तरह से आगे बढ़े। टोटली एलिटोरेएटेट थी, जिसे

(श्री मोहन छंगाणी)

हमें तोड़ना जरूरी था। हमने फाइनेंशियल ग्राउट ले किये, बड़े फाइनेंशियल ग्राउट ले। ग्राज हम यह क्लेम कर सकते हैं कि पांच सौ ग्यारह करोड़ का बजट है पर उसके बाद भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेण्डिचर इतना बढ गया कि जिसका कोई ग्रन्दाजा ही नहीं है।

ग्राज नयी शिक्षा नीति की बातें करते हैं राजीव गांधीजी का नाम लेकर के यह 10+2 जो कई शैक्षणिक संस्थाएं नयी चली है। मेरा उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापके जरिये शिक्षा मन्त्री से निवेदन था कि ग्रगर हम यह भी मान लें कि जिस तरह से फाइनेंशियल ग्राउट लें दूसरे क्षेत्र में करते हैं ग्रौर एज्यूकेशन में करें तो कम से कम यह बताने की कोशिश करें कि कभी ग्रापने मेजरमेंट किया कि इस फाइनेंशियल ग्राउट ले के क्या-क्या परिणाम निकले। कई देशों में होते हैं, कई जगह होते हैं कि हम किसी क्षेत्र में फाइनेंशियल ग्राउट लें करें। तो उस हिसाब से मेजरमेंट करना पड़ेगा उसके स्किल के रूप में, प्रोडेक्टिवटी के रूप में कितना डवलपमेंट हुग्रा, हमारे ग्राउट ले का मेजरमेंट कभी हुग्रा। शिक्षा मन्त्रालय ने कभी ऐसा किया ? ग्राज 10+2 हम कह रहे हैं कि 10+2 सब विद्यालयों में खोल देगें। 10+2 का ग्राउट ले उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपयों का है। मुझे शिक्षा मन्त्रीजी कम से कम यह बताने की कोशिश करें कि कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहां पूरी की पूरी लेबोरेट्री या उनके वोकेशनल गाइडेंस के लिए जो ग्रौजार चाहिए वह उनको मुहैय्या किये गये। कम से कम शिक्षा मन्त्रीजी यह बताने की कोशिश करेंगें कि कितने ट्रेण्ड शिक्षक स्कूलों में दिये गये जो 10+2 में काम कर सकें। ग्राज हम एनरोलमेण्ट देते हैं ग्रौर एनरोलमेण्ट के बाद लेंगे ग्रटेडेंस ग्रौर जिसको हम ग्रटेन्सन कहते हैं, उसकी रेट क्या है ? ग्राज उनकी रेट कुछ नहीं है। ग्राज एनरोलमेंट की फिगर्स देते हैं। ग्राप ग्राश्चर्य करेंगे कि एक दफा मैं एक बहुत बड़े ग्रादमी के पास बैठा था। उन्होंने कहा स्टैटिसटिक्स के मामले में हिन्दुस्तान का जवाब नहीं है। 1951 के सेन्सस ग्रौर 61 के सेन्सस में, 30 ऊपर के जो साक्षर बने स्टैटिसविक्स बना हुग्रा है, वह सारा का सारा यूनिफार्म एक था। कोई बदलाव नहीं था। वही पर्सेंटेज थी साक्षरता का 41 से 51 से 61 तक। इस तरह की स्टैटिसटिक्स हमारे यहां भी कायम है। खासतौर से शिक्षा मन्त्री इस बात पर ध्यान देंगे कि कम से कम स्टैटिसटिक्स को सुधारना चाहिये ताकि हम यह समझ सकें कि कहां किस तरह की कमी है। प्राइमरी एज्यूकेशन में कहां कमी है। ग्राज हम स्कूल खोल रहे हैं, हम ग्राज जितना बड़ा फैलाव कर रहे हैं, उस फैलाव को समेट पायेंगे, इनपुट बरावर दे पायेंगे या नहीं दे पायेंगे, इस बात को सोचना बहुत जरूरी हैं। ग्राज मैं चाहूंगा जैसे ग्रपन ले लें एडल्ट एज्यूकेशन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज वोल्युंटरी एजेंसी काम कर रही हैं। इसको नई तरह से शिक्षा मन्त्री क्यों नहीं सोचना चाहते कि जितने के जितने बेकार शिक्षक ग्राज पड़े हुए हैं, नौकरी नहीं मिलती, उनकी एक फौज बनायी जाये। सारी पार्टियां मिल कर एक फौज बनाये। इस तरह से कोई शिक्षण का प्रोग्राम लिया जाये तो साक्षरता ग्रभि-

(श्री पोकरलाल परिहार)

यान चल पायेगा, नहीं तो आज जो भी आपके फिगर्स हैं, मैं बताऊं डिटेल में फिगर्स दे सकता हूँ, पर उसका कोई मतलब नहीं है, जो सारे फिगर्स हैं आपके एडल्ट एज्यूकेशन के बड़े-बड़े मकान बन गये, नौकरियां मिल गयीं, उनको भत्ते मिल गये, यह कोई साक्षरता का रेकार्ड नहीं है। कोई कहता है कि दुगुना हो गया, कोई कहता है चौगुना हो गया, पर आज जब भी हम गांवों में जायें या दूसरी जगह जायें छोटे-छोटे शहरों में जायें तो साक्षरता की एकदम कमी है। इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री जी जरूर निर्णय लें, जो भी निर्णय लें कम से कम बुनियादी तौर से निर्णय लें, क्योंकि हमारी शिक्षा के आधार, हमारी फाइनेंशियल आउट ले किस तरह के होने चाहिये, उनके क्या मापदण्ड होने चाहिये, प्राइमरी से लेकर आपके 10+2 तक क्या क्या होने चाहिये, वह जब तक आप नहीं कर पायेंगे, तो शिक्षा में कोई भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर पायेंगे, यह बड़ा मुश्किल होगा। इस पर ज्यादा नहीं बोल कर मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा।... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : 10+2 को कार्य रूप दे दिया उन्होंने। वह ऐसा है साहब, कि 10 हजार मन्त्री और दो हजारी संसरी यानि दस जमा दो...

श्री उपाध्यक्ष : Now please sit down.

श्री मोहन छंगाणी : 10+2 को हम यह चाहते हैं कि +2 के अन्दर एक वोकेशनल गाइडेंस होगा। आदमियों में स्किल का डवलमेंट हो जाये, यह दूसरी बात है कि एज्यूकेशन में इकोनोमिक ओरिएण्टेशन कितना होना चाहिये। पर, दो में वोकेशनल गाइडेंस थी और वोकेशनल गाइडेंस में यहां तक विचार चला था कि नर्सिंग स्कूल पटवारी के स्कूल भी आपके ग्रामीण सेवकों के स्कूल भी इन स्कूलों के साथ होने चाहिये। अगर वोकेशनल गाइडेंस में कोई स्टुडेंट यह चुनता है कि उसे पटवारी होना है, उसे ग्रामीण सेवक होना है, उसे नर्स होना है उसे किसी स्किल मे लेखक का काम करना है, कोई भी काम करना है, वोकेशनल गाइडेंस में यह भी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है लेकिन पूरी की पूरी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ट्रेण्ड टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, उस समय ट्रेण्ड टीचर्स का जो एस्टीमेट लगाया गया था मेरे ख्याल से सात से आठ हजार कम से कम ट्रेण्ड टीचर्स चाहिये थे, जब यह जाकर व्यवस्था कायम होती। आज 10+2+3 पूरी की पूरी फेल हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज की हालत का माननीय सी. पी. जोशी साहब वे भी वर्णन कर चुके हैं, मुझे इस के बारे में ज्यादा बोलना नहीं है। कोटा की यूनिवर्सिटी खोली है आज, अजमेर की यूनिवर्सिटी खोली है, मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा माध्यम टी. वी. है, उसका प्रयोग होना चाहिये। जो हमारा काम है कि इन्फार्मेशन, ज्ञान जो भी हो हम लोगों तक कैसे पहुंचायेंगे। जापान जैसे समृद्ध देश में एक यूनिवर्सिटी ऑफ एयर बनी हुई है, जिसमें सिर्फ 50 प्रोफेसर्स हैं, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर, वह सब तकनीकी ज्ञान उनको प्रसारित करते हैं, टी. वी. और रेडियो के ज़रिये। आज जरूरी नहीं हैं कि आदमी साक्षर हो, पिछली बार जब मैंने कहा था तो शिक्षा मन्त्री जी ने ओबजेक्शन

(श्री पोकरलाल परिहार)

लिया था कि सुकरात ने बड़ी खरी बात कही थी कि मनुष्य ने अगर कोई सबसे बड़ी गलती की है तो अलफावेट को ईबाद करके की है। यह जरूरी नहीं कि हम पढ़-कर ज्ञान प्राप्त करें। हम रेडियो, टी. वी. के जरिये नई से नई तकनीक, विज्ञान, सारा का सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। यह जो आउट ले बड़ी-बड़ी सेलरीज एडमिनिस्ट्रेशन पर हो रहा है, उसको खत्म किया जायें और इस तरह से नई तकनीक के जरिये एक यूनिवर्सिटी कायम की जाये जो सबों के अन्दर ज्ञान का प्रसार कर सके, ऐसी व्यवस्था राजस्थान ला सकता है, बुनियादी परिवर्तन एज्यूकेशन में ला सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मुझे और करना है कि सारे जो यूनिवर्सिटी के विल हैं, उनमें कम से कम एकात्मकता होनी चाहिये। चाहे सलेक्शन हो, लेक्चरार के सेलेक्शन में, चाहे उनका प्रमोशन हो, चाहे किसी में हो, आज सब का अलग-अलग विल हैं, इस तरह का अलगाव खत्म करके उनको एकात्मक करना चाहिये और ऐसा प्रारूप देना चाहिये, यूनिवर्सिटी का कंसेप्शन रहा है, राज्य सरकार को उसको क्लीयर करना चाहिये। अगर वह रीजनल यूनिवर्सिटी चाहती है तो रीजनल यूनिवर्सिटी हो, वह चाहती हैं कोटा, ओपन यूनिवर्सिटी रहे, क्यों रहे, कैसे रहे, रह सकती है, नहीं रह सकती है, इस पर विचार करना चाहिये। इसलिये मैं आखिर में शिक्षा मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में जिस तरह से आज यूनिवर्सिटीज चल रही है, उनको बन्द किया जाना चाहिये आज 90% जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, वह न तो बराबर पढ़ा रहे हैं, न कोर्स शुरू हो रहा है न इवेल्यूशन हो रहा है। कई प्रोफेसर आकर मुझे कहते हैं कि कम से कम एक पद्धति तो होनी चाहिये कि क्लास में भी जाते हैं कि नहीं। यह सप्ताह में दो तीन घण्टे भी पढ़ाते हैं कि नहीं। अच्छे-अच्छे जो वाइस चांसलर, रह चुके हैं, जो प्रो-वाइस चांसलर रह चुके हैं, वह आज लगातार कह रहे हैं कि इसलिये किसी पद्धति का निर्माण करना चाहिये और इनके पे-स्केल्स के बारे में हमने जो भी गारण्टी दी है। हमारे यहां यू. जी सी. वेतनमान योजना 1987 में स्वीकार की और 3 जून, 1988 को आदेश हुए और 6 अगस्त, 1988 को रीइटरेट किया। अब उन वेतनमानों में जो भी हमको उन्हें सेक्यूरिटी देनी चाहिये, जो भी भत्ते देने चाहिये, जो भी पर्क्स देने चाहिये, कम से कम उसके बारे में शिक्षा मन्त्री निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। जो यू. जी. सी. से 80 प्रतिशत ग्राण्ट इनको मिलती है, वह 80 पर्सेण्ट ग्राण्ट में से जो निजी शिक्षण संस्थायें हैं, 60 पर्सेण्ट जो हम ग्राण्ट देते थे, वही दे रहे हैं, 20 पर्सेण्ट राज्य सरकार रख रही है। इस तरह की विसंगतियां हो गयी हैं, उनको दूर करना चाहिये, कम से कम राज्य सरकार यू. जी. सी. से जो पैसा लेती है, निजी शिक्षण संस्थाओं के लिये और 20 प्रतिशत अपने पास रखती है, 60 पर्सेण्ट उनको देती है, और उनके वेतनमान नहीं बढ़ रहे हैं बराबर, इस विसंगति को दूर करना चाहिए। और, 20 प्रतिशत जो राज्य सरकार ने अपने पास मुनाफा रखा है, वह न रख कर के निजी शिक्षण संस्थाओं को देना चाहिये। सारी यूनिवर्सिटियों की बातें तो बोली गयी हैं, मैं खासतौर से एक यह निवेदन करना चाहता हूँ, लाइब्रेरी मूवमेंट के लिये। आज हमारे लाइब्रेरीज की हालत

(श्री पोकरलाल परिहार)

खराब है। इस सदन में मैं आपको कह रहा हूं, मैं लाइब्रेरी कमेटी का चेयरमैन रह चुका हूं, इसलिये आपसे निवेदन कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिए बहुत बढ़िया लाइब्रेरी बन रही है।

श्री मोहन छंगाणी : वह मुझे मालूम है। मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूं। जहां आप पांच मिनट नहीं बैठ सकते हैं, कूलर भी नहीं लगा हुआ है, खैर छोड़िये अब इस बात को। किताबें जैसी होनी चाहिए, वह नहीं हैं। हमारे वहाँ लाइब्रेरी के लिए सुविधा कोई है ही नहीं। लाइब्रेरी का मूवमेंट बड़े पैमाने पर चलना चाहिए और मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय इस बारे में कोई कंकरीट पहल करें, तो मैं उसमें बहुत बड़ा भागीदार हो जाऊंगा, निश्चित तौर से। पैसे की दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से भी। अगर बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू करेंगे कि लाइब्रेरी मूवमेंट चलाना है और लाखों रुपयों के एस्टीमेट से शुरू करें। तो निश्चित रूप से मैं भी भागीदार बनूंगा। थोड़ा सा मुझे कला पर बोलना है और बोलना है जवाहर कला केन्द्र पर। एक चार्ल्स कूरियर नाम के आर्किटेक्ट जो बड़े आर्किटेक्ट हैं जिसको पुपुल जयकर, जरीन ऑफ आर्ट कहती हैं, मणिशंकर अय्यर, उसको बहुत बड़ा मानते हैं। वैसे आर्किटेक्चर में बहुत बड़े-बड़े आर्किटेक्ट बाहर के हुए हैं जिन्होंने नये आर्किटेक्ट को रूप दिया। फ्रैंक क्लाइव लाइड़ काबुशियेर, मैक्स वेल, फ्राइजर, बहुत सारे हुए हैं। जापान के बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, कोरिया आर्किटेक्ट में कैसे हैं, हमारे मित्र इन्द्र गुजराल के भाई सतीश गुजराल भी आर्किटेक्ट हो गये, कैसे आर्किटेक्ट हो गये। उन्होंने नीदरलैंड की अम्बैसी से रिजाइन किया। अब उनकी हालत आप देख लीजिये। जवाहर कला केन्द्र क्यों बना इसका मुझे मालूम है। मेरी माननीय जोशीजी से बात हुई थी, बात क्लीयर नहीं हुई थी पर ऐसे ही अशोक वाजपेयी के बारे में बात हुई थी कि जो भोपाल कला केन्द्र है वैसा कोई न कोई राजस्थान में भी कला केन्द्र होना चाहिए। कला केन्द्र बनाने के लिए आऊट ले हुआ। उसके बाद मैं बाहर था। कमेटियां बनाई गई, कई कमेटियां बनती गई, कोरिया से राज्य सरकार ने क्या कहा किस तरह से कला केन्द्र बनाना है, थियेटर कैसा बनाना है, लाइब्रेरी कैसे बनानी है, उसमें म्यूजियम किस तरह का रहना चाहिए, आर्किटेक्ट कैसा रहना चाहिए वह सारी बातें क्या राज्य सरकार ने लिखकर दी, मुझे पता नहीं। राज्य सरकार ने कोरिया को लाखों रुपये दिये होंगे और देकर कहा कि हमारे यहां एक कला केन्द्र बना दो। कला केन्द्र आप देखेंगे तो थियेटर के अन्दर आपको....

श्री सी. पी. जोशी : चार्ल्स कोरिया से आप मिले थे कि इस तरह का थियेटर बनना चाहिए ...

श्री मोहन छंगाणी : कभी नहीं। मेरे सम्बन्ध चार्ल्स कोरिया से नहीं है। मैं चार्ल्स कोरिया को जानता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ अखबारों के जरिये जानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वह थियेटर भी गडबड है। मैं कला का पक्षधर हूं, निश्चित पक्षधर हूं कला केन्द्र यहां होना चाहिए।

(श्री मोहन छंगाणी)

आज अशोक वाजपेयी जैसा आदमी नाटक कैसा बना रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय, एक सुरिलिस्टक नाटक है वेटिंग फार बोदो, उसको बुन्देलखण्ड में बना रहा है जिसको आप नहीं समझ सकते, हम भी नहीं समझ सकते। उसमें आइसोलेशन की टेक्नोलोजी और इस तरह की सभ्यता बन चुकी है कि उसमें एक आदमी अकेला कैसे रहता है और बुन्देलखंड जैसी जगह ? वह नाचता है, गाता है, समाज में रहता है, इस तरह की कंसेप्शन यहां है और कोरिया को दे दिया। आज न तो नाटक है, न उसके ऐसा जो थियेटर कहते हैं, बराबर बना हुआ है; न उसमें जाने-आने का रास्ता है, न म्यूजियम के लिए कोई जगह है, न सेमीनार हॉल है, न डाइरेक्टर के बैठने की जगह है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कला, संस्कृति मंत्रीजी यहां बैठी हैं, उनको इस बारे में पहल करनी चाहिए। चार्ल्स कोरिया कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हो और कोई बहुत बड़ी डिजाइन कर सकता हो, इस बात में आने की जरूरत नहीं है हमारा फंक्शनल आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए कला केन्द्र के लिए, उसके बारे में पूरा ज्ञान हासिल करके जो भी आपको सलाह दे सकें, उनसे लें। कई आदमी आपने कमेटी में ऐसे ले लिए जो सिर्फ इम्पोर्ट के लिए रजाइयां बनाते हैं और वे आज आर्ट में सलाह देना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में आप पहल करें। मैंने आपसे कहा था 295 के बारे में कि नाहरगढ़ में ओबेराय को होटल के लिए एन. ओ. सी. मिल गई है और एक जैसलमेर में भी मिलने जा रही है। हम तो उसमें कार्यवाही कर रहे हैं कि उसकी किसी तरह से एन. ओ. सी. रद्द हो, पर नाहरगढ़ में एन. ओ. सी. मिलना, जिसके लिए लोग कहते हैं-कन्फर्म नहीं है, इन्टक जिम्मेदार है, इस तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस बारे में निर्देश दें एनवायरमेंट के हिसाब से, हमारी हैरीटेज के हिसाब से और जयपुर का आमेर और नाहरगढ़ का जो हमारा इलाका है उसकी रक्षा करने के लिए आपको यह एन. ओ. सी. नहीं देनी चाहिए। राज्य सरकार को निर्देश देना चाहिए कि चाहे ओबेराय हो, चाहे और कोई हो, इस तरह से होटल का निर्माण न करें। इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसादी लालजी मीणा।

एक माननीय सदस्य : इन्टक के चेयरमैन राजीव गांधी है, इसलिए कर सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा एक प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : परसादी लालजी बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह भी एक समाचार आया था कि सचिवालय में बम के कारण से सब लोगों को बाहर निकाल दिया और घेराबंदी कर दी और सारी जांच हो रही है तो किस प्रकार की वह धमकी थी ....

श्री उपाध्यक्ष : आपको आया है या समाचार पत्रों में आया है ?

श्री शोपत सिंह : मैं देखकर आया हूं, बम को तलाश किया जा रहा है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समाचार पत्रों में भी आया है और आदमी भी आये हैं जिनको वहां से बाहर भेजा है। क्या स्थिति है ? क्या बात है ? राजधानी में ऐसी क्या बात हो गई, यह बताई तो जाय कम से कम।

श्री शोपत सिंह : कुत्ते भी पहुंच गये हैं, पुलिस भी पहुंच गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लालजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार नहीं है क्या वहां ?

श्री उपाध्यक्ष : है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : है तो बतायें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज शिक्षा का ढांचा गांवों में शहरों के मुकाबले बहुत कमजोर है। शिक्षा का ढांचा बहुत खराब हो रहा है उसकाकारण यह है कि गांवों के लिए स्कूलें खोलते हैं और वहां पर अध्यापकों के पद पर्याप्त संख्या में समय पर स्वीकृत न करके तीन-तीन, चार–चार साल तक वहां जो प्राइमरी के एक-एक, दो–दो टीचर हैं वे ही मीडिल स्कूलों को चलाते रहते हैं, वहां प्रधानाध्यापक भी दो-तीन साल बाद लगते हैं। ऐसी स्थिति में जब एक से आठ तक वहां क्लास हो जाती है तब भी वहां एक ही अध्यापक चलता रहता है, उसके कारण विद्यार्थियों का जो शैक्षणिक स्तर है, वह एक अध्यापक उनको पढ़ा नहीं पाता है तो मेरा यह विशेष कर सुझाव है। उसके मुकाबले आप शहरों में देखें कि एक-एक मीडिल स्कूल में दस–दस, बारह-बारह पद स्वीकृत किये जाते हैं जबकि गांवों के स्कूलों में तीन-या चार पद स्वीकृत किये जाते हैं। कम से कम एक क्लास के लिए एक अध्यापक होना जरूरी है। इसी प्रकार आज छात्रों की जो प्राइमरी एज्यूकेशन है उसके सम्बन्ध में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। एक–एक स्कूल में एक-एक अध्यापक रहता है और सरकार दो सौ लड़कों पर वहां एक टीचर मुहैया कराती है। विशेषकर गांवों के जो छात्र हैं उनका जो प्राइमरी स्तर का ढांचा है वह बहुत कमजोर रहता है जिसके कारण वह आगे जाकर जो शहरों के लड़के अच्छी क्लास में, अच्छी एज्यूकेशन के हैं उनके मुकाबले में वे अपना स्तर बना नहीं पाते हैं। इसलिए आज अध्यापकों के अभाव में गांव की शिक्षा के सम्बन्ध में विशेषकर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि गांवों में 86-87 में स्कूलें खुली हैं वहां पर एक भी पद स्वीकृत नहीं किया गया है और स्वीकृत कर दिये होंगे तो इसलिए वहां अध्यापक नहीं लगायें कि राज्य सरकार का बेन है। क्या यह बेन गांवों के लिए है, शहरों के लिए नहीं? इस तरह सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस साल वहां पर स्कूल खुलें उसी साल वहां पर टीचर लगने चाहिए। पंचायत समिति का जो एक अध्यापक रहता है उसके बलबूते पर स्कूल को नहीं

(श्री परसादीलाल मीणा)

छोड़ना चाहिए, उसके बलबूते पर छात्रों का भविष्य अन्धकारमय नहीं करना चाहिए। मैं विशेषकर माननीय मंत्रीजी को याद दिलाना चाहूँगा कि गत वर्ष नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में स्कूलें खोली। जो 600 मीडिल स्कूलें खोली उनमें से आधी स्कूलों में भी शिक्षा सत्र प्रारम्भ नहीं हो सका। आप इसकी जांच करवा लें। छठी क्लास वहां पर शुरू नहीं हो सकती, न वहां पर हैडमास्टर लगाया, न वहां पर कोई टीचर लगाया, न उन स्कूलों को शुरू किया। एक दिन की भी हाजिरी नहीं की गई। आप उस स्थिति को कैसे, किस प्रकार रखेंगे, जो नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ हुआ है उसमें ? आप उसमें छठी क्लास या सातवीं क्लास में लड़के भर्ती करेंगे ? या छठी क्लास मे भर्ती करेंगे यह बहुत ही पेचीदा स्थिति है। आप इस स्थिति को स्पष्ट करें। टीचर लगने का तो सवाल ही नहीं 86 और 87 में जो मीडिल स्कूलें खोली थी उनमें एक भी टीचर नहीं लगाया। यही हालत जो आपने 671 सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल खोलें हैं, उनमें भी कोई टीचर गत वर्ष आपने नहीं लगाये। मेरे यहां दस स्कूलें सीनियर हायर सैकण्ड्री में अपग्रेड हुई थी वहां एक भी अध्यापक आपने नहीं लगाया। यह क्या है ? बारहवीं क्लास हो गई, ग्यारहवीं क्लास के लड़के थे, उनको पढ़ाने वाले टीचर ही बारहवीं क्लास को पढ़ायेंगे ? इससे गांवों की जो शिक्षा है उसका ढांचा बहुत कमजोर होता जा रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि या तो गांवों में स्कूलें हो नहीं, और अगर स्कूलें खोलते हैं तो उसी साल वहां पर स्टॉफ लगना चाहिए, यह नेसेसरी कर दिया जाना चाहिए। विशेषकर जिला शिक्षा अधिकारी गांवों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, एक साल में एक भी बार जिला शिक्षा अधिकारी गांव की स्कूलों को चैक नहीं करते कि गांव की स्कूल बंद रहती है, चलती हैं क्या होता है, इसका कोई अता-पता नहीं। विशेषकर जो प्राइमरी एज्यूकेशन है उनका तो हाल ही बहुत खराब है। पंचायत समितियों में जब अध्यापकों की भर्ती की जाती है तब खूब भ्रष्टाचार होता है। जो हायर एज्यूकेशन के हैं, जिनकी अच्छी मेरिट है उन लड़कों को नहीं लेकर कमजोर मेरिट वालों को तो स्थान दिया जाता है। जैसे एजूकेशन में टीचर का सलेक्शन मेरिट के आधार पर होता है होता है उसी प्रकार पंचायत समितियों के अध्यापकों का चयन भी मेरिट के आधार पर हो, उनका अलग से कोई जिला शिक्षा अधिकारी हो। मैं आपका विशेषतया ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने छः सौ मिड़िल स्कूल खोल दिये छः सौ सैकण्ड्री स्कूल खोलेंगे, 1500 प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, गत वर्ष ही आपने इतने ही खोलें पर माननीय शिक्षा मंत्रीजी यह बतायें कि आपने अध्यापक कितने लगाये ? छह सौ आपने मीडिल स्कूल खोल दिये, पन्द्रह सौ आपने प्राइमरी स्कूल खोल दिये, इन 21 सौ के मुकाबले आपने तीन सौ अध्यापक भी गत वर्ष नहीं लगाये। मुझे आशा नहीं कि इस साल आप इतनी स्कूलें खोलेंगे। गत वर्ष में खोली गई स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति कर पायेंगे...जहां पंचायत समिति में दो टीचर थे वहां दूसरे स्कूल खोले और उनको वहां लगा दिये जो स्कूल पहले ठीक तरह से चल रहे थे उनका भी ढांचा खराब हो गया। यही स्थिति मिडिल

(श्री परसादीलाल मीणा)

स्कूल की है। तीन-तीन साल तक तो गांव में जिला शिक्षा अधिकारी यह कहते हैं कि पंचायत समिति का स्टाफ ही दो, तीन साल तक इन स्कूलों को चलायेगा। हम कोई नया स्टाफ नहीं लगायेंगे तो मंत्री महोदय आप इस स्थिति को स्पष्ट करें कि आप इस साल में ही जिस साल मिडिल स्कूल खुलें उसी साल वहां स्टाफ लगाना चाहिए। तब तो लोग यह समझेंगे कि मिडिल स्कूल हो गये। इन लड़कों को एक अध्यापक कैसे ढो रहे हैं जिससे ग्रामीण बच्चों की शिक्षा का स्तर है, बिल्कुल नीचे हैं आज उनका एडमिशन नहीं होता है। आज वह शहरों की स्कूलों में आते हैं तो उनकी मेरिट कम हो जाती है, उनको कोई एडमिशन नहीं मिलता है आप अब खूब स्कूल खोल रहे हैं, सैकण्ड्री, हायर सैकण्ड्री मिडिल पर आपने पांच दस साल में कितने कॉलेज खोले ? मेरा ख्याल है कि 10 साल में राजस्थान में एक भी कॉलेज नहीं खोला। कम से कम इस साल आपको 100 या 150 कॉलेज राजस्थान में खोलने चाहिए। आज हायर सैकण्ड्री या सैकण्ड्री पास करके लड़के कहां जायं ? आज कॉलेजों में भीड़ हो गयी है कोई एडमिशन नहीं है। वह लड़के कहां भटकते फिरें उनकी व्यवस्था करिये और कोई भी छात्र जिसने सीनियर हायर सैकण्ड्री उत्तीर्ण की है वह शिक्षा से वंचित न रहे तब तो हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा। हर छात्र को शिक्षा अनिवार्य की गई है परन्तु उसका जब एडमिशन ही नहीं होगा तो वह लड़का भटक जाता है।

इसके बाद आता है कि पढ़ने के बाद वह लड़का क्या करे ? बेरोजगारी की स्थिति हो गयी तो जो टेक्नीकल एज्यूकेशन है उसमें आपको इन गांवों की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। अभी टेक्नीकल की तरफ ध्यान ही नहीं है। चाहे वह कुछ भी करता फिरे।

उनकी टेक्नीकल एज्यूकेशन, जो नयी शिक्षा नीति है उसमें जब तक सही प्रयोगशालाएं नहीं होंगी, उनको सिखाने के साधन नहीं होंगे तो आप क्या समझायेंगे। मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ कि 10 प्रतिशत स्कूलों में भी आज आपकी प्रयोग-

(5.30 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली-सभापति, पदासीन)

शालाएं नहीं हैं। आप किस प्रकार गांव के लड़कों को शिक्षा देना चाहते हैं, आप उनको किस प्रकार शहरों के मुकाबले खड़ा करना चाहते हैं ऐसा सम्भव नहीं है। आज हर स्कूल में प्रयोगशाला हो ऐसी व्यवस्था करें। जिला शिक्षा अधिकारी है वह क्या करता है ? ग्रामीण स्तर के अध्यापकों को शहर में लाकर बैठा देते हैं, प्रति नियुक्ति पर है या कुछ है, वहां के स्कूल खाली हो जाते हैं। कोई किस की सिफारिश ला रहा है। रूरल और सिटी का अलग-अलग डी. ओ. होना चाहिए हर सिटी में, जिससे वह इधर से उधर नहीं जा सके। मेरा यह सुझाव है कि आपने गये साल तो अध्यापक लगाये नहीं इस साल जो स्कूलें खोलें उससे पहले गत वर्ष जो पहले स्कूलें खोली थी वहां अध्यापक

(श्री परसादीलाल मीणा)

पर्याप्त लगायें और आपने जो 600 सैकण्डरी हायर सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्ड्री तो बिल्कुल नहीं रखी। उनमें स्टाफ समय पर लगायें। 15 अगस्त तक स्कूल खोलकर के उनको शुरू करा दें तब तो हमारा लक्ष्य पूरा हो पायेगा वर्ना नहीं। बजट पास करवा लेते हैं और अध्यापक एक भी नहीं लगाते हैं। बजट का क्या होता है ? जनता इस तरफ देखती है कि कि स्कूल 600 खुल रहे हैं, अध्यापक 600 नहीं लग रहे हैं। यह विचित्र स्थिति है। इस स्थिति को हमारे शिक्षा मंत्रीजी पहले भी उनके पास शिक्षा विभाग था, अब यह फिर शिक्षा विभाग देख रहे हैं। सभी लोगों को यह आशा है कि यह पर्याप्त अध्यापक लगायेंगे। जैसा कि आज कहा कि अध्यापकों का ग्रामीण क्षेत्र में अभाव है। शहरों में कोई अभाव नहीं है। शहरों का कोई एम. एल. ए. यह नहीं कहेगा कि वहां अध्यापक नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र के 100 प्रतिशत एम.एल.ए. यह कहेंगे चाहे वह कितना ही बड़े से बड़ा लीडर हो कि हमारे यहां पर स्टाफ नहीं है। पंचायत समिति में एक टीचर लगाते हैं। क्या पढ़ायेगा एक टीचर, उनको इधर-उधर देखने में ही लग जायेगा। ऐसी स्थिति में आपने कहा ब्लेक बोर्ड योजना के तहत एक अध्यापक की जगह दो अध्यापक लगायेंगे पर जहां स्कूल में दो थे वहां आपने एक कर दिया। 1500 नयी स्कूलें खोलकर के वहां एक कर दिया। आप तो उल्टा काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि शिक्षा का जो स्तर है गांव में वह आज गिरता जा रहा है। सभापति महोदय, आप भी गांव से आते हैं, आपको मालूम हैं, शिक्षा मंत्रीजी को भी मालूम है गांव में यह ढांचा कमजोर होता जा रहा है।

श्री सभापति : गांव की शिक्षा तो पंचायत समिति में भैरूलालजी भारद्वाज की जिम्मेदारी है।

श्री परसादीलाल मीणा : सवाल तो शिक्षा का है ना, मिडिल स्कूल है, सैकण्ड्री स्कूल इनके हैं तो मैं कहता हूं कि गांव में शिक्षा का स्तर है वह बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है जब आप स्कूल खोलें तो साथ-साथ उनमें अध्यापक भी लगायें और जहां बी. एड, एस. टी. सी. के अध्यापक नहीं मिलें वहां ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े-लिखे लड़कों को लगाने का आपने प्रावधान किया है, आपने घोषणा की है कि इतने लगायेंगे पर आप बी. एड. पास छात्रों को ही नहीं लगा रहे हैं तो उनको क्या लगायेंगे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने राजस्थान का एक भी पास लड़का नहीं लगाया। उपलब्ध थे, तब भी आपने नियुक्ति नहीं की तो मेरा निवेदन है कि शिक्षा का स्तर जो गांव का है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसका पहला कारण यह है कि पर्याप्त स्टॉफ नहीं लगाते हैं। वहां की डी. डी. ओ. पर्याप्त देखभाल नहीं करते हैं।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : पंचायत राज मंत्री ध्यान दें लालसोट के विधायक बोल रहे हैं कितनी व्यवस्था खराब है।

श्री सभापति : आप बीच में कहां से बोल रहे हैं।

श्री मोतीलाल मीणा : मेरा भी नाम है।

श्री सभापति : होगा तो। पहले उनको समाप्त करने दें। कृपया समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा निवेदन है कि जो स्कूल खोले हैं उनमें पर्याप्त शिक्षक लगायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय सभापति महोदय मेरा...

श्री शोपत सिंह : कोई ध्यान है क्या ?

श्री सभापति : आप तो रोज ही बोलते हैं।

श्री शोपत सिंह : रोज नहीं बोलना चाहिए क्या ? मैं अपनी पार्टी के ऊपर बोलता हूं। पार्टी से चुनकर आया हूं आपको ध्यान नहीं है।

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उनके तीन बोल चुके है हमारे तीन बोल चुके हैं। आप जरा समझिये बात। उनके तीन बोल चुके हैं उनके बाद हमारा नम्बर आता है है आप राउण्ड देखिए।

श्री शोपत सिंह : राउण्ड देखें तो मुझे देखें। सभी दलों के बोल गये मेरा दल ही नहीं बोला है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हम को बुलवाओं ना।

श्री शोपत सिंह : आप ध्यान रखें कि मैं अन्तर्राष्ट्रीय पार्टी का आदमी हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : स्पीकर साहब ने मेरे को बोलने की अनुमति दी है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा पर हाउस में विचार हो रहा है। सभापतिजी, मैं बहुत कम समय लूंगा।

श्री सभापति : यह तो आप हमेशा ध्यान रखते हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा खास तौर से मंत्री महोदय का इलाका मेरे से बिल्कुल जुड़ा है। एकदम लगता हुआ इलाका है पूरा का पूरा। मैं मंत्रीजी से आशा यह करता हूं कि मंत्रीजी को इस बात का ज्ञान है। सभापति महोदय, मैं जहां से चुनकर आया हूँ नोखा से जो बीकानेर जिले में है। यह ग्रामीण क्षेत्र है। वहां मंडी में एक कॉलेज होना चाहिए और कालेज की मांग लम्बे अर्से से है लेकिन राज्य सरकार ने आज तक कालेज नोखा में नहीं खोला जिस के कारण विद्यार्थियों में बड़ा भारी रोष है। इसके साथ मैं चाहूंगा कि आप नोखा में कालेज खोलें साथ ही सभापतिजी, एक महाजन गांव है बीकानेर की लूणकरणसर तहसील में,

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

वहां लड़कियों का एक छात्रावास है और स्वामी केशवानन्दजी जो सांगरिया के थे। कर्मयोगी शिक्षा संत उन्होंने आजादी से पहले यह बताया कि इस इलाके में जब तक गांव की लड़कियां नहीं पढ़ेंगी गांव का आदमी, गांव के परिवार अन्धे रहेंगे।

इस स्वामी केशवानन्दजी के नाम पर भी आप ध्यान दीजिए। आप विद्वान आदमी है और मुझे पता है आप सांगरिया के भक्तों में से हैं। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आसपास के जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में कोई लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है और मंत्रीजी आपको इस बात की खुशी होगी कि आजादी मिलने से एक साल पहले स्वामी केशवानन्दजी महाराज के आदेश से वहां के इलाके के लोगों ने छात्रावास खोला और उस छात्रावास को हम लोग चलाते हैं। लड़कियों के खाने की व्यवस्था, उनके कपड़ों की व्यवस्था और उनको पढ़ाने वाले मास्टरों की व्यवस्था, हम लोग कर रहे हैं। आप कहां शिक्षा की बात कर रहे हैं? कहां आसमान की तरफ हाथ मार रहे हैं, आप पैर की तरफ देखें। जब तक देश में लड़कियां पढ़ी-लिखी नहीं होगी आपके घर में अन्धेरा रहेगा। शिक्षा मंत्रीजी मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस अभाव को अपने हाथ से दूर करें।

सभापतिजी, मैं उस जमाने की बात करता हूं जब हमारे जिले में कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। आज हम वहीं बैठे हैं। मैं आपसे आशा करूंगा आपने कई जगह पिछले साल भी स्कूलें खोली, लेकिन आपके पास कई बार प्रस्ताव आये ग्राम सभा वालों के, मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत करने के लिए लालम देश में मिडिल स्कूल खोलने के लिए और मानारा में आज तक लिख कर हम लोगों ने दिया लेकिन पिछले सत्र में जो सभापति जी स्कूलें खोली मनमाने ढंग से, इन्होंने अपनी इच्छा से जन प्रतिनिधियों, प्रधानों, सरपंचों और एम. एल. एज. को भारी निराश किया और अपमान किया।

मैं चाहूंगा शिक्षा मन्त्री जी आप हिसाब से देखेंगे, अच्छी दृष्टि से देखेंगे हम आपके पड़ौसी हैं। सभापतिजी शिक्षा के बारे में......घड़ी आप मत देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। शिक्षा के बारे में आज सिड्यूल कास्ट, ट्राइब्स के लोग हैं, बड़ी मुश्किल से उनके मां और बाप अपने पेट पर गांठ देकर के बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन जहां ट्रेण्ड मास्टरजी अगर कोई इन्टरव्यू में जावे तो उनके खिलाफ चार्जेज क्या हैं? पहले तो एक नं. क्या आप हाजिर नहीं हुये हो। हाजिर हो जावें तो लिख देते हैं कि आप इन्टरव्यू के दिन हाजिर नहीं हुये और न कोई खुदा न ख्वास्ता धक्के से घुस गया तो कहेंगे तेरी योग्यता ठीक नहीं है। इस बात को मैं तो समझ गया। योग्यता तब ठीक होगी जब सिड्यूल कास्ट के लोग अच्छे पदों पर पहुँचेंगे और उसको गरदन को थोड़ा मरोड़ेंगे तब जाकर के सिड्यूल कास्ट के लोगों को चाहे शिक्षा का मामला हो चाहे कोई।

आज कल तो शिक्षा के मामले में

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

सभापति महोदय, आपको पता है अगर कोई शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा डायरेक्टर, डायरेक्टर से भी कोई ज्यादा बड़ा बन जाये तो विदेशों में अध्ययन करने भेजेंगे किसको, उसके साथ टेढ़ी मूछों वाले भेजेंगे और मैं यह बात कह रहा हूँ अगर कोई पढ़-लिख करके अच्छी पोस्टों पर चला जायेगा तो एक ही इलाज है दूसरा नहीं है उसको नौकरी से निकालने का कि यह शिड्यूल कास्ट का आदमी है, बड़ा सरल तरीका है नीचा दिखाने का उसको। यह शिड्यूल का ऑफिसर है इसने सवर्ण महिला के पल्ले के हाथ लगा दिया अब पल्ले के हाथ लगाने से इस राजस्थान के आई.ए.एस और आर.ए.एस. आफिसर को नौकरी से छुट्टी मिलती है न उनको सस्पैण्ड करने की जरूरत है, न उनकी तरक्की करने की जरूरत है। झूठा-सा बहाना बनाकर कि इसने फलां सेठानी के पल्ले पर हाथ लगा लिया, लेकिन मैं राजस्थान सरकार को, शिक्षा मन्त्री जी आपका इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि आपका राजनीतिक चरित्र यहीं रहा, शिड्यूल कास्ट के लोगों के लिए और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए अगर आपने कोई भेद-भाव की नीति अपनाई तो इस देश में आदमी खड़ा होगा। गरीब आदमी सभापति जी, सड़क पर आयेगा, फैसला करेगा इस बात पर कि राजस्थान की विधान सभा में और बड़े पदों पर किसको पहुंचाना है। यह फैसला मत कराइये वह क्रान्ति का फैसला होगा।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ेगा सभापतिजी, आज भी शिक्षा की व्यवस्था वह है कि आपका एक पूंजीपति का लड़का फियेट कार में स्कूल जाता है। छोटा-सा बच्चा फियेट कार में उसकी मम्मी और मम्मी की कांख में है धोली पुतली, देखिए बस देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ और मम्मी जी धोली पुतली को बिस्कुट देती हैं लेकिन पुतली सिर हिलाती है अब······

श्री सभापति : इसमें शिक्षा मन्त्री जी क्या करेंगे, यह क्या कह रहे हैं ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हाँ, मैं शिक्षा मन्त्री जी से इसीलिए कह रहा हूँ यही करेंगे आपरेशन इन लोगों का, मुझे आशा है। पुतली बादाम नहीं खाती और काजू नहीं खावे सिर हिलावे धोली सी पुतली राखे कांख में और आपका बच्चा, वह गरीब का जो झोपड़ी में मां बाप बैठे हैं। शिक्षा मन्त्री जी आपको पता है पाणु की ढाणियों से पैदल चल कर के हरिजन महिलाएं आती हैं। उन महिलाओं के तन पर कपड़ा नहीं है, पैर में जूती नहीं है। मेरी वहां रिश्तेदारी है, पड़ौस में। मैंने कहा वोट किसको देओगे ? वोट पण्डित जी को देंगे। आचार्य जी को देंगे। आचार्य जी को क्यों दोगे कारण बताओ ? बहुत भला आदमी है और हमारे छोरों के पढ़ने के लिए ढाणी में स्कूल खोले हैं। उन्होंने खोला है स्कूल इसमें दो राय नहीं है। दामोदरजी आप जागरूक आदमी हैं यदि आप इन पूंजीपतियों से बचना चाहते हैं, यदि देश का गरीब जिनके बच्चों के पैर में जूतियां नहीं हैं, तन पर कपड़ा नहीं है साथ में पोटली है, फटा हुआ थैला है और वह

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जाता है, एक लड़का सफेद कार में, उसके मां के पास धोली पुतली और वह बिस्कुट खा रही है। यह देश में बगावत का संकेत है।

मैं सरकार को सूचित करना चाहता हूँ कि यदि आप देश को बचाना चाहते हैं, बगावत से समय रहते हुए पण्डितजी तो निश्चित रूप से आप बचाइये वरना तो देश में जो नवाबों, राजाओं के साथ हुआ है उनके घर, किले में आज वहां कबूतर बोल रहे हैं मैं आशा करता हूं आपके कबूतर नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं लम्बा भाषण नहीं देकर सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया इस तरह की दोहरी नीति, दोहरी नीति नहीं चलेगी। देश में बगावत होगी। बगावत का राज्य है। खूनी क्रांति को रोकिये। गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए बराबर का दर्जा दीजिए।

श्री सभापति : श्री रामधन।

श्री रामधन (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24, शिक्षा पर चर्चा में भाग लेते हुये मैं मेरे सुझाव देना चाहता हूं। आजादी के पहले राजस्थान में जितने भी स्कूल थे उनमें राजा, महाराजा, सेठ, साहूकारों के लड़के पढ़ते थे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप लोग बातचीत न करें।

श्री रामधन : माननीय सदस्यों को सबको जानकारी है। आजादी के बाद में कांग्रेस की हुकूमत आई और गांवों की तरफ नजर गई और उन गांवों की तरफ गई जो पिछड़े हुये इलाके थे। मुझे माननीय सभापति महोदय, मालूम है कि जिस समय मैं पढ़ता था तीन-तीन गांवों में कागज बांचने वाला शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब का, लोगों में नहीं मिलता था और आज कोई गांव नहीं है जिस गांव में कागज पढ़ने वाला नहीं हो हर वर्ष शिक्षा में प्रगति होती आ रही है और पिछले कुछ सालों से तो जिस गांव में दो सौ, ढाई सौ की जनसंख्या है, वहां पर भी स्कूल खोले हैं। महोदय, महिला क्षेत्र में शिक्षा की कमी रही है और गांवों में जहां पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां बिल्कुल कमी रही है उसका कारण क्या रहा है।

जो अध्यापिका लगायी जाती हैं, वह महिला शहर की होती हैं, कुछ दिनों में ही अपना ट्रांसफर करवा कर शहर में चली जाती हैं और वह स्कूल खाली रह जाते हैं। महिला वैसे तो बाहर के क्षेत्र में ही कम हैं और महिला समाज में शिक्षा इसीलिए कम मिल रही है। गांवों में महिलाओं के स्कूल कम हैं और स्कूल भी हैं तो उनमें महिलाओं के सामने एक समस्या है एस. टी. सी. या बी. एड. की वह यह जब तक नहीं कर लें तब तक महिला अध्यापिका नहीं बन सकती और यह संस्था शहरों में हैं। गांवों की लड़की इन शहरों में उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकती। मेरा एक इसमें यह सुझाव है कि एस. सी. और एस. टी. की जो महिला है, चाहे हायर सैकण्डरी की हो उनको बगैर किसी एस. टी. सी.

(श्री रामधन)

के या बी. एड करें ही लगाया जाये उन गांवों में, यदि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति चाहते हैं तो इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है और गांव की लड़की गांव की स्कूल में लगायी जायें ताकि वह शहर की तरफ नजर नहीं करें।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में एक राजाओं के जमाने की स्कूल है, हायर सैकेण्ड्री स्कूल में परिवर्तित हो गयी सैकड़ों सालों पुरानी बिल्डिंग है, वहां के तकनीकी इंजीनियरों की रिपोर्ट है अब यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पहले सुखाड़िया जी के समय वह मुख्यमन्त्री थे उस समय कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था और कॉलेज उस जगह न खोल कर दूसरी जगह खोल दिया गया। वह बिल्डिंग अधूरी रह गयी। उस अधूरी बिल्डिंग को पूरा करके सीनियर हायर सैकेण्ड्री उसमें खोला जाये तो वह समस्या तो हल हो जायेगी। उसमें जो पैसा लगाया है वह जनता की ओर से चन्दे का लगाया है और बाकी सरकार उसमें लगाकर पूरा करे।

महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र अलवर जिले में सबसे पुराना है। उसमें आई. टी. आई. की एक स्कूल दस-पन्द्रह साल पहले लागू की थी किन्तु किन्हीं कारणों से उसको हटा करके दूसरी जगह खोल दिया गया है। पुनः राजगढ़ में आई. टी. आई. स्कूल खोला जाये ताकि वहां का जो गरीब किसान है, गरीब जो छात्र है, पिछड़े हुये क्षेत्र के लोग हैं, उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें।

महोदय, एक और सुझाव है मेरा, जो मिडिल स्कूल खोल रहे हैं उसमें माननीय शिक्षा मन्त्री जी एक ध्यान जरूर रखें जहां पंचायत मुख्यालय हैं वहां पर मिडिल स्कूल होना आवश्यक है, कई जगह ऐसी हैं जहां मांग करते हैं और पंचायत मुख्यालय रह जाता है और आसपास के गांवों में स्कूल खुल जाती हैं। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न नहीं है राजस्थान का है।

महोदय, जहां चार हजार की आबादी है उन गांवों में महिला मिडिल स्कूल होना आवश्यक है। यह मेरे सुझाव हैं। मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय हरिशंकर जी भाभड़ा।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, कब तक बैठे रहेंगे ?

श्री सभापति : आप तो बोलेंगे ही, जरूर बोलेंगे।

श्री शोपत सिंह : धन्यवाद। इनायत होगी बड़ी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : सभापति महोदय, जिस विषय पर अभी चर्चा हो रही है उसके दो पक्ष हैं। एक सैद्धान्तिक पक्ष है और एक व्यवहारिक पक्ष है। मुझे क्षमा करेंगे यह किसी पर

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आक्षेप नहीं है, जितनी गम्भीरता से हमें शिक्षा को लेना चाहिए सारा देश इतनी गम्भीरता से ले नहीं रहा है। मनुष्य के जीवन में जितना रोटी और कपडे का महत्व है उससे कम महत्व शिक्षा का नहीं है। बिना शिक्षा के आप मनुष्य बन नहीं सकते हैं। उसमें भी शिक्षा की गुणात्मकता का, हमने शिक्षा का बहुत फैलाव कर दिया है, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जितनी भी शिक्षा आपने दी है उस शिक्षा का फल क्या आ रहा है ? वह लोग वाकई में शिक्षित बने, शिक्षा के कारण वह मनुष्य बने तब तो अनेक समस्यायें जो आज हमारे देश में जुड़ी हुई हैं, चाहे वह फेमेली प्लानिंग हो, चाहे साम्प्रदायिकता हो, वह सारी समस्याएं केवल शिक्षा की गुणात्मकता के कारण दूर हो सकती हैं इसलिए शिक्षा के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है।

मैकाले ने तो यहां शिक्षा पद्धति जारी की जिससे क्लर्क बने और दुर्भाग्य से हम उसी शिक्षा पद्धति को अभी भी अपनाये हुये हैं। यह बेकार है। आज की शिक्षा पद्धति में पढ़े हुये युवक से आप क्या अपेक्षा करेंगे ? वह सिवाय नौकरी के और कौनसा काम कर सकता है ? आज कॉलेज का बी.ए.बी.कॉम., बी.एस.सी., एम.एस.सी. क्या कर सकता है ? नौकरी कर सकता है क्योंकि और किसी बात की शिक्षा उसको मिलती नहीं और इस कारण देश की समस्याएं बढ़ रही हैं। आने वाला समय, आने वाला जमाना जो है, यदि हमने शिक्षा में सुधार नहीं किया तो हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

मान्यवर, नई शिक्षा नीति की बड़ी चर्चा होती है, यह पत्र राज्य सरकार की तरफ से निकलता है। नई शिक्षा पद्धति कुछ नहीं है, सन् 1947 में मौलाना आजाद ने जो विचार शिक्षा मन्त्री के नाते रखे थे वही विचार 1986 में नई शिक्षा पद्धति के नाम से हैं। कोई अन्तर नहीं है। मैं इसको पढ़कर सुनना नहीं चाहता, मेरा समय इसमें समाप्त नहीं करना चाहता वरना विद्वान लेखकों ने इसमें इस बात का जिक्र किया है कि मौलाना आजाद ने उस समय शिक्षा पद्धति के लिए लाइनें तय की थी वह पूरी नहीं हुई 1986 में उसी को रिवाइज कर दिया गया है। इसलिए आप ज्यादा नई शिक्षा, नई शिक्षा कर रहे हैं, आप समझ तो नहीं रहे हैं कि वह शिक्षा नीति क्या है कितने लोग समझते हैं ? नई शिक्षा नीति की तीन बातें समझ में आ रही हैं। एक तो नवोदय विद्यालय, एक 10+2, एक ब्लैक बोर्ड योजना, इसके सिवाय क्या है ? डिग्री से हम डिलिंग करेंगे, कर रहे हैं आप डीलिंग कर दिया आपने बहुत सी बातें सैद्धान्तिक उसमें हैं। नई शिक्षा पद्धति सैद्धान्तिक बहुत है और व्यवहारिक बहुत कम है। इसके परिणामस्वरूप इसकी गति क्या होगी इसके बारे में आज कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि हम स्पिरिट से शिक्षा के महत्व को समझ कर नई शिक्षा पद्धति को भी लागू करेंगे तो शायद कुछ रिजल्ट मिलेगा यदि हमने उस स्पिरिट को नहीं समझा, शिक्षा के महत्व को नहीं समझा तो परिणाम यह होगा कि आज शिक्षा कामर्शियलाइज्ड हो गयी।

आज राजस्थान में प्रत्येक गली-गली

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

में शिक्षा की दुकानें खुल गयी हैं । लोग शिक्षा की दुकानें चलाकर लखपति और करोड़पति हो गये हैं । केवल स्कूलें चला-चलाकर लखपति, करोड़पति हो गये हैं । शिक्षा का बिजनेस शुरू कर दिया है । यह स्थिति आ गयी है क्योंकि हमने उसकी गुणात्मकता पर ध्यान नहीं दिया केवल बढ़ाने की बात ही हम करते रहे । इस कारण से ही यह परिस्थिति हमारे सामने आयी । मैं बहुत संक्षेप में कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं जिससे आपको अन्दाज हो जायेगा । राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा के बारे में, क्या पर्सेंटेज है लड़कियों के स्कूलों का 7.6, कुल स्कूलें राजस्थान में 39 हजार 378 हैं जिनमें से केवल 2 हजार 997 लड़कियों की स्कूलें हैं । अब इससे आपको अन्दाजा लग जायेगा कि महिला शिक्षा के लिए अब तक हमने क्या किया और कितना करना है । इसको ध्यान में रखकर यदि योजना बनाई जायेगी, पैसे खर्च किये जायेंगे और उसकी गुणात्मकता को ध्यान में रखकर किया जायेगा तब तो इसका लाभ होगा और आपने उसकी गुणात्मकता को आंखों से ओझल कर दिया । यहां विधानसभा में या दुनियां में आंकड़े बताने के लिए हमने इतनी हजार स्कूलें खुलवा दी । वहां मास्टर नहीं हैं, वहां डस्टर नहीं है, लड़कों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है हमने इतनी स्कूलें खोल दीं, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, देश की प्रगति नहीं होगी और जो आप रिजल्ट चाहते हैं वह परिणाम आपको मिलेगा नहीं । इसी प्रकार देश भर में 77,

(सायं 6 बजे)

195 स्कूल ऐसे हैं जो तम्बुओं में चल रहे हैं । अब इस में राजस्थान का कितना प्रतिशत है यह मुझे मालूम नहीं, शिक्षा मन्त्रीजी देख लें । देश भर में 77,195 स्कूल अभी तम्बुओं में चल रहे हैं । ऐसी हालत में उनकी स्थिति क्या होगी ?

प्रौढ़ शिक्षा के मामले में बड़ी बातें होती है । प्रौढ़ शिक्षा के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के निदेशक श्री लक्ष्मीधरजी मिश्रा अभी अजमेर आये थे कुछ महीनों पहले । उन्होंने अजमेर में प्रेस को अपने इण्टरव्यू में बताया है कि हम प्रौढ़ शिक्षा के लिए 70 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करते हैं लेकिन उस का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमें उस में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है । स्वयं निदेशक महोदय, ने इस बात को स्वीकार किया है । यह तो बड़े-बडे आंकडे हैं लेकिन छोटी-छोटी बातें भी हो रही हैं । परीक्षा का मामला है, नकल होती है, पेपर आउट होते हैं, पुस्तकायें जल जाती हैं, समय पर परीक्षा होती नहीं जो छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हैं उनको अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है और फिर हाई कोर्ट फैसला करके उनको उत्तीर्ण करवाता है । यह स्थिति शिक्षा के मामले में हो रही है । इसलिए हो रही है कि शिक्षा के लिए हम को जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए उन बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

शिक्षा में खास तौर से तीन बातें हैं- विद्यार्थी, शिक्षक और स्कूल । विद्यार्थियों कीसंख्याकेअनुरूप शिक्षक हैं,समानहैयहदेखने की बात है । भवन बना हुआ है, विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा मिल रही है कि नहीं जहां शिक्षक हैं शिक्षकों का सम्मान बरा-

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

बर बना है, शिक्षकों को वहां सुविधायें प्राप्त हैं जिस से वह शिक्षा में अपना ध्यान लगा सके, गुणात्मक रूप से लोगों को पढ़ा कर तैयार कर सके। उनके ट्रांसफर को लेकर झगडे हो रहे हैं। यह भी एक बिजनेस बन गया है, शिक्षकों के ट्रांसफर का मामला बिजनेस बन गया है। लोग इस में पैसा खाते हैं, हजारों रुपए के इधर-उधर वारे-न्यारे हो रहे हैं। केवल ट्रांसफर कराने के लिए शिक्षक घूम रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : जनता पार्टी के राज में कितने ट्रांसफर हुए ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं जनता और कांग्रेस की बात नहीं कह रहा, इसलिए मैंने कहा मैं सिद्धान्त की बात कर रहा हूं और गम्भीरता से कर रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : सिद्धान्त उस दिन नहीं था ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यदि जनता पार्टी के राज में भी हुआ तो बुरा था। उसको अच्छा नहीं कह रहा। मैं उसको भी अच्छा नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति : उनके कहने का तात्पर्य यह है कि वेग एलीगेशन क्यों लगाते हैं ?

श्री परसादी लाल मीणा : जितने आप के राज में तीन साल में हुए, दस साल में भी नहीं किये ट्रांसफर इधर।

श्री सभापति : उनके कहने का तात्पर्य यह है कि वेग एलीगेशन है यह तो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जनता पार्टी के राज में पैसे की हेराफेरी नहीं हुई, यहां पैसे की हेराफेरी हो रही है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरी समझ में, वह तो नहीं समझते हैं मगर आप तो गम्भीर आदमी हैं मैंने आप को शुरू में ही कहा कि मैं शिक्षा के सैद्धान्तिक पक्ष की बात कर रहा हूँ। यदि ट्रांसफरों में यह वारे-न्यारे हो रहे हैं, रुपये जा रहे हैं अच्छा है क्या? चाहे जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी का भी राज हो, यह शिक्षा के लिए घातक है। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं किसी पर चार्ज नहीं लगा रहा हूं। आप तो समझते हैं इस बात को। शिक्षकों के जीवन के बारे में, जीवन मूल्यों के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी नियुक्तियों के बारे में, उनके चयन के बारे में और उनकी ट्रेनिंग के बारे में जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आप को अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे। अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे तो अच्छी शिक्षा मिलने वाली नहीं है।

इसी तरह से स्कूल है, स्कूल का भवन है कि नहीं, वहां भवन में लाइब्रेरी है कि नहीं। अभी छंगाणीजी लाइब्रेरी मूवमेन्ट चलाने की बात कर रहे थे। आप लाइब्रेरी मूवमेन्ट स्कूल को छोड़ कर दुनिया में चलाते रहिये, कोई फायदा नहीं होने वाला यदि लाइब्रेरी मूवमेन्ट ही आप को चलाना है तो प्राथमिक स्कूल से शुरू करिये। लाइब्रेरी प्राथमिक स्कूल में है, माध्यमिक स्कूल में लाइब्रेरी है, कॉलेज में लाइब्रेरी है, अप-टू-डेट है। सी. पी. जोशी अपने भाषण में कह रहे थे, सही कह रहे थे कि उन्होंने एम. ए. में फिजिक्स में जो पढ़ा था वह केरीकुलम आज दसवीं में है। आज

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

जितने भी पुराने शिक्षक हैं, खासतौर से मैथेमेटिक्स और साइंस में, वह नये लोगों को पढ़ा नहीं सकते जब तक कि वह स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं करें कि विज्ञान ने यह प्रगति की है।

उस प्रगति की अत्याधुनिक जानकारी उनको नहीं है तो वह पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। उनके भरोसे आप सांइस की बुनियाद विकसित करना चाहें, हरगिज नहीं हो सकती। यह कैसे होगा, किस से होगा? लाइब्रेरी से। शिक्षकों को जब आप अप-टू-डेट लाइब्रेरी देंगे तो आखिर उनके पास आधारभूत ज्ञान है उस ज्ञान को लाइब्रेरी से बढ़ा सकते हैं। लाइब्रेरी की व्यवस्था समुचित है कि नहीं, स्कूल में बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था समुचित है कि नहीं, इन बातों पर जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का जो हम करना चाहते हैं वह हम कर नहीं सकेंगे।

बहुत ही संक्षेप में मैंने यह कहा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में। और बातें बाकी लोगों ने कह दीं मैं उनको रिपीट करना नहीं चाहता। अब मैं आपको उच्च शिक्षा की बात राजस्थान में चल रही है उस बारे में कुछ निवेदन करूंगा। मैं समझता हूँ आप मुझे थोड़ा समय देंगे।

मान्यवर, राजस्थान में उच्च शिक्षा को लेकर अब तक छः समितियां बनी हैं। पहली समिति मेहरा कमेटी बनी थी 1971 में। फिर श्रीमाली कमेटी बनी 1974 में। फिर एस. टी. सी. कमेटी बनी 1977 में। माथुर कमेटी बनी 1980 में, कोठारी कमेटी 1987 में जिस ने एफीलिएशन के मामले में अपनी रिपोर्ट दी और मेहता कमेटी जिसने केवल ओपन यूनिवर्सिटी की बात की। यह छः समितियां बनीं। इन 6 समितियों में मेहता कमेटी को छोड़िये, उस ने केवल ओपन यूनिवर्सिटी की बात की। बाकी पांचों ने संक्षेप और सार रूप में यह रिकमण्डेशन की है कि राजस्थान में विश्वविद्यालय क्षेत्रीय होने चाहिए और समान रूप से विद्यार्थियों और कालेजेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए।

इस बात की रिकमण्डेशन ... पांचों कमेटियों ने की है, यह उनका सार संक्षेप है फिर भी राजस्थान सरकार अभी तक इस बात को बार-बार कहने और आश्वासन देने के बावजूद, हमारी भी कमेटी बैठ गयी सब कुछ हो गया, इस सिफारिश को मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है? एक तरफ तो वह कहते हैं कि हम तैयार हैं। लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक उच्च शिक्षा में अराजकता रहेगी। आज उच्च शिक्षा में राजस्थान में पूरे तौर से अराजकता है। यह हमारी नौजवान पीढ़ी के साथ, नौजवान लड़कों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम हम कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बढ़ कर जघन्य पाप और कोई हम कर नहीं सकते। हम अपने पर तो चाहे आत्महत्या करें, चाहे हम मर जायें, कुछ भी करें कोई बात नहीं लेकिन आने वाली पीढ़ी को मारने के रास्ते पर भेज रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

राजस्थान सरकार को कम से कम इस बात को ध्यान में रखकर इन समितियों की सिफारिशों को लागू करने के लिए तुरन्त घोषणा करनी चाहिए । मैं माननीय सी. पी. जोशी के शब्दों में अपने शब्द मिलाकर शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप पहले थे फिर आ गये, अब इस काम को पूरा करके ही रहिये, इसमें देरी मत करिये । जितनी जल्दी आप इसको कर देंगे उतना ही लाभ होगा ।

इसके अलावा श्रीमाली समिति ने एक सिफारिश और की थी और वह थी विज्ञान और टैक्निकल इंस्टीट्यूट, कोटा में बनाने के लिए और इंस्टीट्यूट ऑफ डैजर्ट रिसर्च टैक्नालॉजी, बीकानेर में बनाने के लिए, लेकिन इन दोनों सिफारिशों पर राजस्थान सरकार ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है । मैं शिक्षा मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि इन सिफारिशों पर उनका क्या विचार है ? क्या वह इनको लागू करना चाहते हैं ? क्या अब उनको लगता है कि शिक्षा में इसका लाभ होगा । मैं समझता हूं कि इसका लाभ होगा और इसलिए इसको लागू करने के लिए शिक्षा मन्त्रीजी को गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

एक बात जो सबसे खास बात थी वह यह थी कि जो पांचों कमेटी पहले बनीं, पांचों कमेटी में से किसी ने ओपन यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं की, किसी भी कमेटी ने नहीं की । इसलिए मेहता कमेटी केवल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए बनायी गयी । इस ओपन यूनिवर्सिटी का परिणाम क्या होगा ? इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा बाकी यूनिवर्सिटीज पर क्योंकि प्राइवेट विद्यार्थियों द्वारा दी जाने वाली फीस का आर्थिक स्रोत यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । वह स्रोत यदि बाकी यूनिवर्सिटीज से लिया गया तो फिर उतना पैसा आप के पास देने के लिए नहीं है । आज भी यूनिवर्सिटी के बजट आ रहे हैं, करोड़ों का घाटा आ रहा है । उसमें आप पैसा दे नहीं सकते, यूनिवर्सिटीज घाटे में जा रही हैं और जो आर्थिक स्रोत प्राइवेट विद्यार्थियों की ओर से सब यूनिवर्सिटीज को मिल सकता था उनको आप चलाना नहीं चाहते, उसको आपने बन्द कर दिया कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से । उधर कोटा वालों को परेशानी हो रही है और इधर बाकी यूनिवर्सिटीज पर भी असर होगा इसका । इसलिए इस सम्बन्ध में भी, शिक्षा मन्त्रीजी, आप गम्भीरता से विचार करिये ।

इसके अलावा श्रीमाली कमेटी और माथुर समिति ने एक और सिफारिश आपको की है, मैं समझता हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश है कि आपको राजस्थान में स्टेट यू. जी. सी. या स्टेट्युटरी को आर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए । सी. पी. जोशी जिस अराजकता का वर्णन कर रहे थे वह इसलिये कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के अन्दर अलग-अलग तौर तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं, अलग तरीके से काम हो रहा है, आपने अलग-2 अलग स्वायत्तशासी कॉलेज बना दिये वह भी अपने तरीके से चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज अपने तरीके से चल रही है, किसी प्रकार का को-ओर्डिनेशन नहीं है और जब

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कार्डिनेशन नहीं है फिर मैं तो यह समझता हूँ कि यू. जी. सी. ने भी आपको यह कहा है कि यू.जी.सी. के इन्स्ट्रक्शन्स भी हैं कि आपको इस तरह की कोर्डिनेशन कमेटी चाहे आप स्टेट यू. जी. सी. कह दीजिये• चाहे कोर्डिनेशन कमेटी कह दीजिये इसको आपको बनाना चाहिये और जब आप इसको बनायेंगे तभी उसमें रचनात्मक काम करने की सुविधा आपको मिलेगी, आज जो अव्यवस्था इन सारी यूनिवर्सिटीज में हो रही है उन अव्यवस्थाओं से आप बच सकेंगे, होमोजो-नियस पालिसी, एक होमोजीनियस शिक्षा का तरीका आप राजस्थान में कायम कर सकेंगे और फिर उसी में से जितनी बातें पैदा हो रही हैं उन सारी बातों को लेकर आप बच जायेंगे,

इसी तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति के लिये भी एक कामन एजेन्सी की आवश्यकता है ताकि उसमें मनमानी नहीं चले, कोई आदमी को आपने वाइस चांस-लर बना दिया, वह दो-दो जगह काम कर रहे हैं, एक आपके आर. एन. सिंह हैं जो उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर बने हुये हैं और वह यहां पोद्दार इन्स्टीट्यूट में डीन भी बने हुये बैठे हैं, तीन साल के लिये नियुक्ति हुई है, 11-11 महीने की छुट्टी ले रहे हैं और दोनों तरफ बैठे हुये हैं, महीने में 20 दिन यहां बैठे रहते हैं, तो इस तरह से उदयपुर यूनिवर्सिटी का काम नहीं होना, इस तरह की परिस्थितियां इसलिये पैदा हो रही हैं कि आपने इनको ऑटोनामस के नाम से अलग-अलग छूट दे रखी है कि वह अपनी मरजी आये, कोई बैल इधर जाये कोई बैल उधर जाय तो गाड़ी नहीं चलेगी, वह वहीं खड़ी रहेगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं बहुत ही संक्षेप में कह रहा हूं, इसलिये एक विषय पर ही बोल रहा हूँ। आप चिन्ता मत करिये मुझे खुद को ध्यान है, 10 मिनट हुये हैं। इसलिये एक ऐसी एजेन्सी भी आपको बनानी चाहिये, मान्यवर,....

श्री शोपत सिंह : बाकी की चिन्ता करो,। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप यदि यह समझते है कि सरकार ने केवल यूनिव-सिटीज खोल दी और उसी में उसकी इतिश्री हो गयी यह तो पर्याप्त नहीं है, जिस मतलब से आपने यूनिवर्सिटीज खोली हैं वह मतलब पूरा हो रहा है या नहीं, जब तक इन बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे तब तक केवल संख्या बढ़ाये जाने मात्र से न तो शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, न शिक्षा का विकास होगा और न उसका लाभ यहां के विद्यार्थियों को मिलेगा, इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है एक बात विशेष तौर से जो आज आपने स्वायत्तशासी कॉलेज बनाये हैं, मेहरबानी करके उन स्वायत्तशासी कॉलेजेज को भी क्षेत्रीय यूनिवर्सिटीज के अन्तर्गत ही रखिये और जहां तक तकनीकी शिक्षा का सवाल हैं, मेडिकल की है, प्रोफेशन की है, इंजी-नियरिंग की है उनकी यूनिवर्सिटीज आप चाहे तो अलग कर दीजिये कोई आपत्ति नहीं है, उनकी अलग यूनिवर्सिटी बनानी चाहिये ताकि वह अपना काम करें लेकिन बाकी जितने भी स्वायत्तशासी कॉलेजेज हैं इन सारे कॉलेजेज को आपको क्षेत्रीय यूनिवर्सिटीज में शामिल करना चाहिये,

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

दुर्भाग्य से इन समितियों ने और तो सब सिफारिशें की हैं लेकिन महत्वपूर्ण सिफारिशें नहीं की, उनमें एक तो है इनके आर्थिक स्रोत कैसे बनेंगे और फिर वोकेशनल और टैक्निकल एज्यूकेशन में कैसे ले जायेंगे, फेज वाइज इनको किस तरह से हम, आपने बातें सारी मान लीं कि अजमेर में भी रिसर्च सेन्टर बनेगा, वहां भी कॉलेज होगा, वहां भी यूनिवर्सिटी कैम्पस होगा, कोटा में भी बनेगा, सब जगह बनेगा मगर इसका कोई फेज वाइज प्रोग्राम बनाने के लिये इन समितियों ने सिफारिश नहीं की और दुर्भाग्य से सरकार ने भी इस सम्बन्ध में अपना माइण्ड भी एप्लाई नहीं किया, सरकार ने भी ध्यान ही नहीं दिया...

श्री शोपत सिंह : माइण्ड है ही नहीं, दिल्ली में लगा हुआ है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह बात आप कहें, मैं नहीं कहता इस बात को इसलिये मेहरबानी करके इस सम्बन्ध में भी अब आप करिये यह काम, इन सारी यूनिवर्सिटीज में आप किस तरह से, एक्ट में प्रावधान किया है, उन प्रावधानों को पूरा करने के लिये कितने फेज में किस प्रकार से यह सारा काम करवायेंगे यह भी आपको तैयार करना पड़ेगा।

यह जो मैंने यू. जी. सी. कमेटी की बात कही, कोर्डिनेशन कमेटी की, उसमें शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद, आपके एज्यूकेशन कमिश्नर, फाइनेन्स कमिश्नर और वाइस चान्सलर यह सारे शामिल हो सकते हैं, इनको एक कमेटी बनाकर सरकार यदि कार्डिनेट करेगी तब तो इन यूनिवर्सिटीज का कुछ लाभ होगा अन्यथा यह जितना भी काम हमने किया है यह सारा जनता के लाभ के लिए उसका कोई फायदा होगा नहीं और अन्ततोगत्वा सरकार के कहने के लिए, आंकड़े बताने के लिए हो जायेगा कि हमने इतनी यूनिवर्सिटीज खोल दी।

अन्त में आप बहुत ही जल्दी कर रहे हैं तो मैं इस विषय को शोर्ट में समाप्त करता हूँ, और अन्त में अपने क्षेत्र की बात कहूंगा रतनगढ़ में कालेज बनाने का आश्वासन मुख्य मन्त्रीजी ने सन् 1984 में दिया था, आश्वासन ही नहीं दिया प्रिन्सिपल की नियुक्ति करके आ गये थे और बाद में जब मैंने यहां सवाल पूछा तो कहा कि वहां बिल्डिंग नहीं है, अब आपकी सूचना के लिए बता दूं कि राज्य सरकार ने 49 बीघा जमीन वहां तोलाराम जालान को अलॉट की है भारतीय विद्यापीठ समिति के नाम वहां पर कालेज बिल्डिंग बन गयी है। और चूंकि इसमें आपने प्रिन्सिपल की नियुक्ति कर दी थी इसलिए मैं यह मानता हूं कि आपके रेकार्ड में वहां कॉलेज खुला हुआ है केवल बिल्डिंग नहीं थी इसलिये चालू नहीं है, अब वहां पर बिल्डिंग बन गयी है, यहां की आबादी 50 हजार की है, 500 लड़के रोज चूरू जाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है।

इसी प्रकार कोटा में एक सरस्वती विद्यापीठ संस्कृत महाविद्यालय बहुत बर्षों तक उन्होंने चलाया और अब वह

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

गवर्नमेण्ट को हैण्ड ओवर करना चाहते हैं, उसकी जितनी भी कण्डीशन्स हैं वह सारी कण्डीशन्स उन्होंने फुलफिल कर दी है तो संस्कृत शिक्षा को जिन्दा रखने के लिए, आचार्य जी तो संस्कृत के मामले में मेरे से भी ज्यादा संस्कृत प्रेमी हैं इसलिये इस विद्यालय को टेक ओवर करने की कार्यवाही करवायें, बाकी जहां जहां आप स्कूलें खोलें कृपा करके एक तो ट्रांसफर की नीति तय कर दीजिये, इसी तरह से नार्म्स बनाइये, हमको पता ही नहीं, कहां तो प्राथमिक को उच्च प्राथमिक करते हैं, कहां उच्च प्राथमिक को माध्यमिक करते हैं, कहां माध्यमिक को उच्च माध्यमिक करते हैं यह पता ही नहीं चलता है इसलिए इनके कुछ नार्म्स तय कर दीजिये ताकि उन नार्म्स के के आधार पर हर आदमी की मांग अपने आप लिमिटेड हो जायेगी।

अब नार्म्स नहीं होने से जो शिक्षा मन्त्री आया जिस गांव में उद्घाटन करने गया वहां उसने हाई स्कूल खोलने की बात कर दी, किसी गांव में मिडिल स्कूल खोलने की बात कर दी, इस तरह से हैपहैजर्ड वे में काम करने से शिक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, मेरा निवेदन यह है कि आप सबके साथ खिलवाड़ करिये लेकिन शिक्षा हमारे जीवन का आधार-भूत सिद्धान्त है उसके बिना हिन्दुस्तान की समस्या का समाधान होगा नहीं, बिना समुचित शिक्षा के आने वाली पीढ़ियां। अपने देश को, प्रदेश को उन्नति की ओर ले जायेगी नहीं इसलिए इसके साथ खिलवाड़ नहीं करें, नियम बनाकर के सारे काम उससे करिये ...

सभापति जी, आपको बहुत--बहुत धन्यवाद,

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण तोसावड़ा। (अनुपस्थित) श्री हंसराज मिढ़ा,

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : माननीय सभापतिजी, स्कूलों की हालत बहुत बदतर हो रही है और इसलिये बदतर हो गयी है कि 20-20 साल से अध्यापक वहीं पर बैठे हुये हैं वह सिवाय ट्यूशन के और कोई काम नहीं करते हैं, सिवाय पैसे लेने के कोई काम नहीं करते हैं, आपकी मेहरबानी होगी आप उनकी लिस्ट ले लीजिये, क्राइटेरिया ले लें ताकि आपको मालूम हो जायेगा कि कितने अध्यापक पुराने एक ही जगह पर बैठे हुये हैं ताकि स्कूलों की व्यवस्था सुधरे,

सभापति महोदय, सूरतगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कम से कम ढाई सौ किलो मीटर लम्बाई में है और वहां की 4 लाख की आबादी है जिसमें 50 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है, नयी आबादी है उसमें शिक्षा का इतना अभाव है, एक भी कॉलेज नहीं है, बेचारे गरीब आदमियों की लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ...

श्री रामसिंह विश्नोई : इसका रिजर्वेशन कर दें क्या ?

श्री हंसराज मिढ़ा : रिजर्वेशन भी है जैसा है, आप चिन्ता क्यों करते हैं इतनी जगह शिक्षा का अभाव है कि एक भी कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कालेज नहीं है, ब्वायज कालेज नहीं है, बीकानेर विश्व-विद्यालय में एग्रीकल्चर की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था मेरे विचार से अनूपगढ़, विजयनगर के लिए एग्री-कल्चर कॉलेज हो जाय बिल्डिंग बन चुकी है, सरकार ने पैसा लगा दिया 8-8 साल से एरिया डवलपमेंट विभाग की तरफ से बीकानेर आर. सी. पी. ने बनाई थी और वहां आज तक हाई स्कूल नहीं खोला गया है, राजीयासर में बिल्डिंग बनी हुई है, घड़साना में बिल्डिंग बनी हुई है, पुरानी मण्डी घड़साना में बिल्डिंग बनी हुई है, भातीवाला में बिल्डिंग बनी हुई है, 4 बी. एल. डी. में बिल्डिंग बनी हुई हैं चक 6 बी में भी बिल्डिंग बनी हुई है, रावला में बिल्डिंग बनी हुई है, विजय नगर में एक साल से गर्ल्स स्कूल में अध्यापिका नहीं है, रावला में भी बिल्डिंग पब्लिक ने तैयार कर दी है पर कोई ध्यान नहीं है, दुःख की बात है कि जेतसर में गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल में एक साल से प्रधानाध्यापिका नहीं हैं, मण्डी श्री विजय नगर में 2 साल से गर्ल्स सैक-ण्डरी स्कूल में प्रधानाध्यापिका नहीं है। ग्यारह सैकेण्डरी स्कूलहैं, 8-9 सैकेण्डरी स्कूल और खोलेंगे जब बच्चों को शिक्षा मिलेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉलेज जरूर होने चाहिए। सूरतगढ़ कॉलेज, गर्ल्स और सैकेण्डरी स्कूल और हायर सैकेण्डरी स्कूल की हालत यह है कि छतें गिर रही हैं। 1952 में जो बिल्डिंग पब्लिक के चन्दे से तैयार करवाई गई थी वह आज तक पी. डब्ल्यू. डी. को हैण्डओवैर नहीं की जा रही हैं । मैं भी किसी वक्त स्कूल कमेटी विजयनगर का अध्यक्ष था। मैंने इकरारनामा भी दे दिया मगर कोई संभालने वाला नहीं है । आज भी यही प्रोजीशन है और किसी जगह 12 जी. बी. सैकेण्डरी स्कूल हैं उसकी भी बिल्डिंग गिरने वाली है। ग्राम देईदासपुरा, राजि-यासर, पांच पंचायतों में एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं है। इस तरह से पब्लिक की हालत खराब है ।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : काफी कह दिया आपने ।

श्री हंसराज मिढ़ा : थोड़ा सा और बोलूंगा, ज्यादा नहीं । अध्यापक पति पत्नी को पांच छः सौ किलोमीटर दूरी पर भेजा जाता है। वह क्या पढ़ायेंगे, या बच्चों की परवरिश करेंगे । इनको नियमानुसार एक ही जगह रखा जाय।

तकनीकी शिक्षा की घोषणा की थी मुख्यमन्त्रीजी ने, उसका क्या विचार हैं, कब तक वह कार्य पूर्ण होने की संभावना है। मिडिल स्कूल की इतनी कमी है, गोगामेड़ी, जी शिवपुरी, डाबा, आदि जगह महिला समाज के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। महिला समाज के लिए तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए ताकि वह बच्चियां अपनी पढ़ाई कर सकें। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और गंगानगर जिले की हालत खराब है।

श्री सभापति : धन्यवाद ।

श्री हंसराज मिढ़ा : माननीय मन्त्री जी, एक दफा आप दौरा कर लीजिये आपको नक्शा मालूम हो जायेगा कि वहां पर इसकी क्या पोजीशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने लिखकर दे दिया, अभी तक समय नहीं दिया। स्पीकर साहब की...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री उम्मेदीलाल : माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका नाम आपके व्हिप से नहीं आया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आ गया, कल का आया हुआ है नाम, दो मिनट ही बोलूंगा।

श्री सभापति : दो मिनट ही बोलेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उनसे आर्डर करवाया कि बोलने की इजाजत दे दी जाय। स्पीकर साहब का आर्डर नहीं मानते हो तो मना कर दीजिये कि मैं स्पीकर साहब की बात नहीं मानूंगा। मैं नहीं बोलूंगा। (व्यवधान)

इनके सामने साफ बात हो गई कि मैंने कट मोशन गलती से नहीं दिये। स्पीकर साहब ने आपको आर्डर दिया है कि मोदीजी को मौका दिया जाय बोलने का। अब या तो स्पीकर साहब की बात मान लो या अपनी बात कह दीजिये कि नहीं मानूंगा। मैं नहीं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोल लें आप ... (व्यवधान)

बोलेंगे आप, जरूर बोलेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी बात सुनिये, माननीय सभापति जी, स्पीकर साहब ने लिखकर दिया....(व्यवधान)

श्री सभापति : उम्मेदी लालजी बोलेंगे उसके बाद बोलें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुक्तिलालजी दो मिनट तो बोल चुके हैं आप, बोलिये, आप बोलते रहिये।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : माननीय सभापति महोदय, आजादी से पहले जो देश की हालत थी ....

एक माननीय सदस्य : आप तो मुक्ति के दाता हो।

श्री उम्मेदीलाल : गरीबों के के लिए या छोटे तबके के लिए स्कूल में जाना तो बहुत बड़ी बात है लेकिन उसके दरवाजे नहीं देखने देते थे। जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद कांग्रेस सरकार ने शिक्षा का जाल बिछाया और पहले बच्चियों और उन गरीबों तक पहुँचाया जो बेचारे पिछड़े हुए थे। यह बात सही है कि जो विरोधी लोग हैं वह इस बात का विरोध करते हैं क्योंकि इनको भी ढाई साल का टाइम मिला हैं लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन आज राजीव गांधी ने हमारे नेता ने गरीबों के

(श्री उम्मेदीलाल)

लिए ढाई सौ आदमी थे वहां तक के लिए व्यवस्था की है कि आज जो गरीब शिक्षा के बारे में स्वप्न देखता है आज उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है । अब मैं आपसे अर्ज करूं, वैसे पिछले साल भी काफी स्कूल खुले, इस साल भी काफी हैं। लेकिन हिण्डौन और गंगापुर में कालेज तो खुले लेकिन उनमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। वहां पर जो धनाढ्य लोग हैं वह तो जयपुर चले जायेंगे और बाहर भी जा सकते हैं लेकिन जो किसान लोग हैं वह शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा सकते, इसलिए मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से अर्ज करूंगा कि इस साल गंगापुर और हिण्डौन में सब्जेक्ट खोलें। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री शोपतसिंह ।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, मेरा ऑब्जेक्शन है ।

श्री सभापति : यस ।

श्री माणक डाणी : पहले विपक्ष के दो सदस्य बोले, हम नहीं बोले ।... (व्यवधान) सभापति महोदय, जब आपकी इच्छा हो तब बुलवाना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पिछले सत्र में जब मेरा टर्न आया ... (व्यवधान) मेरा नाम काट दिया, मुझे नहीं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नाम डिप्टी स्पीकर साहब ने पुकारा था, आप एब्सेन्ट थे। मैं आपको चान्स दे रहा हूँ नेक्स्ट ।

एक माननीय सदस्य : मुक्तिलालजी शुरू करें।

श्री शोपतसिंह : मेरा नाम बोला है। (व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : नहीं, आप अकेले हैं कम्युनिस्ट, हम दस आदमी है। माननीय सभापतिजी, (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी बात शोर्ट में कह दें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच मिनट में कह दूंगा। माननीय सभापतिजी, आज शिक्षा के मामले में जो इतने लोग बोले बहस हुई, सब कुछ हुआ और सारी बातें हुई। मैं आज आपसे माननीय सभापति जी, माननीय मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि यह जो शिक्षा है यह दुनिया का सबसे बड़ा बेस है और जो शिक्षा नीति बनाई उसमें भी काफी खामियां हैं। आज सब माननीय सदस्य कहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में मास्टर नहीं है, मिडिल स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, हाई स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, यह सब कुछ कहते हैं। आज बिल्डिंग की हालत खराब है, यह है, और वह है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मन्त्रीजी अपने तरीके पर चलें तो पैसे की कोई कमी नहीं है, कैसे इस शिक्षा विभाग को चलाना है और किस तरह से अध्यापक नहीं है, बिल्डिंग नहीं

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

है, यह नहीं है, वह नहीं है, सारी चीजें दूर हो सकती हैं परन्तु सरकार 'करना नहीं चाहती है । क्योंकि अगर यह बात सरकार करे तो हर गांव–गांव के अन्दर एक कमेटी बनानी चाहिए, मिडिल स्कूल हो वहां बनानी चाहिए, प्राइमरी स्कूल हो, हायर सैकेण्डरी स्कूल हो, और कालेज हो वहां बनानी चाहिए और पब्लिक को सारी चीजें बतानी चाहिए। आज कोई पैसे की कमी नहीं है । वातावरण की कमी है और उसमें यह विचार नहीं करें कि यह जनसंघ का हैं, (व्यवधान)... लोक-दल का है, कम्युनिस्ट का है, कांग्रेसी है...(व्यवधान) मेरा यह एक सुझाव है। दूसरा सुझाव यह है कि जो आज किताबें हैं, दूसरे देशों के अन्दर किताबें छपवाकर...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो ज्यादा बोलता नहीं ।

श्री सभापति : आपको नहीं कह रहा हूँ ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह पूरा का पूरा इस तरह का बनाना चाहिए, जिससे उन किताबों के जरिये जो प्रोफिट हो उससे एज्यूकेशन बढ़े ।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कि आज 600 स्कूलें खोली हैं। पिछली साल जो मिडिल स्कूल खोलीं कहीं चार खोल दी, कहीं पांच खोल दी, कहीं छः खोल दी, कहीं दस खोल दीं, यह हालत हुई तो मेरा ऐसा निवेदन है शिक्षा मन्त्री जी दो वर्ष का खर्चा ले लें, हाई स्कूल खोलें उनसे दो वर्ष का खर्चा ले लें, सुखाड़िया जी के जमाने में सुखाड़िया जी ऐसा करते थे, मिडिल स्कूल खोलें तो खर्चा ले लें, प्राइमरी में नहीं लें और कालेज खोलें तो भी दो वर्ष का खर्चा ले लें। पैसा तो एज्यूकेशन डिपाटमेंट में आयेगा फिर अगले प्लान में उसको मीट कर लेना, नहीं तो लोग वंचित रह जाते हैं...

(समय समाप्ति सूचक-घन्टी)

देखिये तीन सुझाव दिये हैं, चौथा बोला नहीं हूं। पब्लिक से बिल्डिंग बनवायें, वहां लेटरिन और बाथरूम बनने चाहिए । यह सारी की सारी व्यवस्था जहां न हो, तो पब्लिक में प्रचार करो, एम. एल. ए कहे, प्रधान कहे, सरपंच कहे, अगर उसके जरिये इस तरह की बात करेंगे तो शिक्षा की पूर्ति होगी । मैं आपको और बताना चाहता हूँ ......

श्री सभापति : बस, काफी बता दिया ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नवोदय विद्यालय में हाई स्कूल का तो प्रिन्सीपल हाई स्कूल के मास्टर और उसके अन्दर इतना ऊंचा रिजल्ट आता है जो राजीव गांधी जी ने खोला, वहां इतने अच्छे लड़के हैं मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता ।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

(समय समाप्ति सूचक--घण्टी)

परन्तु जो दूसरी स्कूलें हैं उनके अन्दर कोई रिजल्ट नहीं और जो प्राइवेट लोग स्कूल चलाते हैं उसमें तो 30-30, 40-40 हजार रुपया देकर के लड़कों को पढ़ाते हैं और हमारे स्कूलों के अन्दर हम कहते हैं कि पढ़ाओ तो भी नहीं पढ़ते हैं। तो इस चीज को माननीय मन्त्री जी मिटायेंगे तभी राजस्थान का भला होगा, नहीं तो भला नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री माणक डाणी।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नई शिक्षा नीति के साथ साथ राजस्थान के अन्दर, डायट (DIET) जैसे संस्थान भी इस स्टेट में कई जिलों में खुलें, उसके लिए राजस्थान के शिक्षा मन्त्री धन्यवाद के पात्र है, बधाई के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को किसी भी मुद्दे में ज्यादा लम्बी नहीं खींच करके अपनी बात से ही प्रारम्भ कर देता हूं। नम्बर पहले मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहता था कि जो गैर सरकारी शिक्षण संस्थायें राजस्थान के अन्दर है, उन गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए एक विधेयक, इन्हीं मन्त्री महोदय, दामोदर दास आचार्य साहब ने प्रस्तुत किया था लेकिन आज उसके दो साल पूरे हो जाने के बावजूद भी यह गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का विधेयक, न तो इस सदन में आया। प्रवर समिति के नाम से वह विधेयक मात्र विचारार्थ चल रहा हैं। मैं यह चाहूंगा कि शिक्षा राज्य मन्त्री महोदय जब जवाब दें तो कम से कम इस प्रवर समिति के मामले को यहीं समाप्त करके चाहे इस सदन के बहुमत से सर्वसम्मति से या चाहे जिस तरीके से ले लेकिन इसी सत्र में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के जो अध्यापक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके हित में राज्य सरकार क्या करने जा रही है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न वाचक चिह्न इस सरकार के सामने है। जो सरकार इन कर्मचारियों के कल्याण के लिये विधान लाने के लिये तय कर चुके अब चूंकि उसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया है तो वह चीज निश्चित रूप से सामने आनी चाहिये...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, गृह मन्त्री जी आ गये हैं वह जानकारी दिला दीजिये, सचिवालय वाली...

श्री सभापति : कुछ नहीं हैं, आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, जिस सचिवालय में कुत्ते पहुंच गये, पुलिस पहुंच गई बम की तलाश में, हम उसकी चिन्ता नहीं करें तो कौन करेगा?

श्री सभापति : ऐसा कुछ नहीं है।

(श्री सभापति)

मालूम कर लिया है, वहां ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री शोपत सिंह : सदन को इस बात की जानकारी दीजिये।

श्री सभापति : विधान सभा सचिवालय ने पता कर लिया है वहां ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रार्डर प्लीज । सरकार बहुत सचेत है। ग्राप बैठे।

श्री डूंगरराम पंवार : लेकिन सादुलशहर में ग्रचेत थी।

श्री माणक डाणी : माननीय सभापति महोदय, गैर सरकारी संस्थाग्रों के विधेयक के साथ-साथ ही मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना ग्रौर है कि एडेड स्कूलें जिनकी ग्रान्ट का मसला पिछले चार साल से चला ग्रा रहा है राजस्थान सरकार इस पर हर साल बजट रखती है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से ग्रान्ट-इन-एड की कमेटी बैठ जाती है सिफारिशें मन्जूर हो जाती हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने चार साल से एक भी एडेड स्कूल को ग्रान्ट मन्जूर नहीं की है जब भी यह प्रश्न ग्राया... (व्यवधान)

ग्रापका नम्बर ग्राने वाला है मेरे बाद में। ग्रापको कोई परेशानी दिखती है। माननीय सभापति महोदय, मेरिट के ग्राधार पर जो राजस्थान में एडेड संस्थायें बढ़िया काम करती हो जिनका रिजल्ट 100 प्रतिशत होता हो, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करती हो, कम से कम ऐसी शिक्षण संस्थाग्रों की राज्य सरकार ग्रान्ट बढ़ाये उसके ग्रनुदान के ग्रन्दर बढ़ोतरी करें, शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस मामले की ग्रोर इस डिमाण्ड के माध्यम से मैं ग्राकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में खेलों के ग्रन्दर भी यहां के छात्र बहुत ग्रागे हैं लेकिन राजनैतिक दृष्टि से उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिये। खेलों को राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये। सभापति महोदय, ग्राप ग्राश्चर्य करेंगे, ब्यावर की गर्ल्स स्कूल की छात्रायें खो-खो ग्रौर हॉकी के ग्रन्दर ग्रखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाती हैं लेकिन ग्रापको ताज्जुब होगा सभापति महोदय, कि राजस्थान की छात्राग्रों के लिये, ब्यावर की छात्राग्रों के लिये कभी भी हॉकी का कोचिंग कैम्प नहीं लगाया गया। हर बार मांग की गई, लेकिन राज्य सरकार ने उस ग्रोर ध्यान नहीं दिया। मेरी प्रार्थना है कि ग्रगर ग्राप उस ग्रोर भी ध्यान दें तो प्रतिवर्ष राजस्थान को स्वर्ण पदक प्राप्त हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, कृषि जैसा संवेदनशील विषय दसवीं क्लास तक तो ब्यावर विधान सभा क्षेत्र की एक स्कूल में पढ़ाया जाता है, हायर सैकण्ड्री, दस प्लस दो, दस प्लस दो प्लस तीन, इन सब्जेक्ट में ग्रगर कृषि विषय पढ़ना पड़ा तो सभापति महोदय, वह छात्र कहां जायेंगे। कम से कम शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ग्रोर ग्रवश्य ग्राकर्षित हो करके एक न्यायपूर्वक न्यायसंगत नीति बननी

(श्री माणक डाणी)

चाहिये कि अगर दसवीं क्लास तक कृषि विषय है तो उस स्कूल में चाहे उसको रेज की जाये दस प्लस दो में अथवा उसके समक्ष पंचायत समिति मुख्यालय जवाजा में कृषि विषय लागू किया जाये और अगर वहां लागू नहीं कर सकते तो ब्यावर की जैन गुरुकुल हायर सैकण्ड्री स्कूल जिसके पास कम से कम 50 बीघा जमीन उपलब्ध है वहां अगर कृषि विषय लागू कर दें तो उसे इस चीज का फायदा मिल सकता है। हालांकि अब यह बात कह कर टाली जा सकती है कि सब्जेक्ट नाम की चीज दसवीं तक नहीं है इसलिये आवश्यकता नहीं है, यह होशियारी तो की जा सकती है।

सभापति महोदय, आई. टी. आई. की बात तकनीकी शिक्षा की बात अजमेर के अन्दर तकनीकी शिक्षा है । राजस्थान में छोटी से छोटी जगह तकनीकी की शिक्षा के लिये इन्होंने आई. टी. आई. खोल दी लेकिन ब्यावर जैसा औद्योगिक शहर जहां कम से कम 125 सीमेंट पाइप की फैक्ट्रियां हैं टैक्सटाइल का बहुत बड़ा सेन्टर राजस्थान का जो कि देश का अहमदाबाद हो सकता है वह राजस्थान में ब्यावर है लेकिन सभापति महोदय, ब्यावर के अन्दर आई. टी. आई. की तरफ ध्यान देने की फुरसत नहीं हैं न अधिकारियों को है जब कि यह हमारा दुर्भाग्य है इस विधान सभा में कोई प्रश्न का जवाब दो तरह से आ सकता हो क्योंकि अधिकारियों को अपनी खाल बचानी पड़ती है। माननीय सभापति महोदय, मुझे ध्यान है कि राजस्थान विधान सभा के इसी सत्र में एक जवाब आया है। जहां टेलिफोन की सुविधा हो, जहां आवागमन की सुविधा हो, यह मापदण्ड बनाकर आई. टी. आई. खोलने की बात कही गई। माननीय ताम्बीजी ने पूछा तो उसमें अलग ढंग से मापदण्ड बता दिये। राज्य सरकार चाहे जो मापदण्ड बता दे लेकिन ब्यावर के अन्दर आई. टी. आई. खोलना अत्यन्त आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, यह कब खुलेगी लेकिन जब भी मौका मिला तो मैंने यह बात कहने का प्रयास किया है।

मैं महाविद्यालय की स्थिति की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ लेकिन इससे पहले प्राथमिक शिक्षा के निदेशालय अलग से खोलने की बात चल रही है, उस बारे में कहूंगा। मेरा निवेदन है कि यह निदेशालय, अजमेर में खोला जाये और प्राथमिक निदेशालय का जो कैडर हो वह भी प्राथमिक शिक्षक की सीनियरिटी बना कर उनको प्रमोशन देकर निदेशक स्तर तक उन्हीं में से लिया जाये तो जो आपकी सोच है उसमें सफलता मिल सकेगी। जो व्यक्ति प्राथमिक स्तर से आगे पहुंचेगा वह इस पाठ्यक्रम को सही ढंग से लागू कर सकेगा।

महाविद्यालय के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार का यू. जी. सी. महाविद्यालय को पुस्तकालय के लिये ग्रान्ट देता है। महाविद्यालय के पुस्तकालय के बारे में ग्रान्ट देने के बारे में सुन कर आप आश्चर्य करेंगे। इसके नार्म्स बने हुए हैं। नम्बर ऑफ स्टूडेन्टस्, कालेज किस स्तर का है पी. जी. है या डिग्री कालेज है। इसके आधार पर

(श्री मारगक डाणी)

ग्रांन्ट देते हैं। 40 प्रतिशत पहली बार में, 50 प्रतिशत मार्च में और 10 प्रतिशत इमरजेन्सी में। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा इस साल मार्च में शिक्षा निदेशालय ने लगभग 30 लाख रुपये की ग्रान्ट निकाली। शिक्षा निदेशालय में काम करने वाले बाबुओं की कुछ फर्में हैं। उन्हीं फर्मों को चेक पकड़वा दिये। वहीं से आर्डर दे दिये गये और मंहगी भाव की पुस्तकें वहीं से प्रिन्सीपल को भेज दी गई। सभापति महोदय, राज्य सरकार के पास इतनी मुश्किल से आया हुआ पैसा इस प्रकार ऊंचे मूल्य की गलत पुस्तकों में खर्च कर दिया गया मात्र कुछ व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिये। यह अत्यधिक शर्म की बात है।

माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने तत्कालीन शिक्षा मन्त्री को पत्र लिखा लेकिन उन्होंने पत्र का जवाब नहीं दिया। जवाब देने में पैसे लगते हैं। सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं हैं। लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है उसको रोकने में राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं उन फर्मों के नाम नहीं लेना चाहता। मैं उन व्यक्तियों को नहीं जानता लेकिन जो बात मेरी जानकारी में आई है वह मैंने आपको बतायी है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि बजट के साथ-साथ यह पैसा महाविद्यालय को एलाट किया जाये तो महाविद्यालय बच्चों के भविष्य को, हित को देखते हुए बच्चों के इन्टरेस्ट की बुक्स महाविद्यालय पर्चेज कर सके और वहीं से भुगतान हो तो सभापति महोदय, इसका फायदा मिल सकता है।

सभापति महोदय, ब्यावर कॉलेज के पास सैंकड़ों बीघा जमीन है जितनी राजस्थान विश्व विद्यालय के पास है। मैंने हर बार इस ओर मुख्य मन्त्री, मन्त्रीजी और विभाग का ध्यान आकर्षित किया हैं कि इस जमीन पर अतिक्रमण हो रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है। लेकिन शिक्षा विभाग बजट में इसके लिये प्रोवीजन नहीं करता है। चारदीवारी नहीं बना सके तो आप तार खिंचवा सकते हैं। खुदा कर के उसमें वृक्ष लगा सकते हैं लेकिन शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान देने की फुरसत नहीं हैं। जब बिल्डिंग बन जायेगी तब तोड़ने के लिये जायेंगे अगर समय से पहले चेते, और इसके लिये बजट दे दिया जाये तो माननीय शिक्षा मन्त्रीजी आपकी बड़ी कृपा होगी।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

अजमेर विश्व विद्यालय द्वारा जो दस जमा तीन की शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। अजमेर विश्व विद्यालय के अधीन जो कालेज है उसके अन्दर हिन्दी और अंग्रेजी के विषय समाप्त हो चुके हैं। इस साल फर्स्ट ईयर में इस विषय की क्लासेज नहीं होगी तो इन अध्यापकों का क्या होगा। क्या वे खाली बैठे रहेंगे। क्या शिक्षा विभाग उन्हें कहीं समायोजित करेगा। इस ओर शिक्षा मन्त्रीजी आप ध्यान दें। हिन्दी और अंग्रेजी सब्जेक्ट समाप्त हो जयेंगे तो इससे बेरोजगारी होगी। इसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

अजमेर विश्व विद्यालय का सबसे बड़ा

(श्री माणक डाणी)

महाविद्यालय ब्यावर है जिसमें दो हजार के लगभग छात्र हैं। अब मैं हिन्दी और दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं करता लेकिन ब्यावर की परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर टैक्सटाइल, डाइंग, प्रिन्टिंग और डिजाईनिंग का एक कोर्स प्रारम्भ किया जा सकता है जिससे बेरोजगारी दूर होगी, जिससे व्यवयासिक योजना का भी शिक्षा के अन्दर फायदा मिल सकेगा। कम्प्यूटर साइंस की बात कहना चहता हूं। हमारे प्रधान मन्त्री ने इस बारे में एक नई टेकनीक इस देश में लागू की है। कम्प्यूटर साइंस का सब्जेक्ट भी आप ब्यावर महाविद्यालय में खोल सकते हैं इससे औद्योगिक क्षेत्र को फायदा मिल सकता है। वहां होम साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। हायर सैकण्ड्री तक होम साइंस का सब्जेक्ट है लेकिन उसके बाद वहां की छात्राएं होम साइंस पढ़ने के लिये कहां जाये यह एक विचारणीय मुद्दा है। हम इस देश के अन्दर महिला शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हैं, महिला शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं, स्कूलें खोलना चाहते हैं लेकिन सभापति महोदय, महिला शिक्षा का सब्जेक्ट होम साइंस ग्यारहवीं तक है, इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज के अन्दर जो पी. जी. कॉलेज हैं उसके अन्दर होम साइंस का सब्जेक्ट लागू कर सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसी प्रकार एम. फिल. कक्षाओं के लिये प्रधानाध्यापक दो-दो साल, एक-एक साल के लिये महाविद्यालय छोड़ कर बाहर जाते हैं। राजस्थान में बहुत कम जगह पर एम. फिल पढ़ने की सुविधा प्राप्त है।

सभापति महोदय, अजमेर विश्व विद्यालय का सबसे बड़ा महाविद्यालय ब्यावर होने के नाते मेरा निवेदन है कि ब्यावर में एम. फिल. का कोर्स लागू करवाने का कष्ट करें तो आपकी कृपा होगी इससे वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट के टीचर वहां पर है। सभापति महोदय, इसी प्रकार मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। अगर आप इसके भी प्रोसेस ब्यावर को दें सकें तो आपकी कृपा होगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सिर्फ दो मुद्दे, कला और संस्कृति के बारे में कहना चाहूंगा नहीं तो बीनाजी नाराज हो जायेंगी।

श्री सभापति : नाराज नहीं होगी।

श्री माणक डाणी : राजस्थान में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की बात मुख्य मन्त्री ने कही है कि राजस्थान सरकार के प्रत्येक मुख्य मन्त्री ने इस बात की घोषणा की है कि हम राजस्थान में कला और संस्कृति को बढ़ायेंगे। सभापति महोदय, पहले मुख्य मन्त्री ने यह बात कही है कि हम राजस्थान में फिल्म स्टूडियो बनायेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति को जिन्दा रखने के लिये। राजस्थानी भाषा में कितनी फिल्में तैयार होती हैं लेकिन राजस्थान में टैक्स में छूट देने की व्यवस्था नहीं है। किसी को 25 प्रतिशत, किसी को 50 प्रतिशत और किसी को 75 प्रतिशत छूट क्यों दी जाती है। राजस्थानी भाषा में बनने वाली फिल्मों के लिये राज्य

(श्री माणक डाणी)

सरकार को कर में छूट देनी चाहिये। वह राजस्थानी भाषा को बढ़वा देना चाहती है राजस्थानी लोक, संस्कृति को जिन्दा रखना चाहते हैं तो राजस्थान के अन्दर फिल्म स्टूडियो की स्थापना की जाये और राजस्थानी भाषा में बनने वाली फिल्मों को शत-प्रतिशत छूट देनी चाहिये। सभापति महोदय, राजस्थान में ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं लेकिन फिल्म स्टूडियो नहीं होने की वजह से फिल्म के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है।

एक अन्तिम बात कहूँगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हड़ताल के बारे में। आज 42 दिन हो गये, 50 दिन हो गये। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यह हड़ताल रजत जयन्ती मना चुकी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यह हड़ताल स्वर्ण जयन्ती की और अग्रसर है। मेरी आप से प्रार्थना है कि इसकी स्वर्ण जयन्ती नहीं मनाने दें क्योंकि यह उचित काम नहीं है, ऐसी व्यवस्था पैदा कीजिये, राजस्थान सरकार चाहे जिस लेवल पर मध्यस्थता करे क्योंकि इस हड़ताल को तोड़ना अत्यन्त आवश्यक है यह 5,63,896 छात्रों के भविष्य का सवाल है। आज तक सैकण्ड्री के रिजल्ट आते हैं। 9 हजार छात्रों का रिजल्ट आया है। एस. टी. सी. में छात्रों को प्रवेश लेना है और अन्तिम तारीख 16 जून निकल चुकी है। अब हायर सैकण्ड्री पास करके स्टुडेंट निकलेंगे तो उसका एक सत्र बेकार होगा। वह एस. टी. सी. में प्रवेश नहीं ले पायेगा। वह छात्र जिसका एक साल खराब होता है उस पर इस बात का कितना अधिक प्रभाव पड़ेगा यह आप देखें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति, मैं इस मुद्दे पर कहना चाहूंगा कि बोर्ड भंग हो चुका है। इसके भंग होने के बाद इसका पुनर्गठन हो गया मात्र दो व्यक्तियों के नोमोनेशन के अभाव में उस बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही है, वह बोर्ड सुचारु रूपसे गठित नहीं हो पाया है। मात्र दो व्यक्ति और नामीनेटेड करने हैं, इस सदन के वह सदस्य होंगे। सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित कर आग्रह करना चाहूंगा कि इस बोर्ड का गठन करने के साथ-साथ मात्र उनकी दस रूपये की मांग है, आप आश्चर्य करेंगे ...

श्री सभापति : लम्बा नहीं करें। अब मैं अलाऊ नहीं करूंगा। लम्बा नहीं बढ़ें, आप। माननीय सदस्य कह चुके हैं।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, जो समझौता हुआ है उस पर इस सरकार के मन्त्रीजी के भी हस्ताक्षर हैं....

श्री सभापति : हां पुष्पाजी ने कह दिया।

श्री माणक डाणी : इसलिये कृपा करके इस समझौते को या तो लागू करवा दें और अगर यह लागू नहीं हो सकता है तो कम से कम दस-पन्द्रह रूपये की डिमाण्ड हैं, सभापति महोदय, वह आप एक्स्ट्रा दिलवा दें। वह भी नहीं हो तो जो पुराना समझौता है, जिस पर इस सरकार के मंत्री के हस्ताक्षर हैं, इस सदन के माननीय उपाध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर हैं, आप उसको एज इट इज लागू करवा दें, शिक्षा बोर्ड की हड़ताल समाप्त हो जायेगी।

(श्री माणक डाणी)

उनकी जो न्यायिक जांच की मांग है, उसकी न्यायिक जांच करवायें उन पर लाठीचार्ज हुआ, सभापति महोदय, उनके ऊपर जो मुकदमे राज्य सरकार ने लगाये हैं वह मुकदमे अगर वापस ले सकें तभी इस बात का फैसला होने के लिये सौहार्द्रपूर्ण वातावरण तैयार हो सकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देगी। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : सभापति महोदय, शिक्षा के प्रति सरकार कितनी गम्भीर है यह इस बात से पता लगता है कि राजस्थान में शिक्षा मन्त्री केबिनेट स्तर का नहीं है। राज्य मन्त्री स्तर के व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण विभाग दे रखा है। सभापति महोदय, हर वर्ष बजट भाषण में...

श्री सभापति : वह बहुत योग्य हैं इस पद के।

श्री कालीचरण सराफ : मगर वह केबिनेट रेंक के मिनिस्टर नहीं हैं।

श्री सभापति : वह अलग बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 519 करोड़ रुपया दे रखा है और कहते हैं वह अलग बात है। पूरा मन्त्री बना नहीं रखा है। क्या बात हो गई ?

श्री सभापति : मैं खुद भी यही कह रहा हूं, योग्य व्यक्ति हैं।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, हर वर्ष अपने बजट भाषण में जो भी मुख्य मन्त्री सदन में आता है वह बड़े दावे के साथ यह कहता है कि 1995 तक प्रदेश से निरक्षरता का कलंक मिटा दिया जायेगा। दो करोड़ रुपया आजादी के समय शिक्षा पर इस प्रदेश में खर्च होता था और आज 519 करोड़ रुपया तक शिक्षा पर राजस्थान में खर्च हो रहा हैं परन्तु जिस स्पीड से साक्षरता हमारे प्रदेश में बढ़ रही है, यानी आज देश में 35.17% साक्षरता है उसमें राजस्थान की साक्षरता केवल 24.38% है यानी फिसड्डियों में नम्बर दो। इसी प्रकार महिलाओं में साक्षरता देश में 23.30% है, राजस्थान में 11.42% साक्षरता है। यानी इस स्पीड से साक्षरता हमारे प्रदेश में बढ़ी तो ऐसा लगता है कि 150 साल राजस्थान में पूर्ण साक्षरता होने में लगेंगे। मुझे पता नहीं इनके पास कौनसा अलादीन का चिराग है कि यह 1995 तक सब लोगों को साक्षर कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, गत वर्ष राज्य के मुख्य मन्त्रीजी ने राजस्थान में तीन नये विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। जिस समय प्रदेश में तीन नये विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई, शिक्षाविदों में, बुद्धिजीवियों, यहां तक कि सदन में लोगों ने मेजे थपथपा कर स्वागत किया कि देर आये दुरुस्त आये, 1964 के बाद राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को, राजस्थान की सरकार को यह होश तो आया कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों का जो स्वरूप प्रदेश के अन्दर बना उसमें हमारी राज्य

(श्री कालीचरण सराफ)

सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। आज हिन्दुस्तान में किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के विश्वविद्यालय नहीं हैं जिसका अपना कोई कैम्पस नहीं है, जहां प्रोफेसर्स नहीं हों,जहां रीडर्स नहीं हों जहां लेक्चरर्स नहीं हों, जहां कोई रिसर्च वर्क नहीं हो। जैसे बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन चलता है, उसी प्रकार से बोर्ड ऑफ कालेज एज्यूकेशन है, चार कमरों में एक विश्वविद्यालय हमारे राजस्थान के छात्रों का भविष्य निर्धारित करने के लिए मुख्य मन्त्रीजी ने खोलने की घोषणा यहां सदन के अन्दर की।

अब अजमेर विश्वविद्यालय जब से बना है उसमें क्या-क्या कारगुजारियां हो रही हैं इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। पिछले सत्र में अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, कांग्रेस के विधायक महोदय ने यहां पर आरोप लगाया था, कुलपतिजी जो वहां अपने आपको बड़ा गांधीवादी और बड़े समाजवादी आदर्शवादी पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं उनके गुणगान विपक्ष के किसी सदस्य ने नहीं, कांग्रेस से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन के अन्दर किये। 21 लाख की किताबें खरीदी गई। साइन्स और आर्ट्स की किताबें भी ऐसे उप कुलपति के द्वारा खरीदी गई जो खुद कामर्स के व्याख्याता रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आती किस मापदण्ड के आधार पर, किस आधार पर उन्होंने इस प्रकार की किताबें खरीदीं। यहां तक ही नहीं, हमारे ऐसे विलक्षण कुलपति हैं अजमेर विश्वविद्यालय के कि उन्होंने साइन्स और आर्ट्स के पाठ्यक्रम भी निर्धारित कर दिये। यानी वहां कोई बोर्ड आफ सलेबस नहीं है, एकेडमिक कौंसिल नहीं है। जो साइन्स का पाठ्यक्रम है जिसके लिए साइन्स के लेक्चरर्स का बोर्ड आफ सलेबस होता है वह नहीं है। कामर्स के व्याख्याता आर. वी. उपाध्याय इतने तीरन्दाज कि उन्होंने साइन्स के, आर्ट्स के, सबके पाठ्यक्रम भी निर्धारित कर दिये। आर. वी. उपाध्याय के बारे में जितना कहा जाय उतना कम है। जयपुर में तिलक नगर में प्रभु मार्ग पर उनका बंगला है ......

श्री सभापति : व्यक्तिगत एलीगेशन इस प्रकार नहीं लगायेंगे आप।

श्री कालीचरण सराफ : व्यक्तिगत एलीगेशन नहीं है।

श्री सभापति : नोटिस देते आप इस बात का, I will not allow you like this, व्यक्तिगत एलीगेशन कैसे लगायेंगे आप कैसे किसका बंगला है क्या बात है।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं तो जवाब देंगे यह।

श्री सभापति : No. I will not allow you. No, No.

आप सिद्धान्त की बात करें। नोटिस देना चाहिए था आपको In the absence of notice, I will not allow you like this.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिल्कुल नाम लेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : सैद्धान्तिक बात कहिये। आपने पहले बात कही, सैद्धान्तिक बात कही। No personal allegations like this, unless you have given notice to this effect.

I will not allow this. I will not allow. (व्यवधान)

आप लगाते रहो, मैं एक्सपंज करूंगा। यहां रिकार्ड पर नहीं आयेगा। व्यक्तिगत एलीगेशन नहीं लगायेंगे किसी पर, किसी आफिसर पर नहीं लगायेंगे। आप सैद्धान्तिक बात करें आपने पहले बात ठीक की है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और आप फालतू में डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सभापति : नियम बने हुए हैं इसके लिए। नोटिस देना पड़ेगा।

श्री शोपत सिंह : + + +

श्री सभापति : अंकित नहीं करें। यह बोल रहे हैं इसको। आप कृपया बैठे नीचे। (व्यवधान)

सैद्धांतिक बात कहो। नोटिस देकर लगाइये एलीगेशन लगाना है तो।

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री सभापति : अंकित नहीं करें। शोपतसिंह जी बोल रहे हैं। इसको अंकित नहीं करें। कृपया बोलें।

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री सभापति : मतलब यह हुआ पर्सनल एलीगेशन नहीं लगायेंगे। No personal allegations unless you give notice. आप अंकित नहीं करेंगे, शोपतसिंह को।

श्री रघुनाथ परिहार : नियम के अन्तर्गत ही आरोप लगाये जा सकते हैं। नियमों में प्रावधान है और नियमों के अनुसार ही आरोप लगा सकते हैं।

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री सभापति : इसके नियम बने हुए हैं। इसके नियम बने हुए हैं। नियम से चलाना पड़ेगा सदन को। नियम बने हुए हैं। एलीगेशन लगाने से पहले नोटिस दीजिये।

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री सभापति : किसी के खिलाफ लगायें, आपको नोटिस देना पड़ेगा, यह लिखा हुआ है।......हां, बता देता हूं आपको......अंकित नहीं करेंगे। कालीचरणजी बोलें।

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री सभापति : आपका टर्न आये जब आप बोलें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं,

---

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सभापति)

मैं उनको अलाऊ कर रहा हूँ। आपका टर्न आये तब बोलना।

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री सभापति : इसमें प्रोटक्शन का कोई सवाल नहीं है। इसके रूल्स बने हुए हैं। कृपया बोलें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : ज़ुबान केवल चीन में बंद होगी, हिन्दुस्तान में नहीं होगी, यह ठीक कह रहे हैं आप।

श्री सभापति : कृपया बोलें।

श्री कालीचरण सराफ : मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया। मैंने कुलपति जो हैं अजमेर विश्वविद्यालय के उनकी कारगुजारियों के बारे में बताया, यह आरोप थोड़े ही है ?

श्री सभापति : बंगला किसका कहां है, यह कैसा है ......

श्री कालीचरण सराफ : बंगला कैसा है......

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री सभापति : कार्य शैली कैसी है इस बारे में आप बोलें, मुझे ऐतराज नहीं है। आपने लायबिलिटी के लिये कहा, मुझे ऐतराज नहीं है। पर्सनल एलीगेशन नहीं लगायें। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री रघुनाथ परिहार : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य, शोपतसिंह ने आसन के ऊपर यह आरोप लगाया है कि आसन + + + यह कार्यवाही से एक्सपंज करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : शोपतसिंहजी बोले हैं। यह अंकित ही नहीं हुआ है। कृपया बोलें।

(सायं 7.00)

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री सभापति : आप खूब बोलिए, कित नहीं हो रहा है।

श्री शोपतसिंह : XXX

श्री सभापति : आपकी टर्न आये तब बोल लें।

श्री शोपत सिंह : XXX (व्यवधान)

श्री सभापति : अण्डर दी रूल बोलेंगे। कृपया बोलें मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती नीलिमा शर्मा : सभापति महोदय, यह एड्रेस बताते हैं। हम इस एड्रेस का करें क्या ? यह पता क्यों बताया गया ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : सरकार क्या कर रही है ? अजमेर का काम यहीं पर कर रहे हैं।

श्रीमती नीलिमा शर्मा : आपको क्या पता ?

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री कालीचरण सराफ : मुझे पता है, मेरी कांस्टीट्एंसी में है वह, इसलिए पता है।

श्रीमती नीलिमा शर्मा : किसी , एड्रेस बताने से सदन को क्या मिलेगा ? (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : सभापति महोदय, मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। माननीय सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने यहीं तो कहा कि इनका प्रभु मार्ग पर बगला है ......

श्रीमती नीलिमा शर्मा : आपकी जमीन पर मकान बनाया है क्या ? .... । (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य ने इतना ही तो कहा कि उपकुलपति जो अजमेर गये हैं उनका बंगला प्रभु मार्ग पर है-। उन्होंने यह नहीं कहा ... (व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोलें।

श्री शोपतसिंह : XXX

श्री सभापति : आपकी टर्न आये तब आप खूब कहें।

श्री शोपतसिंह : XXX

श्री सभापति : यह इनके और मेरे बीच में है। आपकी टर्न आये तब आप बोलें।

श्री शोपतसिंह : XXX

श्री सभापति : नोटिस देना पड़ेगा उसके लिए आपको।

श्री हीरासिंह चौहान : कोई जरूरत नहीं है नोटिस देने की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको हटाने के लिए नोटिस देना पड़ेगा, पंचोली साहब।

श्री सभापति : चीफ व्हिप साहब, रूल पढ़ें आप।

श्री रघुनाथ परिहार : माननीय सभापति महोदय, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सदन में नाम लेने का क्या प्रावधान है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई नियम नहीं है। क्या नियम है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह नियम किसको बता रहे हैं। यह नियमों की किताब तो हमारे पास भी हैं। यह सदन की परम्परा रही है, एक बार की नहीं, हजारों बार की परम्परा है कि अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ चार्जेज लगे हैं। (व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : XXX

सुश्री पुष्पा जैन : हम पढ़े हुए हैं।

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(सुश्री पुष्पा जैन)

क्या पढ़ा रहे हैं आप ? हम पढ़ने नहीं आये हैं। हम आपको पढ़ा सकते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : आप तो रूल बताइयें। रूल कौन सा है ?

श्री रघुनाथ परिहार : नियम 271 पढ़ लीजिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हम बराबर चार्ज लगाते रहे हैं और लगाएंगे।

श्री शोपतसिंह : XXX

सुश्री पुष्पा जैन : भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चार्ज लगायेंगे।

श्री माणक डागा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं। थोड़ा यह धीरे बोलें तो अच्छा ही है।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे आपकी हिमायत की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाइये। आप + + + करना चाहते हैं, उनकी वकालत करने की इजाजत नहीं दी जायेगी। इस सदन में + + + नहीं करने देंगे हम। आप भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाने दिया जायेगा। ... (व्यवधान) मेरी हिमायत करने की जरूरत नहीं है आपको।

श्री माणक डागा : इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य + + + नहीं करता, यह सदन जानता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री सराफ साहब, आप बोलें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन की परम्परा रही है कि इस रूल 273 का एक्सटेंशन सदस्यों को मिलता रहा है। जिस परस्पेक्टिव में माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हार्ड एंड फास्ट रूल 273 को एंडहेयर नहीं करें। Let him speak so that the matter will come in front of the House. इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसको डिफ्यूज करने के लिए रूल 273 को इस लाइट में लें कि वह इसके इम्प्रूवमेंट के संबंध में कहना चाहते हैं और माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस लाइट में इस बात को रखते हुए कार्यवाही चलने दें।

श्री सभापति : कृपया बोलें।

श्री शोपतसिंह : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे शब्दों को अंकित नहीं होने दिया। मैंने ऐसी कौन सी बात कहीं...

श्री सभापति : आप बोलें। मैं आपका अंकित करा रहा हूँ।

श्री शोपतसिंह : आप + + + क्या सदन में आ करके ?

श्री सभापति : श्री कालीचरण सराफ।

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री कालीचरण सराफ : मैं कह रहा था कि अजमेर विश्वविद्यालय के कुलपति जिनका यहां तिलक नगर में प्रभु मार्ग पर मकान है उन्होंने 6 हजार रुपये में फर्जी किराये पर देकर और प्रति माह 6 हजार रुपये वहां से उठा रहे हैं।

इतना ही नहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय कितने सालों से चल रहा है परन्तु उसकी विस्तार शाखायें राजस्थान के किसी और कस्बे में नहीं हैं। लेकिन अजमेर विश्वविद्यालय की जयपुर, बीकानेर और कोटा में तीन जगह विस्तार शाखायें खुली हुई हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना कितना अजमेर विश्वविद्यालय पर भार है कि उनकी विस्तार शाखायें खोलने की आवश्यकता पड़ी।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, इन कुलपति महोदय ने बिना किसी साक्षात्कार के इतने अधिक कर्मचारी चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के, अशैक्षणिक कर्मचारी, वहां भर रखें हैं, अपने चहेतों को केवल वेतन देने के लिए बिना काम के यहां पर सैंकड़ों कर्मचारी कुलपति महोदय ने भर रखे हैं। अजमेर विश्वविद्यालय जैसे बना, उसने परीक्षा परिणाम में एक नया कीतिमान स्थापित किया है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गत वर्ष एक पप्पू कुमार...

श्री शोपतसिंह : और कोई नाम लेकर बताओ। पप्पू का नाम सदन में कैसे लिया ? क्या कहें, आप बोलिये।

श्री कालीचरण सराफ : यह भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है।

श्री शोपतसिंह : पप्पू का नाम लिया आपने ?

श्री सभापति : बोलने दीजिये उनको बीच में इन्टरप्शन क्यों करते हो ?

श्री डूंगरराम पंवार : नाम नहीं बताया है, सिर्फ पप्पू ही बताया है। पप्पू तो नाम नहीं होता है। मुन्ना और पप्पू कह देते हैं बच्चे को।

श्री शोपतसिंह : He is not a minister, nor he is a principal, nor he is a professor. बताइये जरा आप।

श्री कालीचरण सराफ : हां, तो मैं कह रहा था कि पप्पू कुमार गुप्ता जिन्होंने...

श्री डूंगरराम पंवार : उसके बाद कोई अप्पू कुमार आ जायेगा।

श्री कालीचरण सराफ : फर्स्ट ईयर और सैकण्ड इयर राजस्थान विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया और उनका दुर्भाग्य था था कि थर्ड ईयर के लिए अजमेर विश्वविद्यालय से उन्होंने परीक्षा दी। अब थर्ड इयर में उनके कम नम्बर आये। कम नम्बर आये यह तो समझ में आता है परन्तु अजमेर यूनिवर्सिटी का चमत्कार देखिये कि जो फर्स्ट इयर और सैकण्ड ईयर में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नम्बर दिये थे उनको इन्होंने कम कर दिये। उन्होंने कहा कि यह नम्बर नहीं है और

(श्री कालीचरण सराफ)

उनको कम किया । उनके नम्बर थे फर्स्ट इयर में 130 उसके नम्बर कर दिये 128 और सैकण्ड ईयर में उसके अंक प्राप्त हुए थे 399 उसकी जगह उसके नम्बर कर दिये 320 यानी जब तीन सालों का टोटल लगाया तो 5 प्रतिशत नम्बर उसके उन्होंने कम कर दिये । अंकतालिका आप कहो तो, मैं सदन की टेबल पर रख सकता हूं । अंक तालिका नमूना इसमें दिया हुआ है ।

इतना ही नहीं,वहाँ एक श्रीमानजी का तो और भी जोरदार कमाल हुआ परीक्षा ही नहीं दी । रमेश कुमार की जगह किसी और व्यक्ति ने परीक्षा दी । उनको मार्कशीट मिल गयी और वह उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया । यह उनका दूसरा केस । तीसरा अजमेर विश्वविद्यालय ने एक नया कीर्तिमान और स्थापित किया । एक जैन सुबोध कालेज के छात्र हैं शिवरतन महेश्वरी । इन्होंने परीक्षा दी बैंकिंग की । उनको सप्लीमैण्टरी घोषित कर दिया कि आप बैंकिंग की परीक्षा में अब्सेंट थे, जबकि उसके 60 प्रतिशत अंक थे । उनको उन्होंने सप्लीमैण्टरी घोषित कर दिया ।

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री शोपतसिंह : सभापतिजी के घर भेजो ।

श्री कालीचरण सराफ : तो इस प्रकार के विश्वविद्यालय राजस्थान की सरकार ने खोले हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार में, परीक्षा परिणामों में, कर्मचारियों की नियुक्ति में, अपना मकान किराये पर देने में, हर चीज में कीतिमान स्थापित किया है । ऐसे कुलपति अजमेर विश्वविद्यालय में बिराजे हुए हैं । किस प्रकार से इस प्रदेश के छात्रों का भविष्य उस विश्वविद्यालय के माध्यम से सुनहरा होगा हम नहीं कह सकते । माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार विश्वविद्यालय को...

श्री डूंगरराम पंवार : जब कुल के पति ऐसे होंगे तो फिर कुल का क्या होगा ?

श्री कालीचरण सराफ : राजस्थान सरकार पिछले कई सालों से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर निरन्तर प्रहार करती आ रही है । आज राजस्थान विश्वविद्यालय का उदाहरण देख लीजिये रजिस्ट्रार प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति, वहां का अभियन्ता-अभियन्ता सेवा का व्यक्ति, वहां का वित्त सलाहकार वह भी सरकारी अधिकारी । यहां तक कि पिछली बार तो सरकार ने इतनी हिम्मत की कि उप कुलपति के पद पर भी एक आई. ए. एस. अधिकारी को बैठा दिया । छात्रों ने आन्दोलन किया, शिक्षकों ने उसको बर्दाश्त नहीं किया, परन्तु सरकार के जूं तक नहीं रेंगी । इन्होंने कहा, नहीं, उप कुलपति के पद पर भी आई. ए. एस. अधिकारी रहेगा । वह तो भला हुआ कि लॉ कालेज के भूतपूर्व डाइरेक्टर हैं वे

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री कालीचरण सराफ)

हाई कोर्ट में चले गये और हाई कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिये कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता कायम रखने के लिए वहां पर किसी शिक्षाविद् की नियुक्ति करो, आई. ए. एस. अधिकारी की नियुक्ति कुलपति पद पर नहीं होनी चाहिए। तब जाकर गवर्नमैण्ट ने अण्डरटेकिंग दी और आई. ए. एस. अधिकारी के कुलपति के पद से पीछा विश्वविद्यालय प्रशासन का छूटा।

माननीय सभापति महोदय, 1981 में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्र संघों के चुनाव हुए थे इसके बाद छात्र संघों के चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। आरोप क्या लगाया जाता है कि छात्र संघों के चुनाव से गुण्डागर्दी फैलती है, जातिवाद फैलता है, इसलिए छात्र संघों के चुनाव नहीं होने चाहिए। विधान सभाओं के चुनावों में कई जगह जातिवाद होता है, लोकसभा के चुनाव में कई जगह गुण्डागर्दी होती हैं। यदि राजस्थान के मुख्य मन्त्री में इतना दम है तो वह यह कहे कि हम राजस्थान में विधान सभा और लोकसभा के चुनाव नहीं होने देंगे। आज प्रजातान्त्रिक देश में एक तरफ तो ये लुभावने नारे दिये जाते हैं कि 18 वर्ष के नवयुवक को मताधिकार दिया जायेगा। और दूसरे तरफ छात्र संघ का चुनाव करवाने का अधिकार छात्रों से सन् 1981 से छीना हुआ है। कभी कहते हैं कि कान्स्टिटयुशन इस प्रकार का है कि हम चुनाव नहीं करवा सकते।

पिछली बार कोर्ट में अण्डरटेकिंग दी विश्वविद्यालय के प्रशासन ने कि हम चुनाव करवायेंगे, पर अभी थोड़े दिन पहले उनका वक्तव्य आया कि चुनाव नहीं हो सकते। सीनेट और सिण्डीकेट में छात्रों ने संघर्ष करके अपना प्रतिनिधित्व कराया था परन्तु छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं इसलिए उन प्रशासनिक इकाइयों में प्रतिनिधित्व भी नहीं जा रहा है। आज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए छात्र संघ के अभाव में छात्रों के पास कोई उचित मंच नहीं है। आज चाहे होस्टल की समस्या हो, चाहे प्रवेश की समस्या हो, चाहे परीक्षा परिणामों की समस्या हो, चाहे पुनर्मूल्यांकन की समस्या हो, किसी भी समस्या के लिए छात्र उचित मंच के अभाव में अपनी बात कहने में असमर्थ हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार का वायदा पिछले सत्र में किया था कि इस सत्र राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हर जगह छात्र संघ के चुनाव इसी सत्र में करवा दिये जायेंगे, मैं चाहूँगा, जब शिक्षा मन्त्रीजी अपनी शिक्षा की डिमाण्ड पर जवाब दें, उस समय इस प्रकार की घोषणा करें और छात्र संघों के चुनाव कराये जाय। इसकी तिथि निश्चित करें।

माननीय सभापति महोदय, राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में 230 व्याख्याता इस समय अस्थाई हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में इस प्रकार के 172 अस्थाई व्याख्याता हैं, जोधपुर में 32 और उदयपुर में 26 इन व्याख्याताओं

(श्री कालीचरण सराफ)

को कई वर्ष हो गये, कई तो इसमें ऐसे हैं जो 15--15, 16--16 साल से टेम्परेरी टीचर के आधार पर विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। आज उनकी किसी परीक्षा प्रतियोगिता या इन्टरव्यू देने की जो आवेदन की एज लिमिट होती है वह भी निकल गई है। परन्तु उनको स्थाई नहीं किया जा रहा है। तो मैं यह भी मांग करना चाहूँगा......आप जरा घड़ी की तरफ मत देखो, मैंने केवल पांच मिनट ही बोला है, बाकी तो झगडे में गया सब टाइम।

श्री सभापति : ऐसा है, 15 मिनट बोल लिये आप।

श्री कालीचरण सराफ : इसलिए मैं चाहूँगा कि राजस्थान सरकार अध्यादेश के जरिये ये जो 230 अस्थाई अध्यापक कार्यरत हैं उनको स्थाई करने का नोटिस निकाले जिससे कि उनका भविष्य सुधर सकें।

माननीय सभापति महोदय, आप फिर कहेंगे कि व्यक्तिगत आरोप मत लगाओ, पर मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेण्ट लाइब्रेरी साइंस है और वहां एक व्याख्याता है श्री बी. एस. गर्ग। वह वहां की छात्राओं को ब्लैकमेलिंग करते हैं और उनको शारीरिक शोषण के लिए मजबूर करते हैं। छात्राओं ने जो एफिडेविट दिया है उसको पढ़कर मैं सुनना चाहूंगा। तीन छात्राओं के मेरे पास एफिडेविट हैं, यह मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। कोर्ट में एफिडेविट दिया है...

"हम पूर्णिमा वर्मा आयु 26 वर्ष एवं मीनू वर्मा आयु 22 वर्ष, सुपुत्रियां श्री एन. एन. वर्मा, निवासी आर. के. पुरम, नई दिल्ली। यह शपथपूर्वक बयान करते हैं कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग में बी. लिब की छात्राएं हैं और वर्तमान में कस्तूरबा होस्टल में रह रही हैं। हमें सूचीकरण सैद्धान्तिक व प्रायोगिक विषय डाक्टर बी. एस. गर्ग पढ़ाते हैं। हम दोनों बहिनों को डाक्टर बी. एस. गर्ग कई तरह से मानसिक रूप से परेशान करते हैं"। (व्यवधान) अभी तो सुनिये, अभी तो और नहीं बताया मैंने। "डाक्टर बी. एस. गर्ग ने कई बार हम दोनों बहिनों को अलग-अलग कर अपने निवास स्थान पर आने के लिए कहा। चूंकि डाक्टर बी. एस. गर्ग की व्यक्तिगत ख्याति पूरे विश्वविद्यालय में और खास करके छात्राओं में अच्छी नहीं है एवं वह तलाकशुदा है, अतः हम उनके निवास स्थान पर नहीं गई।

"यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डॉक्टर गर्ग ने पूर्व में भी एक छात्रा को अपने घर बुलाकर उससे बदतमीजी की थी। डॉक्टर बी. एस. गर्ग के कहने के बाद जब हम उनके घर नहीं गई तो डॉक्टर गर्ग ने हमें खुल्ले रूप से धमकियां देना शुरू किया कि तुम दोनों बहिनों को देख लूंगा। पेपर मैं ही बनाता हूँ और कापियां भी मेरे पास ही आती हैं। हमने अपने साथ हुए पूरे प्रकरण की जानकारी राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्ति जांच अधिकारी श्रीमती सक्सेना को दी उनके

(श्री कालीचरण सराफ)

द्वारा समय, दिनांक 7-4-1989 को प्रातः काल 8 बजे दी और उनसे प्रार्थना की कि हमारे व अन्य छात्राओं के भविष्य को देखते हुए आवश्यक कठोर कार्यवाही करने के साथ-साथ हमारे द्वारा की गई शिकायत को अति गोपनीय रखा जाय । यह शपथ पत्र हम अपने भविष्य को प्रभावित होता देखकर इसलिए लिख रही हैं ताकि वक्त बेवक्त काम आये । यह शपथ पत्र हम अपने भविष्य को प्रभावित होता देखकर राष्ट्रीय समाचार पत्रों को दे रही हैं ताकि समय पर वह उसका प्रयोग कर सकें । यह शपथ पत्र हम अपनी मानसिक सन्तुलित स्थिति में अपनी इच्छा से लिख रही हैं ।" यह एक छात्रा ने लिखा है । दूसरा शपथ पत्र "मैं कुमारी किरण गुप्ता, पुत्री आर. एम. गुप्ता, आयु 21 वर्ष, निवास स्थान चूरू, हॉल निवासी कस्तूरबा छात्रावास, राजस्थान विश्वविद्यालय, शपथ पूर्वक यह बयान करती हूँ कि मैं एम. लिब साइंस की छात्राओं के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ" । (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री कालीचरण सराफ : "मुझे छठे पेपर के अन्तर्गत प्रोजेक्ट लिखने हेतु डा. बी. एस. गर्ग के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं । मैं इस संदर्भ में श्री बी. एस. गर्ग का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये समय-समय पर उनसे मिलती रही, किन्तु वे हर समय मुझे कोई न कोई बहाना करके टालते रहे और उन्होंने मुझसे कई मर्तबा यह कहा कि विभाग में कोई न कोई आता रहता है, अतः मैं आपको यहां पूर्णरूप से समझा नहीं सकता । आप कभी समय निकाल करके और मुझे पूर्व में सूचित करके घर पर मिलें ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट आसानी से पूर्ण करा सकूं ।" प्रोजेक्ट पूरा करवाने के लिये घर पर बुलाया है उन्होंने ।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति जी, शिक्षा मन्त्री जी सुन रहे हैं क्या इसको ? शिक्षा मन्त्री जी सुन रहे हैं?

श्री सभापति : सुन रहे हैं । शिक्षा मन्त्री जी, जरा सुनिये ।

श्री शोपत सिंह : शिक्षा मन्त्री जी, आपने यह किस्सा सुना ? बी. एस, गर्ग चांद हैं, इनको सिर पर बिठाओ ।

श्री दामोदर दास आचार्य (शिक्षा मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं जवाब अपने आप दे दूंगा, आप सुनना चाहेंगे मुझे ।

श्री कालीचरण सराफ : और क्या लिखा है "एक बार मेरे हाल निवास कस्तूरबा छात्रावास में वे आये और मुझे कहा कि मैं घर जा रहा हूं तुम घर चलो, मैं वहां तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में समझाकर वापस छात्रावास छोड़ दूंगा । मैं चूंकि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिये चिंतित थी, अतः मैं स्कूटर पर श्री बी. एस. गर्ग के घर उनके साथ जवाहर नगर गयी । वहां पर जाने के बाद उन्होंने मुझसे बदतमीजी की और मुझसे इस तरह की इच्छा प्रकट की, जो कि मैं कभी भी पूरी नहीं कर सकती थी । तत्पचात् मुझसे श्री बी. एस. गर्ग ने जोर-जबर्दस्ती का प्रयास किया तथा इस तरह की गन्दी हरकतें करने की

(श्री कालीचरण सराफ)

कोशिश की जिससे मैं वहां से तुरन्त भाग कर अपने छात्रावास पहुंची । श्री बी. एस. गर्ग ने विभाग में घटना के दूसरे दिन तथा कई बार मुझे बुलाकर किसी से उस घटना का जिक्र नहीं करने के लिये कहा और कहा कि अगर तुम्हें परीक्षा उर्त्तीण करनी है, तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करो नहीं तो देखता हूं, तुम कैसे परीक्षा में पास होती हो । मैं तुम्हें बदनाम करने के साथ-साथ कहीं का नहीं छोडूंगा" । यानि इस प्रकार से दूसरा एफीडेविट ।

इसके लिये वाइस चांसलर महोदय ने एक जांच कमेटी भी बनाई श्रीमती वाई. एन. सक्सेना की । उसकी रिपोर्ट भी आ गयी और उस रिपोर्ट में इन बी. एस. गर्ग साहब को दोषी भी ठहराया । परन्तु क्या पता, किसके इशारे पर और क्यों उस रिपोर्ट को दबा दिया गया और इस प्रकार से छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण की कोशिश करने वाले बी. एस. गर्ग वहीं लाइब्रेरी साइंस में आज भी कार्यरत है । मैं कहना चाहूँगा शिक्षा मन्त्री जी से कि आप नैतिकता और आदर्शवाद की बड़ी बात करते हैं, यदि आपमें थोड़ी भी लज्जा है, थोड़ा शर्म है, तो आप जवाब में इस प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, इसके बारे में सदन को अवगत करवायें,

श्री शोपत सिंह : इसके पूर्व में भी क्या कार्यवाही की है, आप यह भी बतायें ।

श्री डूंगरराम पंवार : इस तरह के गर्ग ही बेड़ा पार करेंगे शिक्षा का ।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री कालीचरण सराफ : अब मैं जयपुर की दो तीन बातें कहना चाहूंगा । मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में कोई नया महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा नहीं की । जयपुर शहर में 1964 के बाद एक भी सरकारी महाविद्यालय, या विश्व विद्यालय सम्बन्धित महाविद्यालय नहीं बना । उस समय यहां की जनसंख्या तीन लाख थी, आज यहां की जनसंख्या हो गयी है 20 लाख । कई कालोनियां दस किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई हैं, जैसे मालवीय नगर । कई कालोनियां 15 किलोमीटर दूर हैं, जैसे मानसरोवर । मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की यह कालोनियां निर्मित हो रही हैं, मालवीय-नगर, विद्याधर नगर, मानसरोवर, इन दूर की कालोनीज में गर्ल्स कालेज और बॉयज कालेज निश्चित रूप से सरकार को खोले जाने की घोषणा करनी चाहिये ।

एक बात और मैं कहना चाहूँगा । निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ । आज निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में बार-बार मांग करने के बावजूद, इनका विधेयक भी बना हुआ हैं, निजी शिक्षण संस्था विधेयक, परन्तु हर बार क्या पता क्या बात है, कोई निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों के दबाव में है सरकार या उनसे चन्दे के पैसे लेना चाहती है, वह विधेयक हर बार गोल हो जाता है और उसको लाने के प्रयास नहीं किये जाते । मैं यह चाहूंगा कि जिस प्रकार वहां कर्मचारियों का शोषण हो

(श्री कालीचरण सराफ)

रहा है, छः सौ रुपये के वाउचर पर साइन करवाये जाते हैं, दो सौ रुपये उसको दिये जाते हैं, धन्धा बना रखा है निजी शिक्षण संस्थाओं का। उनके बारे में भी राज्य सरकार या शिक्षा मन्त्री जी जब जवाब दें तो निश्चित रूप से बतायें।

एक बात मैं बोर्ड ऑफ सैकण्ड्री एज्यूकेशन के बारे में कहना चाहूँगा। माननीय डांगी साहब ने कहा है, आठ मई से वहां कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। सीनियर हायर सैकण्ड्री के विज्ञान संकाय के अलावा किसी भी सब्जेक्ट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और संभावना भी नहीं है। एक जुलाई से स्कूल खुल गये, परन्तु किसी का रिजल्ट नहीं आया है। पी. एम. टी., पी. ई. टी. और पी. ए. टी. की परीक्षाएं होंगी। किस प्रकार से होंगी, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उन कर्मचारियों से बातचीत की जाये और सौहार्दपूर्ण वातावरण में समस्याओं का समाधान करके इस प्रकार की स्थिति की जाये कि जो छः लाख छात्रों का भविष्य बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एंज्यूकेशन से जुड़ा हुआ है, उनके रिजल्ट्स निकाले जायें जिससे कि वह आगे की कक्षा में प्रवेश कर सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामदेव... (अनुपस्थित) माननीय श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, कला और संस्कृति पर चर्चा हो रही है मैं अपने विचार संक्षेप में शिक्षा और शिक्षा नीति के बारे में रखूंगा। बहुत सी बातें शिक्षा नीति के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने यहां कहीं। मूलतः मेरी ऐसी मान्यता है कि शिक्षा जगत के अन्दर अगर मैं यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि इसमें ज्यादा जिम्मेदारी शिक्षा नीति को बिगाड़ने और दुलमुल करने में राजनीतिज्ञों की रही है। हमने कभी यह नहीं सोचा है कि शिक्षा को राजनीति से अलग रखा जाये। आप, हम यह सोचते नहीं हैं।

हमारे पहले केन्द्र के शिक्षा मन्त्री मौलाना आजाद साहब ने कई बार शिक्षा नीति के उपर स्पष्ट तौर से कहा भी कि शिक्षा को राजनीति से अलग रखा जाये। हम सब यहां शिक्षा नीति पर चर्चा करते हैं, और अपने आप को शिक्षा जगत में सबसे उच्च कोटि का मानते हैं। यदि हम हमारी शिक्षा नीति और इसको लागू करने के लिये शिक्षाविदों पर छोड़ दें, पालिसी आप बनाइये सरकार से कि उसकी नीति क्या हो, और इम्प्लीमेंटेशन अगर शिक्षाविदों के ऊपर छोड़ दें, तो मैं समझता हूँ कि आज काफी जो शिक्षा जगत में कमियां हैं, और जिसका कुप्रभाव बच्चों पर होता है जो पढ़ कर बाहर निकलते हैं, उन सब के उपर भी रोक लगेगी। आज बुनियादी शिक्षा जगत के अन्दर राजनीति घुस गयी है। आज हम सब लोग उसके अन्दर लिप्त हैं। अध्यापकों के ट्रांसफर की राजनीति में चाहे इधर बैठने वाले हों, या उधर बैठने वाले हों, हम सब शामिल हैं।

यह भी एक रोग लग गया है कि जो टीचर्स हैं यह अपना काम न करके राजनीति करने लग गये हैं। उनको जो काम हैं उस काम को तो वह भूल जाते हैं

(श्री दिग्विजय सिंह)

और बड़े-बड़े राजनेताओं को पकड़ लेते हैं और मठाधीश बन करके एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं। नई शिक्षा नीति जो हमारे प्रधान मन्त्री जी ने बुलायी है, उसमें कोई शक नहीं, उसको सही तरीके से लागू किया जाये तो ठीक है। इस शिक्षा नीति की जो बात मैंने देखी, वह नीति तो लागू कर दी पर नीति लागू करने के पहले कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिये कहीं भी इंस्टीट्यूट नहीं खोली, जहां पर उन टीचर्स को नई शिक्षा के योग्य बनाया जा सके। आज आपने नवोदय विद्यालय खोल दिये। टेन-प्लस-टू की भी घोषणा कर दी और कई जगह पर खुल गये। पर आज भी जहां पर असल में टेन-प्लस-टू खोले गये है, और जहां पर नवोदय विद्यालय खोले गये है, वहां पर अभी तक ट्रेण्ड टीचरों की इतनी कमी हो रही है कि वह शिक्षा जो इम्पार्ट करना चाहते हैं, वह इम्पार्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आपने जो घोषणा की या जो नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं उसके साथ-साथ इन टीचर्स को ट्रेण्ड करने के लिए इंस्टीट्यूशन्स खोलें और ट्रेण्ड टीचर ही आप भेजेंगे तो ज्यादा लाभदायक होगा।

सभापति महोदय, मैं यह और निवेदन करना चाहूँगा कि इस शिक्षा नीति के अंदर जब तक आप जो ओरिएन्टेड एज्यूकेशन नहीं देंगे, आप यह किताबों वाली प्रक्रिया चलाते रहेंगे तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सभापति महोदय, आप खुद मेरे ख्याल से सहमत होंगे कि आज हमारे देश में साढ़े तीन-चार करोड़ शिक्षित बेरोजगार है और हर साल लाखों की संख्या में एड होते जाते हैं। आखिर यह क्यों हैं? क्या हम इस प्रश्न पर नहीं सोचेंगे या हमको इस किताबी ज्ञान से ही उनको आगे चलाना है? जब तक आप जोब ओरिएन्टेड एज्यूकेशन नहीं देंगे, जोब ओरिएन्टेड स्कीम आप लागू नहीं करेंगे, बेरोजगारी की समस्या रहेगी और जो रोजगार योजना और कई प्रकार की आपने जो नई-नई योजनाएं निकाली हैं, वे सारी कागजों में रहेगी और भी जो शिक्षित बेरोजगार निकलते जा रहे हैं इनकी समस्या नहीं सुलझेगी।

मेरा एक सुझाव है। जैसे विदेशों में एज्यूकेशन का सिस्टम है उस पैटर्न का भी आप अध्ययन करें। आप अमेरिका को ले लीजिये। अमेरिका के अन्दर एज्यूकेशन सिस्टम को ऑटोनामी दी हुई है, वह आटोनोमस है, उनको गाइडेंस जरूर सरकार से मिलती है। उसका नतीजा यह है कि वहां के शिक्षा जगत के अन्दर एम्लाया-मेंट का जहां तक प्रश्न है, आज हर ग्रेज्यू-एट को, जब भी वह तकनीकी ग्रेज्यूएशन करके निकलता है, नौकरी मिलती हैं। यदि नौकरी नहीं मिलती हैं तो उसको अपना कोई न कोई जोब सीक करने के लिए, अपनी व्यवस्था जमाने के लिए मैदान तैयार रहता है। होना तो वही चाहिए कि आठवीं क्लास तक आप जो शिक्षा की ट्रेनिंग देना चाहें, आप जो ज्ञान देना चाहें साधारण शब्दों का, वह सब दें। आठवीं क्लास के बाद इस प्रकार की शिक्षा शुरू करिये कि बच्चे का डवलपमेंट देखें कि उसका एप्टीट्यूड किस साइड में है, कामर्स साइड में है, कारपेंटरी के लिए

(श्री दिग्विजय सिंह)

है, डॉक्टरी साइड में है, उसको उसीमें चैनेलाइज करिये और उसके बाद उस को उसमें लगा देंगे तो उसको अगर नौकरी नहीं भी देंगे तो आगे जब कभी भी वह ग्रेज्यूएशन करे या डॉक्टरी करेगा, जो भी करें, उसके बाद वह कम से कम अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम होगा। अन्यथा आपकी जो शिक्षा नीति है, मैं समझता हूं कि इसको जोब ओरिएन्टेशन के हिसाब से आप सफल नहीं बना पायेंगे।

सभापति महोदय, मैं दो-चार बातें प्राथमिक शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। आज पहली क्लास से लेकर तीसरी क्लास तक कोई एग्जाम नहीं होते। आप कहेंगे जनता शासन के टाइम में यह व्यवस्था कर दी कि कोई इम्तिहान नहीं होंगे। सभापति महोदय, उसका परिणाम क्या हुआ ? उसका परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षा के अन्दर जो टीचर हैं वे पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते। वे कहते हैं कि पहली से लेकर तीसरी तक तो बच्चा वैसे ही पास हो जायेगा तो मेरे को पढ़ाने की क्या जरूरत है ? उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है इसलिए कोई इवेल्यूएशन करने के लिए देयर शुड बी. एन. इवेल्यूएशन कमेटी। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इस प्रकार की कमेटी बनायें कि वह इसका इवेल्यूएशन करे कि आखिर हैं क्या? नहीं तो कोई इनको ज्ञान नहीं हो रहा है, आज हमारी प्राथमिक शिक्षा गर्त में जा रही है, क्योंकि उसका इवेल्यूएशन तरीके से नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्राइमरी एज्यूकेशन की कोई इवेल्यूएशन कमेटी, कोई बोर्ड इस प्रकार का गठित करें ताकि उस लेवल के ऊपर ही आपकी डिफिकल्टी को चैक किया जा सके। अन्यथा आगे जाकर बच्चा परेशान होता है और शिक्षक भी परेशान होते हैं और यह सारा सिस्टम कन्फ्यूज हो जाता है, उसका भी एक ही परिणाम हैं। सभापति महोदय, एक-दो बात पब्लिक स्कूल्स के सम्बन्ध में बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कही और अपने विचार व्यक्त किये, मैं भी उनके ही विचार रखता हूं। पब्लिक स्कूलों के संबंध में उन्होंने कहा कि कंसेप्ट गलत है मेरी यह मान्यता है कि आप यह कहें कि सारे पब्लिक स्कूल बन्द कर दिये जाएं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स...

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो अपनी जनता दल की पालिसी में था।

श्री सी. पी. जोशी : जनता दल के सचेतक यह बोलें, वैरी गुड।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना है कि पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जनता दल और कांग्रेस, दोनों के अध्यक्ष ही पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए हैं

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा निवेदन है कि यह बात कहना कि पब्लिक स्कूल के अन्दर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वे बड़े घराने के या पूंजीपतियों के या आई. ए. एस. के

(श्री दिग्विजय सिंह)

या नेताओं के ही पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से अगर किसी को सही जगह पर शिक्षा प्राप्त करनी है और वे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं तो उसके पीछे उनके पास कुछ न कुछ लाजिक है। मैं मानता हूं कि जो सरकारी स्कूल हैं अगर वे ठीक चलें और उनमें डिसिप्लीन हो तो निश्चित रूप से पब्लिक स्कूल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज पब्लिक स्कूल्स के रिजल्ट देख लीजिए और बोर्ड के अन्दर....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज ऐसे स्कूल्स है जो पहली क्लास में बीस-बीस, चालीस हजार के डोनेशन ले रहे हैं...

श्री दिग्विजय सिंह : एक स्कूल खराब होने का मतलब यह थोड़े ही है कि सारे स्कूल खराब हैं। हमारी अगर एक अंगुली गलती कर रही है तो सारी अंगुली काट दें मैं इसको स्वीकार नहीं करता। सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि पब्लिक स्कूल्स की आप मान लें कि इसका कण्डेमनेशन करें पर उसके पीछे आपका रेशनल होना चाहिए। आप रिजल्ट की तुलना कर लें, गवर्नटमें स्कूल्स के सैकण्ड्री, हायर सैकण्ड्री के लास्ट फाइव ईयर्स के रिजल्ट देख लें, आपको खुद को इस बात का ज्ञान हो जायेगा। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज की स्थिति के अन्दर पब्लिक स्कूल्स का रहना ठीक है या उनको समाप्त किया जाय। क्योंकि यह विजय दूसरा हैं जिसका कि विवाद अलग से हो सकता है। मेरा निवेदन करना यह है कि हमें पब्लिक स्कूल को बन्द करना है तो निश्चित रूप से हमें हमारी स्कूलों का स्तर अच्छा करना होगा तभी जाकर हम वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इनको समाप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं कला और संस्कृति में अपने विचार थोड़े से शब्दों में रखूंगा। अभी माननीय मोहन छंगाणी जी ने कला और संस्कृति के सम्बन्ध में बात कही। उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना है कि हम एक तरफ तो यह बात करते हैं कि हमारे देश में और खासतौर से राजस्थान में कला और संस्कृति की इतनी धरोहर है कि इसको अगर प्रिजर्व करके रखी जाय और इसके ऊपर सही तरीके से ध्यान दिया जाय तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुमूल्य धरोहर है। पर आज हो क्या रहा है? सभापति महोदय, सरकार का जो डाइरेक्टर आफ आर्कियोलोजी डिपार्टमेंट है उनके पास फण्ड इतने कम है, इतने फिगर हैं कि आपकी पुरातत्व विभाग की कला की जितनी वस्तुएं हैं उनका पूरे रूप में संधारण और देखरेख नहीं कर पाते। उनकी सुरक्षा तो दूर है। आज लाखों और करोड़ों रूपये की मूर्तियां इकलेरा-झालावाड़ एरिया के अन्दर हैं, ज्वालाप्रसाद जी इस बात को स्वीकार करेंगे। बहुमूल्य मूर्तियां वहां पर मन्दिरों में नीचे खण्डहरों में पड़ी हुई थीं। मैं वहां पर थोड़े दिन पहले गया था। वहां की मूर्तियां सब यहां से बाहर जा रही हैं, कोई रोक-टोक करने वाला नहीं हैं। कला और संस्कृति के सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना है कि...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अपने आप बज रही है या बजा रहे हैं?

श्री सभापति : खराब हो गई हैं।

श्री शोपतसिंह : ये उसको छेड़ रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ और मुझे बड़े ही आश्चर्य और दुःख के साथ निवेदन करना है कि अभी कला और संस्कृति के सम्बन्ध में नाहरगढ़ के किले के ऊपर चर्चा आई और नाहरगढ़ के किले को किसी प्राइवेट होटेलियर को दे दिया गया, ओबेराय को। आश्चर्य की बात है। हमारे यहां दो सूचियां हैं। एक तो राजस्थान ऑर्कियोलाजिकल डिपार्टमेंट के मानुमेंट्स की सूची और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के ऑर्कियोलाजिकल डिपार्टमेंट की सूची अलग है।

जब एनसियेंट मोन्युमेंट के अन्दर यह डिक्लेयर्ड है तो जब तक वहां से इजाजत नहीं आती है, किस प्रकार राज्य सरकार ने उस होटल की अनुमति दे दी ओबेराय को ? यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसके पीछे जो मेरे को जानकारी है एक संस्था है, इंटेक इसका पूरा नाम है Indian National Trust for Art and Heritage. जिसके प्रधान प्रधानमन्त्री स्वयं हैं और राज्यों के अन्दर भी इसकी ब्रांचें हैं। बम्बई में है, भोपाल में है, अहमदाबाद में है, यहां पर भी है। इसमें दस ग्यारह सदस्य हैं। सदस्यों की सूची देखेंगे, सभापति महोदय, तो आप आश्चर्य करेंगे, वह लोग हैं जिनको आर्ट कल्चर और हेरिटेज का ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है। और आप यह ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, कि इसके अन्दर डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलाजी का कोई अधिकार नहीं है, इसमें एज्यूकेशन डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं है, टयूरिज्म का कोई आदमी नहीं है। प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन के आदमी हैं। यह इनको सूची है- एम. सी. मेहता, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, के. एस. उज्जवल, रिटायर्ड है, कोमल कोठ्यारी, मुकन्द लट्ठ, जोनसिंह, अशोक दास, नारायण सिन्हा, विजयदान देथा, मन्जू भारती, प्रेरणा श्रीमाली, शैली चौथल, और अशोक वाजपेयी-ये बाहर के हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : एनीमल हसबैण्ड्री का कोई आदमी नहीं ?

श्री दिग्विजय सिंह : उसको तो छोड़िये, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई नाम इसमें नहीं। सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह गम्भीर मामला है। यह सारी जितनी पुरानी पुरातत्व की धरोहर है, कला है, किले हैं, हवेलियां हैं, यह इनटेक लेना चाहती है और इस इनटेक ने सरकार को एक एप्लीकेशन दी हैं कि हम को आप रजिस्टर्ड कर दीजिये और रजिस्टर करने के बाद हम इन किलों और वस्तुओं को हमारे नीचे रख लें...

श्री शोपत सिंह : सारे इस देश को डूबो रहे हैं तो यह कैसे बचे रह जायेंगे ?

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच करायेंगे और कम से कम इस बात को देखेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि इन संस्थाओं के मार्फत हमारी जो पुरानी धरोहर है, जो बहुमूल्य संस्कृति की वस्तुएं हैं, वह निजी लोग न ले लें और

(श्री दिग्विजय सिंह)

एक दिन आये कि सरकार को उनसे हाथ धोना पड़े। पैसे खाने की बात है वह कहते है कि वह तो आज परम्परा है। सभापति महोदय, एक निवेदन करने जा रहा हूँ, जवाहर कला केन्द्र का यहां पर निर्माण किया जा रहा है। जवाहर कला केन्द्र का कुल प्रोजेक्ट 3 करोड़ 60 लाख है और आप आश्चर्य करेंगे, सभापति महोदय, इसके निर्माण के लिए पहले फेज में 40 लाख रूपया दिया गया उसको जिसका अभी नाम उल्लेख किया था, चार्ल्स कोरिया को, उन्होंने इस भवन निर्माण करने के लिए कोई टेण्डर इनवाइट नहीं किया, कोई प्रोसिजर फालो नहीं किया गया। तो यह सारी अनियमितताए एक आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने किस प्रकार से अलाऊ की? सरकार के इसमें 3 करोड़ 60 लाख रूपये इन्वाल्व होंगे और सारी पूंजी एक व्यक्ति को दे दी विदाउट इनवाइटिंग टेण्डर तो यह एक गम्भीर अनियमितता है। मेरा इस सम्बन्ध में यह आपसे निवेदन है कि आप....

श्री यदुनाथ सिंह : चार्ल्स कोरिया को छेड़ना मत +++ कहीं गलती से नोट कर लिया है +++

श्री दिग्विजय सिंह : यह यदुनाथ सिंह जी पहले आपको आगाह कर दिया। होशियार ही रहना आप, चाहते हुए भी नहीं कर सकेंगे। +++

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रधानमंत्री मकान भी बनाने लग गये क्या?

श्री शोपतसिंह : साउथ कोरिया है या नार्थ कोरिया है?

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं अधिक न कहते हुए एक बात और निवेदन करूंगा कि नायला फोर्ट के सम्बन्ध में भी आपको जानकारी होगी। नायला फोर्ट भी एनशियेंट मोन्युमेंट डिक्लेयर्ड है। वह भी ओबेराय ने खरीदा है और उस पर रोक भी लगायी, और रोक लगाने के बाद एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी पर रोक लगाने के बाद भी वह निर्माण कर रहा है।

श्री कालीचरण सराफ : मुकदमा वापस ले लिया है।

श्री दिग्विजय सिंह : यह भी आप नोट कर लें। जवाब में बतायें कि वापस क्यों लिया एनशियेंट मोन्युमेंट डिक्लेयर्ड है तथा आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी तो फिर क्या कारण थे कि आपने इस केस को वापस लिया?

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करूंगा माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री महोदया से कि मैंने जो बातें आपसे कहीं हैं, दो, तीन बातें अपने उत्तर में जरूर बतायें। और यह जो कमेटी बनी है, यह ट्रस्ट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर ट्रस्ट बन गया तो लाइफ लोंग ट्रस्ट हो जायेगा और आपके गले की घण्टी हो जायेगी, और कलंक आपके ऊपर रह जायेगा।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दिग्विजय सिंह)

इसलिए आप ध्यान रखिये और उत्तर देते वक्त इन सब बातों का जवाब दें।

श्री सभापति : श्री शोपतसिंह।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : आपको याद आयी उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : आपका नाम तो हमेशा याद रहता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मोदी साहब का नम्बर आयेगा क्या ?

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, अन्धेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। जब ऐसा राज हो उसमें हम उनसे उम्मीद करें, और कोई यहां पर बात कहें, तो वह कोई ज्यादा असरदार नहीं होगी। जिस देश के अन्दर 40 करोड़ लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब होती हो, उस देश में या उस देश की विधान सभा में मैं यह कहूँ कि इस देश के गरीब के बच्चों को भी पढ़ाई मिलनी चाहिए, और गरीब दूसरी तरफ स्तुति कर रहे हैं, जब गरीब स्तुति कर रहा है और मैं उन गरीबों की बात करूं तो यह व्यवहारिक नहीं लगेगा। इसलिए मैं दो-तीन सवालों पर महदूद रहूँगा।

मैंने जो कट मोशन रखे हैं उनमें एक तो नयी शिक्षा नीति के बारे में दो चार बातें कहूँगा। मेरे यहां पर बहुत ही शानदार कालेज है जिसके रिजल्ट्स सबसे बढ़िया रहे हैं। अब तक 90 प्रतिशत, 95 प्रतिशत इससे कम कभी भी उस महाविद्यालय का रिजल्ट नहीं रहा। इसमें तीन हजार लड़के पढ़ते हैं। उसने राजस्थान के बहुत ही अच्छे प्लेयर हाकी, फुटबाल, बास्केट बाल के पैदा किये हैं। हर वर्ष यूनिवर्सिटी का कोई न कोई वहां पर खेल का आयोजन होता है। वहां के लोग उसका खर्चा बर्दास्त करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उस कालेज की हालत यह थी कुछ वर्ष पहले कि वह टूटने के कगार पर आ गया, हमारी नगर परिषद् ने 5 लाख रूपये दिये, उसको चालू करने के लिये कि किसी तरह से संकट हल हो जाय। वहां के व्यापारियों ने मेनेजमेण्ट कमेटी दूसरी बनायी, उसके काम नहीं चल रहा था। वह कमेटी बनी, उसने व्यापार मण्डल से दो लाख रूपया लिया और दूसरे इन्स्टीट्न्स से पैसा लेकर उस कालेज को चलाने के लिए हम जा रहे थे। अभी रीसेण्टली वहां की मेनेजमेंट कमेटी इस प्रयत्न में थी कि इस कालेज को चलाये, अच्छी बात है कि सरकार उस कालेज को ले ले, मुझे कुछ नहीं कहना।

एक शानदार इन्स्टीटयूशन है राजस्थान की, जिसने शानदार प्लेयर पैदा किये हैं, जिसने शानदार विद्यार्थी पैदा किये हैं। अगर उस इन्स्टीट्यूशन को शिक्षा विभाग ले ले तो मुझे खुशी होगी। मगर जो लोग उसको चला रहे हैं, मेनेजमेण्ट कमेटी उसको चला रही थी, वह मेनेजमेण्ट कमेटी मेरी नहीं है, माननीय आचार्यजी को पता होगा कि वह कांग्रेस के लोगों की है। मगर वह कॉलेज हमारा है। कमेटी कांग्रेस की हो सकती है, वह बच्चे हमारे हैं। इसलिए मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि राजस्थान की एक शानदार इन्स्टीट्यूशन की कमेटी जिसको अब आपने

(श्री शोपत सिंह)

डिजाल्व कर दिया है वहां पर एक एस. डी. एम. को लगा दिया है, क्या मैं पूछ सकता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि उस एस. डी. एम. को, जो आलरेडी हनुमानगढ़ का एस. डी. एम. है, जिस पर इतना बरडन है, उसको बाढ़ से निपटना है, उसको दूसरे कामों से निपटना है, कुछ इलाका मेरा इस तरह का है कि प्राब्लम बहुत ज्यादा हैं। उस एस. डी. एम. को वहां पर लगाकर आप किस तरह से कॉलेज को चलाना चाहते हैं ? आप शिक्षा की बात छोड़ें, आप कितने बच्चों को शिक्षा देंगे, वह तो गयी। जो लोग चला रहे हैं शिक्षा संस्थान उसको ऐड नहीं बढ़ायेंगे। ऐड तो शीशरामजी जिसके अध्यक्ष हैं उसकी बढ़ायेंगे। हमारे पास कोई मंत्री थोड़े ही हैं, इसलिए हमारे कॉलेज की ऐड नहीं बढ़ायेंगे। उसका रिजल्ट शानदार है, भवन बहुत बढ़िया है, लाखों रुपया लोगों ने लगाया, कण्ट्रीब्यूशन किया है। वहां कोई करोड़पति सेठ नहीं है, वहां के लोगों ने कण्ट्रीब्यूशन दिया है, वहां की नगर परिषद ने पैसा लगाया है। आज उस कॉलेज को बरबाद करने की बात है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहां पर लड़कियों का एक महाविद्यालय है, सरस्वती महाविद्यालय। हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन की आबादी करीब 70 हजार है। वहां के लोगों ने प्रयत्न किया, कोशिश की। आप हमको एक तरीका बता दो कि उस तरीके को हम एडाप्ट कर लें, कौन सा फार्मूला ऐसा है जिससे आप हमको ऐड दे सकें। किसको खुश करें, शिक्षा मंत्रीजी आपको खुश करें, अधिकारी को खुश करें, कौन सा तरीका है ? पैसे टके की बात हो तो हम कर लेते हैं, क्योंकि अब तो इजाजत है ना, खाने की इजाजत है, माननीय सभापति महोदय, सदन में भी रोक लेते हैं कि आरोप मत लगाओ। तो बता दीजिए कैसे मिलेगी ? हमारे वहां का कॉलेज कैसे बच सकता है ? तीन हजार लड़के हैं, वे न आपकी बात सुनेंगे और न मेरी बात सुनेंगे। रेलगाड़ी पास से गुजरती है, वह सारे दंगे करेंगे, हमने उनको रोक रखा है, अभी हमारे पास आये कि हम क्या करें, किस तरह हमारी शिक्षा चालू रहे, आप क्या करना चाहते हैं। वहां के लोग चलाते हैं उस तरह की इन्स्टीट्यूशन को, उसको आप बचायेंगे। मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मोदीजी आप बैठें।

श्री शोपत सिंह : मैं कह सकता हूं आप हमारे मंत्री हैं, आप बहुत ही अच्छे शिक्षाविद् हैं। हमारे दोनों कॉलेजों को, एक सरस्वती कन्या महाविद्यालय को ऐड दें और इस नेहरू महाविद्यालय को बचायेंगे, किसी तरह भी। अगर एस. डी. एम. चला सकता है तो वैल एण्ड गुड। आपके अधिकारी यहां से हुक्म भेज देते हैं कि एस डी. एम. चलायेगा, इसके कॉन्सीक्वेंसेज क्या होंगे मालूम है, ऐसे कदम के कितने भयंकर कॉन्सीक्वेंसेज हो सकते हैं, कौन रोकेगा उसको। वहां के व्यापार मण्डल ने मुझे चिट्ठी भेजी है, मैं सुबह को आपको दूंगा। उन्होंने कहा कि हम एक लाख रुपया साल का दे रहे थे, भविष्य में नहीं देंगे। आप डायरेक्टर

(श्री शोपत सिंह)

साहब से लाइये या एज्यूकेशन डिपार्टमेण्ट से लीजिए, वह कॉलेज चलवायें। अब वहां के लोग नहीं चलायेंगे, इसमें पार्टीसिपेट नहीं करेंगे । उन्होंने 10 लाख रुपया इकट्ठा किया और अब तक चला रहे थे, वहां के कॉलेज प्रोफेसरों और सब प्रोफेसरों को हम जो गवर्नमेण्ट कॉलेज में तनख्वाह मिलती है वही तनख्वाह दे रहे हैं। तमाम शर्तें पूरी कर रहे हैं, कोई भी चोरी नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हमारे उस शानदार इन्स्टीट्यूशन को, हनुमानगढ़ का नहीं कहूँगा राजस्थान का शानदार इन्स्टीट्यूशन उसको सरकार बर्बाद करने का इरादा रखती है। मेहरबानी करके इन दोनों इन्स्टीट्यूशन्स को बचायें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं कह दूंगा यह तो...

श्री शोपत सिंह : यह जो नई शिक्षा नीति में, माननीय सभापति महोदय, आपके जो नवोदय विद्यालय खुले हैं, यहां कितना रुपया राजस्थान में खर्च कर रहे हैं। किसके बच्चे पढ़ेंगे ? किसी गरीब का बच्चा पढ़ेगा इसमें, नहीं पढ़ेगा पांचवी के बाद में छठी में आप टेस्ट लेते हैं। आप किसी पहलवान के हाथ बांधकर कहें कि आप कुश्ती करो तो यह कैसे सम्भव है। उन गरीब लोगों के बच्चों को, जो सैन्ट जेवियर में पढ़ते हैं आपके बच्चे जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उनके मुकाबले में आयेंगे क्या ? आज धनी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। आप गांव की बात मत कीजिए। मुझे मालूम है गांव के बच्चे पिलानी में पढ़ते हैं गांव के बच्चों को उन्हीं के बच्चों को मिलेगा जिनके पास पैसा है। आज धनी किसान पैदा हो गया। आज 10 आदमी 15 आदमी धनी किसान के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आदिवासी के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आपने कोटा फिक्स कर दिया जिस तरह से सर्विसेज में कोटा फिक्स कर रखा है। उतना ही कोटा आपने तय किया है। आपने तो बहुत बड़ी छुट्टी दे दी न चौधरियों को उन बड़े-बड़े सेठों को, उन बड़े-बड़े अधिकारियों को जिनके बच्चे यहां पर सैन्ट जेवियर में पढ़ रहे थे वो अभी वहां पर नहीं पढ़ेंगे अब आपके नवोदय विद्यालय में जायेंगे सारे के सारे। आप तो बड़े रहम दिल हैं आप तो आपने सबको, सारा खर्चा आप देंगे उनके बच्चों का, राजीव गांधी की सरकार देगी, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। यह ऐसा कहीं किसी देश में, दुनिया में ऐसी कहीं कोई व्यवस्था हुई है....

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल गलत कह रहे हो आप, यह बात इसलिए कह रहा हूं मैं। जो बात आप गलत बोलते हैं उसका विरोध करूंगा मैं....

श्री सभापति : आप शान्त बैठिये।

श्री शोपत सिंह : आप इनको रोकिये, माननीय सभापति महोदय, तो मेरे कहने का मतलब है खैर यह तो मैं बता देता कोई बात नहीं आप मेरी बात से कितने सहमत होते हैं, कितने नहीं होते हैं। मैं निश्चित रूप से नवोदय स्कूल...

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं आपको

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

बताता हूँ 80 में से 5 लड़के लेते हैं शहरों के और बाकी सब गांव के लेते हैं। उनका अलग से कोटा है और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का अलग कोटा है। यह गलत कहते हैं,...

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, खैर, यह तो अच्छी बात है अगर जो राजीव गांधी के कन्सैप्ट यही है कि नवोदय विद्यालयों में 80-80 लड़कों को लेकर सारे देश के अन्दर यह अरबों, करोड़ों-करोड़ों जो विद्यार्थी, गरीबों के बच्चे जो पढ़ते हैं उनको इससे नई शिक्षा नीति से विकास हो जायेगा तो बहुत अच्छी बात है। हमको तो इसमें कुछ नहीं कहना मगर तजुर्बा यह है कि वहां पर उन्हीं लोगों के बच्चे जायेंगे जिनके पहले सैन्ट जेवियर में पढ़ते थे और, माननीय सभापति महोदय, मैं इसके बाद होस्टलस के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। होस्टल्स के बारे में आपने गांव में, गांव का बच्चा कहां पढ़ेगा ? नवोदय की बात मान लेता हूँ कि गांव का बच्चा पढ़ेगा मगर वो तो बहुत ही लिमिट संख्या होगी। वह तो सैकड़ों में होगी, हजारों में नहीं होगी आपके नवोदय की शिक्षा तो मगर बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी है, आप कॉलेज खोल देते हैं, होस्टल की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो गांव का विद्यार्थी कहां रहेगा किसके यहां पर जायेगा ?

किसी भी छात्र को किसी भी घर में जगह नहीं मिलती किराये के लिए सबसे पहले यह पूछते हैं कि आप विद्यार्थी हो तो हम कोई जगह नहीं देंगे आपको। वह कहां रहता है हमारा गांव का विद्यार्थी कहां जायेगा ? कैसे पढ़ेगा ? आप जो यह लूली, लंगड़ी जो व्यवस्था है आपकी कम से कम मेहरबानी कीजिए आप कहीं भी कॉलेज खोलते हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए होस्टल की व्यवस्था कर दें। और किसी गांव वालों ने कर ली, सीकर जैसी जगह में अगर गांव वालों ने अपना होस्टल बना दिया तो आपने वहां पर पुलिस बिठा रखी है, आपने वहां पर पुलिस बिठा रखी है। यह हंसने की बात नहीं है माननीय सभापति महोदय, सीकर के अन्दर दो साल से आपकी पुलिस गयी हमारे कॉलेज में, हमारे उस छात्रावास को नाइन्थ क्लास के ऐट्थ क्लास के बच्चों को गोली मारी। उसमें एक नाइन्थ क्लास का बच्चा मर गया आपने उस होस्टल को त्रिलोक सिंह को नहीं दिया, उस होस्टल का इन्चार्ज त्रिलोक सिंह को बरदाश्त नहीं कर सकते शीशराम ओला को तो बरदाश्त कर सकते हैं आप कि वह अध्यक्ष रहेगा। वहां अर्णविता नहीं सारी की सारी ऐड लेगा। वहां पर जो लड़कियों का स्कूल बनायेगा सुबह कह रहे थे जब सुमित्रा जी ने पूछा तो शीशराम जी कह रहे थे वहां पर बच्चियां पढ़ती हैं तो आप सोचते हैं बाकी स्कूलों में क्या पत्थर मारते हैं क्या ? अर्णविता में पढ़े वह तो लड़कियां और बाकी सारे प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में जो भी ऐडेड स्कूल हैं या दूसरी हैं या छात्रावास है वहां पर तो ऐड भी नहीं देते हमने पढ़ाया, आपकी पुलिस वहां पर कैसे बैठी है ? कम से कम इस सवाल को आपको लेना चाहिए। सैंकड़ों छात्र ग्रामीण छात्र

(श्री शोपत सिंह)

रहते थे, बच्चे रहते थे आज वह दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं।

यह बात कह देना चाहता हूं कि आपकी तो उम्र छः महीने की बाकी है। उस होस्टल को छोड़ेंगे नहीं। आप अगर उस होस्टल को दे देते हैं, सौंप देते हैं विद्यार्थियों की व्यवस्था कीजिए। त्रिलोक सिंह ठीक नहीं है तो आप कलक्टर को जिम्मेवार ठहराइये आप और किसी को बनाइये। शिक्षा के उस मन्दिर में जहाँ पर विद्यार्थी रहते हों वहां पर आपकी पुलिस कैसे रहे? आर. ए. सी. कैसे रहे? और अगर आपने मेरी बात को गम्भीरता से नहीं लिया तो मैं शिक्षा मंत्री जी आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इसके नतीजे बहुत गम्भीर होंगे, अगर हमने वहां छात्रावास लड़कों के लिए बनाया है आपको त्रिलोक सिंह पसन्द नहीं है, मार्क्सवादी पार्टी का साथी कोई पसन्द नहीं है। 80 साल का वह आदमी जिसने सारी उम्र वहां गुजार दी, तपस्या की है, एक पैसा नहीं लिया किसी से उसी को अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं निकालिये। तमाम किताबें उन विद्यार्थियों की तमाम पुस्तकें, त्रिलोक सिंह की जीप, कामरेड त्रिलोक सिंह के पैसे जो भी होस्टल में पैसे थे, वह तमाम लूट कर ले गये हैं। आप आपका फर्ज बनता है उस छात्रावास को खुलवाइये, आर. ए. सी. निकाल दीजिए। आप नहीं निकालेंगे, आप कलक्टर को सौंप दीजिए और किसी को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दीजिए।

(रात्रि 8·00)

माननीय सभापति महोदय, आखिर में आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शिक्षा मंत्री जी।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : सभापति महोदय, पांच मिनिट...

श्री सभापति : कल आपको अवश्य अवसर दूंगा, आप कल बोल लें। श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (कला एवं संस्कृति मंत्री) : मैं बोल रही हूं पहले। मांग संख्या 24 के अन्तर्गत आज कई माननीय सदस्यों ने जो अपने सुझाव रखे हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ और जो कटौती प्रस्ताव आये हैं उनका मैं लिखित रूप में जवाब भिजवा दूंगी। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि जितनी कला और संस्कृति को अहमियत मिलनी चाहिए थी आज उतनी मिली नहीं कम्पेरेटिवली। (व्यवधान) आप तो बोले ही नहीं कला, संस्कृति के बारे में। अब आप क्या कह रहे हैं?

श्री शोपत सिंह : मेरी कोई संस्कृति नहीं है, बिल्कुल नहीं हैं।

श्रीमती बीना काक : आपको तो सबसे ज्यादा बोलना चाहिए था शोपत सिंह जी लेकिन मुझे उम्मीद यही थी कि आप नहीं बोलेंगे।

"संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशु कुछ विषाण हीना" कला और संस्कृति की दृष्टि से राजस्थान एक बहुत समृद्ध प्रदेश है। यहां की स्थापत्य कला, मूर्ति

(श्रीमती बीना काक)

कला, संगीत, नृत्य इत्यादि कई ऐसे अनमोल मोती बिखरे पड़े हैं जिन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए, संरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार सीमित साधनों में भी पूरी अपनी मेहनत से कार्य कर रही है। कला और संस्कृति विभाग के अन्तर्गत पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राज्य अभिलेखागार बीकानेर, अरबी और फारसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, टोंक संगीत संस्थान, ललित कला एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी और कत्थक केन्द्र इत्यादि कई इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं।

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर देश में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और देश विदेशों तक ख्याति प्राप्त कर चुका है। देश विदेशों से लोग वहां पर आकर शोध करते हैं और लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार अरबी और फारसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट के अन्दर भी कई ऐसे नायाब हस्तलिखित ग्रन्थ एवं अन्य बहुमूल्य सामग्री का संरक्षण किया गया है और वहां पर भी कई शोध कार्य होते रहते हैं। राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी के ही तहत कई हम कार्यक्रम करते हैं। जिसमें नृत्य, प्रदर्शन, नाट्य एवं कठपुतली शिविर, संगीत कार्यक्रम और उसी प्रकार ललित कला एकेडमी के अन्दर भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। वेस्ट जोन कल्चरल सेण्टर जो कि प्रधान मन्त्री जी, राजीव गांधी जी के आने के बाद बनाया गया और इतिहास में, मैं कहना चाहती हूँ कि पहली बार कला और संस्कृति को इतना प्रोत्साहन मिला। आज एक छोटे से छोटा कलाकार, एक गुलाबो को आप लीजिए जो कि एक कालबेलिया नृत्य किया करती थी पुष्कर के अन्दर। वहां से उस लड़की को लेकर आये और आज एक गुलाबो की तरह कई गुलाबो नृत्य कलाकार पैदा हो गयी हैं और वह देश विदेश के अन्दर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं और देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। उसी प्रकार हमारे लांगाज, मालनियाज कई कलाकार हैं जो कि हमारे देश की इज्जत है। कई कार्यक्रम वेस्ट ज़ोन कल्चरल सैण्टर भी आयोजित कर रहा है। जिस प्रकार मरु से सागर तक, परिचयमाला, कई कार्यक्रम करवाये गये हैं। इसी वर्ष 8 फरवरी को प्रधान मन्त्री जी ने उदयपुर में ही शिल्प ग्राम का भी उद्घाटन किया था। हमने कोशिश की है कि चारों राज्यों के गुजरात, महाराष्ट्र, गोआ और राजस्थान के कलाकारों को, शिल्पियों को, मूर्तिकारों को आकर के वहां पर उनको कहेंगे कि वह अपना प्रदर्शन करें और अपनी कला के जो छोटे बच्चे वहां शिविर के अन्दर आते हैं उनको सिखायें और प्रोत्साहित करें, हम कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

सुमित्रा जी, आप पहले सुन लीजिए। उसके बाद बोल लीजिए। जब आप बोल रही थीं तब हमारी तरफ से कोई नहीं बोला था। आपके सवाल बाद में मैं आमन्त्रित कर लूंगी।

हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इस केन्द्र के अन्दर वेस्ट जौन कल्चरल सेण्टर

(श्रीमती बीना काक)

में हम कलाकारों को रा-मेटेरियल उपलब्ध करायेंगे। हमारा जो आर्कियालाजी का डिपार्टमेंट है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी हवेलियां, भवनों को संरक्षित करें, अवाप्त करते हैं और अभी हाल ही में भीलवाड़ा स्थित बारेठ की हवेली को भी हमने अवाप्त किया है। हम कोशिश करेंगे कि उसको हम संरक्षित करें।

राज्य की सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण एवं विकास के लिए क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया है और जयपुर में जिसके लिये आज कई सदस्यों ने यहां पर चिन्ता व्यक्त की है, अपने सुझाव भी दिये हैं जवाहर कला केन्द्र के बारे में। जवाहर कला केन्द्र जयपुर में समूचे राजस्थान की आर्ट एण्ड कल्चरल को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है इसका उद्देश्य है कि राजस्थान की संस्कृति की धरोहर है, उसकी शास्त्रीय कलाओं, दृश्य एवं श्रव्य के रूप में जो उपलब्ध हैं उसे संरक्षित रखें, जन साधारण में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से एक बहु आयामी केन्द्र बनाया गया है। मैं मानती हूं कि इसकी आर्किटैक्चर में कुछ कमियां रह गयी हैं। पहले जो यह समिति बनाई जानी थी वह नहीं बनाई गई थी। हमने एक समिति का गठन किया है। जिसमें सभी क्षेत्रों के लोग चाहे वह थियेटर के हो, संगीत के हो, नाट्य साहित्य, फोक आर्ट इत्यादि की जानकारी रखने वाले जो लोग हैं उन्हें हमने इस समिति में सम्मिलित किया है। जैसा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि यह ट्रस्टीज बनना चाहते हैं। इन्हें ट्रस्टीज बना दिया जायेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यह समिति केवल इस केन्द्र के एम्स एण्ड आब्जेक्टिव्ज क्या होंगे, इस केन्द्र का कार्य क्या होगा इसका रख रखाव किस प्रकार से होगा, इसको जो हम कार्यक्रम देंगे उसको इम्पलीमेंट कैसे किया जायेगा and how it would be utilized. इस समिति का केवल यह कार्य है। बहुत अच्छे सुझाव इस कमेटी ने दिये हैं। उसकी रिपोर्ट मेरे पास आ गयी है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप जो कह रहे हैं कि इसके अन्दर आपने जो नये और शामिल किये हैं तो क्या आपने इसकी घोषणा कर दी क्या या अब करेंगे ?

श्रीमती बीना काक : घोषणा हुई है। आपके पास रिपोर्ट आ गयी है, आपके पास कागज आ गया है। इसका मतलब घोषणा है तभी आपके पास आ गई वरना नहीं आती।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने जो लिस्ट बनाई, उसमें तो नहीं हैं।

श्रीमती बीना काक : यह घोषित कमेटी है और आपके पास जो लिस्ट है वह बिल्कुल सही लिस्ट है। उसके अन्दर आपने जो नाम बताये हैं वह अपने-अपने क्षेत्र में माहिर हैं, कला के पारखी हैं, इसका मैं दावा कर सकती हूँ। मुझे एक सदस्य आप उठकर बता दीजिए कि यह सक्षम नहीं है अपने क्षेत्र में। मुकुन्द लाट की आप बात करते हैं, वह म्युजिक समझते हैं, प्रेमा श्रीमाली की अगर बात करते हैं तो वह कत्थक इतना अच्छा नृत्य करती हैं और हिन्दुस्तान के अन्दर अपना

(श्रीमती बीना काक)

नाम कमा रही हैं। विजयदान देथा साहित्य में अपना नाम कमा चुके हैं, कोमल कोठारी फोक आर्ट में अपना नाम कमा चुकी हैं। बाकी नाम न पूछें तो अच्छा है क्योंकि सबका नाम इसी तरह से जबाव दे दूंगी मैं।

श्री दिग्विजय सिंह : और कैलाशदान जी ?

श्रीमती बीना काक : वह जेनरल समझ लीजिए। यह केन्द्र एक एक्टिविटी ओरिएण्टेड केन्द्र हो, यह हमारा प्रयास होगा। माननीय छंगाणी जी ने कहा था कि इस केन्द्र के अन्दर म्यूजियम की जगह नहीं है, डाइरेक्टर के बैठने की जगह नहीं है। लेकिन हम अगर इस केन्द्र के अन्दर भी म्यूजियम बना देंगे तो जो हमारे बाकी म्यूजियम हैं उनका क्या होगा ? इस केन्द्र को हम ऐसा केन्द्र बनाना चाहते हैं जहां पर एक्टिविटीज को डुप्लीकेट न करें, जो एक्टिविटीज आॅलरेडी हम दूसरी जगह पर कर रहे हैं वह हम यहां नहीं करेंगे। अगर कोई वहां पर आर्ट की एग्जिबीशन लगाना चाहते हैं, परमानेण्ट वहां पर एग्जिबीशन नहीं होगी, टैम्परेरी एग्जिबिट होंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : 3 करोड़ 60 लाख का जो बना रहे हैं बगैर टेण्डर....

श्रीमती बीना काक : उतनी ही अच्छी बिल्डिंग बनेगी जितना इसमें पैसा लगेगा, यह मैं आप को बता सकती हूँ कांफिडेंस के साथ।

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो बनेगी पर 40 लाख में बगैर टेण्डर दिये जो बनने वाली है...

श्रीमती बीना काक : पी. डब्ल्यू. डी. कर रही है, गवर्नमेण्ट कर रही है उसका काम।

श्री दिग्विजय सिंह : पी. डब्ल्यू. डी. नहीं कर रही तभी तो कह रहा हूँ।

श्रीमती बीना काक : पी. डब्ल्यू. डी. ही कर रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : Are you sure ?

श्रीमती बीना काक : Yes, I am very sure.

श्री दिग्विजय सिंह : पी. डब्ल्यू. डी. कर रहा है, चार्ल्स कोरियर को नहीं दिया है ?

श्रीमती बीना काक : चार्ल्स कोरियर ने तो केवल डिजाइन किया है लेकिन उसका काम पी. डब्ल्यू. डी. कर रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : तो आप यह बताइये।

श्रीमती बीना काक : बाकी माननीय सदस्यों को भी जबाव देने दें क्योंकि उन्होंने भी चिन्ता जाहिर की है, उनको भी मैं सदन में जबाव देना चाहूंगी।

श्री कालीचरण सराफ : मंत्री महोदया, नायला दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहना है ?

श्रीमती बीना काक : चालू वित्त वर्ष में हमारा विभाग स्मारकों एवं प्राचीन स्थलों के संरक्षण एवं मरम्मत पर विशेष ध्यान देगा जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर नष्ट न हो। इस हेतु इस वर्ष 6 लाख की धनराशि प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न जिलों में प्राथमिकता के आधार पर 20 स्मारकों की मरम्मत का कार्य करवाया जायेगा। इसके साथ ही साथ पाली, आमेर और डूंगरपुर में नये संग्रहालयों की स्थापना की जायेगी संग्रहालयों हेतु विभाग के पास भवन व सामग्री उपलब्ध है। यह संग्रहालय इसी वर्ष जनता के लिए खोल दिये जायेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदया, इण्टरप्शन के लिए क्षमा चाहूँगी।

श्रीमती बीना काक : राज्य सरकार चित्रकला एवं नृत्य के क्षेत्र में...

सुश्री पुष्पा जैन : मैं आपसे मुखातिब हूं, बीनाजी।

श्रीमती बीना काक : आपने अपनी बात पहले कर दी थी, कृपया मुझे बोल लेने दीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : हां, हां, आप बोलिये, बरकरार बोलिये, बोलती रहिये। मैं तो आप से सिर्फ यह जानना चाहती हूँ, आप ने जो कहा...

श्रीमती बीना काक : मैं जब बोल लूं उसके बाद।

सुश्री पुष्पा जैन : पाली के कौन से संग्रहालय की बात कर रही हैं आप ? जो नेहरु नगर में है वह ?

श्रीमती बीना काक : आप पाली की विधायिका हैं आप इतना भी नहीं जानती कि कौन से संग्रहालय की बात कर रही हूँ ?

सुश्री पुष्पा जैन : इसलिये आप से जानना चाहती हूँ।

श्रीमती बीना काक : आपकी कान्स्टीट्युएंसी है वहां पर एक संग्रहालय बन रहा है।

सुश्री पुष्पा जैन : + + +

श्रीमती बीना काक : + + + आप ही की तरह रिएक्ट कर रही हूँ जैसे आप करती हैं। आप ही से सीख रही हूँ, जैसे आप बोल रही हैं उसी का रिफ्लेक्शन आ रहा है यह।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझसे मत सीखो, मंत्री हो, हटा देंगे वहां से।

श्रीमती बीना काक : रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है आपका।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, + + + जहां दो महिलायें मिलती हैं वहां ऐसा ही होता है।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे मत सिखाओ, राजस्थान को सिखाने की कला पैदा करो अपने आप में। मुझसे क्या सीख रही हो आप ?

श्रीमती बीना काक : जोर से बोलती

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती वीना काक)

हैं मुझे समझ में नहीं आता है, थोड़ा धीरे बोलिये ।

सुश्री पुष्पा जैन : आप राजस्थान की मंत्री हो, आप ऐसा प्रदर्शन करोगी तो मैं समझती हूँ कि मन्त्री होने के काबिल नहीं रहोगी ।

श्रीमती वीना काक : माननीय सदस्या, अगर आप धीरे बोलेंगी मुझे समझ में आयेगा ।

सुश्री पुष्पा जैन : आप को सुनाई तब देगा जब आप चुप रहेंगी । आप तो मेरे साथ-साथ बोल रही हैं जैसे नारे लगा रही हों, भारतीय जनता पार्टी जिन्दाबाद । मैं पूछ रही हूँ कि आपने पाली के जिस संग्रहालय की बात की है क्या वह वही है जो नेहरू नगर में बना हुआ है या कोई और है ?

श्रीमती वीना काक : क्षेत्र के उत्कृष्ट कलाकारों को अवार्ड्स देने की योजना...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब तो दीजिए ।

श्रीमती वीना काक : मैं अपना बोलने के बाद जवाब दूंगी ।

सुश्री पुष्पा जैन : क्या, बोलने के बाद ? फिर बोल क्या रही हैं ? यह तो आप बांट देना बाहर । जो सवाल हमने किये उनके जवाब तो आप दे नहीं रहीं, आप क्या कहना चाहती हैं ? यह भाषण सुनने नहीं आये हम । यह रटा-रटाया तोते की तरह, लिखा-लिखाया पढ़ना है तो अधिकारी भी दे देंगे या हम उनसे पूछ लेंगे । जो पूछा उसका जवाब दें नहीं, फिर आप कह रही हैं आप यू एक्ट कर रही हैं यू एक्ट कर रही है । क्या एक्ट कर रही हूँ ?

श्रीमती वीना काक : आपको क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा ।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आपको योग्य बनाना चाहती हूँ ।

श्रीमती वीना काक : अब आप बिराजिये ।

सुश्री पुष्पा जैन : आप पाली जिले को रिप्रजेण्ट करती हैं, + + + ।

श्रीमती वीना काक : बोल लीजिये फिर ।

श्री सभापति : मंत्री महोदया, बोलें । (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : दोनों महिलायें खड़ी हो गयीं, दोनों बैठ गयी । यह + + +

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, पाली का मसला है फिर मुझे भी बोलने दो ।

सुश्री पुष्पा जैन : माणकजी आप घर जाओगे तो मालूम पड़ेगा, यह बात कह तो रहे हो यहां पर ।

श्री प्रभुलाल : यह तो स्त्रियों की परम्परा है ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह उचित नहीं है।

श्री सभापति : मन्त्री महोदया, बोलें।

श्रीमती बीना काक : सुमित्राजी, बैठें अभी, इकबाल कौर भी इधर से खड़ी हो जायेंगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अपने आसन की व्यवस्था दें कि महिलाओं के बारे में जो बोला है इस तरह की कार्यवाही को आप....

श्री सभापति : क्या फर्माया आपने ?

श्रीमती बीना काक : इस वर्ष कला एवं संस्कृति विभाग स्वतन्त्रता सेनानियों के संस्मरण पर आधारित एक पुस्तक भी प्रकाशित करने जा रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : कला एवं संस्कृति विभाग कला एवं संस्कृति के विकास के लिए एक कला नगर भी बनाने जा रहा है। (व्यवधान)

श्री विजय सिंह : आप कण्ट्रोल करो, सभापति महोदय, आप भी इनको छूट दे रहे हो। सदन का समय खराब हो रहा है।

श्रीमती बीना काक : कुछ माननीय सदस्यों ने, सभापति महोदय, नाहरगढ़ की चिन्ता व्यक्त की कि नाहरगढ़ को ओबेराय ग्रुप को...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही हूँ।

श्रीमती बीना काक : ओबेराय ग्रुप को कला संस्कृति विभाग की तरह से दे दिया गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, बोलें। मन्त्री महोदया, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिराजिये। मैं यह निवेदन कर रही थी, माननीय सभापति महोदय, कि ब्यावर से आने वाले सदस्य ने कहा + + + कृपया इसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री सभापति : ऐसा नहीं होता है, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, निकाल दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने कहा है ऐसा।

श्री सभापति : हां, तो निकाल दीजिए, जहां दो महिलायें होती हैं बहुत अच्छा काम होता है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप निकाल क्या रहे हैं ? नहीं, किस आधार पर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं ? वैसे ही ?

+ + + अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : क्या फर्क पड़ता है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : यह क्या बात हुई कि उन्होंने कहा यह निकाल दें तो निकाल दें ?

श्री सभापति : + + + वह कह रही हैं कि कहा है। लड़ाई नहीं होती है अच्छा होता है।

श्री के. सी. विश्नोई : नहीं, सभापति महोदय, फिर आपको यह कहेंगो कि इन एम. एल. ए. को बाहर निकाल दो तो बाहर निकाल देंगे ?

श्री सभापति : नहीं, कभी नहीं निकालेंगे, आप बिराजो।

श्री के. सी. विश्नोई : नहीं, फिर आप कैसे किस आधार पर, किस पाइन्ट पर निकलवा रहे हो ?

श्री सभापति : एक सदस्य ने कहा कि + + + मैंने कहा ऐसा नहीं होता है।

श्री के. सी. विश्नोई : यह नहीं कहा, + + + नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल : यह तो व्यावहारिक बात है, महिलायें पानी लेने जाती हैं सिर पर मटका रख कर, तो खाली बात करती रहती हैं।

श्री विजय सिंह : सभापति महोदय, व्यवस्था दो।

श्री सभापति : व्यवस्था दे दी। कृपया बोलें।

श्रीमती बीना काक : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में आज नाहरगढ़ फोर्ट के लिए भी चिन्ता व्यक्त की गयी कि नाहरगढ़ फोर्ट किसी प्राइवेट कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया गया है लेकिन मैं सदन को बता देना चाहती हूँ कि नाहरगढ़ फोर्ट किसी भी प्राइवेट कम्पनी को हस्तान्तरित नहीं किया गया है, इससे मेरे विभाग का कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक पाली से आने वाली माननीय सदस्या ने नायला फोर्ट के लिए बड़े वेग किस्म के आरोप लगाये। मेरे ख्याल से उनकी तैयारी नहीं थी आज इसलिए नहीं बोली वरना वह चूकती नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि नायला फोर्ट पहले नायला के भूतपूर्व ठाकुर के द्वारा ओबेराय ग्रुप को बेच दिया गया था....

श्री कालीचरण सराफ : 40 लाख का घपला हुआ है।

श्रीमती बीना काक : उसके बाद संरक्षित मोन्यूमेण्ट घोषित हुआ है। प्राइवेट प्रापर्टी है, कौन किसको बेचता है उससे राजस्थान सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : वाह, क्या बात है। पुरातत्व विभाग से संरक्षित है कि नहीं वह नायला दुर्ग ? मालूम है कि नहीं आपको ? ताल्लुक ही नहीं है आपका ?

श्री दिग्विजय सिंह : प्रोटेक्टेड मोन्यूमेण्ट अगर किसी की प्राइवेट प्रापर्टी है...

+ + + अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री विजय सिंह : सभापति महोदय, सहायता दें, जवाब देने दें मन्त्री जी को। आप व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इसी के साथ जो भी कटौती प्रस्ताव आये हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि इसी प्रकार आप सहयोग देते रहेंगे।

श्री सभापति : शिक्षा मन्त्री जी, श्री दामोदरदास आचार्य।

श्री दामोदर दास आचार्य (शिक्षा राज्य मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जो हमारे जीवन से सम्बन्धित है, चर्चा हुई। इस माननीय सदन के सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये, अपना उद्बोधन किया। उस उद्बोधन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिये जो बहुत मूल्यवान सुझाव हैं। उन्होंने अपने सुझावों के माध्यम से न केवल शिक्षा को किस रास्ते से ले जाना चाहिए, किस तरह से उन्नत करना चाहिए यही नहीं बताया वल्कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया कि मुझे इस विभाग के अन्दर क्या कुछ करना है, किधर इस विभाग में अन्दर खामियां हैं, किस तरह से विभाग की खामियों को पूरा करना है।

मैं विधान सभा के सभी सदस्यों का बहुत-बहुत आभारी हूं इस सम्बन्ध में। बहुत सारे, करीब 305 कटौती प्रस्ताव आये हैं, उन कटौती प्रस्तावों के माध्यम से शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं को उजागर किया गया है। उन सबको देखने का मौका मुझे नहीं मिला इसलिए ईमानदारी से यह नहीं कह सकता कि उन पर मैंने अभी विचार कर लिया है लेकिन निश्चित तौर पर उनमें सभी कटौती प्रस्तावों में जो भी समस्यायें आयी हैं, जो सुझाव आये हैं उन पर मैं पूर्ण रूप से विचार करके उनके उत्तर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।

सबसे पहले मैं इस बात को आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि यह भारतवर्ष वह देश था जो सोने की चिड़िया तो कहलाता था लेकिन इसकी अहमियत केवल सोने, चांदी और सम्पत्ति से नहीं थी, कभी सम्पत्ति को बहुत महत्व इस देश ने नहीं दिया था, महत्व दिया था ज्ञान को, ज्योति को, प्रकाश को और जो प्रकाश ज्ञान का इस देश ने दिया वह ज्ञान का प्रकाश ही था जो इसको विश्व के अन्दर सिरमौर बना पाया था। सिकन्दर जब इस देश में आया और अपनी विजय यात्रा पर आया तो इस देश से शायद इतनी कामयाबी तो वह हांसिल नहीं कर पाया था लेकिन इस देश से सम्पति नहीं ले गया, वह इस देश से ले गया यहां के विद्वानों को, वह देश से ले गया यहां के उन शास्त्रों को, उस ज्ञान को जिस ज्ञान की ज्योति हमेशा इस विश्व में जगमगाती रही है और जगमगाती रहेगी लेकिन खेद इस बात का है कि एक ऐसा समय भी आया इस देश के अन्दर जब कि हम दास्ता के बन्धन में बन्ध गये थे और सैंकड़ों वर्षों की दास्ता ने हमें अपने स्वरूप को ही भुला दिया, हम ज्ञान को ही भूल

(श्री दामोदरदास आचार्य)

गये, यह वह देश था जहां कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि साक्षर नहीं हो, जो ज्ञानवान नहीं हो, हरेक व्यक्ति, जैसा अभी गुरकुल की बात कह रहे थे ऐसी तक्षशिला, नालन्दा जैसे-जैसे विश्वविद्यालय जहां 25 हजार से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे, लाखों विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे और सभी जाति के लोग पढ़ते थे, जिस चीज को हम आज अपनी नयी शिक्षा नीति के नाम से समाहित करके चल रहे हैं,

आज बात कहते हैं कि नयी शिक्षा नीति में क्या बात आयी है । वह क्या बात है जो नयी नयी शिक्षा नीति में लायी गयी है ? यह वह बात थी कि जो शिक्षा कुछ लोगों के लिए, जो ब्रिटिश राज के अन्दर कुछ लोगों के लिए महदूद रह गयी थी, जो शिक्षा कोई वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाला ही पा पाता था, कोई बिरले होते थे जो खुद के प्रयास से विद्वान बन जाते थे, विद्वान बने भी थे,ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजों के राज के अन्दर लोग विद्वता हांसिल किये हुये नहीं थे लेकिन वह उन के स्वयं के प्रयास थे, शिक्षा सब के लिये नहीं थी, हमने नयी शिक्षा नीति के अन्दर सबसे पहले यह बात कही कि शिक्षा सबके लिये है, शिक्षा सबके लिए नहीं हो लेकिन जो शिक्षा सबके लिए हो, वह समान शिक्षा हो, यह जो बात कही गयी है नयी शिक्षा नीति के अन्दर यह एक महत्वपूर्ण बात कही गयी है,

1947 के अन्दर जब यह देश आजाद हुआ उस समय सोचा गया था कि हमें इस देश को कहां और किस तरह से ले जाना है, तो हमारे सामने मूल-भूत बातें आयी, हमने कहा कि हम समाजवादी व्यवस्था यहां कायम करना चाहेंगे, हम यहां पर प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति बनाना चाहेंगे, हमने उस समय सोचा कि हमने आजादी तो हासिल की है लेकिन इस राष्ट्र को हम एक कैसे रख सकेंगे, इसको एक सूत्र में बांधकर कैसे रखेंगे ? यह जो हमारी धारणायें थी, यह जो विचार था इसी ने हमारी शिक्षा नीति को प्रभावित किया और बहुत प्रयास किया गया कि कैसी शिक्षा नीति बने, बहुत सारे प्रयास हुये अलग-अलग कमिशन्स भी बनें लेकिन 1986 में राजीवजी को धन्यवाद देना पडेगा कि उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ वह आगे आये और उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी शिक्षा नीति देनी चाहिए जो इस देश को आगे ले जा सके, इस देश को हर तरीके से, सबको साथ लेकर चले, वह गरीब तबका वह ग्रामीण अंचल में रहने वाला, वह झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके ऐसी शिक्षा नीति को लाकर के, इसलिए यह नयी शिक्षा नीति की बात कही जा रही है वरना शिक्षा कभी नई नहीं रही है, मैं मानता हूँ इस बात को कि जो नई शिक्षा नीति का जो कन्सेप्ट है वह कोई नया कन्सेप्ट नहीं है लेकिन नई इस मायने में है कि जो भूल गये थे हम लोग, हमारी जो शिक्षा बिल्कुल परिवर्तित और विकृत हो चुकी थी उस विकृत शिक्षा को सही ढांचे में ढालने के लिए जो हमने प्रयास किया,

(श्री दामोदरदास आचार्य)

एक डाकुमैण्ट तैयार किया है वह नयी शिक्षा नीति के रूप में हमारे सामने आया है,

मैं इस सम्बन्ध में आप लोगों के सामने कोई बहुत बढ़ाई कर के कहूं इस बात को कि हमने कोई बहुत कीर्तिमान स्थापित कर लिये हो इसके बाद में यह बात सही नहीं है, आज हम बड़ी चिन्ता है इस बात की ओर जो सदस्यों ने यहां पर चिन्ता व्यक्त की है मैं निश्चित तौर से इनके साथ अपने आपको जोड़ता हूं और इसलिए जोड़ता हूं कि आज राज–स्थान के अन्दर हम यह कहकर गर्व से चल कि हमने कुछ कीर्तिमान स्थापित कर लिये हैं तो यह धोखा होगा, गलत होगी क्योंकि आज कहां हमारी साक्षरता का प्रतिशत 24 प्रतिशत मात्र है, जहां महिला शिक्षा का प्रतिशत केवल 11 प्रतिशत है और कई-कई आंचलों में तो 3 और 4 प्रतिशत है तो हम यह कैसे गर्व से कह सकते हैं कि हमने कोई कीर्ति-मान स्थापित कर लिए हैं, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ रास्ता तय करना है हमने जो नीतियां निर्धारित की है वह निश्चित तौर से सोच--समझ कर की है और उसके लिए हम आगे कदम भी बढ़ा रहे हैं,

आज हमने शिक्षा का सार्वजनिकी-करण करने के लिये प्रयास किये हैं यह बात नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किये हैं। नामांकन का जो कार्यक्रम चल रहा है जो 6 से 11 वर्ष की आयु का, जो 11 से 14 वर्ष की आयु का नामांकन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है वह भी इस दिशा के अन्दर हमको आगे ले जाता है कि जो जहां पर साक्षरता का प्रतिशत कम है उसे हम पूरा करें लेकिन यह बात सही है कि नामांकन करने के बाद में भी ड्राप-आउट्स बहुत होते हैं, वह भी समस्या हमारे सामने है नामांकन केवल मात्र इस बात का घोतक नहीं है कि हमने अपने लिट्रेसी मिशन के अन्दर कोई कामयाबी हांसिल कर ली है लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और हम हमारे प्रयास ईमानदारी से कर रहे हैं, हम इस बात को इंगित जरूर करते हैं,

मैं इस सम्बन्ध में एक दो बात और कह देना चाहता हूँ वह यह हैं कि महिला शिक्षा के प्रति भी हम लोगों ने कोई अपना दृष्टिकोण ऐसा नहीं रखा है कि हम महिला शिक्षा को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। वस्तुतः महिला शिक्षा नहीं बढ़ती है तो यहां पर न तो पूरी तौर से साक्षर हो सकेगा यह देश और हमारा प्रान्त, मैं समझता हूं कि एक महिला अगर घर में शिक्षित है तो तमाम परिवार शिक्षित हो जाता है इसलिये निश्चित तौर से उसको साक्षर बनाने की आवश्यकता है और इसकी सबसे महती आवश्यकता मैं समझता हूं। इसलिए जब पुनः यह भार मुझ पर दिया गया, शिक्षा का यह विभाग मुझे दिया गया तो मैंने सबसे पहले इस बात पर चिन्तन शुरू किया है, मैंने कहा है कि महिलाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा मिल पाये उसके लिये आवश्यक है कि

(श्री दामोदरदास आचार्य)

एक महिला निदेशक और महिलाओं के लिए ही, महिलाओं को शिक्षा के लिए ही एक अलग से डाइरेक्टरेट कायम हो, मैंने एक नोट भेजा है, क्योंकि बहुत कम समय हुआ है इसलिए मैं इस सम्बन्ध में न तो कोई ज्यादा प्रयास कर पाया हूँ, लेकिन निश्चित तौर से मेरी मान्यता है कि महिलाओं का पृथक से डाइरेक्टरेट होना चाहिए, इसके लिए वित्तीय साधन हमारे पास नहीं है लेकिन वित्तीय साधनों को जुटाने के लिये 8वीं जो हमारी पंच-वर्षीय योजना है उस समय इसको उसमें समायोजित किया जा सकता है।

मेरी ऐसी मान्यता है कि अगर केबिनेट के अन्दर इस बात को ठीक समझा गया तो हमारी एक ज्वाइन्ट डाइरेक्टर महिलाओं की है उसे हम इसका चार्ज देकर के अलग से ही इस बात को देखें कि महिलाओं की शिक्षा किस तरह से बढ़ सके, बालिकाओं को प्रोत्साहन देने का भी काम हमने किया है, 11 हजार बालिकाओं को उपस्थिति की छात्रवृत्ति भी हम प्राइमरी स्टेज पर दे रहे हैं, हम बाड़मेर और उन इलाकों के अन्दर जहां शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है हम ऐसी बात कर रहे हैं।

मैं इस सम्बन्ध में और अधिक कुछ ज्यादा कहूँ इस चीज की आवश्यकता नहीं है बहुत सारे आंकड़े, आप लोगों के पास वैसे भी हैं, एक बात यह कही गयी कि हम जो विद्यालय बना रहे हैं, विद्यालयों की संख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन अध्यापकों की संख्या उसके अनुरूप नहीं है, निश्चित तौर से यह बात सही है आपका कहना और आप जब यह बात कहते हैं तो क्या मेरे दिल के अन्दर इस बात का असर नहीं होता है? होता है लेकिन हमारे सामने जो समस्या रही है वह समस्या रही है बराबर अकाल की, हम अकाल से झूझते रहे है और आप समझते हैं कि बिना पैसे के कोई व्यवस्था हो नहीं पाती, इसलिए जब हम अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पाते, इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर हमको लापरवाही करनी चाहिए, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ कि अगर कहीं कटौती हो तो दूसरे क्षेत्र में हो, कटौती हो तो दूसरे विभाग में हो लेकिन शिक्षा विभाग में कटौती नहीं होनी चाहिये अगर शिक्षा विभाग में कटौती है तो जो ढांचा एज्यूकेशन का हम इस प्रजातन्त्र के अंदर खड़ा करना चाहते हैं इस देश के अन्दर वह कभी बन नहीं पायेगा।

इसलिये मेरी मान्यता है, मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जो भी पद बनते है नार्म्स के अनुसार वह बनाये जाय उसके लिये पैसा मिलना चाहिये, बहुत सारी परेशानियां तो इस बात की आयी हैं कि कहीं डी. पी. सीज. नहीं हो पायी इसलिये कई विद्यालयों के अन्दर प्रधानाध्यापक नहीं पहुंचे, वरिष्ट अध्यापक नहीं पहुंचे तो डी. पी. सी. के माध्यम से जो प्रक्रिया होनी चाहिये उसे भी हम लोग शीघ्र पूरा करने जा रहे हैं। वह भी अगस्त तक सारी पूरी कर ली जायेगी लेकिन जो रिक्त पद नार्म्स के अनुसार बनते हैं, वह नहीं कि जो हमने सैंक्शन कर रखें हैं। यह बात सही

(श्री दामोदरदास आचार्य)

है कि और यह सही कहा गया है कि हमने सैंक्शन कर रखा है उसके हिसाब से हमारे पद भरे गये हैं। यह मैने जवाब दिया था लेकिन जवाब कोई ईमानदारी का जवाब नहीं था। ईमानदारी का इस-लिए नहीं था, फेक्च्युअल दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है लेकिन जो नार्म्स हमने बना रखें हैं अगर उन नार्म्स के हिसाब से जितने पद सृजित होने चाहिए उतने पद निश्चित तौर पर सृजित करने चाहिए। कोई ऐसा विद्यालय नहीं होना चाहिए जहां पर मास्टर न हो और हम वहां पर स्कूल खोल दें। आज स्कूल खोल रहे हैं, यह पापूलर टेण्डेन्सी है हमारी। जो भी आता है वह कहता है कि हमारे यहां विद्यालय होना चाहिए और विद्यालय हमको झोंपड़ी और गांव-गांव तक लेकर जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन वहां पर मास्टर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। इसलिए यह बहुत अच्छा सुझाव आया था ग्रामीण में जहां अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको एम्प्लाय किया जाय ताकि कोई विद्यालय ऐसा नहीं रहे कि जहां शिक्षक न हो। और ऐसी व्यवस्था सरकार ने की भी है। लेकिन उसका अनु-पालन कितने रूप में हो रहा है यह सब देखकर ही आगे चलना पड़ेगा। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में भी मैं अधिक कुछ बात आप लोगों के सामने नहीं कहना चाहता।

बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में बहुत सारी यहां चिन्तायें व्यक्त की गई हैं और इस सम्बन्ध में लोगों के खिलाफ आरोप भी लगाये गये हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक-एक के प्रति तो न्याय नहीं कर पाऊंगा लेकिन निश्चित तौर पर कुछ बातें आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूँगा।

एक बात जो हमारे सबसे पहले वक्ता नाथद्वारा से आने वाले, उन्होंने यूनिवर्सिटी की बात हमारे सामने रखी थी। निश्चित तौर से उनकी चिन्ता बहुत ही मौजू चिन्ता है, चिन्ता होनी भी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे सुझाव भी दिये। जब यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था हमारी यह मान्यता थी कि हमें एक बहुत लम्बे अर्से तक हम कोई विश्वविद्यालय यहां पर कायम नहीं कर पायेंगे।

हमें शुरूआत करनी थी। यह बात भी सही है कि इतना अर्थ हमारे पास में नहीं था कि हम सभी जगह रीजनल यूनिवर्सिटी कायम करें। लेकिन रीजनल यूनिवर्सिटीज का कन्सेप्ट, यह विवाद का विषय है मेरी समझ में। जोशीजी कह सकते हैं कि इस तरह का स्वरूप होना चाहिए। एक बहुत लम्बी डिबेट इस देश में चल रही है इस सम्बन्ध में और चली भी है कि क्या रीजनल यूनिवर्सिटी की आज आवश्यकता है ? रीजनल यूनिवर्सिटी का कन्सेप्ट आउट डेटेड होता चल गया है, ऐसा शिक्षाविदों का मानना है मैं शिक्षाविद् नहीं हूँ इसलिए अपनी कोई मान्यता इस सम्बन्ध में वैसे भी यह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, जोशी जी, इसलिए ज्यादा उनको गम्भीर चिन्तन का मौका भी मिला होगा। इस पर बहुत कुछ चिन्तन करने की आवश्यकता है। जो कुछ किताबों से पढ़ा है, जो कुछ रिपोर्टों से पढ़ा है उसके आधार पर निश्चि-

(श्री दामोदरदास आचार्य)

चत तौर से यह मान्यता आज आउट-डेटेड हो चुकी है कि हम रीजनल यूनिवर्सिटीज रखें। लेकिन लोग चाहते थे और जनता चाहती है वैसा होता है प्रजातन्त्र के अन्दर कि हमको रीजनल यूनिवर्सिटीज बनानी हैं। तो हमने जयपुर के स्वरूप को भी रीजनल दिया, हमने अजमेर के स्वरूप को भी, वह तो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है इसलिए उस एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी को हम रीजनल तो नहीं बना पाये लेकिन जितने कॉलेजेज उसके साथ जुड़े हुए थे वह अलग-अलग करने के बाद उसको एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनायें। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का भी एक अपना नजरिया था, एक सोचा था और एक चिन्तन था इसके पीछे जिसको बहुत सराहा गया आज कल मेरे ख्याल से यू. जी. सी. वगैरह भी इस पर दुबारा विचार कर रही है। हो सकता है कि वह विचार सही रहा या नहीं रहा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो रिपोर्ट उस समय तैयार की गई थी उस समय यह सोचा गया था कि एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। वह आगरा की जो हमारी पहले यूनिवर्सिटी थी उस तरह की नहीं लेकिन जो एक्सीलेन्स ला सके कॉलेजेज के अन्दर उसके लिए प्रयास कर सके कि किस तरह से जो फेकल्टीज हमारी कॉलेजेज के अन्दर नहीं पढ़ाई जा रही है उनको डवलप किया जाय। वहां पर उसकी एकेडेमिक एक्सीलेन्स के लिए तैयारी की जाय। उसके लिए सेन्टर्स भी बनाये जाय। यह कन्सेप्ट था लेकिन मुझे दुःख है इस बात का कि जितनी निराशा आज मुझे अजमेर यूनिवर्सिटी से है उतनी निराशा किसी से नहीं है।

वहां के वाइस चांसलर के सम्बन्ध में बात कही गई। यह मेरा जूरिस्डिक्शन तो नहीं है क्योंकि एक तरफ तो माननीय सदस्य इस बात को दोहराते हैं कि आटोनॉमी है। किसी की आटोनामी में मत दखल करो। यह किस कानून में करूंगा। कैसे कर पाऊंगा यह सब सोचने की बात है। क्या उसके सम्बन्ध में मुझे कदम लेना चाहिए यह तो आप लोगों ने कोई मार्गदर्शन इस सम्बन्ध में मुझे नहीं दिया। यह अवश्य अभी मुझे हनुमानगढ़ से आने वाले सदस्य महोदय ने कहा था कि आपने क्या एक्शन लिया। गवर्नमेंट क्या एम्पावर्ड थी एक्शन लेने के लिए? यूनिवर्सिटी के अन्दर कोई वारदात होती हैं तो उसमें गवर्नमेंट कहां तक कर सकती है। गवर्नमेंट कानून से बंधी हुई है। यूनिवर्सिटी एक्ट से बन्धी हुई है। इसलिए मैं देखूंगा उसके बावजूद भी...(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : यह मामला तो पुलिस का है, शिक्षा का नहीं हैं (व्यवधान) पुलिस से सम्बन्धित है।

श्री दामोदरदास आचार्य : तो आपने यह मेरे सम्बन्ध में समझ लिया। पुलिस का है तो पुलिस को ट्रांसफर करवा देंगे। लेकिन शिक्षा विभाग से...(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : गवर्नमेंट चांसलर को रिपोर्ट भेजे।

श्री शोपत सिंह : एफ. आई. आर. दर्ज कराइये। किसी जुल्म की छूट नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लिखकर दे सकते हैं आप।

एक माननीय सदस्य : ऐसे आदमी को तो वहां से हटाया जाना चाहिए ।

श्री यदुनाथ सिंह : गवर्नमेंट अपनी फाइण्डिंग चांसलर को भेजे । (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया बोलें ।

श्री दामोदरदास आचार्य : कोई आप रास्ता बताते, मार्ग मुझे बतायें । उस मार्ग को अपनाने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं होगा । (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : शिक्षा मन्त्रीजी, गवर्नमेंट अपाइन्टिंग ऑथोरिटी है वाइस-चांसलर की ।

एक माननीय सदस्य : नो, यह किसने कह दिया ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले सुन लें । आर्डर प्लीज । कृपया बोलें ।

श्री दामोदरदास आचार्य : इसमें कुछ प्रोफेसर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी कहा गया था, तो जैसा मैंने कहा, इरादा तो यही था कि प्रोफेसर्स भी हमें, सेन्टर्स बने, एक्सीलेंस आये और उस दृष्टिकोण के अन्दर जहां उनको पावर्स थी उसको उन्होंने एक्सरसाइज किया । वह काम सही नहीं चल रहा है इसे हमें निश्चित तौर से देखना पड़ेगा । हम और आप बैठेंगे इस सम्बन्ध में । हमने जो स्वरूप दे दिया है कॉलेजेज को, मैं यह नहीं कहता कि हमने एक बात जो कर ली है और अगर उससे फायदा नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर से हम और आप बैठ करके कानून के जरिये से, कानून की प्रक्रिया के जरिये से उसे दुरुस्त करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ ।

एक कोटा के खुले विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कहा गया । यह कहा गया कि कोटा में भी रीजनल विश्वविद्यालय होना चाहिए । आई रिजर्व माई कमेन्ट्स, कि रीजनल कॉलेजेज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए । लेकिन निश्चित तौर से कोटा के अन्दर हमने स्वायत्तशासी महाविद्यालय की स्थापना की लोगों का यह भी कन्सेप्ट है कि आप क्यों स्वायत्तशासी कॉलेजेज बना रहे हैं । ऑटोनामस कॉलेजेज क्यों बना रहे हैं । आज नई शिक्षा नीति के अन्दर देश ने माना है कि ऑटोनामस कॉलेज होना चाहिए । ऑटोनामस कॉलेज का मतलब ही यह है कि यूनिवर्सिटी का कन्सेप्ट छोड़ो । जहां स्थानीय कॉलेज है उसको इतना बढ़ाओ कि वह खुद वहां यूनिवर्सिटी का रूप ले ले धीरे-धीरे, इसलिए हमने एक प्रयास किया है ।

But the Rome was never built in a day. Rome has to be built. इसीलिए यह जो चिन्तन है, अभी जो हमने विश्वविद्यालय कोटा में कायम किया है उसका आम विश्वविद्यालय से बिल्कुल भिन्न रूप है । वह डिस्टेन्स एजुकेशन का कन्सेप्ट है जो इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के आधार पर किया गया है और वर्ल्ड के अन्दर लन्दन की जो ओपन यूनिवर्सिटी है यह अपनी एक बहुत अहमियत रखती है । उसके कन्सेप्ट को अडाप्ट किया गया है । क्योंकि वहां सारे लोग जो कॉलेज और विश्वविद्यालय अटेण्ड

(श्री दामोदरदास आचार्य)

नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, जिन्होंने परीक्षायें पास नहीं की हैं उनको भी वहां पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और यही नहीं है कि केवल किताबी शिक्षा और ज्ञान दिया जायगा, वहां दूसरी तरह के भी, देश के सम्बन्ध में भी एन्वायरमेन्ट के सम्बन्ध में भी और तरह के भी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को अपने व्यवसाय के अन्दर किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए उसको भी वह देखेंगे लेकिन इसकी ग्रोथ होने की आवश्यकता है, इस कन्सेप्ट को और बढ़ाने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा प्रयास हम करेंगे, एक यह ऐसी यूनिवर्सिटी राजस्थान में होगी जो बहुत सारे नीड्स को केटर करेगी। अभी हमारे रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री यदुनाथ सिंह : जो नहीं हैं उनका जवाब मत दीजिये।

श्री शोपतसिंह : कायदे की तो यही बात है। आप तो हनुमानगढ़ की बता दीजिये।

श्री दामोदरदास आचार्य : आ रहा हूँ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय शिक्षा मन्त्री जी, हनुमानगढ़ में थाना खुलवा दीजिये।

श्री दामोदरदास आचार्य : हनुमानगढ़ के इसी उच्च विद्यालय के सम्बन्ध में, क्योंकि काफी उतावले हैं मैं कह देना चाहता हूं। नेहरू मैमोरियल कॉलेज की जो चुनी हुई मैनेजमेंट कमेटी थी आर्थिक समस्याओं के घिर जाने के कारण उन्होंने दूसरे मैनेजमेंट को चार्ज दे दिया और स्वयं इस्तीफा देकर दूर हो गये। यह हमारी गलती तो नहीं थी लेकिन जिस मैनेजमेंट को चार्ज दिया वह भी वैधानिक नहीं था इसलिये स्टाप गैप अरेंजमेंट के तौर पर उन्होंने एक एस. डी. एम. को बना दिया। नहीं बनाना चाहिये था, एक शिक्षाविद् को बनाना चाहिये था। मुझे मालूम नहीं था कि एस. डी एम. को दे दिया है। मेरी जानकारी में नहीं है मैंने पूछा भी नहीं है। इसलिये मैं कहता हूँ कि किसी शिक्षाविद् को देना चाहिये था। यह स्टाप गैप अरेंजमेंट है, चुनाव सितम्बर में ही होने वाले हैं और चुनाव होते ही मैनेजमैंट को सरकार संभलाने को तैयार है हमें कोई आपत्ति नहीं है...

श्री शोपत सिंह : सरकार ले ले।

श्री दामोदरदास आचार्य : उसकी कितनी लायबिलिटी होगी, हमारे पास कितना पैसा होगा यह आज कैसे कह सकता हूँ कि यह ले लिया जायेगा।

श्री शोपतसिंह : हमारी लायबिलिटी तो ले लोगे ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : एफीडेविट जो पढ़कर सुनाया उसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री दामोदरदास आचार्य : मैंने अभी दिया था, शायद आपने सुना नहीं। और उन्होंने रैफर कर दिया कि यह पुलिस का काम था।

(श्री दामोदरदास आचार्य)

एक अहम् मुद्दा नाथद्वारा से आने वाले माननीय जोशी जी ने उठाया था कि हमने दस प्लस दो शुरू तो कर दी लेकिन हमारा जो पाठ्यक्रम है वह हमने फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. से लेकर के कर दिया और किस तरह से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। उस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि क्योंकि चेन्ज ओवर था और 12वीं क्लास 88-89 में शाला में शुरू कर दी थी इसलिये फर्स्ट इयर टी.डी. सी. का जो पाठ्यक्रम था उसको हमने लागू किया। सुविधा के लिये किया क्योंकि तैयार नहीं था इसमें टाइम भी लगता लेकिन अब वह पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है और 11 वीं कक्षा में हमने 89-90 में इस पाठ्यक्रम को लागू कर दिया है और निश्चित रूप से जब तक कोई पाठ्यक्रम सुचारू रूप से नहीं बनेगा तो नहीं चल सकता है। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इस संबंध में...

श्री कालीचरण सराफ : छात्र संघों के चुनाव के बारे में ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दामोदरदास आचार्य : एक बात जो यहां सदन में बहुत जोरों से उठाई गई थी जिसका मैं भी पक्षधर हूं कि हम जो हमारी अराजकीय शैक्षणिक संस्थायें हैं और जिनको यह भी कहा जाता है कि वह व्यवसायी संस्थायें है लेकिन अधिकांश बहुत बड़ी-बड़ी अच्छी संस्थायें हैं निजी संस्थायें हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज इतना पैसा नहीं है कि हम सबको नेशनलाइज कर लें और शिक्षा को नेशनलाइज कर लें यह मैं उपयुक्त नहीं समझता। शिक्षा तो आटोनोमस होनी चाहिये। शिक्षा को जितना स्वतन्त्र क्षेत्र में रखा जाये उतना अच्छा है। क्योंकि हम विचारों को प्रतिबन्धित नहीं करना चाहते। विचार आ हों, विचार बढ़ें, इस तरफ हमारा प्रयास है। इसलिये मैं समझता हूं कि आज केवल राजस्थान में ही नहीं, आज पूरे देश के अन्दर यह जो अराजकीय शैक्षणिक संस्थायें हैं उनका बड़ा भारी महत्व है। कितना पैसा उन्होंने लगा रखा है शायद गवर्नमेंट ने उतना नहीं लगा रखा, इतना पैसा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लगा रखा है।

जहां आज हमको स्कूल बनाने की आवश्यकता होती है तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि वह एक भवन बना रहे हैं। हायर सैकण्ड्री स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का और कालेजेज तक का और अभी एक आफर आई थी मुक्तिलाल जी की तरफ से, पैसे की कोई कमी नहीं है। मुक्तिलाल जी जैसा व्यक्ति होना चाहिये। पूरे राजस्थान के लिये एक कोष तैयार करना चाहिये। यह मेरा सोच था वह सोच तो अभी मैं परिणित नहीं कर पाया कि एज्यूकेशन फण्ड बनना चाहिये। मैं इसलिये नहीं कहना चाहता क्योंकि अभी वह योजना सामने आई नहीं है लेकिन मेरा खुद का एक विचार था, नोट था जो मैंने दिया है वह जब कभी अमल में आयेगा तो उसकी बात करूंगा क्योंकि अभी अपने विचार आप पर थोपूं ऐसी बात होनी नहीं चाहिये, सदन का समय नहीं लेना चाहता। दूसरी....

सुश्री पुष्पा जैन : माध्यामिक शिक्षा बोर्ड के बारे में ?

एक माननीय सदस्य : निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में ?

श्री दामोदरदास आचार्य : आ रहा हूं, वही बात कह रहा था। वह प्रतिवेदन तो पेश हो चुका है, हमारा प्रयास रहेगा कि इसी सत्र के अन्दर हम लायें क्योंकि लोगों की बहुत भारी आकांक्षायें हैं इस बात की कि निजी शिक्षण संस्थाओं का विधेयक पारित हो। हमने भी बहुत मेहनत की है, कल्लाजी ने बहुत बैठकें ली हैं इस संबंध में बल्कि मेम्बर्स नहीं आते थे यह वहां मौजूद रहते थे इसलिये मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा कि कल्ला जी ने बड़ी मेहनत करके इस विधेयक को पास कराने का प्रयास किया है...(व्यवधान)

मैं आ रहा हूं, मैं भूला नहीं हूं मेरे पास है नोट।

सुश्री पुष्पा जैन : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में।

श्री दामोदरदास आचार्य : आ रहा हूँ मैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समस्या उजागर की गई है। इसमें मुझे मालूम है कि एक हमारे इस सदन की उच्च सीट पर बैठने वाले व्यक्ति का भी नाम है। मैं कुछ कहूँ, इस संबंध में और सदन के सामने, यह गरिमामय नहीं है। आपने इस मुद्दे को उठाया है निश्चित रूप से जब मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह से इसमें विवाद है, मैं नहीं चाहता कि कर्मचारियों के बीच में और शिक्षा में बैठे हुए अधिकारियों के बीच में, सरकार के बीच में कहीं मनोमालिन्य नहीं आना चाहिये। वह आखिर हमारे अंग हैं। इसलिये मैं हमेशा इस भावना से शिक्षकों की मांगों को, यूनियन की मांगों को, यूनियन चाहे वैध है या नहीं है हर एक शिक्षक को मैं यूनियन समझता हूँ, वह अपनी बात सरकार को आकर कह सकता है, सुनना चाहिये। इसमें कोई हमारा ईगो हर्ट नहीं होता है। इस संबंध में मैंने वार्ता शुरू की है। गोया कि एक चैप्टर क्लोज हो चुका था, यह तय हो चुका है, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, मैं मैरिट्स मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं ही अगर उसको सुलझाने में बैठूंगा और आज अगर कुछ बात अपनी व्यक्त कर दूं तो यही कहा जायेगा कि मेरा कोई प्री कन्डीशन माइंड है, मेरा कोई प्री कन्डीशन माइंड नहीं है।

मैंने प्रयास किया लेकिन जिस दिन मैंने प्रयास के लिये लोगों को बुलाया, खेद इस बात का है, सच्चाई है या नहीं है इस बात में यह भी नहीं कहता लेकिन मुझे यह कहा गया कि एक बोर्ड के उच्च अधिकारी वह जमानत नहीं करवा रहे थे, जमानत तो हो चुकी थी, आर्डर था लेकिन जमानत पर नहीं छूटना चाहते थे। उस रोज जिस रोज मैंने इनको बुलाया था, जमानत पर छूटे, और संयोग ऐसा था कि कुछ विद्यार्थियों ने आकर फिर घेराव किया, अशांति का वातावरण पैदा किया। मेरे मन में, जब मैं इस समस्या का समाधान कर रहा था तो मैं भी जरा हिचका था लेकिन इसकी सत्यता में जाने का अभी मौका नहीं मिला मैं खुद भी शीघ्र ही इस समस्या का शीघ्र निदान ढूंढने में लगा हुआ हूँ। मैं चाहता हूं उनको कोई हक बनेगा तो निश्चित रूप से देगें और जल्दी से जल्दी दूंगा। इस सब में व्यस्तता होने

(श्री दामोदर दास आचार्य)

के कारण मैं उनसे वापिस बुलाकर बात नहीं कर सका। मैं हमेशा बात करने को तैयार हूँ। हालांकि इसमें मुख्य मंत्रीजी इसमें हस्तक्षेप कर चुके थे उनका मार्ग-दर्शन मैंने लिया है, क्योंकि उनसे बात करना चाहता था अगर उस रास्ते पर हम चलें, कल ही अगर मेरे को समय मिला तो इस समस्या का निदान कर लूंगा। इससे अधिक नहीं कह सकता।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सभापति महोदय, आपकी इजाजत से मंत्री महोदय से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ...

श्री सभापति : पहले बोलने दो उनको, लास्ट में पूछ लेना। पूरा जवाब आने दें।

सुश्री पुष्पा जैन : आप मुझे सुन तो लें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अनियमिततायें चल रही हैं जो मैंने क्लियरकट चार्जेज इस सदन में लगाये, उसकी आप जांच करवायेंगे या नहीं, दूसरा जो उन पर लाठी चार्ज हुआ था। 200 व्यक्तियों के चोटें आईं उसकी आप जांच करवायेंगे या नहीं ? (व्यवधान)

यह तो बहुत गम्भीर मामला है इसमें जांच का आश्वासन देना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठें आप। जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : इतनी इररेगुलेरिटिज हैं, यह गम्भीर मामला है। इसमें आपको हाउस में जांच का आश्वासन देना चाहिये।

श्री दामोदरदास आचार्य : उस वक्त मैं अन्दर गया नहीं था। मैं सारी बातों से अनभिज्ञ हूं। एक दफा बात की है। मैं आपके सामने कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने तो आपको निवेदन किया है कि कल ही समय निकाल कर इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करूंगा और निश्चित तौर से हल करेंगे।

श्री सभापति : ठीक है। आगे बढ़ें।

श्री दामोदरदास आचार्य : चुनावों की बात कही गयी है। एक प्रश्न आया था। वे यहां नहीं हैं। मैंने कहते हुए इसको बन्द कर दिया था। हमारे वाइस चांसलर की एक कोआर्डिनेटिंग कमेटी बनी है। और उसके चेयरमेन गवर्नर महोदय ही हैं। वहाँ यह मसला उठा था। हमने तय भी किया। इसके कानून कायदे देखे थे। इसमें जो कान्स्टीट्यूशनली आता था उसको टाल कर के चुनाव करवाने चाहिये, हम इसके पक्षधर थे। अब जल्दी ही कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी तो निश्चित तौर से हम उसके अन्दर निर्णय लेने में समर्थ होंगे, यही मैं आपको कह सकता हूँ। शीघ्र बुलाने का प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय, नये कालेज खोलने की बात उठायी गयी है। आपको मालूम है, बजट आपके सामने पेश हुआ है और सरकार इस साल कोई कालेज खोलने की स्थिति में नहीं है। मैं घोषणा करने में बिश्वास नहीं करता हूँ। मैं आपको यह कह दूं कि कालेज खोल दिये जायेंगे, ठीक नहीं होगा। इस सत्र में कालेज नहीं खोले जायेंगे लेकिन निश्चित तौर से जो हमारी

(श्री दामोदर दास आचार्य)

आने वाली आठवीं पंचवर्षीय योजना है उसमें बहुत कालेज खोलने होंगे और उस समय देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिला कालेज खोले जायें। वैसे आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम उच्च शिक्षा की तरफ जायें।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, यह घोषणा हमें करनी है, ये कैसे कर रहे हैं।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है उसी अनुपात में सरकार महिला कालेज खोलेगी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया सुनें।

श्री दामोदर दास आचार्य : सभापति महोदय, मैंने कुछ मुद्दे आपके सामने स्पष्ट किये हैं। कुछ बातें आप और कहेंगे। मेरे मन में इस बात की टीस रहती है और वह कहे बिना अगर मैं अपनी बात को समाप्त करूं तो उचित नहीं होगा। वह यह है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो हम आदि मान्यता के अनुसार-परमपिता के उस विस्तार की एक बूंद है जो डेसीमल पाइंट में बन कर आती है। जब उस रूप में हम यहां आते हैं तो हम उस विस्तार की बात को भूल जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य जो हमारे ऋषियों ने माना है वह यही था कि हम पाउण्ड, जिस पाउण्ड में आ गये हैं, उस पाउण्डलेस में चले जायें, हद से बेहद में चले जायें, यही शिक्षा का उद्देश्य है। यह शिक्षा का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम नैतिकता को नहीं अपनायेंगे। हमारे आर्य ऋषियों ने कहा है :

"तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम् गमय, असतो मा सद्गमय।"

जब तक हम इसको पूरा नहीं अपनायेंगे हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमारे शास्त्रकारों ने कहा था "सा विद्या या विमुक्तये"। विद्या वही है जो विमुक्त करती है। एक उर्दू शायर ने इसको बहुत ही खूबी से कहा है :

"हदे हस्ती बहुत कुछ,
नेस्ती तक खेंच लाया हूँ।
मिला दूंगा किसी दिन,
देखना मंजिल को मंजिल से।"

अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करूं उसके पहले मैं भगवद् गीता का वह श्लोक तो नहीं सुनाऊंगा लेकिन भगवद् गीता के अन्दर जब भगवान कृष्ण ने सारा उपदेश अर्जुन को दे दिया तो अर्जुन ने कहा मेरा मोह भंग हो गया है। ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है लेकिन अर्जुन कहता है, जो आप कहोगे वही मैं करूंगा। जब पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया फिर भी अर्जुन के मन में शंका है कि आप कहोगे वही करूंगा। शिक्षा पाने वाले को आप कहोगे वही करूंगा ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था, और जवाब में कहा था कि अर्जुन सारा ज्ञान मैं तुमको दे चुका हूं, शिक्षा दे चुका हूँ लेकिन मैंने जो शिक्षा दी है उसको परखो, पहचानो। मैंने जो बात कही है वह सही है उसे सोचो और समझो और तुमने जो

(श्री दामोदरदास आचार्य)

विचार किया है, दूसरे जो विचार करते हैं उस पर तुम चलोगे, आगे किसी के कहने से नहीं चलोगे। यह कहा है कृष्ण ने। इतना बड़ा उपदेश देने वाला जगतगुरु है। हम कृष्ण को जगतगुरु कहते हैं। जगतगुरु वन्दे। यह बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछना है।

मांग संख्या 24 का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,79,65,97,000/– तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 24 स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 5 जुलाई, 1989 को प्रातः 11·00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8·57 बजे बुधवार, दिनांक 5 जुलाई, 1989 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 68 की सूची

बाड़मेर जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अनुपात के आधार पर अध्यापकों की आवश्यकता एवं स्वीकृत पदों का विवरण :—

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत पद	आवश्यक पद	शेष पद
1.	पं. स. बालोतरा	227	237	10
2.	,, बायतू	166	169	3
3.	,, सिवाना	145	146	1
4.	,, धोरीमन्ना	191	195	4
5.	,, चोहटन	101	102	1
6.	,, बाड़मेर	185	188	3
7.	,, शिव	92	92	—
8.	,, सिणधरी	175	189	14
	योग	1282	1318	36

परिशिष्ट I

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 69 की सूची

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों द्वारा 1.1.89 से 30.6.1989 तक आयोजित बैठकों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	बैठकों का दिनांक					
		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रेल	मई	जून
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	—	—	9.3.89	28.4.89	30.5.89	—
2.	अलवर	—	—	—	24.4.89	—	26.6.89
3.	बांसवाड़ा	—	—	13.3.89	24.4.89	29.5.89	30.6.89
4.	बाड़मेर	16.1.89	—	—	—	—	—
5.	भरतपुर	—	—	—	—	—	—
6.	भीलवाड़ा	23.1.89	—	—	27.4.89	—	—
7.	बीकानेर	7.1.89	—	—	—	27.5.89	27.6.89
8.	बून्दी	—	—	4.3.89	20.4.89	—	28.6.89
9.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	—	—
10.	चूरू	—	—	—	26.4.89	—	—
11.	धौलपुर	—	—	—	—	—	—
12.	डूंगरपुर	—	—	—	28.4.89	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	गंगानगर	—	—	—	29.4.89	—	—
14.	जयपुर	—	—	—	29.4.89	—	—
15.	जैसलमेर	31.1.89	—	—	—	—	—
16.	जालौर	13.1.89	—	—	17.4.89	25.5.89	—
17.	झालावाड़	19.1.89	—	10.3.89	—	—	—
18.	झुंझुनू	—	—	—	28.4.89	—	—
19.	जोधपुर	—	—	—	—	—	—
20.	कोटा	—	—	—	20.4.89	26.5.89	—
21.	नागौर	—	—	—	—	12.5.89	15.6.89
22.	पाली	11.1.89	—	—	20.4.89	25.5.89	—
23.	सवाई माधोपुर	—	—	—	—	1.5.89	—
24.	सीकर	—	—	—	29.4.89	29.5.89	27.6.89
25.	सिरोही	—	—	—	—	—	—
26.	टोंक	—	—	—	29.4.89	—	—
27.	उदयपुर	—	—	—	—	30.5.89	—
		7	—	4	15	10	6

परिशिष्ट II

राजस्थान सरकार

जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक : एफ 2(2) आर.पी.जी./ए.एस./जी/85 जयपुर, दिनांक 9-1-87

समस्त

जिला कलक्टर,

विषय : जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियों बाबत।

उक्त समितियों से सम्बन्धित इस विभाग में प्राप्त त्रैमासिक सूचना से विदित होता है कि अधिकांश जिलों में समिति की बैठकें राज्यादेशानुसार अभी भी प्रत्येक माह आयोजित नहीं हो रही हैं। दिनांक 30-9-86 को समाप्त त्रैमास से सम्बन्धित 24 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त त्रैमास में प्रत्येक माह बैठक केवल 5 जिलों में ही आयोजित की गई, 12 जिलों में दो-दो बैठकें एवं 6 जिलों में एक-एक बैठक आयोजित हुई, जबकि एक जिले में कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई तथा 3 जिलों से सम्बन्धित सूचना ही प्राप्त नहीं हुई।

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र सं. एफ. 4(2) आर. पी. जी/ए.एस./एफ/84 दिनांक 7/8-8-1986 की ओर आकर्षित किया जाता है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस परिपत्र में अंकित निर्देशों का अनुपालन प्रभावी रूप से नहीं हो रहा है। अतः पुनः लेख है कि उक्त समिति की बैठकें प्रत्येक माह निश्चित रूप से आयोजित की जावे तथा यदि अपरिहार्य कारणों से बैठक आयोजित किया जाना सम्भव नहीं हो तो उपरोक्त परिपत्र दिनांक 7/8.8.86 के पैरा (2) के आइटम (1) पर यथा वांछित इस विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जावे।

कृपया प्राप्ति की सूचना भेजें।

ह0/– जी. रामचन्द्र

आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

ह0/– आर. एस. अग्रवाल

उप आयुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव

परिशिष्ट III

राजस्थान सरकार

जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक : 2(3) आर.पी.जी./ए.एस./जी. 88 जयपुर दि. 17-8-88

प्रेषित :

समस्त,

जिला कलक्टर।

विषय : जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों द्वारा संपादित कार्यों का त्रैमासिक विवरण।

———

महोदय,

जैसा कि आपको विदित ही है कि जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों का गठन राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 8(2) सु. 3/83 दि. 20-10-83 द्वारा किया गया है और उस आदेश में यह स्पष्टतया अंकित है कि समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाकर सम्पादित कार्यों का त्रैमासिक विवरण त्रैमास समाप्ति के आगामी माह में इस विभाग को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इस त्रैमासिक विवरण को समय पर प्रेषित करने हेतु पूर्व में इस विभाग के पत्र एफ-2(2) आर.पी.जी./ए.एस/.जी./84 दिनांक 13-6-84, एफ-4(2) आर.पी.जी./ए एस./एफ./84 दिनांक 8-8-86 एवं मुख्य सचिव महोदय की ओर से प्रेषित अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ-18(37) आर.पी.जी./पब./ए./72 दिनांक 11-9-87 द्वारा निर्देशित किया गया था।

इसके उपरान्त भी कुछ समितियों द्वारा संपादित कार्यों का त्रैमासिक विवरण समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अतः यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि भविष्य में त्रैमासिक विवरण त्रैमास की समाप्ति के आगामी माह की 10 तारीख तक इस विभाग को प्रेषित कर दिया जाये।

कृपया प्राप्ति की सूचना भिजवावें।

भवदीय,

ह0/–

आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव

परिशिष्ट IV

बी. बी. एल. माथुर,

मुख्य सचिव ।

अ.शा. पत्र सं. एफ-18(37) आर.पी.जी./पब./ए./72 दिनांक 11-9-1987

विषय : जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की बैठकों बाबत ।

प्रिय,

उपरोक्त समितियों का गठन राज्य सरकार के आदेश सं. प. 8(2) ए.आर. 3/83 दिनांक 20-10-1983 द्वारा किया गया है । इस आदेश में स्पष्टतया अंकित है कि समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जानी चाहिये । दिनांक 30-6-87 को समाप्त त्रैमास से सम्बन्धित सूचना से विदित होता है कि इस त्रैमास में उक्त समिति की बैठकें आपके द्वारा प्रत्येक माह आयोजित नहीं की गई । जैसा कि इस समिति के कार्यक्षेत्र से विदित होगा, जन अभाव अभियोगों के सामयिक निस्तारण एवं विभिन्न विभागों के स्तर पर सामान्य कार्य सम्पादन में विलम्ब आदि की शिकायतों पर कार्यवाही त्वरित गति से की जाती है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति की बैठकें प्रति माह आयोजित किया जाना अति आवश्यक है ।

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा जारी किये गये निम्न परिपत्रों की ओर भी आकर्षित किया जाता है :—

1. परिपत्र संख्या एफ-2(2) आरपीजी/एएस/जी/84, दिनांक 8/13-6-84
2. परिपत्र संख्या एफ-4(2) आरपीजी/एएस/एफ/84, दिनांक 7/8-8-86
3. परिपत्र संख्या एफ-2(2) आरपीजी/एएस/जी/86, दिनांक 9-1-87

परिपत्र दिनांक 8/13 जून, 1984 में उक्त समिति की बैठकें प्रत्येक माह आयोजित करने तथा समिति द्वारा संपादित कार्य त्रैमासिक विवरण प्रत्येक तिमाही के आगामी माह की 10 तारीख तक जन अभियोग निराकरण विभाग को प्रेषित

किये जाने बाबत अनुरोध किया गया था। परिपत्र दिनांक 7/8-8-86 तथा 9-1-1987 में सीमित बैठकें प्रत्येक माह आयोजित किये जाने बाबत मुद्दे पर पुनः बल देते हुए त्रैमासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ उपरोक्त तिथि तक प्रेषित कर दी जाती है, इस बाबत सुनिश्चयन करने का भी उल्लेख था।

इस समिति की बैठकें अधिकांश जिलों में प्रत्येक माह आयोजित नहीं की जा रही है। इस त्रुटि को राज्य सरकार बहुत गम्भीर मानती है। भविष्य में समिति की बैठक आवश्यक रूप से (without fail) प्रत्येक माह आयोजित की जावे इसका सुनिश्चयन करना आपका व्यक्तिगत दायित्व होगा।

इस पत्र की प्राप्ति से सूचित करें।

भवन्निष्ठ

ह0/–

बी. बी. एल. माथुर

श्री

जिला कलक्टर,

अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बून्दी, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर।

परिशिष्ट V

राजस्थान सरकार

जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक : एफ-4(2) आरपीजी/एएस/एफ/84 जयपुर, दि. 8-8-1980

प्रेषित :—

समस्त जिला कलक्टर,

विषय :—जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियों बाबत ।

———

जैसा कि आपको विदित है राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति कार्यरत है । इन समितियों के कार्य का पुनरावलोकन किये जाने पर पाया गया है कि कुछ जिलों में इन समितियों की बैठक प्रत्येक माह आयोजित नहीं की जा रही हैं । ऐसे भी उदाहरण सामने आये हैं जब इस मुद्दे पर प्रसारित राज्यादेश के विपरीत बैठक की अध्यक्षता आयुक्त, जन अभियोग निराकरण विभाग/सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा नहीं की जाकर अन्य अधिकारी द्वारा की गई । राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश संख्या प. 6(2) प्र. सु. 3/83 दिनांक 20-10-83 एवं 24-10-83 में अंकित निर्देशानुसार इस समिति की बैठक प्रत्येक माह में आयोजित की जानी चाहिये, अतः तद्नुसार बैठकें आयोजित नहीं किया जाना न केवल निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है बल्कि इससे ये समितियां गठित करने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है ।

2. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान इस विभाग द्वारा प्रसारित परिपत्र/पत्र संख्या (1) एफ-1(22)आरपीजी/एएस/जी/85 दिनांक 3-6-86, (2) एफ-1(2)आरपीजी/एएस/जी/85, दिनांक 21-6-85 व (3) एफ-2 (2) आरपीजी/एएस/जी/85, दिनांक 18-10-85 की ओर भी आकर्षित किया जाता है । राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि :—

(1) समिति की बैठक प्रत्येक माह निश्चित रूप से आयोजित की जानी चाहिए । यदि किन्हीं बहुत ही अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बैठक आयोजित नहीं की जा सकें तो उन परिस्थितियों का स्पष्टतः उल्लेख करते हुए इस विभाग से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जावें ।

(2) समिति की बैठक की अध्यक्षता स्वयं जिला कलक्टर अथवा आयुक्त, जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा ही की जानी चाहिये ।

(3) समिति की बैठक का दिनांक पूर्व निर्धारित होना चाहिये और इसका सघन प्रचार किया जाना चाहिये ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बैठक की जानकारी हो सके तथा वे अपना अभियोग समिति के समक्ष रखकर उसका निराकरण करवा सकें।

(4) जिन अधिकारियों को उनके विभाग से सम्बन्धित मामलों के संदर्भ में समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया जाता है, यदि वे बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जावें।

(5) इस विभाग के परिपत्र/पत्र सं. एफ-2 (2) आरपीजी/एएस/जी/84 दिनांक 13-6-84 व (2) एफ-2 (5) आरपीजी/एएस/जी/85 दि. 23-5-86 के द्वारा समिति की बैठकों से सम्बन्धित त्रैमासिक विवरण इस विभाग में त्रैमास की समाप्ति पर अगले महिने की दस तारीख तक प्राप्त हो जाना चाहिये। वांछित विवरण के साथ निर्धारित प्रपत्र में सूचना भेजने के अतिरिक्त एवं समीक्षात्मक टिप्पणी भी जिसमें उक्त मुद्दे तथा अन्य आवश्यक सूचना संकलित हो, प्रेषित की जावें।

उपरोक्त निर्देशों का कृपया पूर्णतः अनुपालन किया जावें।

3 कृपया प्राप्ति की सूचना भेजें।

ह0

(जी. रामचन्द्र)

आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव

क्रमांक : एफ-4 (2) आरपीजी/एएस/एफ/84 जयपुर, दिनांक 8-8-86

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान, जयपुर।

ह0

(आर. एस. अग्रवाल)

उपायुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव

परिशिष्ट I

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 77 की सूची

वर्ष	नसबन्दी		लूप निवेशन		गर्भ निरोधक उपयोगकर्त्ता		मुख्य सैव्य गोली उपयोगकर्त्ता	
1984-85	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	(लाखों में)		(लाखों में)		(लाखों में)		(लाखों में)	
1984-85	2·94	1·38	0·85	0·62	1·60	1·55	0·31	0·09
1985-86	2·85	2·68	0·85	0·96	1·60	1·78	0·31	0·14
1986-87	3·00	2·25	1·20	1·26	1·40	2·40	0·20	0·36
1987-88	3·00	1·94	1·20	1·40	2·20	2·98	0·20	0·44
1988-89	2·25	1·07	2·10	1·71	5·28	4·28	0·46	0·46

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बादशाह मेला ब्यावर

78. **श्री माणक डाणी** (ब्यावर) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ब्यावर में प्रतिवर्ष बादशाह मेला आयोजित होता है ? यदि हां, तो क्या इस मेले को पर्यटन मेले के रूप में विकसित करने हेतु सर्वे किया गया ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या विभाग इस मेले पर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रयत्नशील है ? यदि हां, तो इस हेतु क्या प्रयत्न किये गये ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या विभाग इसे "पर्यटन मेला" घोषित करने का भी विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस मेले पर राज्य मन्त्री द्वारा दिये गये आदेशों पर प्रचार सामग्री प्रकाशित कर दी गई ? यदि हां, तो प्रकाशित सामग्री की प्रतियां सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक इस मेले की प्रचार सामग्री प्रकाशित कर दी जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के अनुसार मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। बादशाह मेले के विषय में विभाग ने प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त की है। (प्रति संलग्न) विस्तृत सर्वे विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।

(2) विस्तृत सर्वे के पश्चात ही मेले के प्रचार के लिए कार्यवाही की जायेगी। ये बिन्दु विचाराधीन है। होली के माहोल में आयोजित होने वाले समारोह में पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन से जानकारी प्राप्त करने व उनकी सहमति पर ही कार्यवाही करना सम्भव होगा।

(3) यदि सुरक्षा की दृष्टि से उचित पाया गया तो विभाग उक्त मेले को प्रचार-प्रसार के लिए ले सकता है।

(4) अजमेर-पुष्कर मेले के पर्यटन साहित्य में इसका उल्लेख किया जा रहा है।

निदेशक महोदय के निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता ने ब्यावर में मनाये जाने वाले बादशाही मेले के सम्बन्ध में 5 मार्च,1988 को ब्यावर जाकर वहां के विधायक श्री माणक डाणी से सम्पर्क किया। श्री डाणी ने मेले के सम्बन्ध में अग्रवाल समाज के संयोजक श्री बृजमोहन लाल रायपुरिया तथा सचिव श्री रमेश बंसल से मिलवाया जिन्होंने मेले के पुराने इतिहास के सम्बन्ध में निम्न तथ्य बताये:--

ऐसी मान्यता है कि यह बादशाही मेला, मुगल बादशाह अकबर के साथ अग्रवाल समाज के अच्छे सम्बन्धों के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि एक बार बादशाह अकबर को कुछ धन की आवश्यकता पड़ी अग्रवालों ने उसे तत्काल पूरा किया। इसके बाद हरियाणा में अग्रोहा नामक स्थान पर अग्रवाल समाज ने बादशाह अकबर को उसके समस्त परिवार तथा दरबारियों के साथ दावत पर बुलाया। इन कारणों से खुश होकर अकबर ने राजा टोडरमल को, जो कि उनके नवरत्नों में से एक थे तथा अग्रवाल समाज के मुखिया थे कुछघण्टों के लिए बादशाहत प्रदान की। यह मेला उसी के प्रतीक के रूप में प्रतिवर्ष होली दहन के तीसरे दिन लगभग 90 वर्ष से ब्यावर में मनाया जाता है जो कि साम्प्रदायिक सद्‌भाव का उत्कृष्ट उदाहरण है।

मेले में बादशाह अग्रवाल समाज के किसी युवक को बनाया जाता है जब कभी कई दावेदार हो जाते हैं तो उसी स्थिति में बोली लगाकर निर्णय किया जाता है। बोली की राशि अग्रवाल समाज को दे दी जाती है। बीरबल या वजीर पुष्करण ब्राह्मणों के एक ही परिवार का व्यक्ति ही प्रतिवर्ष बनाया जाता है। बादशाह की सवारी पाँच बत्ती से शुरू होती है। बादशाह सदैव एक ही दुकान, जो कि आजकल लालचन्द हगाम चन्द फर्म के नाम है, से तैयार होता है। यदि यह दुकान कभी विक्रय भी की जाती है तो उसकी सेलडीड में भी वहां से बादशाह के तैयार होने की परम्परा की निर्वाह करने को उल्लेख होता है।

कुछ वर्ष पूर्व तक बादशाह की सवारी पालकी में निकाली जाती थी, परन्तु अब वह ट्रक पर निकाली जाती है। वजीर (बीरबल) आगे-आगे नाचता हुआ चलता है कई मन गुलाल, जो कि विशेष तौर से बम्बई से मंगवाया जाता है, ट्रक पर बादशाह के पास रखा जाता है जिसे वह सभी दर्शकों पर कागज में रखकर फैंकता हुआ चलता है। जो कि बादशाह द्वारा अशर्फियां लुटाने का प्रतीक होता है। छतों पर हजारों की संख्या में स्त्रियां बैठी रहती हैं तथा सड़क पर लगभग 20 से 25 हजार पुरुषों की भीड़ चलती है जिसमें लगभग सभी लोग थैलियों में अच्छी किस्म का लाल गुलाल लिए रहते हैं और एक दूसरे पर फैंकते चलते हैं। इस समय का दृश्य बहुत अच्छा होता है। सारा वातावरण लाल रग में सराबोर हो जाता है, लोग गाते हुए चलते हैं। वह सवारी लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा सायं 5.00 बजे से रात 8.30 बजे तक पूरी करती हैं। शाम को जब ए. डी. एम. कोर्ट पर यह यात्रा

पहुंचती हैं, वहां पर प्रशासन की ओर से इसका स्वागत किया जाता है वहीं पर गाँधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, श्रीमती इन्दिरा गाँधी आदि राज-नेताओं के चित्र रखे रहते हैं जिन पर गुलाल डाल कर यह यात्रा पुनः शहर जाती है। प्रशासन की ओर से बीरबल व नौबत बजाने वालों को पुरस्कार दिया जाता है।

इसी दिन दोपहर में मोचियों के मौहल्ले में कोडामार होली होती है जो कि बृज प्रदेश की लठ्मार होली की तर्ज पर खेली जाती है। सड़क के बीच में बड़े-बड़े कड़ाहों में रंग भर कर यह होली खेली जाती है जो कि देखने लायक होती है। इसे आस-पास के ऊंचे मकानों से देखा जा सकता है,

श्री माणक डाणी ने बताया कि होली से लगभग 15 दिन पहिले से विभिन्न मोहल्लों के नव युवक रात भर गैर नृत्य करते हैं। 15 मार्च को भी बादशाह की सवारी निकालने से पहले लगभग 250 नवयुवक गैर नृत्य कर रहे थे।

इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सारा ब्यावर नगर इसमें पूरे उत्साह के साथ भाग लेता है। सभी उम्र के लोग सवारी के साथ चलते हैं तथा स्त्रियाँ आस-पास के मकानों पर हजारों की संख्या में ऊपर बैठकर देखती हैं। आस-पास के गांवों से भी काफी संख्या में स्त्री-पुरुष मेला देखने आते हैं।

मेले की सारी व्यवस्था व खर्च अग्रवाल समाज ही वहन करता है।

स्थानीय विधायक श्री माणक डाणी का विचार था कि इस मेले को पर्यटन की दृष्टि से भी प्रचारित तथा विकसित किया जावें साथ ही पर्यटन प्रचार साहित्य में भी इसका उल्लेख किया जावे। वे यह भी चाहते हैं कि बादशाही मेले के दिन कुछ विदेशी पर्यटकों को लाकर छतों से उन्हें दिखाया जाये। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने भी लगभग 1.30 घण्टे तक मेले में भाग लिया था। यदि इस मेले का प्रचार किया जाता है तो यह पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मेला बन सकता है।

अवलोकनार्थ तथा आदेशार्थ प्रस्तुत है।

ह0/–

अति. निदेशक (प्रशासन)

(जी. एस. कुशवाहा)
सहायक निदेशक

सपोटरा में मुन्सिफ न्यायालय

79. **श्री ऋषिकेश मीणा** (सपोटरा) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जनता को क्षस्ता न्याय सुलभ कराने की दृष्टि से क्या सरकार प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर एक मुन्सिफ कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यथि हां, तो सपोटरा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय कब तक खोलने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं, धनाभाव के कारण सपोटरा में मुन्सिफ कोर्ट खोलना अभी सम्भव नहीं है ।

गंगापुर तहसील की हरिजन बस्तियों में बिजली

'80. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार की जानकारी के अनुसार गंगापुर तहसील के कितने ग्रामों में हरिजन बस्तियां हैं ?

(2) वर्ष 1980 से मार्च 1989 तक कितनी हरिजन बस्तियों में बिजली लगाई जा चुकी है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) शेष हरिजन बस्तियों में बिजली क्यों नहीं लग पाई व अब कब तक लगा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) इस तरह की कोई सूचना मण्डल द्वारा संकलित नहीं की जाती है ।

(2) वर्ष 1980 से मार्च 1989 तक गंगापुर पंचायत समिति की 22 हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण किया गया है । सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से उनके द्वारा विद्युत उपभोग का खर्च वहन करने का आवेदन प्राप्त होने पर किया जाता है । इस समय गंगापुर पंचायत समिति की किसी भी हरिजन बस्ती के विद्युतिकरण का प्रस्ताव मण्डल के पास विचाराधीन नहीं है । अतः समयबद्ध सूचना देना सम्भव नहीं है ।

प. सं. 65 सूची "अ"

पंचायत समिति/तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में 1980 से 1989 तक विद्युतिकृत की गई हरिजन बस्तियों की सूची। (मार्च, 89 तक)

क्र. सं.	गांव का नाम	हरिजन बस्ती का नाम	विद्युतिकरण की तिथि
1.	खेड़ली	हरिजन बस्ती	31.3.86
2.	बागलाई	,,	31.3.86
3.	साइदाला	,,	31.3.80
4.	वजीरपुर	,,	31.3.86
5.	उदयखुर्द	रेगर बस्ती	31.3.83
6.	,,	हरिजन बस्ती	31.3.83
7.	महानन्दपुरा	,,	31.1.85
8.	बड़ सलोदा	बैरवा बस्ती	15.3.85
9.	महूकलां	काली बस्ती	14.3.85
10.	हबीबपुर	रैगर बस्ती	31.3.85
11.	उमरी	,,	31.3.85
12.	टोकसी	,,	28.2.86
13.	सालमपुर	,,	31.2.86
14.	नौगांव	,,	31.3.85
15.	मिरजापुर	,,	31.3.85
16.	अरनिया	,,	31.3.85
17.	हिन्गाटियां	,,	31.3.85
18.	जुग्रालो	,,	31.3.85
19.	छावा	,,	31.3.85
20.	गंगापुर वार्ड सं. 19	हरिजन बस्ती	30.12.86
21.	चुलो	रैगर बस्ती	30.11.87
22.	ताजपुर	,,	31.3.88

बुधवाडा नदी के काजवें की मरम्मत

81. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या कालेसरा से बुधवाडा लिंक रोड़ कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर द्वारा बनाई गई है ?

(2) क्या इस सड़क पर बुधवाडा नदी में एक काजवे बना हुआ है, और वह काजवे 1975 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था ?

(3) क्या इस काजवे के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ग्रामवासियों को अपने वाहन, बैलगाड़ी द्वारा कृषि उपज की जिन्स भरकर ब्यावर मण्डी में ले जाने के लिए 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है ?

(4) क्या इस क्षतिग्रस्त काजवे की मरम्मत का तखमीना बनाकर मण्डी समिति, अजमेर द्वारा कृषि विपणन बोर्ड जयपुर को भिजवाया जा चुका है ?

(5) यदि हां, तो इस काजवे की मरम्मत अभी तक नहीं कराने के क्या कारण रहे हैं ? अब कब तक इसकी मरम्मत करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। कालेसरा से बुधवाडा लिंक रोड़ बुधवाडा नदी के बाईं ओर के किनारे तक बनाई गई हैं।

(2) वर्ष, 1975 से पूर्व काजवे का निर्माण व बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने की जानकारी नहीं है। मण्डी ने काजवे 1979 में निर्मित किया था।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) मण्डी का प्रस्ताव आने पर वित्तीय स्थिति के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 82 (स्थगित)

अनुबन्धित बसें

83. **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अनुबन्धित बसें बन्द करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कब, क्यों व किस स्तर पर ?

(2) उक्त निर्णयानुसार कितनी बसों को कब बन्द किया गया ?

(3) क्या अनुबन्धित बसें पुनः लगाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कब, क्यों व किस स्तर पर ?

उत्तर

(1) जी हां। माह सितम्बर, 88 में यह निर्णय लिया गया था। इनको हटाने के मुख्य कारण निम्न थे :--

(I) अनुबन्धित वाहनें आये दिन संचालन से अनुपस्थित हो जाती थीं जिसके कारण न केवल संचालन व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती थी। निगम को अल्प समय

(परिवहन मन्त्री)

में स्वयं को वाहन उपलब्ध करानी होती थी जिससे संचालन में विलम्ब होने के कारण निगम की छवि धुमिल होती थी।

(II) इन वाहनों के विरूद्ध समय-समय पर जन परिवाद भी प्राप्त होते रहते थे तथा यह वाहनें यात्रियों के लिये आरामदायक भी नहीं थीं।

(III) निगम संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा भी इन बसों की लम्बी दूरी के मार्गों पर एवं रात्रि सेवा के रूप में संचालित न रखने हेतु मांग की थी। साथ ही राजकीय उपक्रम समिति द्वारा भी इसी आशय की आपत्ति उठाई गई थी।

(IV) इन वाहनों को जब रात्रि सेवा एवं लम्बी दूरी के मार्गों से हटाया गया तो यह निगम के विरूद्ध मुकद्में दायर कर स्थगन प्राप्त करने लग गये जिससे निगम को इन वाहनों का निरीक्षण न करने व इनके मार्ग परिवर्तन न करने बाबत निर्देश मिलने के कारण संचालन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न होने लगा और दुर्घटनाओं की सम्भावना भी अधिक रहने लगी।

(2) उक्त निर्णयानुसार दिनांक 30-9-88 को 129 वाहनों को हटाया गया था और दिनांक 6-10-88 से 14-11-88 की अवधि में 37 वाहनों को संचालन से हटाया गया।

(3) जी हां। निजी वाहन स्वामियों के अनुरोध पर विचार विमर्श उपरान्त राज्य शासन के निर्देशानुसार दिनांक 25-11-88से निजी वाहनों को परिवर्तित शर्तों पर पुनः अनुबन्ध पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 84 (स्थगित)

चूरू जिले की शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद

85. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) एवं **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) चुरू जिले में कितने सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल तथा कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कितने उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रियाशील है ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चुरू जिले के उक्त स्कूलों में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत है ? कृपया विद्यालय एवं तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चुरू जिले के उक्त स्वीकृत अध्यापकों के पदों में से कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चुरू जिले में 22 सीनियर हायर सैकेण्डरी तथा 287 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रियाशील है। जिले में कोई भी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) चुरू जिले के उक्त विद्यालयों में प्रथम श्रेणी के 273, द्वितीय श्रेणी के 582 तथा तृतीय श्रेणी के 1999 पद स्वीकृत हैं विद्यालय एवं तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) उक्त स्वीकृत पदों में से 18 प्रथम श्रेणी, 22 द्वितीय श्रेणी तथा 88 तृतीय श्रेणी के पद रिक्त हैं। नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध हटने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही कर दी जायेगी रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

260

चुरू जिले में तहसीलवार क्रियाशील राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची :—

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद श्रेणीवार			रिक्त पद श्रेणीवार		
		I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8
	तहसील चुरू						
1.	सीराबागला उ.मा. वि. चुरू	17	26	07	01	02	—
2.	सीरा गोयनका ,,	12	21	02	—	03	—
3.	सी उ.मा. वि. रतननगर	13	09	07	—	—	—
4.	सी उ.मा. वि., दुधवाखारा	10	10	06	02	01	—
5.	रा.बा. सी. उ.मा. वि., चुरू	12	00	07	—	—	—
	तहसील रतनगढ़						
6.	रा.सी.उ.मा. वि., राजगढ़	15	13	03	01	01	—
7.	,, राजलदेसर	11	08	09	01	01	—
	तहसील राजगढ़						
8.	रा.सी.उ.मा. वि., राजगढ़	23	29	11	02	03	—
9.	,, धणाऊ	07	06	06	01	01	—
10.	,, हमीरवास	11	08	06	—	01	—
11.	,, सिद्धमुख	08	07	06	03	—	—
12.	,, जैतपुरा	10	07	05	—	—	—
	तहसील सरदारशहर						
13.	रा.सी.उ.मा.वि.,सरदारशहर	17	14	07	02	—	01
	तहसील डूंगरगढ़						
14.	रा.सी.उ.मा.वि., डूंगरगढ़	19	18	05	02	—	—
15.	राबा ,, ,,	08	07	07	—	01	—

तहसील तारानगर

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	रा.सी.उ.मा.वि.,तारानगर	16	15	12	—	—	—
17.	,, साहवा	10	07	07	02	01	01

तहसील सुजानगढ़

18.	रा.सी.उ.मा.वि.,सुजानगढ़	17	18	12	—	—	—
19.	जाजोदिया उ.मा. वि., ,,	12	15	—	—	—	—
20.	सी उ.मा वि., छापर	08	07	12	—	1	—
21.	,, बीदासर	10	11	06	—	—	—
22.	,, सालासर	07	09	04	01	—	—

चुरू जिले में तहसीलवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद श्रेणीवार			रिक्त पद श्रेणीवार		
		I	II	III	I	II	III
	2	3	4	5	6	7	8
1.	रा.उ.प्रा.वि.,सरदार चुरू	—	03	20	—	—	—
2.	,, खेमका चुरू	—	03	07	—	—	—
3.	अग्नी उ.मा प्रा. वि., ,,	—	02	09	—	—	—
4.	शारदा उ. प्रा. वि., ,,	—	03	19	—	—	—
5.	गोपाल उ.प्रा.वि., ,,	—	01	03	—	—	—
6.	रा.उ.प्रा.वि., खासोली	—	01	08	—	—	=
7.	,, लखाऊ	—	01	07	—	—	—
8.	,, सिरसला	—	01	08	—	—	—
9.	,, जोड़ी	—	01	07	—	—	—
10.	,, खण्डवा	—	01	08	—	—	—
11.	,, सहनाली छोटी	—	01	07	—	—	—
12.	,, घण्टेल	—	01	08	—	—	—
13.	,, घीरासर	—	01	07	—	—	—
14.	,, बूंटीया	—	01	08	—	—	—
15.	,, ल्होसना बडा	—	1	08	—	—	—
16.	,, ढाढरीया वारमान	—	01	06	—	—	—
17.	,, पीथीसर	—	01	07	—	—	01
18.	,, इन्द्रपरा	—	01	07	—	—	—

262

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	रा.उ.प्रा.वि., भामसी	—	01	08	—	—	—
20.	,, बीनासर	—	01	07	—	—	—
21.	,, खीवासर	—	01	06	–	—	—
22.	,, श्यामपुरा	—	01	07	—	—	—
23.	,, देपालसर	—	01	08	—	—	—
24.	,, छारीया	—	01	08	—	—	—
25.	,, ढाढर	—	01	12	—	—	—
26.	,, रायपुरीया	—	01	09	—	—	04
27.	,, राणासर	—	01	12	—	—	—
28.	,, लालासर	—	01	11	—	—	01
29.	,, ऊटवालिया	—	01	10	—	—	—
30.	,, ग्रासलखेड़ी	—	01	05	—	—	—
31.	,, सिरसली	—	01	06	—	—	—
32.	,, ग्रासासर	—	01	05	—	—	—
33.	,, बालरासर ग्रथुणा	—	01	03	—	—	01
34.	,, खारिया	—	01	—	—	—	—
35.	,, चलकोई	—	01	—	—	—	—
36.	रा.बा.उ.प्रा.वि., पी.के., चुरू	—	01	11	—	—	—
37.	रा.बा.प्रा.वि., पारख, चुरू	—	01	11	—	—	—
38.	,, धाधु	—	01	—	—	—	—
39.	,, रतननगर	—	01	06	—	—	—
40.	,, रिबीया	—	01	05	—	—	03

तहसील रतनगढ़

41.	रा.उ.प्रा.वि., लधासर	—	01	06	—	—	—
42.	,, लाछड़सर	—	01	06	—	—	—
43.	,, गोलसर	—	01	06	—	—	—
44.	,, जेकनिया बीदावतान	—	01	05	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	रा.उ.प्रा.वि., लोहा	—	01	07	—	—	—
46.	,, पाबसर	—	01	05	—	01	—
47.	,, हामसर	—	01	06	—	—	—
48.	,, राजलदेसर	—	01	10	—	—	—
49.	,, प्रकाश रतनगढ़	—	02	10	—	—	—
50.	,, सिमसिया	—	01	05	—	—	01
51.	,, बछरारा	—	01	07	—	—	01
52.	,, सेहला	—	01	08	—	—	—
53.	,, ठणवता	—	01	06	—	—	—
54.	,, लूंछ	—	01	05	—	—	—
55.	,, खोतड़ी	—	01	07	—	—	—
56.	,, जालेऊ	—	01	10	—	—	—
57.	,, नवीन रतनगढ़	—	02	08	—	—	—
58.	,, खबेरा बड़ा	—	01	08	—	—	—
59.	,, बीरमसर	—	01	09	—	—	—
60.	,, राजलदेसर	—	02	07	—	—	01
61.	,, कागड़	—	01	04	—	—	—
62.	,, भावनदेसर	—	01	05	—	—	01
63.	,, बीनादेसर	—	01	04	—	—	—
64.	,, प. पुर रतनगढ़	—	01	09	—	—	—
65.	,, कनवारी	—	01	05	—	—	—
66.	,, परसनेऊ	—	01	05	—	—	—
67.	,, भरपालसर	—	01	05	—	—	—
68.	,, स्टेट रतनगढ़	—	02	17	—	—	—
69.	,, गोरीसर	—	01	—	—	—	—
70.	रा.बा.उ.प्रा.वि., रतनगढ़	—	01	06	—	—	—
71.	,, वेद रतनगढ़	—	01	09	—	—	—
72.	,, पड़ीहारा	—	01	07	—	—	—
73.	,, गोगासर	—	01	06	—	—	—

तहसील राजगढ़

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	रा.उ.प्रा.वि., सादुलपुर	...	01	11	...	...	...
75.	,, च. वाला राजगढ़	...	02	11	...	...	...
76.	,, मोहता राजगढ़	...	02	11	...	...	...
77.	,, फूलचन्द राजगढीया	...	02	12	...	...	...
78.	,, चैनपुरा छोटा	...	01	06	...	...	...
79.	,, सुरतपुरा	...	01	08	...	...	...
80.	,, ढढाललेख	...	01	05	...	...	...
81.	,, गागड़वास	...	01	07	...	...	...
82.	,, पहाड़सर	...	01	08	...	...	...
83.	,, भवाड़ी	...	01	06	...	...	...
84.	,, लाखलाण	...	01	06	...	...	...
85.	,, वानोठी बड़ी	...	01	06	...	...	...
86.	,, सहलानाउतारदा	...	01	07	...	...	...
87.	,, लेसड़ी	...	01	07	...	...	...
88.	,, गाठिया बड़ी	...	01	07	...	...	...
89.	,, गालड़	...	01	09	...	...	...
90.	,, ढिगारला	...	01	09	...	...	...
91.	,, मुन्दीताल	...	01	06	...	...	....
92.	,, चुभकीया ताल	...	01	08	...	...	...
93.	,, ख्याली	...	01	09	...	...	...
94.	,, कालरी	...	01	08	...	...	...
95.	,, ढाणी बड़ी	...	01	04	...	...	...
96.	,, खेरू बड़ी	...	01	04	...	...	...
97.	,, न्यागल छोटी	....	01	05	....	...	....
98.	,, हासिया बास	....	01	06	....	....	....
99.	,, चुभकीया गढ़	....	01	04	...	...	...
100.	,, खुड़ी	....	01	04	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8
101.	रा.उ.प्रा.वि.,चेनपुरा बड़ा	...	01	04	...	...	...
102.	,, किशनपुरा	...	01	05	...	...	...
103.	,, गुलपुरा	...	01	06	...	...	...
104.	,, सुलखेनिया इबड़ा	...	01	05	...	...	...
105.	,, जसचतपुरा	...	01	05	...	...	...
106.	,, लिलकी	...	01	04	...	...	...
107.	,, बिरमी बड़ी	...	01	04	...	...	...
108.	,, कान्द्राणा	...	01	08	...	...	...
109.	,, बेरासर छोटा	...	01	09	...	...	...
110.	,, बेजवा	...	01	07	...	...	...
111.	,, भैसली	...	01	08	...	...	...
112.	,, लम्बोरड़ी	...	01	07	...	...	...
113.	,, नवां	...	01	08	...	...	...
114.	,, नहन्द	...	01	07	...	...	...
115.	,, राधाछोटी	...	01	07	...	...	...
116.	,, गुगलवा	...	01	08	...	...	...
117.	,, लिलावठी	...	01	07	...	...	...
118.	,, चिरपाली बड़ी	...	01	08	...	...	...
119.	,, रावतसर कुजला	...	01	07	...	...	...
120.	,, नीमा	...	01	02	...	...	...
121.	,, बीझावास	...	01	....	...	...	...
122.	,, रामसरताल	...	01	....	...	...	...
123.	,, ढाणा	...	01	....	...	...	...
124.	,, मिठड़ी केसरीसिंहपुर	...	01	....	...	...	...
125.	रा.बा.उ.प्रा. वि., जेतपुरा	...	01	06	...	...	...
126.	,, नेशन	...	01	10	...	...	...
127.	,, सिद्धमुख	...	01	07	...	...	...
128.	,, रामपुर बेरी	...	01	11	...	...	...
129.	,, दुदरेवा	...	01	10	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8
130.	रा.बा.उ.प्रा.वि., ढिगली	...	01	...	...	10	...
131.	,, राजगढ़	...	01	07	...	...	...
	तहसील सरदारशहर						
132.	राउ प्रा. वि., गाजसर	...	01	06	...	...	...
133.	,, खेजड़ा	...	01	05	...	...	...
134.	,, अजीतसर	...	02	07	...	...	01
135.	,, बन्धानाऊ	...	01	08	...	...	...
136.	,, बकनसुर बड़ा	...	01	06	...	...	01
137.	,, जैसरागसर	...	01	06	...	...	...
138.	,, सारसर	...	01	06	...	...	...
139.	,, सोनी सरदारशहर	...	03	15	...	...	...
140.	,, अड़सीसर	...	01	04	...	...	01
141.	,, तोलासर	...	01	05	...	...	01
142.	,, कल्याणपुरा	...	01	07	...	...	...
143.	,, बायला	...	01	05	...	...	...
144.	,, बरड़ासर	...	01	06	...	...	...
145.	,, काकलासर	...	01	06	...	...	...
146.	,, बोगेरा	...	01	05	...	01	01
147.	,, राजासर बीकान	...	01	06	...	...	01
148.	,, मालसर	...	01	06	...	...	...
149.	,, बरंजागसर	...	01	07	...	...	02
150.	,, सोनपालसर	...	01	05	...	...	10
151.	,, बादड़िया	...	01	05	...	...	...
152.	,, तेजसीसर	...	01	06	..	...	02
153.	,, मालकसर	...	01	05	...	...	...
154.	,, आसपालसर	...	01	05	...	...	...
155.	,, हरीजन बस्ती सर.	...	01	05	...	...	...
156.	,, रा. अ. सरदारशहर	...	01	05	...	...	...

Page No. 277

1	2	3	4	5	6	7	8
157.	रा.उ. प्रा.वि., धड़सीसर	...	01	06	...	...	...
158.	,, भादासर दिखनादा	...	01	07	...	...	...
159.	,, भोजासर	...	01	06	...	...	...
160.	,, बिल्युबा सुरामपुरा	...	01	06	...	...	01
161.	,, पिचकराइताल	...	01	08	...	...	02
162.	,, अन्जुमन, सरदारशहर	...	01	08	...	...	...
163.	,, सवाई बड़ी	...	01	08	...	...	...
164.	,, रणसीसर	...	01	05	...	...	02
165.	,, रामसीसर	...	01	09	...	...	02
166.	,, आसलसर	...	01	07	...	...	...
167.	,, रूपलीसर	...	01	06	...	...	...
168.	,, हरियासर	...	01	07	...	...	...
169.	,, मेहरासर चाचेरा	...	01	03	...	...	01
170.	,, पातलीसर	...	01	...	...	...	...
171.	रा.बा.उ.प्रा.वि.,सरदारशहर	...	01	12	...	...	...
172.	,, पुलासर	...	01	05	...	...	03
173.	,, मेलूसर	...	01	07	...	...	01

तहसील डूंगरगढ़

1	2	3	4	5	6	7	8
174.	रा.उ.प्रा. वि., ठुकरीयासर	...	01	06	...	...	...
175.	,, छिखमादेसर	...	01	04	...	...	...
176.	,, कल्याणसर नया	...	01	06	...	...	...
177.	,, शेरुणा	...	01	06	...	01	01
178.	,, बेनीसर	...	01	06	...	...	01
179.	,, तोलियासर	...	01	07	...	...	...
180.	,, सांवतसर	...	01	06	...	...	...
181.	,, बाना	...	01	07	...	...	...
182.	,, मोहता, डूगरगढ	...	02	13	...	...	...

268

1	2	3	4	5	6	7	8
183.	रा. उ.प्रा.वि.,कितासर	...	01	06	...	...	...
184.	,, बंरजागसर	...	01	05	...	...	01
185.	,, लधासर	...	01	05	...	...	...
186.	,, घीरदेसर चोटियान	...	01	05	0	.01	02
187.	,, जैतासर	...	01	05	...	...	...
188.	,, बिगावास सरमसरा	...	01	05	...	...	01
189.	,, उदरासर	...	02	05	...	...	...
190.	,, पुन्दलसर	...	01	05	...	...	...
191.	,, डेलवा	...	01	04	...	...	...
192.	,, ऊपनी	...	01	04	...	...	01
193.	,, देराजसर	...	01	07	...	...	02
194.	,, धर्मसिरा	...	01	06	...	...	...
195.	,, डागा, डूंगरगढ़	...	01	10	...	...	...
196.	,, जोधासर	...	01	05	...	...	...
197.	,, राजेडू	...	01	06	...	...	01
198.	,, बापेऊ	...	01	09	...	...	01
199.	,, बीभासर	...	01	06	...	...	02
200.	" धनेरु	...	01	05	...	...	...
201.	,, लिखमीसर उतरादा	...	01	05	...	...	01
202.	,, सूडसर	...	01	08	...	...	...
203.	,, सारणा बड़ा	...	01	05	...	...	01
204.	,, कन्तासर	...	01	04	...	...	02
205.	,, लोढेरा	...	01	...	...	...	...
206.	रा.बा.उ.प्रा.वि.,डागा डूगंरगढ़		01	07	...	...	...
207.	,, कालूबास, डूगरगढ़	....	01	07	....	....	01
208.	,, बीगा	....	01	06	....	....	01
209.	,, दुबबासर	....	01	07	....	....	....
210.	,, मोमासर	....	01	08	....	....	01
211.	,, इनपालसर	....	01	....	....	01	....

तहसील तारानगर

1	2	3	4	5	6	7	8
212.	रा.उ.प्रा. वि., ढाणग्राशा	...	01	06	....	....	....
213.	,, कालवास	....	01	07	....	....	....
214.	,, रेड़ीभरासर	....	01	07	....	....	....
215.	,, सरावगी, तारानगर	....	02	12	....	....	....
216.	,, पूनसीसर	....	01	06	....	....	....
217.	,, गाजवास	....	01	06	....	....	....
218.	,, हड़ियाल	....	01	06	....	...	....
219.	,, भालेरी	....	01	06	....	....	....
220.	,, भनीणा	....	01	06	....	....	....
221.	,, कोहिणा	....	01	06	....	....	....
222.	,, भाड़ग	....	01	05	....	....	....
223.	,, राजपुरा	....	01	09	....	....	....
224.	,, नेठवा	....	01	07	....	....	....
225.	,, ढिगी	....	01	05	....	....	....
226.	,, ढाणी कुम्हारान	....	01	06	....	....	....
227.	,, पुनरासर	....	01	08	....	....	01
228.	,, रेयाटण्डा	...	01	07	....	....	....
229.	,, पण्डरेऊ टिब्बा	....	01	06	....	....	....
230.	,, जिकसानाताल	....	01	08	....	....	....
231.	,, भाडसर काधलान	....	01	07	....	....	....
232.	,, नवीन, तारानगर	....	01	09	....	....	....
233.	,, सारापण	...	01	05	...	...	01
234.	,, लूणास	...	01	05	...	...	01
235.	,, बनियाला	...	01	05	...	...	01
236.	,, भाड़सर छोटा	...	01	02	...	...	...
237.	राबाउ.प्रा.वि.धीरवासकला	...	01	04	...	...	02

२७०

1	2	3	4	5	6	7	8
238.	रा.बा.उ.प्रा.वि.,बूचावास	...	01	05	...	...	02
239.	,, साहवा	...	01	11	...	...	02
240	,, बाय	...	01	....	...	...	...
	तहसील राजगढ़						
241.	रा.उ.प्रा.वि.,झंवर सुजानगढ़	...	02	12	...	...	...
242.	,, बांठीया बीदासर	...	01	08	...	...	...
243.	,, सद्दावड़ी	...	01	04	...	...	...
244.	,, बोबासर	...	01	05	...	...	...
245.	,, मुन्दड़ा	...	01	06	...	...	...
246.	,, भासीणा	...	01	05	...	...	...
247.	,, जैतासर	...	01	05	...	...	...
248.	,, लुहारा	—	01	05	—	—	—
249.	,, हरासर	—	01	05	—	—	01
250.	,, परखेड़ा	—	01	04	—	—	—
251.	,, सारोठिया	—	01	04	—	—	02
252.	,, खुड़ी	—	01	06	—	—	—
253.	,, कोलासर	—	01	07	—	—	01
254.	,, चक राजीयासर	—	01	05	—	—	01
255.	,, ग्राबसर	—	01	08	—	—	—
256.	,, बड़ावर	—	01	06	—	—	—
257.	,, बजाज, सुजानगढ़	—	01	06	—	—	—
258.	,, मलसीसर	—	01	09	—	—	01
259.	,, दड़ीवा	—	01	07	—	—	—
260.	,, जिली	—	01	05	—	—	—
261.	,, ईयारा	—	01	06	—	—	—
262.	,, अमरसर	—	01	06	—	—	—
263.	,, बाजसरा पूर्वी	—	01	06	—	—	01

1	2	3	4	5	6	7	8
264.	रा.बा.प्रा.वि., लोडसर	—	01	06	—	—	—
265.	,, पेड़ीवाल, छापर	—	01	08	—	—	—
266.	,, चारिया	—	01	06	—	—	—
267.	,, गिरवरसर	—	01	05	—	—	01
268.	,, रेड़ा	—	01	05	—	—	01
269.	,, खारिया कनीराम	—	01	09	—	—	01
270.	,, त्यामा	—	01	08	—	—	—
271.	,, बम्भू	—	01	06	—	—	01
272.	,, स्थानरा	—	01	07	—	—	—
273.	,, ढढेरू	—	01	03	—	—	01
274.	,, जिनरासर	—	01	05	—	—	—
275.	,, तालियासर	—	02	03	—	—	—
276.	,, वाजसर ग्राथूणा	—	01	03	—	—	—
277.	,, खारिया बड़ी	—	01	04	—	—	—
278.	,, बामरणीया	—	01	03	—	—	—
279.	,, जोगलसर	—	01	03	—	—	—
280.	,, नवीन, सुजानगढ़	—	02	11	—	—	—
281.	,, दूकर	—	01	05	—	—	01
282.	,, नोरंगसर	—	01	06	—	—	01
283.	रा.उ.बा.प्रा.वि., बरड़ीया सुजानगढ़	—	01	11	—	—	01
284.	,, भीसरीया	—	01	12	—	—	—
285.	,, सालासर	—	01	06	—	—	—
286.	,, चाड़वास	—	01	06	—	—	—
287.	,, साण्डवा	—	01	09	—	—	—

सूरतगढ़ मंडी की 1 जी. डी. से 7 जी. डी. सड़क का निर्माण

86. **श्री हंसराज मिढा** (सूरतगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़, मण्डी घड़साना के चक 1 जी. डी. से 7 जी. डी. सड़क की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो कितने किलोमीटर कौन-कौन से रास्ते से ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सड़क चक 7 जी. डी. तक बना दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस सड़क को कृषि उपज मण्डी समिति, घड़साना के नक्शे तब्दील करके गलत बनवाई है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) चक 3 जी. डी., 5 जी. डी. व 7 जी. डी. तक सड़क न बनने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार के पत्रांक प. 15 (2) कृषि/ग्रु प-2 बी/87 दिनांक 9-9-86 को ए/आर बीकानेर अनूपगढ़ रोड से 1 जी. डी. से 7 जी. डी. सड़क 5 किलोमीटर लम्बाई में 12·40 लाख की लागत से स्वीकृत की गई है । स्वीकृति में रास्ते का विवरण नहीं है ।

(2) जी नहीं । वर्तमान में सड़क का कार्य प्रगति पर है ।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति के प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी गई और उसी के अनुसार निर्माण कराया जा रहा है । इसमें कोई अधिकारी दोषी प्रतीत नहीं होता है ।

(4) अधिक गांवों को सड़क से जोड़ने के उद्देश्य से चक 3 जी. डी. एवं 5 जी. डी. को जोड़ा गया है ।

रींगस में रेल्वे ओवर-ब्रिज

87. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रींगस में नेशनल हाइवे पर रेल्वे ओवर-ब्रिज बनाने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा भूमि तथा अन्य कार्य नहीं करने से वह कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका ? यदि हां, तो क्या कारण है तथा कब तक यह कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

उत्तर

भारत सरकार द्वारा सिर्फ भूमि अवाप्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी उसके अन्तर्गत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर ली गई है । जहां तक रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है यह भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय के बीच विचाराधीन है साथ ही ओवर ब्रिज की एप्रोचेज बनाने का

(यातायात मंत्री)

प्रस्ताव भी भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार से स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रशिक्षणाधीन महिलाओं को छात्रवृत्ति

88. श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार एस. टी. सी. एवं बी. एड. में प्रशिक्षण पाने वाली विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्ति देती है ? यदि हां, तो किन-किन छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति दी गयी ?

(2) वर्ष 1988-89 में ऐसी कितनी महिलाओं को कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां। शैक्षणिक सत्र 88-89 में एस. टी. सी. एवं बी. एड में प्रशिक्षण पाने वाली विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान दी गई छात्रवृत्ति की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) कुल 49 महिलाओं को रुपये 73050/– छात्रवृत्ति के वितरित किए गए। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(274)

राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को छात्रवृत्ति के रूप में दी गई राशि का विवरण

क्र. सं.	छात्रा का नाम	विधवा/तलाकशुदा	देय राशि
1.	श्रीमती सरला खत्री	विधवा	1500/-
2.	,, सुधा अग्रवाल	,,	2000/-
3.	,, आभा मिश्रा	,,	1250/-
4.	,, कुसुम बोरा	,,	1250/-
5.	,, ललिता देवी जैन	,,	1250/-
6.	,, प्रतिभा देवी जैन	,,	1250/-
7.	,, कृष्णा ओझा	,,	1250/-
8.	,, सुशीला कोचर	,,	1250/-
9.	,, सईदन	तलाकशुदा	1500/-
10.	कु. सरला सोनी	,,	1000/-
11.	वीना गुरानी	,,	1250/-
12.	आशा सोनी	,,	750/-
13.	रजिया सुल्ताना	,,	1250/-
14.	मीनाक्षी गुजराती	,,	1250/-
15.	सलिका यासमीन	,,	1250/-
16.	कलोबरी अन्सारी	,,	1250/-
17.	उमा देवी पालीवाल	,,	1250/-
18.	कृष्णा कुमारी	,,	1250/-
19.	अर्चना भार्गव	,,	2000/-
20.	रेणु बाला	,,	2000/-
21.	रविन्द्र कौर	विधवा	1250/-

राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को दी गई छात्रवृत्ति का विवरण

क्र. सं.	नाम छात्रा	विधवा/तलाकशुदा	देय राशि
1.	श्रीमती उषा आचार्य	विधवा	1600/-
2.	,, आशा मोटवानी	,,	1600/-
3.	,, रामलता शर्मा	,,	1600/-
4.	,, गीता शर्मा	,,	1600/-
5.	,, हेमलता भट्ट	,,	1600/-
6.	,, चन्द्रकान्ता	,,	1600/-
7.	,, तारा आचार्य	,,	1600/:
8.	,, तारा देवी सोनी	,,	1600/-
9.	,, उमा कुमारी	,,	1600/-
10.	,, पिस्ता बाई	,,	1600/-
11.	,, शोभा बिस्सा	,,	1600/-
12.	,, शकुन्तला व्यास	,,	1600/-
13.	,, तुलसी टहलानी	,,	1600/-
14.	,, पुष्पा पंवार	,,	1600/-
15.	,, मुंजुला लिलावत	,,	1600/-
16.	,, वीरमती जैन	,,	1600/-
17.	पुष्पा गहलोत	तलाकशुदा	1600/-
18.	हेमलता गुप्ता	,,	1600/-
19.	शकुन्तला स्वर्णकार	,,	1600/-
20.	कुशाल देवी जैन	,,	1600/-
21.	संगीता शर्मा	,,	1600/-
22.	तारा देवी	,,	1600/-
23.	कमला देवी	,,	1600/-
24.	धीरेन्द्र कुमारी	,,	1600/-
25.	निसार बानो	,,	1600/-
26.	सुशीला जैन	,,	1600/-
27.	प्रकाश कुमारी मेहता	,,	1600/-
28.	श्रीमती ग्लोरिया	,,	1600/-

बीकानेर जिले में स्वरोजगार योजना से लाभ

89. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़) एवं **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में गत तीन वर्षों में कितने शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु ऋण दिया गया ? उनमें से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या-क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को ऋण वितरण का प्रतिशत अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिशत की असमानता को दूर करेगी ?

(3) विगत तीन वर्षों में दिए गए इन ऋणों का कितना प्रतिशत भुगतान समय पर हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में जिलेवार कुल कितने बेरोजगारों को गत 3 वर्षों में ऋण उपलब्ध कराया गया ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में स्वरोजगार योजना अन्तर्गत गत तीन वर्षों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दिये जाने की सूचना सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र से इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पर अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। शहरी क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार अधिक है व शहरी क्षेत्र में शिक्षा के साधन भी अधिक हैं। शहरी क्षेत्र के साथ इस योजना में सरकार की ओर से कोई पक्षपात का बर्ताव नहीं है।

(3) विगत तीन वर्षों में 61./· अभ्यार्थियों को समय पर ऋण वितरित हुआ है। समय पर वितरित हुए ऋण की सूचना सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जिलेवार ऋण वितरण की सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूची "अ"

बीकानेर जिले में स्वरोजगार योजना अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में किये गये ऋण स्वीकृति की, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में दिये गये ऋण एवं समय पर दिये गये ऋण वितरण की सूची :—

वर्ष	स्वीकृत ऋण संख्या	ऋण वितरण युवाओं की संख्या		
		शहरी	ग्रामीण	कुल योग
1986–87	302	161	43	204
1987–88	177	105	45	150
1988–99	303	105	19	124
योग :	782	371	107	478

(278)

सूची 'ब'

प्रदेश में गत तीन वर्षों में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण वितरण की सूचना

क्र. सं.	जि. उ. के. का नाम	वर्ष		
		1986–87	1987–88	1988-89
1.	जयपुर	913	556	340
2.	अजमेर	230	194	174
3.	अलवर	758	415	611
4.	भीलवाड़ा	227	141	155
5.	जोधपुर	652	253	359
6.	पाली	92	53	47
7.	कोटा	460	235	216
8.	उदयपुर	535	301	317
9.	नागौर	181	111	82
10.	बांसवाड़ा	65	29	27
11.	सीकर	187	110	91
12.	चित्तौड़गढ़	192	114	135
13.	भरतपुर	192	108	59
14.	बीकानेर	204	150	124
15.	श्रीगंगानगर	635	365	467
16.	सवाई माधोपुर	213	127	109
17.	झुन्झुनू	175	98	107
18.	टोंक	128	56	73
19.	बाड़मेर	70	33	50
20.	जैसलमेर	26	23	26
21.	डूंगरपुर	68	49	56
22.	जालोर	39	21	17
23.	सिरोही	112	47	37
24.	झालावाड़	54	36	16
25.	चूरू	296	106	105
26.	बून्दी	180	74	92
27.	धोलपुर	57	32	25
	कुल योग—	6941	3837	3917

बयाना मंडी क्षेत्र की सड़कें

90. **श्री बृजेन्द्र सिंह** (बयाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बयाना एवं विधान सभा क्षेत्र बयाना के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा अब तक कितनी सड़कें बनायी गई हैं ?

(2) क्या यह सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या अधूरी सड़कों को सरकार प्राथमिकता देकर पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, बयाना के माध्यम से नवीन सड़कें बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां, और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त कृषि उपज मण्डी द्वारा बयाना क्षेत्र में बनाई गई सड़कों की कभी मरम्मत कराई गयी ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बयाना द्वारा तहसील बयाना एवं विधान सभा क्षेत्र बयाना के अन्तर्गत 7 सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया जा रहा हैं ।

(2) जी नहीं । शेष कार्य की स्वीकृति जारी की जा रही हैं ।

(3) जी हां । वर्ष, 1991-92 तक पूर्ण कराया जाना सम्भावित हैं ।

(4) जी हां । मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त किये गयें है । उन पर नीति अनुसार स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जावेगी ।

(5) वर्ष 1988-89 में मण्डी समिति बयाना क्षेत्र में कुछ सड़कों की मरम्मत कराई गई हैं ।

रामगढ़ (अलवर) तहसील के जोताओं को खातेदारी हकूक

91. **श्री रघुवर दयाल गोयल** (रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि अलवर जिलान्तर्गत तहसील रामगढ़ में माफीदारी और जागीरदारी समाप्ति के बाद उन गांवों के तत्समय जोता रहे काफी किसान को उसी समय खातेदार घोषित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या ऐसे कितने-कितने किसान किस-किस गांव में हैं जो खातेदार घोषित नहीं हुए हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इसे कब तक सुधार कर ऐसे व्यक्तियों को खातेदारी हकूक दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अलवर जिले की तहसील रामगढ़ में माफीदारी एवं जागीरदारी समाप्त होने के बाद उन गांवों की तत्समय जोता रहे किसानों को उसी समय खातेदार घोषित किया जा चुका है । माफीदारी व जागीरदारी समाप्त होने के बाद का कोई भी काश्तकार इस समय खातेदारी देने से शेष नहीं है ।

(2) तहसील रामगढ़ में इस प्रकार का कोई मामला शेष नहीं है जिसे माफीदारी एवं जागीदारी समाप्ति के बाद खातेदारी दी जानी हो ।

गंगानगर शुगर मिल द्वारा गन्ना उत्पादन

92. **श्री केदारनाथ शर्मा**(श्री गंगानगर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर शुगर फैक्ट्री में गत वर्ष गन्ने की बिजाई कितने क्षेत्र पर हुई ? मिल में कितना गन्ना पिलाई के लिये प्राप्त हुआ ?

(2) गन्ने की किस्म किस वर्ष बदली गयी और उसका आधार क्या था ?

(3) गन्ने की पैदावार कम होने के कारणों की जांच कब और किसने की है ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गंगानगर शुगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर में गत वर्ष (1988-89) 4879.50 बीघा क्षेत्र में गन्ने की बिजाई की गई। मिल को सत्र 1988-89 में 2·42 लाख क्विंटल गन्ना पिराई हेतु प्राप्त हुआ था।

(2) वर्ष 1971 से 1983-84 तक देर से पकने वाली गन्ने की किस्म सी. ओ. 1253 की पैदावार की जाती थी। इस किस्म को निम्नांकित कारणों से वर्ष 1983-84 में बदला गया :—

(क) गन्ने में चीनी की मात्रा कम होना।

(ख) देर से पकने वाली किस्म होने के कारण यह गन्ना 15 मार्च के उपरान्त सीजन समाप्ती पर होता है।

(ग) लम्बी अवधि तक इस किस्म की लगातार पैदावार लेने से इस किस्म में बीमारियां पैदा हो जाना।

(घ) वर्टिकल डिटिरियोरेशन होना।

(3) पैदावार कम होने के विषय में कोई जांच नहीं की गई बल्कि पैदावार बढ़ाने हेतु सर्वेक्षण कराया गया है, सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के विचाराधीन है।

जोधपुर जिले में क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक शालाएं

93. **श्री नारायण राम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1988-89 में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए गए ? जोधपुर जिले की ऐसी सूची सदन की मेज पर रखें

(2) गत वर्ष शिक्षा विभाग जोधपुर, से किन-किन गांवों के प्रस्ताव क्रमोन्नति हेतु भेजे गए ? उसकी सूची मय नाम ग्राम सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालय क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड थे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1988-89 में कुल (600) छः सौ प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए गए हैं। जोधपुर जिले में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए गये विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार के पास क्रमोन्नती के प्रस्ताव जिलास्तर से प्राप्त नहीं होते हैं।

(3) विद्यालयों को क्रमोन्नति हेतु ग्राम की जनसंख्या, कक्षा 5 की छात्र संख्या भवन व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों की मांग बजट प्रावधान आदि के आधार पर गुणा व गुण से निर्णय लिया जाता है।

वर्ष 1988-89 में जोधपुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

	ग्रामीण क्षेत्र	पंचायत समिति
1.	सिंधियों की ढाणी मलार	भोपालगढ़
2.	नारनाड़ी	लूणी
3.	सरपूर्णा	लूणी
4.	सांगरिया	लूणी
5.	सालोड़ी	मण्डौर
6.	दांतीवाड़ा	मण्डौर
7.	कानासर	बाॅप
8.	कैलवा कलां	ओसियां
9.	नेतड़ा	ओसिया
10.	कोटड़ा	ओसिया
11.	रावणी पाणा	बिलाड़ा
12.	कीजंरी	ओसिया
13.	खेड़ापा	ओसिया
14.	एकलखोरी	ओसिया
15.	भाखरी	ओसिया
16.	मालूंगा	ओसिया
17.	चांदेलाव	बिलाड़ा
18.	कैरू (संस्कृत)	जोधपुर
19.	लौढिया	फलौदी
	शहरी क्षेत्र	
20.	शिवमगरी	बिलाड़ा शहर
21.	घाणा मगरा	बिलाड़ा शहर
22.	रा. प्रा. वि., गोशाला	फलौदी शहर
23.	डिगाडी	सरदारपुरा जोधपुर
24.	रा. बा. प्रा. वि., नं. 2 पूंजला (कन्या)	सरदारपुरा जोधपुर
25.	प्रतापनगर	मण्डौर

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट—5

अनुपस्थित सदस्य के प्रश्न संख्या 75 की सूची

निर्माण कार्यों की स्थिति

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रावधान (लाखों में)	खर्चा (लाखों में)	विवरण
1	2	3	4	5
1.	सर्वे एवं लैण्ड प्रिपरेशन	4·00	—	वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।
2.	चार दीवारी गेट तथा चैक पोस्ट	5·33	3·51	गेट चैक पोस्ट एवं विवाद ग्रस्त ऐरिया को छोड़कर पूर्ण हो चुका हैं।
3.	आंतरिक सड़क	10·73	4·14	50% पोर्शन में डब्लू. बी. एम. की दो लेयर का कार्य पूर्ण है शेष में कार्य प्रगति पर है, डामर कार्य हेतु टेण्डर विचाराधीन है।
4.	नालियां एवं कासिंग	4·20	—	उच्च रेट प्राप्त होने के कारण टेण्डर पुनः आमंत्रित करने है।
5.	स्ट्रीट लाइट	3·25	1·96	आन्तरिक फिटिंग कर दी गई है आन्तरिक सड़कों के साथ खम्भे लगाये जा चुके है तथा विद्युत कनेक्शन हेतु कार्यवाही की जा रही हैं।

1	2	3	4	5
6.	जल व्यवस्था	5·50	2·74	उच्च जलाशय सी. डब्लू. आर. तथा पम्प हाऊस का कार्य पूर्ण है। मुख्य कनेक्शन लगाने का कार्य पी. एच. ई. डी. से करने हेतु कार्यवाही की जा रही हैं।
7.	क्योस्क	0·72	0.25	कार्य करीब करीब पूर्ण हैं।
8.	प्याऊ	0·54	0·21	कार्य पूर्ण है।
9.	खेली	0·20	0·18	कार्य पूर्ण हैं।
10.	शौचालय व पेशाबघर	0·60	0·13	कार्य करीब करीब पूर्ण हैं।
11.	नीलामी चबूतरा	5.88	3·46	खुले चबूतरे पूर्ण है चबूतरों को ढकने का कार्य शेष हैं।
12.	कार्यालय भवन	1·80	0·55	छत तक पूर्ण है शेष कार्य प्रगति पर हैं।
13.	दुकान मय गोदाम (12 बड़े 24 छोटे)	42.00	38·42	कार्य पूर्ण है। अन्तिम बिल का भुगतान करना हैं।
14.	दुकान मय चबूतरे (24 नं.)	15·12	12·89	,, ,,
15.	खुदरा दुकाने (12 नं.)	2·88	2·69	,, ,,

1	2	3	4	5
16.	दुकान मय गोदाम (फल व सब्जी) (10 नं.)	7·25	6·20	कार्य पूर्ण है। अन्तिम बिल का भुगतान करना है।
17.	दुकान मय चबूतरा (फल सब्जी) (20 नं.)	7·30	5·96	,, ,,
18.	गोदाम (फल सब्जी) (5 नं.)	1·46	1·24	,, ,,
	योग		86·53	

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 107 की सूची

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA
(PART II SECTION 8)
SUB-SECTION (i) DATED 17TH JUNE, 1978/27
JYAISTHA, 1900 (SAKA)

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF FOOD)

ORDER

New Delhi, the 9th June, 1978

G. S. R. 800—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and in supersession of the order of the Government of India in the late Ministry of Agriculture (Department of Food) NO. GSR. 316 (E) dated the 20th June, 1972, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (ii) and (j) of sub-section (2) thereof shall, in relation of foodstuffs be exercisable also by a State Government subject to the conditions :—

(1) that such powers shall be exercised by a State Government subject to such directions, if any, as may be issued by the Centeral Government in this behalf;

(2) that before making an order relating to any matter specified in the said clauses (a), (c) or (f) or in

regard to distribution or disposal of foodstuffs to places outside the State or in regard to regulation of transport of any foodstuff under the said clause (d), the State Government shall also obtain the prior concurrence of the Central Government; and

(3) that in making an order relating to any of the matters specified in the said clause (j) the State Government shall authorise only an officer of Government.

K. Balakrishnan,

Deputy Secy. to the Govt. of India.

(No. 3 (Genl)(1)/78–D & R (I)–59)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(FOOD & CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT)

No. F. 17(29) FS/Legal/72 Jaipur, dated 27.10.78

Copy forwarded to :—

1. All Collectors of Rajasthan.
2. All District Supply officers of Rajasthan.
3. All Officers of Food Department.
4. Guard file.

Sd/-

Dy. Food Commissioner-Cum.

Dy. Secretary to Government

THE ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955

(Extracts of Sections 3, 4 & 5)

3. POWER TO CONTROL PRODUCTION, SUPPLY DISTRIBUTION ETC. OF ESSENTIAL COMMODITIES :—

(1) If the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do for maintaining or increasing supplies of any essential commodity or for securing their equitable distribution and availability at fair prices or for securing any essential commodity for the defence of India or the efficient conduct of military operations, it may, by order, provide for regulating or prohibiting the production, supply and distribution thereof and trade aud commerce therein.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), an order made thereunder may provide :—

(a) fot regulating by licences, permits or otherwise the production or manufacture of any essential commodity;

(b) for bringing under cultivation any waste or arable land, whether appurtenant to a building or not, for growing thereon of food crops generally or of specified food-crops, and for otherwise maintaining or increasing the cultivation of food crops generally or of specified food-crops.

(*) Inserted vide Act No. 18 of 1981 dated 2.9.1981 effective from 1.9.1982

(c) for controlling the price at which any essential commodity may be bought or sold;

(d) for regulating by licences, permits or otherwise the storage, transport, distribution, disposal, acquisition, use or consumption of any essential commodity;

(e) for prohibiting the withholding from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale;

(f) for requiring any person holding in stock, or engage in the production, or in the business of buying or selling, of any essential commodity :—

(a) to sell the whole or a specificd part of the quantity held in the stock or produced or received by him, or

(b) in the case of any such commodity which is likely to be produced or received by him, to sell the whole or a specified part of such commodities when produced or received by him,

to the Central Government or a State Government or to an officer or agent of such Government or to a corporation owned or controlled by such Government or to such other person or class of persons, and in such circumstances as may be specified in the order.

Explanation 1 :—An order made under this clause in relation to foodgrains, edible oilseeds or edible oils, may, having regard to the estimated production, in the concerned area, of such foodgrains, edible oilseeds and edible oils, fix the quantity to be sold by the producer in such area and may also fix, or provide for the fixation, of such quantity on a graded basis, having regard to

the aggregate of the area held by, or under the cultivation of the producers.

Explanation 2 :—For the purpose of this clause, "Production" with its grammatical variations and cognate expressions includes manufacture of edible oils and sugar.

(g) for regulating or prohibiting any class of commercial or financial transactions relating to foodstuffs or cotton textiles which, in the opinion of the authority making the order, are, or, if unregulated, are likely to be, detrimental to the public interests;

(h) for collecting any information or statistics with a view to regulating or prohibiting any of the aforesaid matters;

(i) for reguiring persons engaged in the production, supply or distribution of, or trade and commerce in, any essential commodity, to maintain and produce for inspection such books accounts and records relating to their business and to furnish such information relating thereto, as may be specified in the order;

(j) for the grant or issue of licences, permits or other documents the charging of fees therefor, the deposit of such sum, if any, as may be specified iu the order as security for the due performance of the conditions of any such licence, permit or other document, the forefeiture of the sum so deposited or any part thereof for contravention of such conditions, and the adjudication

of such forefeiture by such authority as may be specified in the order;

(j) for any incidental and supplementary matters including, in particular, the entry, search or examination of premises, aircraft, vessels, vehicles or other conveyances and animals, and the seizure by a person authorised to make such entry, search or examination :—

(i) of any articles in respect of which such person has reason to belive that a contravention of the order has been, is being, or is about to be committed and any packages, coverings or receptacles in which such articles are found;

(ii) of any aircraft, vessel, vehicle or other conveyance or animal used in carrying such articles, if such person has reason to belive that such aircraft, vessel, vehicle or other conveyancc or animal is liable to be forfeited under the provisions of this Act;

(iii) of any books of accounts and documents which in the opinion of such person, may be useful for, or relevant to, any proceeding under this Act and person from whose custody such books of accounts or documents are seized shall be entitled to make copies thereof or to take exracts therefrom in the presence of an officer having the custody of such books of accounts or documents.

(3) Where any person sells any essential commodity in compliance with an order, made with reference to clause (f) of

sub-section (2), there shall be paid to him price therefor as herein after provided :—

(a) where the price can, consistently with the controlled price, if any, fixed under this section, be agreed upon, the agreed price;

(b) where no such agreement can be reached, the price calculated with reference to the controlled price if any;

(c) where neither clause (a) nor clause (b) applies, the price calculated on the market rate prevailing in the locality on the date of sale.

(3A) (i) If the Central Government is of opinion that it is necessary so to do for controlling the rise in prices, or preventing the hoarding of any foodstuff in any locality, it may, by notification in the official Gazette, direct that notwithstanding anything contained in sub-section (3), the price at which the foodstuff shall be sold in the locality in compliance with an order made with reference to clause (f) of sub-section (2) shall be regulated in accordance with the provisions of this sub-section.

(ii) Any notification issued under this sub-section shall remain in force for such period not exceeding three months as may be specified in the notification.

(iii) Where, after the issue of a notification under this sub-section, any person sells foodstuffs of the kind specified therein and in the locality so specified, in compliance with an order made with reference to clause (f) of sub-section (2), there shall be paid to the seller as the price therefore :--

(a) Where the price can, consistently with the controlled price of the foodstuff, if any, fixed under this section, be agreed upon, the agreed price;

(b) where no such agreement can be reached, the price calculated with reference to the controlled price, if any;

(c) where neither clase (a) nor clause (b) applies, the price calculated with rcference to the average market rate prevailing in the locality during the period of there months immediately preceding the date of the notification.

(iv) for the purposes of sub-clause (c) of clause (iii), the average market rate prevailing in the locality shall be determined by an officer authorised by the Central Government in this behalf, with reference to the prevailing market rates for which published figures are available in respect of that locality; or of a neighbouring locality and the average market rate so determined shall be final and shall not be called in question in any Court.

(3B) Where any person is required, by an order made with reference to clause (f) of sub-section (2), to sell to the Central Government or a State Government or to an officer or agent of such Government, or to a Corporation owned or controlled by such Governmet, any grade or variety of foodgrains, edible oilseeds or edible oils in relation to which no notification has been issued under sub-section (3A), or such notification having been issued, has ceased to be in force, there shall be paid to the person concerned, notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (3), an amount equal to the procurement price of such foodgrains, edible oilseeds or

edible oils, the case may be, specified by the State Government with the previous approval of the Central Governmet having regard to :—

(a) the controlled price, if any fixed under this section or by or under any other law for the time being in force for such grade or variety of foodgrains, edible oilseeds or edible oils;

(b) the general crop prospects;

(c) the need for making such grade or variy of food-grains, edible oilseeds or edible oils available at reasonable price to the consumers, particularly the vulnerable sections of the consumers; and

(d) the recommendations, if any, of the Agricultural Prices Commission with regard to the price of the concerned grade or variety of foodgrains, edible oil-seeds or edible oils.

(3C) Where any producer is required by an order made with reference to clause (f) of sub-section (2) to sell any kind of sugar (whether to the Central Government or to any officer or agent of such Government or to any other person of class or persons) and either no notification in respect of such suger has been issued under sub-section (3A) or any such notification, having been issued, has ceased to remain in force by efflux of time, then notwithstanding anything cootained in sub-section (3), there shall be paid to that producer an amount therefore which shall be calculated with reference to such price of sugar as the Central Government may, by order, determine having regard to :

(a) the minimum price, if any, fixed for sugarcane by the Central Government under this section;

(b) the manufacturing cost of sugar;

(c) the duty or tax, if any, paid or payable thereon; and

(d) the securing of a reasonable return on the capital empioyed in the business of manufacturing sugar, and different prices may be determined, from time to time, for different areas or for different factories or for different kinds of sugar.

Explanation :—For the purposes of this sub-section, 'producer' means a person carrying on the business of manufacturing sugar.

(4) If the Central Government is of opinion that it is necessary so to do for maintaining or increasing the production and supply of an essential commodity, it may, by order, authorise any person (hereinafter referred to as an authorised controller) to exercise, with respect to the whole or any part of any such undertaking engaged in the production and supply of the commodity as may be specified in the order such functions of control as may be provided therein and so long as such order is in force with respect to any undertaking or part thereof :—

(a) the authorised controller shall exercise his fundctions in accordance with any instructions given to him by the Central Governmet, so, however, that he shall not have any power to give any direction inconsistent with the provisions of any enactment or any instrument determining the function of the persons in charge of

the management of the undertaking, except in so far as may specifically provided by the order; and

(b) the undertaking or part shall be carried on in accordance with any directions given by the authorised controller under the provisions of the order, and any person having any functions of management in relation to the undertaking or part shall comply with any such directions.

(5) An order made under this section shall :

(a) in the case of an order of a general nature of affecting a class of persons, be notified in the official Gazette; and

(b) in the case of an order directed to a specified indivi-ual be served on such individual :—

(i) by delivering or tendering it to that individual, or

(ii) if it cannot be so delivered or tendered, by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that individual lives, and a written report thereof shall be prepared and witnessed by two persons living in the neighbourhood.

(6) Every order made under this section by the Central Government or by any officer or authority of the Central Government shall be laid before both Houses of Parliament, as soon as may be, after it is made.

4. IMPOSITION OF DUTIES ON STATE GOVERNMENT ETC :

An order made under section 3 may confer powers and impose duties upon the Central Government or the State Government or officers and authorities of the Central Government or State Governmet, and may contain direction to any State Goverenment or to officers and authorities thereof as to the exercise of any such powers or the discharge of any such duties.

5. D ELEGATION OF POWERS :

The Central Government may, by notified order, direct that the power to make orders or issue notification under section 3 shall, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercisable also by :—

(a) such officer or authority subordinate to the Central Government; or

(b) such State Govetnment or such officer or authority subordinate to a State Government.

as may be specified in the direction.

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 108 की सूची

1988–89

क. सं.	कीटनाशी निर्माण कर्ता का नाम	राजकीय कीटनाशी विश्लेषण प्रयोगशाला			केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला		
		कुल लिए गए नमूनों की सं.	अमानक पाये गये नमूनों की सं.	स्वीकृति दी गई नमूनों की संख्या	कुल लिए गए नमूनों की सं.	अमानक पाये गये नमूनों की संख्या	स्वीकृति दी गई नमूनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पैस्टीसाइडस इण्डिया, उदयपुर	18	4	4	3	—	—
2.	यूनिवर्सल कैमिकल वर्क्स, उदयपुर	7	1	—	2	—	—
3.	प्रकाश पलवराइजिंग मिल्स, अलवर	2	1	—	1	—	—
4.	भारत मिनरल एण्ड कैमीकल इन्डस्ट्रीज अलवर	—	—	—	—	—	—
5.	हरबी साइडस (इण्डिया), जयपुर	—	—	—	3	—	—
6.	लौटस पैस्टी-साइडस, सादड़ी (पाली)	इकाई निर्माण नहीं कर रही है।					
7.	इण्डियन मैन्युफैक्चरिंग कं., जयपुर	4	4	—	6	3	—
8.	गुप्ता कैमीकल्स, जयपुर	3	1	—	5	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री, जयपुर	8	3	2	2	—	—
10.	गोयन्का इन्डस्ट्रीज, जयपुर	8	5	1	6	1	—
11.	बी. एल. इन्डस्ट्रीज, जयपुर	13	9	4	4	2	1
12.	एग्रो कैमीकल्स, जयपुर	6	3	1	7	1	1
		74	32	13	40	8	3

नोटः—

(1) अमानक नमूनों के अलावा शेष नमूने मानक पाये गये।

(2) अ. केन्द्रीय प्रयोगशाला में जो कुल 40 नमूने भेजे गये उनमें से 38 नमूने निर्माणकर्ता के थे एवं दो विक्रेताओं के थे।

ब. राजकीय प्रयोगशाला में भेजे गये 74 नमूनों में से 3 नमूने निर्माणकर्ताओं के थे।

परिशिष्ट—8

परिशिष्ट—"अ"

अतारांकित प्रश्न संख्या 118 की सूची

वर्ष 1988–89 में नागौर जिले में डी. आर. डी. ए. के मशीन द्वारा डी. डी. पी.

कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित किये गये नलकूपों का विवरण

क्र. सं.	काश्तकार का नाम	ग्राम	पंचायत समिति	मशीन	
1	2	3	4	5	
1.	चूनाराम	दियाबड़ी	नागौर	डी. टी. एच.--1	
2.	मन्नाराम	सेनणी	मुण्डवा	,,	
3.	जोगीदास	केल्यासनी	रिया	आर टी-15	विभागीय
4.	दुर्गाराम	गुडिया	मुण्डवा	डी टी एच-2	,,
5.	गुमानसिंह	,,	,,	,,	
6.	सुगनाबाई	भानास	मेड़ता	आर टी-15	,,
7.	मालाराम	लाम्बाजाटन	,,	डी टी एच-2	
8.	शिवनारायण	टाडास	मुण्डवा	,,	
9.	मूलाराम	,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	
10.	जवानाराम	कल्सासनी	रिया	आर टी-15	विभागीय
11.	प्रेमाराम	खींपसर	मुण्डवा	डी टी एच-2	
12.	बाबूलाल	,,	,,	,,	
13.	देवाराम	सालावास	,,	,,	
14.	श्रीमती कमला	खींपसर	..	,,	
15.	श्री पूनमचन्द	इण्डाना	,,	,,	
16.	जवानाराम	भायण्डा	,,	,,	
17.	चन्दनसिंह	भानास	मेड़ता	आर टी-15	,,
18.	भीमाराम/रामूराम	पूण्डसू	,,	डी टी एच-2	
19.	पूनाराम	धन्नाप्पा	,,	,,	
20.	रूपाराम	लालास	मुण्डवा	,,	
21.	भँवरलाल	खोडवा	मेड़ता	,,	
22.	भेराराम	,,	,,	,,	
23.	चुनाराम/दुर्गाराम	हिलोडी	मुण्डवा	,,	
24.	ओमप्रकाश	धीरोद	,,	,,	
25.	चन्द्रशेखर	गुडिया	,,	,,	

301

1	2	3	4	5	
26.	सीताराम	संखवास	मुण्डवा	डी टी एच-2	
27.	शिवलाल/विद्धाराम	डागावास	मेड़ता	आर टी--22	
28.	तुलसाराम/आशाराम	पुण्डलू	,,	डी टी एच--2	
29.	हनुमानराम/बुद्धाराम	,,	,,	,,	
30.	गजेसिंह	मांगलियास	,,	,,	
31.	रामरतन	गोटन	,,	,,	
32.	रामनिवास/रामलाल	कल्यासनी	,,	आर टी--5	विभागीय
33.	नाथूसिंह	भानास	,,	आर टी--15	
34.	धेवरराम	भरिसासनी	,,	आर टी--15	
35.	शिवदानराम	गुडिया	मुण्डवा	डी टी एच--2	
36.	गंगासिंह/किशोरसिंह	,,	,,	,,	
37.	रामचन्द्र एण्ड पार्टी	माणकपुर	,,	,,	
38.	हरसुखराम	गगवाना	नागौर	,,	
39.	श्रीमती चम्पादेवी	रूण	मुण्डवा	,,	
40.	गोविन्दराम/जोगाराम	धुधियाडी	,,	,,	
41.	श्रीमती नारायण कंवर	बिरलोका	,,	,,	

1	2	3	4	5	
42.	जस्साराम	बाकलियास	मेड़ता	डी. टी. एच. 2	
43.	भंवरसिंह	भाणठा	मुंडवा	,,	
44.	श्रीमती भंवरी कंवरी	माणकपुर	,,	,,	
45.	बक्ताराम	भावण्डा	,,	,,	
46.	भूराराम	कल्यासानी	मेड़ता	आर टी--15	विभागीय

नागौर जिले में डी. आर. डी. ए. मशीन द्वारा
डी. डी. पी. स्कीम में निर्मित नलकूपों की सूची
वर्ष 89--90

क. सं.	काश्तकार का नाम	ग्राम	पंचायत समिति	मशीन
1.	2.	3.	4	5
1.	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह	बांधलियास	मेड़ता	डी टी एच--2 (डी आर डीए मशीन)
2.	श्री हरदीनराम/पूसाराम	ढुकलिया	मेड़ता	,,

परिशिष्ट ब (I)

विभागीय मशीन से बनाये गये नलकूपों
की सूची वर्ष 1988–89

क. सं.	पार्टी का नाम	ग्राम	जिला	विशेष विवरण तहसील
1	2	3	4	5
1.	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मेड़तासिटी, नागौर	अकेली—I	नागौर	तहसील नावा
2.	,, ,,	अकेली—II	,,	तहसील मेड़ता
3.	,, ,,	अकेली—III	,,	,, ,,
4.	,, ,,	गरनेडी	,,	तहसील मेड़ता
5.	,, ,,	डांगियावास	,,	,, ,,
6.	,, ,,	अकेली—IV	,,	,, ,,
7.	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डीडवाना	अक्सर	,,	तहसील नावा
8.	,, ,,	पावण्डीया	,,	,, ,,
9.	,, ,,	परवेडी	,,	,, ,,
10.	,, ,,	सीलिया	,,	,, ,,
11.	,, ,,	हुडोल	,,	,, ,,
12.	वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक सर्वे एवं अनुसंधान, भू-जल विभाग, नागौर	ठीकरिया	,,	,, ,,
13.	,, ,,	सोजास	,,	,, ,,

(304)

परिशिष्ट ब (II)

विभागीय मशीन से बनाये गये नलकूपों की सूची वर्ष 1989–90

1	2	3	4	5
1.	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नागौर	नीमडी चन्द्रावता	नागौर	तहसील कूचेरा
2.	,,	हिरन कुडी	नागौर	तहसील डीडवाना
3.	,,	खेड़ा सोड़ा	नागौर	तहसील डीडवाना

परिशिष्ट "स"

डी. आर. ए. स्कीम में निर्मित किये गये सफल/असफल नलकूपों का जलक्षमतावार विवरण

क्र. सं.	काश्तकार का नाम सम्बन्धी	ग्राम	असफल/सफल	जल क्षमता गेलन प्रति घण्टा
1	2	3	4	5
1.	लूनाराम	छिपाबड़ी	सफल	6000
2.	मन्नाराम	सेनगी	,,	5800
3.	जोगीदास	केल्यामनी	,,	10000
4.	दुर्गाराम	मुडिया	,,	5800
5.	गुमानसिंह	,,	,,	5600
6.	श्रीमती सुगनाबाई	भानास	,,	9500
7.	श्री माजाराम	लाम्बाजाटन	असफल	—
8.	शिवनारायण	टाडाल	सफल	10000
9.	मूलाराम	,,	,,	7000
10.	जवानाराम	कल्यासनी	,,	9500
11.	प्रेमाराम	खींवसर	,,	6000
12.	बाबूलाल	,,	,,	10000
13.	देवाराम	लालास	,,	8000
14.	श्रीमती कमला	खींवसर	,,	9000

305

1	2	3	4	5
15.	पूनमचन्द	हुण्डाना	अर्द्ध असफल	5000
16.	मगनाराम	मावण्डा	सफल	9000
17.	चन्दनसिंह	भानाल	,,	9000
18.	भीखाराम	पूण्डमू	,,	9000
19.	पूनाराम	घनाप्पा	,,	6000
20.	रूपाराम	लालावास	,,	6600
21.	भंवरलाल	खोडवा	,,	10000
22.	भेराराम	,,	,,	9000
23.	चूनाराम	हिलोड़ी	असफल	2000
24.	ओमप्रकाश	धिरोन	सफल	टेस्टिंग होना शेष है।
25.	चन्द्रशेखर	गुडिया	,,	,,
26.	सीताराम	शंखवास	अर्द्ध सफल	3200
27.	शिवलाल	डागावास	असफल	1500
28.	तुलसीराम	पूण्डलु	सफल	10000
29.	हनुमानराम/आशाराम	,,	,,	12500
30.	गजेसिंह	मागलयास	,,	6000
31.	रामरतन	गोटन	—	टेस्टिंग होना शेष है।
32.	रानिवास	कल्यासनी	सफल	9000
33.	नाथूसिंह	भानास	,,	10000
34.	घेवरराम	,,	,,	10000
35.	शिवदानाराम	गुड़िया	,,	10000
36.	गंगासिंह/किशोरसिंह	,,	,,	6000
37.	रामचन्द्र	माणकपुर	—	टेस्टिंग होना शेष है।
38.	हरसुखराम	गंगवाल	असफल	2000
39.	चम्पादेवी	रूण	सफल	8000
40.	गोविन्दराम	धुधियाड़ी	,,	9000
41.	श्रीमती नारायण कंवर	धिरलोका	अर्द्ध सफल	3600

(506)

1	2	3	4	5
42.	जस्साराम	घिरलोका	अर्द्ध सफल	टेस्टिंग होना शेष है।
43.	भंवरसिंह	भावण्डा	—	,,
44.	भंवरी कंवरी	माणकपुर	—	,,
45.	बक्ताराम	भावण्डा	—	,,
46.	भूराराम	भूरीयारानी	सफल	9000

डी. आर. डी. ए. स्कीम में निर्मित सफल/असफल नलकूपों का
जल क्षमता वार विवरण (वर्ष 1989–90)

1	2	3	4	5
1.	ज्ञानेन्द्रसिंह	बाकलियास	—	टेस्टिंग होना शेष है।
2.	हरदीनराम/पूसाराम	टुंकलिया	—	,, ,,

परिशिष्ट "द"

डी. आर. डी. ए. स्कीम में निर्मित नलकूपों की लागत की सूची वर्ष 88–89 व 89–90

(खुदाई की लागत)

क्र. सं.	काश्तकार का नाम	ग्राम	जिला	खुदाई की लागत राशि	विशेष
1	2	3	4	5	6
1.	चुनाराम एण्ड पार्टी	दियाबड़ी	नागौर	57751.00	—
2.	गन्नाराम/भीयाराम	सेनणी	,,	71751.00	—
3.	श्री दुर्गाराम	गुडिया	,,	71926.00	—
4.	मानाराम	लाम्बा	,,	75133.00	—
5.	शिवनारायण	टाड़ास	,,	51878.00	—
6.	मूलाराम	,,	,,	60890.00	—
7.	प्रेमाराम	खींवसर	,,	68148.00	—
8.	श्री बाबूलाल	खीवसर	,,	63657.00	—
9.	देवाराम	लालास	,,	75440.00	—
10.	श्रीमती कमला	खींवसर	,,	65074.00	—
11.	श्री बचनाराम	भाखण्डा	,,	58501.00	—
12.	,, भीखाराम	पूण्डलू	,,	62777.00	—
13.	,, पूनाराम	धन्नाप्पा	,,	71961.00	—
14.	,, रूपाराम	लालास	,,	65697.00	—
15.	,, भंवरलाल	खोडवा	,,	48412.00	—
16.	,, चूनाराम	हिलोडी	,,	76339.00	—
17.	,, ओमप्रकाश	धीरोन्द	,,	48412.00	—
18.	,, चन्द्रशेखर	गुडिया	,,	72440.00	—
19.	,, तुलछाराम	पूण्डलू	,,	80621.00	—
20.	,, हनुमानराम	पूण्डलू	,,	64207.00	—
21.	,, गजसिंह	मांगलियास	,,	85322.00	—

(308)

1	2	3	4	5	6
22.	श्री रामरतन	गोटन	नागौर	119024.00	—
23.	,, गोविन्दराम	धुन्धयाड़ी	,,	53739.00	—
24.	श्रीमती नारायणकंवर	बिरलोका	,,	111128.00	—
25.	श्री शिवदानाराम	गुड़िया	,,	68042.00	—
26.	,, गंगासिह	,,	,,	68856.00	—
27.	,, जस्साराम	बाकलियास	,,	67135.00	—
28.	,, भंवरसिह	भावण्डा	,,	57519.00	—
29.	,, नाथूसिह	भानास	,,	270066.00	—
30.	,, जोगीदास	कस्यासनी	,,	196826.00	—
31.	श्रीमती सुगनाबाई	भानास	,,	218167.00	—
32.	श्री जवानाराम	कस्यासनी	,,	189548.00	—
33.	,, चन्दनसिंह	भानास	,,	178494.00	—
34.	,, रामनिवास	कस्यासनी	,,	137594.00	—
35.	,, भूराराम	भूरीयासनी	,,	181002.00	—
36.	,, हरसुखलाल	गगलाना	,,	64844.00	—
37.	श्रीमती चम्पादेवी	रूण	,,	60929.00	—
38.	श्री रामचन्द्र	माणकपुर	,,	55894.00	—
39.	,, गुमानसिंह	गुडिया	,,	34434.00	—
40.	,, सीताराम	शखवास	,,	78754.00	—
41.	,, पूनमचन्द	इनाणा	,,	91430.00	—
42.	,, भेराराम	छोठला	,,	86690.00	—
43.	,, वक्ताराम	भावण्डा	,,	58501.00	—
44.	,, चेवरराम	भानास	,,	222222.00	—
45.	,, शिवलाल	डांगावास	,,	182805.00	—
46.	श्रीमती भवरी कंवरी	माणकपुर	,,	56221.00	—

डी. आर. डी. ए. द्वारा योजना अन्तर्गत बेचान कर नलकूपों का कब्जा दिये गये काश्तकारों की सूची

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	ग्राम	कुल बेचान की राशि	वर्ष निर्माण	बेचान अनुसार डी.आर.डी.ए. द्वारा काश्तकार को सौंपे गये का दिनांक
1.	श्री भेराराम/पदमाराम	खोडवा	86690/–	88–89	14-3-89
2.	श्री गुमानसिंह/गायडसिंह	गुडिया	74434/–	,,	22-4-89
3.	श्री पुनमचन्द	छडाणा	91430/–	,,	5-5-89

नोट :—वर्ष 88-89 में निर्माण 46 नलकूल 4 असफल एवम् 3 नलकूप बेचान किये शेष 39 नलकूप विद्युतिकरण की कार्यवाही एवम् पुनः ऋण स्वीकृति होने शेष के अभाव में बिना बिके हैं।

डी. आर. डी. ए. स्कीम में निर्मित नलकूपों की लागत की सूची वर्ष 89–90 (खुदाई की लागत)

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	ग्राम	जिला	खुदाई की लागत राशि	विशेष विवरण
1.	श्री ज्ञानेन्द्रसिह	बाकलियास	नागौर	66268/–	—
2.	श्री हरदीनराम	टुकलिया	,,	57166/–	—

विभागीय मशीन द्वारा निर्माण नलकूपों की सूची वर्ष 89–90

1.	अधिशाषी अभियन्ता पी.एच.ई.डी. मेड़ता	निम्बड़ी चान्दावता	नागौर	आर.टी.-13	239467/–
2.	,,	हिरण खड़ी	,,	आर.टी.-22	255311/–
3.	,,	खेड़ासोड़ा	,,	,,	238732/–

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट–9

अतांराकित प्रश्न संख्या 119 की सूची

नवीन सम्पर्क सड़कों हेतु विगत पांच वर्षों में प्राप्त प्रस्ताव

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई कि. मी.	राशि (लाखों में)	विवरण
1	2	3	4	5
वर्ष 1985–86				
1.	मालाता की बेर से दुधालिया	5·00	12·60	अस्वीकृत
2.	टाटगढ़ से दुधालिया	6·00	6·30	,,
3.	सम्पर्क सड़क बलाड़	3·75	4·00	स्वीकृत कार्य पूर्ण
4.	अतीतमण्ड से मण्डी यार्ड	6·00	6·30	अस्वीकृत
5.	आसन से बाघमाल	1·20	2·20	,,
6.	काबरा कोटड़ा सड़क से तेजाजी थान	2.00	3·80	,,
7.	तारागढ़ से दाखोला	1.20	2.90	स्वीकृत कार्य पूर्ण
8.	काबरा रोड़ से जवाजा वाया चिलिया बड़	4.00	7.00	,,
9.	भजारिल से दुधालिया	1.02	3.05	अस्वीकृत

1	2	3	4	5
10.	भीलवाड़ा रोड़ से देवखेड़ा तक	3.00	5.05	अस्वीकृत
11.	खोडमाल से बडाखेड़ा	2.00	4.50	स्वीकृत कार्य पूर्ण
12.	नेशन हाइवे से देवाता अनावर गांव सम्पर्क सड़क	3.00	5.90	स्वीकृत कार्य पूर्ण
13.	बराखन से दुधालेश्वर	5.00	7.50	स्वीकृत कार्य पूर्ण
वर्ष 1986–87				
1.	ग्राम खोडमाल से रामपुरा	1.05	2.50	स्वीकृत कार्य पूर्ण
2.	कावरा रोड से जवाजा वाया चिलियाबड़	2.25	4.00	,,
3.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग से गांव अनावर का शेष कार्य	3.00	6.00	,,
वर्ष 1987–88				
1.	सम्पर्क सड़क रखरखाव		1.03	,,
वर्ष 1988–89				
1.	सम्पर्क सड़क किशनपुरा	2.00	2.00	कार्य प्रगति पर है।
2.	सम्पर्क सड़क सरवीना	1.00	1.50	,,
3.	सम्पर्क सड़क मालपुरा से ब्यावर	1.00	1.50	,,
4.	सम्पर्क सड़क दुर्गावास	0.50	0.75	,,

1	2	3	4	5
5.	सम्पर्क सड़क सुहावा से अन्धेरी देवली	8.00	8.00	कार्य प्रगति पर है।
6.	सम्पर्क सड़क अतीतमण्ड से गोहाना	8.00	8.00	,,
7.	सम्पर्क सड़क शाहपुरा का शेष भाग	0.70	1.00	,,
8.	सम्पर्क सड़क नन्दरी मेन्दातान	1.00	1.50	,,
9.	बड़ा खेड़ा से हाथन खेड़ा वाया जगपुरा	2.75	7.35	अस्वीकृत
10.	खोड़माल से बामनहेड़ा	2.75	7.80	,,
11.	बालाचर से भीम	3.55	11.66	,,
12.	कलालिया रोड़ से छावरी माता (ग्राम फुलेरा)	2.50	6.60	,,
13.	सम्पर्क सड़क ग्राम कोलपुरा से विजयनगर रोड तक	0.50	1.35	,,
14.	सम्पर्क सड़क फल सब्जी मण्डी के पीछे (नेशनल हाइवे) विजयनगर रोड	2.25	4.00	,,
वर्ष 1989–90				
1.	फल सब्जी मण्डी यार्ड से नेशनल हाइवे विजयनगर रोड़ तक	2.25	4.00	प्रस्ताव दिनांक 30-6-89 को प्राप्त हुए हैं।
2.	ग्राम देलवाडा से ग्राम लाखीना वाया सुहावा	7.00	5.00	,,

1	2	3	4	5
3.	ग्राम कोटड़ा बस स्टेण्ड से नाइयों के कुंए तक	3.00	5.00	प्रस्ताव दिनांक
4.	ग्राम कालिंजर से ग्राम करला तक	3.00	5.00	30-6-89 को प्राप्त हुए हैं।
5.	मसूदा रोड चुंगी चौकी से बलाड़ तक वाया गढ्ढी थारियान	3.00	4.00	,,
6.	ग्राम शाहपुरा चौराहा से ग्राम बलाई खेड़ा तक	3.00	5.00	,,
7.	ग्राम सोवनिया से ग्राम रामावास तक	3.00	5.00	,,

परिशिष्ट "ख"

विगत 5 वर्षों में निर्माण की गई सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़क की लम्बाई कि. मी.	राशि लाखों में	अब तक खर्च की गई राशि (लाखों में)
1	2	3		5
1.	सम्पर्क सड़क बड़कोचरा से लोटियाना	2.00	2.05	2.08
2.	सम्पर्क सड़क काबरा	0.75	1.53	1.55
3.	सम्पर्क सड़क काबरा से दुर्गावास	1.40	3.15	1.87
4.	सम्पर्क सड़क रावतमाल	1.70	4.72	1.95
5.	सम्पर्क सड़क सरबिबा	1.00	1.50	0.36
6.	सम्पर्क सड़क किशनपुरा	2.00	2.00	0.13
7.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग-8 से अबाकार देवाता	3.00	7.50	3.54
8.	सम्पर्क सड़क दुर्गावास	0.50	0.75	—
9.	सम्पर्क सड़क बूदरी (महेन्द्ररतन)	1.00	1.50	1.134

1	2	3	4	5
10.	सम्पर्क सड़क मालपुरा से ब्यावर	1.00	1.50	0.18
11.	सम्पर्क सड़क साहवा से अन्धी देवरी	7.00	9.50	0.494
12.	सम्पर्क सड़क अतीत मण्ड से गोहाना	8.00	8.00	—
13.	सम्पर्क सड़क बराखवन से घुधलेश्वर	5.00	7.50	5.39
14.	सम्पर्क सड़क तारागढ़ से घाघोला	1.25	2.50	3.86
15.	सम्पर्क सड़क खोडमाल से बड़ाखेड़ा	2.00	4.00	2.63
16.	सम्पर्क सड़क एन. एच. डब्लू.–8 से अबाकार देवाता	3.00	6.00	5.589

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची

नागौर संबंधी सूचना (जीवनधारा कूप निर्माण)

क्र सं.	नाम पंचायत समिति	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			स्वीकृतियों की संख्या			पूर्ण कार्यों की संख्या			निर्माणाधीन कूपों	भुगतान की स्थिति किश्त			
		88–89	89–90	योग	88–89	89–90	योग	88–89	89–90	योग	की संख्या	IV	III	II	I
1	2	3			4			5			6	7			
1.	डीडवाना	192	2	194	99	1	100	71	12	83	9	72	4	13	4
2.	मेड़तासिटी	198	—	198	83	12	95	—	—	—	83	—	61	20	3
3.	कुचामन सिटी	187	—	187	81	12	93	49	22	71	17	27	41	6	12
4.	मकराना	134	1	135	91	—	91	62	—	62	28	—	72	18	—
5.	परबतसर	140	1	141	66	—	66	46	—	46	18	—	46	9	9
6.	लाडनूं	38	5	44	18	—	18	—	—	—	8	—	—	10	3
7.	मुण्डवा	209	13	222	101	14	115	19	—	19	93	19	63	16	14

Page No. 327

1	2		3			4			5		6			7	
8.	रियांबड़ी	242	3	245	71	18	89	42	—	42	40	—	46	15	20
9.	डेगाना	109	—	109	55	—	55	23	—	23	25	5	9	6	6
10.	जायल	263	—	263	90	5	95	20	—	20	68	—	—	88	—
11.	नागौर	85	6	91	46	7	53	40	—	40	8	40	—	8	—
	योग	1797	32	1829	801	69	870	372	34	406	407	163	342	209	71

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 125 की सूची

परिशिष्ट "क"

कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर की वर्ष 1988–89 में मदवार आय

क्र.सं	नाम मद	आय (रुपयों में)
1.	नवीन अनुज्ञापत्र शुल्क	4,063.00
2.	नवीनीकरण शुल्क	11,270.50
3.	मण्डी शुल्क	46,47,208.03
4.	जमा धन पर ब्याज	18,352.03
5.	विलम्ब शुल्क	7,356.96
6.	भवन किराये से आय	7,03,102.04
7.	ठेके से आय	6,155.00
8.	अन्य आय	5,303.36
9.	फार्म विक्रय पर्ची	5,805.40
10.	जुर्माना	13,777.00
	योग	54,22,393 32
प्राप्तियां		
1.	ऋण एवं अग्रिम	37,17,142.95
2.	अमानते	11,923.74
	योग	37,29,066·69
	महायोग	91,51,460.01

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1988–89 में कराये गये विकास कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि
(अ)	**फल एवं सब्जी मण्डी यार्ड :—**	
	1. आन्तरिक सड़कें	1,53,348.55
	2. ढके हुए नीलामी चबूतरे	96,986.00
	3. दरवाजा मय चैक पोस्ट	20,249.00
	4. चार दुकान मय गोदाम	24,440.10
	5. जल व्यवस्था	40,870.00
(ब)	1. गौण मण्डी यार्ड पीसांगन के भवनों की विशेष मरम्मत	4,237.00
(स)	1. गौण मण्डी यार्ड नसीराबाद में ढका हुआ नीलामी चबूतरा	841.00
(द)	1. मुख्य मण्डी यार्ड भवनों की मरम्मत 1988–89	1,01,103.85
	2. सड़कों की मरम्मत 1988–89	2,350.15
(ध)	**सम्पर्क सड़कें :—**	
	1. सम्पर्क सड़क रसूलपुरा पर डामरीकरण का कार्य	1,72,283.00
	2. सम्पर्क सड़क भीमपुरा से अन्सेरी	2,34,036.09
	3. सम्पर्क सड़क खरवा से लीडी	1,80,422.00
	योग	9,65,166.65

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 127 की सूची

प्रपत्र "अ"

जोधपुर जिले में उपखण्डवार वर्ष 1988-89 के कृषि विद्युत सम्बन्ध के लक्ष्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति का विवरण

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति
1.	नगर उपखण्ड-6, जोधपुर (शहरी क्षेत्र)	3	11
2.	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड, लूनी	26	26
3.	,, बाप	14	—
4.	परि. एवं सं. उपखण्ड, फलौदी	20	11
5.	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड, बालेसर	43	32
6.	,, मण्डौर	25	52
7.	,, औसियां	87	99
8.	,, भोपालगढ़	35	47
9.	परि. एवं सं. उपखण्ड पीपाड़	39	39
10.	,, बिलाड़ा	87	78
11.	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड बोरून्दा	49	33
	कुल योग	428	428

प्रपत्र "ब"

जोधपुर जिले में वर्ष 1988-89 में दिये गये सिंगल पोल कृषि कनेक्शन का विवरण

उपखण्ड का नाम	गांव का नाम	क्र. सं.	काश्तकार का नाम
1	2	3	4
न.उ.ख. चतुर्थ	भदासिया	1.	श्री मोडाराम/नेनुराम
	,,	2.	,, सावलराम/हेमजी
	मण्डोर	3.	,, कालूसिंह/मुकनसिंह
	रूपावतों का बेरा	4.	,, ब्रह्मसिंह/दासूजी
	काली बेरी	5.	,, बाबूलाल/रामदयाल
	मण्डोर	6.	,, बस्तीराम/टीकूराम
	सुरपुरारोड	7.	,, रविन्द्र सिंह
	सिंधी साहब जी के बेरे के पास	8.	,, केसुसिंह/कानाराम
	पूंजला	9.	,, दलपतसिंह/जगमालसिंह
ग्रा.वि.नि.	पाल	10.	,, हस्तीराम/जेठाराम
उ.ख. लूणी	,,	11.	,, जांवताराम/राणाराम
	,,	12.	,, गोविन्दसिंह/जुगराजसिंह
	,,	13.	,, जसाराम/कानाराम
	,,	14.	,, छोटीबाई/किशनलाल
	कुड़ी	15.	,, जगदीशचन्द/किशनलाल
	,,	16.	,, भोलाराम/लक्ष्मणराम
	सांगरिया	17.	,, किशनसिंह/मोडसिंह
	डोवी	18.	,, सांवलराम/चीमाराम
	,,	19.	,, रामाराम/कानाराम

1	2	3	4
	डोवी	20.	श्री सांवलराम/सालगराम
	,,	21.	,, जवानराम/सिमरथराम
	,,	22.	,, मांगीलाल/भूराराम
	बुजावड़	23.	,, रामचन्द/आनन्दराम
	,,	24.	,, सांवलराम/खेमाराम
	गांगणा	25.	श्रीमती मेमोदेवी/राजूराम
	नारनाडी	26.	श्री हरदेव/आइदानराम
	सालावास	27.	,, मोडाराम/किशनाराम
	,,	28.	श्रीमती पपू देवी/नाथाराम
ग्रा.वि.नि.	लोरड़ी देजगरा	29.	,, पेमाराम/पूनाराम
उ.ख. मण्डोर	,,	30.	,, दोलाराम/लूम्बाराम
	मोकरणवास	31.	,, चेतनराम/पोकरराम
	,,	32.	,, पूनाराम/मोतीराम
	बैरू	33.	,, गोकलराम/बागाराम
	,,	34.	,, बुधाराम/लाखाराम
	,,	35.	,, सोनाराम/बीरमराम
	,,	36.	,, भेपाराम/राधाकिशन
	,,	37.	,, मोहनराम/हणूतराम
	केरू	38.	,, शंकरलाल/लूनाराम
	,,	39.	,, संपतराम/कानाराम
	,,	40.	,, देवाराम/खेताराम
	,,	41.	,, सूजाराम/दीपाराम
	,,	42.	,, चेनाराम/लक्ष्मणराम
	मणाई	43.	,, हुकमसिंह/तेजसिंह

1	2	3	4
	मणाई	44.	श्री लक्ष्मणराम/जोगाराम
	,,	45.	श्रीमती भूरीदेवी/भगवानसिंह
	दईजर	46.	श्री मंगलाराम/गंगाराम
	,,	47.	श्रीमती मीसादेवी/बस्तीराम
	इन्द्रोका	48.	,, सन्तोकमल/अचलूराम
	,,	49.	,, बंशीलाल/शिवनाथ
	पालड़ी मंगलिया	50.	,, पूसाराम/नैनाराम
	माणकलाव	51.	,, गुमनाराम/आइदानराम
	,,	52.	,, हनुमानराम/पेमाराम
	,,	53.	,, कनीराम/सालगराम
	,,	54.	,, भगवानसिंह/हजारीमल
	नारवा	55.	,, गणपतसिंह/बलवन्तसिंह
	पालड़ी खींचिया	56.	श्रीमती प्रभादेवी/के. एन. शर्मा
	,,	57.	,, बसन्ती देवी/कमलकिशोर
ग्रा.वि.नि.	रामपुरा	58.	श्री सीताराम
उ.ख. तिंवरी	,,	59.	,, नरसिंह/चुन्नीलाल
	,,	60.	,, गणपतराम/कुनीराम
	मथानिया	61.	,, घेवरराम/नवलाराम
	,,	62.	,, जोगाराम/मांगीलाल
	,,	63.	,, शिवराज/जसुराम
	बड़ा कोटेचा	64.	श्रीमती शोभा देवी/रूपाराम
	उम्मेद नगर	65.	श्री पुखराज/श्रीबल्लभ
	,,	66.	,, गुमस्नाराम/कालूराम
	भैंसेर कुतरी	67.	,, गोरधनराम/झमर लाल

1	2	3	4
	भैंसर कुतरी	68.	श्री गिरधारी लाल/देया
	कोटड़ा	69.	,, बाबूलाल/नारायणराम
	नेवरा	70.	,, महेन्द्र प्रताप सिंह
	किरमर सरिया कलां	71.	,, जड़ाव/गोपूराम
	राजासनी	72.	,, पुखराज/खेताराम
	बालरवा	73.	,, लूनाराम/हरजीराम
	,,	74.	,, महावीरसिंह/मोहनसिंह
	,,	75.	,, लूम्बाराम/घेवरराम
	तिवं तिवरी	76.	,, कोजाराम/घेवरराम
	,,	77.	,, नैनाराम/मूलाराम
	,,	78.	,, छगनसिंह/जवानसिंह
	,,	79.	,, मोहनलाल/मंगलाराम
ग्रा. वि. नि.	मोर नावड़ा	80.	,, कंचनसिंह/मोटाराम
उ. ख. बावड़ी	,,	81.	,, जसाराम/मोतीराम
	मैलाणा	82.	,, फूसाराम/सांवलराम
	,,	83.	,, चरणदास/हरिदास
	,,	84.	,, अर्जुनराम/श्रीराम
	,,	85.	,, मोडाराम/गणपतराम
	बावड़ी	86.	,, विरेन्द्रसिंह/जालमसिंह
	,,	87.	,, बुद्धराम/लक्ष्मणराम
	,,	88.	,, रामुराम/चतराराम
	,,	89.	,, भंवराराम/रामाराम
	बिराई	90.	,, शिवसिंह/मोहनसिंह
	अनवाना	91.	,, मनोहर कंवर

1	2	3	4
ग्रा.वि.नि.उ.ख.बावड़ी	लवेरा कलां	92.	श्री दानाराम/पूनाराम
	भवाद	93.	,, भवानीसिंह/देवीसिंह
	,,	94.	,, फगलुराम/कोजाराम
	,,	95.	,, बलवन्तसिंह
	,,	96.	,, रामुराम/भूराराम
	,,	97.	,, मेघसिंह
	सोयेला	98.	,, ग्रानन्दराज/बस्तीमल
	,,	99.	श्रीमती समुदेवी/पूसाराम
	,,	100.	श्री लूनाराम/चन्दनराम
ग्रा. वि. नि.	कलाऊ	101.	,, सवाईराम/मकनाराम
उ. ख. बालेसर	,,	102.	,, सुरताराम/रावतराम
	,,	103.	,, उम्मेदसिंह/मुकनसिंह
	चांद सामा	104.	,, रावतसिंह/मोतीसिंह
	बालेसर दुर्गावता	105.	,, खेमाराम/हीराराम
	बालेसर सत्ता	106.	,, फौजराज/खेतसिंह
	कुई इन्दा	107.	,, भगवतीराम/जयरूपराम
	,,	108.	,, तखतसिंह/केशरसिंह
	खुड़ियाला	109.	,, गुलाराम/मेहराराम
	,,	110.	,, जयराम/ग्रजुनराम
	,,	111.	,, जेठुसिंह/नरपतसिंह
	,,	112.	,, मुकनाराम/थानाराम
	चिडवई	113.	,, बिरमाराम/चेनाराम
	,,	114.	,, सालगराम/पोकरराम
	,,	115.	श्रीमती मगीबाई/चुनीलाल

1	2	3	4
ग्रा. वि. नि.	चिडवाई	116.	श्रीमती तुलसीदेवी/हीराराम
उ. ख. बालेसर	,,	117.	श्री देवाराम/रूपाराम
ग्रा. वि. नि.	भोपालगढ़	118.	,, रामनारायण/लक्ष्मणराम
उ. ख. भोपालगढ़	,,	119.	,, हरकाराम/कानाराम
	ढंढोरा	120.	,, भभूताराम/मगनाराम
	रुदिया	121.	,, भाकरराम/गिरधारीराम
	कूड़ी	122.	,, आईदानराम/लिखमाराम
	ओस्तरा	123.	,, शैतानराम/प्रभुराम
	आर्टियाकलां	124.	,, हमीराराम/बिरदाराम
	गजसिंहपुरा	125.	,, रामचन्द्र/सुखाराम
ग्रा. परि. एवं संधा.	पिचियाक	126.	,, भोलाराम
उ. ख. बिलाड़ा	,,	127.	,, दानाराम
	जेतीवास	128.	,, चन्दनसिंह
	झाक	129.	श्रीमती नर्मदा देवी
	कालाउता	130.	श्री जयकरण
	बिजवाड़िया	131.	,, अमराराम
	खारिया मीठापुर	132.	,, मोहनलाल
	,,	133.	,, रावतराम
	,,	134.	,, सवाईराम
	रांवर	135.	,, भारतसिंह
	भावी	136.	,, चेनाराम
	,,	137.	,, मांगीलाल
	,,	138.	,, लादुराम

1	2	3	4
ग्रा. परि. एवं संधा.	भावी	139.	श्री मगलाराम
उ. ख. बिलाड़ा	,,	140.	,, मंगाराम
	,,	141.	,, राणाराम
	,,	142.	,, कानाराम
	,,	143.	,, पेमाराम
	मालकोसनी	144.	,, शिवकरण
	भावी	145.	,, हापुराम
	भूरली	146.	,, टीकमराम
	कालाऊना	147.	,, लक्ष्मणराम
	खारिया मीठापुर	148.	,, प्रभुराम
	,,	149.	,, भूराराम
	,,	150.	श्रीमती सुन्दरी देवी
	,,	151.	श्री गोपाराम
	सिलारी	152.	,, रामसुख
	खारिया मीठापुर	153.	,, भंवरसिंह
	,,	154.	,, दुईराम
	झालरवा	155.	,, संग्रामराम
	पिचियाक	156.	,, तुलसाराम
	,,	157.	श्रीमती केसीदेवी
	जेलवा	158.	श्री मंगलाराम
	जेतीवास	159.	,, पोकरराम
	बिलाडा	160.	,, प्रेमसिंह
	,,	161.	,, चिमनाराम

1	2	3	4
ग्रा. परि. एवं संधा	बिलाडा	162.	श्री गेनाराम
उ. ख. बिलाड़ा	,,	163.	,, जगदीश सिंह
	,,	164.	,, स्वरूपराम
	,,	165.	,, भैराराम
	हर्ष	166.	,, लाबुराम
परि. एवं संधा.	पीपाड़ शहर	167.	,, भीखाराम
उ. ख. पीपाड़ शहर	बुचकला	168.	,, मांगुराम
	जवासिया	169.	,, मोहनराम
	जलोवण कलां	170.	,, हिंगलाजदान
	मादलिया	171.	,, जवरीलाल
	,,	172.	,, गेनाराम
	बुचकला	173.	,, सांवलराम
	पोसाना	174.	,, पुठाराम
	चौकड़ी कलां	175.	,, इन्दाराम
	,,	176.	,, भूराराम
	खवासपुरा	177.	,, केसाराम
	,,	178.	,, मगाराम
	,,	179.	,, जस्साराम
	,,	180.	,, भूराराम
	,,	181.	,, स्वरूप चन्द
	घोड़ावर	182.	,, अर्जुनसिंह
	,,	183.	,, पुरखाराम

1	2	3	4
ग्रा. वि. नि.	बौरून्दा	184.	श्री किशनाराम
उ. ख. बौरून्दा	,,	185.	,, प्रवीणदान
	हरिया ढाणा	186.	,, दीनाराम
	,,	187.	,, भंवरलाल
	रणसी गांव	188.	,, अब्दुल समन
	,,	189.	,, शक्ति सिंह
	,,	190.	,, कालूराम
	,,	191.	,, धनसिंह
	खेजड़ला	192.	,, भैराराम
	रामपुरिया	193.	,, रेवतदान
	पटेल नगर	194.	,, ओगड़राम
	खेजड़ला	195.	,, रामनिवास

(230)

प्रपत्र 'स'

जोधपुर जिले में वर्ष 88-89 में ग्रीन कार्ड धारियों को कृषि कनेक्शन देने की सूची

उपखण्ड का नाम	गांव का नाम	क्रम सं.	काश्तकार का नाम
1	2	3	4
ग्रा. वि. नि. उ. ख. मण्डोर	माणकलाव	1.	श्री भंवरलाल/मंगाराम
ग्रा. वि. नि.	तिंवरी	2.	,, नेमीचन्द/बाबूलाल
उ. ख. तिंवरी	,,	3.	श्रीमती कुसुम गौड़/सुरेश गौड़
	रामपुरा	4.	श्री बीराराम/धन्नाराम
	किरमरसिरिया खुर्द	5.	,, चन्द्रप्रकाश/परसराम
	भैंसेर कूतरी	6.	,, भूमरलाल/जोयाराम
	बालरवा	7.	,, रूपसिंह/कानसिंह
	मथानिया	8.	,, नारायणराम/रामचन्द्र
ग्रा. वि. नि.	निराई	9.	,, सीताराम/धन्नाराम
उ. ख. बावड़ी	भवाद	10.	,, जन्नत/मो. उमर
	केलाना खुर्द	11.	,, महेन्द्रसिंह/सुमेरसिंह
ग्रा. वि. नि.	डेचु	12.	,, प्रकाश कंवर/रूपसिंह
उ. ख. बालेसर	कलाऊ	13.	,, गणपतराम/कानाराम
ग्रा. वि. नि.	रामपुरा	14.	,, मांगीलाल/चेलाराम
उ. ख. भोपालगढ़	आसोप	15.	,, नन्दकिशोर/गिरधारीलाल
	राजलानी	16.	,, मदनलाल/चेनाराम
	ओस्तरा	17.	,, पांचाराम/तुलछाराम

1	2	3	4
ग्रा. वि. नि. उ. ख. बाप	बाप		—
पवस उ. ख. फलौदी	बोठड़ो	18.	श्री नसरदीन
पवस उ. ख. बिलाड़ा	जेतोवास	19.	श्रीमती शोभ कंवर
	,,	20.	श्री लच्छाराम
	,,	21.	,, हनुमानराम
	खारिया मीठापुर	22.	,, ढगलाराम
	उदलियावास	23.	,, पन्नालाल
ग्रा. वि. नि.	बौरून्दा	24.	,, श्रीमती मुन्नी कंवर
पवस उ. ख. बौरून्दा	,,	25.	श्री चौथाराम
	,,	26.	,, मोहन सिंह
	हरिया ढाणी	27.	,, सुमेर सिंह
	,,	28.	,, घेवरराम
प. ब. स. उ. ख. पीपाड़ शहर	खवासपुरा	29.	,, मानाराम
न. उ. ख.–चतुर्थ जोधपुर	मण्डोर	30.	,, प्रदीप कुमार/मानसिंह

(332)

प्रपत्र "द"

जोधपुर जिले के भोपालगढ़ बावड़ी व तिंवरी उप खण्ड में अप्रेल, 89 से 30 जून, 89 तक कृषि कनेक्शनों का विवरण :—

ग्रा. वि. नि. खण्ड, जोधपुर

उपखण्ड का नाम 1	गांव का नाम 2	क्रम सं. 3	कृषक का नाम 4
ग्रा. वि. नि.	रूदिया	1.	श्री पन्नाराम/बिरमराम
उ. ख. भोपालगढ़	डंडोरा	2.	,, सवाईसिंह/बिशनसिंह
	ओस्तरा	3.	,, गिरधारीराम/नाहरसिंह
	कुड़ी	4.	,, सुगनचन्द/लादुराम
	ताम्बड़िया खुर्द	5.	,, अणदाराम/निम्बाराम
	भोपालगढ़	6.	,, हुकमाराम/हिमताराम
	,,	7.	,, गूदड़राम/सुरजाराम
	ड़डोरा	8.	,, कुम्भाराम/गिरधारीराम
ग्रा. वि. नि.	उम्मेद नगर	9.	श्रीमती माडूदेवी/खोयाराम
उ. ख. तिंवरी	राजासनी	10.	,, रतन कंवर/धनराज
	तिंवरी	11.	श्री जोगसिंह/गायड़सिंह
	मालूंगा	12.	,, बनेसिंह/अर्जुनसिंह
	बालासरिया	13.	,, बागसिंह/शक्तिदान सिंह
	पांचला खुर्द	14.	,, कानसिंह/बनेसिंह
	जेलुगगाड़ो	15.	,, गेर कंवर/रतनाराम
	तिंवरी	16.	,, भगदाराम/घेवरराम
	,,	17.	,, गंगाराम/नरसिंहराम
	,,	18.	,, माणकराम/कानाराम
	माण्डियाई खुर्द	19.	,, खोमाराम/धोकलराम
	मतोड़ा	20.	,, आसुलाल/मांगीलाल
	किरमरसरीया कलां	21.	,, खेमसिंह/नरसिंह
	बाना का वास	22.	,, अजीत कुमार
	गोपासरिया	23.	,, दीपाराम/दोलाराम

1	2	3	4
	सामराऊ	24.	श्री मोहन सिंह
	बालरवा	25.	,, बाबूलाल
	,,	26.	,, बाबूलाल/धेलाराम
	मथानिया	27.	,, बहादुरसिंह/जयसिंह
	बेरड़ों का बास	28.	,, बिरदाराम/देवाराम
	सन्तोड़ा खुर्द	29.	,, प्रभुराम
	हरताया	30.	,, प्रेम वर्मा
ग्रा. वि. नि. बावड़ी	छटालिया	31.	,, भीखाराम/जोगाराम
	लवेरा कलां	32.	,, डूंगरसिंह/भूरसिंह
	बिराई	33.	,, ओमप्रकाश
	,,	34.	,, रामप्रताप/देवीराम
	उजलिया	35.	,, भीखसिंह/नरसिंह
	बावड़ी	36.	,, मदनलाल/सुरजाराम
	,,	37.	,, गणेशराम/चेनाराम
	सोयला	38.	,, मोहनलाल
	चटालिया	39.	,, बापूचन्द
	बिराई	40.	,, कालूराम/आशुराम
	,,	41.	,, बुद्धराम/शिवजीराम
	बावड़ी	42.	,, उम्मेदराम/मोतीराम
	लवेराखुर्द	43.	,, अमोलक चन्द
	केलावा कलां	44.	,, मोहनलाल/लालूराम
	भवाद	45.	,, दुर्गसिंह/विजयसिंह
	डोवरा	46.	,, कर्णाराम/जोराराम
	मेलाणा	47.	,, इन्द्रसिंह/भूरसिंह
	खेड़ापा	48.	,, चेनाराम/जयराम

प्रपत्र "क"

जोधपुर जिले के विद्युतीकृत घोषित गांव जिनमें आज तक एक भी कृषि कनेक्शन नहीं हैं।

क्र.सं.	उपखण्ड का नाम	गांव का नाम	कोड़ नं.	विद्युतीकरण की तिथि	कृषि कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्रों की संख्या
1.	2.	3.	4	5.	6.
1.	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड लूनी	काकेलाव	13-4-65	10-6-76	—
2.	,,	लोलासनी	147	29.10.71	—
3.	,,	दूदिया	151	23.11.71	—
4.	,,	गुडाविश्नोई	163	31.5.71	5
5.	,,	खेजड़ली कलां	164	31.5.71	—
6.	,,	खारी खुर्द	175	31.8.71	—
7.	,,	बनियावास	181	31.3.82	1
8.	,,	मोगड़ाकलां	104	31.7.82	—
9.	,,	मोगड़ा खुर्द	162	31.1.82	2
10.	,,	भाकरी	149	31.1.82	—
11.	,,	भगतासानी	166	20.3.82	—
12.	,,	बासनी बागेलाव	103	29.10.82	—
13.	,,	रेन्दड़ी	153	31.3.83	1
14.	,,	करनीयाली	150	31.3.83	1
15.	,,	पिंच	140	31.3.83	2
16.	,,	सरेचा	139	31.3.83	—
17.	,,	सर	138	31.3.83	1
18.	,,	धवा	127	31.3.84	3

1	2	3	4	5	6
	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड,				
19.	लूनी	रोहिचाकला	142	31.3.84	1
20.	,,	बादलिया	135	31.3.84	—
21.	,,	लूनावास कलां	134	31.3.84	1
22.	,,	गेलावास	126	31.3.84	—
23.	,,	कालीजाल	141	31.3.84	—
24.	,,	भाकरासनी	102	31.10.84	I
25.	,,	बिड़ासनी	165	31.10.84	—
26.	,,	रोहिचा खुर्द	143	28.2.85	1
27.	,,	पीपरली	144	28.2.85	—
28.	,,	बासनीबेदा	72	16.2.85	7
29.	,,	रसीदा	66	28.2.85	—
30.	,,	बासनी निकोबा	68	28.2.85	—
31.	,,	कानावास	67	31.3.85	—
32.	,,	खाटावास	123	31.3.85	—
33.	,,	पिस्टकासनी	73	30.9.85	—
34.	,,	धांधिया	156	31.10.85	—
35.	,,	जानादेशर	116	31.10.85	—
36.	,,	खारी कलां	176	28.2.86	1
37.	,,	सांगासनी	167	31.3.86	—
38.	,,	उत्तेसर	131	31.12.86	—
39.	,,	सिनली	13-4-133	31.3.87	—
40.	,,	सुवदण्ड	129	31.3.87	—
41.	,,	कागनाड़ा	132	31.3.87	—

336

1	2	3	4	5	6
	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड,				
42.	लूनी	हिंगोला	117	31.3.87	—
43.	"	बिरामी	169	31.3.88	—
44.	"	मियासनी	170	31.3.88	—
45.	"	खेजड़ली खुर्द	182	31.3.88	—
46.	"	घिगाना	183	31.3.88	—
47.	"	पीथासनी	172	31.10.88	—
48.	"	बासनी चारणा	168	31.10.88	—
49.	"	खाराबेरा पुरोहितान	160	31.10.88	—
50.	"	बिरकाली	158	31.10.88	—
51.	"	नीमला	157	31.12.88	—
52.	"	खाराबेरा भीमोतान	185	31.12.88	—
53.	"	गांव राजपुरिया	184	31.12.88	—
54.	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड, मण्डोर	लोरड़ी डोलिया	93	28.2.86	—
55.	"	घन्टीयाला	2	31.3.87	—
56.	"	बासनीसेफा	1	31.12.87	—
57.	"	लेंगा की ढाणी	87	31.1.88	—
58.	"	बम्बोर दरजियान	88	31.12.87	—
59.	"	जोलियाली	90	31.3.87	—
60.	"	खारड़ा रणधीर	70	30.3.88	—
61.	"	अलक धोरा	71	30.3.88	—
62.	"	जालेली फौजदारा	54	30.11.84	—
63.	"	जालेली चम्पावता	55	31.3.86	—
64.	"	नान्दड़ा खुर्द	54	29.2.84	–1

1	2	3	4	5	6
	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड,				
65.	मण्डोर	नान्दड़ी	49	31.1.84	—
66.	"	कुतरी	41	31.1.84	—
67.	"	जाजीवाल कलां	40	26.1.84	—
68.	"	आसन्दा	33	31.3.84	—
69.	"	कोकून्दा	32	31.3.84	—
70.	"	अकथली	34	31.3.84	—
71.	"	जालेली दईकड़ा	31	31.3.84	—
72.	"	सूरजबासनी	35	31.3.84	—
73.	"	देवलिया	53	31.3.84	—
74.	"	डोलिया	58	31.3.84	—
75.	"	जाडियावास	57	28.2.86	—
76.	"	घड़ाव	21	31.3.84	—
77.	"	रोलावास	22	31.12.87	—
78.	"	देसूरिया खारोला	23	30.1.88	—
79.	"	" विश्नोइया	24	31.12.87	—
80.	"	लोरड़ी पण्डितजी	13-4-25	31.3.84	—
81.	"	बालूकूआ	44	31.3.87	—
82.	"	थबूकड़ा	28	31.3.84	—
83.	"	जाजीवाल भाटिया	27	31.3.84	—
84.	"	" गहलोता	26	31.3.84	—
85.	"	" ब्राह्मणा	43	31.3.84	—
86.	"	गुजराबास	46	31.3.84	—
87.	"	जाजीवाल खींचिया	36	31.3.84	—

(350)

1	2	3	4	5	6
	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड,				
88.	मण्डोर	" काकड़ला	38	31.3.84	—
89.	"	" घांचला	37	31.3.84	—
90.	"	" भण्डारिया	39	31.3.84	—
91.	"	सालवा कलां	30	31.3.84	—
92.	"	डांगियावास	59	—	—
93.	"	पीथावास	56	—	—
94.	"	बम्बोर	89	—	—
95.	"	बनाड़	52	31.1.84	—
96.	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड, तिवरी	बेगड़िया	13-2-48	12.3.79	1
97.	"	डाबड़ी	25	25.10.80	2
98.	"	बापीनी	11	30.5.87	1
99.	"	पल्ली	4	31.3.86	2
100.	"	राय मालवाड़ा	17	31.3.88	2
101.	"	निम्बोका तलाब	20	30.11.86	2
102.	"	नौशेर	21	31.3.86	1
103.	"	भेड़	1	31.3.88	1
104.	"	बिगची	51	8.3.79	—
105.	"	भाण्डा	8	31.12.86	—
106.	"	सिरमण्डी	31	7.1.81	—
107.	"	जाखण	13	30.5.87	—
108.	"	पूनासर	12	31.3.88	—
109.	"	कड़वा	10	31.3.88	—

1	2	3	4	5	6
	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड,				
110.	तिवरी	भाकरी	2	31.3.86	—
111.	"	सन्तोड़ा कलां	118	28.2.83	—
112.	"	खारी कलां	112	30.3.70	—
113.	"	गंगानी	125	31.10.80	7
114.	ग्रा वि.नि. उपखण्ड बावड़ी	नावा नारिया	124	31.10.80	—
115.	"	बोड़ली कलां	127	31.10.80	—
116.	"	" खुर्द	132	31.1.83	—
117.	"	भट्ट कोरिया	116	31.3.83	—
118.	"	चंगावरा चारणा	133	31 3.84	—
119.	"	" खुर्द	135	31.3.84	—
120.	"	" कलां	134	31.3.84	—
121.	"	खिन्दाकौर	37	28.2.85	2
122.	"	थोब	36	28.2.85	1
123.	"	तापू	13-2-38	28.2.85	1
124.	"	किंजरी	39	31.10.88	—
125.	"	सिल्ली	41	31.10.88	—
126.	"	खाबनिया	40	31.10.88	—
127.	"	मिंगाला	44	31.10.88	—
128.	"	कपूरिया	16	31.10.88	—
129.	"	बिरसालू कलां	14	31.10.88	—
130.	"	" खुर्द	15	31.10.88	—

1	2	3	4	5	6
131.	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड, बालेसर	देवानिया	13-3-15	31.3.84	—
132.	"	देवातू	34	17.2.80	6
133.	"	डेडाचक–I	32	31.3.87	—
134.	"	" –II	31	"	—
135.	"	" --III	17	31.1.81	—
136.	"	लवारान	19	26.2.80	—
137.	"	ग्रागोलाई	86	8.1.80	—
138.	"	ढाडिया	8	5.2.81	2
139.	"	सुखभड़ला	10	17.2.80	—
140.	"	बारनाऊ	12	31.3.81	—
141.	"	लोडता हरीदासोत	18	26.2.81	3
142.	"	बासनीमन्ना	59	30.11.83	—
143.	"	ढांढणिया सासन	83	31.1.84	—
144.	"	" भायला	85	30.0.84	—
145.	"	बावरली	60	31.3.84	—
146.	"	जूड़िया	65	"	—
147.	"	दूदा बेरा	82	31.8.84	—
148.	"	डयर	91	25.9.84	—
149.	"	भालू राजवा	36	30.11.84	—
150.	"	तोलेसर पुरोहितान	88	28.2.86	—
151.	"	" चारणा	87	"	—
152.	"	भाटेलाई पुरोहितान	90	"	—

1	2	3	4	5	6
	ग्रा.वि.नि. उपखण्ड,				
153.	बालेसर	ढाढणिया बरड़ा	84	30.11.86	—
154.	"	सुवेरी सासन	63	31.12.86	—
155.	"	सूरानी	92	31.3.87	—
156.	"	शेरगढ़	44	13.3.80	—
157.	"	खिरजाभोजा	70	30.6.81	—
158.	"	" फतेहसिंह	69	"	—
159.	"	" आशा	72	"	—
160.	"	टीमरी	74	"	—
161.	"	भूंगरा	45	"	—
162.	"	साई	43	31.3.80	3
163.	"	सोइन्तरा	76	"	—
164.	"	चकडेर	77	30.5.81	—
165.	"	सियांदा	78	16.6.81	—
166.	"	चारणीभाण्डू	13-3-79	3.6.81	—
167.	"	जाटीभाण्डू	80	30.5.81	3
168.	"	चाबा	42	25.10.80	—
169.	"	सूवालिया	41	18.2.81	—
170.	"	सोमेसर	27	26.3.81	—
171.	"	डगलिया	28	"	—
172.	"	दासनियां	26	17.6.81	4
173.	"	कनोडिया महासिंह	25	"	9

1	2	3	4	5	6
ग्रा.वि.नि. उपखंड					
174.	बालेसर	खानोड़ी	30	11.6.81	—
175.	,,	सोलकियातला	40	30.4.81	1
176.	,,	ऊंटवालिया	15	16.1.81	6
177.	ग्रा.वि.नि. उपखंड, भोपालगढ़	टोडियाना	13-5-14	31.3.79	5
178.	,,	कूकड़दा	8	30.11.77	6
179.	,,	छापाला	44	21.3.79	3
180.	,,	रथकुडिया	42	28.2.83	—
181.	,,	बासनीबुद्धा	43	28.3.80	—
182.	परि. एवं संधा उपखंड, फलौदी	फलौदी	13-1-1	18.6.58	1
183.	फलौदी	देनोक	111	10.1.80	—
184.	,,	चाडी	107	,,	—
185.	,,	श्राऊ	96	4.12.80	—
186.	,,	शैतानसिंह नगर	90	26.12.80	1
187.	,,	दयाकोर	127	1.5.80	1
188.	,,	भोपारड़ी	82	7.11.80	3
189.	,,	सीहड़ा	75	12.1.81	—
190.	,,	सावरीज	118	20.1.81	—
191.	,,	ढेलाना	129	31.7.81	—
192.	,,	कोलूपाबूजी	117	30.11.81	4
139.	,,	बावड़ी	38	31.3.82	1
194.	,,	बग्गा	70	30.9.83	1

1	2	3	4	5	6
परि. एवं संधा. उपखंड,					
195.	फलौदी	सदावता	80	30.10.83	1
196.	,,	मोरिया	92	31.3.84	—
197.	,,	भोजासर	95	,,	—
198.	,,	बैंगटी खुर्द	78	,,	—
199.	,,	कलरा	81	25.9.84	—
200.	,,	बरजासर	94	,,	—
201.	,,	पडियाल	57	31.10.84	—
202.	,,	रणीसर	93	,,	—
203.	,,	खारा	77	22.1.85	—
204.	,,	गज्जा	86	30.9.85	1
205.	,,	जालोड़ा	116	31.10.85	1
206.	,,	बैंगटी कलां	74	27.2.86	—
207.	,,	डेडीसरा	88	,,	2
208.	,,	रायड़ा	76	,,	—
209.	,,	भीयासर	13-1-56	23.7.86	—
210.	,,	सुवाप	119	31.7.86	—
211.	,,	ईशरू	108	29.9.86	1
212.	,,	रिडमलसर	106	,,	—
213.	,,	केरला	110	7.3.87	—
214.	,,	डेरिया	122	15.3.88	—
215.	,,	खेरा बागोरिया	123	,,	—
216.	,,	बंजासर	112	,,	—

1	2	3	4	5	6
217.	परि. एवं संधा. उपखंड, पीपाडशहर	खोखरिया	13-5-110	31-12.82	—
218.	,,	खेडी सालवा	70	31.3.84	1
219.	,,	मलार	63	,,	2
220.	,,	पीपाड़ रोड	—	21.2.85	3
221.	,,	निरारा	74	31.3.84	—
222.	,,	सरमीभाकलां	—	21.2.85	—
223.	,,	बुण्डाना	—	,,	—
224.	,,	खेडी चारणा	73	31.3.84	—
225.	,,	रामेडाबास कलां	—	31.12.82	—
226.	,,	हिंगोनिया	—	31.3 84	—
227.	,,	सरमिया खुर्द	57	21.3.85	—

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 128 की सूची

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

31 दिसम्बर, 1986 को विभिन्न स्रोतवार ऋणों का विवरण

(राशि लाख रुपये)

क.सं.	स्रोत का नाम	31-12-1986 को ऋण शेष
1.	राज्य सरकार ऋण	76191
2.	जीवन बीमा निगम	8944
3.	खुला बाजार ऋण (बाण्ड्स)	19847
4.	ग्रामीण विद्युतिकरण निगम	12441
5.	कृषि पुनःवित निगम	679
6.	वाणिज्यिक बैंकों से ऋण (एस. पी. ए. योजनार्गत)	2025
7.	यूको बैंक	37
8.	बैंक आफ इण्डिया	57
9.	ग्रामीण ऋण पत्र	3
10.	मुख्यमंत्री कोष	150
11.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	4007
	योग	124381

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा गत पांच वर्षों में मूलधन व ब्याज के भुगतान का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	स्रोत	1984-85		1985-86		1986-87		1987-88		1988-89	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1.	राज्य सरकार	81	78	3022	—	—	—	—	3580	—	2183
2.	जीवन बीमा निगम	646	1182	210	575	954	1384	715	1048	1091	1238
3.	ओपन मार्केट लोन	436	1060	1100	1222	698	1782	1035	1349	1018	2352
4.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	669	970	188	1039	643	515	1366	1419	746	1501
5.	कृषि पुनर्वित्त विकास निगम	220	84	168	61	211	50	54	47	58	10
6.	एस. पी. ए. स्कीम	284	154	368	214	376	119	151	117	484	174
7.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	538	215	817	524	1230	589	1105	773	1043	857
8.	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	1508	197
9.	अन्य विविध ऋण	81	46	136	59	60	44	29	34	56	8
	योग	2955	3789	6009	3694	4172	4483	4455	8377	6004	8520

परिशिष्ट "स"

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की ऋण के अलावा
31 मई, 1989 की अन्य देनदारियों का विवरण

		राशि लाख रुपयों में
1.	विद्युत क्रय के विभिन्न लेनदार	12,527.72
2.	ऋणों पर देय ब्याज	1,247,48
3.	माल की आपूर्ति हेतु विविध लेनदार	2,472,56
4.	विद्युत शुल्क	89.78
5.	स्टाम्प ड्यूटी	17.54
6.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	784.41
7.	गारन्टी कमीशन	181.32
8.	भाँखरा ब्यास प्रबन्ध मण्डल को संचालन व्यय	389.19
9.	ब्यास परियोजना को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	182.31
10.	वृत स्तरीय विभिन्न देनदारियाँ कार्य एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित	1,561.29
	योग:	19,453.60

(358)

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 138 की सूची

कार्यालय कलक्टर, नागौर

क्रमांक : F 12 (173) राज./87/3916 दिनांक 24-12-87

आदेश

अत: सी. के. नागर, सदस्य सचिव, टास्कफोर्स एवं संयुक्त निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, ने नागौर शहर के आस-पास 10 एकड़ भूमि के आंवटन की मांग की है।

अत: राजस्थान भूराजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित भूमि का आंवटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर को नागौर के ख. नं. 125, 127, 130 एवं 95 में से 10 एकड़ भूमि डाइट की स्थापना निम्न शर्तों पर निशुल्क आवंटित की जाती है :—

1. भूमि को उसी प्रयोजन के काम लिया जावेगा जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई है।
2. यह आवंटन 30 वर्ष की अवधि के लिए होगा। अवधि समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार स्थिति का पुन: रावलोकन करेगी और देखेगी कि जिस-जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई थी उसका वहीं उपयोग हो रहा है और उस प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता हो तो 30 वर्ष की और अवधि के लिए उस अवधि का नवीनीकरण किया जा सकता है।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष के भीतर-भीतर शुरू करवाना होगा।
4. भूमि राज्य सरकार में निहित होगी।
5. इस भूमि पर जो संस्थान शुरू किया जायेगा एवं भवन निर्माण किया जावेगा यह अन्य जनता के लाभ के लिए प्रयुक्त किया जावेगा एवं उसका कार्य

दुर्भावनापूर्ण हस्तान्तरण, आवंटन किये जाने वाली संस्था या समिति के किसी सदस्य को नहीं किया जा सकेगा।

6. आवंटित भूमि को हस्तान्तरण करने का अधिकार राज्य सरकार के अलावा किसी अन्य को नहीं होगा।

7. आवंटित उपरोक्त शर्तों की पालना के लिए लिखित में वचनबद्ध होगा।

8. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में भूमि एवं उस पर निर्मित भवन आदि सहित राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जावेगी और इसके विषय में मुआवजा प्राप्त करने का कोई उज्र नहीं होगा।

SD/–

कलक्टर, नागौर

सरकारी जमीन

ख.नं.	रकबा	किस्म जमीन	अवस्थित	ख. नं.	रकबा	किस्म जमीन	अवस्थित
1	2	3	4	5	6	7	8
95	109।)4।।	B IV	गोगेलाव रोड पर	421	50।।)1	गै मूखडा	शहर के उत्तरी तरफ
269	।)	B II	संजय कॉलोनी के पास	431	।।)	,,	,,
338	11।।)3	B IV	मानासर के पास	457	15।।।)	,,	बड़ली के पास
				467	।।।)2	,,	,,
667							
6	35।।)3	B IV	शहर से उत्तर की	470	4।।)	,,	,,
11	16।।।)	,,	,,	553	3)3	,,	दिल्ली दरवाजा के पास
59	0)4	,,	,,	36	3v।)3	तालाब	प्रताप सागर
117	20।।)4	,,	नागौर शहर में पश्चिम की तरफ	79	6)	,,	गोगलाव रोड पर
585	8)2	,,	अजमेरी गेट के पास	112	3।)3	,,	,,
				122	23)2	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
590	6।।)1	B IV	अजमेरी गेट के पास	133	3)4	तालाब	कृषि मण्डी के पास
338	1)2	,,	मानासर के पास	154	8।।)3	,,	,,
669							
212	1)4	,,	बाई पास के पास (जोधपुर)	265	6।।।)1	,,	संजय कालोनी के पास
132	3।।।)2	मगरा	कृषि मण्डी के पास	267	1।।।)4	,,	,,
138	23।।।)2	,,	,,	284	11)1	,,	जाजोलाई के पास
210	1)3	,,	बाई पास पर	311	0)2	,,	,,
				381	3।।)1	,,	अजमेरी गेट बाहर
261	3)2	,,	संजय कालोनी के पास	468	2।)	,,	बड़ली के पास
318	2।)	,,	औद्योगिक क्षेत्र के पास	521	3।।।)	,,	डेड रोड पर
326	1।।।)3	,,	,,	533	42)	,,	दिल्ली दरवाजा के पास
330	3।।।)1	,,	,,	73	6241)3	जै.भू. गोचर	गोगेलाव रोड पर
385	8।)2	,,	ताऊसर रोड पर	75	58)4	,,	,,
420	1)	,,	उत्तरी शरहद पर	81	258।)4	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
433	।।।)3	मगरा	उत्तर शरहद पर	108	93।।।)1	जै. भू. गोचर	गोगेलाव रोड पर
459	27।।)1	,,	बड़ली के पास	113	1089।)1	,,	,,
466	8।।।)	,,	,,	18	0)4	ओरण	उत्तर की तरफ
529	5)4	,,	डेह रोड पर	157	2)	,,	कृषि मण्डी के पास
528	7)	,,	,,	159	।।।)4	,,	,,
540	8।।)1	,,	,,	26	2।)1	अंगोर	रेल्वे लाइन के पास
130	32।)1	खडा	कृषि मण्डी के पास	27	।।।)3	,,	,,
263	।।)	,,	संजय कॉलोनी के पास	29	2।)	,,	,,
275	।।)	,,	,,	31	6।)4	,,	नया दरवाजा बाहर
				34	10।)4	,,	,,
337	3।।।)1	,,	मानासर के पास	46	11।।)4	,,	इन्दिरा कॉलोनी के पास
346	4।)2	,,	जिला परिषद	93	11।।)4	,,	उत्तर की तरफ
349	4।।)	,,	,,	118	73।।।)2	,,	हवाई पट्टी के पास
				124	44।)1	,,	,,

1	2	3		4	5	6	7
127	24।।)1	खडा	कृषि मण्डी के पास	527	23)4	अंगार	डेह रोड़ पर
153	46।।)3	,,	,,	532	258)2	,,	,,
196	22।।)	,,	बस्सी रोड़ के पास	545	16।।।)	,,	चेनार के पास
262	3।)3	,,	संजय कॉलोनी के पास	547	5।।।)1।	,,	,,
266	2।।।)3	,,	,,	549	2)3।।	,,	,,
278	1।।।)	,,	,,	566	0)2	,,	,,
283	18।।।)2	,,	जाजोलाई	572	33।।)3	,,	मूण्डवा रोड पर
312	15।)4	,,	,,	574	34।।)3	,,	,,
335	140)2	,,	मानासर के पास	577	3।।)2	,,	,,
347	6।)2	,,	,,	592	13)4	,,	शहर के दक्षिण
361	253)	,,	पुलिस लाइन के पास	592	30)	,,	,,
				906			
363	3।।)	,,	,,	609	10।।।)4	,,	,,
365	4।।।)	,,	,,	612	4।)1	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
369	40ı)3	अगार	पुलिस लाइन के पास	617	7ı)2	अगार	शहर से दक्षिण
371	5)4	,,	कॉलिज के पास	618	2ııı)2	,,	,,
373	19)1	,,	,,	631	0)2	,,	दक्षिण की तरफ
				703			
375	1)4	,,	ताऊसर गेट	640	8ıı)	,,	,,
377	3ııı)1	,,	,,	649	11ıı)1	,,	,,
379	29)3	,,	,,	596	13ıı)	,,	,,
381	122ııı)2	,,	,,	697	1ıı)	,,	,,
381	7)	,,	,,	598	15ıı)1	,,	इन्दिरा कॉलोनी के पास
890							
383	156ııı)3	,,	,,	698			
417	2ıı)1	,,	उत्तरी तरफ	30	2)4	,,	,,
437	34ı)1	,,	चुंगीसरा रोड	257	1)4	,,	बासनी रोड
445	74ııı)1	,,	बडन्ली के पास	290	ıı)	,,	पुलिस लाइन के पास

1	2			3	4		5
447	33॥)4	अगार	बडाली के पास	360	4॥)4	आड	पुलिस लाइन के पास
451	436॥)	,,	,,	368	2॥)4	,,	,,
451	30)	,,	,,	394	1।)	,,	कालेज के पास
902							
451	20)	,,	,,	398	4॥)	,,	,,
903							
481	124।)॥	,,	दिल्ली दरवाजा	419	3॥)3	,,	उत्तर की तरफ
485	77)2	,,	बडली के दक्षिण	422	6)1	,,	,,
488	49।॥)1	,,	बडली के पूर्व	434	2।॥)	,,	,,
488	40)	,,	,,	442	8)4	,,	,,
905							
		,,	,,	444	1)	,,	,,
		,,	,,	458	1।।)4	,,	,,
511	36)2	,,	डेड रोड	462	॥)	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
514	31॥)1	अंगार	हेड रोड	469	4)3	आड	बडली के पास
520	12॥)4	,,	,,	480	6॥।)3	,,	हेड रोड
522	25)4	,,	,,	507	12॥।)	,,	,,
524	11॥।)4	,,	,,	546	॥।)1	,,	,,
250	3॥।)4	,,	,,				
570	1॥।)	,,	दिल्ली दरवाजा				
576	3॥)	,,	,,				
283	6।)	,,	दक्षिण की तरफ				
584	1॥)	,,	,,				
593	1॥)4	,,	कॉलेज के पास				
610	7)4	,,	स्टेडियम के पास				
632	2॥)1	,,	,,				
635	1॥।)2	,,	,,				
	5475।)।						

ह./–
तहसीलदार (वृ. द.) नागौर

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 140 की सूची

क्र. सं.	तहसील का नाम	कुल गैर खातेदार काश्तकार	गैर खातेदारों को काश्तकारी दी गयी
1.	नागौर	805	733
2.	जायल	384	122
3.	मेड़ता	50	50
4.	डेगाना	63	—
5.	डीडवाना	38	3
6.	लाड़नूं	13	9
7.	परबतसर	62	62
8.	नॉवा	106	75

क्र.सं.	नाम तहसील	राजस्व अभिगा दिए जाने के सम अनुजाति	अ
1	2	3	
1.	सूरतगढ़	95	—
2.	श्रीविजयनगर	39	—
3.	अनूपगढ़	56	—
4.	घड़साना	22	—

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 148 की सूची

परिशिष्ट–"अ"

कोटा स्थित विभिन्न विभागीय कार्यालयों का विवरण

(1) अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय

क्र. सं.	पद नाम	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	कब से कार्यरत है ।	
1	2	3	4	5
1.	अधिशाषी अभियन्ता	श्री एस. वी. माथुर	14-9-88 से लगातार	
2.	सुपरवाइजर	,, कैलाश लाल माथुर	फरवरी 3 89	,,
3.	लेखाकार	,, आर. सी. भटनागर	1-1-88	,,
4.	कनिष्ठ लेखाकार	,, सवाईसिंह	27-5-89	,,
5.	वरिष्ठ लिपिक	,, हरिमोहन नागर	1-10-81	,,
6.	वरिष्ठ लिपिक	,, हरीश चन्द्र शर्मा	27-5-82	,,
7.	वरिष्ठ लिपिक	,, देवीसिंह यादव	1-4-83	,,
8.	कनिष्ठ लिपिक	,, हरीसिंह हाड़ा	28-11-75	,,
9.	कनिष्ठ लिपिक	,, मो. उमरखां	6-3-87	,,
10.	कनिष्ठ लिपिक	,, श्याम सुन्दर	फरवरी, 89	,,
11.	क्लीनर ट्रक	,, मानसिंह	25-6-84	,,
12.	चौकीदार	,, धन्नाराम	12-11-75	,,
13.	चौकीदार	,, शंकरसिंह	23-5-81	,,
14.	साइकिल सवार	,, रामचन्द्र	7-6-86	,,
15.	जमादार	,, चन्द्रमोहन खटीक	7-6-86	,,
16.	वाहन चालक	,, स्वन्तत्र सिंह	2-5-75	,,
17.	वाहन चालक	,, खेमचन्द	27-4-84	,,

(360)

(2) **प्रभारी कनिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक का कार्यालय**

1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक	श्री आर. के. गुजराल	अप्रेल 3 89 से	लगातार
2.	तकनीकी सहायक (भू-जल)	,, इकबाल हुसेन		,,
3.	ओवरसियर	,, एम. सी. अग्रवाल		,,
4.	वाहन चालक	,, भगवानसिंह		,,
5.	फील्ड्मैन	,, राधेश्याम		,,
6.	चैनमैन	,, प्रतापसिंह		,,
7.	तकनीकी वाहक	,, शिवधारी		,,

(3) **सहायक अभियन्ता का कार्यालय**

1.	सहायक अभियन्ता	श्री एम. एल. यादव	16-5-89 से	लगातार
2.	सुपरवाइजर	,, एस. के मिश्रा	12-6-89	,,
3.	यान्त्रिक ग्रेड–II	,, सुरेश नन्दन जौहरी	1-4-82	,,
4.	कनिष्ठ लेखाकार	,, विमल कुमार जैन	2-4-87	,,
5.	कनिष्ठ लिपिक	,, हरदयाल यादव	18-6-86	,,
6.	कनिष्ठ लिपिक	,, शबीर अली	18-5-87	,,
7.	विस्फोटक	,, जगदीश सिंह	24-8-87	,,
8.	विस्फोटक	,, छत्तरसिंह	24-12-75	,,
9.	विस्फोटक	,, भीमसिंह	24-6-85	,,
10.	विस्फोटक	,, एम.एम. वासन्दानी	30-1-80	,,
11.	विस्फोटक	,, सन्तोष कुमार	1-11-80	,,
12.	छिद्रक	,, रिछपालसिंह	23-11-76	,,
13.	छिद्रक	,, नेमीचन्द	1-11-80	,,
14.	छिद्रक	,, बंशीलाल	2-2-80	,,
15.	छिद्रक	,, जयकृष्ण गुप्ता	1-7-83	,,

361

1	2	3	4	5
16.	छिद्रक	श्री दामोदर प्रसाद	21-7-83	से लगातार
17.	छिद्रक	,, सुरेन्द्रसिंह	27-8-84	,,
18.	वाहन चालक	,, सायरसिंह	31-12-86	,,
19.	वाहन चालक	,, मूलसिंह	1-4-69	,,
20.	वाहन चालक	,, रघुवीरसिंह	13-5-67	,,
21.	वाहन चालक	,, कालूलाल	18-6-68	,,
22.	वाहन चालक	,, घनश्याम सिंह	25-7-87	,,
23.	वाहन चालक	,, दयालसिंह	1-4-67	,,
24.	हैल्पर	,, मदनसिंह	1-12-88	,,
25.	साइकिल सवार	,, रामअवतारसिंह	22-5-73	,,
26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	,, मलखासिंह	12-7-88	,,
27.	चौकीदार	,, गोपालराम	31-12-84	,,
28.	चौकीदार	,, छित्तरमल	29-5-89	,,
29.	क्लीनर ट्रक	,, राजेन्द्रसिंह	17-2-87	,,
30.	क्लीनर ट्रक	,, प्रेमसिंह	1-7-78	,,
31.	क्लीनर ट्रक	,, अर्जुनसिंह		
32.	क्लीनर ट्रक	,, छोटूलाल	9-5-80	,,
33.	क्लीनर ट्रक	,, नारायणसिंह	6-6-83	,,
34.	क्लीनर ट्रक	,, संग्रामसिंह	1-8-83	,,
35.	क्लीनर ट्रक	,, भंवरसिंह	12-7-83	,,
36.	क्लीनर ट्रक	,, लक्ष्मणसिंह	28-1-88	,,

परिशिष्ट—"क"

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 155 की सूची

ईंट भट्टों हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत विचाराधीन आवेदनों का मानचित्र

क. सं.	आवेदन करने की दिनांक	इस कार्यालय में प्राप्ति की दिनांक	आवेदक का नाम व ग्राम नाम	गांव	अनापत्ति चाहने वाले रकबे का विवरण खसरा नं.	क्षेत्रफल	नाम गांव	लंबित होने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	8-1-88	8-1-88	श्री सम्पतलाल पुत्र सेवाराम	सुजानदेसर	252	8.15 बीघा	करमीसर	तहसील से टिप्पणी वांछित	
2.	24-2-88	24-2-88	,, मघाराम पुत्र द्वारकाराम	श्रीरामसर	90	5 बीघा	गजनेर	,, ,,	
3.	4-4-88	4-4-88	,, गणेशाराम पुत्र सीताराम	रिडमलसर	99/19	3 ,,	रिडमलसर	,, ,,	
4.	13-6-88	13-6-80	,, सुरेश बंसल एवं राजीव कुमार	कोलायत	66	5 ,,	कोटली	जिला कार्यालय में विचाराधीन	
5.	24-6-80	24-6-88	,, आईदान व भेराराम	झडू	56/1	6 ,,	,,	तहसील से टिप्पणी वांछित	
6.	9-8-88	10-8-88	,, मूलचन्द पुत्र द्वारकाराम	बीकानेर	89	4 ,,	गजनेर	जिला कार्यालय में विचाराधीन	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	14-10-88	14-10-88	श्री इन्दरचन्द पुत्र मघाराम	सुजानदेसर	31	5 बीघा	कोटड़ी	ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया।	
8.	25-10-88	25-10-88	श्रीमती रामीदेवो पत्नी कुनाराम	शरह कजानी	8	5 ,,	शरह कजानी	तहसील से टिप्पणी वांछित	
9.	9-2-88	9-2-88	गीतादेवी पत्नी भंवरलाल	श्रीरामसर	15/3 व 16/2	5 ,,	मद	,,	,,
10.	9-12-88	9-12-88	माणक ईंट उद्योग	बीकानेर	126 /13/2	5 ,,	सांखला का फांटा (कोलायत)	जिला कार्यालय में विचाराधीन	
11.	29-12-88	29-12-88	श्री जगमालसिंह पुत्र रामसिंह	शिवबाड़ी	72/1	5 ,,	मढ	तहसील से टिप्पणी वांछित	
12.	28-2-89	25-4-89	,, धूड़ाराम पुत्र मांगीलल	बीकानेर	40	6 ,,	पांडासर	जिला कार्यालय में विचाराधीन	
13.	13-3-88	13-3-88	,, फूसाराम पुत्र कोवाराम	कोटड़ी	93 व 94	5 ,,	कोटड़ी	,,	,,
14.	13-3-89	13-3-89	,, हरीराम पुत्र दुर्गाराम	बरसिंगसर	151	4 ,,	बरसिंगसर	तहसील से टिप्पणी वांछित	

364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	14-3-89	14-3-89	श्री मूलाराम पुत्र खेताराम	बरसिंगसर	136	4 बीघा	बरसिंगहर	तहसील से टिप्पणी वांछित	
16.	13-3-89	13-3-89	,, अनारदीन वल्द निजामदीन	देशनोक	610	3 ,,	देशनोक	,,	,,
17.	17-3-89	17-3-89	,, बजरंगलाल पुत्र मानाराम	नापासर	40	6 ,,	नापासर	,,	,,
18.	15-4-89	15-4-89	,, मूलीवेवा, केशूराम, गंगाराम, हरीराम, आदूराम, लिखूराम, रेवन्तराम, स्वर्गीय पि. केशूराम	माडिया	258/234	2 ,,	माडिया	जिला कार्यालय में विचाराधीन	
19.	7-6-89	7-7-89	श्री कानाराम पुत्र हरनाथराम	चांडासर	39/2	11 ,,	चांडासर	तहसील से टिप्पणी वांछित	
20.	26-6-89	26-6-89	,, मोडाराम पुत्र जमनाराम	सुजानदेसर	51	4.13 ,,	सुजानदेसर	,,	,,
21.	26-6-89	26-6-89	मै. नागमाल ब्रिक्स कीसन	चक सालिया	41	5 ,,	चक सालिया	,,	,,

365

परिशिष्ट—(ख)

मार्च, 85 से दिसम्बर, 88 तक ईंट भट्टा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने का मानचित्र

क्र. सं.	नाम प्रार्थी	पिता का नाम	निवासी	तहसील	अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का विवरण				विशेष
					द. न.	तादाद (क्षेत्रफल)	गांव	दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री मोडाराम	श्री लालाराम	देशनोक	बीकानेर	231/2/1	5 बीघा	बीकासर	14.3.85	
2.	श्री हनुमान प्रसाद	श्री सेवाराम	सुजानदेसर	बीकानेर	240/1	4 बीघा	,,	,,	
3.	श्री चैनाराम	श्री सुगनाराम	पांचू	नौखा	285	5.15 बीघा	पांचू	,,	
4.	श्री नूर मोहम्मद	श्री हसन खां	बडू	कोलायत	100/367	5 बीघा	बजू	16.3.85	
5.	श्री बखतावरदान	श्री मेघदान	मूंजासर	नौखा	8	2 बीघा	मूंजासर	9.4.85	
6.	श्री आर इंटर प्रा.लि.	—	जेसवंत, बीकानेर	बीकानेर	22/14	2788 गज	गोयसरी	10.4.85	
7.	श्री करणीदान	सीताराम	तारवां	नौखा	262	4 बीघा	तारवां	19.4.85	
8.	श्री बंशीधर सुनीलकुमार	—	सुजानदेसर	बीकानेर	73/5	5 बीघा	मद	9.5.85	

366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	श्री किसनाराम	मोनाराम	टोहा	नौखा	282	3 बीघा	रोड़ा	4.4.85	
10.	श्री घेवर चन्द	मस्तराम	बीकानेर	बीकानेर	31	5 बीघा	कोटड़ी	,,	
11.	श्री रूपाराम	गणेशाराम	कोटड़ी	कोलायत	98	11 बीघा	,,	,,	
12.	श्री रूपसिंह	फतेसिंह	कक्कू	नौखा	734/385	2 बीघा	कक्कू	12.6.85	
13.	श्री पन्ना	रेड़ामेलाल	सूरपुरा	,,	108	2.5 बीघा	सिंगगुरू	,,	
14.	श्री चेतनराम	बिंदाराम	मेहराणा	लूनकरणसर	85	3 बीघा	मेहराणा	1.1.88	
15.	श्री सेडूराम	देरायराम	सोमतसर	नौखा	172	2 बीघा	सोमतसर	16.1.88	
16.	श्री तेजगिर	रामगिर	बीकासर	,,	322/240/1	5 बीघा	बीकासर	,,	
17.	श्री गोविन्दराम	लिछमणराम	,,	,,	349/8	4 बीघा	,,	,,	
18.	श्री ओमप्रकाश	भैराराम	बडू	कोलायत	45	6 बीघा	चकसालिया	15.2.88	
19.	मै. नसीरदीन लियाकत अली		बीकानेर	बीकानेर	87,88/3	13 बीघा	गजनेर	,,	
20.	श्री आईदान	हुक्माराम	वडू	कोलायत	63 व 56/3	7.14 बीघा	कोटड़ी	5.3.88	
21.	श्री बशीर व गफार	मीरखां	बीकानेर	बीकानेर	59,60,61, 75,76	13.5 बीघा	कोटड़ी	6.3.88	

367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	श्री इब्राहीम	मुन्नूखां	बीकानेर	बीकानेर	45(46)	4 बीघा	चांडासर	15.3.88	
23.	श्री हसन व अकबरअली	हाजी अल्लारखां	बीकानेर	बीकानेर	62 व 74	5.15 बीघा	कोटड़ी	29.3.88	
24.	श्री सफी मोहम्मद	अल्ला बक्स	कोलायत	कोलायत	30	2.10 बीघा	कोलायत	2.4.88	
25.	श्री बशीर	पीरबक्स	बीकानेर	बीकानेर	30	5.10 बीघा	कोलायत	6.4.88	

368

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 157 की सूची

THE RAJASTHAN TENANCY (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1989

(Ordinance No. 7 of 1989)

(Made and promulgated by the Governor on the 25th day of May, 1989).

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

Whereas the Rajasthan Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Fortieth Year of the Republic of India the following Ordinance, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Ordinance, 1989.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 42—A, Rajasthan Act 3 of 1955. In Section 42—A of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) hereinafter referred to as the principal Act, the following proviso shall be added after the existing proviso, namely :—

"Provided further that any transfer of land in contravention of clause (a) of Section 42, made before the 1st day of

April, 1989, for agriculture purpose only, may be regularised by the Sub-Divisional officer on payment of penalty of a sum equal to ten times of the land revenue payable for the holding."

3. Amendment of section 183—B, Rajasthan Act 3 of 1955. In Sub section (1) of section 183—B of the principal Act, after the words "person or persons entitled to evict him", the expression "or on the application of a public servant, authorised by the State Government in this behalf" shall be inserted and for the words "fifteen times" the words "fifty times" shall be substituted.

4. Amendment of Third Schedule, Rajasthan Act 3 of 1955. In the third Schedule appended to the principal Act, in serial No. 68—C of Part II, for the words "Assistant Collector", in column 4, the word "Tehsildar" shall be substituted.

Sd/–

GOVERNOR OF RAJASTHAN

Sd/–

Secretary to the Govt.

370

शुद्धि-पत्र

क्रम संख्या	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	29	30	(बांदीकुई)	(टोडारायसिंह)
2.	31	21	(9)	(4)
3.	59	21	(सची)	(सूची)
4.	65	9	(स्थागित)	(स्थगित)
5.	69	29	111	121
6.	75	15	(स्थबित)	(स्थगित)
7.	81	1	(श्री देवीसिंह भाटी)	(ऊर्जा मंत्री)
8.	89	11	(स्थागित)	(स्थगित)
9.	89	27	,,	,,
10.	174	18 22 26	विषपक	विषयक
11.	338	24	(मुख्य सचेत)	(मुख्य सचेतक)
12.	357	1	(श्री पोकरलाल परिहार)	(श्री मोहन छंगाणी)
13.	359	1	,,	,,
14.	361	1	,,	,,